वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

विकासशील
परिवर्तनशील
उत्थानशील

बी एच ई एल
BHEL

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बीएचईएल– ऊर्जा एवं उद्योग क्षेत्र में राष्ट्र को आत्मनिर्भर बना रहा है

परिचय

भारत का अपनी तरह का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम है

भारतीय कैपिटल गुड्स उद्योग में **दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता**

53% हिस्सेदारी के साथ देश की कुल स्थापित पारंपरिक विद्युत उत्पादन क्षमता में **शीर्ष योगदानकर्ता**

अखिल भारतीय उपस्थिति: **16 विनिर्माण इकाइयां; 8 सेवा केंद्र**

प्रस्ताव

बिजली– थर्मल, हाइड्रो, गैस, परमाणु और सौर पीवी

परिवहन

ट्रांसमिशन

रक्षा और एयरोस्पेस

तेल और गैस

उद्योग

ऊर्जा भंडारण

जल

उपस्थिति

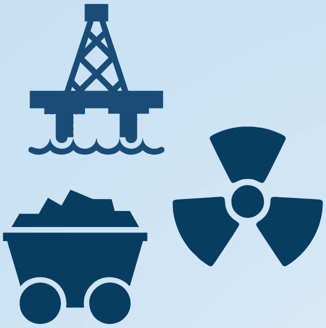

देश के सभी राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में **452 कोयला, 420 हाइड्रो, 102 गैस, 12 परमाणु और 45 मेगावाट स्केल ग्रिड कनेक्टिड सोलर पीवी** प्लांट

सभी **6 बसे हुए महाद्वीपों** के 84 देशों तक पहुँच

ऊर्जा, उद्योग और अधोसंरचना क्षेत्रों के विभिन्न समाधानों का एकल स्रोत

एक प्रतिभाशाली और कुशल कार्यबल द्वारा समर्थित भारतीय विद्युत संयंत्र उपकरण निर्माताओं के बीच निर्विवाद शीर्ष स्थान

विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी और अत्याधुनिक संसाधन

भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास तथा नवाचार पर सबसे अधिक निवेश

एक नए बीएचईएल के निर्माण हेतु परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना

कोरोना चुनौती का सामना !

देश की कोविड–19 महामारी से लड़ाई में योगदान करते हुए, बीएचईएल की इकाइयों ने कई अभिनव डिसइंफेक्शन मशीनों का निर्माण किया, जो कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में एक महत्वपूर्ण कदम था।

बीएपी रानीपेट ने भेल मिस्टर बनाया, जो कस्बों और शहरों को बड़े पैमाने पर सेनेटाइजेशन के लिये एक स्प्रे असेंबली है। रानीपेट प्रशासन द्वारा इसका व्यापक स्तर पर उपयोग किया गया है।

इसे अन्य विनिर्माण इकाइयों द्वारा अपने आसपास के क्षेत्रों में सेनेटाइजेशन के लिए प्रयोग किया गया है। देश के विभिन्न भागों में अब तक 130 से अधिक सेटों की आपूर्ति की जा चुकी है।

हीप हरिद्वार ने इनडोर क्षेत्रों के सेनेटाइजेशन के लिए सीएसआईआर के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कीटाणुनाशक स्प्रे मशीन का निर्माण किया।

राष्ट्रीय स्तर पर कोरोना के विरुद्ध युद्ध में योगदान करने के लिए, बीएचईएल के कर्मचारियों ने पीएम–केयर्स फंड में 15.72 करोड़ रुपये का योगदान किया।

बीएचईएल नोवेल कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने और कर्मचारियों, सहयोगियों और अन्य हितधारकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रहा है।

विषय सूची

वार्षिक समीक्षा 4

- शेयरधारकों को पत्र 4
- बीएचईएल का नेतृत्व 8
- वर्ष पर एक नजर 14

कॉर्पोरेट प्रोफाइल 16

- बीएचईएल के बारे में 16
- अखिल भारतीय उपस्थिति 20
- बीएचईएल की दुनिया 22
- उत्कृष्टता का सम्मान 24

बोर्ड की रिपोर्ट 26

- प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण 32
  - व्यवसाय क्षेत्रों की रूपरेखा और कार्य निष्पादन 34
  - वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण 60
- कॉर्पोरेट अभिशासन 74
- सतत विकास 115
- व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 132
- अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकीय प्रगति 140

वित्तीय सांख्यिकी 162

- एकल वित्तीय विवरण 164
- समेकित वित्तीय विवरण 238

अतिरिक्त जानकारी 322

- वित्तीय निष्पादन प्रवृति 323
- वर्षवार पूंजी व्यय 324
- लाभांश वितरण नीति 325
- बीएचएल के उत्पादों की सूची 327
- शब्दावली 334

सूचना 339

शेयरधारकों को पत्र

प्रिय शेयरधारको,

अपने बहुमूल्य शेयरधारको को 56वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व और सौभाग्य की बात है। इस समय पूरी दुनिया कोविड–19 महामारी के संकट से जूझ रही है, जिसका दुनिया भर के समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और व्यवसायों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। पूरे विश्व के जीडीपी की विकास दर में गिरावट और ताप विद्युत परियोजनाओं के ऑर्डर में कमी के कारण व्यावसायिक वातावरण पहले से ही चुनौतीपूर्ण बना हुआ था, कोविड–19 महामारी ने इसे और जटिल बना दिया है। अब जब दुनिया ने धीरे–धीरे इस अभूतपूर्व संकट की स्थिति को स्वीकार कर लिया है, तो हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इस 'नए सामान्य' के साथ तालमेल बैठाएं और खुद को उसके अनुसार ढालें।

कोविड से निपटने की कार्रवाई और योगदान

आपकी कंपनी ने कोविड 19 की परिस्थिति से निपटने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और अपने स्टेकहोल्डरों पर इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए तत्परता से कार्य किया है। लॉकडाउन के दौरान ''घर से कार्य'' को बढ़ावा देकर, विशेष रूप से डिजाइन और इंजीनियरिंग, प्रशिक्षण, जानकारी साझा करने जैसे क्षेत्रों में और मानव संसाधन एवं वित्त आदि से संबंधित गतिविधियों में व्यावसायिक निरंतरता एवं तत्परता सुनिश्चित की गई। लॉकडाउन के दौरान, स्थानीय प्राधिकारियों के सहयोग से महत्वपूर्ण स्थलों पर काम जारी रहा, जिसके परिणामस्वरूप तेलंगाना में 1 X 1800 मेगावाट की कोथागुडम थर्मल परियोजना रि–कमीशनिंग और भद्राद्री यूनिट–1 की कमीशनिंग की गई।

आपकी कंपनी ने कोविड–19 से निपटने के राष्ट्रीय प्रयासों में आगे आकर सहयोग किया और पी एम केयर्स फंड में 15.72 करोड़ रु. का योगदान किया। इसके अलावा, कम्पनी ने स्वयं के लिए तथा सरकार के विभिन्न विभागों / नगर पालिकाओं के उपयोग हेतु कई उत्पाद निर्मित किए। साथ ही, स्थानीय समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान की।

महत्वपूर्ण निष्पादन

भले ही देश में 25 मार्च, 2020 से लॉकडाउन लागू किया गया था, लेकिन चीन, इटली, आदि से सामग्री की आपूर्ति में व्यवधान के कारण आपकी कंपनी के परिचालन पर प्रभाव बहुत पहले से महसूस किया जा रहा था, जो जनवरी 2020 से ही शुरू हो गया था और पूरी तिमाही के दौरान निष्पादन प्रभावित हुआ।

- पूंजीगत माल के आईआईपी में लगभग 14 प्रतिशत की भारी गिरावट के बावजूद, आपकी कंपनी ने वित्त वर्ष 19 में प्राप्त ऑर्डर के बराबर ऑर्डर बुक किए। 23,547 करोड़ रु. के ऑर्डर बुक किए गए।

- कंपनी ने पूर्व वर्ष में 29,423 करोड़ रु. के मुकाबले 20,491 करोड़ रु. का कारोबार दर्ज किया।
- संगठन द्वारा बजट को नियंत्रित करने और लागत को ऑप्टिमाइज करने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करके हानि को 662 करोड़ रु. तक सीमित रखा जा सका।
- नकदी संग्रह पर जोर देकर, कंपनी ने 114 प्रतिशत के बिलिंग अनुपात में नकद संग्रह हासिल किया, जो पिछले दस वर्षों में सबसे अधिक है।
- बीएचईएल ने घरेलू उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण बाजार में सबसे बड़ी बाजार हिस्सेदारी के साथ खुद को मजबूती से स्थापित किया।
- कंपनी द्वारा नए व्यावसायिक क्षेत्रों जैसे परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस, ऊर्जा भंडारण व्यवसाय, जैसी कई पहलें की गईं, जिनसे आने वाले वर्षों में निष्पादन में सुधार होने की उम्मीद है।

आर्थिक और व्यावसायिक वातावरण

वैश्विक आर्थिक विकास, जो कि पिछले तीन वर्षों से मंद है, के वित्त वर्ष 2020–21 में और कम होने की उम्मीद है। भारतीय अर्थव्यवस्था के उच्च आवृत्ति सूचकांक भी औद्योगिक उत्पादन गतिविधि और खपत की मांग में गिरावट का संकेत दे रहे हैं। सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और इनसे आने वाली तिमाहियों में सकारात्मक परिणाम मिलने की उम्मीद है। हमारे माननीय प्रधान मंत्री का 'आत्मनिर्भर भारत' का आह्वान मेक इन इंडिया पहल और घरेलू विनिर्माण को गति प्रदान करेगा।

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन 2019 में 2024–25 तक लगभग 111 लाख करोड़ रु. के निवेश की योजना है, जिससे बीएचईएल जैसी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों को अवसर मिलने की उम्मीद है। पावर सेक्टर से संबंधित सुधार जैसे कि DISCOMS में लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, विद्युत अधिनियम 2003 के लिए प्रस्तावित संशोधन इत्यादि, इस क्षेत्र के दीर्घकालिक विकास के लिए बहुत आवश्यक बल प्रदान करेंगे, जिसकी कि बहुत जरूरत महसूस की जा रही है। हालांकि नए कोयला आधारित विद्युत उत्पादन उपकरणों के लिए पर्याप्त ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, फिर भी उत्सर्जन नियंत्रण व्यवसाय की मांग मजबूत है और बढ़ रही है।

भारतीय रेल अपने परिचालनों को डि–कॉर्बनाइज करने और बुनियादी ढांचे के उन्नयन तथा आधुनिकीकरण के लिए शुरू की गई पहल के साथ आगे बढ़ रहा है। रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों में भी स्वदेशीकरण पर जोर दिए जाने के फलस्वरूप भी नए अवसर प्राप्त होंगे।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

आपकी कंपनी सख्त वित्तीय और गुणवत्ता नियंत्रण के साथ परिचालन और निष्पादन दक्षता को बेहतर बनाने पर ध्यान देकर प्रारंभ में पावर सेक्टर की कम्पनी से विश्व स्तर के इंजीनियरिंग उद्यम में परिवर्तित होने के मार्ग पर है। तात्कालिक ध्यान एक परियोजना केंद्रित दृष्टिकोण के माध्यम से निष्पादन की गति में सुधार करना और साथ–साथ बीएचईएल की एक मजबूत और विकासशील नींव रखने के लिए विविधीकरण गतिविधियों पर भी ध्यान देना है।

इसके लिए, कंपनी में परिवर्तन की पहलें की जा रही हैं और वर्ष 2020 को परिवर्तन का वर्ष घोषित किया गया है। निम्नलिखित क्षेत्रों में ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं:

1. **व्यवसाय का विस्तार और विविधीकरण:** आपकी कंपनी पुर्जों और सेवाओं पर नए सिरे से बल देकर, डिजिटल सुविधाओं के माध्यम से मूल्य बढ़ाकर, उत्सर्जन नियंत्रण व्यवसाय को मजबूत बनाकर और AUSC प्रौद्योगिकी के उपयोग से ऊर्जा दक्ष एवं पर्यावरण के अनुकूल विद्युत संयंत्र विकसित करके व्यवसाय को विस्तार देने पर ध्यान देकर अपने मुख्य व्यवसाय में अग्रणी बनी हुई है।

- इसके अलावा, रेल परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस, डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस में ईपीसी, उद्योग 4.0 समाधान और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में संविदा विनिर्माण जैसे गैर–पावर व्यवसाय में वृद्धि प्रबंधन का फोकस क्षेत्र है। आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप, कुछ रक्षा हथियारों और प्लेटफार्मों के आयात पर उत्तरोत्तर प्रतिबंध लगाने की भारत सरकार की हालिया पहल बहुत उत्साहजनक है।

आपकी कंपनी प्रतिकूल परिस्थितियों को अवसरों में बदलने में विश्वास रखती है और भारत में विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए बीएचईएल की सुविधाओं और क्षमताओं का लाभ उठाने हेतु विश्व की विनिर्माण कंपनियों को आमंत्रित किया है। इस ईओआई को उत्कृष्ट प्रतिक्रिया मिली है और समर्पित टीमें इसे शीघ्र अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही हैं।

2. **निष्पादन:** परियोजना का समय पर और किफायती ढंग से पूरा करना आपकी कंपनी की प्राथमिकता है। परियोजना की आवश्यकता के अनुसार सामग्री की आपूर्ति, रियल टाइम इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट सिस्टम (IPMS) का कार्यान्वयन, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में सुधार, अग्रिम इंजीनियरिंग और खरीद गतिविधियां, बोली से पूर्व टाई अप के लिए ईपीसी नागरिक एजेंसियों को पैनल पर लेना, रियल टाइम साइट डेटा कैप्चर करना इस दिशा में उठाए गए अन्य महत्वपूर्ण कदम हैं।

3 **लागत को ऑप्टिमाइज करना** : लाभप्रदता पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, लागत को ऑप्टिमाइज करने के लिए दो आयामी दृष्टिकोण अपनाए गए हैं – डिजाइनों की समीक्षा और सुधार तथा खरीद की आवश्यकताओं/ प्रक्रियाओं की बल्किंग और सुधार। माल सूची प्रबंधन में सुधार और विक्रेता विकास पर बल के लिए किए गए अन्य उपाय संगठन की बॉटम लाइन के लिए सहायक सिद्ध होंगे।

4. **गुणवत्ता:** 1980 के दशक के बाद से बीएचईएल देश में गुणवत्ता आंदोलन में सबसे आगे है। इस गुणवत्ता परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए, कम्पनी स्तर पर 'गुणवत्ता सर्वप्रथम' की पहल शुरू की गई है, ताकि हमारे उत्पाद और सेवाएं वैश्विक बाजार के कड़े गुणवत्ता मानकों के अनुरूप रहें। सशक्तीकरण, शिक्षा, सहभागिता और प्रोत्साहन के माध्यम से सुदृढ़ गुणवत्ता संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है।

5. **प्राप्य प्रबंधन:** लिक्विडिटी की स्थिति में सुधार के लिए, कई कदम उठाए गए हैं–समय पर और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के माध्यम से चल रही परियोजनाओं में बकाया राशि की त्वरित वसूली, पुरानी कमीशन की गई परियोजनाओं में लंबित कार्यों की प्राथमिकता तय करना, ताकि भुगतान हो सके और बैंक गारंटी से छूट मिल सके। विभिन्न परियोजना लक्ष्यों को पूरा करके संविदा परिसंपत्तियों को प्राप्य में तत्काल परिवर्तित करना।

6. **जनशक्ति:** इस सिद्धांत के अनुरूप कि एक समर्पित और प्रेरित कार्यबल किसी भी संगठन की नींव है, नेतृत्व विकास, निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, आंतरिक संचार को मजबूत बनाने, ई–आधारित प्लेटफार्मों के

माध्यम से निरंतर ज्ञानार्जन के लिए प्रशिक्षण/पुनः प्रशिक्षण, नीतियों को कर्मचारी उन्मुख बनाने के लिए उन्हें सरल बनाना आदि अनेक प्रयास किए गए हैं।

7. **प्रौद्योगिकी विकासः** बीएचईएल अनुसंधान एवं विकास पर बल देकर पारंपरिक रूप से प्रौद्योगिकी में अग्रणी रहा है और भारत में पूंजीगत माल क्षेत्र में सबसे बड़ा ऋणदाता रहा है (इसके वार्षिक कारोबार का 2.5 प्रतिशत)। मदों के स्वदेशीकरण और मुख्य तकनीकी क्षमताओं के विकास के लिए अनेक पहलें शुरू की गई हैं, जैसे. फ्ल्यू गैस डेसफ्यूरिज़ेशन सब–सिस्टम, एयर कूल्ड कंडेन्सर, उच्च क्षमता पंप, प्रणोदन प्रणाली और विभिन्न आयातित उच्च मूल्य की आयातित मदें।

आपकी कंपनी ने राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं पर भी काम शुरू किया है जैसे – एनटीपीसी के साथ मिलकर उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी (AUSC) पर आधारित भारत के उच्चतम दक्षता थर्मल पावर प्लांट की स्थापना (वित्तीय वर्ष 2019–20 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ) उच्च राख वाले कोयले को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए पायलट प्लांट और उच्च दक्षता वाली पीईआरसी सैल्स।

हमें विश्वास है कि वर्तमान में चल रहे अनेक प्रयासों और भविष्य की योजनाओं को देखते हुए, आने वाले वर्षों में हम निरंतर विकास की स्थिति में होंगे।

आभार

मैं अपने सम्माननीय शेयरधारकों, ग्राहकों, व्यापारिक सहयोगियों और हमारी यात्रा में सहभागी रहे अन्य भागीदारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने हमारे ऊपर निरंतर विश्वास बनाए रखा और समर्थन प्रदान किया। बीएचईएल परिवार के प्रत्येक सदस्य और बोर्ड के मेरे साथी निदेशकों का जुड़ाव और समर्थन हमारी ताकत हैं। मैं भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय को उनके सतत मार्गदर्शन और हमारे प्रयासों में समर्थन के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मुझे विश्वास है कि आपके निरंतर सहयोग से बीएचईएल एक परिवर्तित रूप में देश को इंजीनियरिंग और विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

शुभकामनाओं सहित,

(डॉ. नलिन सिंघल)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांकः 1 सितम्बर 2020

आधुनिक परिवहन के लिए नई तकनीकें !

बीएचईएल द्वारा, पिछले कुछ वर्षों में भारतीय रेलवे के लिए प्रस्तावों में पहली बार सम्मिलित किए गए कई बिन्दुओं में से एक है– बीएचईएल और आईसीएफ़ द्वारा निर्मित पहली वातानुकूलित लोकल ट्रेन, जिसे जनवरी, 2020 में यात्री सेवा के लिए ठाणे से मुंबई के बीच चलाया गया। बीएचईएल ने मुंबई के स्थानीय यात्रियों को मेट्रो जैसी सुविधा प्रदान करने हेतु पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के लिए अब तक नौ वातानुकूलित एसीईएमयू लोकल ट्रेनों की सफलतापूर्वक कमीशनिंग की है।

बीएचईएल ने, भारतीय रेलवे के एक दीर्घकालीन साझेदार के रूप में, इस वर्ष के दौरान डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कारें और थ्री फेज यात्री लोकोमोटिव में आईजीबीटी आधारित कम्पोजिट कनवर्टर की आपूर्ति और कमीशनिंग की है।

बीएचईएल में नेतृत्व

निदेशक मंडल (17.07.2020 की स्थिति)

डॉ. नलिन सिंघल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

कार्यकारी निदेशक

श्री सुबोध गुप्ता
निदेशक (वित्त)

श्री एस बालाकृष्णन
निदेशक (औद्योगिक प्रणालियां एवं उत्पाद)

श्री मनोज कुमार वर्मा
निदेशक (पावर)

श्री कमलेश दास
निदेशक (इंजीनियरिंग, आर एंड डी)

श्री अनिल कपूर
निदेशक (मानव संसाधन)

सरकारी निदेशक/अंशकालिक आधिकारिक निदेशक

श्री शशांक प्रिय
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

श्री अमित वरदान
संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग,
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

स्वतंत्र निदेशक

श्री देश दीपक गोयल
स्वतंत्र निदेशक

श्री रंजीत रे
स्वतंत्र निदेशक

श्री राजेश शर्मा
स्वतंत्र निदेशक

श्री राज कमल बिंदल
स्वतंत्र निदेशक

श्री मनीष कपूर
स्वतंत्र निदेशक

कंपनी सचिव

श्री राजीव कालड़ा

बीएचईएल का नेतृत्व

प्रबंधन समिति

7.07.2020 को

डॉ. नलिन सिंघल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सुबोध गुप्ता
निदेशक (वित्त)

एस. बालाकृष्णन
निदेशक (आई एस एंड पी)

मनोज कुमार वर्मा
निदेशक (पावर)

कमलेश दास
निदेशक (ई, आर एण्ड डी)

अनिल कपूर
निदेशक (मानव संसाधन)

सी. मूर्ति
कार्यपालक निदेशक (बीएपी), रानीपेट

संजय गुलाटी
र्यपालक निदेशक (एचईईपी), हरिद्वार

सी. आनंदा
र्यपालक निदेशक (एचईपी), भोपाल

सुनील परवानी
कार्यपालक निदेशक (ओएसडी), एचबीजी, नोएडा

सुरिंदर सिंह
परियोजना निदेशक (मैत्री), बांग्लादेश

गौतम चकलादर
कार्यपालक निदेशक (एफएसआईपी), जगदीशपुर

आर. पद्मनाभन
कार्यपालक निदेशक (एचपीबीपी–त्रिचि, पीपीपीयू–थिरुमयम, पीसी–चेन्नई)

पी. नागमणिकम
कार्यपालक निदेशक (पीएस–एसएसबीजी), नोएडा

पी. पी. यादव
कार्यपालक निदेशक (एनबीजी), नोएडा

पी. जगदीश्वर रेड्डी
कार्यपालक निदेशक (पीई और एसडी), हैदराबाद, अतिरिक्त प्रभार (एचपीवीपी)

जय प्रकाश सिंह
कार्यपालक निदेशक (सीएफएफपी), हरिद्वार

मनोज कुमार शाह
कार्यपालक निदेशक (आईओ), नई दिल्ली

ए. के. जैन
कार्यपालक निदेशक (ईडीएन), बेंगलुरु, अतिरिक्त प्रभार (ईपीडी)

शकील कुमार मनोचा
कार्यपालक निदेशक (पीएसईआर), कोलकाता

रेणुका गेरा
कार्यपालक निदेशक (ईएसएस एवं डबल्यूबी), नई दिल्ली

अनिल जोशी
कार्यपालक मनिदेशक (पीईएम), नोएडा

राजीव भटनागर
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (सीएसएम), नई दिल्ली, सचिव, प्रबंधन समिति

तरसेम लाल
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएसएसआर), चेन्नई

एस एम पाटिल
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (आईएस–सीपीपी और पीएमजी), नई दिल्ली

राजीव शर्मा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (आरओडी), नई दिल्ली

ए. बी. गुप्ता
महाप्रबंधक एवं प्रमुख सीओएम), नई दिल्ली

कौशिक आचार्य
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएसएनआर), नोएडा

संतोष नायर
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस–मुख्यालय), नई दिल्ली

अलका टुटेजा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (सीटीएम), नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रभार (सीडीटी)

जी. मुरली
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस–मार्केटिंग, (टी एंड जी), नई दिल्ली

उपिंदर सिंह मठारू
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएस.पीएमजी), नई दिल्ली, अतिरिक्त प्रभार (पीसीएसजी)

अमित केरकेट्टा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (एचपीईपी), हैदराबाद

जय प्रकाश श्रीवास्तव
महाप्रबंधक एवं प्रमुख आरई आईपी एवं अआईपीएम), अतिरिक्त प्रभार (सीएफपी), रूद्रपुर

बी. आर. दिनेश
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (आईएसजी), बेंगलुरु

सुभाष चक्रवर्ती
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीएसडबल्यूआर), नागपुर

अनिमेष के. सरकार
महाप्रबंधक एवं प्रमुख सीक्यू एवं बीई), नई दिल्ली

रत्नाभ आचार्य
महाप्रबंधक एवं प्रमुख कॉर्पोरेट आर. एंड डी.), हैदराबाद

पुलक मुखोपाध्याय
महाप्रबंधक एवं प्रमुख पी.एस.टी.एस.), नोएडा

डॉ. बलवीर तलवार
महाप्रबंधक एवं प्रमुख एचआर और सीसी), नई दिल्ली

एम. जी. कोप्पिकर
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (पीसीएसजी), नोएडा

एस. वी. श्रीनिवासन
महाप्रबंधक एवं (प्रमुख) (टीबीएसजी), नई दिल्ली

टी. के. बागची
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (टीपी), झांसी

पंकज गुप्ता
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (डीएबीजी), नई दिल्ली

राजीव सिंह
महाप्रबंधक एवं प्रमुख (टीबीजी), नोएडा

डॉ. मुकेश अरोड़ा
महाप्रबंधक एवं प्रमुख सीएलडी एवं पीएसजी), नोएडा

पंकज जैन
महाप्रबंधक (वित्त.आरएम), नई दिल्ली

बीएचईएल में नेतृत्व

- **निदेशक मण्डल**
  - **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक**
    - **कार्यात्मक निदेशकों की समिति**
    - **निदेशक इंजीनियरिंग, आर एंड डी**
      - कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास
        - कॉर्पोरेट आर एंड डी, हैदराबाद
        - सिरेमिक तकनीकी संस्थान, बंगलूरू
        - एएसएससीपी, गुरुग्राम
      - कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन
        - नवाचार रणनीति और निष्पादन
        - प्रौद्योगिकी लाइसेंसिंग
        - ज्ञान प्रबंधन
        - उन्नत विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी
        - संयुक्त उद्यम, विलय और अधिग्रहण
      - कॉर्पोरेट परिचालन प्रबंधन
        - परिचालन प्रबंधन
        - सोर्सिंग स्ट्रेटेजी एवं नीति
        - परिचालन सुधार पहल एवं पुरस्कार कार्यक्रम
      - कॉर्पोरेट डिजिटल ट्रान्सफोर्मेशन
        - डिजिटल रणनीति और अभिशासन
        - उत्पादों एवं सेवाओं का डिजिटलीकरण
        - आईटी सिस्टम और एप्लिकेशन का विकास
        - आईटी सेवा, सुरक्षा और सहायता
        - आईटी संबंधी आधारभूत सुविधाओं का प्रबंधन
      - कॉर्पोरेट गुणवत्ता एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता
        - नई गुणवत्ता पहल
        - समग्र गुणवत्ता प्रबंधन
        - गुणवत्ता प्रमाणन
        - क्षेत्र गुणवत्ता आश्वासन
      - उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (एयूएससी) परियोजना
    - **निदेशक वित्त**
      - कॉर्पोरेट वित्त
        - बजट और बजटीय नियंत्रण
        - परियोजना और सामान्य बीमा
        - कॉर्पोरेट बहियां एवं खाते
        - वित्तीय योजना एवं रणनीतियां
        - विदेशी व्यापार नीति
      - निधि प्रबंधन और बैंकिंग
        - प्राप्य प्रबंधन
        - कोष एवं नकदी प्रबंधन
        - बैंकिंग परिचालन
        - विदेशी मुद्रा प्रबंधन
        - परियोजना वित्त
      - कराधान
        - प्रत्यक्ष कर प्रबंधन
        - अप्रत्यक्ष कर प्रबंधन
      - लेखा परीक्षा एवं अनुपालन
        - सांविधिक एवं लागत लेखापरीक्षा
        - आंतरिक लेखापरीक्षा
        - सी एवं एजी लेखापरीक्षा
        - (बीएचईएल एवं इसकी इकाइयां, क्षेत्र तथा व्यावसायिक खण्ड)
    - **निदेशक मानव संसाधन**
      - कॉर्पोरेट मानव संसाधन एवं कॉर्पोरेट संचार
        - मानव संसाधन –नीति
        - मानव संसाधन– एनेलीटिक्स
        - चिकित्सा सेवाएँ
        - वैकल्पिक विवाद समाधान और कॉर्पो. विधि
        - औद्योगिक संबंध
        - कॉर्पोरेट संचार
        - कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व
        - स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण
        - प्रशासन और सुरक्षा
        - केंद्रीय जन सूचना कार्यालय
      - जन रणनीतिक समूह
        - जनशक्ति योजना एवं नियुक्ति
        - जनशक्ति लेखापरीक्षा
        - प्रतिभा प्रबंधन
        - उत्तराधिकार योजना
        - कर्मचारी की तैनाती
        - निष्पादन प्रबंधन
      - कॉर्पोरेट ज्ञानार्जन और विकास
        - ज्ञानार्जन और विकास रणनीतिः तैयार करना, उसमें सुधार करना और रिपोर्ट करना
        - तकनीकी, व्यवहार, प्रबंधकीय, कौशल प्रशिक्षण
    - **मुख्य सतर्कता अधिकारी**
      - सतर्कता
    - कॉर्पोरेट रणनीतिक प्रबंधन
      - रणनीतिक योजना और निष्पादन
      - जोखिम की पहचान और प्रबंधन
      - बाहरी सहभागिता
      - परिवर्तन
      - विकास के नए क्षेत्र
      - सहयोग प्रबंधन
    - कंपनी सचिव
      - सचिवीय अनुपालनाएं और निवेशक सेवाएं
      - कंपनी अधिनियम और लिस्टिंग करार
      - एजीएम, बोर्ड और बोर्ड स्तर की समितियों की बैठकें
    - **निदेशक पावर**
    - **निदेशक औद्योगिक प्रणाली एवं उत्पाद**

कॉर्पोरेट संगठनात्मक ढांचा (17.07.2020)

प्रबंधन समिति

- पावर क्षेत्र – विपणन (थर्मल और गैस)
- न्यूक्लियर बिजनेस ग्रुप
- हाइड्रो बिजनेस ग्रुप
- परियोजना प्रबंधन समूह
- तकनीकी सेवा
- प्रोजेक्ट क्लोजर सिनर्जी ग्रुप
- परियोजना इंजीनियरिंग प्रबंधन
- स्पेयर्स एंड सर्विसेज बिजनेस ग्रुप
- हेवी इक्विपमेंट रिपेयर प्लांट, वाराणसी
- इंडस्ट्रियल सिस्टम्स ग्रुप, बंगलूरू
- पावर सेक्टर – उत्तरी क्षेत्र, नोएडा
- पावर सेक्टर – दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई
- पावर सेक्टर – पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता
- पावर सेक्टर – पश्चिमी क्षेत्र, नागपुर
- पावर सेक्टर – मुख्यालय, एमएसएक्स, मा. सं.

- कैप्टिव पावर प्लांट बिजनेस
- आईएस – पीएमजी और अनुबंध समापन
- औद्योगिक उत्पाद व्यवसाय (इलेक्ट्रिकल व मैकेनेकल)
- क्षेत्रीय परिचालन प्रभाग
- परिवहन व्यवसाय और सिस्टम समूह
- रक्षा और एयरोस्पेस बिजनेस ग्रुप

- नवीकरण
- ट्रांसमिशन बिजनेस ग्रुप
- परियोजना इंजीनियरिंग और सिस्टम डिवीजन
- ऊर्जा भंडारण समाधान समूह
- जल व्यवसाय

- अंतर्राष्ट्रीय संचालन

भोपाल
- हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट

हरिद्वार
- हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट प्लांट
- सेंट्रल फाउन्ड्री फ़ोर्ज प्लांट[1]

हैदराबाद
- हेवी पावर इक्विपमेंट प्लांट

त्रिची
- हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट, त्रिची
- सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट, त्रिची
- पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट, थिरुमयम एवं पाइपिंग सेंटर, चेन्नै
- इंडस्ट्रियल वॉल्व्स प्लांट, गोइंदवाल

रानीपेट
- बॉयलर ओग्जीलरी प्लांट

बंगलूरू
- इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बंगलूरू
- इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन, बंगलूरू
- इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट, मुम्बई
- इलेक्ट्रिक एवं फोटोवोल्टिक डिवीजन, बंगलूरू

झांसी
- ट्रान्सफॉर्मर प्लांट

जगदीशपुर
- फैब्रिकेशन, स्टैंपिंग एवं इंसुलेटर प्लांट[1]

रुद्रपुर
- कम्पोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट

विशाखापत्तनम
- हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट

1. निदेशक (इंजीनियरिंग, आर एंड डी) को रिपोर्ट करते हैं।

वर्ष 2019–20 की एक झलक

(आंकड़े ₹ करोड़ में हैं जब तक कि अन्यथा उल्लेख न हो)

प्राप्त ऑर्डर

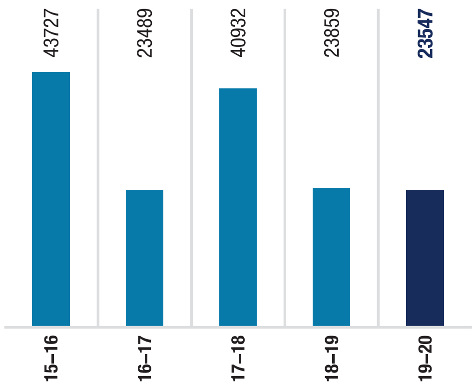

राजस्व (कारोबार)

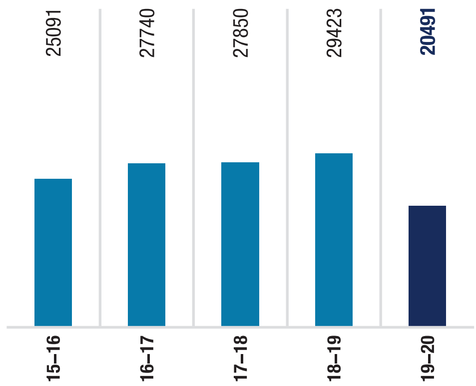

जनशक्ति (संख्या में) (कारोबार प्रति कर्मचारी) ₹ लाख

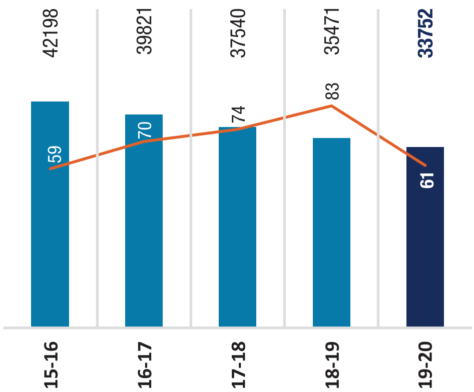

ईबीआईडीटीए (% कारोबार)

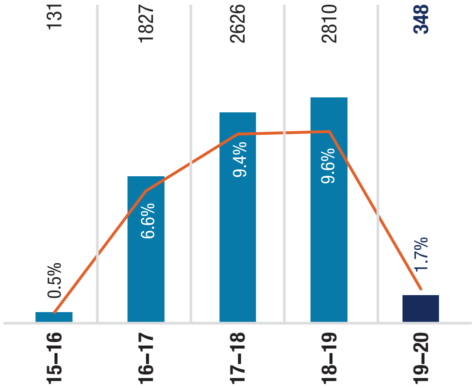

कर पूर्व लाभ (पीबीटी) (% कारोबार)

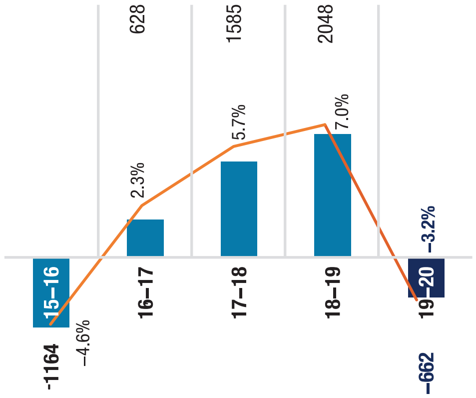

कोष में योगदान

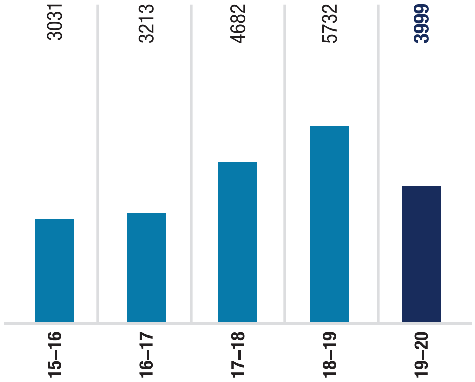

आंकड़े इंड एएस के अनुसार हैं

वर्ष 2019–20 की एक झलक

01
कुल 1,09,000 करोड़
रुपए के ऑर्डर

02
गैर–कोयला व्यापार को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया – ट्रांसमिशन, सौर, एयरोस्पेस और रक्षा व्यवसायों में अब तक के सबसे अधिक ऑर्डर प्राप्त किए

03
आज तक भारत और विदेशों में 190 गीगावॉट से अधिक विद्युत उत्पादक उपकरण स्थापित किए

04
देश में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय बाजार में एकमात्र सबसे बड़ा हिस्सेदार

05
उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नॉलॉजी (एयूएससी) सही दिशा की ओर जा रहा है, हाई स्पिन रोटर टेस्ट रिग की कमीशनिंग की गई, उच्च तापमान अनुप्रयोगों और मिश्र धातु 617 ब्लेड के लिए, विनिर्माण प्रौद्योगिकी स्थापित की गई

06
1.2 गीगावाट से अधिक सौर पीवी पोर्टफोलियो, देश के फ्लोटिंग सोलर पीवी मार्केट में सबसे बड़ा ईपीसी समाधान प्रदाता

07
बीना, मध्य प्रदेश में कमीशन किए गए भारतीय रेलवे के कर्षण ग्रिड को सीधे बिजली की आपूर्ति करने वाले 1.7 मेगावाट एसपीवी का पहला संयंत्र

08
32.43 मिलियन यूनिट बिजली 28 एमडब्लयूपी इन–हाउस अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न हुई

09
क्षमता निर्माण, उत्पादकता बढ़ाने और स्वदेशीकरण के लिए कंपनी की संपत्ति में 330 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया

10
अनुसंधान, एवं विकास और नवाचार में 750 करोड़ से अधिक का निवेश, 549 पेटेंट और कॉपीराइट दायर, 4,849 कुल बौद्धिक पूंजी

11
मानव पूंजी आधारः 33,752, 9000+ इंजीनियर

12
20 विश्वकर्मा पुरस्कार 88 बीएचईएल कर्मचारियों द्वारा जीते गए

बीएचईएल के बारे में

वर्ष 1964 में स्थापित बीएचईएल सशक्त और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए सबसे प्रारंभिक और सामर्थ्यवान प्रतिभागियों में से एक है। बीएचईएल भारतीय ऊर्जा और अधोसंरचना क्षेत्रों में सबसे बड़े इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण उद्यमों में अग्रणी है और विश्व स्तर पर एक प्रमुख विद्युत उपकरण निर्माता है। अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों में कार्य करते हुए, बीएचईएल पावर (थर्मल, हाइड्रो, गैस, नाभिकीय और सोलार फोटो वोल्टाइक), ट्रांसमिशन, उद्योग जिसमें तेल और गैस, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा व एयरोस्पेस इत्यादि उद्योग सम्मिलित हैं, में ग्राहकों को उत्पादों, प्रणालियों और सेवाओं का एक व्यापक पोर्टफोलियो प्रदान करता है।

आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने में बीएचईएल की प्रतिबद्धता कई अर्थों में प्रकट होती है – देश की स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में इसके योगदान में; देश के लिए अत्याधुनिक तकनीकें लाने में; पिछले कुछ वर्षों में भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में विद्युत अनुसंधान एवं विकास और नवप्रवर्तन पर अपने टर्नओवर का अधिकतम 2.5 प्रतिशत से अधिक का निरंतर व्यय करने में; अखिल भारतीय उपस्थिति में; विश्व स्तरीय परिसम्पत्तियों से सुसज्जित कारखाने, स्थायी व्यावसायिक समाधानों का सृजन और युवा कौशल विकास, स्वास्थ्य व आरोग्य, शिक्षा, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण और अन्य पहलों के माध्यम से व्यापक स्तर पर समाज के लिए योगदान में।

बीएचईएल के ऐसे परिणाम प्राप्त करने और सफलता सुनिश्चित करने के पीछे सक्षम प्रक्रियाओं और प्रणालियों द्वारा समर्थित बीएचईएल का बहुमुखी प्रतिभा सम्पन्न कार्यबल है। 33,500 से अधिक कुशल कर्मचारियों की एक मजबूत टीम आज के साथ–साथ भविष्य के बीएचईएल के संचालन पर ध्यान केंद्रित किये हुए है।

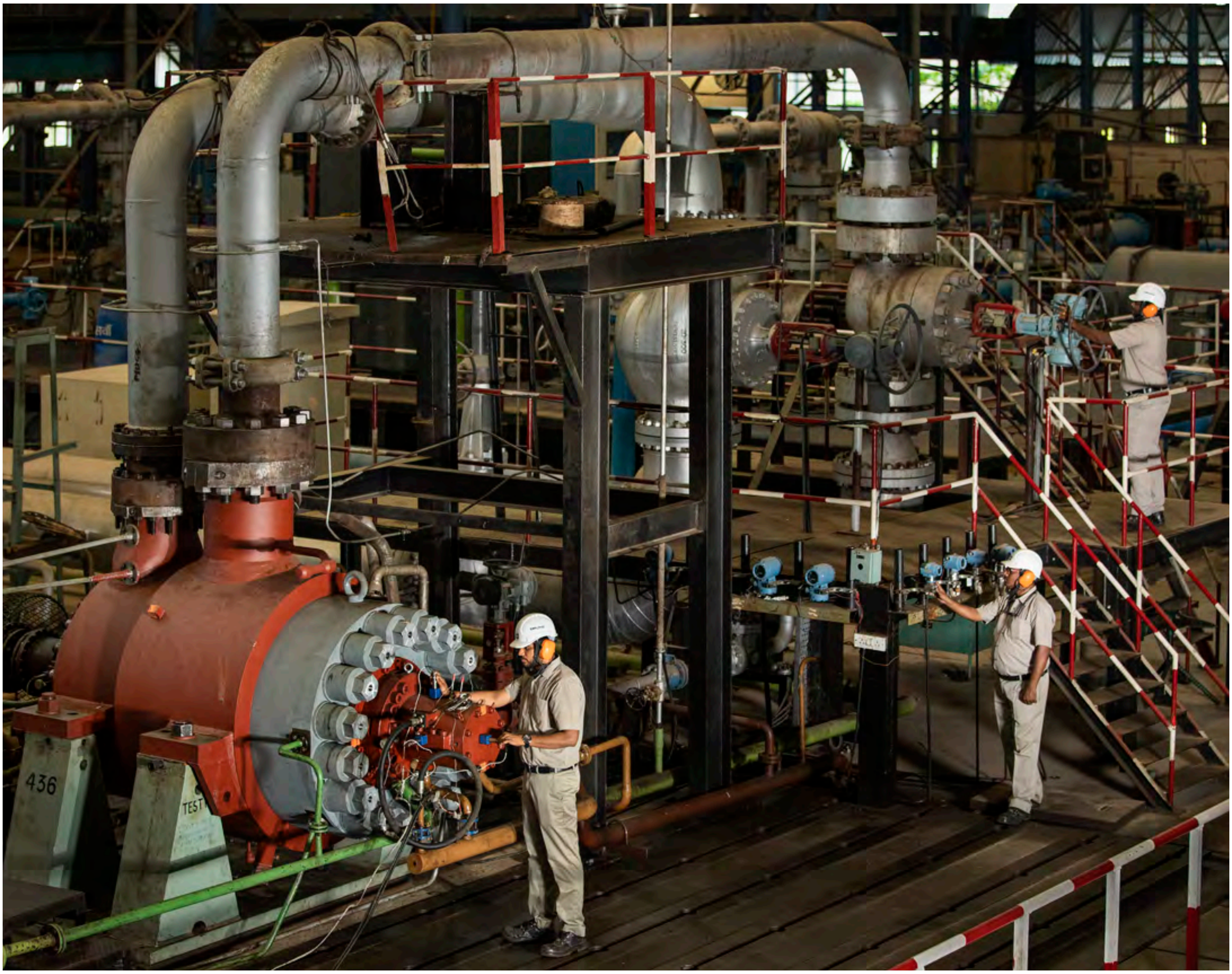

एचपीईपी हैदराबाद में बीएचईएल के विद्युत उपकरणों पर सिमुलेशन स्टडी की जा रही है।

पावर सेक्टर

बीएचईएल थर्मल, गैस, हाइड्रो और नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन में सिद्धहस्त होने के साथ विद्युत परियोजनाओं की समूची श्रृंखला के विनिर्माण की क्षमता रखने वाली दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से एक है। बीएचईएल निम्नलिखित उत्पादों/सेवाओं का प्रस्ताव प्रस्तुत करता है:

- जीवाश्म–ईंधन अनुप्रयोगों के लिए अनुषांगिक उपकरणों सहित 1000 मेगावाट इकाई आकार तक के स्टीम टरबाइन, जरनेटर और बॉयलर
- SOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए फ्युल गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) सहित उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण प्रणाली, कण उत्सर्जन नियंत्रण के लिए उच्च दक्षता इलेक्ट्रोस्टैटिक निस्सादक, NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए बॉयलर मॉडिफिकेशन और सलेक्टिव कैटलिस्त रिडक्शन सिस्टम
  - 299 मेगावाट इकाई आकार तक के गैस टरबाइन और जनेरटर
  - 400 मेगावाट इकाई आकार तक गैस टरबाइन और जनेरटर
  - 220/235/500/540/700 MWe नाभिकीय टरबाइन जनेरटर सेट
  - संयंत्रों के जीवन चक्र विस्तार और नवीनीकरण, आधुनिकीकरण, उन्नयन, अवशेष जीवन चक्र आकलन, समस्या निदान के माध्यम से संयंत्र के निष्पादन में सम्वर्धन।

उपयोग की आधारशिला रखने पर कार्यरत है।

बीएचईएल की विश्व के सभी 6 बसे हुए महाद्वीपों में पहुंच और 84 देशों में संयंत्र स्थापित हैं, जिसमें पड़ोसी देश जैसे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, ओमान, इराक, सूडान, संयुक्त राष्ट्र और न्यूजीलैंड सम्मिलित हैं। अब तक, बीएचईएल ने विदेशी बाजारों में लगभग 11 GW विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की है। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश में 2X660 MW मैत्री सुपर थर्मल पावर परियोजना और नेपाल में 4X225 मेगावाट अरुण .3 जल विद्युत परियोजना सहित 6GW की परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है।

बीएचईएल उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में एक जाना माना नाम है। भारतीय रेल के लोकोमोटिव और ईएमयू में ट्रेक्शन के आधे से अधिक उपकरणों की आपूर्ति बीएचईएल द्वारा की गई है। बीएचईएल ने देश में 200 से अधिक इलेक्ट्रिक सबस्टेशन और 5 प्रमुख एचवीडीसी परियोजनाओं की कमीशनिंग की है। बीएचईएल का देश भर में सोलार पोर्टफोलियो 1X2 GW से अधिक है जिसमें ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप, कैनाल टॉप और फ्लोटिंग पीवी प्लांट हैं। बीएचईएल देश में पावर ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रिकल एसी मशीनों के सबसे बड़े निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

बीएचईएल की अखिल भारतीय उपस्थिति में 16 विनिर्माण केंद्र, 2 मरम्मत इकाइयां, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र, 1 सहायक कंपनी, 3 सक्रिय संयुक्त उपक्रम, 15 क्षेत्रीय विपणन केंद्र, 4 विदेशी कार्यालय और भारत और विदेशों में वर्तमान परियोजना निष्पादन की 150 परियोजना साइट का व्यापक नेटवर्क। बीएचईएल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विस्तृत श्रृंखला के उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ उत्पादों का विनिर्माण करती है।

बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए विद्युत उत्पादक उपकरणों का विश्व भर में स्थापित आधार 190 GW से अधिक है जिससे बीएचईएल विद्युत संयंत्र उपस्कर बनाने वाली भारतीय कंपनियों में निर्विवाद रूप से अग्रणी है। देश में थर्मल, न्यूक्लियर, हाइड्रो, गैस और सोलर पीवी आधारित 1000 से अधिक विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के बाद बीएचईएल अब भविष्य में स्वच्छ और हरित ऊर्जा के

उद्योग क्षेत्र

उद्योग और अधोसंरचना क्षेत्रों के लिए बीएचईएल के प्रमुख प्रस्तावों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- परिवहन, आईजीबीटी आधारित प्रोपल्शन उपकरण (ट्रैक्शन कन्वर्टर / सहायक कन्वर्टर वाहन नियंत्रण इकाइयां), इलेक्ट्रिक लोको और एसीईएमयू / एमईएमयूए ईएमयू कोच, 9000 एचपी तक के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और 3000 एचपी तक के डीजल इलेक्ट्रिक लोको के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर
- नवीकरण ऊर्जाः ग्रिड कनेक्टिड और एकल सोलार पीवी अनुप्रयोगों के लिए संकल्पना से कमीशनिंग तक ईपीसी समाधान

एक पांरपरिक सुपर क्रिटीकल पावर प्लांट का इरेक्शन किया जा रहा है। देशभर में बीएचईएल के पास 150 से अधिक प्रगतिशील परियोजनाएं हैं।

- ई–मोबालिटीः इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर्स, इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, लिथियम आयन बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक वाहन, पॉवर कंडीशनिंग सिस्टम, ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए कंटेनराईज्ड समाधान, रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण के लिए ईपीसी समाधान

- रक्षा और एयरोस्पेसः नेवल शिप के सुपर रैपिड गन माउंट और इंटिग्रेटिड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम, कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स, स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल्स, स्पेस ग्रिड सोलर पैनल और स्पेस ग्रिड बैटरी सहित भारतीय रक्षा बलों के लिए सामरिक उपकरण।

- ट्रांसमिशनः 132 केवी से लेकर 765 केवी रेंज के EHV और UHV सबस्टेशन और +/– 800KV तक के एचवीडीसी कनवर्टर स्टेशन, पावर ट्रांसफॉर्मर, शंट रिएक्टर, वैक्यूम और SF6 स्विचगियर, गैस इंसुलेटेड स्विचगियर, सिरेमिक इंसुलेटर,, फ्लेजिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइसिस आदि।

- जलः पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज और म्यूनिसिपल ऐप्लिकेशन के लिए प्री ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवर वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स, डिमिनरलाइजेशन प्लांट्स, एफ्लुसेट ट्रीटमेंट प्लांट्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट्स और ज़ीरो वैक्यूम डिस्चार्ज सिस्टम्स सहित कम्प्लीट वाटर मैनेजमेंट सॉल्यूशन्स।

- औद्योगिक उत्पादः ऑयल रिग्स, वेलहेड्स और एक्समास ट्री वाल्व, मैकेनिकल पैकेज, फैब्रिकेटेड उपकरण और बॉयलर फीड पंप, कम्प्रेसर और एसी मशीन।

- कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट्स वाष्प और गैस टरबाइन आधारित

बीएचईएल तीन दशकों से अधिक समय से अपने अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा सौलर ऊर्जा से संबंधित सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है

बीएचईएल स्वयं को परिवर्तित करने के लिए अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं और प्रतिबद्ध श्रमशक्ति का लाभ उठा रहा है। मुख्य व्यवसाय पर शीर्ष नेतृत्व का ध्यान देना, व्यवसायों में विविधता लाना, दक्षता अनुकूलन और अभिनव तकनीकी समाधान कुछ प्रमुख कारक है जो वर्तमान व्यवसाय के लिए कंपनी सक्षमता को बढ़ाते हैं। दृढ़ संकल्प और सतत प्रयासों को नए भविष्य के निर्माण की दिशा में निर्देशित किया जा रहा है।

भारतीय रेल को आपूर्ति किए गए डब्ल्यू एजी 9 की झांसी में टेस्टिंग का एक दृश्य

विश्व की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए की आपूर्ति!

बीएचईएल ने तेलंगाना के कलेश्वरम में गोदावरी नदी पर स्थित कलेश्वरम् लिफ्ट सिंचाई परियोजना के लिए भारत के सबसे बड़े पंप मोटर सेटों की आपूर्ति और कमीशनिंग की है, जो विश्व की सबसे बड़ी बहु स्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजना है।

बीएचईएल द्वारा अप्रैल 2019 से 13 महीने में 2747 मेगावाट के कुल 22 पंप मोटर सेट की आपूर्ति की गई है, जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना चार पैकेजों के लिए परियोजना की कुल विद्युत आवश्यकता का 59% है। इनके नाम इस प्रकार हैं: पैकेज 6 (7X116) मेगावाट), पैकेज 8 (7X139) मेगावाट), पैकेज 10 (4 X 106 मेगावाट) और पैकेज 11 (4 X 134.4 मेगावाट)। बीएचईएल के कार्य क्षेत्र में ऊर्ध्वाधर पंप.मोटर सेटों और इसकी संबद्ध सहायक यंत्रों के लिए पूर्ण विद्युत और यांत्रिक कार्य सम्मिलित हैं।

बीएचईएल तेलंगाना में अब तक विभिन्न लिफ्ट सिंचाई के लिए विभिन्न रेटिंग्स के औसतन 3.3 GW के कुल 47 पंप.मोटर सेट कमीशन करने के साथ ही राज्य स्तरीय लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए पंप मोटर सेट (मेगावाट रेटिंग) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। इस प्रकार बीएचईएल ने तेलंगाना राज्य के साथ अपने पगाढ़ संबंधों को बनाए रखा है।

अखिल भारतीय उपस्थिति

ग्राफिकल प्रस्तुति का आशय राजनीतिक नक्शा नहीं है।

16 विनिर्माण इकाइयां

08 सेवा केंद्र

15 व्यावसायिक कार्यालय

150+ भारत और विदेश में परियोजना स्थल

04 क्षेत्रीय कार्यालय

02 मरम्मत इकाइयां

विनिर्माण संयंत्र/इकाइयां

बीएचईएल की विनिर्माण इकाइयां	बेंगलूरू	1. इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन (ईडीएन)
		2. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स डिवीजन (ईएसडी)
		3. इलेक्ट्रिक एवं फोटोवोल्टिक डिवीजन (ईपीडी)
	भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
	गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वॉल्व्स प्लांट (आईवीपी)
	हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेन्ट प्लांट (एचईईपी)
		7. सेंट्रल फाउन्ड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
	हैदराबाद	8. हेवी पावर इक्विपमेन्ट प्लांट (एचपीईपी)
	जगदीशपुर	9. फैब्रिकेशन स्टैम्पिंग इन्सुलेटर प्लांट (एफएसआईपी)
	झांसी	10. ट्रान्सफॉर्मर प्लांट (टीपी)
	रुद्रपुर	11. कम्पोनेंट फैब्रिकेशन प्लांट (सीएफपी)
	रानीपेट	12. बॉयलर ऑग्जिलरीज प्लांट (बीएपी)
	तिरुचिरापल्ली	13. हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी)
		14. सीमलेस स्टील ट्यूब प्लांट (एसएसटीपी)
	तिरुमयम	15. पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
	विशाखापट्टनम	16. हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल के रिपेयर प्लांट	मुम्बई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
	वाराणसी	2. हेवी इक्विपमेन्ट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)
बीएचईएल की सहायक कम्पनी	कासरगोड	1. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल–ईएमएल)

बीएचईएल की दुनिया

विज़न
बेहतर कल के लिए समाधान प्रदान करने वाला वैश्विक अभियांत्रिकी उद्यम बनना

मिशन
ऊर्जा, उद्योग और अधोसंरचना के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करते हैं

राष्ट्रीय संस्थान

- अर्थव्यवस्था के मुख्य क्षेत्रों को सेवा प्रदान करने वाली भारत की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और विनिर्माण कंपनियों में से एक
- विश्व स्तर पर 150+ परियोजना स्थल और 16 विनिर्माण इकाइयों के साथ अखिल भारतीय उपस्थिति

भारत को ऊर्जावान बनाना

- भारत और विदेशों में 190+ GW से अधिक विद्युत उत्पादन उपस्कर स्थापित
- 18,000+ मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट की कमीशनिंग की
- 1.2+ GW से अधिक सौर पोर्टफोलियो
- बीएचईएल निर्मित उपकरणों में ताप विद्युत उत्पादन क्षमता का 55%, परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता का 47% (सेकेंडरी साइड) और जल विद्युत उत्पादन क्षमता का 45% है।

वैश्विक पदचिह्न

- 84 देशों में उपस्थिति
- भारत के बाहर निर्मित 11 GW बिजली उत्पादन क्षमता; निष्पादन के तहत 6 GW
- 4x180 MW की मंगदेछु HEP, भूटान में भारत के बाहर बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली उर्ध्वाधर पेल्टन टरबाइन की उच्चतम रेटिंग है।

क्या आप जानते थे?

- बीएचईएल ने एयूएससी अनुप्रयोगों के लिए, मिश्र धातु 625 से निर्मित दुनिया की सबसे भारी आईपी टरबाईन केसिंग (लोवर पार्ट 20 टन) का विनिर्माण स्वदेशी रूप से किया है।
- बीएचईएल ने भारतीय रेलवे के लिए मध्य प्रदेश के बीना में ट्रैक्शन प्रणाली को सीधे विद्युत आपूर्ति कराने वाला, अपनी तरह का पहला 1.7 मेगावॉट का सोलर पीवी प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित किया है।
- बीएचईएल ने दुनिया की सबसे बड़ी बहु–स्तरीय लिफ्ट सिंचाई योजना– कलेश्वरम परियोजना के लिए भारत के सबसे बड़े पंप–मोटर सेट (106 मेगावाट से 139 मेगावाट तक) कुल 2,747 मेगावाट की आपूर्ति की है।
- बीएचईएल और आईसीएफ़ द्वारा सेंट्रल रेलवे के लिए निर्मित पहली वातानुकूलित लोकल ट्रेन, जिसे जनवरी, 2020 में यात्री सेवा के लिए ठाणे से मुंबई के बीच गया।
- बीएचईएल ने 2019–20 में देश की लिग्नाइट आधारित उच्चतम रेटिंग 500 मेगावाट के नेवेली टीपीपी की कमीशनिंग की।
- बीएचईएल ने अरुणाचल प्रदेश में 501 मीटर की ऊंचाई पर परिचालित द्वारा देश की सबसे अधिक ऊंची सर्वोच्च रेटिंग्स वाली जल विद्युत परियोजना कामेंग 1 और 2 के लिए फ्रांसिस टरबाइन का विनिर्माण किया है।
- बीएचईएल ने अब तक देश भर में 200+ इलेक्ट्रिक सबस्टेशनों की स्थापना की है।

कोर सेक्टर्स में अप्रतिम योगदान

- 6,40,000+ एमवीए ट्रांसमिशन उपकरण की आपूर्ति
- 32,000+ एसी मशीनों की आपूर्ति
- 730+ लोको की भारतीय रेलवे को आपूर्ति
- 400+ कंप्रेशर्स की आपूर्ति और 90 ऑयल ड्रिलिंग रिग्स की आपूर्ति
- 12000+ वेल हेड्स और क्रिसमस ट्री वाल्व की आपूर्ति
- 40+ सुपर रैपिड गन माउंट की भारतीय नौसेना के जहाजों के लिए आपूर्ति

प्रगति को गति...
जीवन को ज्योति

संधारणीय भविष्य के लिए प्रौद्योगिकियाँ

- उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल (AUSC) का घरेलू विकास और कोयले से मेथनॉल प्रौद्योगिकियों पर काम चल रहा है।
- भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के लिए उत्सर्जन नियंत्रण उपस्कर के विकास और स्थापना में अग्रणी।
- स्वदेशी 28MWp सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापन के माध्यम से लगभग 31,130 मीट्रिक टन CO_2 समतुल्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना
- बीएचईएल इकाइयों की 12 टाउनशिप को "एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त" घोषित किया गया
- उच्च दक्षता EHV ट्रांसमिशन सिस्टम और उत्पाद (±800KV HVDC सहित)

नवाचार

- अनुसंधान एवं विकास व्यय लगातार कारोबार के 2.5% से अधिक - भारतीय इंजीनियरिंग क्षेत्र में सबसे अधिक
- प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास
- पांच शोध संस्थान; 14 उत्कृष्टता केंद्र
- डीएसआईआर द्वारा मान्यता प्राप्त 12 विनिर्माण इकाइयाँ और प्रभागों के इन-हाउस आरएंडडी केंद्र
- 12 विनिर्माण इकाइयों और प्रभागों के घरेलू अनुसंधान एवं विकास केंद्रों को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (DSIR) द्वारा मान्यता प्रदान की गई।

सामाजिक दायित्व / समाज को साथ लेकर आगे बढ़ना

- संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सिद्धांतों के लिए प्रतिबद्धता
- ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सत्यनिष्ठा संधि पर हस्ताक्षर
- स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत, हरित भारत और स्वच्छ भारत अभियानों में सक्रिय योगदानकर्ता
- बीएचईएल त्रिची, एक मिलियन से अधिक देशी वृक्षों का स्थान: बीएचईएल वन बना रही है, जो अपनी तरह का पहला प्रयास होगा जिससे देशी वृक्षों को संरक्षण मिलेगा और 2022 तक 5 लाख वृक्ष लगा कर हरित आवरण को और बढ़ाएगा।
- भारत सरकार से वर्ष 2019–20 में कौशल विकास में अनुकरणीय कार्य के लिए प्रशंसा का प्रमाण पत्र

कर्मचारियों का महत्त्व

- 33,500 से अधिक प्रतिबद्ध कर्मचारियों की संख्या
- ~2000 महिला कर्मचारी
- 9000+ इंजीनियर
- 1973 के बाद से सहभागी प्रबंधन संस्कृति

1964 से भारत में निर्माणरत

उत्कृष्टता का सम्मान

बीएचईएल के 88 कर्मचारियों ने 20 विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किए। बीएचईएल कर्मचारियों ने विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों और निजी क्षेत्र के संगठनों को वर्ष के दौरान प्रदान किए गए कुल विश्वकर्मा पुरस्कारों में 71 प्रतिशत से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

सबसे लंबी दुर्घटना मुक्त अवधि और सबसे कम दुर्घटना आवृत्ति दर के लिए **राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार**

भारी और मध्यम इंजीनियरिंग श्रेणी– निर्माण, प्रसंस्करण और उत्पादन में देश के विकास में योगदान के लिए **डन एंड ब्रैडस्ट्रीट पीएसयू अवार्ड 2019**

दि इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स द्वारा **सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2019**

ड्रीम कंपनी ईवर्क श्रेणी के अंतर्गत **एचआर लीडरशिप में उत्कृष्टता के लिए गोल्डन ग्लोब टाइगर्स अवार्ड 2019**

इंजीनियरिंग उद्योग वर्ग में कॉर्पोरेट **उत्कृष्टता के लिए एशिया पैसिफिक उद्यमिता पुरस्कार 2019**

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए **गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2019**

बीएचईएल के सीएमडी, डॉ. नलिन सिंघल को **राष्ट्र के प्रति उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स** द्वारा सम्मानित किया गया।

बीएचईएल के निदेशक (वित्त), श्री सुबोध गुप्ता को वित्तीय क्षेत्र में नेतृत्व के लिए **'टॉप रैंकर्स एक्सीलेंस अवार्ड 2020'** से सम्मानित किया गया।

बीएचईएल के सीएमडी, डॉ. नलिन सिंघल को विश्व मानव संसाधन विकास कांग्रेस द्वारा **'सीईओ विद् एचआर ओरिएंटेशन'** से सम्मानित किया गया।

बीएचईएल हैदराबाद प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा अपने 67वें स्थापना दिवस समारोह में **'बेस्ट परफोर्मिंग एग्जेम्प्टिड पीएफ ट्रस्ट अवार्ड'** से सम्मानित किया गया।

विश्व मानव संसाधन विकास कांग्रेस द्वारा प्रतिभा विकास, सक्सेशन प्लानिंग, प्रतिभा आकर्षण व प्रतिधारण संबंधी पहलों के लिए **राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड पुरस्कार 2019**

इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नवरत्न और महारत्न सीपीएसई श्रेणी में कॉर्पोरेट अभिशासन के लिए **पीएसई उत्कृष्टता पुरस्कार 2018**

त्रिची में अपने 7.5 मेगावाट सोलर पीवी प्लांट के लिए 'उत्कृष्ट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना' (सौर) के लिए **भारतीय हरित ऊर्जा पुरस्कार 2019**

सभी केंद्रीय तथा राज्य लोक उद्यमों में से मानव संसाधन उत्कृष्टता एवं कर्मचारी कौशल संवर्धन; अनुसंधान एवं विकास, तथा जियोस्ट्रेटेजिक रीच इन तीन श्रेणियों में **गवर्नेंस नाउ पीएसयू अवार्ड्स 2020**

इंजीनियरिंग क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन में अनुकरणीय योगदान के लिए **गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट पुरस्कार 2019**

बोर्ड रिपोर्ट

निदेशक मंडल की रिपोर्ट 27

अनुलग्नक–I 32
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

अनुलग्नक–II 74
कॉर्पोरेट अभिशासन

अनुलग्नक–III 114
सीईओ और सीएफओ प्रमाण पत्र

अनुलग्नक–IV 116
सतत विकास

अनुलग्नक–V 132
व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट

अनुलग्नक–VI 140
आर एंड डी और तकनीकी उपलब्धियां

अनुलग्नक–VII 144
ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन
और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

अनुलग्नक–VII A 145

अनुलग्नक–VIII 147
फार्म एओसी–1 और एओसी–2

अनुलग्नक–IX 150
स्वतंत्र ऑडिटर की रिपोर्ट और
सीएजी की टिप्पणियाँ

निदेशक मण्डल रिपोर्ट

प्रिय सदस्यो,

निदेशक मंडल को आपकी कंपनी के व्यवसाय और परिचालनों के संबंध में 56वीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अंकेक्षित वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय परिणाम

(रु. करोड़)

	वर्षांत के लिए	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
राजस्व	20491	29423
परिचालनों से राजस्व	21486	30423
ईबीआईडीटीए	348	2810
परिचालन ईबीआईडीटीए	(233)	2132
कर पूर्व लाभ	(662)	2048
कर पश्चात लाभ	(1473)	1209
कुल व्यापक आय	(1747)	1089
ईपीएस (रु. में)	(4.23)	3.33

ध्यान दें: () के अंदर दिये गए आंकड़े ऋणात्मक मान दर्शाते हैं।

कम्पनी के व्यवसाय की स्थिति

वर्ष की अंतिम तिमाही में कोविड–19 महामारी के कारण देशव्यापी लॉकडाउन होने से विनिर्माण केन्द्रों में परिचालन और परियोजना साइटों पर निष्पादन गतिविधियों के बाधित होने के कारण वित्त वर्ष 2019–20 का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ । कोविड –19 के वैश्विक प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने विनिर्माण इकाइयों में सामग्री की प्राप्ति को भी प्रभावित किया।

कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2018–19 में 2048 करोड़ के लाभ के मुकाबले वित्त वर्ष 2019–20 में 662 करोड़ का घाटा दर्ज किया है, जिसका प्रमुख कारण कम राजस्व और उच्च सामग्री लागत थे। हालांकि, कड़े बजटीय नियंत्रण उपायों और विवेकपूर्ण प्रावधानों ने नुकसान को कम रखने में सहायता की है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए कर पश्चात हानि 1473 करोड़ है, जबकि 2018–19 में 1209 करोड़ का लाभ हुआ था। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए स्थगित कर 34.944 प्रतिशत के मुकाबले 25.168 प्रतिशत की दर से पुनर्कथन के कारण कर पश्चात हानि तुलना में काफी अधिक है जो 957 करोड़ का है।

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 में रु. 23547 करोड़ के ऑर्डर प्राप्त किए। इनमें विद्युत क्षेत्र में 13784 करोड़ रुपये, उद्योग क्षेत्र में 8757 करोड़ रुपये और अंतरराष्ट्रीय परिचालन में 1006 करोड़ रु. के ऑर्डर सम्मिलित हैं। 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाली ऑर्डर बुक रु. 108443 करोड़ (रु. 88284 के निष्पादन योग्य ऑर्डर) के मुकाबले 31 मार्च, 2019 तक लगभग रु. 108680 करोड़ (रु. 86953 करोड़ का निष्पादन योग्य ऑर्डर) थी। ऑर्डर बुक के आंकड़ों में लागू कर शामिल है।

रु. करोड़

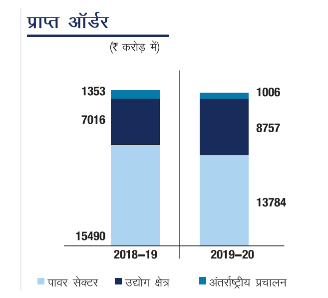

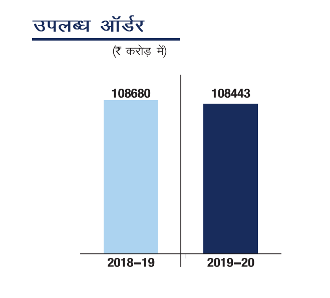

आरक्षित निधि में अंतरण

कंपनी ने 2019–20 के दौरान आरक्षित निधि में कोई राशि अंतरित नहीं की है।

लाभांश

कोविड–19 महामारी और अतिरिक्त असामान्य परिस्थितियों के कारण 13 जून, 2020 को आयोजित बैठक में निदेशक मण्डल द्वारा द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए कोई लाभांश अनुशंसित नहीं किया गया है।

कंपनी की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम (LODR) विनियम, 2015 के विनियम 43ए की आवश्यकताओं के अनुसरण में एक लाभांश वितरण नीति है। लाभांश वितरण नीति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर उपलब्ध है और वार्षिक रिपोर्ट में भी अलग से उपलब्ध कराई जाती है।

जमा

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान जनता से ऐसी कोई जमा स्वीकार नहीं की है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के दायरे में आती है।

एमओयू रेटिंग

आपकी कंपनी को भारत सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2018–19 के लिए MoU प्रदर्शन पर 'उत्कृष्ट' के रूप में दर्जा दिया गया है।

क्रेडिट रेटिंग

आपकी कंपनी की क्रेडिट रेटिंग इस प्रकार है:

रेटिंग एजेंसी	रेटिंग की तिथि	दीर्घावधि रेटिंग	आउटलुक	अल्पावधि रेटिंग
सीआरआईएसआईएल	22.08.2019	CRISIL AA$	Negative	CRISIL A1+
	21.11.2019	CRISIL AA	Stable	CRISIL A1+
	24.07.2020	CRISIL AA	Negative	CRISIL A1+
इंडिया रेटिंग्स	21.08.2019	Ind AA$	Negative	Ind A1+
	06.07.2020	Ind AA	Negative	Ind A1+
केयर	03.09.2019	CARE AA$	Stable	CARE A1+
	24.06.2020	CARE AA	Stable	CARE A1+

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले प्रत्यक्ष परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं

वित्तीय वर्ष के अंत और वित्त वर्ष 2019–20 की इस रिपोर्ट की दिनांक के बीच कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई भी प्रत्यक्ष परिवर्तन और प्रतिबद्धता नहीं हैं।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अनुसरण में, निदेशक मंडल निम्नलिखित की पुष्टि करता है:

क. वार्षिक लेखा तैयार करते समय, उचित स्पष्टीकरण के साथ सामग्री प्रेषण से संबंधित लागू लेखा मानक (इंड एएस) का पालन किया गया है;

ख. निदेशकों ने इस तरह की लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर लागू किया है और निर्णय दिए हैं और जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में और कंपनी के लाभ के मामले में कंपनी की स्थिति का सही और निष्पक्ष विचार दिया जा सके;

ग. निदेशकों ने कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखरेख की है;

घ. निदेशकों ने क्रियाशील इकाई के आधार पर वार्षिक लेखा तैयार किया है;

ड. निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रहे हैं;

च. निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की हैं और ये पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही है।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

वैश्विक और घरेलू दोनों ही स्तरों पर आर्थिक विकास की दर मंद रही है। पिछले वर्ष में 4.2 प्रतिशत दर के मुकाबले 2019–20 के दौरान 6.1 प्रतिशत दर की जीडीपी की वृद्धि के साथ, भारतीय अर्थव्यवस्था में औद्योगिक उत्पादन, और विद्युत खपत की मांग में गिरावट देखी गई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोविड–19 महामारी के प्रकोप के दीर्घकालीन प्रभाव और दुनिया के कई हिस्सों में भू–राजनीतिक घटनाक्रम ने संकट को और गहरा कर दिया है। आर्थिक विकास को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने वित्तीय तरलता में सुधार लाने, विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के द्वारा औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि और कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के उद्देश्य से कई पहल शुरू की हैं।

इसके बीच, कारोबारी माहौल में अनिश्चितता अल्पावधि के साथ–साथ दीर्घकालिक चुनौतियां उत्पन्न ही रही है। बीएचईएल सख्त गुणवत्ता और लागत नियंत्रण के साथ, स्वयं को एक वैश्विक इंजीनियरिंग उद्यम के रूप में परिवर्तित कर रहा है, और निम्नलिखित विभिन्न परिवर्तन पहलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है – अल्पावधि में लाभदायक विकास को बनाए रखना, मुख्य व्यवसाय में शीर्ष स्थान पर बने रहना और दीर्घकालीन अवधि में उभरते अवसरों का दोहन करके विविधता लाना। नए विकास क्षेत्रों में रणनीतियों की रचना व कार्यान्वयन कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। भारत में इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए केन्द्र बिन्दु बने रहते समय हमारा सम्पूर्ण प्रयास एक सफल परिवर्तन की ओर अभिकेंद्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए, कृपया निदेशक मण्डल रिपोर्टका अनुलग्नक–I देखें।

कॉर्पोरेट अभिशासन

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 34 के अनुसरण में, कॉर्पोरेट अभिशासन (निदेशक मंडल / समिति की बैठक के विवरण सहित) पर एक रिपोर्ट, निम्नलिखित के साथ निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक– II में दी गई है।

(1) सूचीबद्धता बाध्यताएं की अनुसूची V के अंतर्गत निदेशकों की गैर–अयोग्यता का प्रमाण पत्र

(2) कॉर्पोरेट अभिशासन पर सूचीबद्धता विनियमों और डीपीई दिशा निर्देशों के अंतर्गत कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र

(3) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा की 204(1) के अंतर्गत सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट और उस पर प्रबंधन का उत्तर

(4) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) क अनुसरण में वार्षिक विवरणी का सारांश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों द्वारा स्वतंत्रता के मानदंडों से संबंधित घोषणा निदेशक मंडल को दी गई है।

निदेशक मंडल की राय में, वर्ष क दौरान नियुक्त किए गए स्वतंत्र निदेशक सत्यनिष्ठा एवं आवश्यक विशेषज्ञता और अनुभव रखते हैं। सभी स्वतंत्र निदेशकों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (IICA) के ऑनलाइन डेटाबेस में अपना पंजीकरण कराया है। आज तक, स्वतंत्र निदेशकों को अभी तक भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान (धारा 150 के अंतर्गत अधिसूचित) द्वारा आयोजित ऑनलाइन प्रवीणता स्व–मूल्यांकन परीक्षण से गुजरना है।

कंपनी की वेबसाइटों के लिए लिंक:

1. स्वतंत्र निदेशकों का परिचय कार्यक्रम:
   http://www.bhel.com/index.php/ind_dir
2. संबंधित पक्ष के लेन–देन सेसंबंधित सामग्री सहायक और नीति निर्धारण नीति:
   http://www.bhel.com/pdf/Policy_with_regard_to_Related_Party_Transactions_010419-pdf
3. वार्षिक विवरणी का सार
   http://www.bhel.com/index.php/notice_announce

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी में, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत बनाये गए नियमों एवं सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 18 के अनुसार आवश्यक निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा कमेटी का गठन किया गया है, जिसका विवरण कॉर्पोरेट अभिशासन रिपोर्ट के बिंदु 3 पर दिया गया है। इसके अलावा, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां निदेशक मंडल ने लेखापरीक्षा समिति की अनुशंसा को स्वीकार नहीं किया है।

सचिवीय मानकों का अनुपालन

कंपनी ने लागू सचिवीय मानकों का अनुपालन किया है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की स्थिति में परिवर्तन

नियुक्ति

श्री शशांक प्रिय, अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में 4 अक्टूबर, 2019 से नियुक्त किया गया है।

श्री अनिल कपूर को निदेशक (मानव संसाधन) का कार्यभार संभालने के लिए पूर्णकालिक (कार्यकारी) निदेशक के रूप में 15 अक्टूबर, 2019 से नियुक्त किया गया है।

श्री राज कमल बिंदल और श्री मनीष कपूर को अंशकालिक गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक में 31 जनवरी, 2020 से नियुक्त किया गया है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 67 (iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर, श्री शशांक प्रिय, श्री अनिल कपूर, श्री राज कमल बिंदल और श्री मनीष कपूर आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर रहेंगे हैं और बैठक में निदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं।

सेवा का समापन

01 अगस्त, 2015 को निदेशक (मा.सं.) के रूप में नियुक्त किए गए श्री डी बंदोपाध्याय को 31 अगस्त, 2019 को अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर कंपनी के निदेशक पद से मुक्त कर दिया गया।

01 दिसम्बर, 2018 को अंशकालीन स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए श्री आर स्वामीनाथन को उनका कार्यकाल समाप्त होने पर कंपनी के निदेशक पद से मुक्त किया गया।

निदेशक मंडल की बैठक के दौरान श्री बंदोपाध्याय एवं श्री आर स्वामीनाथन के द्वारा अपने कार्यकाल में दिए गए अमूल्य सेवाओं, परामर्श एवं दिशा निदेर्श के लिए लिखित प्रंशसा व्यक्त की।

इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 और कंपनी एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के अनुच्छेद 67 (i) के अनुसार, श्री मनोज कुमार वर्मा और श्री कमलेश दास रोटेशन से रिटायर होंगे और वार्षिक आम बैठक में अपनी पुनः नियुक्ति का प्रस्ताव रखने के लिए पात्र होंगे।

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के नियम 36 (3) के अनुपालन में, नियुक्ति और पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित निदेशकों की विशिष्ट कार्य क्षेत्रों में उनकी विशेषज्ञता का प्रकार, उन कंपनियों के नामों, जिनमें वे निदेशक पद पर हैं और निदेशक मण्डल की विभिन्न समितियों में उनकी सदस्यता संबंधी जानकारी के साथ संक्षिप्त विवरण नोटिस के व्याख्यात्मक विवरण /अनुलग्नक में दिया गया है।

सीईओ / सीएफओ प्रमाण पत्र

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 17 (8) के अनुसार सीईओ/ सीएफओ प्रमाण पत्र निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक–III में दिया गया है।

ऋण और निवेश

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले ऋण और निवेश का विवरण वित्तीय विवरण का भाग है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान बीएचईएल की सहायक कंपनी मेसर्स बीएचईएल ईएमएल को कार्यशील पूंजी के रूप में' रुपये 3 करोड़ का ऋण दिया गया था, जिसके ह्रास का प्रावधान किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम 2015 के विनियम 34 के अनुसार तैयार किए गए समेकित वित्तीय विवरणों पर संक्षिप्त जानकारी प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण के पैरा 1.5.4 में दी गई है।

संधारणीय विकास

संधारणीयता का सिद्धांत हमारी व्यावसायिक प्रक्रियाओं का भाग है, जो हमारे मिशन स्टेटमेन्ट "ऊर्जा, उद्योग एवं बुनियादी सुविधा के क्षेत्र में संधारणीय व्यावसायिक समाधान प्रदान करना" में परिलक्षित होता है।

बीएचईएल अपने ग्राहकों के लिए सदैव ही ऐसे उत्पाद एवं प्रोद्योगिकी पर ध्यान केन्द्रित करता है जिसके पर्यावरणीय उत्सर्जन कम हों। अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं में, कंपनी 3–आर सिद्धांत (रिड्यूस, रि–साइकल– र–यूज) के समावेश माध्यम से, अपने परिसरों में स्थापित किए गए घरेलू रूप से विकसित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाना, ऊर्जा दक्षता संवर्धन परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण, परिचालनों में कार्बन उत्सर्जन को कम करना,सघन वृक्षारोपन के हरित क्षेत्र को बढ़ाना एवं उसके अनुरक्षण से जैव विविधता का संरक्षण इत्यादि जल सहित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण सम्मिलित है।

समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में काम करने वाले एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में, बीएचईएल के संरचित सीएसआर कार्यक्रम का उद्देश्य समुदाय के लिए एक सामाजिक अधोसंरचना का निर्माण करना है। वर्ष 2019–20 के दौरान की गई इन पहलों का विवरण निदेशक मण्डल रिपोर्ट के अनुलग्नक–IV में दिया गया है।

व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट

सूचीबद्धता विनियम की अपेक्षा के अनुरूप, पर्यावरण, समाज और अभिशासन के क्षेत्र में कंपनी द्वारा की गई पहलों की व्यावसायिक दायित्व रिपोर्ट निदेशक मण्डल रिपोर्ट के अनुलग्नक V में संलग्न है।

अनुसंधान एवं विकास और प्रौद्योगिकी विकास की उपलब्धियां

बीएचईएल में स्थापित नवप्रवर्तन तथा अनुसंधान व विकास रूपरेखा वर्तमान और भविष्य की व्यावसायिक आवश्यकताओं की तकनीकी चुनौतियों का सामना करने के लिए पूर्णतः तैयार है। 2019–20 के लिए कंपनी का R & D खर्च रु 766 करोड़ था जो कुल कारोबार का लगभग 3.74 प्रतिशत है। इसमें अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के अतिरिक्त विनिर्माण इकाइयों में ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादों एवं डिजाइनों में संशोधन/उन्नयन के लिए किए गए अनुसंधान एवं विकास प्रयासोंकी लागात सम्मिलित नहीं है।

कंपनी ने वर्ष के दौरान बौद्धिक संपदा को 4849 तक बढ़ाते हुए 549 पेटेंट और कॉपीराइट आवेदन प्रस्तुत किए। कंपनी के राजस्व का लगभग 23.4 प्रतिशत अपने घरेलू रूप से विकसित किए गए उत्पादों से प्राप्त किया गया है जिसकी राशि 4792 करोड़ है। अधिक जानकारी निदेशक मण्डल रिपोर्टके अनुलग्नक– VI में प्रदान की गई है।

राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी की सभी इकाइयों/प्रभागों/कार्यालयों/साईटों में राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निरंतर सक्रिय प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में हो रही प्रगति की निरंतर समीक्षा जा रही है। अधिक विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक VII ए में दिया गया है।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा विभिन्न इकाइयों के निरीक्षण के समय राजभाषा क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की गई है। भारी उद्योग विभाग ने भी कुछ इकाइयों का निरीक्षण किया और राजभाषा कार्यान्वयन को लेकर संतोष व्यक्त किया है। भारी उद्योग विभाग द्वारा कुछ इकाईयों का निरिक्षण किया गया एवं राजभाषा क्षेत्र में बीएचईएल के प्रयासों को सराहा गया। अधिक विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक VII ए में दिया गया है।

सतर्कता प्रणाली

बीएचईएल के सतर्कता विभाग का नेतृत्व मुख्य सतर्कता अधिकारी (CVO) द्वारा किया जाता है, जिसे भारी उद्योग विभाग (DHI), भारी उद्योग एवंलोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। बीएचईएल की प्रमुख विनिर्माण इकाइयों/पावर क्षेत्र के प्रभागों में सतर्कता प्रणाली का नेतृत्व वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया जाता है, जो सीवीओ को रिपोर्ट करते हैं।

भ्रष्टाचार की संभावनाओं को कम करने के लिए निवारक सतर्कता हमेशा बीएचईएल सतर्कता का फोकस क्षेत्र रहा है। सिस्टम में खामियों को दूर करके प्रक्रियाओं में अस्पष्टता और विवेकाधिकार को उत्तरोत्तर कम करना मुख्य उद्देश्य है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया को अधिक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शी बनाया जा सकता है और साथ ही कदाचार के लिए गुंजाइश कम हो सके। निवारक सतर्कता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक निगरानी है। वर्ष के दौरान, इकाइयों में अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन करने और सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करने के उद्देश्य से कॉर्पोरेट सतर्कता टीम द्वारा बीएचईएल की कई विनिर्माण इकाइयों/क्षेत्रों का निरीक्षण लिए किया गया। बीएचईएल से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट (आंतरिक, वैधानिक और सीएजी रिपोर्ट) की भी जांच की गई है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इस तरह की रिपोर्टों में सामने आई अनियमितताओं में कोई सतर्कता जांच योग्य बिन्दु तो नहीं है। वर्ष के दौरान लगभग 4200 कर्मचारियों की वार्षिक संपत्ति विवरण

की जांच की गई। संगठन में गतिविधियों की यादृच्छिक जाँच नियमित निरीक्षण, औचक निरीक्षण, प्रणाली अध्ययन, सीटीई प्रकार निरीक्षण आदि के माध्यम से की गई।

इन निरीक्षणों / जांच के निष्कर्षों के आधार पर, बीएचईएल की विभिन्न नीतियों, दिशानिर्देशों एवं मैनुअलों में कई संशोधनों का सुझाव दिया गया ताकि विवेकाधीन शक्तियों को कम किया जा सके तथा गलत अर्थ निरूपण की संभावना वाले प्रावधानों स्पष्टता लाई जा सके। तदनुसार, आपूर्तिकर्ताओंः ठेकेदारों से व्यावसायिक व्यवहार के निलंबन के लिए दिशानिर्देशों तथा आदेश जारी करने के लिए गुणवत्ता सह लागत के आधार पर चयन (क्यूसीबीएस) के लिए दिशानिर्देशों हेतु संशोधित प्रतिवर्ती नीलामी (आरए) दिशानिर्देश, 2020, जारी किए गए हैं। विस्तृत जानकारी निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक VII । में प्रदान की गई है।

स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

संगठन के लिए व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण महत्वपूर्ण है। परिचालन अनुशासन में संवर्धन एवं निहित सुरक्षा उपायों को विकसित करने के लिए कंपनी स्तर पर एचएसई सुरक्षा प्रबंधन लक्ष्यों और प्रक्रियाओं की स्थापना की गई है।

दुर्घटना विहीनता के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रणालियों को लगातार मानकीकृत और उन्नत किया जाता है। बीएचईएल में तीन स्तरीय एचएसई निगरानी प्रणाली है। एचएसई संबंधित मुद्दों की समीक्षा विभिन्न स्तरों जैसे प्लांट लेवल एपेक्स कमेटी, संयुक्त समिति, केंद्रीय सुरक्षा समिति, शॉप स्तर समिति, जोखिम प्रबंधन समिति आदि में की जाती है।

हमारी इकाइयोंका आईएसओ14001 और ओएचएसएएस 18001/45001 प्रमाणीकरण हमें एचएसई संबंधित जोखिम का प्रबंधन करने और हमारे एनएसई निष्पादन में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। इस वर्ष एचएसई प्रशिक्षण की प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए कई नई पहल की गई जैसे – अग्नि सुरक्षा पर प्रशिक्षण, आईएसओ 14001 और आईएसओ 45001 पर जागरूकता कार्यक्रम, सुरक्षा प्रशिक्षकोंका प्रशिक्षण, आईएसओ 14001 एवंआईएसओ 45001 क`लिए ई–मॉड्यूल विकास, अग्नि सुरक्षा स्टीवर्ड प्रशिक्षण इत्यादि। अधिक विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक VII ए में दिया गया है।

डेटा और साइबर सुरक्षा

बीएचईएल साइबर हमलों के प्रभाव को कम करने और सूचना एवं सूचना प्रसंस्करण अधोसंरचना की सुरक्षा बनाए रखने क लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ डेटा और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार के तत्वावधान में "साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस जनरेशन के लिए स्केलेबल अटैक डेटा कैप्चरिंग एंड एनालिसिस फ्रेमवर्क" परियोजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (CERT&In MeitY के अंतर्गत साइबर सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी) मुख्य भागीदार और उपयोगकर्ता एजेंसी है, जो इस परियोजना सेउत्पन्न साइबर खतरे की खुफिया सूचना प्राप्त करेगी और उनकी आवश्यकता के अनुसार देश के साइबर इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग करेगी। इस परियोजना के एक भाग के रूप में, खतरा डेटा/लॉग कैप्चर करने के लिए बीएचईएल में एक हनीपोट सेंसर लगाया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर साइबर खतरे की खुफिया सूचना तंत्र के निर्माण के लिए सरकार की पहल के अंतर्गत इसे यह सेंसर केप्चर करता है और साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस को अग्रेषित करता है।

अन्य प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम (2013) की धारा 134 (3) (एम) सहपठित कंपनियों (लेखा) नियमों, 2014 के प्रावधानों के अनुसार ऊर्जा के संरक्षण, प्रौद्योगिकी समामेलन और विदेशी मुद्रा आय और व्यय के संबंध में जानकारी निदेशक मण्डल रिपोर्ट के अनुलग्नक–VII में दी गई है।

कंपनियों (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 सहपठित कंपनी अधिनियम, 2013 केखंड 197 के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी को निदेशक मण्डल रिपोर्ट में निदेशकों आदि के पारिश्रमिक का विवरण देना आवश्यक है। तथापि, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463 (ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुसार, सरकारी कंपनियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों का अनुपालन करने से छूट दी गई है। बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशक मंडल की रिपोर्ट में ये विवरण शामिल नहीं किए गए हैं।

सहायक कंपनी और संयुक्त उपक्रम से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 (फार्म एओसी –1) की धारा 129 और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (एच) के अनुसरण में फार्म एओसी –2 के अनुसार विवरण निदेशक मंडल की रिपोर्ट में अनुलग्नक–VIII में दिया गया है।

लेखा परीक्षक

आपकी कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सांविधिक लेखा परीक्षकों की तीन फर्मों को संयुक्त सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में और पांच फर्मों को शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया था। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए नियुक्त ऑडिट फर्मों के नाम अलग से वार्षिक रिपोर्ट में दिए गए हैं।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

कंपनी के वित्त वर्ष 2019–20 के एकल और समेकित वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और टिप्पणियां निदेशक मंडल की रिपोर्ट के अनुलग्नक–IX में दी गई हैं। कंपनी के वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में कोई परिवर्तन नहीं है।

सचिवीय लेखा परीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के संदर्भ में, कंपनी ने मैसर्स के.के. सचदेवा एंड एसोसिएट्स, पूर्णकालिक कंपनी सचिव कोवित्त वर्ष 2019–20 के लिए सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए सेक्रेटरी ऑडिटर के रूप में नियुक्त किया और उनकी रिपोर्ट कॉर्पोरेट अभिशासन खंड का हिस्सा है।

सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां निम्नानुसार हैं:

निदेशक मंडल की संरचना भारत के प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 17 (1) एवं कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुपालन में नहीं है, क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक अपेक्षित संख्या में नहीं हैं।

उपर्युक्त टिप्पणी पर प्रबंधन का उत्तर निम्नानुसार है:

बीएचईएल एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों का चयन प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात भारी उद्योग विभाग द्वारा लोक उद्यम विभाग की सर्च समिति के परामर्श से किया जाता है। हमारी कंपनी सेबी लिस्टिंग विनियम के प्रावधानों तथा एवं लोक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु अपने निदेशक मंडल में अपेक्षित संख्या में स्वतंत्र निदेशक

नियुक्त करने लिए भारी उद्योग विभाग के निरंतर संपर्क में रहती है।

लागत लेखा परीक्षक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों और कंपनी (लागत रिकॉर्ड एवं ऑडिट) नियम, 2014 तथा उनके संशोधनों के अनुसार, निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति की सिफारिश पर वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आपकी कंपनी के लागत लेखों की लेखापरीक्षा के लिए लागत लेखा परीक्षकों के रूप में सात लागत लेखाकारों फर्मों की नियुक्ति को अनुमोदन प्रदान किया। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप–धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत लेखे और रिकॉर्ड समुचित ऊप में रखे गए हैं और उनका अनुपालन किया गया है।

वित्त वर्ष 2019–20 के लिए नियुक्त लागत लेखा परीक्षकों का विवरण वार्षिक रिपोर्ट में अलग से दिया गया है। वित्त वर्ष 2017–18 के लिए लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट 23 अगस्त, 2018 को एक्सबीआरएल मोड के अंतर्गत दायर की गई है, जो कि भरने की नियत तारीख के भीतर है और लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में कोई विसंगति नहीं थी।

प्रशंसा और आभार

आपके निदेशक कंपनी के संचालन और विकास योजनाओं में भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय और भारत सरकार के सभी अन्य विभागों और एजेंसियों द्वारा किए गए सहयोग और मार्गदर्शन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। निदेशक मंडल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, लेखा परीक्षा निदेशक मंडल के अध्यक्ष और सदस्यों, सांविधिक लेखा परीक्षकों, शाखा लेखा परीक्षकों, सचिवीय लेखा परीक्षक और लागत लेखा परीक्षकों को रचनात्मक सुझाव और निरंतर सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता है।

निदेशक मंडल भारत और विदेशों में मौजूद कंपनी के बहुमूल्य ग्राहकों और सम्मानित शेयरधारकों द्वारा किए गए सहयोग और कंपनी के प्रबंधन में व्यक्त किए गए विश्वास के लिए प्रशंसा करता है और आशा व्यक्त करता है कि भविष्य में भी हम एक– दूसरे के सहयोग से काम करते रहेंगे।

निदेशक सभी प्रौद्योगिकी सहयोगियों, आपूर्तिकर्ताओं, ठेकेदारों से प्राप्त निरंतर सहयोग तथा वित्तीय संस्थाओं, बैंकरों तथा स्टॉक एक्स्चेंजों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं।

आपका निदेशक मंडल बीएचईएल कर्मचारियों को, निष्ठापूर्ण प्रयासों, कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता द्वारा इस संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हृदय की गहराईयों से धन्यवाद देता है।

निदेशक मंडल की ओर से और के लिए
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.03.2020

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–1
प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1.1 आर्थिक और व्यावसायिक परिदृश्य का अवलोकन

आईएमएफ के अनुसार 2019 मेंविश्व अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर घटकर 2.9 प्रतिशत हो गई, जो वर्ष 2018 में 3.6 प्रतिशत थी। कोविड–19 महामारी के आने से आपूर्ति श्रृंखला, उत्पादन और व्यापार में व्यापक व्यवधानों के कारण विश्व आर्थिक गतिविधि को बहुत बडा नुकसान उठाना पड़ा है। 2020 के उत्तरार्ध में धीरे–धीरे ठीक होने की प्रत्याशा के साथ, 2020 में विश्व आर्थिक वृद्धि होने का अनुमान है। औद्योगिक उत्पादन प्वाइंट से सिंक्रनाइज़ और आपूर्ति में गिरावट उच्च आवृत्ति संकेतक हैं। लॉकडाउन, बेरोजगारी, आय में कमी और कमजोर उपभोक्ता विश्वास के कारण उपभोग और सेवा उत्पादन में गिरावट आई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने 2019–20 में पिछले वर्ष के दौरान 6.1 प्रतिशत के मुकाबले जीडीपी की 4.2 प्रतिशत वृद्धि देखी है। उच्च आवृत्ति संकेतक, मार्च, 2020 के प्रारम्भ से शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में औद्योगिक उत्पादन गतिविधियों और खपत की मांग में गिरावट का संकेत देते हैं। लॉकडाउन की अवधि के दौरान विद्युत की खपत में गिरावट आई और पूंजीगत वस्तुओं, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और गैर–टिकाऊ वस्तुओं का उत्पादन लक्षित किया गया था।

घरेलू विद्युत क्षेत्र में, विद्युत मूल्य श्रृंखला के वितरण और खुदरा पक्ष में सुधार जारी है। विद्युत अधिनियम में हाल ही में मसौदा संशोधन हुआ है और डिस्कॉम को 90000 करोड़ रुपए वित्तीय पैकेज दिया गया है। थर्मल पावर व्यवसाय में, हालांकि नए कोयला–आधारित विद्युत उत्पादन उपकरणों के लिए ऑर्डर स्थिति कमजोर रही, वहीं, उत्सर्जन नियंत्रण कारोबार की मांग मजबूत रही। इस वर्ष भी परमाणुऊर्जा क्षेत्र से व्यावसायिक गतिविधि देखी गई।

भारतीय रेलवे, अपने परिचालन को डीकार्बोनाइज करने, बुनियादी ढांचे के उन्नयन और आधुनिकीकरण और सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने की पहल के साथ आगे बढ़ रही है। इसके अलावा, टियर–II और टियर–III शहरों से मेट्रो रोलिंग स्टॉक की मांग बढ रही है। ई–मोबिलिटी क्षेत्र में, भारत सरकार की फेम(FAME)–II योजना के शुभारम्भ के बाद, निजी इलेक्ट्रिक वाहनों और सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र दोनों में बढती मांग को पूरा करने के लिए बाजार कमर कस रहा है।

1.2 अवसर और जोखिम

कोविड–19 महामारी के प्रकोप, भू–राजनीतिक घटनाक्रम ने दुनिया भर में अभूतपूर्व आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उथल–पुथल मचा दी है। इन घटनाओं के प्रभाव की मात्रा और सीमा अभी तक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। हालांकि, अतीत में ऐसी अधिकांश घटनाओं की तरह, यह उतार–चढाव भरा समय, चीजों के नए क्रम में प्रमुख स्थान बनाने के लिए जोखिम के साथ–साथ नए अवसर भी प्रदान करता है। अपने परिचालन पर लगातार विकसित होती स्थिति के तात्कालिक प्रभावों से निपटने के दौरान, बीएचईएल इन घटनाक्रमों के परिणामस्वरुप उभरने वाली संभावनाओं को भी देख रहा है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने कोविड –19 के प्रकोप से पहले ही, पिछली पाँच तिमाही से विकास में गिरावट देखी थी। निरंतर कमजोर खपत से उभरने के लिए, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने तरलता को कम करने के लिए विभिन्न उपाय किए थे। इस तथ्य को रेखांकित करते हुए कि आधारभूत संरचना, विकास का एक प्रमुख प्रवर्तक है, सरकार द्वारा दिसंबर 2019 में एक राष्ट्रीय आधारभूत संरचना पाइपलाइन रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें 2024–25 तक बुनियादी ढांचे पर 111 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई थी। हालाँकि, महामारी तथा अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आगामी मंदी के चलते, यह उम्मीद की जाती है कि सरकार का प्राथमिक ध्यान सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने और आजीविका के साधन सुनिश्चित करने पर होगा। बीएचईएल भी अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान, परियोजना स्थलों पर श्रम की कमी और नकदी की कमी के कारण परिचालन संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहा है।

कोविड–19 महामारी से उत्पन्न विभिन्न परिचालन और व्यावसायिक चुनौतियों के बावजूद, विनिर्माण संबंधी आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक महत्वपूर्ण अवसर देखा जा रहा है, जिसमें कुछ देशों में उनकी मौजूदा एकाग्रता से उत्पन्न आर्थिक और राजनीतिक जोखिमों के मद्देनजर भौगोलिक विकल्प भी खोजने होंगे। कम्पनी, इसके विशाल परिसंपत्ति आधार, इंजीनियरिंग क्षमताओं और विनिर्माण क्षमता की विविधता को देखते हुए, विनिर्माण क्षेत्र में इस तरह के आगामी अवसरों को भुनाने के लिए लक्ष्य बना रही है।

कोविड–19 और हाल के राजनीतिक घटनाक्रम के बाद भूमंडलीकरण को झटका लगा है, आत्मनिर्भरता को रणनीतिक महत्व प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के "आत्मनिर्भर भारत" और "मेक इन इंडिया" जैसे प्रयासों में भारतीय औद्योगिक परिदृश्य को एक नया रूप देने की क्षमता है। बीएचईएल भी मूल, टिकाऊ और लाभदायक व्यावसायिक क्षेत्रों को अपनाकर इस पुनरुत्थान का हिस्सा बनने का प्रयास कर रहा है, जो घरेलू इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमताओं में अंतर को कम करते हुए विकास के नए मार्गप्रदान करेगा। कंपनी वैश्विक ओईएम के साथ भारत में संयंत्र स्थापित करने की अपनी सुविधा एवं क्षमता के उपयोगों के विभिन्न अवसरों को तलाश रही है।

1.3 संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

ऊर्जा संक्रमण, विघटनकारी प्रौद्योगिकी विकास, बदलते व्यावसायिक मॉडल और ग्राहक की कडी अपेक्षाओं जैसे कारकों ने परिवर्तन की आवश्यकता पर बल दिया है। बदलते व्यवसायिक माहौल द्वारा सौंपी गई अल्पकालिक और दीर्घकालिक चुनौतियों को दूर करने के लिए, कंपनी, लाभदायक विकास को और अल्पावधि में मुख्य व्यवसाय में हमारे नेतृत्व को बनाए रखते हुए तथा दीर्घावधि में उभरते अवसरों का दोहन करते हुए कुछ बहुत ही मजबूत कदम उठा रही है।

कंपनी में एक परिवर्तन प्रक्रिया पहले ही शुरू की जा चुकी है, जिसमें विभिन्न प्रक्रियाओं को फिर से शुरू करना, परियोजना के निष्पादन में सुधार लाना, व्यवसाय मॉडल को पुनः डिज़ाइन करना, नए व्यवसायों में विस्तार करना और लोगों को उनके कार्यों में लगाए रखना शामिल हैं।

मुख्य व्यवसाय का संरक्षण

कंपनी अपने मुख्य व्यवसाय में अपने नेतृत्व की रक्षा करने और उसे बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। बीएचईएल समय पर परियोजना सुपुर्दगी करते हुए निष्पादन में सुधार, पुर्जो और सेवाओं के क्षेत्र में नए सिरे से जोर देने, उत्सर्जन नियंत्रण व्यवसाय को मजबूत करने और एयूएससी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल विद्युत संयंत्रों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

2X660 मेगावाट की टीएचडीसीआईएल खुर्जा परियोजना के टीजी पैकेज के आदेश के साथ, बीएचईएल द्वारा देश में प्राप्त सुपरक्रिटिकल सेटों के अपने कुल ऑर्डरों में स्टीम जेनरेटर्स के 56 सेट और टर्बाइन जेनरेटरों (टीजी) के 51 सेट शामिल हैं, जो देश में किसी भी अकेले विद्युत संयंत्र उपकरण आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राप्त उच्चतम ऑर्डर है। घरेलू विद्युत उत्पादन क्षमता में सबसे बड़े योगदानकर्ता के रूप में अपनी प्रमुखता के साथ, कंपनी घरेलू उत्सर्जन नियंत्रण व्यवसाय में अग्रणी है, जिसमें 63 फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन सेट, 11 चुनिंदा केटेलिटिक रिडक्शंस सेट और अन्य महत्वपूर्ण ऑर्डर शामिल हैं। नए व्यवसाय अवसरों के लिए डिजिटलाइजेशन सहित नए विकास क्षेत्रों की पहचान करके पावर प्लांट पुर्जों और सेवाओं के कारोबार में मूल्य प्रस्ताव को बढ़ाने के लिए समर्पित प्रयास जारी हैं। बीएचईएल ट्रांसमिशन और कैप्टिव पावर व्यवसायों में भी अपनी सेवाओं में विस्तार कर रहा है।

भारत के पड़ोस में अपनी प्रमुख उपस्थिति की पुष्टि करते हुए, बीएचईएल ने 2X20 मेगावाट की राहुघाट जल–विद्युत परियोजना के इलेक्ट्रो–मैकेनिकल पैकेज के लिए एक आदेश प्राप्त किया है। वर्ष 2018–19 में अरुण –3 के बाद जलविद्युत परियोजना के लिए नेपाल से यह दूसरा ऑर्डर है।

नए विकास क्षेत्र

आधारभूत और नए लाभदायक विकास क्षेत्रों की पहचान, और इन क्षेत्रों में व्यवसाय निष्पादन रणनीतियों की योजना बनाना और उन्हें लागू करना सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। रेलवे परिवहन, रक्षा और एयरोस्पेस, डाउनस्ट्रीम, तेल और गैस में ईपीसी परियोजनाएं, विद्युत संयंत्रों के लिए उद्योग 4.0 समाधान व्यवसाय, और अनुलग्नक विनिर्माण कुछ ऐसे अवसर हैं जहां बीएचईएल विकास की नई परिभाषा के निर्माण के लिए नए उत्पादों और प्रणालियों की एक श्रृंखला पर काम कर रहा है। अतीत में शुरू की गई विविधीकरण पहलों के कारण उद्योग क्षेत्र में अब तक की उच्चतम ऑर्डर बुकिंग की उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसमें 2019–20 में ट्रांसमिशन, सौर और रक्षा और एयरोस्पेस के उच्चतम ऑर्डर शामिल हैं। प्रमुख उपलब्धियों में रिजेनरेटिव ब्रेकिंग सहित WAG&7 इलेक्ट्रिक इंजनों के विनिर्माण और आपूर्ति के लिए रेलवे निदेशक मंडल से महत्वपूर्ण आदेश, एनटीपीसी से रामागुंडम में सबसे बड़े एकल स्थान फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट (100MW) के लिए ऑर्डर भारतीय रेलवे तथा अन्यों के साथ साझेदारी में विकसित अपनी तरह का पहला सौर पीवी विद्युत संयंत्र है जो बीना में ट्रैक्शन सब–स्टेशन को सीधे विद्युत आपूर्ति करता है शामिल हैं। ।

परियोजना निष्पादन में सुधार

परियोजनाओं के समय पर निष्पादन/सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए कंपनी कई कदम उठा रही है। प्रोजेक्ट की आवश्यकता अनुसार सामग्री डिस्पैच करना, आईटी आधारित इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम (IPM) का कार्यान्वयन, एकीकृत प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में सुधार, बोली–पूर्व टाई अप के लिए ईपीसी सिविल एजेंसियों का सूचीबद्ध करना आदि कुछ प्रमुख पहल हैं।

लागत अनुकूलन

डिजाइन और क्रय प्रक्रियाओं के अनुकूलन के माध्यम से सभी स्तरों पर लागतों का अनुकूलन करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा, लागत के इष्टतम स्तर को प्राप्त करने के लिए डिजाइन और इंजीनियरिंग मानकीकरण, स्वदेशीकरण, थोक वस्तुओं की केंद्रीकृत खरीद, बेहतर सूची प्रबंधन और केंद्रित विक्रेता विकास प्रगति पर हैं।

गुणवत्ता सर्वप्रथम

कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की पहचान के रूप में गुणवत्ता को और मजबूत करने के लिए एक कंपनी–व्यापी 'गुणवत्ता सर्वप्रथम' पहल शुरू की गई है। सशक्तिकरण, शिक्षा, सहभागिता और प्रोत्साहन के माध्यम से एक सशक्त गुणवत्ता संस्कृति का पोषण हो रहा है। सभी बीएचईएल प्रभागों की गुणवत्ता प्रबंधन प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए नया गुणवत्ता परिपक्वता मॉडल "क्वालिटी 360" विकसित और लॉन्च किया गया है। नित्य सुधार के लिए सभी प्रभागों (विनिर्माण इकाईयों, पावर सेक्टर क्षेत्रों, इंजीनियरिंग केन्द्रों) के क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स का मूल्यांकन किया जा रहा है।

प्राप्य प्रबंधन

कंपनी की नकदी की स्थिति में सुधार कंपनी के लिए एक फोकस क्षेत्र बना हुआ है। परियोजनाओं के समय पर निष्पादन, अनुक्रमिक आपूर्ति, बिलिंग एवं सत्यापन, तथा प्राप्य के संग्रहण और अनुलग्नक परिसंपत्तियों को संग्रहण योग्य रूप में रूपांतरण के लिए अनुलग्नकों को बंद करने के लिए लक्षित प्रयास कड़ाई से लागू किए जा रहे हैं। 2019–20 में, प्राप्त बिलिंग अनुपात का नकद संग्रह 114 प्रतिशत था, जो पिछले 10 वर्षों में सबसे अधिक है। संग्रहणीय देनदार में 22 प्रतिशत की कमी आई है।

कर्मचारी विकास एवं सहभागिता

कंपनी, नीतिगत और संरचनात्मक परिवर्तनों पर नई प्रेरणा के साथ साथ अपने कर्मचारियों के विकास में निवेश जारी रखे हुए है। व्यक्तियों और संगठन के बीच संरेखण में सुधार के लिए कई प्रगतिशील योजनाएं लागू की गई हैं। निष्पादन प्रबंधन प्रणाली में सुधार, कर्मचारी सहभागिता में वृद्धि, आंतरिक संचार को मजबूत करना, शिक्षण और विकास के लिए ई–प्लेटफ़ॉर्म आधारित प्रणालीयों का उपयोग और नेतृत्व विकास जैसी कुछ विशिष्ट पहलों पर कार्य चल रहा है।

परिचालनात्मक दक्षता

कार्य की गति और परिचालन क्षमता को बेहतर बनाने के लिए प्रक्रियाओं को डिजिटल सक्षम बनाना, जिसके अंतर्गत ई–ऑफिस का कार्यान्वयन और एक अद्यतन रिवर्स ऑक्शन दिशा निर्देश जैसी कुछ पहल लागू की गई हैं। परियोजना राजस्व पहचान से संबंधित प्रैक्टिस में परिवर्तन भी परिचालन दक्षता और क्षमता उपयोग को बढ़ाएगा।

परिवर्तन की इस यात्रा में, हमने पहले से ही जो कदम उठाए हैं, और जो प्रयास शुरु किए हैं, इनसे हम आने वाले वर्षों में निरंतर विकास के लिए एक मंच निर्धारित करने में सक्षम होंगे। (आगे का रास्ता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमें विश्वास है कि सफलतापूर्वक रूपांतरित बीएचईएल भारत में इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रमुख भूमिका निभाएगा)

व्यावसायिक खंडों की रूपरेखा एवं निष्पादन

पावर सेक्टर

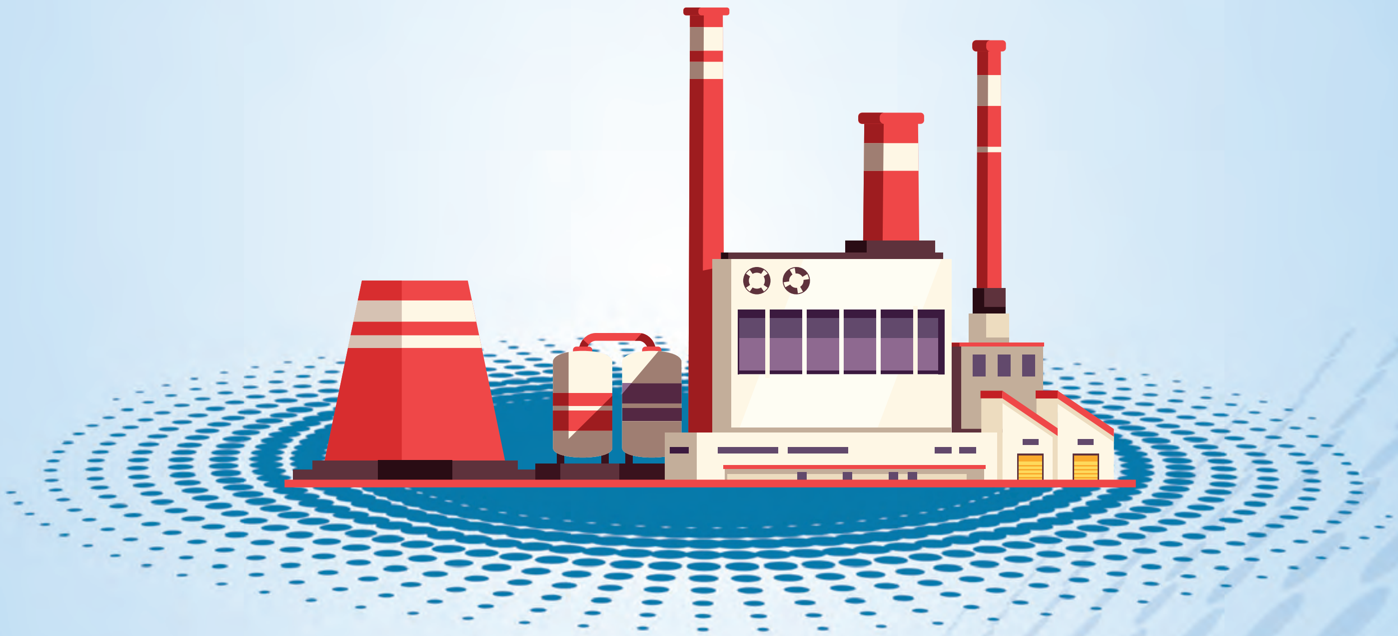

1.4 व्यवसाय खंडों की रूपरेखा और निष्पादन

संक्षिप्त विवरण

एक राष्ट्र के आर्थिक विकास का वहां के ऊर्जा क्षेत्र के विकास के साथ गहरा संबंध है। निरंतर आर्थिक विकास के लिए सस्ती दरों पर विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण ऊर्जा की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। भारत में वर्तमान में 31 मार्च 2020 तक 1,389 बिलियन यूनिट से अधिक वार्षिक विद्युत उत्पादन के साथ 370 गीगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता का आधार है। विद्युत क्षेत्र में वर्ष में पारंपरिक स्रोतों से लगभग 7 गीगावॉट की क्षमता वृद्धि देखी गई, जो मुख्य रूप से तापीय विद्युत संयंत्रों से है। दूसरी ओर, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) से क्षमता वृद्धि वर्ष में ˎ 9.4 गीगावॉट थी, जिसमें सौर ऊर्जा क्षमता का योगदान ˎ6.4 गीगावॉट का रहा है।

संस्थापित उत्पादन क्षमता

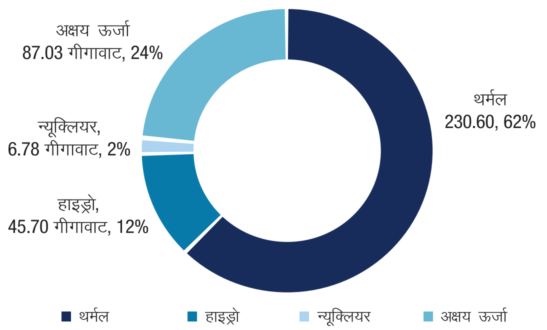

31 मार्च, 2020 को, स्रोत : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत मंत्रालय

1.4.1 पावर सेक्टर

वर्तमान व्यापारिक परिदृश्य

कई वर्षों से वार्षिक विद्युत उत्पादन की औसत वृद्धि दर 5–6 प्रतिशत रही है। वर्ष 2019–20 में विद्युत उत्पादन लगभग 1 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ लगभग स्थिर होगया है। विशेष रूप से, थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स से उत्पादन में 2.75 प्रतिशत की गिरावट आई है। हालांकि, सरकार ने विद्युत क्षेत्र सहित बुनियादी ढांचा क्षेत्र के विकास चक्र को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है। 2024–25 तक $ 5 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, भारत को बुनियादी ढांचे पर $ 1.5 ट्रिलियन (111 लाख करोड़ रुपए) खर्च करने की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, 2019–25 के लिए नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें ऊर्जा क्षेत्र (यानी पावर, आरईएस, परमाणु ऊर्जा और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस) को कुल निवेश योजना का 24 प्रतिशत आवंटित किया गया।

सरकार का लक्ष्य सभी परिवारों, उद्योग, वाणिज्यिक व्यवसायों और कृषि को 24X7 स्वच्छ और कम लागत की विद्युत उपलब्ध कराना है। राष्ट्र 100 प्रतिशत घरेलू विद्युतीकरण प्राप्त करने की कगार पर है। इसके अलावा, सरकार की पहल जैसे 'मेक इन इंडिया', 'स्मार्ट सिटीज़', '24X7 पावर फ़ॉर ऑल', आदि से आने वाले वर्षों में देश मेंविद्युत की मांग और अधिक बढने की उम्मीद है। रेलवे के विद्युतीकरण और ई–मोबिलिटी समाधान के विकास पर बल दिए जाने से विद्युत की मांग कोऔर बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित नीतिगत वातावरण और घरेलू विनिर्माण क्षेत्र के लिए सकारात्मक सुधार के प्रयासों के साथ, मध्यम अवधि में विद्युत की मांग और बढने की उम्मीद है, जिसके परिणामस्वरुप, विद्युत प्रणालियों में क्षमता वृद्धि की आवश्यकता होगी। सीईए की राष्ट्रीय विद्युत योजना के अनुसार 2027 तक विद्युत की मांग ˎ 2,050 बीयूतक होगी और सीईए की ऑप्टिमल जेनरेशन मिक्स रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक कोयला आधारित परियोजनाओं से स्थापित क्षमता वर्तमान स्तर ˎ 205 GW से बढकर ˎ 267 GW होगी। यह वर्तमान स्तरों से विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण क्षमताओं के पर्याप्त संवर्द्धन की आवश्यकता को रेखांकित करता है।

मौजूदा और आगामी थर्मल पावर प्लांट के लिए दिसंबर 2015 में अधिसूचित संशोधित उत्सर्जन मानदंडों के अनुसार, थर्मल पावर प्लांट में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण स्थापित करना जरुरी हो गया है। नवीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) व्यवसाय में भी महत्वपूर्ण अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है, क्योंकि आने वाले वर्षों में निलंबित पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम), एनओएक्स और एसओएक्स के लिए देश में उपयोगिताओं (यूटिलिटीज) के लिए नए पर्यावरण मानदंड लागू किए जा रहे हैं। उपयोगिताओं (यूटिलिटीज) से उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों के लिए आदेश देने से 2019–20 में और अधिक प्रगति हुई है। मौजूदा विद्युत संयंत्रों में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों की रेट्रोफिटिंग के लिए दोनों केंद्रीय और राज्य क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कई निविदाएं पाइपलाइन में हैं। हाल ही में थर्मल पावर प्लांट केटेंडरों में मुख्य संयंत्र उपकरण के साथ उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण को भी कार्यक्षेत्र के एक भागरूप मेंशामिल किया गया है और यह परम्परा आगामी परियोजनाओं में भी जारी रहने की उम्मीद है।

बीएचईएल ने देश भर में 1000 से अधिक संयंत्र स्थापित किए

पिछले कुछ वर्षों में पावर सेक्टर, ईंधन की आपूर्ति, मंजूरी में देरी और भूमि अधिग्रहण, वित्तपोषण और DISCOM के साथ पावर ऑफ–टेक समझौतों को प्राप्त करने जैसे विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहा है। सरकार इन मुद्दों को हल करने के लिए कई सुधार करने जा रही है, जिनमें DISCOMs को उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए चरणबद्ध और निष्पादन–लिंक तरीके से 90,000 करोड रुपए उधार देने की एक नई योजना शामिल है। कोयले की उपलब्धता में सुधार के साथ कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं की मुश्किलें कुछ आसान हो गई हैं। हालांकि, वितरण कंपनियों द्वारा देरी से भुगतान, गैस आपूर्ति की कमी, क्षेत्र में परिसंपत्तियों संबंधी मुश्किलों आदि से विद्युत उत्पादकों के लिए चुनौतियां बनी हुई हैं। नई क्षमताओं के लिए आदेश मुख्य रूप से सरकारी उपयोगिताओं (यूटिलिटीज) से ही मिलते हैं, निजी क्षेत्र अभी भी मौजूदा क्षमताओं के मुद्दों से जूझ रहे हैं।

हाल के दिनों में, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) आधारित क्षमता वृद्धि, विद्युत के पारंपरिक स्रोतों से क्षमता वृद्धि में आगे निकल गई है। हालांकि, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) पावर सेगमेंट ने पिछले कुछ वर्षों में विकास दर में गिरावट देखी है, जो सौर मॉड्यूल के लिए मूल्य वृद्धि, भूमि अधिग्रहण में समस्या, विद्युत की मांग में धीमी वृद्धि तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) डेवलपर्स और डिस्कॉम के बीच पुनः बातचीत और विद्युत खरीद समझौतों (PPA) का निरस्तीकरण आदि प्रमुख कारक है। कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के वर्षों तक परिचालन के लिए उनकी उपयुक्तता, देश में बड़े घरेलू कोयला भंडार को देखते हुए भारत के विद्युत उत्पादन में कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के मुख्य आधार बने रहने की उम्मीद है। इसके अलावा, प्रौद्योगिकी उन्नयन के माध्यम से दक्षता और उत्सर्जन के स्तर में उल्लेखनीय सुधार से कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्वच्छ और हरित विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम होंगे। हाइड्रो–इलेक्ट्रिक क्षमता, विशेष रूप से पंप भंडारण संयंत्रों, और गैस आधारित विद्युत संयंत्रों की वृद्धि में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (आरईएस) आधारित विद्युत उत्पादन का उच्च योगदान महत्वपूर्ण है, जो कि आरईएस आधारित विद्युत प्रणालियों की अंतर्निहित परिवर्तनशीलता द्वारा आवश्यक ग्रिड संतुलन और स्थिरीकरण आवश्यकताओं को पूरा करता है।

जल विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि एक संभावित समाधान प्रतीत होता है। भारत में अब तक 149 गीगावाट की विशाल जल–विद्युत क्षमता का केवल लगभग 38 प्रतिशत ही उपयोग में लाया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के 30 प्रतिशम से अधिक जलविद्युत संयंत्रों ने 30–35 वर्ष का परिचालन पूरा कर लिया है, जिससे उनके जीवन विस्तार, कार्य–निष्पादन और दक्षता उन्नयन के लिए नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम) क्षेत्र में व्यावसायिक सम्भावना बढ गई है।

आत्मनिर्भरता और दीर्घकालिक स्थिरता के लिए परमाणु ऊर्जा भारत के मिशन का एक अभिन्न अंग बनी हुई है। चरणबद्ध तरीके से फ्लीट मोड में 700 मेगावाट रेटिंग के 10 रिएक्टरों की स्थापना के भाग रूप, 10X700 मेगावाट पीएचडब्ल्यूआर (2X700 मेगावाट गोरखपुर–हरियाणा परमाणु ऊर्जा परियोजना (जीएचएवीपी) के अलावा) के लिए खरीद गतिविधियां न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा कार्यान्वयन केविभिन्न चरणों में हैं। यह एक महत्वपूर्ण व्यवसाय अवसर के रूप में फलित होने की उम्मीद है।

प्रस्ताव

थर्मल, गैस, जल–विद्युत और परमाणु विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन की सिद्ध क्षमताओं के साथ, बीएचईएल विश्व की उन कुछ कंपनियों में से एक है जिसके पास पावर प्लांट उपकरणों की पूरी श्रृंखला विनिर्माण की क्षमता है।

बीएचईएल के पास 1000 मेगावाट रेटिंग तक के स्टीम टरबाइन, जेनरेटर, बॉयलर और सहायक उपकरण सहित थर्मल विद्युत संयंत्रों के लिए अवधारणा से कमीशनिंग तक की निष्पादन क्षमता है। बीएचईएल को ईपीसी आधार पर 600/700/800 मेगावाट रेटिंग के सुपर क्रिटिकल थर्मल सेट के साथ कई प्रतिष्ठित परियोजनाओं के निष्पादन का अनुभव है।

बीएचईएल, थर्मल संयंत्रों के लिए सर्कुलेटिंग फ्लुडाइज्ड बेड कम्बशन (सीएफबीसी) बॉयलर जो पेट–कोक, लिग्नाइट इत्यादि जैसे कम–कैलोरीफिक ईंधन की विस्तृत श्रृंखला के लिए उपयुक्त है, का भी निष्पादन और आपूर्ति करता है। बीएचईएल खुले और कम्बाइंड साइकिल दोनों की विशिष्ट आवश्यकता की पूर्ति के`लिए 299 मेगावाट (आईएसओ) तक श्रेणी के लिए गैस टर्बाइन और मैचिंग जेनरेटर ऑफर करता है।

परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में, बीएचईएल उन कुछ संगठनों में से है, जो देश के स्वदेशी परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के सभी तीन चरणों में प्राथमिक और गौण रूप से जुडा है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए 220/235/500/540 मेगावाट परमाणु टरबाइन जेनरेटर सेट पहले से ही परिचालन में हैं। वर्तमान में, बीएचईएल 700 मेगावाट सेटों का निष्पादन कर रहा है।

बीएचईएल में 400 मेगावाट तक के फ्रांसिस और पेल्टन टरबाइनों, 100 मेगावाट तक के कपलान टरबाइनों और 10 मेगावाट तक के बल्ब प्रकार के कस्टम–निर्मित पारंपरिक हाइड्रो टरबाइनों की इंजीनियरिंग और विनिर्माण की क्षमता है। इसके अलावा, बीएचईएल में रिवर्सिबल पंप टर्बाइन (250 मेगावाट तक), लिफ्ट सिंचाई योजनाओं के लिए उच्च क्षमता वाले पंप (150 मेगावाट तक) और छोटे हाइड्रो पावर प्लांट के लिए टरबाइन की इंजीनियरिंग और विनिर्माण क्षमता है। बीएचईएल की विनिर्माण श्रेणी के अन्य हाइड्रो उत्पादों में कस्टम–मेड मुख्य पोल वर्टिकल सिंक्रोनस हाइड्रो जेनरेटर और लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (LIS) के लिए 400 मेगावाट तक कीमोटर और मैचिंग स्टैटिक/ब्रशलेस उत्तेजना प्रणाली के साथ–साथ 20 मेगावाट तक के क्षैतिज जनरेटर शामिल हैं।

थर्मल पावर संयंत्रों से संशोधित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक उपकरणों के संबंध में बीएचईएल इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिपिसिटेटर्स (ईएसपी), फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी), एनओएक्स नियंत्रण उपकरणों के इन–फर्नेस मॉडिफिकेशन सॉल्यूशंस के माध्यम से कस्टमाइज्ड समाधान प्रदान करता है। बीएचईएल ने न केवल स्वयं के निर्मित बॉयलरों बल्कि गैर–बीएचईएल अन्य विनिर्माताओं के बॉयलरों के लिए भी कणों (पार्टिकुलेट) के नियंत्रण के लिए ईएसपी की आपूर्ति की है।

कम्पनी ने नवीकरण, आधुनिकीकरण और विभिन्न प्रकार के विद्युत संयंत्र उपकरणों के उत्थान के माध्यम से संयंत्र के निष्पादन सुधार में सिद्ध विशेषज्ञता प्राप्त की है। इसके अलावा, अवशिष्ट जीवन मूल्यांकन, स्वास्थ्य निदान और संयंत्रों के जीवन विस्तार के बारे में भी विशेष ज्ञान प्राप्त है। बीएचईएल द्वारा अत्याधुनिक तकनीक के साथ ईएसपी, एफजीडी और सी एंड आई के लिए रेट्रोफिट पैकेज भी पेश किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

ऑर्डर बुकिंग

वर्ष 2019–20 में, भारतीय विद्युत क्षेत्र के सीमित बाजार में तीव्र प्रतिस्पर्धा और ऑर्डरों को पूरा करने में देरी देखी गई। चुनौतीपूर्ण कारोबारी माहौल के बावजूद, संगठन ने पावर सेक्टर में 13,784 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए हैं। इसमें थर्मल सेगमेंट में 9,257 करोड़ रुपए, हाइड्रो सेगमेंट में 463 करोड़ रुपए, परमाणु सेगमेंट में 966 करोड़ रुपए तथा पुर्जो और सेवाओं तथा आरएवंएम बिजनेस सेगमेंट में 3,098 करोड़ रुपए के ऑर्डर शामिल हैं।

वर्ष में प्राप्त महत्वपूर्ण यूटिलिटी आदेश हैं:

थर्मल

- 2X660 मेगावाट टीएचडीसीआईएल/खुर्जा (टीजी पैकेज)
- 3X660 मेगावाट एनपीजीसीएल/नबीनगर एसटीपीपी (एफजीडी पैकेज)
- 4X250 मेगावाट बीआरबीसीएल/नबीनगर (एफजीडी पैकेज)
- 3X200 + 3X500 + 1X500 मेगावाट एनटीपीसी/कोरबा एसटीपीएस स्टेज I, II और III (एफजीडी पैकेज)
- 3X200 + 3X500 मेगावाट एनटीपीसी/रामागुंडम एसटीपीएस स्टेज I और II (एफजीडी पैकेज)
- 2X250 मेगावाट एनएसपीसीएल/भिलाई विस्तार (एफजीडी पैकेज)
- 4X210 + 3X500 मेगावाट एनटीपीसी/कहलगांव स्टेज I और II (एफजीडी पैकेज)

हाइड्रो

- 3X27.5 मेगावाट के एसईबी/कुट्टियाडी एचईपी (आरएमयूवर्क्स)
- 6X33 + 1X8 मेगावाट पीएसपीसीएल/शाहपुरकंडी एचईपी (अतिरिक्त ऑर्डर)
- 1X70 मेगावाट टैंगेडको/कोडायार एचईपी (आरएमयू)
- 4X39 मेगावाट यूजेवीएनएल/चिल्ला एचईपी (आरएमयू)

परमाणु

- 2X1000 मेगावाट एनपीसीआईएल/कुडनकुलम 3 व 4 (द्वितीयक साइड निर्माण पैकेज)
- 2X1000 मेगावाट एनपीसीआईएल/कुडनकुलम 3 व 4 (प्राथमिक साइड निर्माण पैकेज सहित प्राथमिक पाइपिंग)

पुर्जे और सेवाएं

- 3X210 मेगावाट जीएसईसीएल वानकबोरी (ईएसपी रेट्रोफिट)
- 3X500 मेगावाट एनटीपीसी रामागुंडम (ईएसपी रेट्रोफिट)
- 4X330 टीपीएच आरआईएनएल वैजाग (ईएसपी रेट्रोफिट)

थर्मल सेक्टर में, 2X660 मेगावाट की टीएचडीसीआईएल/खुर्जा परियोजना का टीजी पैकेज पहला ऑर्डर है जिसे बीएचईएल ने अपने सहयोगी पर निर्भर न होकर अपनी स्वयं की योग्यता से प्राप्त किया है। इस ऑर्डर के साथ, बीएचईएल ने देश में सुपरक्रिटिकल सेटों के अपने कुल ऑर्डर टैली को स्टीम जेनरेटर्स (एसजी) के 56 सेट और टर्बाइन जेनरेटर्स (टीजी) के 51 सेट तक कर लिया है, जो देश में किसी भी एकल विद्युत संयंत्र उपकरण आपूर्तिकर्ता द्वारा उच्चतम है। इनमें से 23 एसजी सेट और 19 टीजी सेट को 31 मार्च, 2020 तक चालू कर दिया गया है।

उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय में अपने पिछले निष्पादन के आधार पर, बीएचईएल ने 2019–20 के दौरान एफजीडी के 29 सेटों के लिए जो ऑर्डर प्राप्त किए, उनमें एनटीपीसी और उसके संयुक्त उद्यम (जेवी) से 10.5 गीगावॉट की परियोजनाओं क लिए ऑर्डर शामिल हैं। भारत और विदेश में एफजीडी के 63 सेट और एससीआर के 11 सेटों के ऑर्डर प्राप्ति के साथ, बीएचईएल ने इस क्षेत्र में एकल सबसे बड़े बाजार हिस्सेदारी के साथ विनिर्माता के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल ने 2X800 मेगावाट एनटीपीसी तेलंगाना एसजी पैकेज और 3X250 मेगावाट एनटीपीसी बोंगाईगाँव एफजीडी पैकेज के लिए बदलाव के ऑर्डर प्राप्त किए हैं।

परमाणु सेंगमेंट में प्रस्तावों का विस्तार करते हुए, कंपनी कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र (रूसी सहयोग से स्थापित किए जा रहे) के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर प्राप्त करने में सफल रही है:

- 2X1000 MWe इकाइयों 3 और 4 केलिए टर्बाइन जेनरेटर (टीजी) द्वीप का निर्माण।
- 2X1000 MWe इकाइया 3 और 4 केलिए रिएक्टर साइड उपकरण का निर्माण: यह अपनी–तरह–का–प्रथम ऑर्डर है जिसमें बीएचईएल एक अन्य आपूर्तिकर्ता द्वारा विनिर्मित रिएक्टर साइड उपकरण के निर्माण में अपनी क्षमता प्रदान कर रहा है।

पुर्जों और सेवाएं व्यवसाय में, बीएचईएल ने दीर्घअवधि के पुर्जों की आपूर्ति हेतु 02 समझौते (एलटीएसएसएएस) किए।

- मेजिया, चंद्रपुरा, अंदल और कोडरमा परियोजनाओंकेमैक्स डीएनए की अप ग्रेडिंग के लिए डीवीसी के साथ।
- मिल स्पेयर्स के लिए सिंगरेनी कोलियरीज के साथ

परियोजनाओं का निष्पादन

बीएचईएल ने 2019–20 में 3,580 मेगावाट की क्षमता वृद्धि प्राप्त की, जो इस वर्ष में किसी एकल उपकरण निर्माता द्वारा प्राप्त की गई सबसे बड़ी क्षमता वृद्धि है। ये परियोजनाएं हैं:

- 2X660 मेगावाट ओपीजीसीएल/आईबी वैली टीपीएस की 02 इकाइयाँ
- 1X800 मेगावाट जीएसईसीएल/वनकबोरी टीपीएस की 01 इकाई
- 2X500 मेगावाट एनएलसी/नई नेवेली टीपीएस की 01 इकाई
- 2X660 मेगावाट आरवीयूएनएल/सूरतगढ़ टीपीएस की 01 इकाई
- 4X150 मेगावाट एनईईपीसीओ/कामेंग एचईपी की 02 इकाइयाँ

बीएचईएल ने वर्ष में 1,460 मेगावाट परियोजनाओं के लिए एसजी पैकेजों और 2,260 मेगावाट की परियोजनाओं के लिए ईएसपी पैकेज कोभ ी कमीशन किया है। इसके अलावा,

2 X 660 मेगावाट खुर्जा पॉवर प्रोजेक्ट के लिए टीजी पैकज की अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हुए बीएचईएल व टीएचडीसीआईएल अधिकारीगण

बीएचईएल द्वारा अरूणाचल प्रदेश में स्थापित 4 x 150 मेगावाट की मांग एचईपी, राज्य की सबसे अधिक रेटिंग वाला जल विद्युत संयंत्र है

इस वर्ष, बीएचईएल ने यूटिलिटी विद्युत परियोजनाओं से1,206.15 मेगावाट और लिफ्ट सिंचाई योजना से 2,103 मेगावाट सिंक्रोनाइज किया।

सिंक्रोनाइज की गई यूटिलिटी विद्युत परियोजनाएं

- 4X270 मेगावाट टीएसजीईएनसीओ/भद्राद्री (मनुगुरु) टीपीएस की 01 इकाई
- 2X500 मेगावाट एनएलसी/न्यू नेवेली टीपीएस की 01 इकाई
- 98.4 मेगावाट (जीटी–62.5 मेगावाट, एसटीजी–36.15 मेगावाट) एपीजीसीएल/नामरूप सीसीपी की एसटीजी (36.15 मेगावाट)
- 4X200 मेगावाट एनएचपीसी/पारबती स्टेज–प्प एचईपी की 02 इकाइयाँ

एसजी/ईएसपी परियोजनाएं

- 2X800 मेगावाट एनटीपीसी/दरलीपाली (एसजी और ईएसपी पैकेज) टीपीएस की 01 इकाई

बीएचईएल ने तेलंगाना में विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कलेश्वरम में पंपसेट स्थापित किए

- 3X660 मेगावाट एनपीजीसीएल/नबीनगर (एसजी पैकेज) टीपीएस की 01 इकाई
- 2X660 मेगावाट एनटीपीसी/टांडा (ईएसपी पैकेज) टीपीएस की 01 इकाई
- 2X800 मेगावाट एनटीपीसी/लारा (ईएसपी पैकेज) टीपीएस की 01 इकाई

लिफ्ट सिंचाई योजनाएं (2,103 मेगावाट):

- 7X139 मेगावाट I एवं सीएडी, तेलंगाना/कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना (एलआईएस) पैकेज–8 की ईकाइयाँ आई
- 7X116 मेगावाट I एवं सीएडी, तेलंगाना/कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) पैकेज–6 की 7 ईकाइयाँ आई
- 4X106 मेगावाट आई एवं सीएडी, तेलंगाना/कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना (एलआईएस) पैकेज–10 की 3 इकाइयाँ

बीएचईएल द्वारा उड़ीसा में स्थापित 2X260 मेगावाट आईबी वैली ताप विद्युत संयंत्र

बीएचईएल ने हिमाचल प्रदेश में 4X130 मेगा वाट पारबती एचईपी की चारों इकाइयां सफलतापूर्वक स्थापित की

वर्ष के लिए प्रमुख परियोजना निष्पादन माइलस्टोन में शामिल हैं:

- तमिलनाडु में 500 मेगावाट के नेवेली नई थर्मल पावर परियोजना जो देश में उच्चतम रेटिंग लिग्नाइट आधारित थर्मल इकाई है, के एक सेट की कमीशनिंग। संयंत्र वन्स–थ्रू टॉवर टाइप बॉयलर डिजाइन उपयोग करता है, जिसे देश में लिग्नाइट आधारित थर्मल यूनिट के लिए पहली बार अपनाया गया है।
- कामेंग एचईपी इकाइयों 1 एवं 2 के लिए क्षमता वृद्धि। अरुणाचल प्रदेश राज्य में किसी भी हाइड्रो पॉवर परियोजना के लिए 150 मेगावाट रेटिंग की इस परियोजना की सबसे बड़ी इकाई है। परियोजना में कमीशन किए गए फ्रांसिस टरबाइन को 501 मीटर के रेटेड हेड पर संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो देश में उच्चतम हेड फ्रांसिस टाइप हाइड्रोटरबाइन है।
- 3X60 मेगावाट बैरा सियूल आरएंडएम परियोजना की पहली इकाई आरएंडएम के बाद वापस परिचालन में आ गई।

1964 में अपनी स्थापना के बाद से, बीएचईएल ने 2019–20 तक भारत में 452 कोयला आधारित सेट, 420 हाइड्रो यूटिलिटी सेट, 102 गैस आधारित यूटिलिटी सेट और 12 परमाणु आधारित यूटिलिटी सेट स्थापित किए हैं। भारत में बीएचईएल आपूर्ति यूटिलिटी सेटों की स्थापित क्षमता् 160 गीगावाट है, जिसमें् 128 गीगावाट कोयला आधारित और 21 गीगावाट हाइड्रो आधारित उपकरण शामिल हैं। इसके साथ, देश की कुल स्थापित पारंपरिक क्षमता में बीएचईएल की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत है।

स्थापित क्षमता – यूटिलिटी*

3,01,670 MW (31 मार्च, 2020)

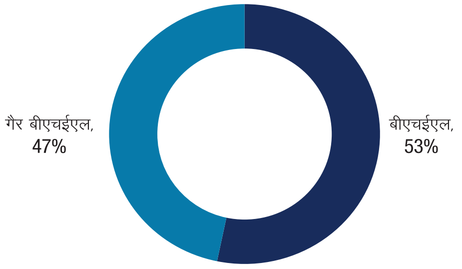

कोयला, गैस एवं सीसीपी, डीजल, न्यूक्लियर एवं हाइड्रो शामिल हैं;
इसमें अक्षय ऊर्जा शामिल नहीं है। संस्थापना के समय रेटिंग पर आधारित

उपकरण निष्पादन

देश के 994 बीयू के कुल जेनरेशन में 57 प्रतिशत योगदान बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए थर्मल यूटिलिटी (कोल बेस्ड) सेटों से है, जो कि बीएचईएल सेटों के बेहतर निष्पादन की पुष्टि करते हैं।

जेनरेशन – यूटिलिटी (कोयला एवं लिग्नाइट)

994 BU (2019–20)

बीएचईएल की पहली सुपरक्रिटिकल इकाई 660 मेगावाट बाढ़–4 ने 6 मार्च 2019 से 26 नवंबर 2019 (पीएलएफ 62%, ओए 74.1%) तक 265 दिनों के लिए निरंतर परिचालन के साथ, लगभग 42,630 घंटे का परिचालन किया है। बीएचईएल द्वारा आपूर्ति किए गए सभी सुपरक्रिटिकल सेटों में से इसका निरंतर परिचालन सबसे अधिक रहा।

परमाणु खंड में, बीएचईएल परमाणु ऊर्जा उपकरणों का उत्कृष्ट निष्पादन जारी है। नाभिकीय सेटों ने 85.3% का ओए दर्ज किया। 4 सेटों ने 300 दिनों से अधिक का निरंतर परिचालन किया है। इसके अलावा, बीएचईएल आपूर्ति उपकरणों से सुसज्जित एनपीसीआईएल कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की प्रत्येक 220 मेगावाट की इकाइयों 1 और 2 ने 90 प्रतिशत से अधिक प्लांट लॉड फैक्टर (पीएलएफ) प्राप्त किया।

कर्नाटक में कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र में बीएचईएल द्वारा विनिर्मित टर्बो जनरेटर सेट

31 इकाइयों के लिए संपूर्ण मुख्य संयंत्र पैकेज (टर्बाइन, बॉयलर, ईएसपी एंड मिल्स, जो लागू हो) के लिए निष्पादन गारंटी (पीजी) परीक्षण पूरा कर लिया गया। इसके अलावा, आरएंडएम परियोजनाओं में 18 इकाइयों के लिए पीजी परीक्षण पूरा किया गया।

इनमें, प्रगति बवाना मॉड्यूल– I एवं II में उच्चतम रेटिंग सीसीपीपी प्रोजेक्ट (2 जीटीजी + 2 एचआरसीजी + 1 एसटीजी – संयोजन) का पीजी परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसके अलावा, नबीनगर–3 टीजी और बॉयलर पीजी परीक्षण, ट्रायल रन से पहले पूरा किया गया।

बीएचईएल आपूर्ति उपकरणों के साथ पॉवर प्लांट का ऑपरेटिंग उपलब्धता (ओए), प्लांट

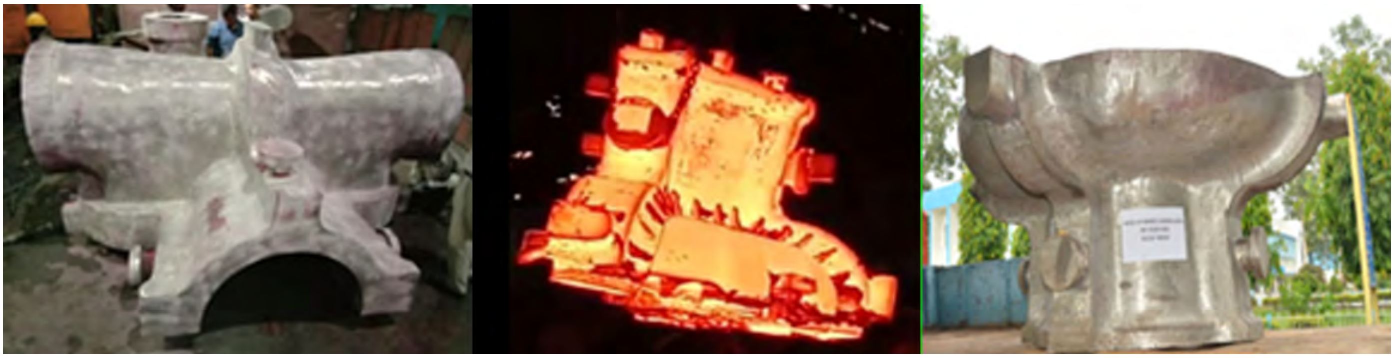

विश्व का सबसे बड़ी व भारी 625 ग्रेड मिश्र धातु कास्टिंग आईपी इनर केसिंग (एलएच– 21एमटी एवं यू एच –9एमटी) एयूएससी मिशन प्रोजेक्ट के लिए सीएफएफपी हरिद्वार में निर्मित की गई।

लोड फैक्टर (पीएलएफ), और आउटेज के संबंध में उत्कृष्ट निष्पादन जारी है। बीएचईएल सेट के निष्पादन की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल हैं:

- थर्मल सेटों ने 55.7 प्रतिशत का पीएलएफ और 84.9% का ओए दर्ज किया है। 2018–19 में 6,09,747 एमयू की तुलना में 5,65,983 एमयूका उत्पादन किया गया।
- 195 मेगावाट और उससे अधिक के सेटों (जो देश की विद्युत उत्पादन का आधार है) से उत्पादन पीएलएफ 56.2% और 85.3% ओए के साथ 5,53,278 एमयू तक पहुँचा है।
- 110 थर्मल सेट ने 70 प्रतिशत से ऊपर पीएलएफ प्राप्त किया; 12 थर्मल सेट ने 90 प्रतिशत से ऊपर पीएलएफ प्राप्त किया; 35 थर्मल सेट ने 80 प्रतिशत से 90 प्रतिशत के बीच पीएलएफ प्राप्त किया; 63 थर्मल सेटों ने 70 प्रतिशत से 80 प्रतिशत के बीच पीएलएफ प्राप्त किया।
- 192 थर्मल सेटों ने 90 प्रतिशत से ऊपर ओए दर्ज किया है।
- 660 / 700 / 800 मेगावाट सेटों ने पीएलएफ 40.2% और ओए 72.1% दर्ज किया हैं।
- 490 / 500 / 520 / 525 / 600 मेगावाट सेटों ने 63.3% का पीएलएफ और 87.2% का ओए दर्ज किया है।
- 250 / 270 मेगावाट सेटों ने 52.8% का पीएलएफ और 87.2% का ओए दर्ज किया है।
- 195 / 200 / 210 मेगावाट सेटों ने पंजीकृत पीएलएफ 51.6% और ओए 86.0% दर्ज किया है।

परिचालन उपलब्धता की गणना करते समय निम्न प्रणाली मांग, कोयले की कमी और आरक्षित शट डाउन की इकाइयों को शामिल किया जाता है। पीएलएफ और ओए गणना के लिए, केवल स्थिर अवधि यानी सीओडी के बाद की अवधि को लिया गया है।

नवीनीकरण और आधुनिकीकरण (आर एंड एम)

वर्ष के दौरान, बीएचईएल ने विभिन्न ग्राहकों के लिए पांच इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रीसिपिटेटर्स कार्य के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण सफलतापूर्वक संपन्न किए, एपीसीपीएल झज्जर यूनिट # 1 एवं 3 आरएंडएम के दहन संशोधन, और टीएएनजीइडीसीओ तूतीकोरिन यूनिट 1 की कंडेनसर आरएंडएम। अदानी दहानू यूनिट # 1 के लिए फ्लैक्जीबल स्टडी ऑपरेशन भी पूरे हुए।

समय पर परियोजना के पूरा करने, उपकरण निष्पादन और बिक्री के उपरांत सेवाएं (एसएएस) में सुधार के माध्यम से ग्राहकों को उच्च वरीयता प्रदान करने के लिए बीएचईएल के प्रयासों को विभिन्न ग्राहकों द्वारा सराहा गया है:

- एपीएच–बी मॉड्यूल इरेक्शन को 25 दिनों की रिकॉर्ड अवधि में पूरा करना –एनएसपीसीएल
- सीईएससी की यूनिट –3 की ओवरहालिंग जॉब
- जमशेदपुर साइट पर मूक भाप उड़ाने का कार्य सम्पन्न करना – टाटा स्टील
- हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेफ्टी वाल्व का ट्रायल ऑपरेशन और हाइड्रोलिक गैगिंग, जिसके परिणामस्वरूप बाढ एसटीपीपी में बॉयलर यूनिट –1 के लिए तय समय में हाइड्रो टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- भुसावल टीपीएस यूनिट –5 में कैप्टिल ओवरहाल – महाजेनको
- यूनिट # 1 में कंडेंसर रेट्रोफिटिंग – टेनजेनको तूतीकोरिन
- 1000 मेगावाट जनरेटर का प्रतिस्थापन – एनपीसीआईएल, कुडनकुलम

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

पांच दशकों से अधिक के अपने समृद्ध अनुभव का उपयोग करते हुए, बीएचईएल राष्ट्र के विद्युत क्षेत्र के उपकरण खंड के विकास की अगुवाई कर रहा है। संगठन विभिन्न क्षेत्रों में विश्व नेतृत्व कर रही प्रौद्योगिकी का न केवल स्वदेशीकरण कर रहा है, बल्कि उसने अपने तकनीकी–व्यावसायिक नेतृत्व को बनाए रखने और विद्युत क्षेत्र की चुनौतियों और अवसरों का पता लगाने के लिए अत्याधुनिक इन–हाउस विनिर्माण बुनियादी ढांचे और क्षमताओं का भी निर्माण किया है।

उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय में, संशोधित उत्सर्जन मानदंडों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए डेवलपर्स की अपेक्षाओं को पूरा करते हुए, बीएचईएल नई परियोजनाओं के लिए और साथ ही पहले से परिचालन में लगे सेटों के लिए अनुकूलित उत्सर्जन नियंत्रण समाधान प्रदान करता है। अपनी प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकियों में निरंतर सुधार के माध्यम से, बीएचईएल उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण व्यवसाय के पूरे स्पेक्ट्रम के लिए एफजीडी डोमेन में अपने बाजार नेतृत्व का विस्तार करने के लिए तैयार है।

पुरानी सबक्रिटिकल क्षमता का उच्च दक्षता वाली नई सुपरक्रिटिकल क्षमता केसाथ प्रतिस्थापन से पुराने संयंत्रों के निराकरण केलिए समाधान मिल सकता है। बीएचईएल ऐसी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डेवलपर्स को इष्टतम तकनीकी–आर्थिक समाधान प्रदान करने के लिए तैयार है।

ग्रिड में आरईएस आधारित विद्युत प्रणालियों के बड़े पैमाने पर प्रवाह के साथ, थर्मल पावर प्लांटों के लिए फ्लेक्सिबिलेशन समाधानों की आवश्यकता होगी, जिन्हें गैस और हाइड्रो आधारित परियोजनाओं के अनुरूप काम करना पड़ सकता है। साथ ही, आगामी विस्तार परियोजनाओं में स्थान की कमी और परियोजनाओं के लचीले और दो–शिफ्ट संचालन की आवश्यकता को देखते हुए, भविष्य में कम रेटिंग वाली सुपरक्रिटिकल परियोजनाओं की आवश्यकता उभरकर सामने आ सकती है। बीएचईएल ने इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाधान विकसित किया है और ग्राहकों को अधिक मूल्य प्रदान करने के लिए ऐसे समाधानों के और अधिक अनुकूलन केलिए काम कर रहा है।

बीएचईएल देश के पहले उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी आधारित प्लांट, जो एनटीपीसी और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च (आईजीसीएआर) के साथ संयुक्त रूप से शुरू की गई एक अग्रणी आरएंडडी परियोजना है, के स्वदेशी विकास में पहले से ही

अग्रणी रहा है। परियोजना के लिए आरएंडडी चरण संपन्न होने वाला है और बीएचईएल ने प्रौद्योगिकी प्रदर्शन संयंत्र की स्थापना करने हेतू एक जेवी स्थापित करने के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रौद्योगिकी के विकास से न केवल दक्षता में क्वांटम उछाल में मदद मिलेगी, बल्कि कोयले की खपत के साथ–साथ सीओ2 उत्सर्जन का स्तर भी कम होगा।

बीएचईएल अपने मौजूदा सेटों के निष्पादन सुधार के लिए उपयोगिताओं के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण और लाइफ एक्सटेंशन में अपना अनुभव उपलब्ध कराने का प्रस्ताव प्रदान करता है। बीएचईएल अपने पुर्जों और सेवाओं के कारोबार सहित ग्राहकों के लिए अपने मूल्य प्रस्तावों को बढ़ाने के लिए डिजिटल तकनीकों का भी उपयोग कर रहा है।

कंपनी अपने पावर सेक्टर पोर्टफोलियो में जल प्रबंधन प्रणाली, एयर कूल्ड कंडेनसर, बीओपी सिस्टम, उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण चुनिंदा गैर–उत्प्रेरक रिडक्शन आदि जैसे नए उत्पादों को शामिल करने के साथ अपने प्रस्ताव के क्षेत्रों को भी बढ़ा रही है।

हाइड्रो और गैस, उनकी तीव्र स्टार्ट–अप और रैंपिंग क्षमताओं को देखते हुए, ऊर्जा मिश्रण में आरईएस की बढ़ती हिस्सेदारी के साथ, ग्रिड स्थिरता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाइड्रोपावर सेगमेंट में, संगठन ने 400 मेगावाट रेटिंग तक के हाइड्रो सेट बनाने की अपनी क्षमताओं को बढ़ाया है। बीएचईएल भी लिफ्ट सिंचाई योजना परियोजनाओं हेतु बड़े आकार के पंप–मोटर्स में एक अग्रणी खिलाड़ी के रूप में उभरा है और पंप की गई भंडारण परियोजनाओं की भावी मांग को पूरा करने के लिए क्षमताओं का विकास भी कर रहा है।

हाइड्रो सेक्टर में ईपीसी व्यवसाय की सम्भावनाओं के मद्देनजर, बीएचईएल ने सिविल और हाइड्रो मैकेनिकल कार्यों के लिए कंसल्टेंसी सेवाओं और ईपीसी हाइड्रो परियोजनाओं में संयुक्त बोली लगाने के लिए एनएचपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया है।

परमाणु खंड में, बीएचईएल आगामी पीएचडब्ल्यूआरएस, जो एनपीसीआईएल द्वारा फ्लीट मोड के अंतर्गत खरीदे जा रहे हैं, के लिए ईपीसी आधार पर 700 मेगावाट टीजी द्वीप व्यवसाय के लिए पूरी तरह तैयार है। प्राथमिक साइड उपकरणों के लिए, बीएचईएल ने अपनी बेजोड़ इंजीनियरिंग और तकनीकी क्षमता के साथ, एनपीसीआईएल को पूरी तरह से समर्थन दिया है और त्रिची में अपने प्रमुख विनिर्माण संयंत्र में अपनी विनिर्माण क्षमताओं के समेकन में प्रतिबद्ध है। बीएचईएल परमाणु परियोजनाओं में अपने प्रस्ताव का विस्तार भी कर रहा है जो कुडनकुलम 2X100 मेगावाट इकाई 3 और 4 में विदेशी सहयोग (रूस) के अंतर्गत स्थापित किए जा रहे हैं।

परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में राष्ट्र की प्रविष्टि में मदद करने के लिए, बीएचईएल ने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र (बीएआरसी) के साथ मिलकर 300 मेगावाट उन्नत भारी जल रिएक्टर (एएचडब्ल्यूआर) परमाणु ऊर्जा संयंत्र का द्वितीयक टरबाइन चक्र विकसित किया है। परमाणु ऊर्जा में अन्य उभरते अवसरों का दोहन करने के लिए, कंपनी अपनी क्षमताओं को और मजबूत कर रही है। अपनी मजबूत विनिर्माण क्षमता के साथ, बीएचईएल परमाणु परियोजनाओं में अपने योगदान को बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

बीएचईएल का लक्ष्य अपने ग्राहकों को इस क्षेत्र में बदलाव के प्रति सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए उच्च मूल्य के प्रस्ताव प्रदान करना है।

एचपीईपी हैदराबाद स्थित अत्याधुनिक टरबाइन ब्लेड शॉप

बीएचईएल
निर्मित विद्युत उपयोगिता (यूटिलिटी) संस्थापना
31.03.2020 तक स्थापित

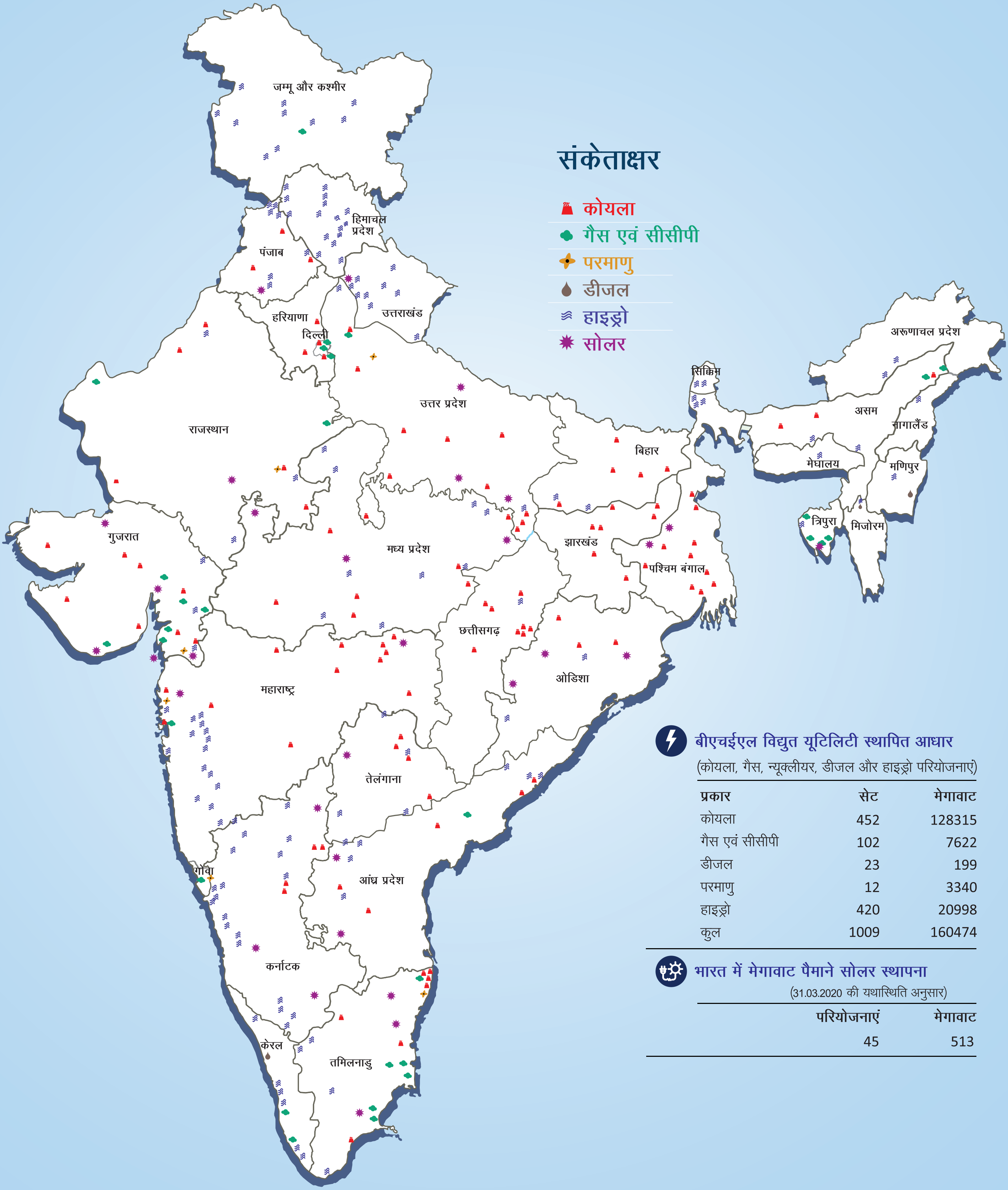

बीएचईएल विद्युत यूटिलिटी स्थापित आधार
(कोयला, गैस, न्यूक्लीयर, डीजल और हाइड्रो परियोजनाएं)

प्रकार	सेट	मेगावाट
कोयला	452	128315
गैस एवं सीसीपी	102	7622
डीजल	23	199
परमाणु	12	3340
हाइड्रो	420	20998
कुल	1009	160474

भारत में मेगावाट पैमाने सोलर स्थापना
(31.03.2020 की यथास्थिति अनुसार)

परियोजनाएं	मेगावाट
45	513

व्यावसायिक खंडों की रूपरेखा एवं निष्पादन

उद्योग क्षेत्र

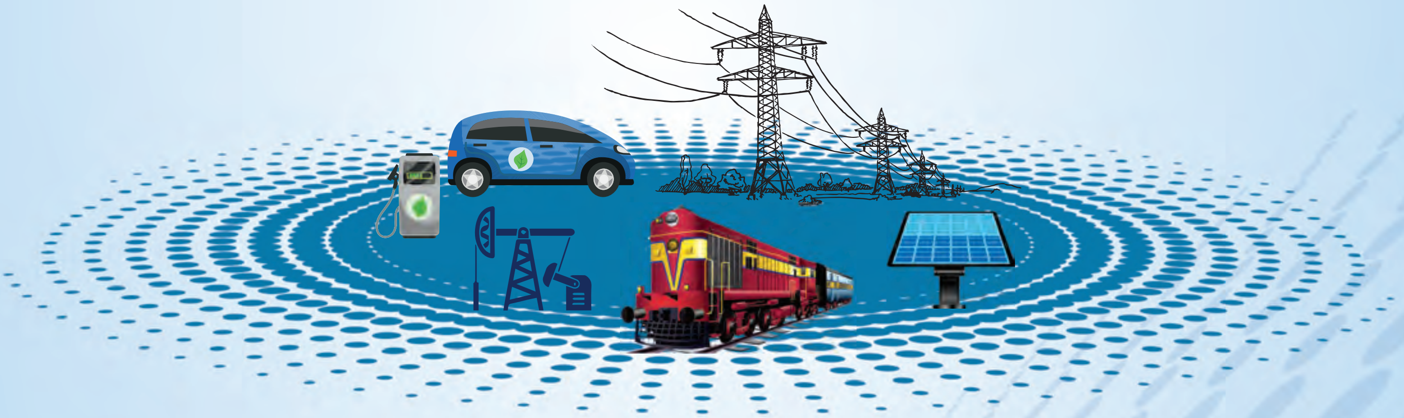

1.4.2 उद्योग क्षेत्र

संक्षिप्त विवरण

उद्योग क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के लिए औद्योगिक प्रणालियों और उत्पादोंकी एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। कंपनी के गैर–कोयला आधारित व्यापार के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, उद्योग क्षेत्र जिसमें बाजार केंद्रित समूह शामिल हैं, परिवहन, ट्रांसमिशन, नवीनीकरण, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और ई–मोबिलिटी, जल प्रबंधन, रक्षा और एयरोस्पेस, कैप्टिव पावर जनरेशन तथा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल औद्योगिक उत्पाद के लिए व्यापक समाधान प्रदान करता है।

2019–20 के दौरान, उद्योग क्षेत्र ने 8,757 करोड़ रुपए के ऑर्डर प्राप्त किए हैं, जिसमें सौर, रक्षा और एयरोस्पेस और ट्रांसमिशन उत्पादों के क्षेत्रों से अभी तक के सबसे उच्च मूल्य के ऑर्डर शामिल हैं। उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा के बावजूद, पिछले नौ वर्षों में ऑर्डर बुकिंग सबसे अधिक रही है, और लगातार 3 वर्षों से यह 7000 करोड़ रुपए से अधिक रही है।

एचपीईपी हैदराबाद में कैप्टिव प्लांट जनरेटर की वाइंडिंग का कार्य

1.4.2.1 परिवहन

व्यावसायिक वातावरण और अवसर

घरेलू परिवहन क्षेत्र तीव्र, सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय तकनीकोंकोअपना रहा है। भारतीय रेलवे द्वारा अपने सिस्टम को अपग्रेड करने के साथ, भारतीय रेलवे के पूंजीगत निवेश परिव्यय में वृद्धि ने विद्युतीकरण, पटरियों के उन्नयन, सिग्नलिंग, स्टेशन विकास आदि के लिए जोर दिया है। यहॉं नए प्रकार के रोलिंग स्टॉक जैसे कि ट्रेनसेट, उच्च हॉर्स पावर (एचएचपी) लोको, वातानुकूलित इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयू) और मेनलाइन ईएमयू की आवश्यकता है। अगले कुछ वर्षों में औसत वार्षिक मांग लगभग 300–400 ईएमयू / मेमू कोचों के होने की उम्मीद है। वित्त वर्ष 2018–19 में इन–हाउस विकसित सेमी–हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस को चालू करने के बाद, भारतीय रेलवे अतिरिक्त 44 ऐसे ट्रेन सेट को शामिल करने की योजना बना रहा है।

दो मिलियन से अधिक की आबादी वाले शहरों में मास रेपिड ट्रांसिट परियोजनाओं, और छोटे शहरों में लाइट रेल/मोनोरेल कार्य के लिए राज्य अधिकारियों के साथ विचार–विमर्श किया जा रहा है। शहरी परिवहन क्षेत्र भी बढ़ रहा है। 50 से अधिक शहरों में मेट्रो परियोजनाओं की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।

टीपी झांसी में भारतीय रेल के लिए निर्माणाधीन डब्ल्यूएजी–9 लोकोमोटिव

बीएचईएल प्रस्ताव

रोलिंग स्टॉक

- 9000 एचपी तक के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
- 3000–एचपी तक केडीजल–इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव
- डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कारें

- **ट्रैक्शन मशीनें**
- ट्रैक्शन मोटर्स और अल्टरनेटर्स
- **ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम और नियंत्रण**
  - ट्रैक्शन और सहायक कनवर्टर के रोलिंग स्टॉक के लिए आईजीबीटी आधारित प्रणोदन प्रणाली।
  - रेल नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली और वाहन नियंत्रण इकाई
  - होटल लोड कनवर्टर और कम्पोजिट कनवर्टर
  - पारंपरिक रोलिंग स्टॉक के लिए नियंत्रण गियर उपकरण
  - पारंपरिक रोलिंग स्टॉक के लिए रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम
- **इलेक्ट्रिक लोको और एसीईएमयू/मेमू के लिए ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर**
- **रोलिंग स्टॉक के लिए पारंपरिक ट्रैक्शन इलेक्ट्रिक्स**

प्राप्त ऑर्डरः

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान परिवहन क्षेत्र ने ऑर्डर बुकिंग में उल्लेखनीय उपलब्धि दर्ज की है। प्राप्त महत्वपूर्ण ऑर्डर इस प्रकार हैं:

- **पहली बार विकासात्मक ऑर्डर प्राप्त हुएः –**
- रेलवे निदेशक मंडल से रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग के साथ 25 डब्ल्यूएजी –7 इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण व आपूर्ति के लिए।
- सीएलडब्ल्यू, चितरंजन से 7775 केवीए ट्रासफार्मर रेटिंग के लिए 2 सेट व 6531 केवीए ट्रासफार्मर रेटिंग के लिए एल्यूमीनियम टैंक
- ट्रांसफार्मर के लिए एल्यूमीनियम टैंक के 3 सेट की आपूर्ति के लिए।
- पश्चिम रेलवे से डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कार के लिए ट्रैक्शन इंजन और अंडरस्लांग टाइप इलेक्ट्रिक्स के 10 सेटों के लिए।
- जेएसडब्ल्यू, डोल्वी से पर्यावरण अनुपालन यूएस ईपीए टायर II के साथ तीन 1400 एचपी डीजल के लिए, यह भारत में पहली बार निर्मित किया जाएगा।
- लोकोमोटिव के आईजीबीटी आधारित प्रणोदन प्रणाली के व्यापक एएमसी के साथ 75 डब्ल्यूएजी–9एच इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण और आपूर्ति के लिए रेलवे निदेशक मंडल से प्रतिष्ठित ऑर्डर।
- 818 3–फेज ट्रैक्शन मोटर टाइप 6एफआरए–6068 –डीएलडब्ल्यू, वाराणसी से सबसे बड़ा ट्रैक्शन मोटर ऑर्डर।
- सीएलडब्ल्यू, चितरंजन से आईजीबीटी आधारित कम्पोजिट कनवर्टर के 30 सेट हेतु पहला नियमित ऑर्डर।

बीएचईएल द्वारा भारतीय रेलवे को आपूर्ति हेतु निर्मित रिट्रोफिटिंड रीजेनरेटिव सिस्टम वाला 5000 एचपी डबल्यूएजी–7 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव

अन्य उपलब्धियांः

- सेंट्रल रेलवे की पहली वातानुकूलित स्थानीय ट्रेन जिसे आईसीएफ और बीएचईएल द्वारा बनाया गया है, 31.01.2020 को ठाणे से पनवेल के लिए यात्री सेवा में लगाई गई है।
- पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के लिए नौ वातानुकूलित एसीईएमयू लोकल ट्रेनों को सफलतापूर्वक कमीशन किया गया।
- विभिन्न जोनल रेलवे के लिए 53 डीजल इलेक्ट्रिक टॉवर कारें कमीशन और रवाना की गईं।
- 3–फेज यात्री लोकोमोटिव पर बीएचईएल निर्मित आईजीबीटी आधारित कम्पोजिट कनवर्टर (ट्रैक्शन कन्वर्टर और होटल लोड कनवर्टर का संयोजन) विकसित और कमीशन किया गया।
- एचईपी भोपाल में पारंपरिक डब्ल्यूएजी –7 प्रकार के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के लिए प्रोटोटाइप आईजीबीटी आधारित पुनर्जनन प्रणाली के विकास के लिए उत्पाद विकास में इनोवेशन श्रेणी केअंतर्गत बीएचईएल को एआईएमए इनोवेशन प्रैक्टिशनर केस स्टडी अवार्ड से सम्मानित किया गया।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

- **प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता**
  - सभी प्रकार केरोलिंग स्टॉक के लिए आईजीबीटी आधारित प्रणोदन प्रणाली के डिजाइन और निर्माण के लिए पूर्ण इन–हाउस क्षमता है। वातानुकूलित एसी ईएमयू के लिए ट्रेन नियंत्रण प्रबंधन प्रणाली सहित आईजीबीटी आधारित प्रणोदन प्रणाली विकसित की गई है। डीई लोकोमोटिव, डेमू और मेमू के लिए आईजीबीटी आधारित प्रणोदन उपकरण का विकास, और 3–फेस इलेक्ट्रिक इंजन के लिए आईजीबीटी आधारित कम्पोजिट कनवर्टर कार्य भी बीएचईएल द्वारा किए गए हैं।
  - मौजूदा उत्पादों के लिए बेहतर तकनीक विकसित की गई
  - डब्ल्यूएजी–7 लोकोमोटिव के लिए रिजेनेरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम
  - 3 फेस इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए कम्पोजिट कनवर्टर
  - 9000 एचपी लोको के लिए अपग्रेडेशन किट

नए अवसर

- मेट्रो और हाई स्पीड रेल के क्षेत्रों में व्यावसायिक संभावनाएं।
- उभरते हुए अवसरों में उत्पाद प्रस्ताव का विस्तारः
  - उच्च गति संचालन के लिए लोकोमोटिव।
  - भारतीय और विदेशी बाजारों हेतु शंटिंग प्रयोग के लिए आईजीबीटी आधारित 3000 एचपी डीई लोको।
  - डीजल लोकोमोटिव्स को इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में बदलना
  - ट्रैक मशीनें

1.4.2.2. पारेषण

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा के 175 गीगावॉट के भारत सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम को महत्वपूर्ण विस्तार और मजबूती की आवश्यकता होगी और ग्रिड स्तर पर ऊर्जा भंडारण प्रणाली एकीकरण के साथ–साथ विद्युत की निकासी के अवसर प्रदान करेगा।
- अधोसंरचना परियोजनाओं में निवेश के लिए पंच वर्षीय योना के रोडमैप के अनुसार (अवसंरचना पाइपलाइन रिपोर्ट के अनुसार) पारेषण व्यापार के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।
- टीसीबीसी (टैरिफ आधारित प्रतियोगी बोली प्रक्रिया) के अंतर्गत ट्रांसमिशन परियोजनाओं

के निष्पादन (उपकेंद्रों,पारेषण लाइनों) का बढ़ता रूझान है, जिसके भविष्य में भी जारी रहने की आशा की जाती है।

- गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन (जीआईएस) परियोजनाएं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में अपना वर्चस्व बनाए रखेंगी, जिसका मुख्य कारण विश्वसनीय प्रौद्योगिकी, गिरती जीआईएस कीमतें, अनुकूलित भूमि की आवश्यकता और ओ एंड एम व्यय में कमी है ।

प्रस्ताव

- ईपीसी और यूएचवी सबस्टेशन और ईपीसी आधार पर एचवीडीसी कनवर्टर स्टेशनों सहित अवधारणा से कमीशनिंग तक टर्नकी ट्रांसमिशन परियोजना का निष्पादन।
- 765 केवी, 1200 केवी सीवीटी और 1200 केवी के ट्रांसफॉर्मर और शंट रिएक्टर ऑटो ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर (सीटी, पीटी), ट्रैक्शन पावर ट्रांसफॉर्मर, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर, वैक्यूम और एसएफ 6 स्विचगियर, कैपेसिटर बैंक, सर्किट ब्रेकर, कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन उपकरण, थाइरिस्टरवाल्व, आदि
- 420 केवी तक के गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस)
- सिरेमिक और कंपोजिट इन्सुलेटर बीएचईएल के पास ईएचवी और यूएचवीएसी /डीसी अनुप्रयोगों के लिए 1200 केवीएसी, 800 केवी डीसी के डिस्क, 400 के वी तक के ठोस कोर इंसुलेटर और 765 के वी एसी तक के हौलो पोर्सलेन इंसुलेटर के लिए डिस्क इंसुलेटर की एक श्रृंखला उपलब्ध है।
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) 400 केवी लाइनों के लिए फिक्स्ड सीरीज़ कॉम्पेंसेशन जैसे डिवाइस, 765 केवी तक के अनुप्रयोगों के पावर फ्लो को

800 केवी क्लास सिंगल केस एचवीडीसी कनवर्टर ट्रांसफार्मर के लिए 295–1 एमवीए, 800 केवी, एचवीडीसी ट्रांसफार्मर की एचईपी भोपाल से रवानगी

नियंत्रित और संतुलित करने के लिए कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर) और फेज़ शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर (पीएसटी)।

प्रमुख आदेश प्राप्त

- 48570 एमवीए (कुल 247 नग) ट्रांसफॉर्मर की अब तक की सर्वाधिक बुकिंग।
- पावर ग्रिड से पहली बार 765 केवी ट्रांसमिशन सिस्टम में 1565 एमवीए तक की कुलमानक रेटिंग केलिए 765 केवी ट्रांसफर्मर और रीएक्टर्स के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से आदेश।
- एचपीपीएनएल के लिए मेसर्स एआईएल (एंजेलिक इंटरनेशनल लिमिटेड) और मैसर्स टीबीए प्रत्येक से प्राप्त 26 पैनलों में से 33 केवी गैस इंसुलेटेड स्विचगियर के दो ऑर्डर।
- पावरग्रिड के सबस्टेशन विस्तार पैकेज – सोलापुर, औरंगाबाद और वर्धा में 765 केवी सबस्टेशन, राजगढ़, खण्डवा, चंपा, इटारसी और जबलपुर में 400 केवी सबस्टेशन
- पावरग्रिड के सबस्टेशन विस्तार पैकेज –,टीबीसीबी मार्ग के माध्यम से फतेहगढ़ और भडला में 765 केवी सबस्टेशन
- आईओसीएल – पानीपत रिफाइनरी 220 के वी जीआईएस ईपीसी प्रोजेक्ट।
- भारतीय रेलवे के आठ 42 एमवीए 220 केवी ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर का विकास श्रेणी के अंतर्गत ऑर्डर।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- 765 केवी ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों के लिए पीजीसीआईएल से पहला ऑर्डर प्राप्त करने में बड़ी सफलता ।
- निम्नलिखित से सब स्टेशन कमीशनिंग के बाद टेकिंग ओवर प्रमाणपत्र प्राप्त
  - पावर ग्रिड तुमकुर–मैसूर
  - पावरग्रिड यलहंका
  - एनपीजीसीएल नबीनगर
- लगभग 9 वर्षों के अंतराल के बाद प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पावरग्रिड में 400 केवी आईसीटी में पुनः प्रवेश।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

यूएचवीएसी और यूएचवीडीसी प्रणालियां:

बीएचईएल ने 765 केवी श्रेणी के ट्रांसफॉर्मर और रिएक्टरों का सफलतापूर्वक डिजाइन, निर्माण, आपूर्ति और कमीशनिंग की है, और बीएचईएल के पास यूएचवीडीसी उपकरणों के लिए विनिर्माण सुविधाएं जैसे कि कन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर, थायरिस्टर वाल्व, फिल्टर कैपेसिटर इत्यादि और यूएच एसी एवं डीसी अनुप्रयोगों के लिए, 1200 केवी ट्रांसफॉर्मर, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर हैं। 420 केएन और 530 केएन डिस्क इंसुलेटर भी सफलतापूर्वक संस्थापित कर दिए गए हैं और परिचालन में हैं।

बीएचईएल ने विश्व के सबसे बड़े 800 केवी के बहुटर्मिनल एचवीडीसी परियोजना (एनई आगरा) के लिए द्विध्रुवीय–1 और द्विध्रुवीय–2 दोनों को सफलतापूर्वक कमीशन कर दिया है जो सितंबर 2017 के बाद वाणिज्यिक परिचालन में हैं। बीएचईएल ने सभी प्रमुख आपूर्तियों को पूरा कर दिया है, जिनमें रायगढ़ पुगलूर एचवीडीसी परियोजना के लिए ओपन लाइन टैस्टिंग के साथ पोल 1 और पोल 2 दिसंबर 2019 को पूरे किए गए . 800 केवी के कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर तथा थाइरिस्टर वाल्व शामिल हैं। यूएसवी सीए और एचवीडीसी सेगमेंट में भविष्य की बाजार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बीएचईएल अब पूरी तरह से तैयार है।

पानीपत रिफाइनरी में 220 केवी ग्रिड पावर आयात की आईएसबीएल कार्य के लिए आईओसीएल के 220 केवी जीआईएस स्विचायार्ड और संबद्ध प्रणालियों के आदेश के साथ बीएचईएल ने पावर सिस्टम ऑग्मेंटेशन व्यवसाय में सफलतापूर्वक प्रवेश किया गया। यह अपने प्रकार का पहला ऑर्डर है जिसमें लोड मैनेजमेंट सिस्टम, फॉल्ट करेंट लिमिटर्स आदि जैसे सिस्टम्स शामिल हैं।

पावरग्रिड के साथ एक करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं बीएचईएल निर्मित डिजिटल सबस्टेशन समाधान के लिए जिसमें पावर ग्रिड के भिवाड़ी सब–स्टेशन मेंबीएचईएल निर्मित 400 के वी फाइबर ऑप्टिक करेंट ट्रांफॉर्मर (एफओसीटी), मर्जिंग यूनिट (एमयू), स्विचगियर कंट्रोलर (एसजीसी) और बे–कंट्रोल यूनिट (बीसीयू) को क्षेत्र परीक्षण में उतारा जाएगा। इसके कार्यान्वयन केबाद, बीएचईएल भारत सरकार के मेक इन इंडिया अभियान का समर्थन करते हुए स्वदेशी प्रौद्योगिकी प्रदान करने की स्थिति में होगा।

गैस इंसुलेटेड स्विचगियर (जीआईएस):

टीएस ट्रांसको (TSTRANSCO) के विट्ठलवाड़ी सबस्टेशन में बीएचईएल का पहला स्वदेशी 145केवी जीआईएस संस्थापित है, जिसने दिसंबर 2019 में सफल फील्ड ट्रायल ऑपरेशन (टीएस ट्रांसको को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट सहित) के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं।

1.4.2.3 अक्षय ऊर्जा

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

देश में भारत सरकार की वर्ष 2020 से 2022 तक सोलर फोटोवोल्टिक विद्युत संयंत्रों के 100 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य में से 31 मार्च, 2020 तक 35,605 मेगावाट स्थापित हो चुकी है।

बीएचईएल का सोलर पीवी पोर्टफोलियो 1,2 जीगावाट से अधिक है जिसमें ग्राउंड माउंटेड, रूफटॉप कैनाल टॉप एवं फ्लोटिंग सोलर प्लांट सम्मिलित है।

सीपीएसईयोजना फेज–II के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मैंयुफैक्चरर लिंक्ड–डेवलपर टेंडर जैसी प्रोत्साहन देने वाली योजनाओं पर बल दिए जाने के बावजूद स्वदेशी निर्मित पीवी पैनलोंऔर अन्य घटको का आयात स्वदेशी निर्मित से सस्ता पाया गया है । सोलर पीवी प्लांट्स के साथ बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के एकीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है। उपलब्ध क्षेत्र से उच्च उत्पादन में नई प्रौद्योगिकी विकास द्वारा सौर की वृद्धि को संचालित किया जाता है, जो सौर–पवन और ऊर्जा भंडारण संकर समाधानों द्वारा निरंतर चौबीस घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। तथापि, गिरते टैरिफ, भूमि अधिग्रहण, अस्थिर निविदा एवं नीलामी गतिविधियां, विद्युत निकासी की बाधा, पीपीए रिनेगोशियशन, एंटी–डंपिंग ड्यूटी, जीएसटी आदि के कारण इस क्षेत्र द्वारा सामना की जाने वाली कुछ बाधाएं हैं।

बीएचईएल द्वारा नयवेली तमिलनाडु में स्थापित 65 मेगावाट एसपीवी संयंत्र के साथ एकीकृत बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस)

प्रस्ताव

- अवधारणा से लेकर कमीशनिंग तक बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) सहित या रहित सोलर पी वी प्लांटों के लिए ईपीसी समाधान।
- ग्राउंड माउंटेड, रूफ टॉप, कैनाल टॉप और फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट।
- सौर–आधारित सिंचाई और पीने के पानी के पंप
- उपयोगिता और ट्रैक्शन अनुप्रयोगों के लिए सौर इनवर्टर
- नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की घरेलू साम्रगी आवश्यकताओं (डीसीआर) को पूरा करने के लिए लूज सोलर पीवी सेल तथा मॉड्यूल्स

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- अक्षय ऊर्जा (आरई) परियोजनाओं के लिए उच्चतम ऑर्डर बुकिंग: 502 मेगावाट– वित्त वर्ष 18–19 के ऑर्डर बुक में 202 प्रतिशत की वृद्धि, जिसमें तीन 100 मेगावाट वाले लार्ज स्केल युटीलिटी सौर ऊर्जा संयंत्र शामिल हैं।
- भारत में सबसे बड़े एकल स्थान फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए ईपीसी आदेश–एनटीपीसी रामागुंडम 100 मेगावाट। फ्लोटिंग सोलर पोर्टफोलियो 220 मेगावाट से अधिक की डीसी क्षमता के साथ 152 मेगावाट तक पहुंच गया, जिससे भारत में अस्थायी सौर बाजार में बीएचईएल सबसे बड़ा ईपीसी प्रदाता बन गया।
- जीएसईसीएल के 275 मेगावाट के ऑर्डर जिसमें राघनेस्ड़ा अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क में 100 मेगावाट और गुजरात के धुवरन में 75 मेगावाट के दो लार्ज स्केल युटीलिटी ईपीसी आदेश शामिल हैं।
- सौर पोर्टफोलियो में कमीशनिंग की गयी और कमीशनिंग के अधीन परियोजनाओं में बीएचईएल ने 1.2 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है।
- भारतीय रेलवे के साथ साझेदारी में बीना मेंट्रैक्शन सब–स्टेशन की 25केवी बस को सीधे सौर ऊर्जा देने वाले अपने प्रकार से सबसे पहले सोलर पीवी प्लांट का विकास।
- सोलर अनुप्रयोगों केलिए पहली बार सिंगल फेज, 850 केवी एइन्वर्टर (ईडीएनमेंइन–हाउस विकसित) और बीएचईएल झॉंसी में1000 केवीए 400V/25 केवी कास्ट रेसिन सिंगल फेज ड्राइ टाइप इन्वर्टर ट्रांसफॉर्मर भारतीय रेलवे के लिए 1.7 MW बीना परियोजना हेतु करने हेतु स्वीकार किया गया।
- बीएचईएल निर्मित पीसीयू की 20 मेगावाट जीएसीएल चरनका, 5 मे.वा. डब्ल्यूबीपीडीसीएल सागर दीघी, 30 मे.वा. एससीसीएल मनुगुरु और 10 मेवा एससीसीएल एसटीपीपी के लिए करने हेतु स्वीकार किया गया।
- एसजेवीएन और गेल के साथ" सौर ऊर्जा संयंत्रों के विकास में सहयोग के लिए "समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर।
- सीएसआईआर एनईईआरआई के साथ लार्ज स्केल आउटडोर एयर प्यूरीफायर विकसित करने के लिए 4 मी ऊंचाई के प्रोटोटाइप के निर्माण के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए ।
- इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी (आईएफजीई) से "सार्वजनिक/निजी क्षेत्र में उत्कृष्ट आरई परियोजना" की श्रेणी मेंप्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

चालू (कमीशन) की गयी परियोजनाएं

वित्त वर्ष 19–20 के दौरान 97.1 मेगावाट एसपीवी (95 मेगावॅाट ग्राउंड माउंटेड और 2.11 आरटीएस एसपीवी संयंत्रों) की कमीशनिंग की गयी,

- जीआईपीसीएल, चरनका, गुजरात 50 मेगावाट
- जीएसएफसी, चरनका, गुजरात 10 मेगावाट
- जीएसीएल, चरनका,गुजरात 20 मेगावाट
- डब्ल्यूबीएसईडीसीएल संतालडीह, गुजरात, 5 मेगावाट
- एससीसीएल, एसटीपीपी, तेलंगाना, 10 मेगावाट

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

- फोकस्ड आरएंडडी प्रयास की ओर हुई मोनो–पीईआरसी सेल दक्षता, 1500 वी मॉड्यूल का विकास, उच्च रेटिंग 2.5 मेगावाट पीसीयू आदि।
- सीपीएसयू योजना फेज–II में एसजेवीएनएल और गेल के साथ रणनीतिक गठजोड़ के माध्यम से विकासकर्ता के रूप में नए व्यापार के अवसर तलाशना
- देश में सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर ईपीसी पोर्टफोलियो के निष्पादन में बीएचईएल की तकनीकी क्षमता का लाभ उठाकर फ्लोटिंग सोलर संबंधी कार्यों को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करना।

1.4.2.4 जल व्यापार

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

नीति आयोग द्वारा जारी कम्पोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स (सीडब्ल्यूएमआई) रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली, बेंगलूरु, चेन्नई और हैदराबाद सहित 21 प्रमुख शहरों में 2020 तक शून्य

बीएचईएल द्वारा तेलीबंधा झील, रायपुर में फाइटराइड आधारित सीवेज ट्रीटमेंट तकनीकी को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया

भूजल स्तर का सामना करना पड़ सकता है। शहरी क्षेत्रों में लगभग 70 प्रतिशत सीवेज उत्पन्न होता है, और इससे अधिक औद्योगिक अपशिष्टों का आधा भाग अनुपचारित, प्रदूषित नदियों, झीलों और अन्य जल निकायों में जाता है। उद्योग उच्च औद्योगिक टैरिफ और जल निर्वहन नियमों को लागू करने के लिए अपनी बढ़ती जल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग कर रहे हैं। नव गठित जल शक्ति मंत्रालय ने जल जीवन अभियान के अंतर्गत 2024 तक सभी ग्रामीण परिवारों को'हर घर जल' सुनिश्चित करने के लिए जल स्तर मिशन शुरू किया है, जिसमें स्थानीय स्तर पर एकीकृत मांग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन, वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण, घरेलू अपशिष्ट जल प्रबंधन और स्थानीय बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत अगले पांच वर्षों में रु. 3.6 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा।

प्रस्ताव

विद्युत संयंत्रों, उद्योगों और नगर निगम अनुप्रयोगों हेतु व्यापक समाधान के साथ पूर्ण जल प्रबंधन समाधान

- प्री ट्रीटमेंट प्लांट्स (पीटी)
- सी वाटर रिवर्स ऑस्मोसिस (एसडब्ल्यूआरओ) और डेमिनेरलाइजेशन (डीएम) संयंत्र
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स (ईटीपी)
- सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और तृतीयक उपचार संयंत्र (टीटीपी)
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (ज़ेड एला डी) प्रणालियां
- जल निकायोंजल शुद्धि के लिए पर्यावरण मैत्री समाधान

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) की साझेदारी में रायपुर के तेलीबांधा झील में बीएचईएल द्वारा कार्यान्वित फाइटोरिड आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्रोजेक्ट (एसटीपी) परियोजना लगातार संविदात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप मापदंडों के साथ निष्पादन कर रही है। यह तकनीक एनईईआरआई द्वारा विकसित की गई है और इसका उपयोग बीएचईएल द्वारा एक समझौता ज्ञापन के अंतर्गत किया जा रहा है। मेसर्स रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल) ने इस परियोजना क`लिए अगस्त '19 में राष्ट्रीय शहरी विकास शिखर सम्मेलन में 'राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार' प्राप्त किया है।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

बीएचईएल सक्रिय रूप से विद्युत, उद्योग और नगर निगम के क्षेत्र में समग्र जल प्रबंधन व्यापार के अवसरों में सक्रिय रूप से अनुवर्ती कार्यवाही में जुटा हुआ है ।

- बीएचईएल तथा काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च (सीएसआईआर) ने औद्योगिक अनुप्रयोग उन्मुख अनुसंधान कार्यक्रम और उन के बड़े पैमाने पर व्यावसायीकरण में सहयोग के लिए दिसंबर 2019 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएसआईआर द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित प्रौद्योगिकियों का देश में सीएसआईआर और बीएचईएल द्वारा संयुक्त रूप से वाणिज्यिकरण और कार्यान्वित किया जाएगा।
- इस पहली संयुक्त परियोजना में सीएसआईआर द्वारा विकसित की गयी प्रौद्योगिकी द्वारा विभिन्न जल शुद्धीकरण/मलिन जल निपटान से संबंधित प्रौद्योगिकियों का बीएचईएल द्वारा व्यावसायीकरण किया जाएगा ।
- सीएसआईआर के साथ बीएचईएल नदियों, झील, अन्य जल निकायों के कायाकल्प, 'हर घर जल' योजना में परियोजना प्रबंधन और भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों मेंजल आपूर्ति के लिए जल शक्ति मंत्रालय (एमओजेएस) के साथ जुड़ने का अवसर तलाश रहा है। नगरपालिका के पानी के कारोबार को व्यापक रूप से समाधान प्रदान के लिए रणनीतिक साझेदारी के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी की गई है।

बीएचईएल द्वारा रक्षा अनुप्रयोगों के लिए विनिर्मित 500 केवी मेन मोटर जनरेटर (एमएमजी) (एसी और डीसी मशीन का युग्म) सेट

1.4.2.5 रक्षा और एरोस्पेस

व्यावसायिक परिदृश्य एवं अवसर

भारत के आस पड़ोस के कुछ भाग में तेजी से उभरते सुरक्षा परिदृश्य में भारत के लिए अपने रक्षा उपकरणों के आधुनिककरण, अद्यतन और यहां तक की स्वदेशीकरण में निवेश एक महत्वपूर्ण तथ्य बना दिया है। यह महत्वपूर्ण भारत आधुनिकीकरण में निवेश करने केलिए एक नाजुक स्थिति उत्पन्न कर दी है, जिसमें प्रौद्योगिकी उन्नयन के साथ–साथ भारत के रक्षा उपकरणों की स्वदेशीकरण भी शामिल है। भारत द्वारा अपने सैन्य आधुनिकीकरण को तेजी से बढ़ाए जाने के कारण देश के रक्षा क्रय और निवेश बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि नए हथियार खरीदने पर अगले दशक में भारत के $ 130 बिलियन से अधिक क्रय करने की उम्मीद है। रक्षा क्षेत्र सरकार की 'मेक इन इंडिया' योजनाओं में स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शामिल है।

इस क्षेत्र के कुछ मुख्य आकर्षण बिंदु इस प्रकार हैं

- मार्च' 2020 में जारी रक्षा खरीद प्रक्रिया मसौदा (डीपीपी) 2020 प्रक्रियात्मक बाधाओं को हटाकर और रक्षा में ' मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर खरीद प्रक्रिया को तेज करने पर केंद्रित है। मसौदे ने मौजूदा खरीद श्रेणियों को संशोधित किया है, विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत स्वदेशी सामग्री (आईसी) की आवश्यकता को बढ़ाया है, और रक्षा खरीद की कुछ नई अवधारणाओं को शामिल किया है। इसके अलावा, इसने मौजूदा ऑफसेट

दिशा निर्देशों को भी संशोधित किया है और अनुलग्नक टेम्पलेट और दस्तावेज़ के अन्य प्रावधानों में बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य रक्षा में मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देना है, नई श्रेणी विदेशी वेंडरों को अपनी सहायक कंपनियों के माध्यम से भारत में निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है।

- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सरकार ने रक्षा एवं एरोस्पेस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है:
  - रक्षा विनिर्माण में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा ऑटोमैटिक रूट के अंतर्गत 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत की गयी है।
  - स्वदेशी उत्पादन के लिए आयातित हथियारों के लिए एक नकारात्मक सूची बनाना
  - आयुध निर्माणी निदेशक मंडल (ओएफबी) का निगमीकरण
  - एयरक्राफ्ट एमआरओ के लिए भारत को वैश्विक हब बनाना
  - निजी उद्यमों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना और उपग्रहों और अंतरिक्ष प्रक्षेपणों के लिए घरेलू और वैश्विक मांगों को पूरा करने में मदद करने के लिए निजी संस्थाओं द्वारा इसरो सुविधाओं के उपयोग की अनुमति देना।

प्रस्ताव

- एसआरजीएम, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य लेखा परीक्षा सहित इसके पुर्जे और सेवाएं
- आईएमपीएस (एकीकृत प्लेटफ़ॉर्म प्रबंधन प्रणाली)
- रक्षा और एयरोस्पेस अनुप्रयोगों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स
- ओईएम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर आधारित जटिल और एडवांस डिफेंस उपकरण/सिस्टम के स्वदेशी निर्माण के लिए प्रमाणित क्षमता।
- क्रायोजेनिक टैंक, टाइटेनियम शेल/डोम, वेल्डिंग और टाइटेनियम शीट और ट्यूबों के मशीनिंग हेतु स्वदेशी क्षमता।
- भारतीय नौसेना की विभिन्न कस्टमाइज्ड आवश्यकताओं की आपूर्ति।
- स्पेस अनुप्रयोगों के लिए
- विभिन्न क्षमताओं के स्पेस ग्रेड सौर पैनलों और बैटरियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक सुविधा
- लिथियम आयन सैल्स निर्माण हेतु समर्पित विनिर्माण सुविधा।
- इसरो के लॉन्च वाहनों के लिए एल्यूमीनियम मिश्र धातु के टैंकों के निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना की जा रही है।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

ऑर्डर बुक

- इसरो के लॉन्च वाहनों के लिए एल्यूमीनियम एलॉय प्रणोदक (प्रोपलेंट) टैंकों, पानी की टंकियों और फीड लाइन हेतु ऑर्डर प्राप्त किए।
- डीआरडीओसेएयर साइकिल आधारित लिक्विड कूलिंग सिस्टम केविकास हेतु ऑर्डर प्राप्त किया ।

अन्य उपलब्धियां

- रणनीतिक अनुप्रयोग क लिए रिजर्व प्रोपल्शन मोटर का सफलता पूर्वक विकास और सुपुर्दगी की गयी है।
- 06 फरवरी 2020 को लखनऊ में डिफेंस एक्पो में आयोजित 5वीं भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन के दौरान सहयोग और संयुक्त परियोजनाओं का संचालन करने एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी "रोसोबोर्नो एक्स्पोर्ट (Rosoboronexport) के साथ समावेश ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए । इससे रूसी ओईएम के सहयोग से रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया पहल कदमी के अंतर्गत बीएचईएल की ताकत/क्षमताओं के प्रदर्शन और भारतीय रक्षा सेनाओं को रक्षा क्षेत्रों में स्वदेशी समाधान प्रदान करनेमें में सहायता मिलेगी ।
- 06 फरवरी 2020 को लखनऊ में आयोजित डिफेंसएक्पो के दौरान भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, (बीईएल) एक नवरत्न रक्षा उपक्रम, के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं जिसके अनुसार बीएचईएल और बीईएल की क्षमताओं का लाभ लेते हुए रक्षा तथा गैर रक्षा दोनों क्षेत्रों में बीएचईएल और बीईएल को दोनों कंपनियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या संयुक्त रूप से विकसित उत्पादों के लिए बाजार तलाशने के लिए संयुक्त प्रयास करने में सहायता मिलेगी।

बीएचईएल द्वारा कर्नाटक में स्थापित 1 x 120 मेगा वाट ग्रासिम हरिहर कैप्टिव प्लांट

1.4.2.6 कैप्टिव पावर प्लांट्स

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार से उम्मीद की जा सकती है कि कैप्टिव पावर और भाप की मांग बढ़ेगी।

रिफाइनरी क्षेत्र:

मार्च 2020 में भारत की शोधन क्षमता 249 एमटीपीए के बराबर है, जिसे 030 तक 440 एमटीपीए और 2040 तक 667 एमटीपीए तक विस्तारित करने की योजना है, जिससे क्षेत्र में विद्युत और भाप की आवश्यकता पूरी की जा सके। हालांकि विद्युत की आवश्यकता का अधिकांश हिस्सा ग्रिड पावर द्वारा पूरा किया जाएगा, लेकिन कैप्टिव पावर प्लांट केलिए कुछ मांग की उम्मीद है।

विद्युत आवश्यकता धीरे–धीरे जीटीजी आधारित कोजेन से सीएफबीसी आधारित विद्युत संयंत्रों में स्थानांतरित हो रही ह जिसका प्राथमिक ईंधन पेटकोक है। योजना अधीन कुछ प्रमुख विस्तार निम्न हैं:

– आईओसीएल की योजना 2030 तक अपनी रिफाइनरी क्षमता को दोगुना कर 150 एमटीपीए तक पहुंचाने की है

– नुमालीगढ़ रिफाइनरी (3 एमटीपीए से 9 एमटीपीए)

– सीपीसीएल नागपट्टिनम (9 एमटीपीए ग्रीनफील्ड)

– आईओसीएल बरौनी (3 एमटीपीए से 9 एमटीपीए)

धातु और खनन क्षेत्र:

निर्यात में सीमेंट क्षेत्र :

इस्पात नीति की 2017 की परिकल्पना है कि वर्ष 2030 तक स्टील विनिर्माण क्षमता 130 मीट्रिक टन (एमटी) से बढ़कर 300 एमटी तक पहुंचे। एलुमिनियम क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 3.6 एमटीपीए से 7.2 एमटीपीए तक पहुंचने का लक्ष्य है। सैकेंडरी स्टील उद्योगों ने विस्तार की मांग की है जिसके कारण एसटीजी आधारित सीपीपी की मांग 50 मे.वा. तक होगी। नाल्को क्षमता विस्तार के अंतर्गत 45,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बना रहा है जिसके अंतर्गत 0.4 एमटीपीए से 1 एमटीपीए तक विस्तार की योजना है। इससे सीपीपी के लिए जिससे बीटीजी पैकेज की आवश्यकता होगी ।

सीमेंट क्षेत्र :

भारत की सीमेंट निर्माण क्षमता 505 एमटीपीए है, जिसे 2025 तक 550 एमटीपीए तक विस्तारित किया जाना है । इस क्षेत्र में 50 मे.वा. रेंज में एसटीजी की मांग लगातार बढ़ रही है। अनेक प्रमुख सीमेंट उद्योगों का विस्तार हो रहा है।

बीएचईएल द्वारा तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा आरएफसीएल रामागुंडम कैप्टिव पावर प्लांट 32X5 मेगावाट रेटिंग वाले गैस टरबाइन सहित एवं इसके साथ उपयोग होने वाले बॉयलर व हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर

प्रस्ताव

- स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट्स
- गैस टर्बाइन आधारित ओपन, कॉजनरेशन और कंबाइंड साइकल कैप्टिव पावर प्लांट

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- 385.75 मेगावाट सीपीपी परियोजनाओं का सिंक्रनाइज़ेशन
- 150 मेगावाट एमईआईएल (नागाई पावर लिमिटेड के लिए)
- 60 मेगावाट कच्छ केमिकल इंडस्ट्रीज लि.।
- 45 मेगावाट ओएमपीएल यूनिट –1
- 30 मेगावाट श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लि.।
- 30 मेगावाट श्याम ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, जमुरिया
- 27 मेगावाट श्री सीमेंट लिमिटेड, रास सीमेंट परियोजना
- 27 मेगावाट श्री सीमेंट लिमिटेड, रायपुर
- 16.75 मेगावाट आरएसपीएल, यूनिट –3

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- 40 मेगावाट रेंज की 4 एसटीजी सहित 9 एसटीजी।
- जीएनएफसी से ऊर्जा दक्षता टरबाइन केलिए पहला ऑर्डर।
- ओएमपीएल, ग्रासिम, श्याम ग्रुप सेरिपीट ऑर्डर।
- नया ग्राहक –गैलेंट इस्पात लिमिटेड और अंकुर उद्योग लिमिटेड ।
- संबद्ध क्षेत्रों में कोयला मिलों के लिए थरमैक्स से और स्टैंडअलोन हीटर के लिए सीमेंस से।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

बॉयलर क्षेत्र में की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सीएफबीसी बॉयलर के लिए प्रौद्योगिकी क्षमता का निर्माण किया जा रहा है।

1.4.2.7 औद्योगिक उत्पाद (तेल एवं गैस और विद्युत मशीनों सहित)

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

रिफाइनरी और पैट्रोकैमिकल क्षेत्र में विस्तार के कारण उपकरण आपूर्ति के लिए अवसरों की उम्मीद है।

इन योजनाओं के साकार हो जाने से कंप्रेसर, फायर्ड हीटर्स, क्रायोजेनिक नाइट्रोजन संयंत्रों, उच्च टनेज कॉलम और वेसल्स के क्षेत्रों में व्यापार के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे।

एचपीईपी हैदराबाद में प्रेषण के तैयार मड पंप जिसे आयल रिंग सिस्टम में उपयोग किया जाता है।

इस्पात क्षेत्र और राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 में प्रत्याशित वृद्धि स्वदेशी इस्पात बनाने वाले उपकरण निर्माता के रूप मे खुद को स्थापित करने के लिए बीएचईएल को एक अवसर प्रदान करती है।

प्रस्ताव

- ऑयल रिग्स– 9,000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए एसी–वीएफडी और एसी–एससीआर तकनीक के साथ विभिन्न समुद्रीय किनारों पर ड्रिलिंग रिग, 6,100 मीटर की गहराई तक सर्विसिंग के लिए कार्य–ओवर रिग्स, 3,000 मीटर गहराई तक ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग्स। पूरा रिग पैकेज के अलावा, बीएचईएल

बीएचईएल द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया जा रहा साओर वाटर स्लीपर स्टेज–एन कॉलम

ऑन–शोर ड्रिलिंग रिग के मैकेनिकल तथा इलेक्ट्रिकल उपकरणों जैसे ड्रा वर्क,मास्ट और सब–स्ट्रक्चर,एसी और डीसी पीसीआर, मोटर आदि की भी आपूर्ति करता है। बीएचईएल ऑयल रिग्स केरि–फर्बिसमेंट और उन्नयन का कार्य भी करता है।
- वैल हैड्स तथा एक्स–मस ट्री– 10,000 पीएसआई तक के मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मैनिफोल्ड, सीबीएम वेलहेड्स, डीएसपीएम एच– मैनिफोल्ड असेंबली, मड वाल्व, ईएसपी हैंगर, ब्लॉक टाइप एक्स–मस ट्री और केसिंग हैड्स के लिए लैंडिंग बेस ।
- कंप्रेसर– एपीआई 617 अनुप्रयोगों के अनुसार फर्टिलाइजर्स, पेट्रोकैमिकल्स, पाइपा लाइंस, गैस प्रोसेसिंग, स्टील उद्योगों आदि के लिए विभिन्न प्रकार के मल्टीस्टेज सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर्स। बीएचईएल के पास सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर स्टेशनों के ईपीसी/एलएसटी के आधार पर कांट्रेक्ट निष्पादित करने की क्षमता है ।
- मैकेनिकल पैकेज– क्रायोजेनिक एयर सेपरेशन यूनिट, फायर्ड हीटर्स, कॉलम, रिएक्टर, प्रेशर वेसल, हीट एक्सचेंजर्स और पर्ज गैस रिकवरी यूनिट जैसे उपकरण।
- इलेक्ट्रिकल मशीनें–एसी स्क्विरिल केज , स्लिपरिंग, सुरक्षित और खतरनाक क्षेत्र के अनुप्रयोगों के लिए सिंक्रोंस मोटर्स, विभिन्न गति की मोटर्स, औद्योगिक अल्टरनेटर और विशेष प्रयोजन मशीनें।

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- एनटीपीसी विंध्याचल के लिए नए फ्रेम आकार 2 आरएन श्रृंखला (3500 केडब्ल्यू, 11केवी 10 पोल बूस्टर फैन मोटर कम किए आकार के साथ) का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण किया गया ।
- आईओसीएल हल्दिया परियोजना के लिए बीएचईएल से सहयोग के लिए मेसर्स न्यूमेन एसर से प्रशंसा पत्र प्राप्त।

प्राप्त ऑर्डर

- आईओसीएल पानीपत रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए एथिलीन गैस कंप्रेसर के लिए पहला ऑर्डर।
- मेसर्स टोयो इंजीनियरिंग प्रा. लि. से एचआरआरएल के लिए रीसायकल गैस कंप्रेसर के लिए पहले अब तक का पहला ऑर्डर।
- बीपीसीएल मुंबई स मौजूदा कंप्रेसर के साथ समानांतर ऑपरेशन के लिए कंप्रेसर के रूप में रीसायकल गैस कंप्रेसर लिए आदेश।
- मेसर्स एलएंडटी हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग से एचपीसीएल वाइजैग पैकेज के लिए 23 हाई टनेज प्रैसर वैसल्स का अब तक का पहला बल्क ऑर्डर।
- मेसर्स ओआईएल से 2 वर्क–ओवर रिग्स (125एमटी) के लिए ऑर्डर ।
- ओएनजीसी, जोरहाट से ड्रिलिंग रिग क्षमता (760 एचपी रिग से 1400 एचपी) के उन्नयन के लिए पहली बार आदेश।
- ओएनजीसी की विभिन्न परिसंपत्तियों के लिए, ओआईएल तथा निजी ड्रिलरों से वैलहैड्स तथा एक्स–मस ट्रीज ऑर्डर ।
- विभिन्न पंप ओईएम्स से 71 एक्स ''डी' मोटर्स के रिफाइनरियों, पेट्रोरसायन और पाइपलाइनों के लिए ऑर्डर।
- विभिन्न ओईएम से एचयूआरएल सिंदरी, बरौनी और गोरखपुर क`लिए 30 मोटरों का ऑर्डर।
- मेसर्स न्यूमेन एंड एसर और एसेर से इसरो के लिए 400 किलोवाट कंप्रेसर मोटर के लिए ऑर्डर।
- आरसी सीपी एल से उनके सीमेंट संयंत्रों के लिए 24 मोटरों के लिए ऑर्डर ।
- रामको सीमेंट से 20 मोटरों के लिए ऑर्डर।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

बीएचईएल एलएसटी के व्यवसाय में डाउनस्ट्रीम तेल एवं गैस क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी में लगा हुआ है ।

1.4.2.8 ऊर्जा भंडारण समाधान समूह

ऊर्जा भंडारण तथा ई–मोबिलिटी के क्षेत्र आगामी अवसरों को व्यावसाय स्वरूप में लाने के लिए बीएचईएल घरेलू विकास और रणनैतिक साझेदारी द्वार, वर्तमान में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, बैटरी एनर्जी भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) के क्षेत्र में अनेक अवसरों की उपलब्धता तथा रेलवे ट्रैकों के विद्युतीकरण की आवश्यकताओं पर ध्यान रहा है।

इलेक्ट्रिक मोबिलिटी

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

- भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना (एनईएमएमपी) 2020 को वर्ष 2013 में आरंभ किया गया था, जिसमें देश में वर्ष 2020 से 6–7 मिलियन हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया था।
- भारी उद्योग विभाग द्वारा आरंभ की एनईएमएमपी केएफएएमई–1 योजना के अंतर्गत कुछ राज्य परिवहन उपक्रमों ने इलेक्ट्रिक बसों और चार्जरों की खरीद की तथा उन्हें काम पर लगाया। विभिन्न नोडल एजेंसियों द्वारा इलेक्ट्रिक डीसी 001 और एसी 001 चार्जरों के साथ ईवी चार्जिंग स्टेशन भी स्थापित किए गए।
- चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिशा निर्देश और मानक जारी किए गए हैं, जिनके अनुसार 3 किमी X 3 किमी के ग्रिड की दूरी पर कम से कम एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाना

है। राजमार्गों के लिए प्रत्येक 25 कि.मी. की दूरी पर राजमार्गों के दोनों ओर पर एक चार्जिंग स्टेशन लगाया जाना है ।

- भारी उद्योग विभाग द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों, उनकी असेम्बली / सब–असेम्बली / पुर्जो के ग्रेडेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 6 मार्च, 19 को चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) जारी किया है।
- एफएएमई–2 योजना को 01 अप्रैल 2019 से 3 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ आउट्ले के साथ विद्युत और ढांचागत विकास के लिए लागू किया गया है। भारी उद्योग विभाग ने विभिन्न राज्य परिवहन उपक्रमों को अब तक कुल 5595 इलेक्ट्रिक बसों का विनिर्माण ग्रोस कौस्ट बेसिस (जीसीसी) मॉडल आधार पर आबंटित किया है तथा 2000 और इलेक्ट्रिक बसें विभिन्न राज्य परिवहन उपक्रमों को आबंटित की जाएंगी।
- भारी उद्योग विभाग द्वारा जनवरी 20 में कुल 62 शहरों के लिए 2636 ईवी चार्जिंग स्टेशनों की मंजूरी दी है जिनमें से 1633 फास्ट चार्जिंग स्टेशन और 1003 स्लो चार्जिंग स्टेशन हैं । एनटीपीसी, ईईएसएल, आरईआईएल और पीजीसीआईएल ने इन चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने और संचालन के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) में भाग लिया था । इन ईवी चार्जिंग स्टेशनों की ईपीसी के लिए टेंडरिंग प्रक्रिया, जो शुरू होगई थी, जिसमें कोविड 19 के कारण विलंब हो गया है।
- भारी उद्योग विभाग द्वारा 9 बड़े शहरों और राज्यों की राजधानियों को जोड़ने वाले विभिन्न राजमार्गो और एक्सप्रेसवे पर 1000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने और संचालित करने के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति जारी किए जाने की संभावना है ।

प्रस्ताव

- ईवी चार्जिंग स्टेशन
- ई बसें
- ईवी कंपोनेंट्स – पावर ट्रेन,बैटरी पैक

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

- दिल्ली–चंडीगढ़ राजमार्ग ई–मोबिलिटी के अनुकूल बनाया गया है। बीएचईएल द्वारा एचटीसीएल रिसॉर्टस में 6 सौर आधारित ईवी चार्जिंग स्टेशन और एचपीसीएल के रिटेल आउटलैट्स पर 5 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए।
- 12 मीटर एसी इलेक्ट्रिक बस प्रोटोटाइप को विकसित कर आईसीएटी मानेसर से प्रमाणित कराया गया है।
- घरेलू रूप में टाइप –2 एसी सहित 50 के डब्ल्यू ईवी चार्जर विकसित किया गया, जो एआरएआई में परीक्षण प्रमाणन के अधीन है।
- ईवी पॉवर ट्रेन, ईवी चार्जर और ई–बस का विकास कार्य प्रगति पर है ।

प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

- भारत भर में 20 डीसी 001 ईवी चार्जर्स स्थापित करने के लिए ईईएसएल से रिपीट ऑर्डर।
- प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम शहरी परिवहन निदेशालय से कैपेक्स मोड में गोरखपुर शहर के लिए 212 मी. लो फ्लोर एसी इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के ऑर्डर।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

देश के ई–मोबिलिटी मिशन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के साथ करने के लिए, बीएचईएल ने कई इन–हाउस विकास कार्य शुरू किए हैं तथा इस दिशा में प्रसिद्ध कंपनियों के साथ रणनैतिक साझेदारी भी की।

ई–मोबिलिटी और एनर्जी स्टोरेज क्षेत्र की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए भारत में लीथियम–ऑयन सेल सेल विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए बीएचईएल विभिन्न वैश्विक कंपनियों से साझेदारी करने की ओर भी अग्रसर है।

बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

व्यापार परिदृश्य

विद्युत ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी में वृद्धि के साथ, ऊर्जा भंडारण ग्रिड स्थिरता और विद्युत की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऊर्जा प्रणाली का एक अभिन्न अंग बनने के लिए निर्धारित है। इंडियन एनर्जी स्टोरेज एलाइंस (ईआईएसए) के अनुमान के अनुसार, ऊर्जा भंडारण बाजार के लिए बाजार की संभावना 2022 तक 2– 3.5 GWh तक पहुंचने की उम्मीद है। एनटीपीसी, एसईसीआई, एनएलसी जैसी कंपनियों ने सौर संयंत्रों का समर्थन करने केलिए ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिए निविदाएं जारी की हैं।

ट्रांसफोर्मेटिव मोबिलिटी और बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन केअंगस्वरूप, सरकार भारत में40 गीगावाट (GW) की बैटरी बनानेकी क्षमता की स्थापना की सुविधा केलिए कोबढ़ावा देने के लिए विचार कर रही है। इससे ईवी और आरईएस पहल कदमियों में $ 40 अरब रुपए के निवेश की आशा है ।

प्रस्ताव

- पीसीएस (पावर कंडीशनिंग सिस्टम)
- ईएमएस (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली)
- बीईएसएस के लिए पूरा कंटेनरीकृत ईपीसी समाधान

वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए प्रमुख ऑर्डर

बीएचईएल ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मैसर्स द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) से अपना पहला बीईएसएस ऑर्डर प्राप्त किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रदिल्ली में तीन अलग–अलग स्थलों पर स्थित इस परियोजना की संचयी रेटिंग 410 kWh है

बीएचईएल कॉर्पोरेट आर एंड डी हैदराबाद द्वारा घरेलू उपयोग के लिए विकसित स्थापित 1 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस)

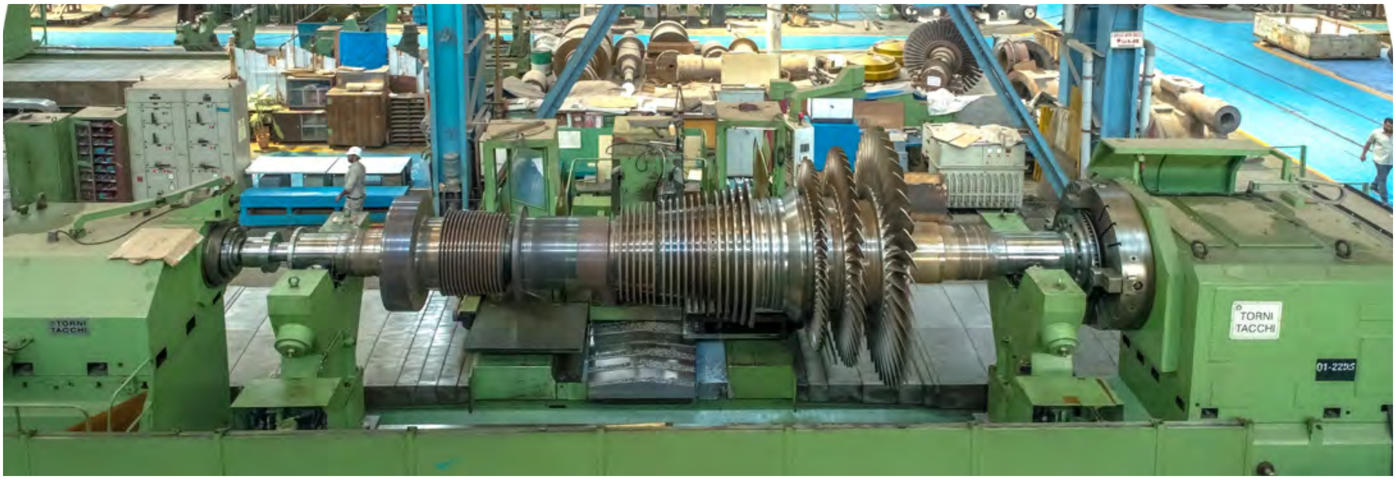

एचपीईपी हैदराबाद में कैप्टिव प्लांट अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक रेटिंग वाला 1/150 मेगावाट आईपी टरबाइन की टेस्टिंग की जा रही।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

बीएचईएल ग्राहकों स्टैंडअलोन और ग्रिड–इंटरेक्टिव बीईएसएस आवश्यकताओं दोनों के लिए आवश्यकतानुरूप ईपीसी समाधान प्रदान करने लिए वचनबद्ध है।

रेलवे विद्युतीकरण

व्यापार परिदृश्य एवं अवसर

भारतीय रेलवे ने वर्ष 2022 तक लगभग 30,000 रूट किलोमीटर रेलवे लाइनों के ईपीसी आधार पर निविदा जारी कर विद्युतीकरण की योजना है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन सीओएआई के माध्यम से कुल 7 खंडों मेंलगभग 6266 रूट किलोमीटर रेल लाइनों का दो स्टेज बिडिंग प्रक्रिया (आर एफ क्यू एवं आरएफपी) के माध्यम से निविदाएं जारी की गई। आर एफ क्यू के आधार पर बिड स्टेज में प्रतिभागिता के लिए एक आवेदक के रूप में (बीएचईएल को शॉर्टलिस्ट किया गया था। कुल 7 खंडों में से चार खंडों की निविदाओं को रद्द कर दिया गया था तथा उन्हें नए ईपीएस मॉडल सिंगल स्टेज 2 पैकेट सिस्टम आईआरपीएस के माध्यम से फिर से जारी किया गया। इन निविदाओं को अंतिम रूप देने का काम चल रहा है।

प्रस्ताव

रेलवे विद्युतीकरण के लिए पूरा ईपीसी समाधान

वर्ष के दौरान उपलब्धियां

बीएचईएल वर्तमान में बिड़ला नगर– इटावा परियोजना (440टीकेएम) सैक्शन को निष्पादित कर रहा है और जीआर 239, 240, 241 का निष्पादन काफी प्रगति कर चुका है।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

- बीएचईएल ने रेलवे विद्युतीकरण के सभी अवसरों में सक्रिय रूप से भाग लेकर रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं को निष्पादित करने के लिए अपने गहन परियोजना निष्पादन अनुभव का लाभ उठाया है।
- मैसर्स कोर (सीओआरई) के 2571 आरकेएम/3241 टीकेएम के लिए नए टेंडर में प्रतिभागिता।

बीएचईएल द्वारा महाराष्ट्र में स्थापित 2X150 मेगावाट सिंटेक्स धूले कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट

सौर ऊर्जा की उपयोगिता

बीएचईएल भारत की उन कुछ कंपनियों में से एक है जो सौर ऊर्जा से सबंधित सभी आवश्यकताओं के लिए एंड–टू–एंड समाधान प्रदान करती है। बीएचईएल ने देश भर में ग्राउंड माउंटेड, रूफ टॉप, कैनाल टॉप से लेकर फ्लोटिंग सोलर पीवी प्लांट की विविध श्रृंखला के 1200 मेगावाट से अधिक संयंत्र स्थापित किए है।

बीएचईएल ने भारतीय रेलवे के लिए मध्य प्रदेश के बीना में अपनी तरह का पहला 1.7 मेगावॉट का सोलर पीवी प्लांट सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह ऐतिहासिक निर्माण 25kV सिंगल फेस सौर ऊर्जा एक बार में प्राप्त करता है और सीधे ट्रैक्शन सब स्टेशन में फीड करता है। इस परियोजना के लिए आउटडोर ड्यूटी हेतु 850 kW सिंगल फेस सौर इनवर्टर और 400V /25 kV ड्राई टाईप ट्रांसफार्मर विशेष रूप से बीएचईएल में ही विकसित किए गए।

इस विकास से भारतीय रेलवे की विस्तृत भूमि का सदुपयोग केप्टिव हरित ऊर्जा उत्पादन के लिए करने का मार्ग प्रशस्त होने की अपेक्षा है जिससे ग्रिड पॉवर पर निर्भरता कम होगी सौर ऊर्जा का सर्वोत्तम पूरा–पूरा उपयोग हो सकेगा।

भारतीय रेलवे हेतु बीना, मध्य प्रदेश मे 1.7 मेगावाट सौर पीवी संयंत्र का चित्र

व्यावसायिक खंडों की रूपरेखा एवं निष्पादन

अंतर्राष्ट्रीय परिचालन

1.4.3 अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन

संक्षिप्त विवरण

विश्व अर्थव्यवस्थाएं मध्य–पूर्व में अमेरिका–चीन व्यापार विवाद, भू–राजनीतिक तनाव और बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्ति के कारण मंदी की स्थिति में हैं। वैश्विक व्यापार प्रणाली के भविष्य के बारे में अनिश्चितता और नाजुक अन्तरराष्ट्रीय सहयोग ने व्यापार विश्वास और निवेश संबंधी निर्णयों को बुरी तरह से प्रभावित किया है।

वर्ष 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से विनिर्माण गतिविधि बहुत धीमी गति से बढ़ रही है। इस मंदी के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं की कीमतें मंदी के बीच कमजोर होने के संकेत दे रही हैं। विद्युत के लिए नवीकरणीय विद्युत उत्पादन के स्रोत की ओर धीरे–धीरे बदलाव और कमजोर आर्थिक विकास से कोयले की मांग कम हो रही है।

पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही विश्व अर्थव्यवस्था को, कोविड –19 का प्रकोप हाल के दिनों में वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक खतरा बन गया है। विश्व स्तर पर, उत्पादन लाइनें बाधित हुई हैं और मानव के साथ–साथ वस्तुओं की आवाजाही भी बाधित हुई है। इस पृष्ठभूमि में, वैश्वीकरण से क्षेत्रीयकरण में अंतरण दर्शाया है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था के वर्ष 2008 के दौरान आए वित्तीय संकट से भी अधिक खराब स्थिति में जाने की संभावना है। वर्ष 2020 की दूसरी तिमाही में वैश्विक महामारी ने अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित किया है और यह माना जा रहा है कि वर्ष वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 5.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। वैश्विक विकास में अनिश्चितताओं के कारण आर्थिक गिरावट तथा अनिश्चितता बनी हुई है और भविष्य में भी कठिन परिस्थितियों के ही आसार नजर आ रहे हैं। इन में निम्नलिखित शामिल है, महामारी के फैलने के मार्ग उत्पादन गतिविधियों में अवरोध उत्पादकता को हानि, वैश्विक वित्तीय बाजारों में सख्ती पाई जाना, खर्च के तरीकों में बदलाव तथा वस्तुओं की परिवर्तनशील कीमतें आदि ।

निर्यात में हमारा अनुभव

सत्तर के दशक में पहली बार निर्यात के साथ अपनी यात्रा शुरू करते हुए, कंपनी ने बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया, ओमान, इराक, सूडान, अफगानिस्तान, संयुक्त राष्ट्र तथा न्यूजीलेंड सहित दुनिया के सभी छह महाद्वीपों के 84 देशों तक पहुंचने में लंबी यात्रा तय की है। बीएचईएल ने विदेशों में 11 गीगावॉट से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता स्थापित की है। वर्तमान में, कंपनी कई प्रमुख परियोजनाओं को निष्पादित कर रही है, जिसमें बांग्लादेश में 2X660 मेगावाट की मैत्री थर्मल पावर परियोजना और नेपाल में 900 मेगावाट की अरुण –3 पनबिजली परियोजना शामिल है, जिसमें 6GW तक के कुल ऑर्डर शामिल हैं। कंपनी अपने विदेशी ग्राहकों पुर्जो और सेवाएं प्रदान कर बिक्री उपरांत सहयोग प्रदान कर रही है।

प्राप्त ऑर्डर

वर्ष के दौरान, बीएचईएल ने निम्नलिखित विदेशी ऑर्डर प्राप्त किए:

- 2 X 20 मेगावाट की राहुघाट पनबिजली परियोजना का इलेक्ट्रो–मैकेनिकल पैकेज, जो नेपाल से पनबिजली परियोजना का दूसरा क्रमिक ऑर्डर है। यह ऑर्डर नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के स्वामित्व वाली 100 प्रतिशत कंपनी रघुगंगा हाइड्रो पावर लिमिटेड (आरजीएचपीएल), द्वारा दिया गया है, जोनेपाल सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी है।
- लगभग 7 वर्षों की लंबी पकड़ के बाद, 2 X 200 मेगावाट के तिश्रीन थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पुनर्जीवित किया गया। अनुबंध पर फिर से बातचीत की गयी थी और बीएचईएल ने इस ऑर्डर को उल्लेखनीय वृद्धि के साथ सुरक्षित कर लिया।
- डिजरमाया सीडेन एनर्जी एसएआरएल (Djermaya CDEN Energy SARL), चाड से 32 मेगावाट सौर पीवी परियोजना के लिए पाइरैनोमीटर तथा एनमोमीटर का प्रथम ऑर्डर।

बीएचईएल द्वारा बांग्लादेश में 2X660मेगा वाट की मैत्री सुपर क्रिटिकल पावर परियोजना निष्पादित की जा रही है

ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भूटान, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, इटली, कजाकिस्तान, केन्या, मलावी, मोज़ाम्बिक, नेपाल, न्यू कैलेडोनिया, ओमान और यूएई सहित विभिन्न देशों के साथ पुर्जों, सेवाओं और उत्पादों के लिए बिक्री उपरान्त सहायता हेतु सघन प्रयास ।

- **उत्पाद और बिक्री उपरांत सहायता**
  - फ्रेम 9 ईजनरेटर रोटर के साथ ही जेबीए इंटरनेशनल एफजेडसी, यूएई सेस्टेटर की आपूर्ति के लिए दो ऑर्डर
  - इंडोनेशिया के पीटी तेरोस एफकेएस से 9 मेगावाट के कोयले से चलने वाले पावर प्लांट के लिए पावर प्लांट सलाहकार सेवाओं (प्लांट ऑडिट) का ऑर्डर
  - जेबीए इंटरनेशनल एफजेड्सी, यूईएसे फ्रेम 9E गैस टर्बाइन के लिए जनरेटर रोटर की मरम्मत का ऑर्डर
  - भूटान के 4 x 84 मेगावाट छुखा जलविद्युत संयंत्र के यूनिट –1 के जनरेटर की बहाली का ऑर्डर
- **मोटर्स के लिए कई आदेश, जैसे**
  - टीसीआई सैनमार केमिकल्स एसएई, मिस्र से 1300 किलोवाट मोटर
  - सिमेंटोज डे मोज़ांबिक, मोज़ांबिक से 1300 किलोवाट एसआरआईएम
  - शायोना सीमेंट कॉर्पोरेशन, मलावी के लिए 3050, 1400, 950, 550 और 370 किलोवाट एसआरआईएम मोटर्स
  - लाफार्ज होल्सीम बांग्लादेश लिमिटेड, बांग्लादेश से 3800 किलोवाट एसआरआईएम
  - स्टार सीमेंट कंपनी एलएलसी, रास अल खैमाह, यूएई से 3000 किलोवाट एसआरआईएम
  - हम्बोल्ट वेदाग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, नेपाल से 950 किलोवाट (4 नग।) एसआरआईएम

विदेशी परियोजना निष्पादन

- भूटान में संस्थापित हाइड्रो पावर परियोजना

बीएचईएल ने भूटान के 4 x 180 मेगावाट के मंगदेछु हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को सफलतापूर्वक संस्थापित किया। इस परियोजना का उद्घाटन भारत के माननीय प्रधान मंत्री और भूटान के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा किया गया था।

भूटान में 4X180 मेगावाट की मांगदेछू एचएपी परियोजना का टरबाइन हॉल

- **अनबंध समापन**
  - बीएचईएल ने 3X18 मे.वा. पीटीसीकेपी, इंडोनेशिया परियोजना के अनुलग्नक को सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया है और ग्राहक ने परियोजना के सफल समापन के लिए बीएचईएल को एक प्रशंसा पत्र जारी किया है।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के माननीय प्रधानमंत्री डॉ.लोतेय त्शेरिंग की उपस्थिति में भूटान के थिंपू में बीएचईएल द्वारा स्थापित 4X180 मेगावाट की बिजली मांगदेछू पनबिजली (हाइड्रोइलेक्ट्रिक) परियोजना का उद्घाटन किया।

- ताइवान के लिए 62.5 मेगावाट की बिहाई हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना, अनुबंध को सफलतापूर्वक संपन्न कर दिया गया है। परियोजना के सफल निष्पादन के लिए ग्राहक से प्रशंसा पत्र भी प्राप्त किया।

पुरस्कार एवं सम्मान

- निर्यात के लिए ईईपीसी राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी के लिए उत्कृष्टता 'इंजीनियरिंग सेवाओं के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए विशेष ट्रॉफी – 50वें पर ईईपीसी इंडिया निर्यात उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार
- वर्ष 2016–17 के लिए शीर्ष निर्यातक की श्रेणी में के अंतर्गत": के लिए इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट एक्सीलेंस के लिए ईईपीसी इंडिया नॉर्दर्न रीजन अवार्ड ''सिल्वर ट्रॉफीः लार्ज एंटरप्राइज" पुरस्कार ।
- जियो–स्ट्रेटेजिक रीच केलिए "गवर्नेंस नाउ" पीएसयू अवार्ड्स 2020
- इंडोनेशिया के पूर्व कालीमंतन, संगता में 3 x 18 मेगावाट के कोयला संचालित विद्युत संयंत्र के सफल समापन के लिए पीटी सीकेपी, इंडोनेशिया से प्रशंसा पत्र।
- डीजीपीसी, भूटान से 4 x 84 मेगावाट चुक्का जल विद्युत संयंत्र, भूटान के आर एंड एम चरण– III के सफल समापन के लिए प्रशंसा पत्र।
- बेलारूस के 126 मेगावाट के ग्रोड्नो सीएचपी –2 के प्रमुख ओवरहाल के सफल समापन के लिए ग्रोड्नोएनर्गो से प्रशंसा पत्र।

संकल्पपूर्वक आगे बढ़ना

वैश्विक विद्युत क्षेत्र में मौजूद विभिन्न चुनौतियों के बावजूद, बीएचईएल अपनी पहुंच और प्रस्तावों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी प्रमुख पहल कदमियों में नवीकरणीय ऊर्जा में सुधार, परियोजना निष्पादन, प्रौद्योगिकी को तेजी से अपनाना और आत्मसात करने और भारत सरकार का समर्थन करने के अवसरों पर ध्यान देना शामिल है। बीएचईएल ने अपने राजस्व विविधीकरण द्वारा पन विद्युत परियोजनाओं को अपना लक्ष्य बनाने में सक्रिय रूप से जुटा हुआ है । इन परियोजनाओं में बीएचईएल दक्षिण एशिया में हाइड्रो परियोजनाओं, अफ्रीका, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया में थर्मल परियोजनाएं, दक्षिण एशिया, अफ्रीका और मध्यपूर्व में गैस परियोजनाएं एवं अफ्रीका, यूरोप और एशिया प्रशांत में मोटरों की बिक्री तथा मध्य पूर्व में कंप्रेशर व ऑयल फील्ड उपकरण व्यापार पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने राजस्व के विविधीकरण पर सक्रिय रूप से लगा हुआ है।

बीएचईएल का वैश्विक विस्तार

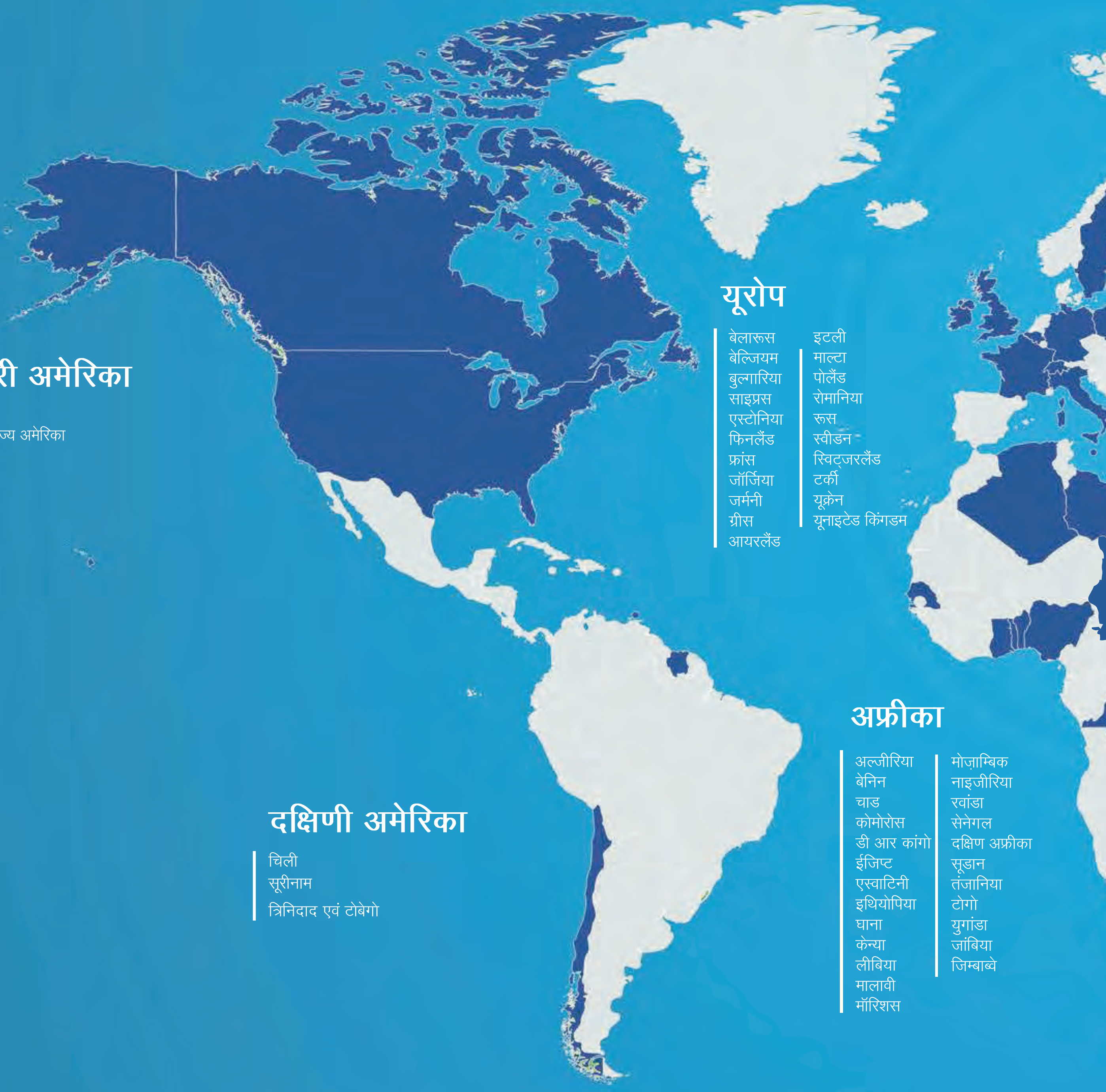

सभी 6 आवासीय महाद्वीपों के

84 देशों में प्रसार

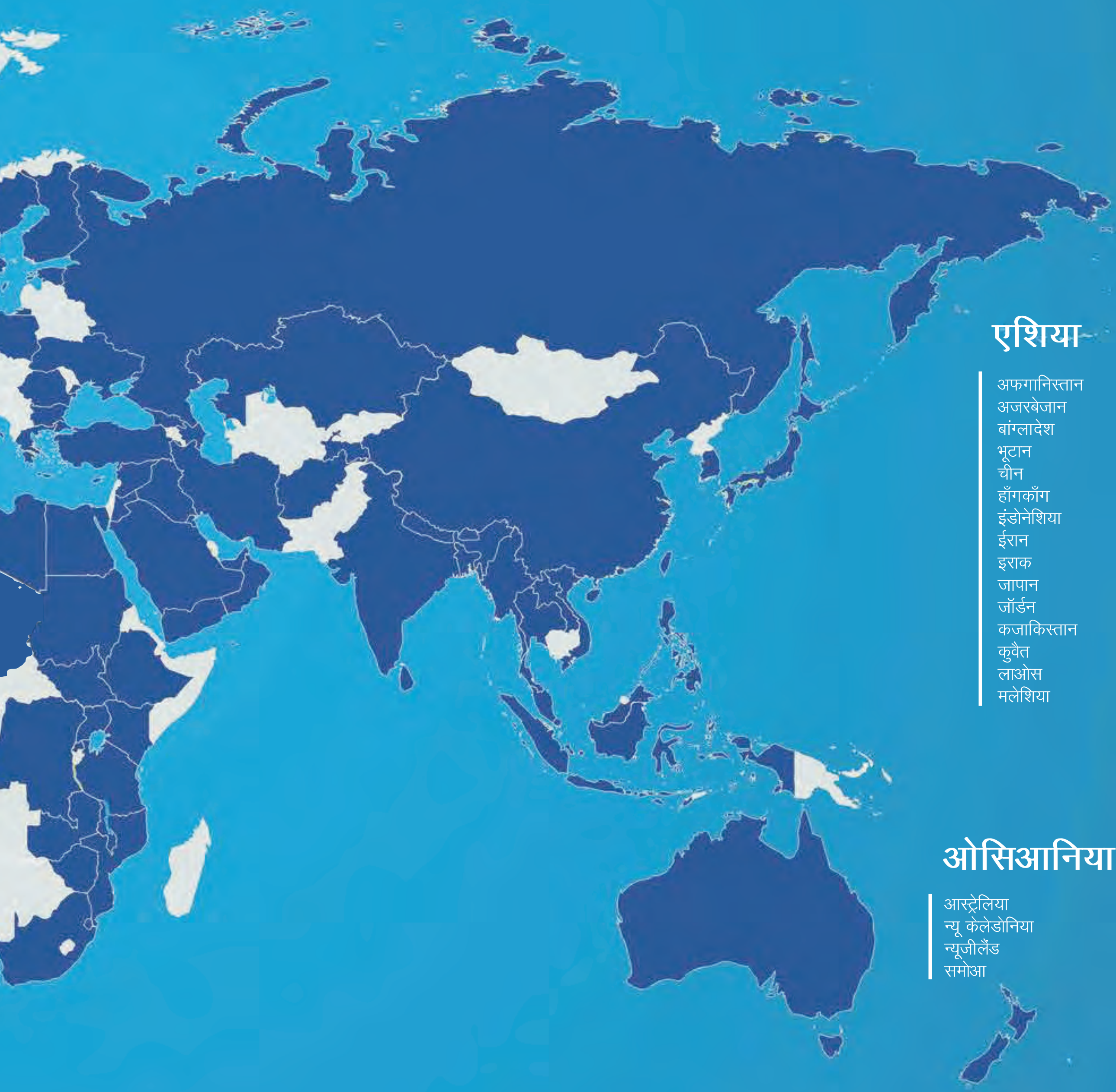

एशिया

अफगानिस्तान
अजरबेजान
बांग्लादेश
भूटान
चीन
हाँगकाँग
इंडोनेशिया
ईरान
इराक
जापान
जॉर्डन
कजाकिस्तान
कुवैत
लाओस
मलेशिया
म्यांमार
नेपाल
ओमान
फिलिपींस
सऊदी अरब
सिंगापुर
दक्षिण कोरिया
श्रीलंका
सीरिया
ताइवान
तजाकिस्तान
थाईलैंड
यू.ए.ई.
वियतनाम
यमन

ओसिआनिया

आस्ट्रेलिया
न्यू केलेडोनिया
न्यूजीलैंड
समोआ

■ बीएचईएल की उपस्थिति वाले देश

यह भौगोलिक प्रतिरूप विश्व के भौतिक मानचित्र को नहीं दर्शाता है

1.5 वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण

1.5.1 बीएचईएल के एकल

वित्तीय परिणाम

1. परिचालन से राजस्व

(रु. करोड़ मे)

विवरण	2019–20	2018–19
सेल्स लैस रिटर्न	15057	22476
बाह्य इरेक्शन तथा अन्य सेवा से आय	5434	6947
टर्नओवर	20491	29423

वित्त वर्ष 2019–20 की अंतिम तिमाही में कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष के लिए राजस्व मुख्य रूप से प्रभावित हुआ, जिसके कारण विनिर्माण सुविधाओं और परियोजनाओं के निष्पादन की गतिविधियों में संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। कोविड के वैश्विक प्रभाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने विनिर्माण इकाइयों में सामग्री की प्राप्ति को भी प्रभावित किया।

अन्य परिचालन आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
अन्य परिचालन आय	995	1000

आपूर्तिकर्ताओं से वसूली और देनदारियों के राइट–बैक को बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप स्थिर परिचालन आय होती है। अन्य परिचालन आय के विवरण के लिए 29 एकल वित्तीय विवरणों को संदर्भित किया जा सकता है।

2.अन्य आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
ब्याज आय	509	512
म्यूचुअल फंड्स की इकाई की बिक्री पर लाभ	6	17
संयुक्त उद्यम में निवेश पर लाभांश – बीजीजीटीएस	16	16
आयकर वापसी पर ब्याज	-	87
पीपीई की वस्तुओं की बिक्री पर लाभ, सरकारी अनुदान और अन्य	50	46
योग	581	678

3. व्यय

क) सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
कच्चे माल तथा उपकरणों की खरीद	11780	14971
सिविल, इरेक्शन और इंजीनियरिंग व्यय	2947	3866
उप योग	14727	18837
तैयार माल की इंवेंट्री और वर्तमान में प्रगति पर चल रहे कार्य में परिवर्तन	(1016)	(991)
योग	13711	17846

वर्ष 2019–20 के दौरान, कंपनी के राजस्व के प्रतिशत के रूप में सामग्री की लागत काफी अधिक थी, 66.9 प्रतिशत पर, जबकि पिछले वर्ष दर्ज की गई लागत 60.7 प्रतिशत थी। उपरोक्त बड़े पैमाने पर टर्नओवर की संरचना में बदलाव, डीजेयू (डीड ऑफ ज्वाइंट अंडरटेकिंग) के अंतर्गत निर्धारित शर्तों और बाजार में गिरती हुई वास्तविकताओं के कारण आयातित बाहरी सामग्री अधिक है।

ख) कर्मचारी लाभ व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
कर्मचारी लाभ व्यय	5403	5502
कर्मचारियों की संख्या	33752	35471

परिवर्तनशील घटकों भुगतान पर कड़े नियंत्रण के कारण समग्र कर्मचारी लाभ व्यय कम है।

ग) विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री एवं वितरण व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण व्यय	2430	2761
विनिमय दर में परिवर्तन हानि / (लाभ)	(435)	(;67)
कुल	1995	2694

निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण व्यय की सभी वस्तुओं पर कठोर बजटीय नियंत्रण के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2019–20 में कमी आई।

विनिमय दर में परिवर्तन लाभ मुख्य रूप से निम्न के लिए था। वित्त वर्ष 2019–20 में भारतीय रूपये v/s यूरो में 7.1 प्रतिशत मूल्यह्रास हुआ जो वित्त वर्ष 2018–19 में 3.5 प्रतिशत था (ब) वित्त वर्ष 2018–19 6.1 प्रतिशत मूल्यह्रास के स्थान पर भारतीय रूपये v/s यूएसडी में वित्त वर्ष 2019–20 में 8.8 प्रतिशत मूल्यह्रास हुआ।

घ) व्यवस्थापन (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
संदिग्ध ऋण, ऋण नुकसान और अन्य	845	1640
डूबत ऋण, एलडी और बट्टे खाते में डाला गया नुकसान	223	93
अपेक्षित ऋण हानि का प्रावधान (समय मूल्य)	(676)	150
संविदात्मक दायित्व	(137)	(50)
जेवी में निवेश की हानि	0	4
संपूर्ण	255	1837

कंपनी की लेखांकन दिशा निर्देशों और नीतियों के अनुरूप प्रावधान किए गए हैं। वर्ष के दौरान प्रावधान में गिरावट निम्न कारणों से थी। कुछ परियोजनाओं में संविदा के निपटान के फलस्वरूप कुछ प्रावधानों को छोड़ दिया जाना ख) वर्ष के दौरान बेहतर संग्रह के परिणाम स्वरूप प्रत्याशित क्रेडिट नुकसान (ईसीएल) में सुधार के कारण बहुत से प्रावधानों को हटा दिया तथा कम वृद्धिशील उधार।

4. वित्त लागत

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
उधार लागत	196	191
ब्याज व्यय	105	87
वाणिज्यिक पत्रों पर छूट	206	9
योग	507	287

उधार लेने की लागत लंबी अवधि के प्रावधाना पर ब्याज प्रभाव की अनिच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। वित्त वर्ष 2019–20 में अल्पकालिक परिचालन नकदी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किए गए उच्च अल्पकालिक उधारों के कारण मुख्य रूप से वित्तीय लागत में वृद्धि हुई है। कंपनी ने अपने खजाने के संचालन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया है, ब्याज के बहिर्गमन को कम से कम किया है, और आंतरायिक नकदी अधिशेषों पर उच्च रिटर्न अर्जित किया है। पीसीएफसी ऋण ने कंपनी को प्राकृतिक प्रतिरक्षा लाभ भी प्रदान किया है।

5. मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	503	475

6. कर व्यय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
चालू कर – वर्तमान वर्ष	64	719
–पूर्ववर्षों में	(62)	16
आस्थगित कर–वर्तमान वर्ष	(162)	3
–पूर्ववर्षों में	971	101
योग	811	839

वर्तमान वर्ष में, कंपनी ने आयकर अधिनियम 1961 के नए खंड 115 BAA को चुना है। तदनुसार, (क) वर्तमान और स्थगित कर के लिए प्रावधान 25.168 प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया है; और (ख) के रूप में 1 अप्रैल 2019 को आस्थगित कर संपत्ति, 25.168 प्रतिशत की दर से आंकी गयी है जिसके परिणामस्वरूप आस्थगित कर संपत्ति का रु. 974 करोड़ का प्रत्यावर्तन हुआ है।

7. लाभप्रदता

वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु. 2048 करोड़ लाभ के मुकाबले वित्तीय वर्ष 2019–20 रु. 662 करोड़ की हानि हुई है जिसका मुख्य कारण उच्च सामग्री लागत और निम्न राजस्व है। हालांकि, कठोर बजटीय नियंत्रण उपायों और विवेकपूर्ण प्रावधान करने के लिए नुकसान को रु. 662 करोड़ तक सीमित करने में सहायता मिली है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 में कर पश्चात हानि रु. 1473 करोड़ है जबकि वित्तीय वर्ष 2018–19 में रु. 1209 करोड़ का लाभ हुआ । वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कर पश्चात हानि आस्थगित कर संपत्ति के पुनः निर्धारण की वजह से हुई है। आस्थगित कर परिसंपत्ति 34.944 प्रतिशत की तुलना में 25.168 प्रतिशत होने के कारण रु. 957 करोड़ का प्रभाव पड़ा है ।

8. अन्य व्यापक आय

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
परिभाषित कर्मचारी हित (लाभ)/हानि का पुनर्मापन	342	183
उपरोक्त मद से संबंधित आयकर	(68)	(64)
कुल	274	119

अन्य व्यापक आय पुनर्मापन लाभ/हानि परिभाषित लाभों जैसे ग्रेच्युटी, पीएफ, सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) आदि पर व्यापक आय को दर्शाता है ।

निधि वस्तु स्थिति

9. निधि प्रवाह की स्थिति और तरलता

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20	2018–19
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पहले परिचालन से उत्पन्न नकदी	51	4154
कार्यशील पूंजी परिवर्तन के बाद परिचालन गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	(2891)	(3856)
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	1837	1915
वित्तपोषण गतिविधियों से शुद्ध नकदी प्रवाह / (बहिर्वाह)	1661	(32)
वर्ष के लिए कुल शुद्ध नकदी प्रवाह (बहिर्वाह)	607	(1973)

परिचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी को बहिर्वाह रु. 2891 करोड़ तक रोका जा सका जबकि वर्ष 2018–19 में नकदी बहिर्वाह पर विभिन्न उपायों के कारण नकदी बहिर्वाह रु. 3856 करोड़ रहा ।

वित्तीय स्थिति

10. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई), अमूर्त संपत्ति और पूंजी डब्ल्यूआईपी (प्रगतिशील कार्य)

(रु. करोड़ में)

विवरण	पर जैसा					
	मार्च 31, 2020			31, 2019 मार्च		
	पीपीई	अमूर्त	संपूर्ण	पीपीई	अमूर्त	संपूर्ण
सकल धारित मूल्य	6051	280	6331	5746	250	5996
घटावः संग्रहीत मूल्यह्रास एवं ऋण मुक्ति	3315	202	3517	2862	167	3029
शुद्ध वहन मूल्य (शुद्ध ब्लॉक)	2736	78	2814	2884	83	2967
विकास के अंतर्गत सीडब्ल्यूआईपी एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	307	7	314	223	12	235
संपूर्ण			3128			3202

पीपीई और अमूर्त संपत्ति का शुद्ध वहन मूल्य वर्ष के दौरान मूल्यह्रास/परिशोधन और पूंजीकरण के समायोजन के बाद है। पूंजी निवेश पर संक्षिप्त विवरण" पूंजी निवेश" पर अलग से दिया गया है।

कंपनी ने इंडएएस 101 के अंतर्गत छूट का चयन किया हुआ है और तदनुसार 31 मार्च 2015 तक धारित मूल्य को इंड एएस परिवर्तन पर विचारणीय लागत माना गया था।

11. इक्विटी निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020			यथा 31 मार्च, 2019		
	निवेश	हानि	जाल	निवेश	हानि	जाल
संयुक्त उद्यमों में निवेश	723	57	666	723	57	666
सहायक कंपनी में निवेश	5	5	.	5	5	.
अन्य इक्विटी प्रपत्रों में निवेश	6	3	3	6	3	3
योग	734	65	669	734	65	669

संयुक्त उद्यम (जेवी) और सहायक कंपनी में निवेश को क्षति के नुकसान पर विचार करने के बाद लागत पर ध्यान दिया गया था, यदि कोई हो, इंड एएस के अनुसार। अन्य इक्विटी साधनों में निवेश का लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर होता है और रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य के आधार पर ले जाने के मूल्य में परिवर्तन किए गए हैं। अन्य इक्विटी साधनों में निवेश में नीलाचंल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल) में निवेश शामिल है। निदेशक मंडल ने उसी के रणनीतिक विनिवेश के लिए अपनी मंजूरी दे दी है।

12. व्यापार प्राप्य (निवल)

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020			यथा 31 मार्च, 2019		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग	गैर वर्तमान	वर्तमान	योग
व्यापार प्राप्य	5270	7108	12378	3935	11861	15796

इंड एएस 115 की आवश्यकता के अनुसार, ग्राहकों को भुगतान की गई राशि और अनुबंध के कारण भुगतान को ट्रेड प्राप्य के रूप में बुक किया गया है। ये आंकड़े कंपनी की नीति/दिशा निर्देशों के अनुसार बनाए गए प्रावधानों के निवल हैं। वर्तमान व्यापार प्राप्तियों में कमी है क्योंकि ग्राहक के संग्रह के रूप में वर्ष के दौरान नैट बिलिंग का प्रतिशत 114 प्रतिशत था, जबकि पिछले वर्ष में 97 प्रतिशत था। गैर वर्तमान व्यापार प्राप्तियों संग्रहणीय ऋण जहां ऋण वसूली योग्य हैं का गठन, लेकिन प्राप्ति (समय विस्तार के निपटान, आदि जैसे संविदात्मक मुद्दों की वजह से लंबे समय तक समय लग सकता है। या जहां कानूनी कार्रवाई ऋण की वसूली क लिए शुरु कर दिया गया)। बकाया राशि की प्राप्ति क पिछले अनुभव और विभिन्न ग्राहकों की भुगतान क्षमता पर कोविड 19 के प्रभाव पर विचार करने के आधार पर, व्यापार प्राप्तियों का अधिक से अधिक अनुपात 12–महीने से अधिक होने की संभावना है और इसलिए गैर–वर्तमान व्यापार में वृद्धि संभव है। हालांकि कुल व्यापार प्राप्यों द्वारा कम खुले हिस्से पर 3418 करोड़, लेकिन आरएफओ के दिनों की संख्या के मामले में, वहाँ (वित्तीय वर्ष 2018–19 में 165 के मुकाबले 186 दिन) 21 दिन की वृद्धि परिचालनों की मात्रा में कमी के कारण है।

13. नकद और नकद समतुल्य और बैंक शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
नकद और नकद समतुल्य	1403	796
3 महीनों से अधिक किंति 12 महीनों से अधिक नहीं जमाओं की परिपक्वता राशि जमा करना	5000	6700
मार्जिन मनी पर बैंक–शेष राशि और एफडी	16	7
योग	6419	7503

नकद और बैंक शेष (अल्पकालिक उधारी की शुद्ध वर्ष2018–19 में रु. 5072 करोड़ की तुलना में रु. 1485 करोड़ है । यह मुख्य रूप से विक्रेताओं / उप–ठेकेदारों (जिनमें से कई एमएसएमई हैं)को भुगतान पर नकद बहिर्वाह की अधिक आवश्यकता के कारण है। इन फ्लो पक्ष में, ग्राहकों के साथ कड़े भुगतान की शर्तों से चुनौतियां पैदा हो रही हैं, राज्य उपयोगिताओं पर बिल प्रसंस्करण के लंबे समय तक चक्र, स्थगित ऋण से धीमी प्राप्ति/प्रमुख भुगतान परियोजना स्थलों पर कमीशन के अग्रिम चरण में निर्धारित लक्ष्य के पूरा होने से जुड़ेहैं।

चल रहे घाटे के महत्वपूर्ण स्तर को पूरा करने के लिए, कंपनी को उधार का सहारा लेना पड़ता है, जो मुख्य रूप से वाणिज्यिक पत्रों, पीसीएफसी, खरीदारों क्रेडिट आदि के रूप में सबसे अधिक लागत प्रभावी तरीके से बनाया जा रहा है।

14. आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	2756	3497

आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध) भविष्य की अवधि के कर योग्य लाभ के विरूद्ध समायोजित करने के लिए, अस्थायी अंतर की प्रकृति में होने वाले व्ययों पर कर प्रभाव का प्रतिनिधित्व करती है। आस्थगित कर परिसंपत्ति की दर 1 अप्रैल, 2019 को 25.168 प्रतिशत दर है जिसके द्वारा आस्थगित कर परिसंपत्ति का प्रत्यावर्तन रु. 974.41 करोड़ किया गया है ।

15. अन्य परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020			यथा 31 मार्च, 2019		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण
अनुलग्नक–परिसंपत्ति	16422	7670	24092	14392	8427	22819
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	.	927	927	.	1188	1188
वसूली योग्य दावा	.	688	688	.	710	710
कर प्राधिकारियोंऔर अन्य के पास जमा	135	460	595	160	496	656
अग्रिम और अन्य	170	232	402	171	258	429
घटा : प्रावधान	67	193	260	51	188	239
योग	16660	9784	26444	14672	10891	25563

अनुलग्नक परिसंपत्तियां (आस्थगित देनदार और बिल रहित राजस्व) उस राशि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अनुलग्नक की शर्तों/ग्राहकों के साथ सहमत निर्धारित समयावधि के अनुसार भुगतान के लिए अभी देय नहीं है/संबंधित गतिविधियों/लक्ष्यों के पूरा होने पर इस राशि का भुगतान किया जाएगा।

16. वस्तुसूची (इन्वेंट्री)

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
कच्चा माल और उपकरण	3967	3931
डब्ल्यूआईपी	4120	3220
एफ जी	892	776
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स	254	238
अन्य सूची	215	188
उप कुल	9448	8353
घटा : चालन रहित इन्वेंट्री के लिए प्रावधान	542	555
इन्वेंट्री	8906	7798

वित्त वर्ष 2019–20 में कारोबार के दिनों में वस्तुसूची 159 दिनों की थी, जबकि वित्त वर्ष 2018–19 में यह 97 दिनों की अवधि थी। इन्वेंट्री स्तर में वृद्धि (मुख्य रूप से डब्ल्यूआईपी) कंपनी के परिचालनों पर कोविड के प्रभाव के कारण हुई है, जिसके परिणामस्वरूप इन–प्रोसेस सामग्री को अंतिम उत्पादों में परिवर्तित नहीं किया जा सका/वेंडरों से सामग्री न मिलने, ग्राहकों द्वारा निरीक्षण न हो पाने और इसके फलस्वरूप विनिर्माण गतिविधियों में बाद में व्यवधान देशव्यापी लॉक डाउन के कारण हुआ है।

17. चालू कर परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (शुद्ध)

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
चालू कर परिसंपत्तियां/देयताएँ (प्रावधानों का शुद्ध)	229	(91)

यह कर प्रावधानों के लिए स्रोत पर कर कटौती और शुद्ध अग्रिम कर प्रस्तुत करता है।

18. शेयर पूंजी

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020	यथा 31 मार्च, 2019
प्राधिकृत शेयर पूंजी	2000	2000
जारी , अभिदत्त एवं शेयर पूंजी भुगतान	696	696

19. अन्य इक्विटी

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च	
	2020	2019
प्रारंभिक शेष	30735	31906
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	;1747द्ध	1089
जमा : आईएनडी एएस 115 – परिवर्तन समायोजन	.	126
घटा : शेयरों की वापस खरीद (बॉयबैक)	.	1599
घटा : वर्ष के दौरान किए गए लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित) का भुगतान	418	653
घटा : कॉर्पोरेट लाभांश कर	86	134
अंतिम शेष	28484	30735

20. उधार

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020			यथा 31 मार्च, 2019		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण
उधार	.	4933	4933	.	2432	2432
वित्त पट्टा बाध्यता की परिपक्वता	75	54	129	95	58	153
योग	75	4987	5062	95	2490	2585

पीसीएफसी ऋण के रूप में अल्पावधि उधार, नकदी अंतर्वाह और बहिर्प्रवाह में भिन्नता होने के कारण क्रेता ऋण और वाणिज्यिक पत्र के रूप में न्यूनतम संभव ब्याज दर पर कार्यशील पूंजी का अल्पावधि संचालन आवश्यकताओं को पूरा करने के लाभ लिया गया । उधारों के पुनर्भुगतान की अनुसूची के लिए, से वित्तीय विवरणों के नोट 24 का संदर्भ लिया जाए।

21. वित्तीय देयताए

(रु. करोड़ में)

	यथा 31 मार्च, 2020			यथा 31 मार्च, 2019		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण
व्यापार देयताएं	1008	8892	9900	703	11375	12078
अन्य वित्तीय देयताएं	159	1429	1588	92	2010	2102
योग	1167	10321	11488	795	13385	14180

व्यापार देयताओं में कमी मुख्य रूप से विक्रेताओं/उप ठेकेदारों (इनमें से अधिकांश एमएसएमई हैं) को समय पर भुगतान के कारण होती है। अन्य वित्तीय देयताओं में कर्मचारी के बकाया, अन्य बकाया राशि, ठेकेदारों तथा अन्यों से प्राप्त जमा के प्रति देयता शामिल है।

22. प्रावधान

(रु. करोड़ में)

विवरण	यथा 31 मार्च, 2020			यथा 31 मार्च, 2019		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण
संविदात्मक दायित्वों के लिए प्रावधान	3791	1564	5355	3852	1443	5295
कर्मचारी लाभार्थ प्रावधान	1170	1121	2291	1303	781	2084
अन्य प्रावधान	278	390	668	306	242	548
सीएसआर के लिए प्रावधान	9	7	16	2	19	21
योग	5248	3082	8330	5463	2485	7948

23. अन्य देयताएं

(रु. करोड़ में)

	यथा 31 मार्च, 2020			यथा 31 मार्च, 2019		
	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण	गैर वर्तमान	वर्तमान	संपूर्ण
ग्राहकों से अग्रिम (मूल्य निध्ारण समायोजन सहित)	2921	3797	6718	3578	3261	6839
वैधानिक देय	.	454	454	.	1311	1311
सरकारी अनुदान	32	6	38	38	6	44
योग	2953	4257	7210	3616	4578	8194

परियोजना के निष्पादन के दौरान ग्राहकों से अग्रिमों को प्रगामी रूप से समायोजित किया जाता है। वैधानिक देयताओं में मुख्य रूप से जीएसटी देयताएं शामिल हैं जिनका नियत तिथियों पर भुगतान किया जाना है। उपलब्ध इनपुट क्रेडिट को भी उपरोक्त मद क्रमांक 15 के अंतर्गत अन्य परिसंपत्तियों के अंतर्गत दिखाया गया है।

24. खंड निष्पादन

कंपनी के दो परिचालन खंड हैं, पावर और उद्योग खंडों का निष्पादन निम्नवत है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20		2018–19	
	शक्ति	उद्योग	शक्ति	उद्योग
खंड राजस्व	14960	5530	23474	5949
खंड रिणाम	804	;206द्ध	2802	437
खंड पूंजी नियोजन	20279	4681	20409	4122
खंड खंडपरिणाम : खंड राजस्व के रूप में	5 प्रतिशत	4 प्रतिशत	12 प्रतिशत	7 प्रतिशत

उच्च सामग्री लागत के साथ परिचालनों में कमी के परिणामस्वरूप खंड राजस्व : में कमी आई है।

1.5.2 सहायक कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन लिमिटेड

दिनांक 19 जनवरी, 2011 को बीएचईएल की सहायक कंपनी "बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड" की स्थापना हुई थी। बीएचईएल की इसमें 5.36 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश के रूप में 51 प्रतिशत का स्वामित्व है। शेष 49 प्रतिशत का स्वामित्व केरल सरकार के पास है ।

निदेशक मंडल ने 29 मई, 2018 को बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 51 प्रतिशत स्वामित्व को केरल सरकार को स्थानांतरण करने हेतु अनुमोदित किया है जो कि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदनाधीन है। बीएचईएल द्वारा केरल सरकार से विधिवत स्वीकृत करार, अनुमोदन हेतु भारी उद्योग विभाग, भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

बीएचईएल–ईएमएल का संक्षिप्त वित्तीय विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019–20*	2018–19
बीएचईएल की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	**51**	51
बीएचईएल का इक्विटी में निवेश	**5.36**	5.36
परिचालन से राजस्व	**3.95**	18.65
वर्ष के दौरान हानि	**4.79**	5.46

* लेखा परीक्षा से पूर्व अनंतिम आँकड़ोंपर आधारित

1.5.3 संयुक्त उद्यम कंपनियों की वित्तीय समीक्षा

क. बीएचईएल जीई गैस टरबाइन प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS):

बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS) बीएचईएल और अमेरिका की जीई कंपनी का एक संयुक्त उद्यम है । इसे जीई द्वारा डिजाइन किए गए गैस टरबाइन केरिपेयर और सर्विसिंग के लिए स्थापित किया गया था । संक्षिप्त वित्तीय विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है।

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019–20	2018–19
बीएचईएल की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	**50 से एक शेयर कम**	50 से एक शेयर कम
बीएचईएल का पूंजी निवेश	**2.38**	2.38
परिचालन से आय	**685.84**	675.07
कर के पश्चात लाभ	**58.14**	60.73
कुल मूल्य	**317.40**	298.83

वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए BGGTS ने 490 प्रतिशत के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया है तथा अंतिम लाभांश के रूप में 200 प्रतिशत के रूप में कुल 4.76 करोड़ रुपए की शेयर पूँजी प्रस्तावित है।

ख. एनटीपीसी बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (NBPPL):

एनटीपीसी बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (NBPPL) बीएचईल और एनटीपीसी लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है, जिसका उद्देश्य पॉवर संयंत्रों के ईपीसी संविदाओं का निष्पादन करना तथा पॉवर सयंत्र उपकरणों का विनिर्माण को प्रोत्साहन देना है। संयुक्त उद्यम की आंध्र प्रदेश के मन्नावरम में बेलेंस ऑफ प्लांट उपकरणों की विनिर्माण इकाई है। संक्षिप्त वित्तीय विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019–20*	2018–19
बीएचईएल की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	**50**	50
बीएचईएल का पूँजी निवेश	**50.00**	50.00
परिचालन से राजस्व	**60.90**	75.33
वर्ष के दौरान हानि	**26.15**	114.33

*लेखा परीक्षा से पूर्व अनंतिम आँकड़ों पर आधारित

एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान पूरी तरह से शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर किया गया है। निदेशक मंडल द्वारा 8 फरवरी, 2018 को आयोजित बैठक में एनबीपीपीएल को बंद करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। ऊर्जा मंत्रालय ने एनटीपीसी को बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करने की सलाह दी है और उसके बाद या तो इसे एक ई–हाउस ईपीसी शाखा के रूप में जारी रखने या वर्तमान काम पूरा होने के बाद इसे बंद करने का फैसला किया है।

ग. रायचूर पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (RPCL):

रायचूर पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (RPCL) बीएचईएल, कर्नाटक पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (KPCL) और आइएफसीआई लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसका उद्देश्य कर्नाटक के येरामरस, रायचूर में 2X800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर सयंत्र एवं एडलापुर, रायचूर में 1X800 मेगावाटसुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर सयंत्र के निर्माण, स्वामित्व एवं परिचालन के आधार पर स्थापित की गई है । 31 मार्च, 2020 तक प्रदत्त इक्विटी पूंजी रु. 2373.76 करोड़ थी, जिसमें केपीसीएल का 1709.72 करोड़ रुपए और बीएचईएल का 664.04 करोड़ रुपए का योगदान था। कंपनी का वित्तीय विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2019–20*	2018–19
बीएचईएल की हिस्सेदारी (प्रतिशत)	**27.97**	27.97
बीएचईएल का पूंजी निवेश	**664.04**	664.04
परिचालन से राजस्व	**247.87**	1047.53
वर्ष के दौरान हानि	**2205.73**	1251.30

* लेखा परीक्षा से पूर्व अनंतिम आँकड़ों पर आधारित

घ. दादा धूनीवाले खंडवा पॉवर लिमिटेड (DDKPL)

दादा धूनीवालेखंडवा पॉवर लिमिटेड (DDKPL) बीएचईएल और मध्य प्रदेश पॉवर जेनरेटिंग कंपनी लिमिटेड (MPPGCL) का एक संयुक्त उद्यम है । इसका उद्देश्य खंडवा, मध्य प्रदेश में निर्माण, स्वामित्व एवं परिचालन केआधार पर 2X800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पॉवर संयत्र स्थापित करना है ।

कोयले की अनुपलब्धता एवं भूमि अधिग्रहण में समस्याओं के चलते दोनों सहयोगियों ने स्वैच्छिक आधार पर संयुक्त उद्यम कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया है । वित्तीय वर्ष 2018–19 में संयुक्त उद्यम में 22.50 करोड़ रूपये निवेश करने पर कुल 17.30 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त हुई है। सकल वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश पर हानि का मूल्य 5.20 करोड रूपये का प्रावधान (पिछले वर्ष 5.50 करोड़ रूपये) किया गया है। संयुक्त उद्यम कंपनी परिसमापन पर है ।

ड. पॉवर प्लांट परफोरमेंस इप्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड (PPIL)

पुराने जीवश्म ईंधन पॉवर संयत्रों के निष्पादन में सुधार को प्रोत्साहन हेतु पॉवर प्लांट परफॉरमेंस इंप्रूवमेट प्राइवेट लिमिटेड (PPIL), बीएचईएल और सीमेन्स, एजी, जर्मनी की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है ।

कंपनी को उचित कारोबार नहीं प्राप्त होने से सहयोगी पार्टनर कम्पनी को बंद करने पर सहमत हो गए हैं। सभी लंबित अनुबंधों को समाप्त कर दिया गया है और 2018–19 के दौरान कंपनी को बंद करने की शुरुआत की गई थी। संयुक्त उद्यम कंपनी अब परिसमापन पर है ।

1.5.4 समेकित वित्तीय विवरण (CFS)

समेकित वित्तीय विवरण, आइएनडी AS–110 ''समेकित वित्तीय विवरण'' एवं आइएनडी AS 28 ''सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में निवेश '' के अनुसार तैयार किया गया है ।

सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण को संयुक्त रूप से पंक्ति दर पंक्ति द्वारा अंतर्समूह शेष व अंतर्समूह लेनदेन को पूर्ण रूप से खत्म करते हुए तैयार किया गया है तथा संयुक्त उद्यमों के लिए आइएनडी A के अनुसार इक्विटी विधि अपनाई गई है । मैसर्स डीडीकेपीएल और मैसर्स पीपीपीआइएल को समेकित वित्तीय विवरण के लिए विचार नहीं किया गया है क्योंकि ये कंपनियॉं बंद होने की प्रक्रिया में हैं ।

वित्तीय निष्पादन के परिणाम का संक्षिप्त विवरण पूर्व लिखित भारतीय लेखा मानक के अनुसार निम्नलिखित है :–

वित्तीय निष्पादन

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
परिचालन से राजस्व	21490	30441
कर पूर्व लाभ	(659)	1840
कर पश्चात लाभ	(1468)	1002
अन्य व्यापक आय/ व्यय	(274)	(119)
कुल व्यापक आय	(1742)	883

संयुक्त उद्यम के रूप में वित्तीय वर्ष 2018–19 में 185.60 करोड़ रुपए की हानि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019–20 में लाभ में हिस्सेदारी 25.72 करोड़ रुपए थी।

संयुक्त उद्यम कंपनियों (NBPPL और RPCL) को वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान हानि हुई है। समूह ने अपने समेकित वित्तीय विवरण 2018–19 में निवेश लागत के बराबर संचित हानि पहले ही दर्शायी है।

वित्तीय स्थिति

(करोड़ रुपए में)

विवरण	वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020
परिसंपत्तियॉं		
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर, अमूर्त परिसंपतियॉं एवं सीडब्ल्यूआइपी (कुल मूल्य)	3131	3206
इक्विटी विधि से गणना किया गया निवेश	159	149
गैर–वर्तमान वित्तीय परिसंपतियॉं	5357	4021
विलंबित कर परिलब्धियॉं (कुल)	2766	3505
गैर–वर्तमान अन्य परिलब्धियॉं	16660	14672
वर्तमान परिसंपतियॉं	32711	38381
कुल	60784	63934
इक्विटी एवं देनदारी		
इक्विटी शेयर पूँजी	696	696
अन्य इक्विटी	27964	30208
गैर– नियंत्रित ब्याज	(9)	(7)
गैर–वर्तमान देनदारी	9456	9982
वर्तमान देनदारी	22677	23055
कुल	60784	63934

1.6 पूँजी निवेश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बीएचईएल ने कंपनी की परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण, उत्पादन प्रक्रिया में आने वाले वाले गतिरोधों को दूर करने, गुणवत्ता में सुधार एवं परियोजनाओं के निष्पादन के लिए बुनियादी ढांचे को सक्षम बनाने के लिए लगभग 336 करोड़ रुपए का निवेश किया है ।

बीएचईएल, ईपीडी बेंगलुरु में थर्मल सेक्टर में उत्सर्जन नियंत्रण के लिए सेलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (SCR) तकनीक के साथ फ्लू गैसों में NOx कमी के लिए उत्प्रेरक के निर्माण के लिए सुविधाएं स्थापित कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के ऊर्जा–मिश्रण में हरित ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, कंपनी द्वारा घरेलू रूप से विकसित किए गए अनेक रूफटॉप सोलर पीवी प्लांट लगाए गए ।

1.7 गुणता निष्पादन

बीएचईएल की गुणता नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक सुव्यवस्थित गुणता प्रबंधन प्रणाली है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के बाद दि. 1 नवंबर, 2019 को बीएचईएल की गुणता नीति को 'गुणता सर्वप्रथम' की कंपनी व्यापी संस्कृति के निर्माण के उद्देश्य से संशोधित कर जारी किया गया है।

कंपनी को भविष्य के लिए तैयार वैश्विक इंजीनियरिंग संगठन में बदलने के अपने प्रयासों के अंतर्गत, बीएचईएल ने कंपनी के उत्पादों और सेवाओं की एक पहचान बनाने के उद्देश्य से अत्याधुनिक प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए एक कंपनी व्यापी 'गुणता सर्वप्रथम' पहल शुरू की है।

मिशन 'गुणता सर्वप्रथम' चार उद्देश्यों पर केंद्रित है– सशक्त करना, शिक्षित करना, वचनबद्ध होना और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना तथा कंपनी के अंदर गुणता की आदत को और मजबूत करने के लिए नवीनतम गुणवत्ता प्रक्रियाओं और प्रणालियों को लागू करना ।

प्रक्रिया और उत्पाद की गुणवत्ता में निरंतर सुधार और गुणता प्रबंधन प्रणाली प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए विभिन्न पहल की गई है । विनिर्माण इकाइयों, इंजीनियरिंग केंद्रों और पॉवर सेक्टर परियोजना स्थलों में आवधिक गुणता लेखापरीक्षा, गुणवत्ता प्रबंधन प्रभावशीलता की

समीक्षा (गुणता 360 मॉडल के अनुसार) CQ & BE द्वारा CII के मार्गदर्शन में मौजूदा गुणता प्रणाली को मजबूत करने के लिए, यूरोपीय फाउंडेशन ऑफ़ क्वालिटी मैनेजमेंट (EFQM) के अनुसार संपूर्ण गुणता प्रबंधन (TQM) मूल्यांकन व्यापारिक उत्कृष्टता मॉडल तैयार किया जा रहा है

वर्ष 2019–20 के दौरान बीएचईएल के 23 प्रभागों में EFQM 2013 के अनुसार गुणता 360 समीक्षा एवं संपूर्ण गुणता प्रबंधन मूल्यांकन किया गया ।

उत्पाद एवं सेवा की गुणता में वृद्धि के उद्देश्य से 15 विनिर्माण इकाइयों में लगभग 50 तथा परियोजना साइट पर 30 उत्पाद / प्रक्रियाओं का गुणता लेखा परीक्षा किया गया।

गुणता के संबंध में 23 प्रभागों के गुणता स्वास्थ्य के मूल्यांकन हेतु एकीकृत गुणता स्वास्थ्य सूचकांक (QHI) का प्रतिपादन किया गया है जिनमें शामिल हैं:

क. गुणता निष्पादन सूचकों में सुधार

ख. गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की परिपक्वता और समग्र व्यापार उत्कृष्टता में सुधार

ग. गुणता छवि

गुणता क्षेत्र में कर्मचारियों की क्षमता निर्माण के लिए इकाइयों के मानव संसाधन विकास (HRD)केंद्रों के अलावा बीएचईएल के विभिन्न केंद्रों में गुणता प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 2019–20 के दौरान कॉर्पोरेट गुणता और व्यावसायिक उत्कृष्टता विभाग द्वारा आयोजित गुणवत्ता प्रबंधन विषयों में 550 से अधिक कार्यपालकों को कुल 1650 श्रम दिवसों के प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

डिजिटलीकरण संबंधी पहल

वैल्डिंग निष्पादन निगरानी प्रणाली (WPMS)

गुणता सुधार हेतु वैल्डरों के निष्पादन का मूल्यांकन, वैल्डिंग प्रक्रियाओं एवं वेल्ड ज्वाइंट के ऑकड़ों का विश्लेषण आदि के लिए 6 पॉवर सेक्टर प्रोजेक्ट साइटों के लिए ऑनलाइन वैल्डिंग निष्पादन निगरानी प्रणाली को आंतरिक रूप से विकसित एवं कार्यान्वित किया गया है । इसके अतिरिक्त, स्वचालित निर्माण वेल्डिंग शेड्यूल (ईडब्ल्यूएस) सीधे वैल्डिंग निष्पादन निगरानी प्रणाली में पॉप्युलेट किया जाता है, जो साइट पर वैल्ड ज्वाइंट की योजना समय चक्र को कम करने में सहायता प्रदान करता है।

त्वरित प्रतिक्रिया सूचना प्रणाली (QRN)

साइटों एवं विनिर्माण इकाइयों में उत्पाद खराबी की घटना घटित होने के 24 घंटों के अंदर रिपोर्टिंग के उद्देश्य के लिए मोबाइल एप्लिकेशन के साथ केंद्रीय ऑनलाइन प्रणाली विकसित की गई है ।

यह प्रणाली प्रमुख गुणता के मुद्दों/ उपकरणों/ उत्पाद की विनिर्माण, परीक्षण के साथ–साथ स्थापना, कमिशनिंग तथा कमिशनिंग के बाद आने वाले खराबी के बारे उच्च प्रबंधन को त्वरित रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है ।

गुणता चक्र

बीएचईएल में कामगारों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा गुणता चक्र अभियान चलाया जाता है देश में एक प्रेरणा का स्त्रोत है । हर वर्ष बीएचईएल में वार्षिक गुणता चक्र सम्मेलन आयोजित किया जाता है जिसमें गुणता चक्र अपनी केस स्टडी प्रस्तुत करते हैं । 29 वाँ BAQCS (बीएचईएल वार्षिक गुणता चक्र सम्मेलन:2018–19) दिनांक 26 अप्रैल, 2019 को हीप हरिद्वार में आयोजित किया गया। 15 इकाइयों के 48 गुणता चक्रों ने सम्मेलन में प्रतिभागिता की । HPBP तिरुच्चि के गुणता चक्र सं. 582 को ''ज्यादा मोटाई वाले हाइड्रो एंड कवर प्लेट वेल्डिंग का स्वचालन'' केस स्टडी के लिए सर्वश्रेष्ठ गुणता चक्र एस आर उडपा ट्रॉफी से सम्मानित किया गया ।

आरसीए

विनिर्माण इकाइयों एवं प्रोजेक्ट साइटों में गुणता संबंधी समस्याओं के लिए मूल कारण विश्लेषण (RCA) पर बल दिया जाता है । आंतरिक इकाई स्थायी आरसीए समिति और अंतर इकाई विशेष आरसीए समिति, गुणता संबंधी समस्याओं का विश्लेषण करती है और उनके लिए सुधारात्मक कार्रवाई की संस्तुत करती है । आरसीए के निष्कर्ष, ग्राहकों से एवं प्रबंधन समिति बैठकों (MCM) में साझा किए जाते हैं। संस्थान में आरसीए पहल को सुसंस्थापित किया गया है ।

अन्य पहलें

बीएचईएल में मई, 2019 को केंद्रीय लोक उद्यमों में गुणता प्रबंधन एवं व्यापारिक उत्कृष्टता पर एक दिवसीय परस्पर ज्ञान आदान–प्रदान (नॉलिज शेयरिंग) कार्यक्रम आयोजित किया गया । इसमें सेल, एनटीपीसी, बीईएल, आईओसीएल, बीपीसीएल, टीएचडीसी, आईजीएल, ओएनजीसी, गेल, पॉवर ग्रिडऔर एनएचपीसी के प्रतिनिधियों ने प्रतिभागिता की और अपनी सर्वोत्तम परंपराएं साझा की ।

मानकीकरण पहल के रूप में एनटीपीसी दादरी साइट में इरेक्शन जाँच एवं कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) के लिए फील्ड गुणता योजना (FQPs) तैयार की गई । पॉवर सेक्टर के लिए हीट ट्रीटमेंट एवं एनडीई नियमावली की समीक्षा की गई एवंसंशोधन के बाद जारी की गई।

विनिर्माण इकाइयों से निर्यात की जाने वाली आपूर्तियों की साज सज्जा (पेंटिंग एवं पेकेजिंग) पर ध्यान केंद्रित किया गया । कॉर्पोरेट क्वालिटी एवं व्यापारिक उत्कृष्टता विभाग द्वारा विनिर्माण इकाइयों में प्रेषण से पूर्व निरीक्षण किया गया ।

गुणता प्रमाणन एवं व्यापारिक उत्कृष्टता पुरस्कार

क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया (QCFI), हैदराबाद चेप्टर द्वारा आयोजित 33वें चेप्टर कन्वेंशन ऑन क्वालिटी कंसेप्ट (CCQC–2019) में एचईपीपी हैदराबाद इकाई को ''भारत में गुणता चक्र अभियान की प्रगति और इसके विकास में योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ संगठन'' के रूप में सम्मानित किया गया ।

निदेशक ई आर एंड डी अन्य प्रबंधन समिति सदस्यों के साथ वार्षिक गुणवत्ता चक्र शिखर सम्मेलन 2019 में एचईईपी में तकनीकी विकास फोटो को साझा करते हुए।

बीएचईएल भोपाल में स्थितअल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइव

वाह्य एजेंसियों द्वारा प्रमाणन एवं मान्यता

- बीएचईएल की सभी विनिर्माण इकाइयाँ, पॉवर सेक्टर एवं अभियांत्रिकी केंद्र आइएसओ 9001–2015 प्रमाणित हैं ।
- एचपीईपी हैदराबाद को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मेकेनिकल इंजीनियरिंग (ASME) द्वारा 'U' "U2" प्रमाणन से पुनः प्रमाणित किया गया जिसकी वैधता 24 अगस्त, 2022 तक है ।
- एचईपी भोपाल को एएसएमई द्वारा एएसएमई 'यू'स्टेंप प्रमाण पत्र प्रदान किया गया जिसकी वैधता 10 जनवरी, 2020 से 20 अक्तूबर, 2022 तक है ।
- एचईपी भोपाल के तकनीकी सेवा प्रभाग (मैकेनिकल, मेटलर्जी, केमिकल एवं इलेक्ट्रिकल) के सभी परीक्षण प्रयोगशालाओं को एनएबीएल द्वारा नवीनतम आइएस/आइसी –17025:2017 वर्जन से 14 अगस्त, 2019 से 2 वर्षों के लिए मान्यता दी गई है । यूएचवी प्रयोगशाला द्वारा मानक आइएसओ/ आइसी 17025:2017 के अनुसार एनएबीएल प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया जिसकी अवधि 2 वर्षों के लिए है ।
- एचपीवीपी विजाग को रॉकेट के फ्यूल स्टोरेज सिस्टम में ECS (पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली एवं एसपीएस (सहायक पॉवर प्रणाली) के कूलिंग सिस्टम की डिजाइनिंग, विकास एवं विनिर्माण के लिए एएस 9100:2016 प्रमाणन प्राप्त हुआ । प्रमाण पत्र की वैधता 18 फरवरी, 2023 तक है ।

1.8 आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली

बीएचईएल का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (IFC) अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियों और प्रक्रियाओं के रूप में निर्मित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह उनके व्यवसाय के क्रमबद्ध और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने, कंपनी की नीतियों का पालन, परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की पहचान और रोकथाम, सटीकता और पूर्णता का पता लगाने लेखांकन के रिकॉर्ड, और विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी के लिए है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के कार्यान्वयन और रखरखाव के स्रोत नियम पुस्तकें, दिशा निदेश, शक्तियों का प्रत्यायोजन, आईटी प्रणाली और नियंत्रण हैं और अच्छी तरह से परिभाषित संगठनात्मक संरचना अर्थात प्रक्रियाओं के प्रत्येक चरण में विभिन्न स्तरों पर कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के माध्यम से प्रभावित होती है ।

बीएचईएल के पास इन–हाउस आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है जो अपने व्यवसाय के संचालन और प्रकृति के आकार के अनुरूप है। इसके अलावा, सभी स्थानों पर आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों को कवर करने के लिए कंपनी में 12 आंतरिक लेखा परीक्षा कक्ष स्थापित किए गए हैं। आईएफसी की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए, आंतरिक ऑडिट जोखिम वाले क्षेत्रों के निरंतर ऑडिट और संबंधित स्थानों पर प्रक्रियाओं और प्रणालियों के कामकाज का महत्वपूर्ण मूल्यांकन करता है ।

लेखा परीक्षा निदेशक मंडल स्तरीय ऑडिट कमेटी (बीएलएसी) द्वारा अनुमोदित वार्षिक ऑडिट कार्यक्रम के अनुसार की जाती हैं । आंतरिक लेखा परीक्षा गतिविधियों के मुख्य बिंदु विभिन्न मंचों पर वरिष्ठ अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाते हैं और इसे इकाइयों और क्षेत्रों के साथ साझा किया जाता है। बीएलएसी प्रमुख आंतरिक ऑडिट टिप्पणियों और सीएजी ऑडिट निष्कर्षों की भी समीक्षा करता है और कंपनी के गतिशील वातावरण को ध्यान में रखते हुए, आईएफसी को मजबूत करने के लिए जहां भी आवश्यकता होती है, दिशा निदेश जारी करता है ।

बीएचईएल के पास प्रणालियों और प्रक्रियाओं के सुधार और शासन तंत्र के सुदृढ़ीकरण की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई की निरंतर निगरानी के लिए एक प्रक्रिया है। कंपनी अपने सभी प्रक्रियाओं और नियंत्रणों को सर्वोत्तम वैश्विक और राष्ट्रीय प्रथाओं के साथ संरेखित करने के अपने प्रयासों को जारी रखती है।

बीएचईएल में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का मूल्यांकन आंतरिक परीक्षण द्वारा सभी स्थानों पर वर्ष के दौरान नियंत्रणों के परीक्षण को लागू करके किया गया है, और परीक्षण किए गए नियंत्रणों को कंपनी के भीतर प्रभावी ढंग से संचालित किया गया है।

1.9 मानव संसाधन

1.9.1 ज्ञानार्जन एवं विकास

वर्ष 2019–20 के दौरान पूरी कंपनी में प्रति कर्मचारी औसतन 3.70 श्रम दिवस प्रशिक्षण प्रदान किया गया । बीएचईएल की सभी इकाइयों में लगभग 5500 गैर–कर्मचारियों जैसे–अप्रेंटिस, प्रशिक्षुओं, ग्राहकों, विक्रेताओं आदि को भी प्रशिक्षण प्रदान किया गया । कॉर्पोरेट ज्ञानार्जन एवं विकास (CLD) नोयडा / इकाइयों / आईआईएम द्वारा 115 प्रशिक्षण कार्यक्रम (42 तकनीकी और 68 गैर–तकनीकी, आयोजित किए गए जिनमें लगभग 2650 कर्मचारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर के अधिकारियों सहित लगभग 251 कार्यपालकों के लिए सात कार्यक्रम आयोजित किए गए । वरिष्ठ प्रबंधन के अधिकारियों के लिए उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी) आयोजित किए गए, जो कि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के लिए नेतृत्व क्षमता विकसित करने और प्रतिस्पर्धी लाभ के लिए परिवर्तन को लागू करने पर केंद्रित थे। प्रभावित एवं प्रेरित करने हेतु नई नेतृत्व क्षमता अर्जित करने पर केंद्रित नेतृत्व प्रबंधन कार्यक्रम (LMPs) भी आयोजित किए गए । मध्यम प्रबंधन स्तर के कार्यपालकों के लिए उत्कृष्टता प्रबंधन कार्यक्रम (ईएमपी) आयोजित किए गए, जो विशिष्ट क्रॉस–फंक्शनल विषयों को एकीकृत करने की क्षमता विकसित करने पर केंद्रित थे।

सीएलडी नोएडा में मार्च, 2020 में आयोजित डिजाईन थिंकिंग कार्यशाला

मार्च 2020 में पहली बार रेवेन्यू जनरेशन मोड में एक डिज़ाइन थिंकिंग वर्कशॉप आयोजित की गई, जिसमें जीई, गेल, बामर लारी, वोल्टास, केईआइ, एमएमटीसीआदि विभिन्न संगठनों के अधिकारियों ने भाग लिया।

वर्ष 2019–20 में मुख्य कार्यक्रमों के माध्यम से कर्मचारियों के विकास के लिए, छह वरिष्ठ प्रबंधन कार्यक्रम, छह सामान्य प्रबंधन कार्यक्रम और दो युवा प्रबंधक कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें क्रमशः 124, 145 और 58 कार्यपालकों ने प्रतिभागिता की।

मौजूदा व्यावसायिक क्षेत्रों में तकनीकी क्षमता बढ़ाने के लिए, मौजूदा व्यवसाय को कवर करने वाले विभिन्न तकनीकी प्रशिक्षण आयोजित किए गए । इसके अलावा, ई–मोबिलिटी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, वॉटर बिजनेस, डेटा एनालिटिक्स, हाइड्रो एंड सोलर प्रोजेक्ट्स का डिज़ाइन, एफजीडीऔर एससीआर आदि जैसे नए व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षण भी आयोजित किए गए। इकाइयों के मानव संसाधन विकास केंद्रों में आयोजित किए गए कार्यक्रमों के अलावा सीएलडी में वर्ष के दौरान 16 तकनीकी कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

सीएलडी द्वारा कर्मचारियों के लिए उन्नयन नामक चौबीस घंटे ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम (LMS), लांच किया गया जिसका उद्देश्य सीखना, साझा करना और विकास करना है। वर्ष में उन्नयन द्वारा विभिन्न तकनीकी, प्रकार्यात्मक और विकास संबंधी विषयों पर 16 वेब लर्निंग कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें लगभग 8000 प्रशिक्षण मानव घंटे का समय व्यतीत किया गया । लॉकडाउन की अवधि के दौरान, उन्नयन ने भौगोलिक बाधाओं को दूर करने में मदद करते हुए हर कर्मचारी को कभी भी, कहीं भी सीखने और विकास की प्रक्रिया – जारी रखने का अवसर दिया ।

पनकी, भुसावल और पतरातू परियोजनाओं के लिए प्रिज्म (परियोजना सुधार और साइट प्रबंधन) कार्यशालाएं आयोजित की गईं। साइट, क्षेत्र मुख्यालय और पीएमजी के साथ–साथ पीएस–मार्केटिंग के कर्मचारियों ने टीम निर्माण अभ्यास में उत्साह के साथ भाग लिया और साथ ही अनुलग्नक के नियमों और शर्तों और परियोजनाओं के अन्य पहलुओं पर चर्चा की । संबंधित परियोजनाओं के ग्राहक प्रतिनिधि भी वार्तालाप में शामिल हुए। निदेशक (पॉवर) और निदेशक (ई, आर एंड डी) भी पीआरआइएसएम– भुसावल में प्रतिभागियों के साथ एक संयुक्त वार्तालाप में शामिल हुए ।

पुरस्कार एवं उपलब्धियाँ

- गवर्नेंस नाव पीएसयू अवार्ड 2020, तीन श्रेणियों में: मानव संसाधन उत्कृष्टता और कर्मचारियों की रि स्किलिंग, अनुसंधान एवं नवीकरण और जिओ–स्ट्रेटजिक रीच ।
- वर्ष 2019–20 में कौशल विकास में अनुकरणीय कार्य के लिए भारत सरकार द्वारा प्रशस्ति पत्र।
- सार्वजनिक क्षेत्र की श्रेणी के अंतर्गत आइ एसटीडी द्वारा स्थापित अभिनव प्रशिक्षण परंपराओं के लिए 29वें राष्ट्रीय पुरस्कारों में विशेष प्रशंसा पुरस्कार।

1.9.2 निष्पादन एवं कैरियर विकास

पारदर्शिता लाने, उत्तरदायित्व और जवाबदेही बढ़ाने, मूल्यांकन में पूर्वाग्रह की धारणा को समाप्त करने और उच्च निष्पादन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, बीएचईएल निष्पादन प्रबंधन प्रणाली, ई–मैप 2019–20 की अंतिम समीक्षा और निष्पादन योजना 2020–21 के लिए संशोधित की गई।

जॉब डिस्क्रिप्शन (JDs) की उपलब्धता स्पष्टता और तर्कसंगत कार्य वितरण को बढ़ावा देती है। जॉब डिस्क्रिप्शन सृजन प्रक्रिया के मानकीकरण के लिए SAP में एक मॉड्यूल तैयार किया गया है जिसका कार्य जॉब डिस्क्रिप्शन एवं सक्षमता प्रोफाइल तैयार करना है जिसके द्वारा प्रमुख पदों की महत्त्वपूर्ण वर्तमान जिम्मेदारियों एवं तकनीकी व व्याहारिक सक्षमता सृजित की जा सके एवं इन्हें जारी रखा जा सके । प्रमुख पदों के जॉब डिस्क्रिप्शन एवं सक्षमता प्रोफाइल का मानकीकरण उत्तराधिकारियों की पहचान, केरियर की प्रगति का आकलन एवं तकनीकी व व्याहरिक सक्षमता के विकास के लिए किया जा सकता है ।

कंपनी और इकाई स्तर पर सुधार (OFI) के अवसरों की पहचान, चिह्नित क्षेत्रों में समयबद्ध तरीके से सुधार लाना, विभिन्न इकाइयों में आंतरिक बेंच मार्किंग आदि के लिए हर दूसरे वर्ष कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण किया जाता है । जिससे बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों की सर्वोत्तम परंपराओं को लागू किया जा सके।

वर्ष 2019–20 में केंद्रीय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीएचईएल की सभी इकाइयों के विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी संतुष्टि सर्वेक्षण (ESES) का आयोजन किया गया । सर्वेक्षण के लिए क्षेत्रीय भाषाओं को भी शामिल किया गया। ईएसईएस 2019–20 में 17000 से अधिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई जो कि कुल जनशक्ति का 50 प्रतिशत से अधिक है। इन प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण किया गया और कार्य और संतुष्टि के स्तर को बनाए रखने और इसमें अभिवृद्धि के लिए कार्य योजना का प्रस्तुतीकरण शीर्ष प्रबंधन को किया गया।

कर्मचारी से संबंधित उत्तम कार्य प्रणाली को लागू करने और मानव संसाधन की क्षमता में लगातार सुधार करने के लिए, 2018–19 से बीएचईएल में पीपुल्स–कैपेसिटर मैच्योरिटी मॉडल (सीएमएम) तैयार किया गया है। तदनुसार, मैसर्स क्यूएआई इंडिया लिमिटेड बीएचईएल के मार्गदर्शन में 2018–19 के दौरान पूरे संगठन में आकलन किया गया था, जो कुछ सुधार क्षेत्रों के साथ पी–सीएमएम स्तर 2 के साथ काफी हद तक सही पाया गया। बीएचईएल ने पी–सीएमएम लेवल 3 की दिशा में अपनी यात्रा शुरू की है जिसमें योग्यता आधारित प्रक्रिया क्षेत्रों की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता की परिकल्पना की गई है ।

उच्च स्तरीय भूमिकाओं को शुरू करने के लिए तैयार गठबंधन अधिकारियों के एक समूह को तैयार करने के लिए, इन–हाउस बीएचईएल ऑनलाइन डेवलपमेंट सेंटर (बीओडीसी) कार्ययोजना को पिछले अनुभव के आधार पर डिजाइन और विकसित किया गया और व्यक्तिगत एवं संगठन स्तर पर व्यवहारिक दक्षताओं के स्तर का आकलन करने, पहचानने, शुरू करने और विकसित करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में परीक्षण किया गया था । बीओडीसी में जॉब से संबंधित सिमुलेशन, व्यक्तिगत लर्निंग पैटर्न, एसएचएल क्विकसिफ्ट, परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेना, परीक्षण आदि सहित कई मूल्यांकन तकनीक शामिल हैं। ये परीक्षण उत्तरदाताओं का व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार की दक्षताओं का आकलन करते हैं। इस दौरान 124 वरिष्ठ अधिकारियों को इस कार्य–योजना में शामिल किया गया। इसमें मध्यम और वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों को शामिल करने की योजना है।

कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (पी) के अंतर्गत प्रकटीकरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (पी) के अनुसार, एक सूचीबद्ध कंपनी की निदेशक मंडल रिपोर्ट में निदेशक मंडल , व्यक्तिगत निदेशकों आदि के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन की विधि को दर्शाने वाला विवरण शामिल होगा। दिनांक 5 जून, 2015 को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों से सरकारी कंपनियों को छूट को अधिसूचित किया गया, जो अन्य बातों के साथ धारा 134 (3) (पी), औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन विवरणिका के संबंध में सरकारी कंपनियों पर लागू नहीं होगी यदि निदेशक मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जो प्रशासनिक रूप से प्रभारी है।

इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त छूट के अनुरूप, नियुक्ति, प्रदर्शन मूल्यांकन और पारिश्रमिक के संबंध में धारा 178 की उप–धारा (2), (3) और (4) सरकारी कंपनियों के निदेशकों पर लागू नहीं होगी।

सीपीएसई में, कंपनी और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित एमओयू उन मापदंडों और पहलुओं का विवरण देता है जो कंपनी को उस वित्तीय वर्ष के दौरान करने के लिए आवश्यक हैं। वर्ष के अंत में इस एमओयू का सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाता है एवं निर्धारित मानदंडों के आधार पर बीएचईएल को निष्पादन रेटिंग दी जाती है । इसके अलावा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों के प्रदर्शन मूल्यांकन के लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है । सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने एक प्रारूप तैयार किया है और कार्यकारी निदेशक के निष्पादन मूल्यांकन हेतु एक प्रक्रिया निर्धारित की है। कार्यकारी निदेशकों के कार्यकाल की अवधि पाँच वर्ष या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख, जो भी पहले हो; को नियुक्ति के शर्तानुसार नियम एवं शर्तो में उल्लेख किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल (सामान्यतः तीन वर्ष की अवधि) भारत सरकार द्वारा तय की जाती है। निदेशक मंडल स्तर की समितियों के विचारार्थ विषय को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाता है । निदेशक मंडल स्तर की समितियों के कार्यवृत्त को निदेशक मंडल के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

बीएचईएल के प्रशासनिक मंत्रालय (डीएचआइ) के माध्यम से मई, 2018 से डीपीई ने कंपनी के निदेशक मंडल में गैर–अधिकारिक (स्वतंत्र प्रभार) निदेशकों के निष्पादन मूल्यांकन का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया गया है।

1.9.3 औद्योगिक संबंध

हमारी औद्योगिक संबंध यात्रा का मूल मंत्र 'सभी की प्रतिभागिता से सबका विकास संभव है' के माध्यम से बीएचईएल के सभी वर्गो के कर्मचारियों के साथ खुला एवं निरंतर संचार नीति को सुनिश्चित किया गया। सहभागी संस्कृति को दिया गया प्रोत्साहन विभिन्न कर्मचारी समूहों के सहयोग से प्रबंधन द्वारा उचित व्यवहार के साथ निरंतर एक सौहार्दपूर्ण एवं सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहायक रहा है।

वितीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी की विभिन्न विनिर्माण इकाइयों, प्रभागों और कार्यालयों में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण एवं शांतिपूर्ण रहा। कंपनी में प्रचलित इको सिस्टम के परिणामस्वरूप, कंपनी की नीतियों के खिलाफ हड़ताल के कारण वर्ष के दौरान 'शून्य मानव–दिवस हानि रही, जो प्रबंधन और कर्मचारी समूहों द्वारा किए गए संयुक्त प्रयासों का परिणाम है।

वर्ष के दौरान शीर्ष स्तरीय द्विदलीय मंच, अर्थात् ''संयुक्त समिति'' की 02 बैठकें आयोजित की गई । प्लांट काउंसिल की 45 बैठकें और शॉप काउंसिल की 501 बैठकें हुई। इसके

अलावा, व्यावसायिक संभावनाओं और चुनौतियां, कंपनी स्तर के मुद्दों आदि पर अधिकारियों और पर्यवेक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें भी हुईं।

विभिन्न द्विदलीय मंचों पर कंपनी के समग्र प्रदर्शन में सुधार पर केंद्रित ग्राहक प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकता, कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हेतु लागत में कमी के लिए विभिन्न प्रयासों, गुणवत्ता और सुपुर्दगी में सुधार विभिन्न चर्चाओं में ध्यान आकृष्ट किया गया है।

बीएचईएल के कर्मचारियों ने कोविड–19 वैश्विक महामारी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर की लड़ाई को मजबूती प्रदान करने के लिए एक दिन की वेतन राशि रु. 8.72 करोड़ का योगदान किया ।

1.9.4 श्रमशक्ति

बीएचईएल की सबसे बड़ी शक्ति इसके अति कुशल और प्रतिबद्ध कर्मचारी हैं जिनकी संख्या 31 मार्च, 2020 को 33,762 थी।

1.9.5 राष्ट्रपति के निदेशों की स्थिति

1.9.5.1 आरक्षित वर्ग हेतु आरक्षण नीति पर निर्देश

केंद्र सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आरक्षण नीति पर राष्ट्रपति के निदेश सीधी भर्ती में कुछ प्रतिशत आरक्षण साथ–साथ निर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान प्रदान करते हैं। इसके अलावा, निर्देशों में प्रत्यक्ष भर्ती और पदोन्नति में कर्मचारियों की निर्दिष्ट श्रेणी के लिए कुछ रियायतें और छूट का भी प्रावधान है । संदर्भित विषय पर राष्ट्रपति के निदेश का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है और सरकार द्वारा निर्धारित पोस्ट आधारित रोस्टर प्रणाली के रखरखाव के माध्यम से आरक्षण का प्रतिशत सुनिश्चित किया जाता है। हालांकि, कंपनी की वित्तीय स्थिति पर इन दिशा–निर्देशों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं है।

उक्त विषय से संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:

i. एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडब्लूएस कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

दिनांक 31/12/2019 को कुल जनशक्ति में एससी/ एसटी/ ओबीसी कर्मचारियों का कुल प्रतिनिधित्व क्रमशः 20.56 प्रतिशत, 7.27 प्रतिशत और 34.25 प्रतिशत था। वर्ष 2019 के दौरान सीधी भर्ती में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए प्रतिशत क्रमशः 14.47 प्रतिशत, 7.24 प्रतिशत एवं 25.00 प्रतिशत था ।

वर्ष 2019 में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए मौजूदा आरक्षण के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण आरंभ किया गया। कैलेंडर वर्ष 2019 के दौरान, सीधी भर्ती में ईडब्ल्यूएस का प्रतिशत 8.55 प्रतिशत था।

दिनांक 31/12/2019 के अनुसार, सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप वार्षिक विवरणिका में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व को वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या को अनुलग्नक–ए में दर्शाया गया है ।

ii. 31 दिसम्बर, 2019 को पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की स्थिति

दिनांक 31/12/2019 को कुल पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की संख्या 896 थी। वर्ष 2019 में पीडब्ल्यूडी श्रेणी के अंतर्गत 06 व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। दिनांक 31/12/2019 को कंपनी में पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की समूहवार जनशक्ति की स्थिति अनुलग्नक– बी में दी गई है ।

1.9.5.2 कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा

कार्यस्थल पर महिलाओं के विरूद्ध लैंगिक उत्पीड़न निवारण अधिनियम एवं लैगिक उत्पीड़न शिकायतों एवं इससे संबंधित मामलों की "महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013" 9 दिसम्बर, 2013 से प्रभाव में आया । यह अधिनियम भारत सरकार के महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत "महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013" कहा जाता है ।

इस अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जा रहा है । इस अधिनियम के अनुसरण में बीएचईएल द्वारा सभी इकाइयों में आंतरिक समितियों का गठन किया गया है एवं उनके गठन एवं संपर्क सूत्र इकाई की वेबसाइट में दिया गया है। अधिनियम के मुख्य प्रावधान, नियोक्ता के कर्तव्य, शिकायत निवारण कार्यप्रणाली, विद्वेषपूर्ण शिकायतों पर कार्रवाई एवं यौन उत्पीडन संबंधी त्रुटियों को हिन्दी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं में पोस्टरों के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित किया गया है । इकाई स्तर पर, यौन उत्पीड़न अधिनियम, लिंग संवेदीकरण, महिलाओं के खिलाफ अपराध और साइबर–अपराध पर 37 कार्यशालाएं / जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्राप्त यौन उत्पीड़न की शिकायतों की संख्या और 31.03.2020 की स्थिति के बारे में विवरण वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–सी में दिया गया है ।

अनुलग्नक – ए

समूह	एससी/ एसटी/ ओबीसी/ ईडब्ल्यूएस का प्रतिनिधित्व (31 दिसम्बर,2019 के अनुसार)					केलेण्डर वर्ष 2019 में की गई नियुक्तियों की सख्या											
						सीधी भर्ती द्वारा					पदोन्नति द्वारा			प्रतिनियुक्ति/ समायोजन द्वारा			
	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	ओबीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
समूह ए	11028	1953	899	2690	13	143	22	11	36	13				1	1	0	0
समूह बी	7270	1437	639	1811	0	1	0	0	0	0				0	0	0	0
समूह सी	15479	3524	937	7059	0	8	0	0	2	0				0	0	0	0
समूह सी बिना SW)	316	65	5	132	0	0	0	0	0	0	लागू नहीं			0	0	0	0
समूह डी (SW)	41	38	1	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0	0
कुल	**34134**	**7017**	**2481**	**11692**	**13**	**152**	**22**	**11**	**38**	**13**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**	**0**	**0**

* बीएचईएल में, पदोन्नति के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की जाती है।

अनुलग्नक – बी

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या				सीधी भर्ती द्वारा							पदोन्नति द्वारा*						
	कर्मचारियों की कुल संख्या	वीएच	एचएच	ओएच	आरक्षित रिक्तियों की सं.			कुल	कुल नियुक्तियाँ की गई			आरक्षित रिक्तियों की सं.			कुल	कुल नियुक्तियाँ की गई		
					वीएच	एचएच	ओएच		वीएच	एचएच	ओएच	वीएच	एचएच	ओएच		वीएच	एचएच	ओएच
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
समूह ए	11028	6	17	241	2	2	2	143	1	0	4							
समूह बी	7270	1	16	185	0	0	0	1	0	0	0							
समूह सी	15479	16	29	373	0	0	1	8	0	0	1	लागू नहीं						
समूह डी	357	2	5	5	0	0	0	0	0	0	0							
कुल	**34134**	**25**	**67**	**804**	**2**	**2**	**3**	**152**	**1**	**0**	**5**							

नोटः (1) VH का अर्थ है दृष्टिहीन विकलांग (अंधेपन या अल्प दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)

(2) HHV का अर्थ है हियरिंग हैंडीकैप्ड (श्रवण दोष से पीड़ित व्यक्ति)

(3) OH का अर्थ है ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड (लोकोमोटर अपंगता या मस्तिष्क पक्षाघात से पीड़ित व्यक्ति)

* आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के अनुसार, पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं है।

अनुलग्नक– सी

कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा पर वार्षिक रिपोर्ट

1	वर्ष 2019–2020 के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (पिछले वर्ष से केरीफारवर्ड की शिकायतें)	3
2	वर्ष 2019–20 के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या (पिछले वर्ष से केरीफारवर्ड की शिकायतें)	3
3	90 से अधिक दिनों से लंबित मामलों की संख्या	1
4	यौन उत्पीड़न के खिलाफ कार्यशाला या जागरूकता कार्यक्रम की संख्या	37
5	**आईसीसी की सिफारिशों पर नियोक्ता द्वारा की गई कार्रवाई की प्रकृति**	
.	एक प्रशिक्षु द्वारा शिकायत की गई थी जिसमें उसने उल्लेख किया था कि वह कुछ आधिकारिक काम के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी के केबिन में गई थी, अधिकारी ने उस पर कुछ टिप्पणी की, जिसे उसने अनुचित पाया। समिति ने दोनों पक्षों को बुलाया और उनके विचार सुने। शिकायतकर्ता ने औपचारिक माफी के लिए आग्रह किया जिसके लिए प्रतिवादी सहमत हो गया। आईसीसी ने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पक्षों के बीच मामले को सुलझाया और मामला समाप्त कर दिया गया।	मामला समाप्त
.	एक महिला कर्मचारी ने कार्यस्थल पर एक पुरुष कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत की, आईसीसी ने नियमानुसार कार्रवाई की। पुरुष कर्मचारी को एक चेतावनी पत्र जारी किया गया।	मामला समाप्त
.	आईसीसी द्वारा एक महिला कर्मचारी से एक पुरुष कर्मचारी के खिलाफ शिकायत की गई, जिसने उसे कार्यस्थल पर संपर्क किया और अश्लील टिप्पणी की। उसने कैंटीन और अन्य काम के स्थानों पर भी उसका पीछा किया। पुरुष कर्मचारी को चार्जशीट जारी की गई और आईसीसी द्वारा जांच पूरी करने पर, उसके खिलाफ लगाए गए आरोप आंशिक रूप से साबित हुए। पुरुष कर्मचारी पर "सेंसर' का जुर्माना लगाया गया।	मामला समाप्त

* 01 मामला जो अभी भी चल रहा है, शामिल है

प्रतिवादी की अनुपस्थिति के कारण जो लंबे समय से अवकाश पर था और लगातार ड्यूटी पर नहीं आ रहा था।

1.10 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुरूप, बीएचईएल पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने की दिशा में काम करता है। कॉर्पोरेट कार्यालय में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के साथ–साथ 24 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयों में एक–एक सीपीआईओ कंपनी में कार्य कर रहे हैं। अधिनियम के अंतर्गत 25 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी भी दायर की गई प्रथम अपील के निपटान के लिए कंपनी में कार्य कर रहे हैं ।

नागरिकों को अपने आरटीआई आवेदन और ऑनलाइन अपील दायर करने में सुविधा प्रदान करने के उपाय के रूप में, बीएचईएल ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन आरटीआई वेब पोर्टल (https://rtionline.gov.in) को अपनाया है । इसके फलस्वरूप, इस ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल पर दायर आरटीआई आवेदन और आरटीआई प्रथम अपील को ऑनलाइन माध्यम से ही उत्तर दिया जाता है। धारा 4 (1) (बी) की जानकारी को बीएचईएल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा, कुछ दिशानिर्देश और प्रोफार्मा (एस) जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया और बीएचईएल की वेबसाइट पर आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत प्रथम अपील दायर करने के लिए दर्शाए गए हैं।

सीपीआईओ और अन्य आंतरिक हितधारकों को प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से अधिनियम के अंतर्गत अपने दायित्वों के बारे में जागरूक किया जाता है।

सार्वजनिक उद्यम के स्थायी सम्मेलन (स्कोप) द्वारा गठित आरटीआई संचालन समिति के सदस्य होने के नाते बीएचईएल सक्रिय रूप से बैठकों और स्कोप द्वारा आयोजित मामलों में सूचना का अधिकार से संबंधित विचार विमर्श में भाग लेता है। सभी चार तिमाही के लिए त्रैमासिक आरटीआई रिटर्न केंद्रीय सूचना आयोग को प्रस्तुत की गई है। 2019–20 के दौरान, 1333 आवेदन तथा 255 अपील प्राप्त हुई थीं और 1321 आवेदन एवं 214 अपील का निपटारा किया गया ।

1.11 जोखिम और चिंताएं

संरचनात्मक और व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए बीएचईएल के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ''जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति'' है । इस प्राधिकार का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, आकलन, प्रतिक्रिया, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए एक सामान्य समझ, भाषा और कार्यप्रणाली स्थापित करना है और प्रबंधन को यह आश्वासन देना है कि कंपनी में महत्वपूर्ण जोखिमों की सही पहचान और और प्रभावी रूप से प्रबंधित किया जा रहा है ।

निदेशक मंडल स्तर की 'जोखिम प्रबंधन समिति'(BLRMC) को कंपनी के जोखिम शासन ढांचे, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। निदेशक मंडल / BLRMC नियमित रूप से प्रमुख जोखिम वाले क्षेत्रों की समीक्षा करता है।

कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण ''जोखिम प्रबंधन संचालन समिति'' (RMSC) द्वारा विस्तार से किया जाता है, जो जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने एवं कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ), बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक, निदेशक मंडल / बीएलआरएमसी जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए उत्तरदायी हैं ।

यूनिट स्तर पर जोखिम प्रबंधन समितियां अपने–अपने क्षेत्रों से संबंधित जोखिमों का विश्लेषण करती हैं, शमन योजना तैयार कर, उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर शीर्ष प्रबंधन को भी सूचित करती हैं।

कंपनी के सामने आने वाले कुछ प्रमुख जोखिम और उनके शमन के लिए संबंधित रणनीति नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित हैं;–

जोखिम का विवरण	शमन नीति
ऑनलाइन डाटा एवं सूचना की सुरक्षा भंग होने के कारण हानि एवं जटिल सूचना संरचना का ब्रेकडाउन	• सभी इंटरनेट ट्रेफिक की मोनिटरिंग के लिए सभी इंटरनेट गेटवेस को साइबर (सुरक्षा संचालन केंद्र) से जोड़ा गया है • साइबर एसओसी में ट्रेंड माइक्रो कंट्रोल मैनेजर (TMCM) का एकीकरण करने से, केंद्रीत उपयोगकर्ता आधारित सुरक्षा प्रबंधन प्रदान करता है जिसने कंपनी की सुरक्षा स्थिति के समग्र दृष्टिकोण का पता चलता है । • डेटा गोपनीयता भंग होने की संभावना को कम करने के लिए इंटरनेट गेटवे का समेकन • बेहतर अनुपालन, साइबर सुरक्षा, सामान्य नीतियों, प्रक्रियाओं और प्रारूपों के कार्यान्वयन हेतु आईएसएमएस का एकीकरण
अतिरिक्त घरेलू विनिर्माण क्षमताओं तक पहुंच, नीतिगत बदलावों के कारण व्यवसाय मिश्रण में बदलाव और प्रतिस्पर्धा बढ़ने के कारण आर्डर बुक में गिरावट	• 'मेक इन इंडिया' के लिए बीएचईएल की सुविधाओं और क्षमताओं का लाभ उठाने के लिए वैश्विक मूलभूत उपकरण निर्माताओं को निमंत्रण • गैर–कोयला आधारित व्यापार के विकास पर ध्यान केंद्रित • नए क्षेत्रों में प्रवेश करने के लिए रणनीतिक गठजोड़ करना
वर्तमान एवं भविष्य की व्यापारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकी तत्परता	• नए उत्पादों/ प्रौद्योगिकी का स्वदेशी विकास • उपयुक्त भागीदारों के साथ प्रौद्योगिकी सहभागिता समझौते
बढ़ते देनदार	• चालू और कमीशन की गई परियोजनाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर देनदारों से धन संग्रह में तेजी लाने के लिए विशेष समूहों का गठन • देनदारों और प्रबंधन द्वारा प्रावधानों की निरंतर समीक्षा • ग्राहकों के साथ पंच प्वाइंट का तेजी से बंद होना • राज्य उपयोगिताओं के मामले में सरकार के साथ मुद्दों को चिह्नित करना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि. निदेशक मंडल की ओर से

डॉ. नलिन सिंघल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 28.08.2020

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक– II

कॉर्पोरेट अभिशासन

2.1 कॉर्पोरेट अभिशासन पर हमारे दर्शन

बीएचईएल एक सुदृढ़ शासन प्रणाली तंत्र के अंतर्गत कार्य करता है, जो शासन की गुणवत्ता, प्रकटीकरण में पारदर्शिता, हितधारकों के मूल्य में लगातार वृद्धि और कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। बीएचईएल अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और बड़े पैमाने पर समाज के विश्वास के निर्माण पर लगातार ध्यान केंद्रित करते हुए, शासन प्रणाली की बुनियादी और नियामक आवश्यकताओं पर खरा उतरने का प्रयास करता है। बीएचईएल की कॉर्पोरेट अभिशासन प्रणाली, पारदर्शिता, पूर्ण प्रकटीकरण, स्वतंत्र निगरानी और निष्पक्षता, विशेष रूप से अल्पसंख्यक शेयरधारकों, के आधार पर विद्यमान है।

निम्नलिखित कारक बीएचईएल के कॉर्पोरेट अभिशासन को सुदृढ़ता प्रदान करते हैं:

- निदेशक मंडल की स्वतंत्रता एवं बहुमुखी प्रतिभा
- सभी कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा और नैतिक व्यवहार
- सभी हितधारकों – शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और समाज के प्रति दायित्वों का बोध
- प्रकटीकरण और पारदर्शिता का उच्च स्तर
- कंपनी जिन क्षेत्रों में कार्यरत है, उन सभी क्षेत्रों में पूर्ण वैध और नियामक अनुपालन
- जनता और पर्यावरण के प्रति उदारता के साथ लक्ष्यों की प्राप्ति

कंपनी, कॉर्पोरेट अभिशासन प्रक्रियाओं और आचार संहिता का पालन करते हुए अपने व्यवसाय का संचालन करने में विश्वास रखती है। प्रत्येक बुनियादी मूल्यों का उदाहरण प्रस्तुत करती है, जिसके परिणामस्वरूप कंपनी अपने शेयरधारकों को दीर्घकालिक रिटर्न, ग्राहकों के लिए अनुकूल परिणाम, कर्मचारियों को आकर्षक अवसर, आपूर्तिकर्ताओं को कंपनी की प्रगति और समाज के संवर्धन में भागीदार बनाती है।

2.2 निदेशक मंडल

1. निदेशकों की संरचना एवं वर्ग

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, बीएचईएल एक 'सरकारी कंपनी' है और कंपनी की कुल प्रदत्त शेयर पूंजी में 63.17 प्रतिशत की हिस्सेदारी, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के माध्यम से केंद्र सरकार की है।

निदेशक मंडल की स्वतंत्रता को बनाए रखने और निदेशक मंडल की गतिविधियों को अलग एवं नियंत्रण में रखने के लिए, बीएचईएल के निदेशक मंडल की संरचना में कार्यकारी निदेशकों का एक उपयुक्त मिश्रण है, जिनमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित कार्यकारी निदेशक और सरकार द्वारा नामित गैर–कार्यकारी निदेशक, स्वतंत्र निदेशक सम्मिलित हैं।

मार्च 31, 2020 को निदेशक मंडल की संरचना इस प्रकार है:

निदेशकों की श्रेणी	निदेशक मंडल की संरचना	31 मार्च, 2020 तक वास्तविक संख्या
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	1	1
पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशक (कार्यकारी)	5	5
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले अंशकालिक सरकारी निदेशक (सरकार के द्वारा नामित)	2	2
अंशकालिक गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक	8	5
कुल	**16**	**13**

31 मार्च, 2020 तक, बीएचईएल निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशकों (कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) तीन पद रिक्त हैं। इन रिक्तियों को भरने का मामला भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के विचाराधीन है।

2. 2019–20 और पिछली वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित निदेशक मंडल मीटिंग में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति

निदेशक का नाम सर्वश्री	निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या		दि. 19.09.2019 को आयोजित पिछली एजीएम
	आयोजित	भाग लिया	
कार्यकारी निदेशक			
डॉ नलिन सिंघल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (8 जुलाई, 2019 से)	6	6	हाँ
अतुल सोबती, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (30 जून, 2019 तक)	2	2	'
डी. बंद्योपाध्याय, निदेशक (मा.सं.) / (31 अगस्त, 2019 तक)	6	6	'
सुबोध गुप्ता, निदे'ाक (वित्त)	9	9	हाँ
एस. बालाकृष्णन, निदेशक (आई एस एंड पी)	9	8	हाँ
मनोज कुमार वर्मा, निदेशक (पॉवर)	9	8	हाँ
कमलेश दास, निदेशक (ई, आर एंड डी)	9	9	हाँ
अनिल कपूर, निदेशक (मा. सं.) (15 अक्टूबर 2019 से)	2	2	'

अंशकालिक सरकारी निदेशक – सरकार द्वारा नामित			
डॉ. सुभाष चंद्र पांडे, विशेष सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (30 जून, 2019 तक)	2	2	’
शशांक प्रिय, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, (4 अक्टूबर, 2019 से)	3	2	’
अमित वरदान,संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय	9	8	हाँ
अंशकालिक गैर–आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक			
आर. स्वामीनाथन (30 नवंबर, 2019 तक)	8	6	हाँ
देश दीपक गोयल	9	9	नहीं
रंजीत रे	9	9	हाँ
राजेश शर्मा	9	7	नहीं
राज कमल बिंदल (31 जनवरी, 2020 से)	1	1	’
मनीष कपूर (31 जनवरी, 2020 से)	1	1	’

1 सितंबर, 2019 से 15 अक्टूबर, 2019 तक निदेशक (मा.सं.) का अतिरिक्त प्रभार।

@ 2 जुलाई, 2019 से 7 जुलाई, 2019 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार और 3 जुलाई, 2019 को निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता की।

* यह दर्शाता है कि संबंधित व्यक्ति पिछली एजीएम (आम वार्षिक बैठक) में बीएचईएल का निदेशक नहीं था।

3. 31 मार्च, 2020 तक अन्य कंपनियों में निदेशकों, समिति के सदस्यों और समिति अध्यक्षों का विवरण

निदेशक का नाम सर्वश्री	अन्य कंपनियों में निदेशकों का विवरण	अन्य कंपनियों में समिति की सदस्यता और समिति अध्यक्ष का विवरण ’
डॉ. नलिन सिंघल, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक	हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लि.	–शून्य–
सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त)	रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लि.	–शून्य–
एस. बालाकृष्णन, निदेशक (आईएस एंड पी)	–शून्य–	–शून्य–
मनोज कुमार वर्मा, निदेशक (पॉवर)	रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लि.	–शून्य–
कमलेश दास, निदेशक (ई, आर एंड डी)	1. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लि. 2. बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्रा. लिमिटेड	–शून्य–
अनिल कपूर, निदेशक (मा.संसं.)	–शून्य–	–शून्य–
शशांक प्रिय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	• दी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड • एमएमटीसी लिमिटेड • इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जिबिशन सेंटर लि. • भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन • एचएमटी लिमिटेड • इन्वेस्ट इंडिया	**लेखा परीक्षा समितिः** **1. भारतीय स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (सदस्य)** **2. एमएमटीसी लिमिटेड (सदस्य)** **3. भारत व्यापार संवर्धन संगठन (सदस्य)**
अमित वरदान, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड 2. टाइड वॉटर ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लि.	–शून्य–
देश दीपक गोयल, स्वतंत्र निदेशक	–शून्य–	–शून्य–
रंजीत रे, स्वतंत्र निदेशक	–शून्य–	–शून्य–
राजेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड	**लेखा परीक्षा समितिः** **बर्नपुर सीमेंट लिमिटेड (अध्यक्ष)** **स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप समितिःबर्नपुर सीमेंट लिमिटेड (सदस्य)**
राज कमल बिंदल स्वतंत्र निदेशक	1. अविका कंसल्टिंग प्रा. लिमिटेड 2. नमः शिवाय वेंचर्स प्रा. लिमिटेड 3. राज कमल बिंदल फाउंडेशन	–शून्य–
मनीष कपूर स्वतंत्र निदेशक	जेनेक्स लाइफकेयर प्रा. लिमिटेड	–शून्य–

* केवल ऑडिट कमेटी और स्टेकहोल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी के अध्यक्षों एवं सदस्यों का विवरण दिया गया है।

कंपनी का कोई भी निदेशक एक ही समय में 20 से अधिक कंपनियों में निदेशक के रूप में कार्यरत नहीं है। कंपनी का कोई भी निदेशक उन सभी कंपनियों में जिनमें वे निदेशक हैं, 10 से अधिक समितियों के सदस्य नहीं हैं या 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत नहीं हैं।

निदेशकों के बीच परस्पर संबंधों का विवरण : शून्य

ब.. सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशकों का विवरण एवं निदेशकों की श्रेणी

31 मार्च, 2020 तक निम्नलिखित सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक के रूप में निम्नानुसार आयोजित किया:

निदेशक का नाम सर्व श्री	सूचीबद्ध इकाई का नाम	निदेशक का पद
शशांक प्रिय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	● भारतीय स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ● एमएमटीसी लिमिटेड ● ● एचएमटी लिमिटेड	सरकार द्वारा नामित निदेशक सरकार द्वारा नामित निदेशक सरकार द्वारा नामित निदेशक
अमित वरदान, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	1. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड 2. टाइड वॉटर ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया लि.	सरकार द्वारा नामित निदेशक सरकार द्वारा नामित निदेशक
राजेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	बरनपुर सीमेंट लिमिटेड	स्वतंत्र निदेशक

4. आयोजित निदेशक मंडल बैठकों की संख्या एवं तिथि

निदेशक मंडल की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाती हैं और निर्धारित तिथि से पहले ही आयोजित की जाती हैं। कंपनी सचिव द्वारा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के परामर्श से, प्रत्येक निदेशक को प्रत्येक निदेशक मंडल बैठक की लिखित सूचना भेजी जाती है।

निदेशक मंडल के सदस्यों को कंपनी की सभी जानकारियों से अवगत करा दिया जाता है और वे एजेंडा, जो कि आमतौर पर सदस्यों को पहले ही भेजा दिया जाता है, में चर्चा के लिए किसी भी मामले को सम्मिलित करने की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र हैं। आवश्यकतानुसार, उच्च प्रबंधन को निदेशक मंडल बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि चर्चा किए जा रहे मुद्दों से संबंधित अतिरिक्त जानकारी प्रदान की जा सके और/ या निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जा सके। निदेशक मंडल तिमाही में कम से कम एक बार तिमाही परिणाम और अन्य मदों की समीक्षा करने के लिए बैठक करता है। आवश्यक के अनुसार, अतिरिक्त बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों पर निदेशक मंडल की नौ बार बैठकें आयोजित की गईः

(i) 30 अप्रैल, 2019	(ii) 2 मई 2019	(iii) 3 जुलाई, 2019
(iv) 26 जुलाई, 2019	(v) 9 अगस्त 2019	(vi) 30 अगस्त, 2019
(vii) 15 अक्टूबर, 2019	(viii) 13 नवंबर, 2019	(ix) 11 फरवरी, 2020

5. मूलभूत कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमताओं की सूची

बीएचईएल एक सरकारी कंपनी है, अतः इसके निदेशक मंडल के निदेशक जैसे कार्यकारी निदेशक, सरकार द्वारा नामित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक आदि का चयन एवं नियुक्ति, सरकार द्वारा प्रत्येक निदेशक वर्ग के लिए एक सुनियोजित प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। बीएचईएल जिन व्यावसायिक क्षेत्रों में कार्यरत है, के संदर्भ में निदेशक मंडल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक मूलभूत कौशल, विशेषज्ञों और पात्रता को ध्यान में रखते हुए, इन निदेशकों का चयन, सरकार की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है।

इसलिए, बीएचईएल का निदेशक मंडल स्वयं में किसी भी ऐसे मुख्य कौशल या योग्यता की पहचान नहीं करता है जो नौकरी के लिए आवश्यक हो और साथ ही विशेष कौशल / विशेषज्ञता / क्षमता के लिए निर्देशकों की पहचान हो।

6. निदेशक मंडल के उत्तरदायित्व

निदेशक मंडल के अधिदेश का उद्देश्य कंपनी की कार्यनीति की दिशा पर निगरानी रखना, कॉर्पोरेट कार्यनिष्पादन की समीक्षा और मोनीटरिंग करना, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करना और शेयरधारकों के हितकी रक्षा करना हैं।

7. स्वतंत्र निदेशक

निदेशक मंडल और समिति की बैठकों में विचार–विमर्श हेतु स्वतंत्र निदेशक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कंपनी को इंजीनियरिंग, वित्त, प्रबंधन, विधि, सार्वजनिक नीति के क्षेत्रों में अपनी विशेषज्ञता प्रदान करते हैं।

स्वतंत्र निदेशक लेखा परीक्षा समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, स्टेकहोल्डर संबंध समिति एवं सीएसआर समिति जैसी निदेशक मंडल द्वारा गठित समितियों के हिस्से होते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 तथा सूचीकरण करार के अनुसार लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और उक्त समिति के कार्य परिभाषित विचारार्थ विषय के अंतर्गत होते हैं।

सीपीएसई के लिए गैर सरकारी निदेशकों की आदर्श भूमिका एवं जिम्मेदारियों पर 28 दिसंबर , 2012 के डीपीई ओएम के अनुसार निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की समिति गठित की थी। उक्त समिति सूचीकरण करार की अपेक्षाओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशकों के अनुरूप है।

स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम के विवरण कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com* पर वेब लिंक http://www.bhel.com/index-php/ind_dir* पर (स्वतंत्र निदेशक संबंधित सूचना के अंतर्गत) उपलब्ध है।

निदेशक मंडल की राय में, स्वतंत्र निदेशक सूचीकरण नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र होते हैं।

8. निदेशक मंडल केसमक्ष प्रस्तुत सूचना

निदेशक मंडल के समक्ष प्रस्तुत कार्यसूची में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित शामिल है–

- वार्षिक परिचालन योजनाएं तथा बजट एवं कोई अन्य अद्यतन सूचना
- पूँजी बजट एवं कोई अन्य अद्यतन सूचना
- कंपनी तथा इसके परिचालन प्रभागों अथवा व्यवसाय खंडों के तिमाही परिणाम
- लेखा परीक्षा समिति तथा निदेशक मंडल की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त
- गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी के निदेशक मंडल की बैठकों का कार्यवृत्त
- गैर–सूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेन–देन तथा व्यवस्थाओं का विवरण
- निदेशक मंडल लेवल से ठीक नीचे के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती संबंधी सूचना
- निदेशक मंडल के अनुमोदनर्थ अपेक्षित किसी संयुक्त उद्यम अथवा अनुसंधान एवं विकास परियोजना अथवा तकनीकी सहयोग करार का विवरण
- महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं तथा उनके प्रस्तावित समाधान/मानव संसाधन/औद्योगिक संबंधी कोई महत्वपूर्ण विकास जैसे वेतन समझौता पर हस्ताक्षर, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का कार्यान्वयन आदि।
- सहायक कंपनियों की बिक्री।

- सामग्री की खरीद और बिक्री वास्तविक / अवास्तविक संपत्ति जो व्यापार के सामान्य व्यवहार में नहीं।
- विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र का तिमाही विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर गतिविधि के मुद्दों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा उठाए गए कदम, यदि आवश्यक/महत्वपूर्ण।
- निदेशक मंडल द्वारा अपेक्षित सभी मामलों पर कार्रवाई रिपोर्ट
- निदेशकों द्वारा इनकी निदेशक पदधारिता तथा अन्य कंपनियों में उनके द्वारा प्राप्त पदों के बारे में प्रकटीकरण
- विभिन्न क़ानूनों के अनुपालन संबंधी रिपोर्ट
- प्रमुख कानूनी विवादों से संबन्धित सूचना
- मध्यस्थता मामलों की स्थिति
- अधिशेष निधियों का अल्प कालिक निवेश
- कोई संविदा (संविदाएं) जिनमें निदेशक (निदेशकों) की रुचि मानी जाती हैь
- तिमाही आधार पर शेयरधारकों की शिकायतों की स्थिति।
- महत्वपूर्ण पूंजी निवेश प्रस्ताव।
- विभिन्न लेखाकारण नीतियों और पद्धतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन और उसके कारण
- विभिन्न इकाइयों/कार्यों का निष्पादन
- सूचीकरण विनियम, डीपीई दिशानिर्देशों तथा एसएस–1 इत्यादि के अंतर्गत निदेशक मंडल के समक्ष जानकारी या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित अन्य कोई जानकारी।

निदेशक मंडल ने सुचारू और कुशल प्रवाह निर्णय लेने की प्रक्रिया की सुविधा के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया है। निदेशक मंडल की बैठकों में सभी निदेशक मंडल स्तर की समितियों के कार्यवृतों को परिचालित किया जाता है और उन पर चर्चा की जाती है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं था जहां समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निदेशक मंडल ने समीक्षा के दौरान निदेशक मंडल की किसी भी समिति की अनिवार्य सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो।

9. नए निदेशकों का चयन

बीएचईएल के अंतर्नियमावली के अनुसार भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, बीएचईएल के निदेशक मंडल में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और कार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति करते हैं। बीएचईएल के निदेशक मंडल में प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा दो अंश कालिक सरकारी निदेशकों को नामित किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति बीएचईएल के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों की नियुक्ति भी करते हैं।

स्वतंत्र निदेशकों का चयन भारी उद्योग विभाग द्वारा लोक उद्यम विभाग की खोज समिति जो प्रबंधन, वित्त, इंजीनियरिंग, प्रशासन, उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले प्रख्यात व्यक्तियों की पैनल सूची रखता है, के परामर्श से किया जाता है।

10 सदस्यता अवधि एवं सेवानिवृत्ति नीति

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा कार्यकारी निदेशकों की नियुक्ति उनके द्वारा पदग्रहण करने की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि या उनके सेवानिवृत्ति की तिथि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के आधार पर होगी। अंशकालिक सरकारी निदेशक भारत सरकार के विवेकाधीन बीएचईएल के निदेशक मंडल में नियमित रहते हैं। अंश कालिक गैर–सरकारी (स्वतंत्र) निदेशकों के कार्यकाल का निर्णय प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। सामान्यतः स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाती है।

11. आचार संहिता

बीएचईएल के निरंतर प्रयास के अंतर्गत बीएचईएल ने अपने कर्मचारियों क`लिए उच्च स्तर के आचरण को स्थापित करने के लिए, 2005 में बीएचईएल निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल सदस्यों के लिए 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए तत्कालीन सूचीकरण समझौते के खंड 49 के अनुरूप रखा है।

समय–समय पर इस कोड को संशोधित किया गया है, जिसमें विनियामक ढांचे में परिवर्तन, लिस्टिंग समझौते में परिवर्तन, व्यावसायिक गतिशीलता परिवर्तन और कोड को मजबूत करने के लिए अन्य संगत प्रावधानों को शामिल करना है। लिस्टिंग रेगुलेशन के अनुपालन में एक्स्टेंट कोड भी था। तथापि, सूचीकरण विनियमों में 'वरिष्ठ प्रबंधन' की परिभाषा में संशोधन के अनुरूप, बीएचईएल के निदेशक मंडल ने निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए संशोधित 'व्यावसायिक आचरण और नैतिकता की संहिता को मंजूरी दे दी, जो दिनांक 1 अप्रैल 2019 से लागू है।

संहिता में निम्नलिखित बातें शामिल हैं:–

- सामान्य नैतिक अनिवार्यताएं
- विशिष्ट व्यावसायिक उत्तरदायित्व; और
- निदेशक मण्डल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए अतिरिक्त प्रावधान

कोड की एक प्रति कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com पर मौजूद है

12. निदेशक मण्डल का चार्टर

निदेशक मंडल तथा प्रत्येक निदेशक की भूमिका एवं दायित्वों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए निदेशक मंडल द्वारा निदेशक निदेशक मंडल का एक चार्टर बनाया गया है। इस चार्टर में कॉर्पोरेट अभिशासन के उद्देश्यों एवं दृष्टिकोण को भी स्पष्ट किया गया है ।

डीपीई दिशानिर्देशों, सूचीयन समझोतों और निदेशकों को निम्नलिखित उपलब्ध कराने के उद्देश्य के अनुरूप क) उनके सांविधिक कर्तव्यों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए दिशानिर्देशों एवं प्रक्रियाओं पर अंतर्दिष्ट, ख) भविष्य के परिक्षेत्र एवं रणनीति के विकास के लिए व्यवसाय वातावरण को अच्छे ढंग से समझना और ग) निदेशक मंडल सदस्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निदेशक मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण पर एक नीति अनुमोदित की है। इसमे कंपनी के विशिष्ट क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए सामान्य एवं विशिष्ट प्रशिक्षण शामिल होता है ।

13. पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण पत्र

कंपनी को कंपनी सचिव से एक प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है कि कंपनी के निदेशक मंडल में से कोई भी निदेशक सेबी / कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय या किसी भी संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने में अयोग्य या निकालने योग्य नहीं है। वही संलग्न है।

14. सीईओ/एफओ प्रमाणन

सूचीकरण विनियम अनुसरण में सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकारण निदेशक मंडल रिपोर्ट के अनुलग्नक– III में संलग्न है।

2.3 निदेशक मंडल स्तरीय लेखापरीक्षा समिति

1. विचारार्थ विषय

(i) निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट निदेशक मंडल स्तर की लेखा परीक्षा समिति के संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम, 2013 के साथ–साथ सूचीकरण विनियमों की धारा 177 की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। लिस्टिंग विनियमों में ऑडिट कमेटी के संदर्भ में संशोधन के साथ–साथ निदेशक मंडल स्तर की ऑडिट कमेटी के संदर्भ की शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा 1 अप्रैल, 2019 संशोधित किया गया था जो इस प्रकार है:–

1. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया को देखना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय विवरण सही, पर्याप्त तथा विश्वसनीय हैं की वित्तीय सूचना प्रस्तुत करना।

2. नियुक्ति के लिए सिफ़ारिश, पारिश्रमिक और कंपनी के लेखा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें

3. सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रदान की गई अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।

4. विशेष संदर्भ के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट अनुमोदन के लिए निदेशक मंडल को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।

i) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की उपधारा 3 के खंड (ग) के संदर्भ में निदेशक मण्डल की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए निदेशकों के उत्तरदायित्व विवरण में शामिल किए जाने हेतु अपेक्षित मामले–

ii) लेखाकरण नीतियों और पद्धतियों में परिवर्तन, यदि कोई हो तो उसके कारण

iii) प्रबंधन के निर्णय के आधार पर अनुमानों वाली मुख्य लेखाकरण प्रविष्टियाँ

iv) लेखापरीक्षा निष्कर्षों से उत्पन्न वित्तीय विवरण में किए गए महत्वपूर्ण समायोजन

v) वित्तीय विवरणी से संबन्धित सूचीकरण तथा अन्य कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन

vi) किसी भी संबंधित पार्टी से लेनदेन की जानकारी प्रस्तुत करना

vii) प्रारूप लेखा परीक्षा रिपोर्ट में अर्हताएं

5. प्रबंधन के साथ निदेशक मंडल के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करने से पूर्व तिमाही वित्तीय विवरणी की समीक्षा करना।

6. प्रबंधन के साथ किसी मुद्दे (सार्वजनिक मुद्दा, अधिकार मुद्दा, वरीयता मुद्दा, आदि) के जरिए प्राप्त धन के उपयोगों/अनुप्रयोगों का विवरण, प्रस्तुत दस्तावेज़/विवरणिका/सूचना में दर्ज उद्देश्यों के अलावा उपयोग किए गए धन का विवरण, किसी पब्लिक या राइट्स इश्यू से प्राप्त धन के उपयोग की निगरानी एजेंसी की ओर से जारी रिपोर्ट आदि प्रस्तुत करना तथा इस संबंध में उठाए जाने वाले कदम के बारे में निदेशक मंडल को सुझाव देना।

7. ऑडिटर की स्वतंत्रता और निष्पादन, और ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना

8. संबद्ध पार्टियों के साथ कंपनी के लेनदेन के बाद कोई संशोधन और अनुमोदन लेना

9. अंतर–कॉर्पोरेट ऋण और निवेश की जाँच

10. सहायक कंपनी मेंहोल्डिंग कंपनी द्वारा ऋण और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा करते हुए, सहायक कंपनी की परिसंपत्ति के आकार का 100 करोड़ या 10 प्रतिशत से अधिक, जो भी मौजूदा ऋण / अग्रिम / निवेश सहित कम है, इस प्रावधान के लागू होने से जो वर्तमान तिथि पर मौजूद है।

11. जहां आवश्यक हो, प्रतिभूतियों अथवा परिसंपत्तियों का मूल्यांकन करना।

12. आंतरिक वित्तीय नियंत्रक और जोखिम प्रबंधन प्रणाली मूल्यांकन

13. आंतरिक नियंत्रक प्रणाली की पर्याप्तता के लिए प्रबंधन के साथ सांविधिक एवं आंतरिक लेखा परीक्षा की समीक्षा करना ।

14. आंतरिक लेखापरीक्षा फ़ंक्शन की पर्याप्तता की समीक्षा करना, यदि कोई हो, जिसमें आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफिंग और विभाग की आधिकारिक हेडिंग की वरिष्ठता, संरचना कवरेज की रिपोर्टिंग और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति शामिल है;

15. किसी महत्वपूर्ण निष्कर्ष की आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई करना

16. धोखाधड़ी की आशंका या अनियमितता की प्रकृति की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की विफलता वाले मामलों में आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा किसी भी आंतरिक जांच के निष्कर्षों की समीक्षा और निदेशक मंडल को उस मामले की रिपोर्ट करना।

17. लेखा परीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ चर्चा, लेखा परीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ–साथ ऑडिट के बाद किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए चर्चा

18. जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश के भुगतान न करने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में चूक के कारणों पर विचार करना।

19. व्हिसल ब्लोअर/निगरानी तंत्र केकामकाज की समीक्षा करना।

20 .आंतरिक लेखा परीक्षा /निदेशक मंडल और/या भारत सरकार द्वारा बीएलएएसी को भेजे ऑडिट पैरा की समीक्षा करना तथा इनसे संबन्धित मुद्दों पर सुझाव/मार्गदर्शन/टिप्पणी प्रदान करना।

21. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में सांविधिक लेखा परिक्षकों/आंतरिक लेखा परिक्षकों के साथ समय–समय पर चर्चा करना ।

22. आवश्यक होने पर उपयुक्त मामलों में बाहरी स्रोतों से व्यावसायिक सलाह लेना ।

23. लेखापरीक्षा समिति निम्नलिखित जानकारी की भी समीक्षा करेगी –

i. वित्तीय स्थिति और परिचालन के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण;

ii संबन्धित पक्ष के लेनदेन का महत्वपूर्ण विवरण

iii सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के प्रबंधन पत्र / पत्र; तथा

iv आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट

24. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियम और अन्य वैधानिक नियमों के अंतर्गत ऑडिट समिति के संदर्भ से संबंधित किसी भी अन्य कार्य को करना।

ii. समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

जैसा कि लिस्टिंग विनियमों द्वारा अनिवार्य है। ऑडिट कमेटी में कम से कम दो तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशकों के रूप में शामिल होते हैं। समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक करते हैं । सदस्य निदेशकों में वाणिज्य, वित्त , प्रशासन और अधिशासन की पृष्ठभूमि वाले ख्याति प्राप्त व्यावसायिक शामिल होते हैं ।

लेखापरीक्षा समिति का पिछला गठन 01 दिसंबर, 2017 को किया गया था। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैः–

निदेशक का नाम सुश्री/श्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए
आर. स्वामीनाथन स्वतंत्र निदेशक (नवंबर 30, 2019 तक)	अध्यक्ष	7	7
देश दीपक गोयल स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (दिनांक 1 दिसंबर 2019 से)	1	1
	सदस्य (दिनांक 30 नवंबर 2019 तक)	7	6

अमित वरदान जेएस, डीएचआई (अंशकालिक सरकारी निदेशक)	सदस्य	8	6
रंजीत रे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (प्रभावी तिथि 30 अप्रैल, 2019)	8	8
राजेश शर्मा , स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (प्रभावी तिथि 15 अक्टूबर, 2019)	2	2

निदेशक (वित्त) बैठक में स्थायी तौर पर आमंत्रित होते हैं। कंपनी सचिव समिति में सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख और सांविधिक लेखा के एक प्रति प्रतिनिधि लेखा परीक्षा समिति की बैठकों के लिए आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित हो सकते हैं। कंपनी के लेखा परीक्षकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के पास लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में सुनने का अधिकार होगा लेकिन जब लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार होगा तो उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

iii. बैठकें एवं उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखा परीक्षा समिति की बैठक 08 बार 20 मई, 2019, 27 मई , 2019 , 11 जुलाई, 2019, 26 जुलाई 2019, 09 अगस्त , 2019, 19 सितंबर , 2019, 13 नवंबर, 2019 तथा 11 फरवरी, 2020 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपर्युक्त सारणी में दिया गया है।

2.4 नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

i पारिश्रमिक नीति

सरकारी क्षेत्र का उपक्रम होने के कारण बीएचईएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, कार्याकारी निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के नियतन का निर्णय भारत सरकार द्वारा किया जाता है! इसके अतिरिक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा यथा अनुमोदित अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक / निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें बीएचईएल के नियमानुसार पट्टा आवास , मकान किराया भत्ते का भुगतान, सुसज्जित आवास, उत्पादकता संबद्ध प्रोत्साहन आदि परिलब्धियों की व्यवस्था करती है। अंश कालिक गैर कार्यपालक निदेशकों को निदेशक मण्डल अथवा उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने के लिए फीस के अतिरिक्त कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया जाता है।

ii संदर्भ शब्दावली

कंपनी अधिनियम 2014 की धारा 178 की आवश्यकताओं के साथ और तत्कालीन लिस्टिंग एग्रीमेंट (लिस्टिंग विनियम) की धारा 49 निदेशक मंडल ने 30 मार्च 2015 से नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) का गठन किया। लिस्टिंग विनियम में एनआरसी के संदर्भ की शर्तों में संशोधन के अनुरूप, समिति के संदर्भ की शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से संशोधित किया गया जो इस प्रकार हैः–

1. उन लोगों की पहचान के लिए जो निदेशक बनाने योग्य जो वरिष्ठ प्रबंधन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार नियुक्त किए जा सकते हैं और निदेशक मंडल को उनकी नियुक्ति और हटाने के लिए और प्रत्येक निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए सिफारिश कर सकते हैं;
2. अधिनियम / लिस्टिंग विनियम/ डीपीई दिशानिर्देश के प्रावधानों के अनुपालन में निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों और अन्य कर्मचारियों के पारिश्रमिक से संबंधित, निदेशक की शैक्षिक योग्यता, सकारात्मक विशेषताओं और स्वतंत्रता का निर्धारण करने के लिए मानदंड तैयार करना।
3. स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के मूल्यांकन के लिए मानदंड का निरूपण
4. निदेशक मंडल विविधता पर एक पॉलिसी तैयार करना
5. अपनी सहायक और अन्य सरकारी संगठनों के बोर्डों में **बीएचईएल** अधिकारियों का नामांकन, जिन्हें डीएचआई को आगे प्रस्तुत करने से पहले बीएचईएल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, की सिफाफिश करना।
6. पेंशन अधिकारों और कोई प्रतिपूर्ति भुगतान जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत न किया जाता है सहित पूर्ण कालिक निदेशकों के लिए विशिष्ट पारिश्रमिक पैकेज़ परिलब्धियों पर कंपनी की नीति पर विचार करना।
7. पूर्ण कालिक निदेशकों के लिए कतिपय परिलब्धियों को अनुमोदित करना जो निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हों। मुख्य समूहों जैसे प्रोत्साहन /लाभ , बोनस, स्टॉक विकल्प, पेंशन आदि केअंतर्गत सारांश दियेगए प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक पैकेज के अवयवों की समीक्षा करना ।
8. अनुलब्धियों और लाभों तथा अन्य संबद्ध मामलों पर नीतियों को अंतिम रूप देना , तथा अन्य संबंधित मामलें जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियत नहीं किए गए हैं परंतु निदेशक मंडल की शक्तियों के भीतर हैं।
9. कार्यनिष्पादन मानदड़ों पर आधारित नियत संघटक और निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन का अनुमोदन
10. गैर–कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के मानदड़ को अंतिम रूप देना।
11. स्वतंत्र निदेशकों, निदेशक मंडल /शेयर धारकों सहित गैर कार्यपालक निदेशकों को फीस / प्रतिपूर्ति /स्टॉक विकल्प अगर कोई हो तो इसका भुगतान /प्रदान करने की सिफारिश करना ।
12. वरिष्ठ प्रबंधन को देय सभी पारिश्रमिक, जिस भी रूप में हो, निदेशक मंडल को उनकी सिफारिश करना।
13. कार्यपालकों एवं असंगठित सुपरवाइजरों के बीच वितरण के लिए बोनस / विभिन्न वेतन पूल पर निर्णय लेना
14. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियम और अन्य वैधानिक नियमों के अंतर्गत एनआरसी के संदर्भ से संबंधित किसी अन्य कार्य को करना।

निदेशकों के कार्य निष्पादन मूल्यांकन के संबंध मे 05 जून, 2015 के अनुसार कंपनी अधिनियम , 2013 की धारा 178(2) सरकारी कंपनी पर लागू नहीं होगी।

iii समिति की संरचना , अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति अंतिम बार 1 दिसंबर , 2019 को गठित की गई थी । समिति में निम्नलिखित निदेशक थे (अगले पृष्ठ पर):–

निदेशक का नाम सुश्री / श्री	पद	बैठकों की सं.	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की सं.	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए
आर स्वामीनाथन स्वतंत्र निदेशक (30, नवंबर 2019 तक)	अध्यक्ष	1	1
राजेश शर्मा स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (1 दिसंबर, 2019 से)	1	1
	सदस्य (30 नवंबर, 2019 तक	1	1
डॉ सुभाष चंद्र पाण्डेय, एसएस एवं एफए, डीआईपीपी अंश कालिक सरकारी निदेशक (30 जून , 2019 तक)	सदस्य	1	1
शशांक प्रिय , एएस एवं एफए, कॉमर्स एवं इंडस्ट्री अंश कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य (15 अक्टूबर , 2019 से)	1	1
अमित वरदान, जेएस, डीएचआई अंश कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	1
रंजीत रे स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2

निदेशक (मा.सं.) बैठक में स्थायी तौर पर आमंत्रित हैं। कंपनी सचिव समिति के सचिव के तौर पर काम करते है।

iv बैठकें और उपस्थिति

नामांकन और पारिश्रमिक समिति की वर्ष के दौरान दो बैठकें दिनांक 27 मई, 2019 तथा 17 मार्च, 2020 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति का विवरण उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

v. वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण नीचे दिया गया है:

(रु. में)

क्र.सं.	निदेशकों के नाम सुश्री/श्री	वेतन	सेवानिवृत्ति लाभ	अन्य लाभ	कुल	सेवा अनुलग्नक/ नोटिस अवधि भंग करनेका शुल्क
1.	डॉ नलिन सिंघल 08 जुलाई, 2019 से	34,21,301	6,91,207	28,848	41,41,356	----
2.	अतुल सोबती (30 जून, 2019 तक)	39,97,812	2,27,769	9,900	42,35,481	----
3.	डी.बंद्योपाध्याय 31 अगस्त, 2019 तक)	30,83,864	3,52,537	5,80,701	40,17,102	....
4.	सुबोध गुप्ता	40,84,533	8,58,242	3,04,817	52,47,592	रोटेशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पात्र
5.	एस. बालाकृष्णन	44,76,233	8,56,037	5,25,887	58,58,157	रोटेशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पात्र
6.	मनोज कुमार वर्मा	45,68,365	8,66,955	5,89,754	60,25,074	रोटेशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पात्र
7.	कमलेश दास	36,04,006	8,37,170	2,71,434	47,12,610	रोटेशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पात्र
8.	अनिल कपूर (15 अक्टूबर, 2019 से)	17,42,902	4,17,744	2,56,101	24,16,747	रोटेशन के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पात्र

नोटः वेतन में अवकाश नकदीकरण शामिल है।

vi. वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों को किए गए भुगतान का विवरण नीचे दिया गया है:–

(रु. में)

स्वतंत्र निदेशकों के नाम	बैठक शुल्क		कुल
	निदेशक मंडल बैठक	समिति बैठक	
श्री आर. स्वामीनाथन	1,,80,000	3,00,000	4,80,000
श्री देश दीपक गोयल	2,70,000	3,60,000	6,30,000
श्री रणजीत राय	2,70,000	4,20,000	6,90,000
श्री राजेश शर्मा	2,10,000	2,40,000	4,50,000
श्री राज कमाल बिंदाल	30,000	.	30,000
श्री मनीष कपूर	30,000	.	30,000

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशक प्रति निदेशक मंडल बैठक के लिए रु. 30,000 तथा प्रति निदेशक मंडल स्तरीय बैठक के लिए रु. 20,000 बतौर फीस लेने के हकदार थे।

स्वतंत्र निदेशक स्टॉक विकल्प के हकदार नहीं हैं।

vii निदेशकों द्वारा धारित इक्विटी शेयर

वर्णित को छोड़कर किसी भी निदेशक के पास इक्विटी शेयर नही है (31 मार्च, 2020)

निदेशक का नाम	धारित शेयरों की सं.
डॉ नलिन सिंघल (जीवनसाथी के साथ संयुक्त रूप से)	100

वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने कोई भी स्टॉक विकल्प जारी नहीं किया है।

2.5 शेयरधारकों की समिति

2.5.1 स्टेक होल्डर्स संपर्क समिति

i. संदर्भ की शर्तें

कंपनी अधिनियम 2013 तथा पूर्ववर्ती सूचीयन समझोतों की आवश्यकताओं के अनुसरण में निदेशक मंडल ने 12 मई, 2014 को स्टेक होल्डर्स संपर्क समिति (एसआरसी)के रूप में शेयरधारकों/निवेशक शिकायत समिति पुनः गठित की गई। समिति शेयरों के अंतरण, तुलन पत्र की गैर प्राप्ति , घोषित लाभांश की गैर प्राप्ति आदि से संबन्धित शिकायतों सहित शेयरधारकों की शिकायतों के निपटान को देखती है। लिस्टिंग विनियम में होल्डर्स संपर्क

समिति (एसआरसी) के संदर्भ की शर्तों में संशोधन के साथ–साथ समिति के संदर्भ की शर्तों को निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को संशोधित किया गया था जो इस प्रकार है:–

1. कंपनी के सुरक्षा धारकों की शिकायतों का समाधान जिसमें शेयरों के हस्तांतरण / प्रसारण/प्रचारण से संबंधित शिकायतें, वार्षिक रिपोर्ट की अनुपलब्धता, घोषित लाभांश की प्राप्ति नहीं होना, नए / डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जारी करना, सामान्य बैठकें आदि शामिल हैं।

2. शेयरधारकों द्वारा मतदान अधिकार के प्रभावी अभ्यास के लिए किए गए उपायों की समीक्षा करना;

3. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं के संबंध में कंपनी द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के पालन की समीक्षा करना;

कंपनी के शेयरधारकों द्वारा बिना दावे के लाभांश की मात्रा को कम करने और लाभांश वारंट / वार्षिक रिपोर्ट / सांविधिक नोटिस की समय पर प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों और पहलों की समीक्षा करना;

5. शेयरधारकों, डिबेंचर धारकों और अन्य सुरक्षा धारकों के हित के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देना

कंपनी अधिनियम, सेबी विनियम और अन्य सांविधिक नियमों के अंतर्गत निर्धारित समिति के संदर्भ से संबंधित किसी अन्य कार्य को करना।

ii . समिति की संरचना, सदस्यों एवं अध्यक्ष के नाम

समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 01 दिसंबर, 2019 को किया गया। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है–

निदेशक का नाम सुश्री/श्री	पद	बैठकों की सं.	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें की सं.	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए
आर. स्वामीनाथन स्वतंत्र निदेशक 30 नवंबर, 2019 तक	अध्यक्ष	3	3
रणजीत रे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष 01 दिसंबर , 2019 स	1	1
	सदस्य अप्रैल, 2019 से 30 नवंबर , 2019	3	3
अमित वरदान, जे एस, डीएचआई अंश कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	4	3
निदेशक (वित्त)	सदस्य	4	4
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य	4	4

कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

श्री राजीव कालड़ा, कंपनी सचिव सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियमों, 2015 के संदर्भ में अनुपालन अधिकारी हैं।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें दिनांक 20 मई, 2019, 25 जुलाई, 2019, 13 नवंबर, 2019 तथा 10 फरवरी , 2020 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति ऊपर लिखित तालिका में दी गई है।

केफिन टेक्नोलोजीज़ प्राइवेट लिमिटेड (आरटीए) के अनुसार सेबी को दी गई सूचना के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरधारकों से 949 शिकायतें प्राप्त हुई और सभी शिकायतों का निवारण 31 मार्च, 2020 तक कर दिया गया । रिपोर्ट की अवधि के अंत में कोई भी शिकायत लंबित नहीं थी ।

2.5.2 शेयर अंतरण समिति

निदेशक मंडल ने एक शेयर अंतरण समिति का गठन 25 मार्च , 1992 को किया था । निदेशक मण्डल ने समिति की सन्दर्भ की शर्ते 01 अगस्त, 2014 से संशोधित कीण्शेयर अंतरण समिति शेयर से जुड़े सभी मुद्दे शेयर अंतरण कमेटी भौतिक मोड में ट्रांसपोज़ेशन, सब–डिवीजन, समेकन, डुप्लिकेट शेयर सर्टिफिकेट जारी इत्यादि पर विचार और अनुमोदन करती है।शेयर अंतरण समिति को 1 सितंबर, 2017 को अंतिम बार पुनर्गठित किया गया जिसमें निदेशक (मा.सं.) अध्यक्ष के रूप में, निदेशक (ई, आरएंडडी) और निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में शामिल हैं।

2019–20 के दौरान बैठकें

शेयर अंतरण समिति ने वर्ष के दौरान 9 बैठकें की । शेयर अंतरण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त समय–समय पर निदेशक मण्डल के सामने प्रस्तुत किए जाते हैं।

2.6 कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति

i. विचारार्थ विषय

सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर डीपीई दिशा निर्देशों के लिए, निदेशक मंडल ने सीएसआर गतिविधियों की उचित और आवधिक मोनीटरिंग के लिए 25 नवंबर, 2010 को सीएसआर के लिए निदेशक मंडल स्तरीय उच्च समिति का गठन किया। समिति को वर्तमान में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए निदेशक मंडल स्तर की समिति के रूप में नामित किया गया है। 12 मई, 2014 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने कंपनी अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप समिति का पुनर्गठन किया। सीएसआर समिति से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में संशोधन के अनुसार समिति के संदर्भ की शर्तें इस प्रकार हैं:–

1. निदेशक मंडल को कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पॉलिसी का गठन और अनुशंसा जो कंपनी अधिनियम, 2013 में अनुसूची VII में निर्दिष्ट क्षेत्रों या विषय में कंपनी द्वारा की जाने वाली गतिविधियों को इंगित करेगा;

2. परियोजनाओं, कार्यक्रमों और धारा 1 में दिए गए कार्यों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफ़ारिश करना ।

3. समय समय पर कंपनी केकॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व की गतिविधियों की मोनीटरिंग करना ।

4. भारत सरकार द्वारा समय–समय पर कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व और सतत विकास पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना ।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 01 दिसंबर, 2019 को किया गया । समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है:–

निदेशक का नाम सुश्री/श्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें की सं.	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए

रंजीत रे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	3	3
अमित वरदान, जे एस, डीएचआई अंश कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	3	2
आर . स्वामीनाथन स्वतंत्र निदेशक 30 नवंबर, 2019 तक	सदस्य 30 नवंबर, 2019 से	2	2
राजेश शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	3	3
निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य	3	3

प्रमुख (सीएसआर)– कार्यपालक निदेशक/महाप्रबंधक प्रभारी कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते है।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की 3 बैठकें 25 जुलाई, 2019, 13 नवंबर , 2019 तथा 10 फरवरी , 2020 को आयोजित की गई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति ऊपर उल्लिखित तालिका में दी गई है ।

2.7 मानव संसाधन समिति

i. विचारार्थ विषय

निदेशक मंडल ने 31 मई, 2006 को मानव संसाधन समिति का गठन विशेष रूप से निम्नलिखित मामलों को देखने के लिए किया है ।

क. कार्यपालकों की पदोन्नति और पुरस्कार/प्रोत्साहन की वर्तमान नीतियों की समीक्षा।

ख. बदलते/उभरते व्यापारिक परिवेश के अनुरूप बीएचईएल को तैयार करने की नीतियां में अल्पकालिक और दीर्घकालिक बदलाव का सुझाव देना ।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:–

निदेशक का नाम सुश्री/श्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की सं.	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए
देश दीपक गोयल, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष	1	1
रंजीत रे, स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	1	1
निदेशक (वित्त)	सदस्य	1	1
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य	1	1

प्रमुख (एच आर)/महाप्रबंधक, कॉर्पोरेट कार्यालय स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। कंपनी सचिव, समिति के सचिव के रूप में कार्य करते हैं ।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 20 मई, 2019 को हुई । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति ऊपर उल्लिखित तालिका में दी गई है ।

2.8 स्वतंत्र निदेशकों की समिति

विचारार्थ विषय

दिनांक 28 दिसंबर, 2012 के डीपीई कार्यालय ज्ञापन के अनुसार सीपीएसई के लिए निदेशक मंडल ने स्वतंत्र निदेशकों की आदर्श भूमिका और जिम्मेदारियों पर एक समिति का गठन किया, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की चौथी अनुसूची और सूचीयन समझोते की आवश्यकताओं के मुताबिक है ।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है–

निदेशक का नाम सुश्री/श्री	पद	बैठकों की सं.	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकों की सं.	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए
आर. स्वामीनाथन, (30 नवम्बर, 2019 तक)	अध्यक्ष एवं मुख्य स्वतंत्र निदेशक	1	1
देश दीपक गोयल	अध्यक्ष एवं मुख्य स्वतंत्र निदेशक 01 दिसंबर, 2019 से	0	0
	सदस्य 30 नवंबर, 2019 तक	1	1
रंजीत रे	सदस्य	1	1
राजेश शर्मा	सदस्य	1	1
राज कमल बिंदल 31 जनवरी, 2020 से	सदस्य	0	0
मनीष कपूर 31 जनवरी, 2020 से	सदस्य	0	0

iii बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की एक बैठक दिनांक 13 नवंबर, 2019 को हुई । प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति ऊपर उल्लिखित तालिका में दी गई है ।

2.9 निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति

i. विचारार्थ विषय

पुराने लिस्टिंग एग्रीमेंट (अब लिस्टिंग विनियम) के अनुसार निदेशक मण्डल ने 14 नवंबर, 2014 को निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया । लिस्टिंग विनियमों में जोखिम प्रबंधन समिति के संदर्भ की शर्तो में संशोधन के अनुसार, निदेशक मंडल स्तर जोखिम प्रबंध समिति के संदर्भ की शर्तो को निदेशक मंडल द्वारा 1 अप्रैल, 2019 से संशोधित किया गया जो इस प्रकार है:–

1. कंपनी के जोखिम पर काबू पाने की संरचना, जोखिम आंकलन और जोखिम प्रबंधन के ढाँचे, निर्देशों, नीतियों, और जोखिम निर्धारण एवं जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया की समीक्षा करना।

2. पहचाने गए प्रमुख जोखिमों को कम करने के लिए कंपनी की रणनीति के साथ ऐसे जोखिमों की निगरानी और कम करने की प्रक्रिया की समीक्षा करना ।

3. साइबर सुरक्षा और इसके उपशमन से संबंधित जोखिम की समीक्षा करना;

4. समिति की गतिविधियों की जानकारी और प्रस्तावित परिवर्तनों की सिफारिश के लिए अनुमोदन यदि कोई हो, के लिए निदेशक मंडल को रिपोर्ट करना ।

5. कंपनी अधिनियम, सेबी विनियम और अन्य सांविधिक नियमों के अंतर्गत निर्धारित समिति के संदर्भ से संबंधित किसी भी अन्य कार्य को करना।

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नामः समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 01 दिसंबर, 2019 को किया गया । समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है–

निदेशक का नाम सुश्री / श्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें की सं.	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए
एसएस एवं एफए , डीआईपीपी अंश कालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष	0	0
शशांक प्रिय एएस एवं एफए , सदस्य कॉमर्स एवं इंडस्ट्री अंश कालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष (15, अक्टूबर, 2019 से)	2	1
देश दीपक गोयल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य#	3	3
निदेशक (वित्त)	सदस्य	3	3
निदेशक (आईएसएंडपी)	सदस्य	3	2
निदेशक (पॉवर)	सदस्य	3	3
अध्यक्ष, रिस्क मैनेजमेंट स्टीरिंग कमेटी	सदस्य	3	3
मुख्य जोखिम अधिकारी	सदस्य एवं संयोजक	3	3

* डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय, विशेष सचिव और एवं वित्तीय सलाहकार, डीआईपीपी 30 जून, 2019 तक समिति के अध्यक्ष थे।

अध्यक्ष की रिक्ति / अनुपस्थिति के कारण 2 बैठकों (26 जुलाई, 2019 और 10 फरवरी, 2020) में, श्री देश दीपक गोयल को इन बैठकों का अध्यक्ष चुना गया।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की तीन बैठक दिनांक 26 जुलाई, 2019, 13 नवम्बर, 2018 तथा 10 फरवरी, 2020 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति ऊपर उल्लिखित तालिका में दी गई है।

2.10 मध्यस्थता एवं मुख्य कानूनी विवादों पर समिति

i. विचारार्थ विषय

26 मई, 2015 को हुई अपनी बैठक में निदेशक मंडल ने मध्यस्थता एवं मुख्य कानूनी विवादों पर समिति का गठन किया जो मध्यस्थता के मामलों के साथ–साथ प्रमुख कानूनी विवादों की विस्तृत समीक्षा करती है और उसके बाद तदनुसार निदेशक मंडल को अवगत कराती है

ii. समिति की संरचना, अध्यक्ष और सदस्यों के नाम

समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 01 दिसंबर, 2019 को किया गया। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है–

निदेशक का नाम सुश्री / श्री	पद	बैठकों की संख्या	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें की सं.	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए ।
देश दीपक गोयल , स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (30 अप्रैल, 2019 से)	4	4
	सदस्य 29 अप्रैल, 2019 तक	0	0
अमित वरदान जेएस, डीएचआई अंश कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	4	2
राजेश शर्मा स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (30 अप्रैल, 2019 से)	4	4
निदेशक (पॉवर)	सदस्य (01 दिसंबर, 2019 से)	1	1
निदेशक (मा.सं.)	सदस्य	4	4

प्रमुख–विधि समिति के संयोजक हैं और समिति द्वारा समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते है।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की चार बैठकें दिनांक 27 मई, 2019, 25 जुलाई, 2019, 13 नवंबर, 2019 तथा 10 फरवरी, 2020 को हुई। प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति ऊपर उल्लिखित तालिका में दी गई है।

2.11 विलय एवं अधिग्रहण पर निदेशक मंडल स्तरीय समिति

i. संदर्भ की शर्तें, समिति की संरचना, सदस्यों और अध्यक्ष का नाम

इकाइयों के विलय, अधिग्रहण एवं टेकओवर से संबन्धित प्रस्तावों की व्यवहार्यता की जांच के लिए अंतिम बार 27 मार्च, 2019 को समिति का पुनर्गठन किया गया। यह देखते हुए कि मई, 2016 के बाद से समिति की कोई बैठक नहीं हुई थी, निदेशक मंडल ने संचालन का विलय और विलय की निदेशक मंडल स्तरीय समिति के विघटन की मंजूरी 1 दिसंबर, 2019 को दी। समिति में विघटन से पहले निम्नलिखित निदेशक शामिल थेः

निदेशक के नाम सुश्री / सर्वश्री	पद
अमित वरदान, जेएस, डीएचआई, अंश कालिक सरकारी निदेशक	अध्यक्ष
देश दीपक गोयल , स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (आई एस एंड पी)	सदस्य
निदेशक (पॉवर)	सदस्य
निदेशक (ई,आरएन्डडी)	सदस्य
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य

एम एंड ए विभाग के प्रमुख स्थायी आमंत्रित सदस्य है। कंपनी सचिव समिति को सचिवीय सहायता प्रदान करेंगे।

ii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान विलय और अधिग्रहण पर निदेशक मंडल स्तरीय समिति की कोई बैठक उसके विघटन तक नहीं हुई।

2.12 वैकल्पिक विवाद समाधान पर निदेशक मंडल स्तर की समिति

i. संदर्भ , समिति की संरचना , अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम

29 मई, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने बीएचईएल समाधान योजना, 2018 के अंतर्गत मसौदा निपटान समझौते को स्वीकार / अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान पर निदेशक मंडल स्तर समिति का गठन किया। समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 01 दिसंबर, 2019 को किया गया। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है–

निदेशक के नाम सुश्री / सर्वश्री	पद
आर .स्वामीनाथन, स्वतंत्र निदेशक (30 नवंबर, 2019 तक)	अध्यक्ष 30 अप्रैल, 2019 से
राजेश शर्मा, स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष 01 दिसम्बर, 2019 से
	सदस्य (30 नवंबर, 2019 तक)
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (ई आर एन्ड डी)	सदस्य
निदेशक (मा. सं.)	सदस्य (01 दिसम्बर, 2019 से

समिति जब भी आवश्यक हो, संबंधित कार्यात्मक निदेशक का अतिरिक्त सदस्य के रूप में चुनाव कर सकती है।

बैठकें और उपस्थिति

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान वैकल्पिक विवाद समाधान पर निदेशक मंडल स्तर की समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

2.13 बाय बैक कमेटी

i. संदर्भ , समिति की संरचना , अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम

25 अक्टूबर, 2018 को आयोजित बैठक में निदेशक मंडल ने बायबैक समिति का गठन किया और समिति को शेयरों के बायबैक के संबंध में निदेशक मंडल की शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया। समिति को ऐसे सभी कार्य, दस्तावेज़ों, मामलों और चीजों को करने के लिए अधिकृत किया गया था, जो कि अपने पूर्ण विवेक से आवश्यक, समीचीन, सामान्य या उचित रूप में हो, क्योंकि बायबैक समिति बायबैक का कार्यान्वयन शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में करती है।

निदेशक का नाम सुश्री/सर्व श्री	पद
निदेशक (मा.सं.)	अध्यक्ष
निदेशक (वित्त)	सदस्य
निदेशक (ई आर एन्ड डी)	सदस्य

कंपनी सचिव / उप कंपनी सचिव, बायबैक समिति के सचिव के रूप में कार्य करता है।

ii . बैठकें और उपस्थिति

समीक्षा वर्ष के दौरान के दौरान बायबैक समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

2.14 निदेशक मंडल स्तरीय परियोजना समीक्षा समिति

i. संदर्भ की शर्तें

निदेशक मंडल ने दिनांक 9 अगस्त, 2019 को आयोजित अपनी बैठक में, संदर्भ की निम्नलिखित पुनरीक्षित शर्तों के साथ निदेशक मंडल स्तर की परियोजना समीक्षा समिति के पुनरुद्धार को मंजूरी दी:

समिति रु 500 करोड़ और उससे अधिक मूल्य के अनुलग्नक वाली परियोजनाओं के साथ–साथ

सभी परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा करेगी।

समिति देनदारों की आवधिक स्थिति की समीक्षा करेगी;

बैठकों के लिए कोरम तीन सदस्य होंगे

समिति वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें करेगी।

समिति ऐसे कार्यपालकों को आमंत्रित कर सकती है, जिनका समिति की बैठकों में उपस्थित होना उचित समझा जाए है।

ii. समिति की संरचना , अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम

समिति का अंतिम बार पुनर्गठन 01 दिसंबर, 2019 को किया गया। समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल है–

निदेशक का नाम सुश्री / सर्वश्री	पद	बैठकों की सं.	
		उनके कार्यकाल के दौरान हुई बैठकें की सं.	बैठकों की सं. जिनमें उपस्थित हुए
आर. स्वामीनाथन स्वतंत्र निदेशक (30 नवंबर , 2019 तक)	अध्यक्ष	1	1
रंजीत रे स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष (1 दिसंबर , 2019 से)	1	1
	सदस्य (30, नवंबर 2019 तक)	1	1
अमित वरदान, जेएस, डीएचआई, अंश कालिक सरकारी निदेशक	सदस्य	2	1
देश दीपक गोयल स्वतंत्र निदेशक	सदस्य	2	2
निदेशक (वित्त)	सदस्य	2	2
निदेशक (आई एस एंड पी)	सदस्य	2	2
निदेशक (पावर)	सदस्य	2	2

प्रमुख (पीएस–पीएमजी) और महाप्रबंधक–प्राप्य प्रबंधन (Receivable Management) संबंधित एजेंडे के लिए समिति के संयोजक हैं और समिति द्वारा समीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। संबंधित व्यवसाय क्षेत्रों के प्रमुख स्थायी आमंत्रित होंगे और

देनदारों की स्थिति पर अलग प्रस्तुतीकरण देंगे। कंपनी सचिव समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे ।

iii. बैठकें और उपस्थिति

वर्ष के दौरान समिति की दो बैठकें दिनांक 14 अक्टूबर, 2019 तथा 10 फरवरी 2020 को हुई प्रत्येक सदस्य की उपस्थिति ऊपर उल्लिखित तालिका में दी गई है।

2.15 सामान्य बैठकें

i. अंतिम तीन वार्षिक आम बैठकों की अवस्थिति और समयः

वर्ष	अवस्थिति	कंजम	ज्पउम
वित्त वर्ष 2016– 17 (53rd AGM)	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली –110010	22 सितंबर, 2017	10.00 प्रातः
वित्त वर्ष 2017– 18 (54th AGM)	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली –110010	19 सितंबर, 2018	10.00 प्रातः
वित्त वर्ष 2018– 19 (55thAGM)	मानेकशॉ सेंटर, परेड रोड, खैबर लाइन्स, दिल्ली कैंट, दिल्ली –110010	19 सितंबर, 2018	10.00 प्रातः

ii. पिछले तीन वार्षिक आम बैठकों में पारित विशेष प्रस्तावों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के प्रावधानों के अनुसार, 19 सितंबर, 2018 को 54 वीं वार्षिक आम बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें शेयरों के बाय–बैक के संबंध में अनुच्छेद 5 ए के सम्मिलन द्वारा एसोसिएशन के लेखों में संशोधन किया गया था। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के प्रावधानों के अनुसार, 19 सितंबर, 2019 को आयोजित 55 वीं वार्षिक आम बैठक में श्री आर. स्वामीनाथन की दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र निदेशक के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

iii. पोस्टल बैलेट

पिछले वर्ष में पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किए गए। पोस्टल बैलेट द्वारा इस तरह का कोई प्रस्ताव संचालन हेतु प्रस्तावित नहीं किया गया।

2.16 प्रकटीकरण

संबद्ध पक्ष के साथ वास्तविक रूप से महत्वपूर्ण लेन–देन का प्रकटीकरण जिसके कंपनी के हित के विरूद्ध होने की संभावना हो।

i. पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबन्धित कंपनी पर लगाए गए गैर–अनुपालन / दंड एवं आलोचना

पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार के संबंध में कंपनी पर गैर–अनुपालन / दंड और आलोचना का कोई भी मामला नहीं है / स्टॉक एक्सचेंज / सेबी या किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर कोई दंड / सख्ती लागू नहीं की गई थी। ।

तथापि, कंपनी ने एनएसई और साथ ही बीएसई को सेबी लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 17 (1) के प्रावधान का पालन न करने और निदेशक मंडल में 50 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशकों (कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) के होने न पर जुर्माने के लिए नोटिस प्राप्त किया। नोटिस के जवाब में, कंपनी ने एक्सचेंजों को स्पष्ट किया कि स्वतंत्र निदेशकों की कमी कंपनी की किसी भी लापरवाही / चूक के कारण नहीं थी, क्योंकि नियुक्ति उनके नियंत्रण में नहीं है। इसके मद्देनजर, कंपनी ने एक्सचेंजों से उनकी वाली नीतियों के अंतर्गत जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है। स्वतंत्र निदेशकों (कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित) की नियुक्ति के मामले पर प्रशासनिक मंत्रालय के साथ प्रक्रिया चल रही है।

iii. व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मो के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों और सूचीबद्ध कंपनियों एवं स्टॉक एक्सचेंजों और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के बीच लिस्टिंग समझौते के खंड 49के अनुसरण में कंपनी और इसके द्वारा एक विस्तृत व्हिसल ब्लोअर पॉलिसी का मसौदा तैयार किया गया था। दिनांक 12 अगस्त 2014 को हुई 464 वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा इसकी विधिवत स्वीकृति प्रदान की गई प्नीति सूचीकरण विनियमों के अनुरूप है। इसके उत्तरवर्ती एक परिपत्र द्वारा व्हिसल ब्लोअर नीति को अधिसूचित किया और सभी कर्मचारियों के नोटिस के लिए सक्षम प्राधिकारी और अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति के संपर्क विवरण को सूचित किया।

व्हिसल ब्लोअर नीति की एक प्रति व्यापक प्रचार के लिए कंपनी की वेबसाइट www.bhel.com उपलब्ध कराई गई है। पते में परिवर्तन, सक्षम प्राधिकरण और अध्यक्ष, लेखापरीक्षा समिति के संपर्क विवरणों में समय–समय पर संशोधन भी अधिसूचित किया जा रहा है ।

इस नीति के अंतर्गत प्राप्त शिकायतों का निवारण इस संबंध में दिये गए दिशा–निर्देशों के अंतर्गत किया जाता है और किसी भी कार्मिक को लेखा परीक्षा समिति के पास जाने से रोका नहीं जाता है।

iv. कॉर्पोरेट अधिशासन पर डीपीई दिशा–निर्देशों के अनुपालन की आवश्यकताओं , सूचीयन समझोतों /विनियमों के गैर अनिवार्य कॉर्पोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं का अधिग्रहण एवं अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुपालन का विवरण।

सीपीएसई और सेबी (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) के लिए कॉर्पोरेट आधिशासन पर डीपीई दिशानिर्देशों की सभी अनिवार्य आवश्यकताएं, 2015 को कंपनी द्वारा निदेशक मंडल की संरचना से संबंधित को छोड़कर विधिवत अनुपालन किया गया है। लिस्टिंग विनियमों के लिए गैर अनिवार्य आवश्यकताओं के संबंध में बीएचईएल असंशोधित लेखा परीक्षा के साथ वित्तीय विवरण की व्यवस्था में पहले से ही है।

खाते से कोई भी ऐसा खर्च नहीं किया गया है जो व्यापार के उद्देश्य से नहीं है और खाते से ईएसए कुछ भी खर्च नहीं किया गया जो व्यक्तिगत हो तथा निदेशक मंडल के निदेशकों और शीर्ष प्रबंधन के लिए किया गया है।

v. राष्ट्रपति निर्देश

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात 2017–18, 2018–19 और 2019–20 में दिनांक 27 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ संख्या 3 (06) /2016–च्त्ग् के अंतर्गत एक राष्ट्रपति निर्देश प्राप्त हुआ, जो दिनांक 1 जनवरी, 2017 से निदेशक मंडल स्तर, निदेशक मंडल स्तर से नीचे के अधिकारियों और गैर–संघटित पर्यवेक्षकों के वेतन पुनरीक्षण से संबंधित है! इसका अनुपालन किया गया है।

vi. जोखिम प्रबंधन

सीपीएसईज़ के लिए कॉर्पोरेट शासन पर डीपीई के दिशा–निर्देशों और सेबी (सूचीयन दायित्व प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में, बी एच ई एल के पास निदेशक मंडल से स्वीकृत एक जोखिम प्रबंधन चार्टर एवं नीति है जिसमें निदेशक मंडल के सदस्यों को जोखिम आकलन और न्यूनीकरण के बारे में सूचित करने की प्रक्रिया दी गई है। इस नीति में कंपनी की जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए संरचनागत एवं संपूर्ण ढांचा है जो जोखिमों के उचित एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करता है। जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया में जोखिम की पहचान, जोखिम मूल्यांकन, जोखिम समीक्षा, जोखिमों के न्यूनीकरण, जोखिमों की समीक्षा एवं मोनीटरिंग शामिल है।

बी एच ई एल में निदेशक मंडल स्तरीय जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) है जिसे कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों और निदेशक मंडल स्तर पर नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जोखिम प्रबंधन स्थायी समिति (RMSC) कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करती है। जोखिम प्रबंधन स्थायी समिति मेंकॉर्पोरेट कार्य और व्यवसाय क्षेत्र के प्रमुख शामिल हैं, जो जोखिम प्रबंधन परनाली को अपनाने और लागू करने के लिए ज़िम्मेदार हैं। जोखिम प्रबंधन समितियां (RMC) व्यावसायिक क्षेत्रों / क्षेत्रों / इकाई स्तर पर जोखिम प्रोफाइल और जोखिम शमन योजनाओं की समीक्षा और संबंधित इकाइयों / क्षेत्रों के लिए उनके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं।

Vii कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण के बारे में जानकारी निदेशक मंडल की रिपोर्ट का हिस्सा है और अनुलग्नक सी के पैरा 1.9.5.2 "कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा" के रूप में उपलब्ध है।

Viii नियमन 32 (7 ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिमान्य आबंटन या योग्य संस्थानों के प्लेसमेंट के माध्यम से उठाए गए फंड के उपयोग का विवरण

शून्य

ix सूचीबद्ध संस्था और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक आधार पर सांविधिक लेखा परीक्षक और नेटवर्क फर्म / नेटवर्क इकाई में सभी संस्थाओं के लिए भुगतान की जाने वाली सभी सेवाओं के लिए कुल शुल्क, जिसका वैधानिक लेखा परीक्षक एक हिस्सा है ।

x कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र

कॉर्पोरेट अभिशासन पर अनुपालन प्रमाण पत्र संलग्न

2.17 संचार माध्यम

सूचीकरण नियमों के अंतर्गत आवश्यक है कि कंपनी निदेशक मंडल मीटिंग्स के स्टॉक एक्सचेंजों को अग्रिम रूप से एक नोटिस जारी करती है, जिसमें बिना लेखा परीक्षा के / लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय परिणाम होते हैं।इसके अलावा, उक्त परिणाम रिकॉर्ड / अनुमोदित किए जाने के तुरंत बाद स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित कर दिए जाते हैं ।ये अनुमोदित वित्तीय परिणाम निदेशक मंडल या समिति की बैठक के समापन के 48 घंटों के भीतर एक अंग्रेजी के दैनिक समाचार पत्र में जो पूरे भारत में प्रकाशित होती हो और एक क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित होते हैं जहां कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित हो एवं कंपनी के वेबसाइट (www.bhel.com) में प्रकाशित होता है। शेयरधारकों से संबंधित अन्य सूचना जैसे कि निर्देशन में परिवर्तन, अप्रदत्त लाभांश का विवरण, वार्षिक रिपोर्ट आदि, कंपनी की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रमुख ऑर्डर्स का मिलना, प्रमुख परियोजनाओं का कमीश्न किया जाना , महत्वपूर्ण कोलाबोरेशन्स, अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता है और साथ ही स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है। 2019–20 के दौरान, बीएचईएल ने विश्लेषकों या निवेशकों को वित्तीय परिणामों पर कोई प्रस्तुति नहीं दी है, वित्तीय परिणाम की घोषणा के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को पूर्व सूचना देने और अपनी वेबसाइटों पर इसे पोस्ट करने के बाद त्रैमासिक सम्मेलन का आयोजन। बीएचईएल ने नियमित आमने–सामने बातचीत के अलावा विभिन्न निवेशक सम्मेलनों/बैठकों में भी भाग लिया है । सूचीकरण विनियमों के विनियमन 46 के अनुपालन में, कंपनी अपनी वेबसाइट की सूचनाओं का प्रसार करती है जिसमें अन्य बातों के साथ– साथ निदेशक मंडल की विभिन्न समितियों की संरचना, आचार संहिता, आरपीटी से निपटने की नीति, , नामित अधिकारियों के संपर्क की जानकारी निवेशकों की शिकायतों आदि को संभालने एवं सहायता करने हेतु उत्तरदायी कंपनी के पदनामित अधिकारियों की सूचना कंपनी अपनी वेबसाइट में प्रसारित करता है । कॉर्पोरेटमामले के मंत्रालय, भारत सरकार के "ग्रीन इनिसिएटिव" के अनुसरण में कंपनी उन शेयरधारकों को ईमेल के माध्यम से वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक आम बैठक बुलाने की सूचना भेजती है, जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स / आरटीए के साथ अपना ईमेल आईडी पंजीकृत किया है और जिन्होंने वार्षिक रिपोर्ट की हार्ड प्रति के विकल्प को नहीं चुना है।

2.18 सामान्य शेयरधारकों की सूचना

	वार्षिक जेनरल बैठक दिनांक	समय	स्थल
i	सितंबर 28, 2020	प्रातः 10:00 बजे	कंपनी एमसीए परिपत्र दिनांक 5 मई, 2020 के अनुसार वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से बैठक आयोजित कर रही है औरयह निर्णय लिया गया कि एजीएम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में ही आयोजित होगी । विवरण के लिए कृपया इस एजीएम के नोटिस का संदर्भ ग्रहण करें
ii	वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020	

iii. लाभांश का इतिहासः

बीएचईएल द्वारा भुगतान किए गए लाभांश का विवरण (और निवेशक शिक्षा सुरक्षा निधि में स्थानांतरण के कारण देय नहीं) का विवरण निम्नानुसार हैः

वर्ष	लाभांश दर	भुगतान की गई कुल राशि (करोड़ में)	लाभांश घोषित करने की तिथि
2012–2013 (अंतिम)	164.50%	805.26	20.09.2013
2013–2014 (अंतरिम)	65.50%	320.64	05.02.2014*
2013–2014 (अंतिम	76%	372.04	19.09.2014
2014–2015 (अंतरिम)	27%	132.17	12.02.2015*
2014–2015 (अंतिम)	31%	151.75	22.09.2015
2015–2016 (अंतिम)	20%	97.90	22.09.2016
2016–2017 (अंतरिम)	40%	195.81	07.02.2017*
2016–2017 (अंतिम)	39%	190.92	22.09.2017
2017–2018 (अंतरिम)	40%	293.72	08.02.2018*
2017–2018 (अंतिम)	51%	374.48	19.09.2018
2018–2019 (अंतरिम)	40%	278.57	05.02.2018*
2018–2019 (अंतिम)	60%	417.85	19.09.2019

* निदेशक मंडल की बैठक की तारीख जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया गया था।

नोट :

(1) 2017–18 के दौरान, कंपनी ने 03.10.2017 को 1: 2 के अनुपात में अपने शेयरधारकों को बोनस इक्विटी शेयर आबंटित किए हैं, यानी प्रत्येक दो पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के लिए प्रत्येक 2 का एक पूर्ण रूप से प्रदत्त नया बोनस इक्विटी शेयर। परिणामस्वरूप शेयरों की कुल संख्या 244.76 करोड़ से बढ़कर 367.14 करोड़ हो गई है।

(2) कंपनी ने वर्ष 2018–19 के दौरान 1628.30 करोड़ रुपये के कुल कंसिडरेशन हेतु 86 रु. (छियासी रु.) प्रति इक्विटी शेयर के मूल्य पर "निविदा प्रस्ताव" के माध्यम से आनुपातिक आधार पर रिकॉर्ड तिथि पर इसके शेयर होल्डर्स से कंपनी के कुल जारी एवं प्रदत्त इक्विटी शेयर 18,93,36,645 का पुनः क्रय किया जो पूंजी का 5.16 प्रतिशत है एवं परिणामस्वरूप, शेयरों की कुल संख्या 367.14 करोड़ रुपये से घटकर 348.21 करोड़ रुपये हो गई है।

(3) यदि किसी अंशधारक ने पिछले सात वर्षों से किसी भी व्यक्ति के लिए लाभांश दावा / प्राप्त नहीं किया है और उसे अभी तक निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित नहीं किया गया है तो कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर अपलोड की गई प्रक्रिया का पालन करके वह इस अप्रदत्त लाभांश का दावा कर सकता है। वर्ष 2011–12 (अंतरिम), 2011–12 (अंतिम) और 2012–13 (अंतरिम) के लिए अप्रदत्त लाभांश पहले ही वर्ष 2019–20 के दौरान निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके अलावा, वर्ष 2012–13 (अंतिम) और 2013–14 (अंतरिम) के लिए अप्रदत्त लाभांश क्रमशः 21/10/2020 और 11/03/2021 पर IEPF को हस्तांतरित करना बाकी है।

(4) IEPF को स्थानांतरित किए गए लाभांश / शेयरों के संबंध में, शेयरधारकों IEPF प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके IEPF प्राधिकरण से उपरोक्त का दावा कर सकते हैं। ये नियम IEPF osclkbV (www.iepf.gov.in) और कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) पर उपलब्ध हैं।

iv) क) स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक कोड पर लिस्टिंग

बीएचईएल के शेयरों को निम्नलिखित स्टॉक एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध किया गया है, जिसके लिए 2019–20 की सूची शुल्क का भुगतान किया गया हैः

स्टॉक एक्सचेंज का नाम	स्टॉक कोड
1.बीएसई लिमिटेड फीरोज जीजीभोय टावर्स, दलाल स्ट्रीट, मुंबई – 400 001	500103
2.नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट नं. सी / 1, ब्लॉक – जी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्वी), मुंबई – 400 051	बीएचईएल

ख. डिपॉजिटरी को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान

वित्तवर्ष 2019–20 के लिए एनएसडीएल और सीडीएसएल को वार्षिक कस्टोडियन शुल्क का भुगतान किया गया है

v. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान बीएसई और एनएसई में प्रत्येक माह के दौरान बीएचईएल शेयरों का विस्तार और बाजार सूचकांक के उच्च, निम्न और बंद निम्नलिखित हैं :

बाजार मूल्य डेटाः वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्रत्येक माह के दौरान उच्च, निम्न, क्लोज										
माह	बीएसई				एन एस ई				बाजार सूचकांक (क्लोज)	
	उच्च	निम्न	क्लोज	वॉल्यूम	उच्च	निम्न	क्लोज	वॉल्युम	एस एवं पी बीएसई सूचकांक	एनएसई निफ्टी
	(रु.में)			(करोड़ में शेयरों की सं)	(रु.में)			(शेयरों की सं. करोड़ में)		
अप्रैल, 2019	78.75	69.45	70.75	3.68	78.85	69.40	70.80	29.16	39031.55	11748.15
मई, 2019	73.95	59.25	70.10	4.75	73.70	59.20	70.20	30.55	39714.20	11922.80
जून, 2019	75.50	65.70	73.10	2.79	75.50	66.40	73.15	23.66	39394.64	11788.85
जूलाई, 2019	74.30	57.10	58.90	1.68	74.25	57.05	58.90	20.52	37481.12	11118.00
अगस्त, 2019	59.10	46.65	50.55	2.19	59.10	46.65	50.55	30.16	37332.79	11023.25
सितम्बर, 2019	53.15	46.65	48.40	2.21	53.20	46.60	48.40	25.42	38667.33	11474.45
अक्तूबर, 2019	61.30	41.35	56.55	6.01	61.10	41.30	56.55	64.38	40129.05	11877.45
नवम्बर, 2019	58.00	52.50	53.30	3.13	58.00	52.50	53.30	34.28	40793.81	12056.05
दिसम्बर, 2019	53.75	42.40	43.45	2.36	53.80	42.40	43.45	32.52	41253.74	12168.45
जनवरी, 2019	47.75	42.05	42.70	2.04	47.75	42.05	42.75	33.87	40723.49	11962.10
फरवरी, 2019	43.55	30.35	30.60	2.09	43.55	30.30	30.60	41.27	38297.29	11201.75
मार्च, 2019	31.70	19.20	20.80	7.43	31.70	18.40	20.80	49.67	29468.49	8597.75

स्रोतः www.bseindia.com / www.nseindia.com

vi. इनसाइडर ट्रेडिंग नीति

बीएचईएल अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने और ऐसी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयासरत है। इस प्रयोजन के लिए और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 1992 के अनुसार, कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को "इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता" को अपनाया था, जिसे बाद में 29 जनवरी, 2009 को संशोधित किया गया था।

सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 के अनुरुप निदेशक मंडल ने 6 अप्रैल, 2015 को आयोजित अपनी 469 वीं बैठक में, इनसाइडर द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण, 2015 के लिए आचार संहिता को मंजूरी दे दी । बीएचईएल अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता को बनाए रखने और ऐसी जानकारी के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयासरत है। इस प्रयोजन के लिए और सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 1992 के अनुसार, कंपनी ने 26 अगस्त, 2002 को ''इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता'' को अपनाया था, जिसे बाद में 29 जनवरी, 2009 को संशोधित किया गया था। सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 के अनुरूप। निदेशक मंडल ने 6 अप्रैल, 2015 को आयोजित अपनी 469 वीं बैठक में, इनसाइडर द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग ट्रेडिंग तथा निष्पक्ष प्रकटीकरण, 2015 के लिए आचार संहिता को मंजूरी दे दी । 01.04.2019 से प्रभावी निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) (संशोधन) विनियमन, 2018 के अनुपालन में, निदेशक मंडल ने नामांकित/नामित व्यक्तियों और उनके तत्काल संबंधियों द्वारा विनियमन और रिपोर्टिंग व्यापार के लिए संशोधित बीएचईएल आचार संहिता को भी मंजूरी दे दी । संहिता का उद्देश्य सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015 के अनुपालन करने के लिए नामित व्यक्तियों और नामित व्यक्तियों के तत्काल संबंधितों के व्यापार को विनियमित, निगरानी और रिपोर्ट करना है । कोड अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए उद्यम और प्रक्रियाओं को भी प्रदान करता है। इस कोड के अंतर्गत कंपनी का कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का प्रमुख मुख्य निवेशक संपर्क अधिकारी है ।

vii. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए)

दिल्ली का पता	हैदराबाद का पता
केएफआईएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (पहले कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) । यूनिटः बीएचईएल 305, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखंभा रोड , नई दिल्ली : 110001 दूरभाष.: 011–43681700 फैक्स : 011–43681710	केएफआईएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पहले कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) यूनिटः बीएचईएल सेलेनियम टावर–बी, प्लॉट 31–32 गच्ची बाउली, फिनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500032 दूरभाष.: 040–67162222 फैक्स : 040–23001153 ई–मेल : madhusudhan.ms@ kfintech.com einward.ris@kfintech.com वेबसाइट : www.kfintech.com

शेयरधारकों की सेवा में आरटीए का प्रदर्शन संतोषजनक रहा है। सभी निवेशकों की शिकायतों पर त्वरित ध्यान दिया जाता है।

viii. शेयर स्थानांतरण पद्धति

दस्तावेजों की रसीद / प्रेषण जैसे फिजिकल सेगमेंट के अंतर्गत सभी शेयर हस्तांतरण गतिविधियां और उनका सत्यापन मेसर्स केएफआईएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड द्व

ारा किया जा रहा है। 01.04.2019 से प्रभावी सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2018 के अनुसार (चौथा संशोधन), जब तक प्रतिभूति विमुद्रीकृत फॉर्म में नहीं रहता तब तक प्रतिभूतियों के हस्तांतरण (प्रतिभूतियों के संचरण या हस्तांतरण के मामले को छोड़कर) को प्रभावित करने के अनुरोधों को संसाधित नहीं किया जाएगा। लिस्टिंग विनियमनों के अनुरूप, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोजिशन, सब–डिवीजन और समेकन के लिए निर्धारित समयसीमा के भीतर शेयर प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।

ix.) शेयरहोल्डिंग का वितरण

i 31 मार्च, 2020 तक होल्डिंग साइज के अनुसार शेयरों का वितरण

इक्विटी शेयर की संख्या	शेयरहोल्डर्स की सं	शेयरहोल्डर्स का प्रतिशत	शेयर्स की सं	शेयरहोल्डिंग का प्रतिशत
1 – 500	498564	82.88	64340647	1.85
501 – 1000	51164	8.50	39718082	1.14
1001 – 2000	28053	4.66	41367265	1.19
2001 – 3000	9312	1.55	24047545	0.69
3001 – 4000	3770	0.63	13506710	0.39
4001 – 5000	2935	0.49	13724631	0.39
5001 – 10000	4503	0.75	32816041	0.94
10001 से अधिक	3231	0.54	3252542434	93.41
कुल	**601532**	**100**	**3482063355**	**100**

ii. 31 मार्च, 2020 को शेयरहोल्डिंग पैटर्न

कैटेगरी	2020		2019	
	वोटिंग स्ट्रेन्थ (%)	शेयरों की संख्या	वोटिंग स्ट्रेन्थ (%)	शेयर की संख्या
प्रमोटर होल्डिंग				
भारतीय प्रमोटर्स				
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया	63.17	2199650402	63.17	2199650402
कुल प्रमोटर होल्डिंग	**63.17**	**2199650402**	**63.17**	**2199650402**
नॉन प्रमोटर्स होल्डिंग				
बैंक, वित्तीय संस्थान, बीमा कंपनियाँ, योग्य संस्थागत खरीददार	12.28	427674203	15.47	538614388
विदेशी संस्थागत निवेशक (योग्य विदेशी निवेशक सहित)	9.36	325989415	11.68	406746839
म्यूचुअल फंड और यूटीआई	5.62	195826511	3.07	106944845
अन्य				
प्रति व्यक्ति	8.00	278542017	4.66	161941594
कॉर्पोरेट निकाय	0.80	27825151	0.80	27954095
एन आर आई	0.41	14205495	0.25	8714644
ट्रस्ट	0.11	3680869	0.10	3616635
क्लियरिंग मेंबर्स	0.24	8337813	0.79	27641632
आई ई पी एफ	0.01	331267	0.01	236031
निदेशक एवं संबंधितों	0	212	0	2250
कुल नॉन प्रमोटर होल्डिंग	**36.83**	**1282412953**	**36.83**	**1282412953**
कुल योग	**100.00**	**3482063355**	**100.00**	**3482063355**

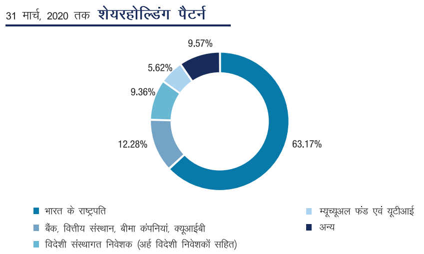

iii. उन शेयरधारकों की सूची जिनके पास 31 मार्च, 2020 को कंपनी के 1 प्रतिशत से अधिक शेयर अपने हैं

कैटेगरी एवं शेयरहोल्डर्स का नाम	31 मार्च, 2020	
	वोटिंग स्ट्रेंथ	शेयर की सं
प्रोमोटर्स		
1. भारत के राष्ट्रपति	63.17	2199650402
नॉन प्रमोटर्स		
1. भारतीय जीवन बीमा निगम	10.07	350647914
2. एएमयूएनडीआई फंड्स एसबीआई एफ एम इंडिया इक्विटी	1.86	64928000
3.एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड	1.41	49160455
4. एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड	1.23	43000000

x) शेयर्स और लिक्विडिटी का डिमेटेरियलाइजेशन

5 अप्रैल 1999, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय निदेशक मंडल (सेबी) के निर्देशों के अनुसार, सभी श्रेणियों के निवेशकों द्वारा डीमैट रूप में बीएचईएल के शेयरों में ट्रेडिंग अनिवार्य कर दी गई है।

बीएचईएल ने देश के दोनों डिपॉजिटरी यानी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के डीमैट मोड के अंतर्गत अपनी सिक्योरिटीज के प्रवेश के लिए समझौता किया है । 31 मार्च, 2020 तक, 99.96% (NSDL : 96.41%, CDSL : 3.55%) बीएचईएल की कुल इक्विटी शेयर पूंजी शेयरधारकों द्वारा डीमैट मोड में की जा रही है। शेयरधारकों द्वारा भौतिक मोड में रखे गए शेयर 0.04% हैं। भारत के माननीय राष्ट्रपति की शेयरहोल्डिंग (कंपनी का प्रमोटर होने के कारण कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी का 63.17% हिस्सा है) भी डीमैटरियलाइज्ड रूप में है। कंपनी को आबंटित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति पहचान संख्या (आईएसआईएन) INE257 I01026 है।

xi) बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट या कोई परिवर्तनीय उपकरण, रूपांतरण की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव

शून्य

xii) विदेशी मुद्रा जोखिम या कमोडिटी मूल्य जोखिम और प्रतिरक्षा गतिविधियां

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी द्वारा प्रतिरक्षा से संबद्ध गतिविधियां/ लेनदेन किए गए हैं।

वर्ष भर में वस्तुओं द्वारा सामना की जाने वाली कमोडिटी और कमोडिटी जोखिम के लिए सूचीबद्ध वस्तुओं का एक्सपोजर:

क) कमोडिटी के लिए सूचीबद्ध वस्तुओं का कुल जोखिम 2165 करोड़ रू (लगभग)

ख) विभिन्न कमोडिटीज के लिए सूचीबद्ध वस्तुओं की सामग्री का प्रदर्शन

कमोडिटी का नाम	विशेष कमोडिटी की ओर भारतीय रू में एक्सपोजर लगभग (करोड़ रुपये में)	विशेष कमोडिटी की मात्रा की शर्तों में एक्सपोजर (एमटी में) लगभग	कमोडिटी डेरिवेटिव्स के माध्यम से इस तरह के एक्सपोजर के % का बचाव				
			घरेलू बाजार		अंतरराष्ट्रीय बाजार		कुल
			ओटीसी	विनिमय	ओटीसी	विनिमय	
स्टील	1770	383709	.				
कॉपर	350	6856					
एल्युमिनियम	35	1946	.				
निकल	10	105	.				

प्रमुख औद्योगिक वस्तुओं जैसे स्टील, कॉपर, एल्युमीनियम आदि को विभिन्न बीएचईएल इकाइयों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक सीमा तक संभवतया मूल्य लाभ प्राप्त करने के लिए पहचान की गई इकाइयों में से एक केंद्रीकृत इकाई द्वारा खरीदे जा रहे हैं । मूल्य में उतार–चढ़ाव से कंपनी को बचाने के लिए, फ्रेमवर्क समझौतों को समय–समय पर अंतिम रूप दिया जाता है।

xiii. प्लांट स्थान

बीएचईएल विनिर्माण इकाई	
बंगलुरू	1. इलेक्ट्रोनिक्स डिविजन (ईडीएन)
	2. इलेक्ट्रोनिक्ससिस्टम्स डिविजन (इएसडी)
	3 इलेक्ट्रिक एवं फोटोवॉल्टिक डिविजन (ईपीडी)
भोपाल	4. हेवी इलेक्ट्रिकल प्लांट (एचईपी)
गोइंदवाल	5. इंडस्ट्रियल वाल्वस प्लांट (आईवीपी)
हरिद्वार	6. हेवी इलेक्ट्रिकल इक्वीपमेंट प्लांट (एचईईपी)
	7 सेंट्रल फाउंड्री फोर्ज प्लांट (सीएफएफपी)
हैदराबाद	8 हेवी पावर इक्वीपमेंट प्लांट (एचपीईपी)
जगदीशपुर	9. फेब्रिकेशन,स्टांपिंग एवं इंसुलेटर प्लांट (एफएसआईपी)
झांसी	10 ट्रांसफार्मर प्लांट (टीपी)
रूद्रपुर	11 कंपोनेंट फेब्रिकेशन प्लांट (सीएफपी)
रानीपेट	12 बॉलर ऑक्जीलरीज प्लांट (बीएपी)
तिरूचिराप्पल्ली	13 हाई प्रेशर बॉयलर प्लांट (एचपीबीपी)
	14. सीमलेस स्टीम ट्युब प्लांट (एसएसटीपी)
थिरूममप	15– पावर प्लांट पाइपिंग यूनिट (पीपीपीयू)
विशाखापतनम	16–हेवी प्लेट्स एवं वेसल्स प्लांट (एचपीवीपी)
बीएचईएल रिपेयर यूनिट	
मुंबई	1. इलेक्ट्रिकल मशीन रिपेयर प्लांट (ईएमआरपी)
वाराणसी	2. हेवी इक्वीपमेंट रिपेयर प्लांट (एचईआरपी)
बीएचईएल सबसिडियरी	
कासरगोड	1. बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल – ईएमएल)

xiv) पत्राचार का पता

शेयरधारक, शेयरों के हस्तांतरण, लाभांश की अप्राप्ति, लाभांश वारंटों के पुनर्वैधीकरण और कंपनी के शेयरों से संबंधित किसी भी अन्य पत्राचार के बारे में अपने प्रश्न निम्न को भेज सकते हैः

केएफआईएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड

(पूर्व में कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

इकाई : बीएचईएल

दिल्ली : 305, नई दिल्ली हाउस, दूरभाषः 011–43681700
27, बाराखंभा रोड, फैक्स : 011–43681710
नई दिल्ली – 110 001
हैदराबादः सेलेनियम टावर बी, दूरभाष : 040–67162222
प्लॉट 31–32, गचीबाउली, फैक्स : 040–23001153

फिनांसियल डिस्ट्रीक्ट, ईमेलः नानकरामगुडा, madhusudhan-ms@kfintech-com

हैदराबाद– 500 032 einward.ris@kfintech.com

या

श्री राजीव कालड़ा दूरभाषः 011–26001046

कंपनी सचिव फैक्स : 011–66337533

बीएचईएल ईमेलः shareholderquery@bhel-in

पंजीकृत कार्यालयः

बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट , नई दिल्ली – 110 049

नोट : इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों को सभी पत्राचार को संबोधित करना चाहिए ।

घोषणा : लिस्टिंग विनियमन के अनुसार, यह घोषित किया जाता है कि सभी निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए बीएचईएल के "व्यापार आचरण और आचार संहिता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

कृते निदेशक मंडल की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

डॉ नलिन सिंघल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2020

निदेशकों के नॉन – डिसक्वालीफिकेसन का प्रमाणपत्र

(सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियन, 2015 के विनियम 34 (3) और अनुसूची V पैरा C खंड (10) (प) के अनुसार)

सेवा में ,

सदस्यगण

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट

नई दिल्ली – 110049

भारतीय प्रतिभूति (लिस्टिंग ऑब्लीगेसन एवं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियमन, 2015 और विनिमय निदेशक मंडल के अनुसूची V पैरा–सी उप खंड 10 (i) को 34 (3) के साथ पढ़ा जाए जिसके अनुसार कंपनी द्वारा इस सर्टिफिकेट को जारी करने के उद्देश्य से हमारे समक्ष हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जिनका CIN: L74899DL1964GOI004281 है और पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट ,(यहां कंपनी के नाम से संदर्भित है) नई दिल्ली के निदेशकों से प्राप्त प्रासंगिक रजिस्टर, रिकॉर्ड, फॉर्म्स, रिटर्न्स की जांच की है ।

हमारी राय एवं जानकारी के अनुसार कंपनी एवं कंपनी के निदेशक/ अधिकारी द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण / अभ्यावेदन एवं जो आवश्यक है उसके सत्यापन (www.mca.gov.in) पोर्टल पर कंपनी निदेशकों की पहचान सं (DIN) से हम यह प्रमाणित करते हैं कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में कंपनी के निम्नलिखित निदेशक मंडल में से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त या कार्यरत कोई भी निदेशक डिबार्ड और डिसक्वालिफायड नहीं है

क्र.सं.	निदेशक का नाम (डीआईएन के अनुसार)	डीआईएन	कंपनी में नियुक्ति की तिथि
1	नलिन सिंघल	01176857	08.07.2019
2	शशांक प्रिय	08538400	04.10.2019
3	अमित वरदान	08401348	27.03.2019
4	देश गोयल दीपक	07739221	23.09.2017
5	रंजीत रे	07942234	23.09.2017
6	राजेश शर्मा	01586332	20.02.2019
7	राज कमल बिंदल	07423392	31.01.2020
8	मनीष कपूर	02405818	31.01.2020
9	सुबोध गुप्ता	08113460	18.04.2018
10	सुब्रमण्यन बालाकृष्णन	07804784	01.06.2018
11	मनोज कुमार वर्मा	08308714	19.12.2018
12	कमलेश दास	08376769	01.03.2019
13	अनिल कपूर	08587329	15.10.2019

निदेशक मंडल में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति / निरंतरता की पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने सत्यापन के आधार पर इन पर एक राय व्यक्त करें। यह प्रमाण पत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता और न ही दक्षता या प्रभावशीलता के लिए एक आश्वासन है , जिससे प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

सीएस पी एन गुप्ता
प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव
एफसीएस–4430, सीओपी–6778
यूआईडीएन: एफ004430बी000242052

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2020

कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्थिति के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

सदस्यगण ,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

1. हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (CIN: L74899DL1964GOI004281) द्वारा कॉर्पोरेट अभिशासन की अनुपालन शर्तों की जांच की है, जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (सूची और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई), भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार 2010 द्वारा जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश में निर्धारित किया गया है ।

2. कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए हमारी जांच कंपनी द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित थी। यह कंपनी के वित्तीय विवरण का न तो लेखापरीक्षा है ओर न ही विचारों की अभिव्यक्ति है।

3. हमारे विचार और जानकारी तथा हमें दिए गए आश्वासन एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि कंपनी ने कॉर्पोरेट अभिशासन की सभी लागू शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (लिस्टिंग ऑब्लिगेसन एवं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियमन 2015 में तथा DPE द्वारा जारी CPSE के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देश, सेबी (LoDR) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 (1) और DPE दिशानिर्देशों के क्लॉज 3.1.4 को छोड़कर, निर्धारित किया गया है,क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक सह अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या नहीं थी।

4. हम आगे कहते हैं कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता का एक आश्वासन है जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते **आशु गुप्ता एंड कंपनी**
कंपनी सचिव

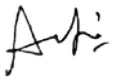

आशु गुप्ता
(प्रोप्रायटर)
सीपी नं. : 6646
एफसीएस नं.: 4123
यूडीआईएन : एफ004123बी000305336

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 31.05.2020

फॉर्म सं. एम आर–3
सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट
31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु

(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी के नियम 9 के अनुसार (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014)

सेवा में,

सदस्यगण ,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सीआईएन संख्या L74899DL1964GOI004281 (यहाँ "कंपनी" के रूप में उल्लिखित है) द्वारा अच्छे कॉर्पोरेट उद्यम का पालन तथा प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन का सचिवीय लेखा परीक्षा किया है । सचिवीय लेखापरीक्षा इस तरीके से किया गया था जिसने हमें कॉर्पोरेट आचार / सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन हेतु और उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उचित आधार दिया ।

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी , कंपनी के अधिकारी , एजेंट्स तथा प्राधिकृत प्रतिनिधि , द्वारा अनुरक्षित कंपनी के बही, कागजातों, कार्यवृत्त की पुस्तकों, प्रपत्रों और भरे गए रिटर्न और कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों के सत्यापन के आधार पर हम एतद्द्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में, कंपनी ने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष को कवर करने वाली ऑडिट अवधि के दौरान, यहां सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि कंपनी के पास उचित निदेशक मंडल प्रक्रियाएं और अनुपालन–तंत्र हैं।

निम्न प्रावधानों के अनुसार हमने कंपनी द्वारा अनुरक्षित 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बही , दस्तावेज, कार्यवृत की पुस्तकों, प्रपत्रों और फाइल किए गए रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जांच की है ।

i) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम

ii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियम

iii) डिपॉजिटरी एक्ट, 1996 और विनियमन और उपनियमों को निम्नवत् बनाया गया

iv) विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमन को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपार प्रत्यक्ष निवेश तथा बाहरी वाणिज्यिक ऋणों की सीमा तक कर दिया।

v) निम्नलिखित विनियमन और दिशानिर्देश भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित हैं:

1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (शेयरों का पर्याप्त अधिग्रहण तथा टेकओवर) विनियमन, 2011

2) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (आंतरिक ट्रेडिंग का निषेध) विनियमन, 2015

3) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं को जारी करना) विनियमन, 2018

4) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं);

5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (इश्यु एवं लिस्टिंग ऑफ डेब्ट सेक्युरिटीज) विनियमन, 2008 (लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी के लिए लागू नहीं)

6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (रजिस्ट्रार टु एन इश्यु एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स)विनियमन , 1993 कंपनी अधिनियम और ग्राहक के साथ डिलिंग के बारे में

7) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (डिलिस्टिंग आफ इक्विटी शेयर)विनियमन, 2009 (लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी के लिए प्रयोज्य नहीं)

8) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (प्रतिभूति का पुनः क्रय) विनियमन, 2018; तथा

9) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (सूचीबद्ध करने की बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015.

vi) हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली और संबंधित दस्तावेजों तथा अभिलेखों की जांच के बाद, परीक्षण–जांच के आधार पर, कंपनी ने सभी विशिष्ट लागू कानूनों का अनुपालन किया है।कुछ महत्वपूर्ण कानूनों का अनुपालन इस प्रकार है:

- कारखाना अधिनियम, 1948;
- भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923;
- खतरनाक रासायनिक नियमों का विनिर्माण, भंडारण और आयात, 1989;
- परमाणु ऊर्जा (विकिरण सुरक्षा) नियम, 2004; और
- बैटरीज (प्रबंधन एवं हैंडलिंग) नियम, 2001.

हमने निम्नलिखित क्लॉज के लागू होने के अनुपालन की भी जांच की है:

1. भारत के इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज द्वारा जारी किए गए निदेशक मंडल (एसएस –1) और जनरल मीटिंग (एसएस –2) की बैठकों के संबंध में सचिवीय मानक, और
2. सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी किए गए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश उनके ओएम नंबर 18 (8) / 2005–जीएम दिनांक 14 मई, 2010 को देखें ।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, जो निम्नलिखित अवलोकन के अधीन है ।

निदेशक मंडल की संरचना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय निदेशक मंडल (लिस्टिंग ऑब्लिगेसन एवं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट) विनियमन 2015, विनियमन 17 (1) एवं कॉर्पोरेट दिशानिर्देशों पर डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुपालन में नहीं है क्योंकि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक सह अपेक्षित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या नहीं थी।

कंपनी ने स्पष्टीकरण दिया कि बीएचईएल, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, स्वतंत्र निदेशकों का नामांकन / नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है। कंपनी पहले ही भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग से , भारत के निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक सहित स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के नामांकन के लिए अनुरोध कर चुकी है ।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के अंतर्गत निदेशक मंडल में इस अवधि के दौरान बदलाव किए गए थे।

सामान्यतः निदेशक मंडल की बैठकों के समय की सूचना पर्याप्त समय में दी जाती है , एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट सभी निदेशकों को कम से कम सात दिन पहले भेजा गया था और बैठक से पहले एजेंडा मुद्दों पर आगे की जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए तथा बैठक में प्रतिभागिता अर्थपूर्ण हो इस हेतु एक प्रणाली मौजूद है।

अध्यक्ष द्वारा विधिवत् दर्ज और हस्ताक्षरित बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार, निदेशक मंडल के निर्णय सभी मामलों में एकमत थे और कोई भी असहमतिपूर्ण विचार दर्ज नहीं किये गये हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन तंत्र की समीक्षा और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठकों में कानूनी अनुपालन प्रमाण पत्र के रिकॉर्ड के आधार पर हमारा विचार है कि कंपनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और दिशानिर्देशों की निगरानी और उनके अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी में कंपनी के आकार और संचालन के अनुरूप पर्याप्त व्यवस्थाएं और प्रक्रियाएं हैं।

हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान, उपरोक्त उल्लिखित कानूनों के पालन में कंपनी के मामलों पर असर डालने वाली कोई विशेष घटना / कार्य नहीं हुए थे।

कृते **के के सचदेवा एवं एसोसिएट्स**
कंपनी सचिव

के के सचदेवा
प्रोप्रीयेटर
एफसीएस 7153, सीपी सं. 4721
यूडीआईएन एफ007153बी000354601

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक: 19.06.2020

फॉर्म सं. एमजीटी–9
31 मार्च, 2020 तक वित्तीय वर्ष के
वार्षिक रिटर्न का सार
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कंपनी 12(1)

(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i) सीआईएन	:	L74899DL1964GOI004281
ii) पंजीकरण दिनांक	:	13.11.1964
iii) कंपनी का नाम	:	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
iv) कंपनी का वर्ग / उप–वर्ग	:	पब्लिक कंपनी / सरकारी कंपनी / सरकारी कंपनी / शेयर्स द्वारा लिमिटेड
v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	:	बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट , नई दिल्ली–110049 दूरभाषः 011–66337000 फैक्सः 011–66337428 ई–मेलः shareholderquery@bhel.in
vi) क्या सूचीबद्ध कंपनी है (हाँ / नहीं)	:	हाँ
vii) रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, यदि कोई हो, का नाम, पता एवं संपर्क विवरणः	:	केएफआईएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पहले कार्वी फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) सेलेनियम टावर–बी, प्लॉट 31–32 गच्ची बाउली, फिनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद – 500032 दूरभाष.: 040–67162222 फैक्स : 040–23001153 ई–मेल : madhusudhan.ms@kfintech.com einward.ris@kfintech.com वेबसाइट : www.kfintech.com

II. कंपनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों को बताया जाएगा।

क्रसं	मुख्य उत्पादों / सेवाओं के नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल कारोबार का %
1.	स्टीम जनरेटर के साथ उपयोग के लिए सहायक संयंत्र सहित स्टीम जेनरेटर का निर्माण	2513	32%
2.	पावर प्लांट का निर्माण	4220	23%
3.	विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर्स और विद्युत वितरण तथा नियंत्रक एपारेटस आदि का निर्माण।	2710	18%
4.	सहायक उपकरण सहित जेनरेटर सेट, टर्बाइन का निर्माण	2811	17%

III. होल्डिंग, अनुषंगी और सहायक कंपनियों का विवरण

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन / जीएलएन	सब्सिडियरी / एसोसिएट	धारित शेयरों का %	लागू करने योग्य अधिनियम
1.	बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मॉड्यूल ए1, ए2 और ए3, क्वाड्रेंट 17 वीं मंजिल, साइबर टावर्स, एचआईटीसी सिटी, मधापुर, हैदराबाद, तेलंगाना–500081	U51505TG1997PTC040657	एसोसिएट	50% कम एक हिस्सा	कंपनी अधिनियम, 2 (6) 2013

क्रम संख्या	कम्पनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	सब्सिडियरी/ एसोसिएट	धारित शेयरों का %	लागू करने योग्य अधिनियम
2.	पॉवर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्राइवेट लिमिटेड लिक्विडेटर्स का पताः बी –4 / 702, कृष्णा एप्रा गार्डन, प्लॉट नंबर 7, वैभव खंड, इंदिरापुरम, गाजियाबाद	U28991DL2003PTC120915	एसोसिएट	50% कम एक हिस्सा (परिमापन) के अंतर्गत जेवी)	कंपनी अधिनियम, 2 (6) 2013
3.	एनटीपीसी बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड एनटीपीसी भवन, एससीओपीईपी कॉम्प्लेक्स, 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली –110003	U40102DL2008PTC177307	एसोसिएट	50%	कंपनी अधिनियम, 2 (6) 2013
4.	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड केपीसीएल नया कार्यालय परिसर, नंबर 3, पैलेस रोड, बेंगलुरु, कर्नाटक – 560001	U40101KA2009PLC049582	एसोसिएट	27.97%	कंपनी अधिनियम, 2 (6) 2013
5.	दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड शेड नंबर 7, एमपीएसईबी कॉम्प्लेक्स, रामपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश – 482008	U40100MP2010PLC023131	एसोसिएट	50% कम एक हिस्सा (परिसमापन के अंतर्गत जेवी)	कंपनी अधिनियम, 2 (6) 2013
6.	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड 283/1 और 2, ग्राम पुत्तुर, पोस्ट बेद्रका, कासरगोड, केरल	U31909KL2011GOI027440	सब्सिडियरी	51%	कंपनी अधिनियम, 2 (87) 2013

IV. शेयरिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रेकअप)

(i) श्रेणी–वार शेयर होल्डिंग

शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 तक)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या(31.03.2020 को)				वर्ष के दौरानः परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
A. प्रमोटर्स									
(1) भारतीय									
(i) व्यक्तिगत/ एचयूएफ	0	0	0	0.00					0.00
(ii) केंद्र सरकार	2199650402	0	2199650402	63.17	2199650402	0	2199650402	63.17	0.00
(iii) प्रदेश सरकारें	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(iv) बॉडीज़ कॉर्पो.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(v) बैंक/ एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(vi) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप कुल (A)(1):–	**2199650402**	**0**	**2199650402**	**63.17**	**2199650402**	**0**	**2199650402**	**63.17**	**0.00**
(2) विदेशी									
(i) एनआरआई व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ii) अन्य – व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(iii) बॉडीज़ कॉर्पो.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(iv) बैंक/ एफआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(v) अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
उप कुल (1)(2):–	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी(A) = (A)(1)+(A) (2)	**2199650402**	**0**	**2199650402**	**63.17**	**2199650402**	**0**	**2199650402**	**63.17**	**0.00**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष की शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या (01.04.2019 को)				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या (31.03.2020 को)				वर्ष के दौरानः परिवर्तन
	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	डिमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों की प्रतिशतता	
B. पब्लिक शेयरहोल्डिंग									
(1) संस्थान									
(i) म्यूचुअल फंड / यूटीआई	106921845	23000	106944845	3.07	195803511	23000	195826511	5.62	2.55
(ii) बैंक/ एफआई	157185871	5000	157190871	4.51	44570969	2000	44572969	1.28	-3.23
(iii) केंद्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(iv) राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(v) वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
(vi) इंश्योरेंस कम्पनी	381421517	2000	381423517	10.96	379821517	2000	379823517	10.91	-0.05
(vii) एफआईआई	406742339	4500	406746839	11.68	325984915	4500	325989415	9.36	-2.32
(viii) फॉरेन वेंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ix) अन्य (विशिष्ट)									
योग्य विदेशी निवेशक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
योग्य संस्थागत खरीदारः	0	0	0	0.00	3277717	0	3277717	0.09	0.09
उप कुल (B)(1):–	**1052271572**	**34500**	**1052306072**	**30.22**	**949458629**	**31500**	**949490129**	**27.27**	**-2.95**
(2) गैर संस्थान									
निकाय कॉर्पो.									
i) भारतीय	27862206	2500	27864706	0.80	27808297	2500	27810797	0.80	0.00
ii) प्रवासी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
इ) व्यक्तिगत									
i) 1 लाख रु. की तक नाममात्र की शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	154214412	1309890	155524302	4.47	257932861	1177069	259109930	7.44	2.97
ii) व्यक्तिगत शेयरधारकों जिनके पास 1 लाख रु. से अधिक नाममात्र की शेयर पूंजी है	6417292	0	6417292	0.18	19432199	0	19432199	0.56	0.37
c) अन्य (विशिष्ट)									
समाशोधन सदस्य	27636677	4955	27641632	0.79	8332858	4955	8337813	0.24	-0.55
निदेशक	2250	0	2250	0.00	100	0	100	0.00	0.00
आई ई पी एफ	236031	0	236031	0.01	331267	0	331267	0.01	0.00
एन बी एफ सी	89389	0	89389	0.00	14354	0	14354	0.00	0.00
प्रवासी भारतीय	8695894	18750	8714644	0.25	14186745	18750	14205495	0.41	0.16
ट्रस्ट	3616635	0	3616635	0.11	3680869	0	3680869	0.11	0.00
उप कुल (B)(2):–	**228770786**	**1336095**	**230106881**	**6.61**	**331719550**	**1203274**	**332922824**	**9.56**	**2.95**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (B) = (B) (1)+(B) (2)	**1281042358**	**1370595**	**1282412953**	**36.83**	**1281178179**	**1234774**	**1282412953**	**36.83**	**0.00**
C. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
कुल योग (A+B+C)	**3480692760**	**1370595**	**3482063355**	**100.00**	**3480828581**	**1234774**	**3482063355**	**100.00**	**0.00**

31.03.2020 को 'योग्य संस्थागत खरीदारों' की नई उप–श्रेणी को श्रेणी बी (I) के अंतर्गत उल्लिखित कुछ संस्थानों के पुनर्वर्गीकरण के कारण बनाया गया है।

* कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत हिस्सेदारी के संबंध में।

(ii) प्रमोटरों की हिस्सेदारी

क्रम संख्या	शेयरधारकों का नाम	वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता (01.04.2019 को)			वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020 को)			वर्ष के दौरान होल्डिंग शेयरों में : परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के सम्पूर्ण शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के लिए, शेयरों की गिरवी / भारग्रस्त	शेयरों की संख्या	कम्पनी के सम्पूर्ण शेयरों का प्रतिशत	कुल शेयरों के लिए, शेयरों की गिरवी / भारग्रस्त	
1	भारत के राष्ट्रपति	2199650402	63.17	0.00	2199650402	63.17	0.00	0.00
	कुल	**2199650402**	**63.17**	**0.00**	**2199650402**	**63.17**	**0.00**	**0.00**

*** कंपनी के कुल शेयरों में प्रतिशत हिस्सेदारी के संबंध में।**

(iii) प्रमोटरों की हिस्सेदारी में बदलाव

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का:	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का:
1	भारत के राष्ट्रपति	2199650402	63.17		कोई परिवर्तन नहीं			
		2199650402	63.17	31.03.2020			2199650402	63.17

(iv) शीर्ष दस शेयरहोल्डर्स (जीडीआर और एडीआर के निदेशक, प्रमोटर और होल्डर्स के अलावा) के शेयरहोल्डिंग पैटर्न

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	भारतीय जीवन बीमा निगम	350647914	10.07		कोई परिवर्तन नहीं			
		350647914	10.07	31.03.2020			350647914	10.07
2	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस 1 ग्रोथ फंड	35024598	1.01					
				05.04.2019	-2105000	विक्रय	32919598	0.95
				12.04.2019	-1972343	विक्रय	30947255	0.89
				19.04.2019	-490000	विक्रय	30457255	0.87
				14.06.2019	-1471633	विक्रय	28985622	0.83
				21.06.2019	-727000	विक्रय	28258622	0.81
				28.06.2019	-945000	विक्रय	27313622	0.78
				02.08.2019	-1866349	विक्रय	25447273	0.73
				09.08.2019	-1436000	विक्रय	24011273	0.69
				16.08.2019	-509615	विक्रय	23501658	0.67
				11.10.2019	-3612500	विक्रय	19889158	0.57
				18.10.2019	-14231756	विक्रय	5657402	0.16
				25.10.2019	-3530000	विक्रय	2127402	0.06
				01.11.2019	-495000	विक्रय	1632402	0.05
				20.12.2019	-500000	विक्रय	1132402	0.03
				27.12.2019	-1132402	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
3	पाइनब्रिज इंवेस्टमेंट जीएफ मॉरीशस लिमिटेड $	34329648	0.99					
				06.03.2020	-34329648	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
4	पाइनब्रिज ग्लोबल फंड – पाइनब्रिज इंडिया इक्विटी	33612473	0.97					
				05.04.2019	-554987	विक्रय	33057486	0.95
				12.04.2019	-2807917	विक्रय	30249569	0.87
				19.04.2019	-1000000	विक्रय	29249569	0.84
				26.04.2019	-846410	विक्रय	28403159	0.82
				03.05.2019	-1000000	विक्रय	27403159	0.79
				24.05.2019	-1000000	विक्रय	26403159	0.76
				31.05.2019	-2086588	विक्रय	24316571	0.70
				26.07.2019	-1500000	विक्रय	22816571	0.66
				02.08.2019	-662177	विक्रय	22154394	0.64
				13.09.2019	-2179669	विक्रय	19974725	0.57
				20.09.2019	-610000	विक्रय	19364725	0.56
				27.09.2019	-5683163	विक्रय	13681562	0.39
				07.02.2020	-1312975	विक्रय	12368587	0.36
				21.02.2020	-7996353	विक्रय	4372234	0.13
				28.02.2020	-1372319	विक्रय	2999915	0.09
				06.03.2020	31329733	क्रय	34329648	0.99
				20.03.2020	-564668	विक्रय	33764980	0.97
		32607950	0.94	31.03.2020	-1157030	विक्रय	32607950	0.94
5	अमुंडी फंड एसबीआई एफएम इक्विटी इंडिया	30745415	0.88					
				05.04.2019	825212	क्रय	31570627	0.91
				19.04.2019	516070	क्रय	32086697	0.92
				26.04.2019	367940	क्रय	32454637	0.93
				03.05.2019	3995114	क्रय	36449751	1.05
				17.05.2019	3948527	क्रय	40398278	1.16
				07.06.2019	786000	क्रय	41184278	1.18
				23.08.2019	790102	क्रय	41974380	1.21
				30.08.2019	5296620	क्रय	47271000	1.36
				27.09.2019	7415852	क्रय	54686852	1.57
				22.11.2019	2248087	क्रय	56934939	1.64
				29.11.2019	7993061	क्रय	64928000	1.86
		64928000	1.86	31.03.2020			64928000	1.86

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
6	भारतीय जीवन बीमा निगम पी एंड जीएस फंड	28354485	0.81		कोई परिवर्तन नहीं			
		28354485	0.81	31.03.2020			28354485	0.81
7	इनवेसको परपीचुवल एशियाई फंड	26752424	0.77					
				19.04.2019	3543545	क्रय	30295969	0.87
				25.10.2019	-1010324	विक्रय	29285645	0.84
				22.11.2019	-620491	विक्रय	28665154	0.82
				20.03.2020	-1211932	विक्रय	27453222	0.79
				27.03.2020	-281950	विक्रय	27171272	0.78
		27171272	0.78	31.03.2020			27171272	0.78
8	एलआईसी ऑफ इंडिया मनी प्लस ग्रोथ फंड	23683737	0.68					
				05.04.2019	-9924061	विक्रय	13759676	0.40
				12.04.2019	-4483409	विक्रय	9276267	0.27
				19.04.2019	-2371000	विक्रय	6905267	0.20
				03.05.2019	-72531	विक्रय	6832736	0.20
				10.05.2019	-2922271	विक्रय	3910465	0.11
				17.05.2019	-3790346	विक्रय	120119	0.00
				24.05.2019	-120119	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
9	एलआईसी ऑफ इंडिया प्रॉफिट प्लस ग्रोथ फंड	23085882	0.66					
				05.04.2019	-1943000	विक्रय	21142882	0.61
				12.04.2019	-1608000	विक्रय	19534882	0.56
				19.04.2019	-400000	विक्रय	19134882	0.55
				03.05.2019	-1075000	विक्रय	18059882	0.52
				10.05.2019	-2389172	विक्रय	15670710	0.45
				17.05.2019	-4326221	विक्रय	11344489	0.33
				24.05.2019	-1958036	विक्रय	9386453	0.27
				07.06.2019	-5312152	विक्रय	4074301	0.12
				14.06.2019	-4074301	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
10	एलआईसी ऑफ इंडिया मार्केट प्लस ग्रोथ फंड	21944849	0.63					
				05.04.2019	-4986652	विक्रय	16958197	0.49
				12.04.2019	-3270000	विक्रय	13688197	0.39
				03.05.2019	-575000	विक्रय	13113197	0.38
				10.05.2019	-2470819	विक्रय	10642378	0.31
				17.05.2019	-3495058	विक्रय	7147320	0.21
				24.05.2019	-4814671	विक्रय	2332649	0.07
				07.06.2019	-685000	विक्रय	1647649	0.05
				14.06.2019	-1647649	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
11	रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – ए / सी रिलायंस टैक्स सेवर (ईएलएसएस) फंड	23760000	0.68	05.04.2019#				
				19.04.2019	2340000	क्रय	26100000	0.75
				25.10.2019	-1800000	विक्रय	24300000	0.70
				24.01.2020	-17441146	विक्रय	6858854	0.20
				31.01.2020	-6858854	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
12	एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड	19000000	0.55	05.04.2019#				
				17.05.2019	502343	क्रय	19502343	0.56
				16.08.2019	4904011	क्रय	24406354	0.70
				23.08.2019	5593646	क्रय	30000000	0.86
				30.08.2019	3000000	क्रय	33000000	0.95
				18.10.2019	5732500	क्रय	38732500	1.11
				08.11.2019	4267500	क्रय	43000000	1.23
		43000000	1.23	31.03.2020			43000000	1.23

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
13	बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज	18045390	0.52	10.05.2019#				
				24.05.2019	133029	क्रय	18178419	0.52
				31.05.2019	-3097272	विक्रय	15081147	0.43
				14.06.2019	270400	विक्रय	15351547	0.44
				21.06.2019	-774823	विक्रय	14576724	0.42
				28.06.2019	-4327500	विक्रय	10249224	0.29
				05.07.2019	550000	क्रय	10799224	0.31
				12.07.2019	-1185000	विक्रय	9614224	0.28
				26.07.2019	-3810000	विक्रय	5804224	0.17
				02.08.2019	-175600	विक्रय	5628624	0.16
				09.08.2019	-4232838	विक्रय	1395786	0.04
				16.08.2019	-495000	विक्रय	900786	0.03
				23.08.2019	-616500	विक्रय	284286	0.01
				20.09.2019	-245050	विक्रय	39236	0.00
				27.09.2019	-32450	विक्रय	6786	0.00
				25.10.2019	1367000	क्रय	1373786	0.04
				01.11.2019	911243	क्रय	2285029	0.07
				29.11.2019	-2047500	विक्रय	237529	0.01
				31.12.2019	450000	क्रय	687529	0.02
				31.01.2020	2321277	क्रय	3008806	0.09
				07.02.2020	5489123	क्रय	8497929	0.24
		8497929	0.24	31.03.2020			8497929	0.24

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
14	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड–एचडीएफसी इक्विटी फंड	20102000	0.58	17.05.2019#				
				24.05.2019	1500000	क्रय	21602000	0.62
				31.05.2019	6652000	क्रय	28254000	0.81
				28.06.2019	1075000	क्रय	29329000	0.84
				16.08.2019	-4500000	विक्रय	24829000	0.71
				23.08.2019	-10962000	विक्रय	13867000	0.40
				30.08.2019	-7495693	विक्रय	6371307	0.18
				06.09.2019	-2491307	विक्रय	3880000	0.11
				27.09.2019	-1210000	विक्रय	2670000	0.08
				04.10.2019	-548000	विक्रय	2122000	0.06
				11.10.2019	-1246000	विक्रय	876000	0.03
				18.10.2019	-876000	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
15	एमएफएस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड	20766422	0.60	28.06.2019#				
				05.07.2019	1552960	क्रय	22319382	0.64
				19.07.2019	206458	क्रय	22525840	0.65
				09.08.2019	325838	क्रय	22851678	0.66
				16.08.2019	748081	क्रय	23599759	0.68
				23.08.2019	349847	क्रय	23949606	0.69
				30.08.2019	188948	क्रय	24138554	0.69
				06.09.2019	236438	क्रय	24374992	0.70
				13.09.2019	121471	क्रय	24496463	0.70
				04.10.2019	182949	क्रय	24679412	0.71
				11.10.2019	227730	क्रय	24907142	0.72
				18.10.2019	98044	क्रय	25005186	0.72
				08.11.2019	134998	क्रय	25140184	0.72
				22.11.2019	311916	क्रय	25452100	0.73
				29.11.2019	123113	क्रय	25575213	0.73
				06.12.2019	181982	क्रय	25757195	0.74
				13.12.2019	165912	क्रय	25923107	0.74
				27.12.2019	133478	क्रय	26056585	0.75
				03.01.2020	.475911	विक्रय	25580674	0.73
				10.01.2020	121535	क्रय	25702209	0.74
				17.01.2020	148762	क्रय	25850971	0.74
				31.01.2020	798698	क्रय	26649669	0.77
				07.02.2020	787046	क्रय	27436715	0.79
				21.02.2020	260408	क्रय	27697123	0.80
				28.02.2020	334637	क्रय	28031760	0.81
				06.03.2020	.61508	विक्रय	27970252	0.80
		27970252	0.80	31.03.2020			27970252	0.80

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
16	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड	19630919	0.56	20.09.2019#				
				25.10.2019	500000	क्रय	20130919	0.58
				24.01.2020	2500000	क्रय	22630919	0.65
				07.02.2020	849790	क्रय	23480709	0.67
				14.02.2020	1073958	क्रय	24554667	0.71
				21.02.2020	1800000	क्रय	26354667	0.76
				28.02.2020	1145355	क्रय	27500022	0.79
				06.03.2020	3000000	क्रय	30500022	0.88
				13.03.2020	1500000	क्रय	32000022	0.92
		32000022	0.92	31.03.2020			32000022	0.92
17	एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी टॉप 100 फंड	15486000	0.44	18.10.2019#				
				25.10.2019	.6850000	विक्रय	8636000	0.25
				27.12.2019	.6100000	विक्रय	2536000	0.07
				31.12.2019	.1090000	विक्रय	1446000	0.04
				03.01.2020	.1446000	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
18	जेपी मॉर्गन भारतीय निवेश कंपनी (मॉरीशस) लिमिटेड	15473040	0.44	25.10.2019#				
				06.12.2019	.5932271	विक्रय	9540769	0.27
				13.12.2019	.3843614	विक्रय	5697155	0.16
				20.12.2019	.2956133	विक्रय	2741022	0.08
				27.12.2019	.2572042	विक्रय	168980	0.00
				31.12.2019	.168980	विक्रय	0	0.00
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
19	एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड	26798184	0.77	08.11.2019#				
				15.11.2019	8647642	क्रय	35445826	1.02
				22.11.2019	3717129	क्रय	39162955	1.12
				06.12.2019	9997500	क्रय	49160455	1.41
		49160455	1.41	31.03.2020			49160455	1.41
20	पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स – पाइनब्रिज एशिया एक्स जापान	14790158	0.42	24.01.2020#	कोई परिवर्तन नहीं			
		14790158	0.42	31.03.2020			14790158	0.42

क्रम संख्या	नाम	वर्ष की शुरुआत (01.04.2019) / वर्ष के अंत में शेयरधारिता (31.03.2020)		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	दिनांक	शेयरहोल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
21	वैनगार्ड टोटल अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक इंडेक्स फंड	15288086	0.44	13.03.2020#				
				27.03.2020	1059260	क्रय	16347346	0.47
		16347346	0.47	31.03.2020			16347346	0.47

$ पाइनब्रिज इन्वेस्टमेंट्स जीएफ मॉरीशस लिमिटेड और पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स – पाइनब्रिज इंडिया इक्विटी के डीमैट खातों में बदलाव किया गया था, जो कि उनके पिछले डीमैट खातों से शेयरों के हस्तांतरण के रूप में उनके नए डीमैट खातों में 29.04.2019 को दर्शाया गया था।

रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड का विवरण – ए / सी रिलायंस टैक्स सेवर (ईएलएसएस) फंड, एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड, बीएनपी पारिबा आर्बिट्राज, एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड–एचडीएफसी इक्विटी फंड, एमएफएस इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड , एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – एचडीएफसी टॉप 100 फंड, जेपी मॉर्गन इंडियन इन्वेस्टमेंट कंपनी (मॉरीशस) लिमिटेड, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड, पाइनब्रिज ग्लोबल फंड्स – पाइनब्रिज एशिया एक्स जापान और वेनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड केवल तारीख से दिखाए गए हैं। शीर्ष दस शेयरधारकों की सूची में प्रवेश।

(v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों की हिस्सेदारी

क्रम संख्या	नाम सुश्री/श्री	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग (01.04.2019) / वर्ष के अंत (31.03.2020) प्रबंधकीय कार्मिक		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020 / समाप्ति तक)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	दिनांक	शेयर होल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
1	अतुल सोबती, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (30.06.2019 तक)	2250	0.00		परिवर्तन नहीं			
		2250	0.00	30.06.2019			2250	0.00
2	डॉ. नलिन सिंघल, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (प्रभावी 08.07.2019)	100	0.00		परिवर्तन नहीं			
		100	0.00	31.03.2020			100	0.00
3	डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (30.06.2019 तक)	0	0.00		परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	30.06.2019			0	0.00
4	शशांक प्रिय, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (दिनांक 04.10.2019 से प्रभावी)	0	0.00		परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
5	अमित वरदान, अंशकालिक आधिकारिक निदेशक	0	0.00		परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
6	आर. स्वामीनाथन, स्वतंत्र निदेशक (30.11.2019 तक)	0	0.00		परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	30.11.2019			0	0.00
7	देश दीपक गोयल, स्वतंत्र निदेशक	0	0.00	31.03.2020	परिवर्तन नहीं			
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00

क्रम संख्या	नाम सुश्री/श्री	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग (01.04.2019) / वर्ष के अंत (31.03.2020) प्रबंधकीय कार्मिक		वृद्धि / कमी के कारणों को निर्दिष्ट करने वाले वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी			वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता (01.04.2019 से 31.03.2020 / समाप्ति तक)	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत	दिनांक	शेयर होल्डिंग में वृद्धि / कमी	कारण	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का प्रतिशत
8	रंजीत रे,	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
	स्वतंत्र निदेशक	0	0.00	31.03.2020			0	0.00
9	राजेश शर्मा,	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
	स्वतंत्र निदेशक	0	0.00	31.03.2020			0	0.00
10	राजकमल बिंदल, स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 31. 01.2020 से प्रभावी)	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
11	मनीष कपूर, स्वतंत्र निदेशक (दिनांक 31.01.2020 से प्रभावी)	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
12	डी. बंदोपाध्याय,	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
	निदेशक (मा. सं.) (31.08.2019 तक)	0	0.00	31.08.2019			0	0.00
13	सुबोध गुप्ता, निदेशक (वित्त)	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
		0	0.00	31.03.2020			0	0.00
14	एस. बालाकृष्णन,	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
	निदेशक (आईएसएंड पी)	0	0.00	31.03.2020			0	0.00
15	मनोज कुमार वर्मा,	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
	निदेशक (पावर)	0	0.00	31.03.2020			0	0.00
16	कमलेश दास,	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
	निदेशक (ई, आर एंड डी)	0	0.00	31.03.2020			0	0.00
17	अनिल कपूर,	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
	निदेशक (मा. सं.) (दिनांक 5.10.2019 से प्रभावी)	0	0.00	31.03.2020			0	0.00
18	राजीव कालड़ा	0	0.00		कोई बदलाव नहीं			
	कम्पनी सचिव	0	0.00	31.03.2020			0	0.00

V. ऋण ग्रस्तता

ब्याज बकाया/अर्जित सहित कंपनी की ऋण ग्रस्तता, लेकिन भुगतान के कारण नहीं

(रु. करोड़ में)

	सुरक्षित ऋण के अतिरिक्त जमा	असुरक्षित ऋण	जमा	संपूर्ण ऋण ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋण ग्रस्तता				
i) मुख्य राशि	957.27	1628.37	-	2585.64
ii) देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	.	.	.	.
iii) ब्याज अर्जित हुआ परंतु देय नहीं	-	5.18	-	5.18
कुल (i+ii+iii)	**957.27**	**1633.55**	**-**	**2590.82**

वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण ग्रस्तता में परिवर्तन				
इसके अतिरिक्त	544.66	1933.67	-	2478.33
इसमें कमी	-	-	-	-
शुद्ध परिवर्तन	**544.66**	**1933.67**	**-**	**2478.33**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋण ग्रस्तता				
i) मुख्य राशि	1500.80	3561.51	-	5062.31
ii) देय ब्याज का भुगतान नहीं किया गया	-	-	-	-
iii) ब्याज अर्जित हुआ परंतु देय नहीं	1.13	5.71	-	6.84
कुल (i+ii+iii)	**1501.93**	**3567.22**	**-**	**5069.15**

VI. निदेशकों और प्रमुख व्यक्तियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, सम्पूर्ण अवधि के लिए निदेशक और/ या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(रु. में)

क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी / डब्ल्यूटीई / प्रबंधक (एस / श्री) का नाम				
		अतुल सोबती, सीएमडी 30.06.19 तक	डॉ. नलिन सिंघल, सीएमडी 08.07.19 से प्रभावी	डॉ. बंदोपाध्याय, निदेशक 31.08.19 तक	सुबोध गुप्ता निदेशक (वित्त)	कुल धनराशि
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	4225581	4112508	3436401	4942774	16717265
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य	9900	28848	580701	304817	924267
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	.	.	.	.	.
2.	स्टॉक ऑप्शन	.	.	.	.	.
3.	उद्यम इक्विटी	.	.	.	.	.
4.	कमीशन – लाभ प्रतिशत के रूप में – अन्य यदि कोई	.	.	.	.	.
5.	अन्य	.	.	.	.	.
	कुल (क) (1)	**4235481**	**4141356**	**4017102**	**5247591**	**17641532**

नोट : वेतन में अवकाश नकदीकरण शामिल है।

क. प्रबंध निदेशक, सम्पूर्ण अवधि के निदेशक और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक

(रु. में)

क्रम संख्या	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी / डब्ल्यूटीई / प्रबंधक (सुश्री / श्री) का नाम				
		एस. बालाकृष्णन निदेशक (आईएस एंड–पी)	मनोज कुमार वर्मा निदेशक (पावर)	कमलेश दास निदेशक (ई.आर एंड डी)	अनिल कपूर निदेशक (मा.संसं.) दिनांक 15.10.19 से प्रभावी	कुल धनराशि
1.	सकल वेतन					
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	5332270	5435320	4441176	2160646	17369412
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य	525887	589754	271434	256101	1643176
	(ग) धारा 17 (3) आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ					
2.	स्टॉक ऑप्शन					
3.	उद्यम इक्विटी					
4.	कमीशन – लाभ प्रतिशत के रूप में – अन्य यदि कोई					
5.	अन्य					
	कुल (क)(1)	**5858157**	**6025074**	**4712610**	**2416747**	**19012588**

नोट : वेतन में अवकाश नकदीकरण शामिल है।

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

(रु. में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम (एस / श्री)						कुल धनराशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	आर.स्वामीनाथन '30.11.19 तक	देश दीपक गोयल	रंजीत रे	राजेश शर्मा	राजकमल बिंदल दिनांक 31.01.20 सेप्रभावी	मनीष कपूर दिनांक 31.01.20 से प्रभावी	
	निदेशक मंडल मीटिंग के लिए देय शुल्क /कमेटी मीटिंग्स	480000	630000	690000	450000	30000	30000	2310000
	• कमीशन	.	.	.	.	.	.	
	• अन्य, यदि कोई...	.	.	.	.	.	.	
	कुल (1)	**480000**	**630000**	**690000**	**450000**	**30000**	**30000**	**2310000**
2.	अन्य गैर–कार्यकारी निदेशक	डॉ. सुभाष चंद्र पांडेय दिनांक 30.06.19 तक	शशांक प्रिय दिनांक 04.10.19 से प्रभावी	अमित वरदान	.	.	.	.
	निदेशक मंडल में भाग लेने हेतु शुल्क	.	.	.	.	.	.	.
	कमीशन	.	.	.	.	.	.	.
	अन्य, यदि कोई.	.	.	.	.	.	.	.
	कुल (2)	.	.	.	.	.	.	.
	कुल (ख) = (1+2)	**480000**	**630000**	**690000**	**450000**	**30000**	**30000**	**2310000**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक (क+ख)							**38964120**
	अधिनियम के अनुसार अधिकतम सीमा	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक पर सीलिंग से संबंधित है जिसमें निदेशकों को बैठे शुल्क का भुगतान किया गया है, जो बीएचईएल पर लागू नहीं है, एक सरकारी कंपनी है।						

ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अतिरिक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक को पारिश्रमिक

(रु. में)

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (एस/श्री)			
		मुख्य कार्यकारी अधिकारी	राजीव कालड़ा कम्पनी सचिव	सीएफओ	कुल धनराशि
1.	सकल वेतन	तालिका VI (क) के अनुसार		तालिका VI (क) के अनुसार	
	क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		3952433		3952433
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (2) के अंतर्गत अनुलाभ का मूल्य		1249		1249
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ				
2	स्टॉक ऑप्सन				
3	उद्यम इक्विटी				
4	कमीशन – लाभ प्रतिशत के रूप में – अन्य यदि कोई				
5	अन्य, यदि हो....				
	कुल		**3953682**		**3953682**

नोट : वेतन में अवकाश नकदीकरण शामिल है।

VII. दंड / सजा / सजा तय करना

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	दंड का विवरण/ सजा/आर्थिक दंड देना	प्राधिकार आरडी/ एनसीएलटी/कोर्ट	अपील की गई, यदि कोई हो (विस्तार से बतायें)
दंड					
सजा					
प्रशमन					
अन्य डिफॉल्ट अधिकारी			शून्य		
दंड					
सजा					
प्रशमन					

कोयला आधारित
स्वच्छ एंव हरित विद्युत उत्पादन

थर्मल पावर प्लांट से उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए अनुकूलित समाधानों का प्रस्ताव करते हुए, बीएचईएल देश में उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों का एकमात्र सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है जो SOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए फ्यूल डिसल्फराइजेशन सिस्टम (एफजीडी) कण नियंत्रण के लिए उच्च दक्षता इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपेटेटर्स (ईएसपी) और NOx उत्सर्जन नियंत्रण के लिए बॉयलर मॉडिफिकेशन व सलेक्टिव केटालिस्ट रिडक्शन सिस्टम (एससीआर) की आपूर्ति करता है।

नियंत्रण उपकरण व्यवसाय में इतनी उपलब्धियों के आधार पर, बीएचईएल को 2019.20 के दौरान एफजीडी के 29 सेटों का आर्डर प्राप्त हुआ। इसमेंएनटीपीसी और उनकी परियोजनाओं के संयुक्त उपक्रमों से एफजीडीके 10.5 गीगावाट के आदेश भी सम्मिलित हैं। इसके साथए, बीएचईएल ने एफजीडी के 63 सेट और एससीआर के 11 सेटों के आदेश प्राप्त करके अपना नेतृत्व बनाए हुए है।

बड़ी वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ आपसी सहयोग और घरेलू इंजीनियरिंग एवं विनिर्माण क्षमताएं बीएचईएल को इस व्यवसाय में प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करते हैं।

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–III

सीईओ और सीएफओ प्रमाणन

(सेबी (एलओडीआर) अधिनियम 2015 के विनियम 17(8) की शर्तों के अनुसरण में)

सेवा में,

निदेशक मंडल
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
नई दिल्ली

(क) हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का वित्तीय विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और हमारी जानकारी तथा विश्वास के अनुसारः

(i) इन विवरणों में ऐसा कोई असत्य विवरण या छोड़ दी गई जानकारी अथवा भ्रमित करने वाले विवरण नहीं पाये गए हैं।

(ii) ये विवरण कंपनी मामलों के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं एवं लागू लेखा मानकों, विधियों, विनियमों के अनुसरण में तैयार किए गए है।

(ख) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ऐसे किसी प्रकार के लेन–देन में शामिल नहीं पायी गई जो कि झूठे, गैर कानूनी अथवा कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले हों।

(ग) हम कंपनी के वित्तीय मामलों में आंतरिक नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग स्थापित करने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने इस आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कर लिया है और हमने इस प्रकार के आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या प्रचालन में पायी गयी कमियों, यदि कोई हो तो और जिनकी हमें जानकारी है, को लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति की जानकारी में ला दिया है तथा इन कमियों को दूर करने के उपाय किए जा चुके हैं या किया जाना प्रस्तावित है।

(घ) हमने लेखा परीक्षकों तथा लेखा परीक्षा समिति को निम्न प्रकार सूचित किया हैः

(i) वर्ष 2019–20 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो;

(ii) वर्ष 2019–20 के दौरान लेखांकन नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यदि कोई हो तो और वित्तीय विवरणों में टिप्पणियों को प्रकट किया जा चुका है; और

(iii) महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के उदाहरण, जिनके बारे में हमें ज्ञात हुआ है और इसमें वित्तीय प्रबंधन पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या किसी कर्मचारी, यदि कोई हो, की भागीदारी है।

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
तिथि : 13 जून, 2020

निरंतर
विकास

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–IV

4.1 सतत निष्पादन – पर्यावरण

बीएचईएल के लिए, स्थिरता एक निरंतर यात्रा है जो हमें सक्षम कॉर्पोरेट अभिशासन ढांचे को लागू करने, हितधारकों के लाभ को बढ़ाने, हमारे उत्पादों और सेवाओं के पर्यावरणीय नुकसान को कम करने, समाज में समावेशी विकास को बढ़ावा देने और ब्रांड इक्विटी को बेहतर बनाने के माध्यम से कॉर्पोरेट उत्कृष्टता के नए शिखर तक पहुंचने में मदद करती है। एक संगठन के रूप में, हम अपने सभी हितधारकों के साथ एक व्यवस्थित तरीके से जुड़ने में विश्वास करते हैं और उन्हें सतत विकास के मार्ग की ओर ले जाते हैं।

सतत विकास के दायरे में वर्ष 2019–20 के लिए की गई गतिविधियों की झलक निम्नलिखित खंडों में प्रस्तुत की गई है।

4.1.1 सामग्री और प्राकृतिक संसाधन की जिम्मेदारीपूर्ण खपत

पूंजीगत वस्तुओं के कारोबार में एक प्रमुख हिस्सेदार होने के नाते, हम अपने संसाधनों की खपत को सतत तरीके से प्रबंधित करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु हमारी इकाइयों में रिड्यूस–रीसायकल–रीयूज़ (3–आर) के सिद्धांतों का सतर्कतापूर्वक पालन किया जाता है। विनिर्माण इकाइयों की शॉप में स्क्रैप का पुनः उपयोग करने जैसी गतिविधियाँ जैसे कि भोपाल की फाउंड्री शॉप में2100 मीट्रिक टन माइल्ड स्टील स्क्रैप और 42 मीट्रिक टन कॉपर स्क्रैप का पुनः उपयोग, CFFP हरिद्वार में बड़ी कास्टिंग और फोर्जिंग के लिए स्क्रैप का प्रेषण, उत्पादों की पैकेजिंग के लिए लकड़ी की पैकिंग सामग्री का पुनः उपयोग एवं भंडारण हेतु आलमारी का निर्माण, अपशिष्ट तेल का पुनः उपयोग और मशीनों में हाइड्रोलिक ऑयल की रीसाइक्लिंग जैसे कि भोपाल में 22.8 किलोलीटर शीतलक की रीसाइक्लिंग, एफ़एसआईपी जगदीशपुर में मशीन में 10 किलोलीटर हाइड्रोलिक तेल के पुनः उपयोग के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक तेल निस्पंदन मशीन का उपयोग, भोपाल की फाउंड्री शॉप में 1800 मीट्रिक टन की रेत की पुनःपूर्ति, साइट से लौटाई गई केबलों का इन–हाउस इलेक्ट्रिकल कामों के लिए उपयोग करना इत्यादि 2019–20 के दौरान हमारे परिसर में की गई कुछ विशिष्ट गतिविधियाँ थीं।

4.1.2 ऊर्जा प्रबंधन

सतत तरीके से ऊर्जा प्रबंधन को हमेशा हमारे प्रबंधन निर्णयों में एक महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। हमारी कुछ इकाइयाँ ऊर्जा गहन हैं और ऊर्जा अनुकूलन की क्षमता का दोहन करने के लिए, इन इकाइयों में आईएसओ 50001 प्रमाणीकरण किया गया है जिससे उन्हें व्यवस्थित तरीके से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रबंधित करने में मदद मिली है।

ऊर्जा संरक्षण/ दक्षता गतिविधियाँ जैसे हीप हरिद्वार, एचपीईपी हैदराबाद, सीएफएफपी रुद्रपुर, बीएपी रानीपेट, एचईपी भोपाल, एफएसआईपी जगदीशपुर, तिरुच्चि आदि में कार्यालय/ स्ट्रीट लाइटों में ऊर्जा कुशल प्रकाश उपकरणों के उपयोग द्वारा प्रकाश लोड में कमी करना, हीप हरिद्वार में 5 स्टार रेटिंग के AC उपकरण लगाना, हीप हरिद्वार और बीएपी रानीपेट में क्षमता में कमी करने/ अनिरंतर संचालन के माध्यम से वायु कंप्रेसर संचालन का अनुकूलन करने, हीप हरिद्वार और तिरुच्चि में पारदर्शी चादर की छत का उपयोग करने, बीएपी रानीपेट में 2ईओटी क्रेन के लिए वेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइव की स्थापना करने, एफएसआईपी जगदीशपुर में एसआर फर्नेस के चक्र समय में कमी करना इत्यादि 2019–20 वर्ष के दौरान की गई कुछ विशिष्ट गतिविधियां हैं।

हाल के वर्षों में, इन–हाउस उपयोग के लिए सौर प्रणालियों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के प्रति बहुत अधिक आकर्षण हुआ है। इससे डीजी सेटों पर निर्भरता में कमी आई है और परिचालन में सतत ऊर्जा मिश्रण प्राप्त करने के लिए प्रेरित भी किया है। वर्ष 2019–20 के दौरान इन भूमितल आधारित और रूफटॉप सौर प्रणालियों के कारण, वर्ष 2018–19 के दौरान उत्पादित कुल 27.6 मिलियन यूनिट की तुलना में वर्ष 2019–20 के दौरान लगभग 32.43 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादित हुई, जो कि 2019–20 के दौरान हरित ऊर्जा उत्पादन में 17.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

4.1.3 जल और जैव विविधता प्रबंधन

जल और अपशिष्ट जल का निरंतर प्रबंधन करना और हमारे परिसर में हरित आवरण को बढ़ाना हमारी व्यावसायिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे परिसर में स्थापित 12 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और 12 एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट हमें डिस्चार्ज नॉर्म्स को पूरा करने में मदद करते हैं और हमारी ज्यादातर यूनिट्स को जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) यूनिट्स बनाते हैं।

इसके अलावा, हमारे प्रतिष्ठानों में हरित क्षेत्र को बनाए रखने के लिए, उपचारित अपशिष्ट जल को बागवानी के उद्देश्य के लिए पुनः उपयोग किया जाता है जो हमें ताजे पानी की मांग को कम करने में मदद करता है।

हीप हरिद्वार और एफएसआईपी जगदीशपुर इकाइयों में जल आपूर्ति समय में कमी,भूमिगत

जल पुनर्भरण के लिए 50MX50MX1M के चार बड़े एक्वीफर्स में कारखाने में उपचारित अपशिष्ट जल का भंडारण और तिरुच्चि परिसर में 16.23 मिलियन लीटर की कुल क्षमता के 28 वर्षा जल संचयन तालाबों का निर्माण, 2 बांधों का विकास – धन्वंतरि पार्क, हबीबगंज के पास एक पक्की और दूसरी मिट्टी की, और भोपाल में 30,000 क्यूबिक मीटर की अनुमानित क्षमता का वर्षा जल संचयन, ईडीएन और ईएसडी बेंगलुरु के 4 भवनों में रुफ़टॉप वर्षा जलसंचयन प्रणाली की स्थापना आदि विशिष्ट गतिविधियां हैं जो वर्ष 2019–20 के दौरान जल संरक्षण हेतु पूरी की गई।

महत्वपूर्ण अवसरों को याद करने के लिए सभी बीएचईएल इकाइयों में पेड़ लगाए जाते हैं। 2019–20 के दौरान एचईपी भोपाल इकाई के परिसर में 36,000 से अधिक पेड़ लगाए गए और समस्त बीएचईएल परिसर में अपने हरित आवरण को बढ़ाते हुए कुल मिलाकर 55,000 से अधिक पेड़ लगाए गए। हमारी कई टाउनशिप जैसे नोएडा, तिरुच्चि आदि में जैव विविधता पार्क स्थापित किए गए हैं। ग्रीन बेल्ट हमारे इलाके के आस–पास जल तालिका को बनाए रखने में भी मदद करते हैं।

वर्ष 2019–20 के दौरान एचईपी भोपाल कारखाना परिसर के आसपास 36,000 से अधिक वृक्ष लगाए गए।

इस वर्ष, बीएचईएल की तिरुच्चि इकाई ने बीएचईएल वन तैयार करने की अपनी योजना के एक भाग के रूप में, 1960 के दशक से अब तक लगाए गए 1 मिलियन वृक्षों की अपनी मौजूदा सूची में वर्ष 2022 तक अपने हरित आवरण में आधा मिलियन देशी वृक्षों को जोड़ने की एक विशेष पहल शुरू की है। इस पहल का उद्घाटन 5 जून 2019 को 4500 पौधे लगा कर किया गया था।

बीएचईएल हरिद्वार संयंत्र परिसर में स्वनिर्मित 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र, जिसमें ग्राउंड माउंटेड फिक्स्ड, मोटर ट्रैकिंग और पैसिव ट्रैकिंग मॉड्यूल लगे हैं

4.1.4 कार्बन प्रबंधन

ऊर्जा संरक्षण/ दक्षता,संचालन में स्वच्छ ईंधन के उपयोग और कुल ऊर्जा मिश्रण में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा बढ़ाने के माध्यम से ऊर्जा प्रबंधन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों से हमें अपने समग्र कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में मदद मिली है। इनहाउस सौर प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न होने वाली अक्षय ऊर्जा के कारण, 2019–20 में लगभग 31130 मीट्रिक टन CO_2–समतुल्य के कार्बन फुटप्रिंट से बचाव हुआ है जो 2018–19 की तुलना में 17.5% अधिक है।

कैंटीन के लिए PNG द्वारा LPG का प्रतिस्थापन और HEEP हरिद्वार और तिरुच्चि के सिविल स्टोर्स में छत पर पॉली कार्बोनेट शीट के माध्यम से प्राकृतिक प्रकाश को बढ़ाना, सीएफपी रुद्रपुर में रात्रि में विद्युत आपूर्ति ठप होने पर प्लांट लाइटिंग लोड के लिए डीजी सेट में डीजल की खपत को कम करने हेतु 20 KV। ऑनलाइन यूपीएस की स्थापना इत्यादि 2019–20 के दौरान की गई कुछ अतिरिक्त गतिविधियां हैं।

तिरुच्चि परिसर में 5 लाख देशी पौधे लगाने से भी कार्बन सिंक की क्षमता बढ़ाने में मदद मिलेगी।

बीएचईएल तिरुचिरापल्ली में 2.0 एमएलडी क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी

4.1.5 अपशिष्ट प्रबंधन

अपशिष्ट पदार्थ गलत जगह पर पड़ा एक संसाधन है, इस सोच के साथ कचरे को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जाते हैं। अनावश्यक रूप से उत्पन्न स्क्रैप को इकाइयों में यथासंभव पुनर्नवीनीकरण किया जाता है या पुनः उपयोग किया जाता है, या अन्यथा अधिकृत रिसाइकलर को बेचा जाता है, या भारी कास्टिंग और फोर्जिंग के लिए सीएफ़एफ़पी, हरिद्वार को भेज दिया जाता है। खतरनाक कचरे का निपटान विनियामक आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता है तथा इससे संबंधित रिकॉर्ड को अधिकारियों द्वारा जांच के लिए सुरक्षित रखा जाता है।

2019–20 के दौरान, जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों में पीएसईआर के विभिन्न परियोजना स्थलों पर लगभग 450 स्क्रैप डिब्बे और 12 रासायनिक भंडारण डिब्बे को स्थापित करना, गैर–बिक्री योग्य कम वाट क्षमता के पीवी मॉड्यूल (हमारी उत्पादन लाइन से) और EDN तथा ESD बेंगलुरु में साइट से लौटाए गए केबल सामग्री तथा इनडोर हार्डवेयर का उपयोग करते हुए 200kW क्षमता का रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना, तिरुच्चि परिसर और एचईआरपी वाराणसी में रसोई सामग्री कचरे से वर्मी कम्पोस्टिंग इत्यादि शामिल हैं। बीएचईएल के 14 टाउनशिपों में से 12 अर्थात नोएडा, आईएसजी बेंगलुरु, ईडीएन बेंगलुरु, ईडीएन बेंगलुरु, ईपीडी बेंगलुरु, एचईआरपी वाराणसी, टीपी झांसी, हरिद्वार, तिरुच्चि, एचईपी भोपाल, आरसीपुरम हैदराबाद, एचपीवीपी विजाग, और एफएसआईपी जगदीशपुर को थर्ड पार्टी प्रमाणन ऑडिट के आधार पर "एकल उपयोगी प्लास्टिक" मुक्त घोषित किया गया है।

तिरुच्चि इकाई द्वारा टाउनशिप में लगभग 50 मीटर की सड़क बिछाने के लिए प्लास्टिक कचरे का उपयोग करने की एक नई पहल परीक्षण स्तर पर की गई थी। इस कार्य को आगे भी जारी रखने की योजना है।

4.2 स्थिरता प्रदर्शन – सामाजिक

बीएचईएल द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विद्यालयों में निर्मित शौचालय

वर्ष के दौरान प्राप्त पुरस्कारः

बीएचईएल के सीएसआर पहलों जिसे "हील–ए–सोल" कहा जाता है, जो कि देश भर में हेमोफिलिया के रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने की दिशा में एक सीएसआर कार्यक्रम है, के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा बीएचईएल को "सीएसआर के लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड" से सम्मानित किया गया।

2019–20 में सीएसआर गतिविधियां

बीएचईएल ने अपनी सीएसआर पहलों के लिए सात विशेष महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की है, जिसकी विस्तृत विवेचना बीएचईएल की सीएसआर नीति में उद्धृत हैं। इन क्षेत्रों की सभी गतिविधियाँ कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों और क्षेत्रों के अनुरूप हैं। इन प्रमुख क्षेत्रों में, वर्ष के दौरान की गई कुछ प्रमुख सीएसआर गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया हैं।

स्वच्छ भारत

- तमिलनाडु के तिरुचिराप्पल्लि जिले में ग्राम नवापट्टू के आसपास के क्षेत्रों में वर्षा जल का संरक्षण, भूजल का संग्रहण और तालाबों की साफ सफाई की गई।
- बीएचईएल ने हरिद्वार और ऋषिकेश में बायो–डाइजेस्टर शौचालयों के निर्माण के अपने कार्यक्रम को जारी रखा। इन बायो–डाइजेस्टर शौचालयों के बीस क्लस्टर पूरे हो चुके हैं।
- स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, बीएचईएल की निर्माण इकाइयों और परियोजना स्थलों ने स्कूलों / कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर शौचालयों के निर्माण/ नवीनीकरण के लिए कई परियोजनाएं शुरू कीं।

शिक्षित भारत

- भोपाल में गोद लिए गए गांवों के आईटीआई, बी.एससी (नर्सिंग) आदि पढ़ने वाले 48

छात्रों के लिए जिनमें मुख्य रूप से विधवाओं के बच्चे/ अनाथ/ दिव्यांगजन शामिल है, के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम।
- पश्चिमी महाराष्ट्र में 50,000 बाढ़ प्रभावित गरीब छात्रों को स्कूल किट का वितरण।
- जागृति सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुंडा, बस्ती, झालाना महल, झालाना, जयपुर में मध्याह्न भोजन शेड का निर्माण।
- तेलंगाना में संगारेड्डी, रंगारेड्डी, असिफाबाद और मेदक जिलों के कई जिला परिषद स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध कराना।
- सरकारी पॉलिटेक्निक, निजामाबाद के छात्र एवं छात्राओं के लिए छात्रावास का निर्माण।

स्वस्थ भारत

- हमारे सीएसआर पहल "हील–ए–सोल III" के अंतर्गत समस्त भारत में विभिन्न एस्पिरेशनल जिलों में 100 गरीब हीमोफिलिक रोगियों को एंटी हेमोफिलिक कारक

(एएचएफ) प्रदान करना।

- महाराष्ट्र के रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मोबाइल मेडिकल यूनिट चलाना, जिसके माध्यम से 32000 से अधिक ग्रामीण आबादी को लाभान्वित करना।
- आई–केयर अस्पताल, नोएडा के माध्यम से उत्तराखंड के रुद्रपुर, राजस्थान के अलवर, हरियाणा के नूंह और गुरुग्राम में नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद के रोगियों की मोतियाबिंद सर्जरी। 2834 गरीब रोगियों की जांच की गई, जिनमें से 345 रोगियों की मोतियाबिंद की सफल सर्जरी की गई।
- थिरुवल्लूर के गांवों में और उप्पुर टीपीएस साइट, रामनाथपुरम, तमिलनाडु के गांवों में नेत्र जांच और मोतियाबिंद सर्जरी शिविर आयोजित की गई।
- बीएचईएल भोपाल के आसपास के गांवों में चार चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया गया और 781 ग्रामीणों को विभिन्न बीमारियों और सामान्य बीमारियों के लिए उपचार प्रदान किया गया।

हरित भारत

- तेलंगाना के विकाराबाद और गॉलिडोड्डी स्थित छात्राओं के सामाजिक कल्याण आवासीय विद्यालयों, में सौर वॉटर हीटर लगाया गया।
- तेलंगाना के निजामाबाद जिले के डोनकेश्वर ग्राम में, सौर स्ट्रीट लाइट लगाई गई।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु पायरोलेटर यूनिट लगाने के तिरुवल्लूर (तमिलनाडु) के जिला प्रशासन को वित्तीय सहायता दी गई।

उत्तरदायी भारत

- वर्ष के दौरान सिद्धार्थनगर (यू.पी.) में दो सामुदायिक केंद्र पूरे किए गए।
- उत्तराखंड के हरिद्वार में कुष्ठ रोगियों और उनके बच्चों के लिए दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास के छात्रावास में भोजन कक्ष का निर्माण।
- तमिलनाडु में तिरुचिराप्पल्लि जिले के काट्टुर के वृद्धाश्रम में नए सौर पैनलों को लगाया गया। इस वृद्धाश्रम में 101 परित्यक्त पुरुष और महिलाएं रहते हैं।
- तमिलनाडु के तंजौर और पुदुकोट्टई जिलों के पास गाजा चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में राहत कार्य किया गया।

समावेशी भारत

- बीएचईएल ने लतिका रॉय मेमोरियल फाउंडेशन, देहरादून को उनके कार्यक्रम "लतिका विहार–सभी का स्वागत है" को सहयोग प्रदान किया। यह मंद बुद्धि वाले बच्चों और युवा वयस्कों के समग्र विकास और समावेश का कार्यक्रम है।
- बीएचईएल ने रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड के क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर एलईडी स्ट्रीट लाईट्स और इससे संबंधित बुनियादी ढांचे की स्थापना की।
- बीएचईएल लेडीज क्लब के माध्यम से उत्तराखंड के हरिद्वार में विभिन्न ट्रेडों जैसे कढ़ाई, ब्यूटीशियन, टेलरिंग, संगीत और नृत्य आदि में महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया।

4.3 सी एस आर गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट

(कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 की अपेक्षाओं के अनुसार),

क्र.सं.	विवरण		
1.	अवधि जिसके लिए सीएसआर रिपोर्ट की जा रही है:	**दिनांक 01.04.2019 से**	**दिनांक 31.03.2020 तक**
2.	इसमें बीएचईएल की सहायक कंपनी/ज्वाइंट वेंचर के सी एस आर संबंधी आकड़े/जानकारी शामिल नहीं है।		
3.	किसी अन्य संगठन की सी एस आर संबंधी गतिविधियों की जानकारी शामिल नहीं की गयी है		
4.	कंपनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा, जिसमें लिए गए प्रोजेक्ट या कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी, सीएसआर नीति, परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब–लिंक का संदर्भ इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–क के रूप में संलग्न है।		
5.	**बीएचईएल में गठित सीएसआर समिति: बीएचईएल में सीएसआर समिति निदेशक मंडल स्तरीय समिति (बीएलसी) कहलाती है और इसमें निदेशक (मा. सं.), निदेशक (वित्त) एक अंशकालिक सरकारी निदेशक और कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक (अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक) शामिल हैं। समिति के अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होते हैं। समिति के गठन संबंधी कोई भी परिवर्तन या सी एस आर समिति का पुनर्गठन निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है। वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सी एस आर के लिए गठित निदेशक मंडल स्तरीय समिति निम्न प्रकार से है:**		
	नाम (सुश्री/श्री)	**पदनाम**	**सीएसआर समिति में पद**
	रंजीत रे	स्वतंत्र निदेशक	अध्यक्ष
	अमित वरदान, सं.स., भा.उ.मं.	अंशकालिक सरकारी निदेशक	सदस्य
	आर. स्वामीनाथन	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य (30.04.2019 से 30.11.2019 तक)
	राजेश शर्मा	स्वतंत्र निदेशक	सदस्य
	सुबोध गुप्ता	निदेशक (वित्त)	सदस्य
	डी बंद्योपाध्याय	निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य (31.08.2019 तक)
	अनिल कपूर	निदेशक (मानव संसाधन)	सदस्य (15.10.2019 से)
	नोट: अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने दिनांक 01.09.2019 से 14.10.2019 के दौरान निदेशक (मानव संसाधन) का अतिरिक्त पदभार संभाला।		
6.	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुरूप पिछले 3 वित्तीय वर्षो (2016–17,2017–18 एवं 2018–19) के लिए कंपनी का औसत शुद्ध लाभ		रुपये 1439.99 करोड
7.	निर्धारित सी एस आर व्यय (बिंदु 6 में उल्लिखित राशि का 2%)		रुपये 28.80 करोड
8.	वित्त वर्ष 2019–20 के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सी एस आर बजट		रुपये 28.80 करोड
9.	**वर्ष के दौरान सी एस आर पर खर्च की गयी राशि का विवरण**		
	क. वित्त वर्ष 2019–20 के लिए अनुमोदित सीएसआर बजट		रुपये 28.80 करोड
	ख. प्रतिबद्धता के बाद भी खर्च नहीं की गयी कुल राशि (पिछलेवर्षोसे लाई गई)		रुपये 21.83 करोड
	ग. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान व्यय के लिए उपलब्ध कुल राशि ख्क+ ख,		रुपये 50.63 करोड
	घ. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कुल सीएसआर व्यय		रुपये 35.12 करोड
	ङ. प्रतिबद्धता के बाद भी खर्च न की गयी राशि (अगले विवित्त वर्ष में ले जायी गई) (ग–घ),		रुपये 15.51 करोड
	वर्ष 2019–20 में खर्च की गयी राशि का विवरण इस रिपोर्ट के अनुलग्नक ख के रूप में संलग्न है।		

10.	धनराशि खर्च न किए जाने के कारणः क) वर्ष के दौरान ली गई कई परियोजनाएं एवं कुछ परियोजनाएं 2019–20 के बाद भी जारी रहने वाली हैं। इन परियोजनाओं पर आने वाले खर्च को पहले से आबंटित सी एस आर बजट से पूरा किया जाएगा। ख) बीएचईएल की सी एस आर नीति के अनुसार खर्च न की गयी राशि समाप्त नहीं होगी और इसे वित्त वर्ष 2020–21 की सी एस आर परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा ।
11.	हम एतदद्वारा घोषणा करते हैं कि सी एस आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सी एस आर उद्देश्यों एवं कंपनी नीतियों के अनुपालन के अनुरूप है।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बीएचईएल

अध्यक्ष
सीएसआर समिति

नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2020

अनुलग्नक–क

बीएचईएल कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी एस आर) नीति की रूपरेखा

सीएसआर विजनः

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक बनना, जो बेहतर कल के निर्माण के लिए प्रयासरत है।

सीएसआर मिशनः

कंपनी अधिनियम, 2013 में सूचीबद्ध सीएसआर के महत्वपूर्ण क्षेत्रों और अन्य क्षेत्रों में कंपनी की जिम्मेदारी का ईमानदारी और प्रभावी ढंग से निर्वहन करना

नीति के उद्देश्य :

- कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति), नियम 2014 और मौजूदा डीपीई दिशानिर्देशों के अंतर्गत आने वाली ऐसी परियोजनाओं और कार्यक्रमों, जिन्हें बीएचईएल शुरू करना चाहता है, का विवरण देना।
- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका।
- सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों की निगरानी प्रक्रिया।
- हितधारकों को बीएचईएल में विद्यमान सीएसआर अभ्यास से अवगत कराना।
- व्यवसाय एवं सी एस आर एजेंडा को निरंतर विकास के बृहत उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करना।

नीति के प्रमुख बिंदु :

- यह कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी (सीएसआर नीति), नियम 2014, सी एस आर और निरंतरता पर डीपीई के दिशा निर्देशों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करती है।
- यह सीएसआर गतिविधियों के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों को परिभाषित करती है, जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII मेंउल्लिखित हैं।
- यह हाल ही के तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 2% सी एस आर गतिविधियों के लिए आबंटित किए जाने का स्पष्ट उल्लेख करती है।
- कंपनी सीएसआर गतिविधियों के लिए स्थानीय इलाकों को प्राथमिकता देगी और सी एस आर गतिविधियों की राशि का 75% वहाँ खर्च करेगी।
- ऐसी परियोजना, जिसका कुल मूल्य रु. 2 करोड़ या उससे अधिक है, को बड़ी परियोजना (मेगा प्रोजेक्ट) कहा जाएगा और ऐसी परियोजनाओं के प्रभाव का आकलन/ गणना बाहरी एजेंसियों के माध्यम से करायी जाएगी।
- कुल वार्षिक सीएसआर बजट का 5% आपदा/विनाश के समय राहत कार्यों के लिए आपातकालीन निधि के रूप में आरक्षित रखे जाने का प्रावधान है।
- कुल वार्षिक सीएसआर बजट का 5% क्षमता निर्माण हेतु आरक्षित रखा जाएगा, जिसमें प्रशासनिक ओवरहैड्स भी शामिल हैं।
- यह बीएचईएल में सीएसआर के लिए संगठनात्मक संरचना के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

सीएसआर नीति का वेब–लिंकः बीएचईएल सीएसआर नीति www.bhel.com में सीएसआर अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, जिस तक http://www.bhel.com/CSR/pdf/BHEL_CSR_Policy_July%202017.pdf लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

अनुलग्नक– ख

(₹ लाख में)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची– VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	कौशल विकास पर व्यय	2 समावेशी	स्थानीय, दिल्ली, दिल्ली	17.94	17.94	17.94	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
2	शिरडी साई बाबा मंदिर सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालयों में सुविधाओं से वंचित छात्रों को स्कूल यूनिफॉर्म के लिए वित्तीय सहायता	2 शिक्षित	स्थानीय, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, फरीदाबाद और निस्वरा	9.45	4.73	4.73	कार्यान्वयन एजेंसी	शिरडी साईं बाबा मंदिर सोसाइटी, फरीदाबाद
3	पीएम केयर्स फ़ंड में योगदान	12 उत्तरदायीं	अन्य, दिल्ली, दिल्ली	700.00	700.00	700.00	कार्यान्वयन एजेंसी	पीएम केयर्स फ़ंड
4	स्कूल पर खर्च	2 शिक्षित	स्थानीय, तमिलनाडु, वेल्लोर	37.76	37.76	37.76	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
5	अनाथों, विधवाओं के बच्चों एवं दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2 शिक्षितं	स्थानीय, मध्यप्रदेश, भोपाल	2.40	1.44	1.44	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
6	भोपाल एवं उसके आसपास के जिलों के संस्थानों में B.Sc. नर्सिंग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2 समावेशी	स्थानीय, मध्यप्रदेश भोपाल	3.60	3.60	3.60	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
7	आईटीआई और पॉलिटेक्निक के दिव्यांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	2 समावेशी	स्थानीय, मध्यप्रदेश भोपाल	4.50	2.25	2.25	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
8	06 गांवों में चिकित्सा शिविर का आयोजन	1 स्वस्थ	स्थानीय, मध्यप्रदेश भोपाल	1.80	0.54	0.54	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
9	योग कक्षाओं का आयोजन	1 स्वस्थ	स्थानीय, मध्यप्रदेश भोपाल	1.37	1.31	1.31	कार्यान्वयन एजेंसी	योगमृत रिसर्च एंड वेलफेयर सोसाइटी, भोपाल
10	विवेकानंद विद्यापीठ, अवधपुरी, भोपाल में आदिवासी बच्चों को सहायता प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय, मध्यप्रदेश भोपाल	1.50	1.50	1.50	कार्यान्वयन एजेंसी	आर के मिशन भोपाल
11	बीएचईएल लेडीज क्लब द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम : ब्यूटीशियन, पेंटिंग, डांस क्लास, मेहँदी / रंगोली, कंप्यूटर क्लास, आदि	1 स्वस्थ	स्थानीय, मध्यप्रदेश भोपाल	2.90	1.76	1.76	कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचईएल लेडीज क्लब, भोपाल

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची–VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
12	बीएचई विकलांग कल्याण समिति द्वारा संचालित स्कूल और पुनर्वास केंद्र के लिए वित्तीय सहायता	2 शिक्षित	स्थानीय, मध्यप्रदेश, भोपाल	1.00	1.00	1.00	कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचई विकलांग कल्याण समिति भोपाल
13	प्राथमिक विद्यालय आजाद नगर में मरम्मत कार्य एवं बुनियादी ढांचे का विकास	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर	2.21	1.48	2.21	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
14	प्राथमिक विद्यालय धौलपुर में में मरम्मत कार्य एवं बुनियादी ढांचे का विकास	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर	1.49	1.00	1.49	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
15	प्राथमिक विद्यालय खानपुर में में मरम्मत कार्य एवं बुनियादी ढांचे का विकास	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर	2.30	1.54	2.30	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
16	गोद लिए गए गाँव डीजी हट्टी और बैराग कॉलोनी स्कूल के लिए प्रतिभा पुरस्कार और अन्य सुविधाएं	2 शिक्षित	स्थानीय, कर्नाटक, बंगलोर	2.00	0.44	0.44	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
17	पीने के पानी की सुविधा (रु. 100 लाख) के साथ सामुदायिक बायो–डाइजेस्टर शौचालय क्लस्टर (रु. 465 लाख) के 25 सेटों की स्थापना – फिक्की और डीआरडीओ	1 स्वच्छ	स्थानीय, उत्तराखंड, देहरादून	565.00	19.35	432.41	कार्यान्वयन एजेंसी	फिक्की एवं डीआरडीओ
18	लतिका विहार– सभी का स्वागत	3 समावेशी	स्थानीय, उत्तराखंड, देहरादून	19.00	6.56	18.94	कार्यान्वयन एजेंसी	लतिका रॉय मेमोरियल फ़ाउंडेशन
19	रुद्रप्रयाग, उत्तराखंड में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर एलटी लाइनों और एलईडी स्ट्रीट लाइटों को स्थापित करना	2 समावेशी	स्थानीय, उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग	19.98	6.41	6.41	कार्यान्वयन एजेंसी	डीएम, रुद्रप्रयाग
20	लतिका रॉय मेमोरियल फाउंडेशन, देहरादून को वित्तीय सहायता– ''लतिका विहार–आप सभी का स्वागत है''	2 समावेशी	स्थानीय, उत्तराखंड, देहरादून	19.00	4.20	4.20	कार्यान्वयन एजेंसी	लतिका रॉय मेमोरियल फ़ाउंडेशन
21	स्कूल पर खर्च	2 समावेशी	स्थानीय, उत्तराखंड, हरिद्वार	1229.96	1229.96	1229.96	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
22	कौशल विकास पर व्यय	2 समावेशी	स्थानीय, उत्तराखंड, हरिद्वार	16.54	5.33	5.33	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
23	सेक्टर–3 में स्थित कार्यरत महिला छात्रावास की सुरक्षा हेतु WWH में तैनात किए गए कार्मियों, होमगार्ड आदि के लिए यूएनपीएल को भुगतान	3 उत्तरदायी	स्थानीय, उत्तराखंड, हरिद्वार	10.00	8.58	8.58	प्रत्यक्ष	बीएचईएल

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची–VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
24	विभिन्न क्षेत्रों जैसे कढ़ाई, ब्यूटीशियन, सिलाई, अंग्रेजी बोलना, संगीत और नृत्य आदि में कौशल विकास	2 समावेशी	स्थानीय, उत्तराखंड, हरिद्वार	2.80	1.50	1.50	कार्यान्वयन एजेंसी	बीएचईएल लेडीज क्लब
25	रोटरी क्लब, रानीपुर, हरिद्वार द्वारा निःशुल्क प्लास्टिक सर्जरी शिविर का आयोजन	1 स्वस्थ	स्थानीय, उत्तराखंड, हरिद्वार	5.00	5.00	5.00	कार्यान्वयन एजेंसी	रोटरी क्लब
26	कुष्ठ रोगियों और उनके बच्चों हेतु दिव्य प्रेम सेवा मिशन न्यास (पंजी.) के छात्रावास में भोजन कक्ष के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	3 उत्तरदायी	स्थानीय, उत्तराखंड, हरिद्वार	6.00	4.50	4.50	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
27	राजकीय बालिका इंटर कॉलेज, ऋषिकेश, देहरादून में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर (टेबल, कुर्सी आदि) उपलब्ध कराना	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तराखंड, देहरादून	3.00	3.00	3.00	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
28	आईआरसीएस, देवघर द्वारा गरीबों के हितार्थ एम्बुलेंस सेवा	1 स्वस्थ	स्थानीय, झारखंड, देवघर	50.74	5.08	5.08	कार्यान्वयन एजेंसी	आईआरसीएस, देवघर
29	स्कूल पर खर्च	2 शिक्षित	स्थानीय, आंध्र प्रदेश, विजाग	112.82	112.82	112.82	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
30	ज़ेडपीएच स्कूलों को परिवहन सहित फर्नीचर प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय, आंध्र प्रदेश, विजाग	5.50	5.33	5.33	कार्यान्वयन एजेंसी	केन्द्रीय कारागार, विशाखापत्तनम
31	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना	1 स्वस्थ	स्थानीय, आंध्र प्रदेश, विजाग	2.50	2.47	2.47	कार्यान्वयन एजेंसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, विजाग
32	मनोविकास पुनर्वास केंद्र में बच्चों का कौशल विकास	2 समावेशी	स्थानीय, आंध्र प्रदेश, विजाग	0.40	0.40	0.40	कार्यान्वयन एजेंसी	मनोविकास पुनर्वास केंद्र, विजाग
33	एचआईवी बच्चों के लिए डिजायर रिलीफ़ सोसायटी को पोषण किट प्रदान करना	1 स्वस्थ	स्थानीय, आंध्र प्रदेश, विजाग	0.50	0.50	0.50	कार्यान्वयन एजेंसी	डिजायर रिलीफ़ सोसाइटी, विजाग
34	गांवों में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी सलाह के लिए शिविर का आयोजन	1 स्वस्थ	स्थानीय, आंध्र प्रदेश, विजाग	0.50	0.50	0.50	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
35	गरीबी रेखा से नीचे एवं दिव्यांग श्रेणी से संबंधित मेधावी छात्रों को शिक्षा छात्रवृत्ति। परियोजना की अवधि (5 वर्ष + 3 वर्ष)–एफएईए	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	600.00	15.72	579.16	कार्यान्वयन एजेंसी	एफ़एईए

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची–VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
36	जिला परिषद हाई स्कूल, रामचंद्रपुरम (जिला. संगारेड्डी) तेलंगाना को परिवहन सहित फर्नीचर की आपूर्ति	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, संगारेड्डी	8.00	8.00	8.00	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
37	जिला परिषद हाई स्कूल, रामचंद्रपुरम (जिला संगारेड्डी) तेलंगाना को परिवहन सहित फर्नीचर की आपूर्ति	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, संगारेड्डी	2.00	1.98	1.98	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
38	जिला परिषद उच्च विद्यालय अनंतसागर ग्राम (संगाररेड्डी जिला) तेलंगाना को परिवहन सहित फर्नीचर की आपूर्ति	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, संगारेड्डी	2.00	1.98	1.98	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
39	जिला परिषद हाई स्कूल तुर्कला खानपुर (मेडक जिला) तेलंगाना को परिवहन सहित फर्निचर	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, मेडक	2.00	1.93	1.93	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
40	तेलंगाना सामाजिक कल्याण आवासीय विद्यालय/ जूनियर कॉलेज (गर्ल्स), कोठागडी, विकाराबाद जिला तेलंगाना राज्य में सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम,एक सेट (500 एलपीडी सोलर मॉड्यूल+ टैंक + इंस्टॉलेशन	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, विकाराबाद	2.00	1.32	1.32	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
41	टीएसडब्ल्यूआर (तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेजिडेंशियल) सीओई(सेंटर ऑफ एक्सेलेंस) में लड़कियों के लिए 2 वाटर कूलर	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, रंगारेड्डी	0.60	0.60	0.60	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
42	नेहरू जूलॉजिकल पार्क में टॉय ट्रेन का अनुरक्षण कार्य	3 उत्तरदायी	स्थानीय, तेलंगाना, हैदराबाद	2.00	1.98	1.98	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
43	माधराम (माधवराम) प्राथमिक और जेडपीएच स्कूल (संगारेड्डी जिला) के साइंस लैब और लाइब्रेरी को फर्नीचर की आपूर्ति	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, संगारेड्डी	2.00	1.91	1.91	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
44	लेमूर जिला परिषद हाई स्कूल (रंगारेड्डी जिला) को फर्नीचर की आपूर्ति	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, रंगारेड्डी	2.00	1.78	1.78	प्रत्यक्ष	बीएचईएल

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची–VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
45	तेलंगाना के लाभार्थियों के लिए ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर चाइल्ड, व्हील चेयर एडल्ट, एल्बो क्रचेज साइज–II, एक्सिलरी क्रचेज लार्ज, वॉकिंग स्टिक, ब्रेल केन, एमएसआईईडी किट, बीटीई डिजिटल हियरिंग उपकरण,13 जिंक एयर बैटरी के 6 पैकेट और अन्य सामान	3 उत्तरदायी	स्थानीय, तेलंगाना, संगारेड्डी	5.00	4.93	4.93	कार्यान्वयन एजेंसी	एएलआईएमसीओ
46	गवर्नमेंट गर्ल्स हॉस्टल और जूनियर कॉलेज, गोविलाडोडी को 2 सोलर वॉटर हीटिंग (500एलपीडी + टैंक + आदि) सिस्टम और 2 वाटर कूलर	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, रंगारेड्डी	3.00	2.21	2.21	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
47	स्कूल पर खर्च	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, संगारेड्डी	9.09	9.09	9.09	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
48	कौशल विकास पर व्यय	2 समावेशी	स्थानीय, दिल्ली, दिल्ली	3.53	3.53	3.53	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
49	सरस्वती शिशु मंदिर, फत्तेपुर में शौचालय का निर्माण	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, अमेठी	1.50	1.50	1.50	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
50	स्कूल पर खर्च	2 शिक्षितं	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, अमेठी	192.40	192.40	192.40	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
51	भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ), भारत सरकार उपक्रम) के सहयोग से दिव्यांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण प्रदान करना– लगभग 30 लाभार्थी	3 उत्तरदायी	स्थानीय, कर्नाटक, बेंगलोर	3.00	3.00	3.00	कार्यान्वयन एजेंसी	एएलआईएमसीओ
52	राजकीय प्राथमिक विद्यालय को सहायक पुस्तकें और स्टेशनरी	2 शिक्षित	स्थानीय, पंजाब, तरन तारण	0.37	0.36	0.36	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
53	गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, गोइंदवाल को प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन	2 शिक्षित	स्थानीय, पंजाब, तरन तारण	0.45	0.45	0.45	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
54	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, वेन पुइन को स्कूल बेंच	2 शिक्षित	स्थानीय, पंजाब, तरन तारण	1.34	1.34	1.34	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
55	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, कोटली सरु खान को स्कूल बेंच	2 शिक्षित	स्थानीय, पंजाब, तरन तारण	0.46	0.46	0.46	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
56	राजकीय प्राथमिक विद्यालय, ज्वालापुर को स्कूल बेंच	2 शिक्षित	स्थानीय, पंजाब, तरन तारण	1.38	1.38	1.38	प्रत्यक्ष	बीएचईएल

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची–VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
57	स्कूल पर खर्च	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	309.00	309.00	309.00	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
58	कंप्यूटर प्रदान करना (जिन्हें बीएचईएल से लीज पर दिया गया)	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	0.65	0.62	0.62	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
59	लाइब्रेरी के लिए सामान्य अध्ययन पुस्तकें जी बॉक्स (सामान्य/नैतिक शिक्षा)	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	1.15	1.09	1.09	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
60	डेस्क के साथ जुड़े स्टडी बेंच प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	4.15	2.98	2.98	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
61	मेधावी छात्राओं को साइकिल का वितरण	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	1.40	1.25	1.25	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
62	पीने के पानी की सुविधाएं प्रदान करना	1 स्वच्छ	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	1.15	0.93	0.93	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
63	स्कूलों में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स उपलब्ध कराना	1 स्वस्थ	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, झांसी	0.35	0.18	0.18	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
64	साईं शिक्षा संस्थान को डेस्क और बेंच, ऑफिस टेबल, कंप्यूटर और अलमारी प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	2.12	1.06	2.12	कार्यान्वयन एजेंसी	साईं कृपा
65	मार थोमा सोशल एक्शन द्वारा संचालित वंचित बच्चों को सेंटर फॉर वोकेशनल कोर्स के लिए डेस्कटॉप पीसी, प्रिंटर, यूपीएस, टेबल और कुर्सियां प्रदान करना	2 समावेशी	स्थानीय, दिल्ली, दिल्ली	2.37	2.37	2.37	कार्यान्वयन एजेंसी	मार थोमा सोशल एक्शन
66	नेत्र जांच शिविर और मोतियाबिंद सर्जरी	1 स्वस्थ	स्थानीय, उत्तराखंड, उधम सिंह नगर	9.26	8.66	8.66	कार्यान्वयन एजेंसी	ईश्वर चैरिटेबल ट्रस्ट (मैसर्सआई केयर हॉस्पिटल नोएडा)
67	बैरासूल पावर स्टेशन, चंबा में 1 महिला शौचालय का निर्माण	1 स्वच्छ	स्थानीय, हिमाचल प्रदेश, चंबा	1.09	1.09	1.09	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
68	पनकी साइट पर 2 पोर्टेबल शौचालयों का निर्माण	1 स्वच्छ	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, कानपुर	0.43	0.43	0.43	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
69	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को डेस्क के साथ जुड़े बेंच उपलब्ध कराना	2 शिक्षित	स्थानीय उड़ीसा, मल्कानगिरी	2.00	2.00	2.00	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
70	आई केयर हॉस्पिटल नोएडा में अलग–अलग स्थानों पर नेत्र जांच शिविर और चुने हुए मरीजों के लिए मोतियाबिंद सर्जरी	1 स्वस्थ	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	5.20	5.20	5.20	कार्यान्वयन एजेंसी	आई केयर हॉस्पिटल नोएडा)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची–VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
71	गिर्राज राजकीय डिग्री कॉलेज की चारदीवारी का निर्माण	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, निजामाबाद	100.00	40.96	61.03	कार्यान्वयन एजेंसी	जिला पंचायत राज इंजीनियर, पीआईयू, निजामाबाद
72	राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र–छात्राओं के छात्रावास का निर्माण	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, निजामाबाद	300.00	122.89	175.37	कार्यान्वयन एजेंसी	जिला पंचायत राज इंजीनियर, पीआईयू, निजामाबाद
73	तिरुवल्लुर के ग्रामीणों के लिए नेत्र जांच और मोतियाबिंद सर्जरी शिविर	1 स्वस्थ	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुवल्लूर	3.00	2.44	2.44	कार्यान्वयन एजेंसी	शंकर नेत्रालय, चेन्नै
74	उप्पुर साइट के आसपास के ग्रामीणों के लिए नेत्र जांच और मोतियाबिंद सर्जरी शिविर का आयोजन	1 स्वस्थ	स्थानीय, तमिलनाडु,रामनाथपुरम	3.00	1.06	1.06	कार्यान्वयन एजेंसी	अरविंद नेत्र चिकित्सालय, मदुरै
75	"दिव्यांगजनों के लिए "ग्राम विकलांग पुनर्जन्म" शिविर और गरीब ग्रामीणों के लिए प्रोस्थेटिक्स / मोबिलिटी उपकरण प्रदान करना	1 स्वस्थ	स्थानीय, तमिलनाडु,तुतिकोरिन	6.00	6.00	6.00	कार्यान्वयन एजेंसी	फ्रीडम ट्रस्ट चेन्नै
76	स्थानीय राजकीय स्कूल को शिक्षा संबंधी इन्सफ्रास्ट्रक्चर (लकड़ी की मेज और बेंच) प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय, तमिलनाडु, कड्डलोर	2.00	1.69	1.69	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
77	राजकीय आईटीआई, खम्मम को फर्नीचर उपलब्ध कराना	2 समावेशी	स्थानीय, तेलंगाना, खम्माम	4.00	4.00	4.00	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
78	दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यालयों को डेस्कटॉप कंप्यूटर उपलब्ध कराना	2 शिक्षित	स्थानीय, महाराष्ट्र, नागपूर	2.09	2.09	2.09	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
79	जीएमसी नागपुर में गरीब बच्चों के लिए बाल चिकित्सा सर्जरी शिविर के लिए दवाएं प्रदान करना	1 स्वस्थ	स्थानीय, महाराष्ट्र, नागपूर	3.91	3.91	3.91	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
80	स्कूल की चारदीवारी का निर्माण	2 शिक्षित	स्थानीय, झारखंड, रामगढ़	6.48	6.48	6.48	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
81	स्कूल में लड़कियों और लड़कों के शौचालय का निर्माण	2 शिक्षित	स्थानीय, झारखंड, रामगढ़	4.66	4.66	4.66	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
82	पीने और स्वच्छता के लिए पंप और मोटर के साथ ओवरहेड पानी की टंकी, क्लास रूम में छत के पंखे और पेड़ेस्ट्रीयन पंखे की व्यवस्था करना और स्कूल में स्टेशनरी का वितरण	2 शिक्षित	स्वबंस ए श्रींतींदकए त्उहंती	0.87	0.86	0.86	प्रत्यक्ष	बीएचईएल

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची–VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
83	सामुदायिक केंद्र, चंदनायक नगर में शैक्षणिक गतिविधि के लिए वित्तीय सहायता	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, हैदराबाद	2.00	1.76	1.76	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
84	ऑटिज्म से प्रभावित गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए छात्र शिक्षण शुल्क एवं विशेष शिक्षक के वेतन हेतु सहायता	2 शिक्षित	स्थानीय, तेलंगाना, हैदराबाद	2-93	2-03	2-03	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
85	1 वर्ष के लिए रायगढ़ के ग्रामीण इलाकों में मोबाइल मेडिकेयर यूनिट चलाना–वॉकहार्ट	1 स्वस्थ	स्थानीय, महाराष्ट्र रायगढ़	33.00	28.54	28.54	कार्यान्वयन एजेंसी	वॉकहार्ड
86	कल्याण ब्लॉक, ठाणे जिले के आशा कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी) को वित्तीय सहायता	1 स्वस्थ	स्थानीय, महाराष्ट्र ठाणे	18.00	6.00	12.00	कार्यान्वयन एजेंसी	रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी)
87	पालघर, राजगढ़, ठाणे और मुंबई में समावेशी और सामाजिक विकास हेतु उद्यमशीलता और विचारधारा के माध्यम से परिवर्तन निर्माताओं के विकास के लिए कनेक्ट और चेंज कार्यक्रम– परियोजना के लिए कनेक्टिंग ड्रीम्स फ़ाउंडेशन को वित्तीय सहायता	2 समावेशी	स्थानीय,महाराष्ट्र, पालघर, राजगढ़, ठाणे एवं मुंबई	18.00	12.00	17.00	कार्यान्वयन एजेंसी	कनेक्टिंग ड्रीमस फ़ाउंडेशन (सीडीएफ)
88	पश्चिमी महाराष्ट्र में बाढ़ से प्रभावित छात्रों को 50000 लागत की स्कूल किट प्रदान की गई	2 शिक्षित	स्थानीय,महाराष्ट्र, सांगली, कोल्हापुर एवं सतारा	129.22	125.35	125.35	कार्यान्वयन एजेंसी	प्रोबोधन गोरेगांव
89	कुनबी समाजोन्नति संघ द्वारा गरीब छात्रों के छात्रावास के निर्माण में वित्तीय सहायता	2 शिक्षित	स्थानीय, महाराष्ट्र, मुंबई	10.00	10.00	10.00	कार्यान्वयन एजेंसी	कुनबी समाजनोटी संघ
90	जागृति राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुंडा बस्ती, झालाना महल, झालाना, जयपुर में मिड–डे मील शेड का निर्माण	2 शिक्षित	लोकल, राजस्थान, जयपुर	18.50	18.50	18.50	कार्यान्वयन एजेंसी	जागृति
91	एनजीओ SETU स्कूल को इनवर्टर (5KVA, 2 संख्या) देकर सहायता प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	1.60	1.60	1.60	कार्यान्वयन एजेंसी	स्पास्टिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फाउंडेशन (थ्डम्भ्)
92	साई कृपा बाल कुटीर, अनाथालय में गीजर (25 लीटर) और वाशिंग मशीन (12 किग्रा) प्रदान करके एनजीओ को सहायता प्रदान करना	3 उत्तरदायी	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	0.39	0.38	0.38	कार्यान्वयन एजेंसी	साई कृपा बाल कुटीर, अनाथालय

क्र. सं.	सीएसआर परियोजनाएं या निर्धारित गतिविधियां	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है (अनुसूची–VII की मद संख्या) और बीएचईएल के प्रमुख क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम (1) स्थानीय क्षेत्र या अन्य (2) राज्य और जिले जहां कार्यक्रम चलाए गए	व्यय राशि (बजट) परियोजना के अनुसार	वर्ष 2019–20 के दौरान परियोजना अथवा कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	सीधे या कार्यान्वयन संस्था के माध्यम से खर्च की गई राशि	कार्यान्वयन संस्था का नाम
93	हेमोफिलिया फेडरेशन (इंडिया) को हेमोफिलिया से पीड़ित गरीब रोगियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता	1 स्वस्थ	स्थानीय, संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारत,	59.55	59.55	59.55	कार्यान्वयन एजेंसी	हेमोफिलिया फेडरेशन (भारत)
94	कौशल विकास पर व्यय	2 समावेशी	स्थानीय, उत्तर प्रदेश, गौतम बुद्ध नगर	7.36	7.36	7.36	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
95	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शौचालय कॉम्प्लेक्स का निर्माण	2 शिक्षित	स्थानीय, झारखंड, रामगढ़	2.50	2.50	2.50	कार्यान्वयन एजेंसी	सिटिज़न फाउंडेशन, रांची
96	पैराडाइज चिल्ड्रेन केयर सेंटर को फिजियोथैरेपी उपकरण प्रदान करना	1 स्वस्थ	स्थानीय,हिमाचल प्रदेश, चंबा	2.50	2.50	2.50	कार्यान्वयन एजेंसी	पैराडाइज चिल्ड्रेन केयर सेंटर, चंबा
97	अरुणा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोटरा को आरओ+ चिलर प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय,महाराष्ट्र, गढ़चिरौली	2.50	2.50	2.50	कार्यान्वयन एजेंसी	बहुजन शैक्षणि ाक संस्थान, गढ़चिरौली
98	ज़ेडपी सेकेंडरी स्कूल, मीनावोलु को आरओ प्लांट प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय,तेलंगाना, खम्मम	2.50	2.50	2.50	कार्यान्वयन एजेंसी	ग्राममें मानव गतिविधि केंद्र, खम्मम
99	स्कूल पर खर्च	2 शिक्षित	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुच्चिराप्पल्लि	38.02	38.02	38.02	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
100	कौशल विकास पर व्यय	2 समावेशी	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुच्चिराप्पल्लि	93.09	20.55	20.55	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
101	।ॅ हाई स्कूल, पेरुर/ मुसिरी को खेलकूद के सामान जैसे कि सी–सॉ, स्लाइड, स्विंग एवं मेरी गो राउंड उपलब्ध कराना	2 शिक्षित	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुच्चिराप्पल्लि	0.80	0.80	0.80	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
102	अन्ना स्टेडियम के जिला स्पोर्ट्स–हॉस्टल में 200 लीटर आरओ प्लांट की व्यवस्था करना	1 स्वच्छ	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुच्चिराप्पल्लि	1.25	1.25	1.25	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
103	शारदा मिडिल स्कूल कामराजपुरम में विज्ञान प्रयोगशाला के उपकरण उपलब्ध कराना	2 शिक्षित	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुच्चिराप्पल्लि	0.25	0.25	0.25	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
104	पीयू मिडिल स्कूल, कामराज नगर को स्टील के कप–निदेशक मंडल / बुक शेल्फ प्रदान करना	2 शिक्षित	स्थानीय, तमिलनाडु, तिरुच्चिराप्पल्लि	0.50	0.50	0.50	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
105	क्षमता निर्माण/प्रशासनिक ओवरहेड्स	क्षमता निर्माण/ प्रशासनिक ओवरहेड्स		175.58	175.58	175.58	प्रत्यक्ष	बीएचईएल
				5101.93	**3511.53**	**4587.00**		

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक– V

व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट 2019–20

खंड ''क'': कम्पनी के बारे में सामान्य जानकारी

1	कम्पनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L74899DL1964GOI004281
2	कंपनी का नाम	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
3	पंजीकृत पता	बीएचईएल हाउस, सिरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049
4	वेबसाइट	www.bhel.com
5	ई–मेल आईडी	shareholderquery@bhel.in
6	सूचित वित्त वर्ष :	2019.20
7	जिन क्षेत्रों में कंपनी कार्यरत है	''कॉर्पोरेट प्रोफाइल'' वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 का संदर्भ लें
8	कंपनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की सूची जो कंपनी निर्माण/प्रदान करती है	क) पावर प्लांट का निर्माण (एनआईसी कोडः 4220)
		ख) स्टीम जेनरेटर हेतु प्लांट में सहायक उपकरण सहित स्टीम जेनरेटर का निर्माण (एनआईसी कोडः 2513)
		ग) सहायक उपकरण सहित टर्बाइन, जेनरेटर सेट का निर्माण (एनआईसी कोडः 2811)
		घ) विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर और विद्युत वितरण तथा नियंत्रण उपकरण आदि का निर्माण (एनआईसी कोडः 2710)
9	उन स्थानों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा व्यवसाय गतिविधि की जाती है	क) अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की संख्या (प्रमुख 5 के विवरण प्रदान करें) बीएचईएल द्वारा व्यावसायिक गतिविधि शुरू की जाने वाली प्रमुख जगहें दुबई (संयुक्त अरब अमीरात), ढाका (बांग्लादेश), काठमांडू (नेपाल), दमस्कस (सीरिया)
		ख) देश में स्थित स्थानों की संख्याः कंपनी की 16 उत्पाद इकाइयां, 2 अनुरक्षण इकाइयां, 4 क्षेत्रीय कार्यालय, 8 सेवा केंद्र एवं 15 क्षेत्रीय परिचालन कार्यालय हैं।
10	कंपनी का बाजार क्षेत्र	कंपनी राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दोनों ही बाज़ारों में सेवाएं प्रदान करती है।

खंड– खः कंपनी का वित्तीय विवरण (2019–20)

1	पदत्त पूंजी	:	696.41करोड
2	सकल बिक्री/ टर्नओवर	:	20490.64करोड़
3	कर उपरांत सकल लाभ	:	₹ (–) 1472.97करोड़
4	सीएसआर – एसडी पर किया गया कुल खर्च	:	35.12करोड़
5	सीएसआर व्यय के अंतर्गत की जाने वाले गतिविधियों की सूचीः बीएचईएल वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 के अंतर्गत निदेशक मंडल की रिपोर्ट में 'निरंतर विकास' के अनुलग्नक IV का संदर्भ लें।		

खंड "ग": अन्य विवरण

1. क्या कंपनी की कोई सहायक अथवा अनुषंगी कंपनी/कंपनियां हैं?

हाँ, बीएचईएल की एक अनुषंगी कंपनी है– दिनांक 31.03.2020, भारत इलेक्ट्रिकल्स मशीन लिमिटेड (बीएचईएल– ईएमएल) कासरगोड

2. क्या सहायक कंपनी/ कंपनियां मूल कंपनी के बीआर पहल में भाग लेती हैं। यदि हां, तो ऐसी सहायक कंपनी/कंपनियों की संख्या इंगित करें।

बीएचईएल–ईएमएल, कासरगोड बीएचईएल के बीआर पहलों में भाग नहीं लेता है तथापि बीएचईएल–आईएमएल,'सी' श्रेणी में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है जो कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों का पालन करता है।

3. क्या कंपनी व्यापार में भागीदार अन्य इकाई/ संस्थाएं (जैसे आपूर्तिकर्ता, वितरक इत्यादि) कंपनी की बीआर पहल में भाग लेती हैं? यदि हां तो ऐसी इकाई/ संस्थाओं का प्रतिशत इंगित करें। (30% से कम, 30–60%, 60% से अधिक)

अधिकतर मामलों में बीआर पहल केवल बीएचईएल द्वारा की जाती है।

खंड ''घ'': बीआर सूचना

1. बीआर हेतु उत्तरदायी निदेशक/निदेशकों का विवरण

क. बीआर नीतियों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी निदेशक/ बीआर प्रमुख का विस्तृत विवरण

क.म.	ब्यौरा	विवरण
i	डीआईएन संख्या (यदि लागू हो)	08587329
ii	नाम	अनिल कपूर
iii	पदनाम	निदेशक (मानव संसाधन)
iv	दूरभाष क्रमांक	011–26001003
v	ई–मेल आईडी	akapoor@bhel.in

2. सिद्धांत वार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां (उत्तर हाँ/ नहीं में दें)

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा व्यवसाय की सामाजिक पर्यावरण एवं आर्थिक जिम्मेदारियों पर जारी राष्ट्रीय स्वैच्छिक (एनवीजी) दिशानिर्देशों ने व्यावसायिक उत्तरदायित्व के नौ क्षेत्रों को अपनाया है, ये संक्षेप में नीचे उद्धृत हैं:

पी1: व्यवसायों को नैतिकता, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के गुणों के साथ स्वयं अपना संचालन करना चाहिए।

पी2: व्यवसायों को ऐसी सामग्री और सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए जो सुरक्षित हैं और पूरे जीवन चक्र में स्थिरता में योगदान दें।

पी3: व्यवसायों को सभी कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए।

पी4: व्यवसायों को सभी पणधारियों विशेषत: वंचित, कमजोर और हाशिए वाले पणधारकों के प्रति उत्तरदायी होते हुए उनके हितों को ध्यान में रखना चाहिए।

पी5: व्यवसायों को मानवाधिकारों को सम्मान और बढ़ावा देना चाहिए।

पी6: व्यवसायों को पर्यावरण संरक्षण का सम्मान, देखभाल के साथ ही उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्रयास करना चाहिए।

पी7: व्यवसाय, जब नियामक नीतियों और जनता को प्रभावित वाला हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें उत्तरदायी भूमिका निभानी चाहिए।

पी8: व्यवसायों को समावेशी विकास तथा न्याय संगत तरक्की में सहयोग करना चाहिए।

पी9: व्यवसायों को अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना चाहिए तथा उन्हें उत्तरदायित्वता के साथ इन्हें सम्मान देना चाहिए।

क्र.सं.	प्रश्नावली	पी1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी8	पी9
1	क्या आपके पास .. के लिए कोई नीति/नीतियां हैं।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2	क्या संबंधित पणधारकों की सहमति से नीतियां बनाई गई हैं।	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, निर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
4	क्या निदेशक मंडल द्वारा नीतियों को मंजूरी दी जा रही है? यदि हां?, क्या एमडी/ मालिक/ सीईओ/ उपयुक्त निदेशक मंडल निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कंपनी के पास निदेशक मंडल / निदेशक/ अधिकारी की एक निर्दिष्ट समिति है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक सूचित किया गया है?	जहां भी लागू हैं, वेबलिंक दिए गए हैं								
7	क्या संगत सभी आंतरिक एवं बाहरी पणधारकों को नीति के बारे में औपचारिक रूप से सूचित किया गया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
8	क्या इन नीति/ नीतियों के क्रियांवयन हेतु कंपनी के पास कोई आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
9	क्या नीति/ नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों के समाधान के लिए कंपनी की नीति/ नीतियों से संबंधित शिकायत निवारण तंत्र है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां
10	क्या कंपनी ने आंतरिक या बाहरी संस्था द्वारा इन नीतियों के कामकाज का स्वतंत्र लेखा परीक्षा/ मूल्यांकन करवाया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	–	हां	हां

टिप्पणियां

1. हमारे पास इन सिद्धांतों के आधार पर स्थापित विभिन्न प्रचलन अभ्यास हैं, लेकिन उनमें से एक से संबंधित कोई औपचारिक नीति दस्तावेज नहीं है।
2. एक बार निदेशक मंडल द्वारा पॉलिसी को मंजूरी मिलने के बाद, इसे सीएमडी/ निदेशक मंडल निदेशक द्वारा अनिवार्य रूप से हस्ताक्षरित करने की आवश्यकता नहीं है।
3. संगठन की नीतियां और प्रक्रियाएं आईएसओ 9001,आईएसओ 14001, ओएचएसएएस 18001, सीएजी संसदीय समितियों, निदेशक मंडल, कार्यकारी निदेशकों की समिति,निदेशक मंडल स्तर समितियों और/ या प्रबंधन समिति इत्यादि द्वारा लेखा परीक्षा/ समीक्षाधीन हैं।

2 क. यदि किसी सिद्धांत के विरुद्ध क्रमांक1 का उत्तर 'नहीं' है, तो कृपया बताएं ऐसा क्यों: (2 विकल्प तक चयनित करें।)

नीति 7 के संबंध में 'पॉलिसी अडवोकेसी' को दृष्टिगत रखते हुए, हमने इस आधार पर जिम्मेदारी के साथ प्रथाओं/ प्रचलनों की स्थापना की है।

3. बीआर से संबंधित शासन

- वह समय अंतराल बताएं जिसमें निदेशक मंडल, या सीईओ की समिति कंपनी के बीआर प्रदर्शन का आकलन करती है। (3 महीने के भीतर, 3 – 6 महीने, वार्षिक, 1 वर्ष से अधिक)

बीएचईएल में सीएसआर गतिविधियों के आकलन एवं समीक्षा हेतु निदेशक मंडल स्तरीय समिति ने वर्ष 2019–20 में तीन बार बैठकें की जबकि बीएचईएल में उक्त के संबंध में निदेशक मंडल की तीन बैठकें सम्पन्न हुईं।

- क्या कंपनी बीआर या सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर लिंक क्या है? कितनी बार प्रकाशित की गई है?

बीएचईएल प्रतिवर्ष अपनी निरंतरता (सस्टेनेबिलिटी) रिपोर्ट प्रकाशित करती है। निम्नलिखित लिंक के माध्यम से कॉर्पोरेट वेबपृष्ठ पर पिछले 3 वर्षों की रिपोर्टों को देखा जा सकता है:

http://www.bhel.com/index.php/sustain_report खंड ङ: सिद्धांत–वार प्रदर्शन

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

सीपीएसई के कॉर्पोरेट शासन पर लोक उद्यम विभाग केदिशा–निर्देशों की आवश्यकताओं तथा सेबी द्वारा वर्णित दिशानिर्देशों के अनुपालन में सभी निदेशक मंडल के सदस्यों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए कंपनी में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित 'व्यापार नियमावली व नैतिक आचरण' संहिता' प्रभावी है।

http://www.bhel.com/investor_relations/pdf/BHEL-Code-of-Business-Conduct-and-Ethics-w-e-f-01-04-2019.pdf

निदेशक मंडल ने अपना एक चार्टर निर्धारित किया है जो स्पष्ट रूप से निदेशक मंडल और व्यक्तिगत निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारियों को परिभाषित करता है। इसके अतिरिक्त कंपनी संवेदनशील आंकड़े तथा अप्रकाशित/ अप्रकट मूल्य संबंधी सूचनाओं की सुरक्षा तथा इन के दुरुपयोग को रोकने हेतु यथा–संभव प्रयास करती है। इस हेतु आंतरिक सूत्रों द्वारा व्यापारिक परिचालन एवं रिपोर्टिंग से संबंधित निदेशक मंडल अनुमोदित आचार संहिता तथा सेबी (आंतरिक व्यापार की मनाही) के साथ फेयर डिस्क्लोजर (उचित प्रकटीकरण)– 2015 तथा अनुसूचित नीतियां निदेशक मंडल सदस्यों तथा पद नामित कार्मिकों को यह निर्देश देती है कि कंपनी में कार्य के दौरान कार्य की आवश्यकता और प्रकृति अनुसार प्राप्त सूचनाओं की गोपनियता तथा सुरक्षा के दायित्व का पूर्ण निर्वहन करेंगे। 'कोड अप्रकाशित मूल्य/ संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु तत्संबंधी नियमों व प्रक्रियाओं को प्रशस्त करता है।

http://www.bhel.com/investor_relations/pdf/Insider%20Trading%20Code%202019-w-e-f01-04-2019.pdf

कॉर्पोरेट गवर्नेस एवं अनुसूचित नियमों पर लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप, बीएचईएल तिमाही आधार पर भारी उद्योग विभागऔर स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक व्यापार संहिता के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी आवश्यकतानुसार जो इससे संबंधित/ संलग्न हो उनके लिए आंतरिक संचालन दिशानिर्देश को लागू करती है। इकाई प्रमुख/ प्रभाग प्रमुख को इस संहिता के प्रभाव क्षेत्र में आने वाले कार्मिकों से संबंधित सूचना निश्चित समयावधि में देना सुनिश्चित करना पड़ता है। सूचीबद्ध विनियमों के अनुरूप, सभी निदेशक मंडल सदस्य तथा वरिष्ठ प्रबंधन प्रत्येक वर्ष यह सुनिश्चित करते हैं कि संबंधित वर्ष के दौरान व्यापार आचार एवं मूल्य संहिता/ नियमावली में वर्णित बिन्दुओं का पूर्णत: अनुपालन किया गया है, तथा इस आशय अनुमोदन/ आश्वासन कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में दिया जाता है। कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट में आंतरिक स्रोतों (कार्मिक) व्यापारिक परिचालन तथा विनियमन हेतु आचार संहिता एवं उचित प्रकटीकरण (फेयर डिस्क्लोजर) 2015 के संदर्भ में निदेशक (वित्त) ही कंपनी के अनुपालन अधिकारी हैं।

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल द्वारा अपने कर्मचारियों (स्थापित आदेशों से शासितों के अलावा) के आचरण की उच्चता को बनाए रखने के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप बीएचईएल आचरण, अनुशासन एवं एवं अपील नियमावली 1975 लागू है। इसे आगे धोखाधड़ी रोकथाम नीति एवं विहसल ब्लोअर नीति जो कि किसी को भी कार्यालयीन संस्कृतिमें अस्वीकार्य कृत्यों/ प्रथाओं के विरुद्ध एक हथियार की तरह काम आती है बल्कि यह इन दुष्कृत्यों के विरुद्ध एक निवारक भी है। कंपनी 'सूचना का अधिकार अधिनियम' 2005, संवैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा ऑडिट/ लेखा–परीक्षण एवं कंपनी अधिनियम–2013 के खंड 139 के अंतर्गत नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के परीक्षणाधीन है।

http://www.bhel.com/pdf/BHEL%20Fraud%20Prevention%20Policy.pdf

http://www.bhel.com/pdf/Whistle%20Blower%20Policy.pdf

http://www.bhel.com//assets/downloads/5c35d305718eaWhistle_Blower.PDF

बीएचईएल ने क्रय एवं अनुलग्नक गतिविधियों क्रिया कलापों में दोनों पक्षों के नैतिक आचरण में अत्यधिक पारदर्शिता व ईमानदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से 'ट्रांस्पेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया (टीआईआई) के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग से प्राप्त उचित अनुमोदन के आधार पर बीएचईएल में 'पारदर्शिता एवं ईमानदारी नीति' के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु दो स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों (आईईएम) के पैनल को नियुक्त किया गया है। बीएचईएल में 'शक्तियों का प्रतिनिधित्व (डेलीगेशन ऑफ पावर्स) के माध्यम से विभिन्न पदाधिकारियों की जिम्मेदारी को भली–भांति परिभाषित किया गया है। कार्य नीति, क्रय नीति तथा ऐसे अन्य नीति निर्धारक दस्तावेज बीएचईएल की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता को परिभाषित करने के साथ ही उच्चतम स्तर की पारदर्शिता के प्रति कम्पनी की प्रतिबद्धता को दर्शाते है। इस नीति के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं से वर्ष 2019–20 के दौरान कुल आठ अभ्यावेदन प्राप्त हुए एवं आई ई एम द्वारा सभी का निवारण कर दिया गया है।

कंपनी के पास शेयरधारकों और निवेशकों की शिकायतों के निवारण से संबंधित मामलों को देखने के लिए विशेष रूप से एक शेयरधारक संबंध समिति है। जैसा कि मैसर्स केफिन टेक्नोलोजिस प्राइवेट लिमिटेड (कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट) द्वारा वर्ष के दौरान पणधारकों से 949 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और सभी शिकायतों का निवारण 31 मार्च 2020 तक कर दिया गया था।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2019–20 के दौरान केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और निगरानी योजना के अंतर्गत आम–जन से कुल 258 लोकव्यथा पर शिकायतें प्राप्त हुईं। सभी शिकायतों का निवारण कर दिया गया था।

सिद्धांत 2: उत्पाद जीवन चक्र निरंतरता

बीएचईएल पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और उपकरणों की दक्षता में सुधार के माध्यम से हरित पर्यावरण में योगदान दे रहा है। विद्युत चक्र दक्षता में निरंतर सुधार और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों से कम उत्सर्जन, सब क्रिटिकल से सुपर क्रिटिकल तक प्रौद्योगिकी के विकास के द्वारा समय पर प्राप्त किया गया है। बीएचईएल की विशेषताओं ने विद्युत संयंत्र उपकरण जैसे सहायक उपकरण से विद्युत की कम खपत, प्लांट की उच्च दक्षता, संरचनात्मक रूप से ताप सह और उच्च परिचालन उपलब्धता प्रदान करने के साथ ही उन्नत जीवन चक्र लागत प्राप्त करने में सहायता करते हैं।

चार प्रमुख उत्पाद जो उनके डिजाइन में पर्यावरणीय चिंताओं को संबोधित करते हैं वे पावर प्लांट सुपर क्रिटिकल पैरामीटर, फ्लू–गैस डेस्ल्फुराइजेशन (एफ़जीडी), सौर फोटोवोल्टिक

और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिसीटर (ईएसपी) पर भाप के साथ काम कर रहे हैं। उत्पादों में समाविष्ट कार्बन की कमी के प्रति सचेत प्रयास भी है। कंपनी ने प्रदूषित ईंधन को स्वच्छ ईंधन से बदलने का विकल्प चुना है, उदाहरण के लिए, गैस (कोयले के बजाय) सेरलिन जैसे उत्पादों के उत्पादन के दौरान ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत के रूप में उपयोग की जाती है।

बीएचईएल विभिन्न तरीकों से विनिर्माण इकाइयों के आसपास सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) और स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को सहयोग कर रहा है। वे बीएचईएल की आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा हैं। साथ ही, सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसएमई–भारत सरकार मंत्रालय द्वारा जारी)

बीएचईएल पर्यावरण संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु दशकों से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स का विनिर्माण कर रहा है और अब एफजीडी सिस्टम का भी विनिर्माण कर रहा है

के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, संशोधन आदेश 2018 में अनिवार्य रूप से बीएचईएल ने 2019–20 के दौरान एमएसई से अपनी कुल खरीद का 25% लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। बीएचईएल इकाइयों द्वारा नियमित विक्रेता बैठक और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, विशेषतः एमएसई (स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं समेत) के साथ–साथ अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के लिए विशिष्ट, जो जरूरतों की पहचान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है और पारस्परिक लाभ के लिए कार्य योजना तैयार करता है।

कंपनी की विनिर्माण प्रक्रियाएं धातु स्क्रैप की कुछ मात्रा उत्पन्न करती हैं। इसके उपरांत कुछ स्क्रैप कंपनी के भीतरी साइक्लिंग से गुजरती है और इसका पुनः उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हरिद्वार में सेंट्रल फाउंड्री फ़ोर्ज प्लांट (सीएफ़एफ़पी) स्टील फोर्जिंग्स और कास्टिंग्स बनाती है जिसके लिए स्टील स्क्रैप एक प्रमुख कच्ची सामग्री है। पुनः प्रयोज्य सामग्री का इस्तेमाल भी निर्मित वस्तुओं के पैकिंग के लिए किया जाता है।

सिद्धांत 3: कर्मचारी कल्याण

बीएचईएल मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। कंपनी की मानव संसाधन प्रबंधन नीति के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत, सक्षम, प्रेरित और प्रभावशाली मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और संगठनात्मक मिशन की उपलब्धि को सुविधाजनक बनाने के लिए है। कंपनी ने रोजगार संबंध, करियर विकास/ उन्नति और कर्मचारियों के अनुमोदन/ लाभ, स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण को विनियमित करने तथा पारदर्शिता और कार्यान्वयन की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए 'कार्मिक मैनुअल' के रूप में एचआरएम नीतियों और नियमों को दस्तावेज़ के रूप में तैयार किया है। इन नीतियों को एक शिकायत निवारण तंत्र द्वारा भी पूरित किया जाता है। बीएचईएल में कर्मचारी शिकायतों के निवारण के लिए कंपनी की दो निर्धारित योजनाएं हैं– एक श्रमिकों के लिए तथा दूसरी अन्य कर्मचारियों एवं अधिकारियों के लिए। योजना के उद्देश्य के लिए एक शिकायत का मतलब कंपनी नीतियों/ नियमों या प्रबंधन निर्णयों के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी व्यक्तिगत कर्मचारी से संबंधित शिकायत है। ये दोनों योजनाएं तीन स्तरीय समाधान प्रदान करती हैं। प्रत्येक चरण में शिकायत के समाधान के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाती है। इसके अलावा कर्मचारी और अधिकारियों के लिए शिकायत निवारण योजना के मामले में इस योजना के अंतर्गत एक अपीलीय तंत्र भी प्रदान किया जाता है, जहां शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं होने पर पीड़ित कर्मचारी तुरंत संपर्क कर सकता है।

बीएचईएल की स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीति, सभी कर्मचारियों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण प्रदान करने के लिए संगठन की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह नीति आईएसओ 14001 और ओएचएसएएस18001/आईएसओ45001 प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन की आवश्यकताओं के अनुरूप है और इस तक http://www.

बीएचईएल के पास 33,500 से अधिक प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों का एक समृद्ध कार्यबल है

bhel.com/healthsafety/HSE%20POLICY.pdf लिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। नीति को लागू करने के लिए बीएचईएल की सभी इकाइयों/विभागों में एचएसई विभाग है और कॉर्पोरेट एचएसई विभाग संगठन स्तर पर एचएसई मामलों से संबंधित सामरिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। एचएसई नीति हमारे सभी कार्यस्थलों पर प्रमुख रूप से प्रदर्शित होती है ताकि श्रमिकों के बीच जागरूकता पैदा हो सके और स्थानीय भाषा में भी इसका अनुवाद किया जाता है। कार्यस्थलों पर लागू आईएसओ 14001 एवं ओएचएसएएस 18001 प्रबंधन प्रणालियों की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए बाहरी एजेंसियों द्वारा आवधिक लेखा परीक्षा की जाती है जिसमें नीति के कार्यान्वयन और इसके महत्वपूर्ण तत्वों का कार्य शामिल है।

1. मार्च 31, 2020 को नियमित कर्मचारी की कुल संख्याः 33,752 थी।

2. अस्थायी/ संविदा आधार पर कर्मचारियों की कुल संख्याः बीएचईएल कर्मचारियों की अस्थायी/ सामायिक आधार पर भर्ती नहीं करता है। हालांकि, बीएचईएल संगठनात्मक जरूरतों के अनुसार अपने विभिन्न इकाइयों/ प्रभाग/ विभागों में ठेकेदारों को कार्य आवंटन/ काम ठेका इत्यादि देता है। ठेकेदारों के श्रमिकों की संख्या समय–समय पर घटती–बढ़ती रहती है।

3. मार्च 31, 2020 को नियमित महिला कर्मचारियों की संख्या : 1987

4. मार्च 31, 2020 को नियमित दिव्यांग कर्मचारियों की संख्याः 890

5. बीएचईएल में सहभागी प्रबंधन के सिद्धांत के आधार पर कार्यकारी प्रतिनिधियों के साथ श्रमिकों और कंपनी के हित संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए शीर्ष स्तर के द्विपक्षीय निकाय अर्थात बीएचईएल की संयुक्त समिति में प्रतिनिधित्व करने वाले कुल उनतीस ट्रेड यूनियन हैं। उपरोक्त के अलावा बीएचईएल में अधिकारियों और पर्यवेक्षकों हेतु एक–एक यानी कुल दो कर्मचारी संघ हैं।

6. कर्मचारियों की सभी तीन श्रेणियां जैसे– अधिकारियों, पर्यवेक्षकोंऔर श्रमिकों का प्रतिनिधित्व उनकी संबंधित एसोसिएशन/ ट्रेड यूनियनों द्वारा किया जाता है। हालांकि कार्यपालक/ पर्यवेक्षक संघों और श्रमिक संघों की सटीक सदस्यता का पता लगाने के लिए कोई

चेक–ऑफ सुविधा नहीं है, इसलिए कर्मचारियों के तीन वर्गों के संबंध में निश्चित संख्या उपलब्ध नहीं हैं।

7. वर्ष 2019–20 में कंपनी को यौन उत्पीड़न की कुल तीन शिकायतें मिलीं, सभी का संतोषजनक ढंग से समाधान कर लिया गया है। इसके अलावा, बालश्रम/ मजबूर श्रम/ अनैच्छिक श्रम/ भेद–भावपूर्ण रोजगार की कोई शिकायत नहीं मिली है।

वर्ष 2019–20 के दौरान प्रति कर्मचारी प्रशिक्षण मानव–दिवस की कुल संख्या 3.70 है। कंपनी अपने कर्मचारियों को तकनीकी और व्यवहार कौशल में प्रशिक्षण प्रदान करती है। स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण (एचएसई) पहलू पर प्रशिक्षण हमारे प्रस्तावना प्रशिक्षण कार्यक्रम के आवश्यक तत्वों में से एक है। इसके अतिरिक्त आंतरिक और बाहरी संकाय दोनों सदस्यों द्वारा एचएसई पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए बीएचईएल की सभी

बीएचईएल के बहुत सारे कर्मचारी अनुसंधान और विकास कार्य में लगे हुए हैं

विनिर्माण इकाइयों और परियोजना साइटों पर नियमित रूप से भिन्न–भिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। ठेकेदारों के साथ कार्य/ कार्य अनुलग्नक के माध्यम से आने वाले आकस्मिक/ अस्थायी/ संविदा कर्मियों को सुरक्षा पर प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। उन कर्मचारियों का प्रतिशत जिन्हें 2019–20 में सुरक्षा और कौशल (तकनीकी और व्यवहार दोनों) उन्नयन प्रशिक्षण दिया गया था:

क) स्थायी कर्मचारी 40%

ख) स्थायी महिला कर्मचारी 60%

सिद्धांत 4: हितधारकों की वचनबद्धता

बीएचईएल ने अपने पणधारियो के अंतर्गत ''ग्राहक'', ''कर्मचारी'', ''शेयरधारक'', ''वेंडर'' एवं सोसाइटी को शामिल किया है। पणधारियों के हितों एवं उनकी कंपनी से आकांक्षाओं की सुनिश्चितता हेतु प्रक्रियाएं स्थापित है। हितधारकों की सहभागिता द्वारा तथा कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन योजनाओं को स्पष्ट एवं मापनीय लक्ष्यों को बताते हुए प्रमुख समस्याओं की पहचान की जाती है। क्षमता वृद्धि हेतु बीएचईएल इकाइयां नियमित रूप से वेंडर मीट विशेषतः एमएसई (स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं को शामिल करते हुए) का आयोजन करती हैं जो खुला संवाद/ वार्ता के साथ–साथ सहयोग और परस्पर लाभप्रदता प्रदान करती है। ग्राहक ''कस्टमर बैठक'' जैसे कार्यक्रमों से कंपनी से जुड़े रहते हैं। निवेशक समुदाय सम्मेलनों/ बैठकों के माध्यम से जुड़े रहते हैं तथा उन्हें इन बैठकों में उनके निवेश संबंधी जानकारी प्रदान की जाती है।

बीएचईएल ने अपनी विनिर्माण इकाइयों/ क्षेत्रों/ प्रभागों/ साइटों/ कार्यालयों के आसपास के वंचित, कमजोर, गरीब, जरूरतमन्द और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है और उनकी चिंताओं को बीएचईएल की सीएसआर नीति जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और अनुसूची टप्प के अनुपालन में है तथा सीपीएसई के लिए सीएसआर और स्थायित्व पर डीपीई दिशा निर्देशों के साथ–साथ नियम भी बनाए गए हैं।

http://www.bhel.com/index.php/csr_policy

सिद्धांत 5: मानवाधिकार

भारत का संविधान और विभिन्न लागू क़ानूनों के परिपेक्ष्य में बीएचईएल नीतियाँ मानवाधिकारों के सिद्धांतों के अनुरूप है। बीएचईएल में कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बीएचईएल के पास विशेष प्रावधान है। मानवाधिकारों के दुरुपयोग के संदर्भ में, कंपनी में इस तरह की कोई घटना सामने नहीं आई है।

बीएचईएल ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क (जीसीएनआई) भारत का संस्थापक सदस्य है और इसकी पहलों में सक्रिय भागीदार है। वर्ष 2001 से कंपनी वार्षिक आधार पर प्रगति संबंधी जानकारी (सीओपी) जिसमें यूएनजीसी से सिद्धांतों पर कायम रखने में बीएचईएल की प्रतिबद्धता भी शामिल है, के माध्यम से यूएनजीसी के दस सिद्धांतों पर अपने निष्पादन रिपोर्ट प्रस्तुत करती है।

यह सीओपी यूएनजीसी वेबसाइट पर वेब होस्ट है और इस वेबपेज पर https://www.unglob-unglobalcompact-org@participation@report@cop@create&and&submit@active@430394 सीओपी पर http://www.bhel.com/index.php/ungc_program के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।

सिद्धांत 6: पर्यावरण

बीएचईएल में पूर्णतया स्थापित पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ईएमएस) आईएसओ 14001: 2015 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के मानकों की आवश्यकता के अनुरूप है, जिसके आधार पर सभी विनिर्माण इकाइयों और क्षेत्रों ने अपने एचएसई प्रणाली को विकसित किया है। ईएमएस व्यवस्थित ढंग से पर्यावरण से संबधित जोखिमों को सक्रिय रूप से पहचानने और प्रतिबंध करने के लिए एक उत्कृष्ट ढांचा प्रदान करता है। सभी बीएचईएल ईकाइयों के साथ–साथ पावर सेक्टर क्षेत्रों में एचएसई प्रकोष्ठ रणनीतिक मार्गदर्शन करने के लिए शीर्ष स्तर पर कॉर्पोरेट एचएसई विभाग द्वारा समर्थित एचएसई नीति के कार्यान्वयन की देख–रेख करती है। ईएमएस के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रमाण निकाय द्वारा आवधिक लेखापरीक्षा की जाती है और आईएसओ 14001 की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। कंपनी की एचएसई नीति इंटरनेट पर उपलब्ध है और इस पर वेबलिंक के माध्यम से पहुंचा जा सकता है:

http://www.bhel.com/healthsafety/HSE%20POLICY.pdf

एक जिम्मेदार वैश्विक नागरिक के रूप में संगठन ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन के सह–संबंध को स्वीकार करता है। इस वैश्विक चुनौती को हल करने के लिए बीएचईएल अपने उत्पादों और सेवाओं में कार्बन उत्सर्जन को कम करने का प्रयास कर रहा है जिससे ग्राहकों को संयंत्र के जीवन चक्र में पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्थायी तरीके से विद्युत उत्पन्न करने में सक्षम बनाया जा सकता है।

बीएचईएल भोपाल में घरेलू प्रयासों से विकसित 295 kWp सोलर रूफटॉप एसपीवी पैनल

अपने आंतरिक परिचालनों में भी संगठन, ऊर्जा दक्षता और अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है। कंपनी ने बीएचईएल के विभिन्न स्थानों पर कुल 28इंच के सोलर फोटोवोल्टिक (एसपीवी) सयंत्र स्थापित किए हैं जिससे कंपनी को अपने ऊर्जा मिश्रण को अधिक टिकाऊ बनाने में मदद मिली है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन स्रोतों की हमारी सूची में किलोवाट स्केल रूफटॉप और ग्राउंड आधारित एसपीवी प्रणाली, सौर जल हीटर, सौर स्ट्रीट लाइटिंग आदि शामिल हैं।

इस तरह की पहल के परिणामस्वरूप, बीएचईएल ने विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा आधारित प्रणालियों के माध्यम से वर्ष 2019–20 के दौरान 31,130 MT CO_2–e का कम उत्सर्जन किया जो कि वर्ष 2018–19 की तुलना में 18 प्रतिशत अधिक थी। विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से उत्पन्न कुल ऊर्जा वर्ष 2019–20 के दौरान 32.43 मिलियन यूनिट रही, जबकि वर्ष 2018–19 के दौरान 27.60 मिलियन यूनिट थी। कंपनी ने जल व ऊर्जा संरक्षण, वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधन संरक्षण इत्यादि से संबधित कई परियोजनाएं भी शुरू की हैं।

भारत में पहले से ही सुपरक्रिटिकल तकनीक पेश करने के बाद, कंपनी अपने परिचालन जीवन चक्र के दौरान बीएचईएल निर्मित उत्पादों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने की दिशा में आगे भी काम कर रही है। स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत बीएचईएल आईजीसीएआर और एनटीपीसी के सहयोग से स्वच्छ उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। तकनीक सब–क्रिटिकल के 38 प्रतिशतः और सुपरक्रिटिकल सेट के 41–42 प्रतिशत की दक्षता के मुकाबले 45–46 प्रतिशत की लक्षित दक्षता प्राप्त करेगी। नतीजतन, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट की तुलना में कोयले की खपत और CO_2 उत्सर्जन में लगभग 11 प्रतिशत और विद्युत उत्पादन की एक यूनिट के लिए सब क्रिटिकल पावर प्लांट की तुलना में लगभग 20 प्रतिशत की कमी आएगी।

बीएचईएल पहले से ही निर्धारित उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक समाधान प्रस्तुत कर रहा है जो उत्पादन यूटिलिटी के लिए जरूरी है। कंपनी बॉयलर डिजाइन में संशोधन, एसओएक्स उत्सर्जन में कमी के लिए एफजीडी सिस्टम की स्थापना और ईएसपी के कण संग्रह दक्षता में सुधार जैसे कार्य कर रही है। बीएचईएल ने अपने समर्पित आरएंडडी प्रयासों के माध्यम से स्वदेशी रूप से खास उच्च राख कोयला संचालित भारतीय थर्मल पावर प्लांटों के लिए एससीआर तकनीक को विकसित किया है जिसको एनटीपीसी सिम्हाद्रि में प्रदर्शित किया गया है। बीएचईएल ने एससीआर उत्प्रेरक के डिजाइन एवं निर्माण के लिए नैनो कं. लिमिटेड, कोरिया गणराज्य और बाबॉक पॉवर एनवायर्नमेंटल इंक तथा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में एससीआर प्रणाली के डी–एनओएक्स कार्य को पूर्ण करने के लिए अमेरिका के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता (टीसीए) किया है।

बीएचईएल उच्च राख वाले भारतीय कोयले को मेथनॉल में बदलने के लिए प्रौद्योगिकी के विकास पर काम कर रहा है। इस तकनीक के सफल कार्यान्वयन से पेट्रोल के साथ मिश्रित करने के लिए औद्योगिक पैमाने पर मेथनॉल पैदा करने में मदद मिलेगी जो देश के बढ़ते कच्चे तेल आयात बिल पर काफी हद तक अंकुश लगा सकता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा में सुधार कर सकती है। पायलट प्रोजेक्ट का निर्माण और संचालन कार्य प्रगति पर है।

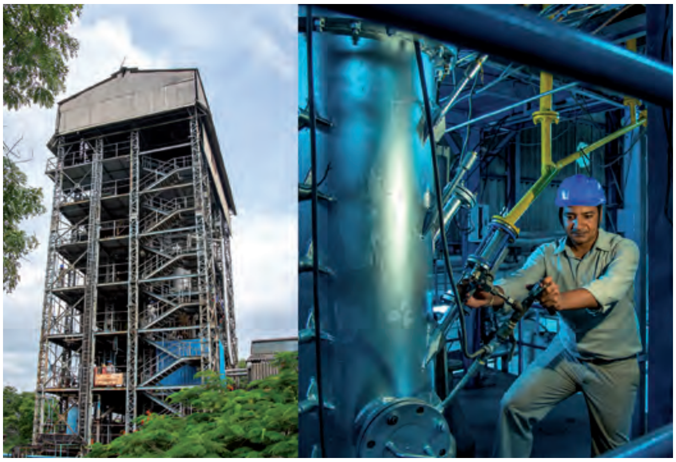

बीएचईएल ने हैदराबाद में कोयला गैसीकरण सुविधा विकसित की

बीएचईएल ने बड़े पैमाने पर निष्क्रिय एमिटर रियर कांटैक्ट (पीईआरसी) प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उच्च दक्षता वाले सौर सेलों का विकास किया है। इस परियोजना में मोनो और मल्टी–सी सौर सेलों का विकास शामिल है और उच्च दक्षता वाले सौर सेलों के उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से तैयार किए जाएंगे। बीएचईएल ने 21 प्रतिशत दक्षता के साथ पैसिवेटेड सिलिकॉन हेटेरोजंक्शन (पीआईएचजे) सोलर सेल्स के विकास का भी काम किया है।

बीएचईएल एएसएससीपी, गुरुग्राम में पीईआरसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए प्रोटोटाइप उच्च दक्षता वाले सौर सेल विकसित किये जा रहे हैं

परिवहन क्षेत्र में, परिवहन के भविष्य के साधन के रूप में इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन की ओर आगे अग्रसर होने के लिए, बीएचईएल पहले से ही ई–बस, स्थायी चुंबक मोटर्स, इंडक्शन मोटर्स, ई–बसों के लिए आईजीबीटी नियंत्रक, ई–मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन विकसित कर रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण निदेशक मंडल (सीपीसीबी)/ राज्य प्रदूषण नियंत्रण निदेशक मंडल

बीएचईएल ने 2019–20 में पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे के लिए नौ वातानुकूलित एसीईएमयू लोकल ट्रेनों की कमीशनिंग की

(एसपीसीबी) से कोई भी कारण बताओ/ कानूनी नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और न ही कोई भी मामला दिनांक 31.03.2020 तक लंबित है।

सिद्धांत 7 : नीति समर्थन (पॉलिसी अडवोकेसी)

बीएचईएल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ (फिक्की), एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचैम), इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (आईईईएमए) और सार्वजनिक उपक्रम (स्कोप) का स्थायी सदस्य होने के साथ ही अनेक उद्योग और व्यापार निकायों का सदस्य है। कंपनी विश्व ऊर्जा परिषद (डबल्यूईसी) की भी सदस्य है जो ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा इक्विटी और पर्यावरणीय स्थिरता पहलुओं को संतुलित करने वाली नीतियों को बढ़ावा देने में सक्षम है। बीएचईएल, नीति से संबंधित मामलों में अपने विचारों और राय को सामने रखने के लिए ऐसे निकायों (जैसे– सेमिनारों और बैठकों में भागीदारी, कार्य समूहों में भागीदारी आदि) के साथ बातचीत के विभिन्न तंत्रों का उपयोग करता है।

कंपनी के हितों को सरकारी प्रश्नों के जवाब, जानकारी साझा करने, सर्वेक्षणों के उत्तर, उद्योग की जरूरतों पर प्रतिक्रिया जैसी सरकारी नीतियों का गठन, वित्तीय बजट के क्षेत्र में सरकारी नीतियों का निर्माण, विदेशी व्यापार, कंपनी कानून, औद्योगिक नीति, पूंजीगत वस्तु नीति, निर्यात संवर्धन इत्यादि की प्रविष्टि के माध्यम से दर्शाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग को और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी के विचार विभिन्न अंतर–सरकारी मंचों जैसे संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जेएमसी), संयुक्त संचालन समिति (जेएससी), संयुक्त कार्य समूह (जेडबल्यूजी), संयुक्त व्यापार समिति (जेटीसी), संयुक्त आर्थिक और व्यापार समिति (जेसीओसीओ), संयुक्त आयोग आर्थिक निगम (जेसीईसी), वर्किंग ग्रुप ऑन ट्रेड (डबल्यूजीटी), आदि में प्रस्तुत किए जाते हैं। कंपनी डीएचआई, डीपीई, डीआईपीपी, नीति आयोग जैसे सरकारी निकायों के साथ भी विचारों का आदान–प्रदान करती है और राष्ट्रीय विद्युत नीति, रोजगार उत्पादन, विकास और कौशल विकास की चुनौतियाँ, भारत में मेक इन हाउस आर–डी, मानव संसाधन प्रबंधन, सीपीएसई के विकास के लिए रोड मैप आदि जैसे नीतियों के निर्माण में भी भाग लेती है।

कंपनी ने देश में प्रौद्योगिकी के आधार को मजबूत करने वाली कौशल विकास, भारतीय विद्युत क्षेत्र के विकास, पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विकास और भारतीय विनिर्माण उद्योग, निर्यात, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के विकास आदि नीतियों के विकास में सुशासन के माध्यम से विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिया है।

सिद्धांत 8: समावेशी विकास

बीएचईएल के पास अच्छी संरचित संगठनात्मक सेट–अप, नीति और प्रक्रियाएं हैं जिनके माध्यम से विभिन्न सीएसआर कार्यक्रमों को लागू किया जाता है। सीएसआरनीति ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–VII से कई गतिविधियों की प्रमुख क्षेत्रों के रूप में पहचान की है। इन गतिविधियों को सात शीर्षकों जैसे स्वच्छ भारत, हरित भारत, स्वस्थ भारत, विरासत भारत, समावेशी भारत, शिक्षित भारत और जिम्मेदार भारत के शीर्षकों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। नीति वेबसाइट लिंक http://www.bhel.com/index.php/csr_policy पर उपलब्ध है और जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 की आवश्यकताओं के अनुरूप है।

नीति को यूनिट स्तरीय सीएसआर कमेटी के साथ कॉर्पोरेट स्तर (निदेशक मंडल, सीएसआर पर निदेशक मंडल स्तरीय समिति और लेवल–1 समिति) पर तीन स्तरीय संरचना के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कंपनी देश भर में कई सामाजिक पहल की सहायता करती है जो सीएसआर नीति के अनुरूप विशिष्ट एजेंसियों जैसे एनजीओ, सरकारी एजेंसियों के माध्यम से समाज के गरीब, जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद की जाती है। बीएचईएल ने स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छ भारत, पर्यावरण संरक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल विकास कार्यक्रम, बुनियादी ढांचा विकास और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के क्षेत्र में कई सीएसआर पहल की हैं, जिन्होंने अंततः समाज के समग्र कल्याण और समावेशी विकास में योगदान दिया है। समाज को अधिक से अधिक लाभ प्रदान करने और शुरू की गई पहलों की सुनिश्चितता के उद्देश्य से सीएसआर परियोजनाओं की निगरानी और पर्यवेक्षण किया जाता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान, सीएसआर गतिविधियों को वार्षिक रिपोर्ट के अनुलग्नक IV में संलग्न किया गया है। इसके अलावा परियोजना का विवरण लिंक http://www.bhel.com/index.php/projects पर देखा जा सकता है।

सीएसआर के माध्यम से समावेश विकास के अलावा, कंपनी सरकार द्वारा अनिवार्य रूप से अल्पसंख्यकों और महिलाओं के प्रतिनिधित्व के साथ–साथ समाज के सामाजिक–आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व के लिए भर्ती और पदोन्नति में सकारात्मक कार्यवाही करती है। कंपनी सभी को समान अवसर प्रदान करने वाली नियोक्ता है जो भर्ती एवं रोजगार के संबंध में लिंग जाति, धर्म, भाषाई, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती है।

सिद्धांत 9 : ग्राहक मूल्य

ग्राहक मूल्य बीएचईएल की संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा है जो हमारे विज़न, मिशन और मूल्य में भी दिखाई देता है। बीएचईएल लगातार उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से ग्राहकों के लिए महत्व बनाने की दिशा में काम कर रहा है। लागू कानून की अनिवार्य आवश्यकता के अलावा, कंपनी अपनी आवश्यकताओं और अनुलग्नकों की शर्तों के अनुसार ग्राहकों को विस्तृत उत्पाद लेबल/ नाम प्लेट एवं परीक्षण प्रमाण–पत्र प्रदान करती है।

बीएचईएल के विविध और बड़े पैमाने पर परिचालन की प्रकृति को देखते हुए, ग्राहक शिकायतों को पंजीकृत और कई तरीकों से हल किया जाता है। दो केंद्रीकृत ऑनलाइन शिकायत प्रणाली जैसे कस्टमर केयर मैनेजमेंट सिस्टम (सीसीएमएस) और साइट एक्शन रिक्वेस्ट (एसएआर)/कमीशनिंग एक्शन रिक्वेस्ट (सीएआर) समाधान प्रणाली चालू हैं। वर्ष 2019–20 में ग्राहक द्वारा रिपोर्ट किए गए मुख्य गुणवत्ता वाले मुद्दों को मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) के लिए लिया गया था जिसमें अट्ठाइस मामलों का समाधान किया गया। शिकायतों के अलावा, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण, ग्राहकों की बैठक और आमने–सामने बातचीत एवं प्रशंसा पत्रों के माध्यम से ग्राहक प्रतिक्रिया नियमित रूप से ली जाती है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार प्रथाओं, गैर–जिम्मेदार विज्ञापन और/या विरोधी प्रतिस्पर्धा व्यवहार के संबंध में कंपनी के खिलाफ किसी भी हितधारक द्वारा कोई मामला दायर नहीं किया गया है और न ही कोई मामला वित्तीय वर्ष के अंत दिनांक 31 मार्च 2020 तक लंबित है।

अनुसंधान एवं विकास
तथा प्रौद्योगिकी
उपलब्धियां

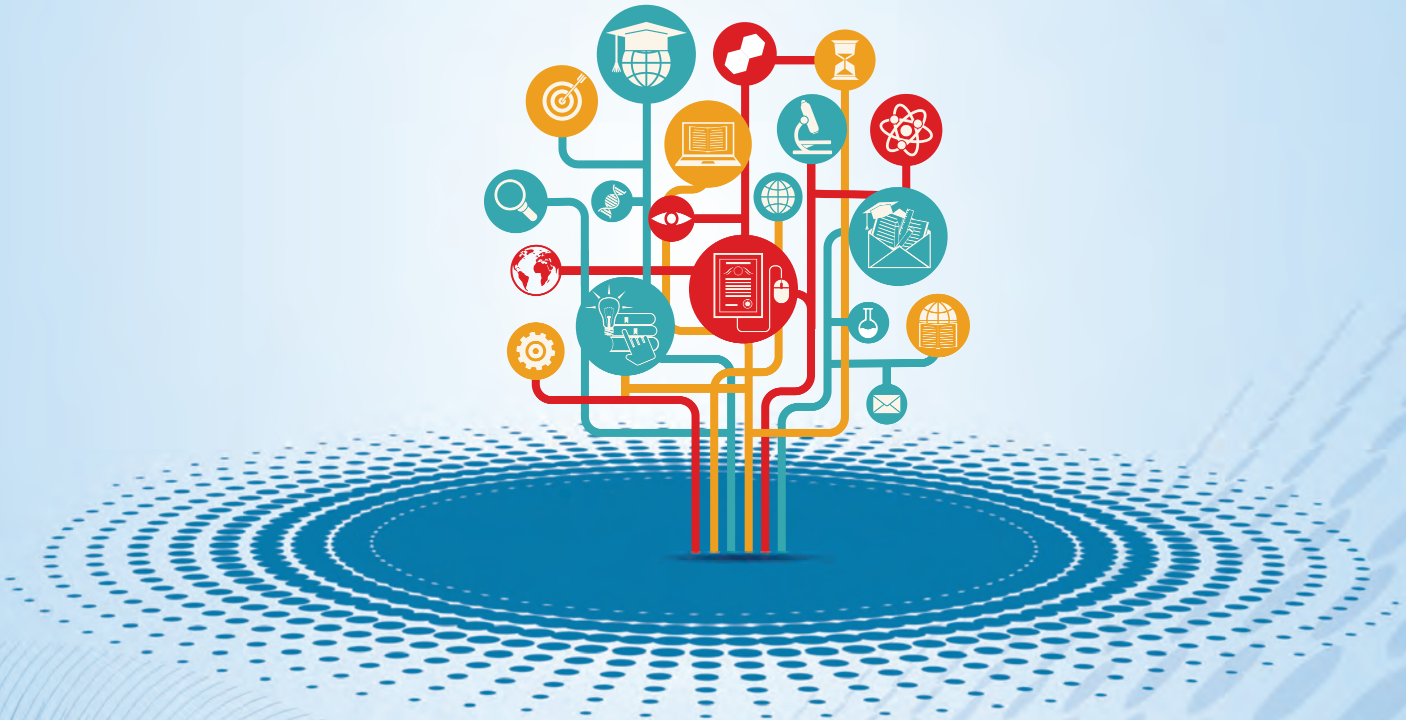

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक– VI

अनुसंधान और विकास तथा तकनीकी उपलब्धियां

6.1 अभिनव प्रयास

नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (इनोवेशन इकोसिस्टम), बीएचईएल मेंव्यवसाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर तकनीकी विशेषताओं के साथ नए उत्पादों और प्रणालियों को लाने के लिए तैयार है। ठोस वृद्धि प्राप्त करने के लिए, बीएचईएल ने विश्वसनीय उत्पादों को प्रदान करने के लिए अपने नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को व्यवस्थित किया है जो न केवल लागत–प्रतिस्पर्धी हैं बल्कि निष्पादन और दक्षता में भी उच्चतर हैं।

बाजार की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए बीएचईएल के पास प्रौद्योगिकियों केइन–हाउस विकास के लिए एक मजबूत इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) आधार है। बीएचईएल, अपने कार्यबल के विकास के लिए नवाचार पारिस्थिति की तंत्र में ज्ञान और सूचना की अधिकता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।

बीएचईएल ने अग्रणी वैश्विक विनिर्माण और इंजीनियरिंग कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौता किया है। कंपनी ने भारतीय ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रौद्योगिकियों को सफलतापूर्वक स्वदेशी कर दिया है और अपने स्वयं के कार्यों में विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना की है।

चल रहे प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते

विदेशी कंपनियों के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग

क्र.सं.	सहयोगी का नाम	उत्पाद
1	जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जीएमबीएच, स्विट्जरलैंड	बॉयलर और कोल पुलवेराइजर्स के माध्यम से एक बार
2	मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान	पंप्स
3	सीमेंस एजी, जर्मनी	स्टीम टर्बाइनों, जेनरेटरों और लेटरल/ एक्सियल कंडेनसर्स
4	न्यूओवो पिगनोन एसआरएल, इटली	अपकेंद्र कंम्प्रेशरों
5	टीएलटी– टर्बो जीएमबीएच, जर्मनी	पंखे
6	मित्सुबिशी हिताची पावर सिस्टम्स लिमिटेड, जापान	ग्रिप गैस निर्गंधकीकरण (फयूल गैस डिसल्फराइजेशन)
7	ओटो मेलारा, इटली ** (** फिनमेकेनिका एस.पी.ए., इटली केसाथ विलय)	76/62 सुपर रैपिड गन माउंट
8	वोग पावर इंटरनेशनल इंक, यूएसए	हीट रिकवरी स्टीम जेनरेटर्स
9	कावासाकी हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जापान	मेट्रो के लिए स्टेनलेस स्टील कोचे और बोगियां
10	एचएलबी पावर कंपनी लिमिटेड, कोरिया	गेट्स और डैम्पर्स
11	नानो कंपनी लिमिटेड कोरिया	डी–एनओएक्स अनुप्रयोगों के लिए एससीआर उत्प्रेरक
12	बैबॉक पॉवर एनवायरमेंटल इंक, यूएसए	डी–एनओएक्स अनुप्रयोगों के लिए एससीआर प्रणाली
13	जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी जीएमबीएच, स्विट्जरलैंड	परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700 मेगावाट स्टीम टरबाइन

भारतीय प्राधिक्रण के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग

1.	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), भारत	अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम आयन कक्ष

6.2 आरएंडडी रणनीति

बीएचईएल ने रणनीतिक रूप से विविध विकास हेतु इन पांच–आयामी दृष्टिकोणों – रणनीतिक दिशा, पोर्टफोलियो प्रबंधन, साझेदारी और गठबंधनों, ज्ञान प्रबंधन और प्रदर्शकों के माध्यम से मिलकर एक संरचित और केंद्रित तरीके से अपने नवाचार पारिस्थिति की तंत्र को सुव्यवस्थित किया है।

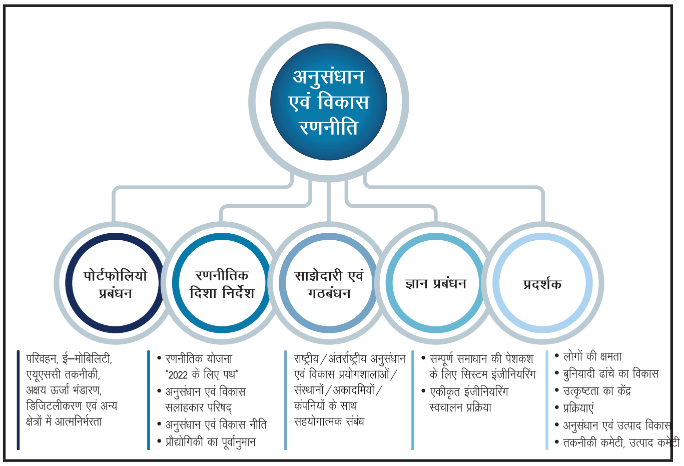

6.3 आरएंडडी संरचना

कंपनी का आरएंडडी संगठनात्मक ढांचा निदेशक (ई, आरएंडडी) के नेतृत्व में है, जो कॉर्पोरेट स्तर पर कॉर्पोरेट प्रौद्योगिकी प्रबंधन (सीटीएम) द्वारा समर्थित है। सीटीएम, एकीकृत और केंद्रित तरीके से कंपनी की सुदृढ़ इंजीनियरिंग और आरएंडडी क्षमताओं कोमजबूत करने के लिए जिम्मेदार है ताकि उत्पाद विकास और इंजीनियरिंग में मजबूत क्षमताओं का निर्माण किया जा सके जो मुख्य रूप से बाजार की बढ़ती मांगों के लिए जवाबदेही निर्देशित करता है। इकाइयों में प्रत्येक उत्पाद समूह ने अनुसंधान और उत्पाद विकास (आरपीडी) समूह को समर्पित किया है, जो हैदराबाद में एक केंद्रीकृत कॉर्पोरेट अनुसंधान और विकास प्रभाग द्वारा पूरक है। कंपनी का नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र (इनोवेशन इकोसिस्टम) अच्छी तरह से सुसज्जित अत्याधुनिक आरएंडडी इन्फ्रास्ट्रक्चर द्वारा समर्थित है और इसे दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के रूप में बेंचमार्क किया गया है। कंपनी के आरएंडडी बुनियादी ढांचे में कॉर्पोरेट आरएंडडी और निर्माण इकाइयों में प्रयोगशालाएं, उत्कृष्टता केंद्र, विशिष्ट अनुसंधान संस्थान आदि निहित हैं।

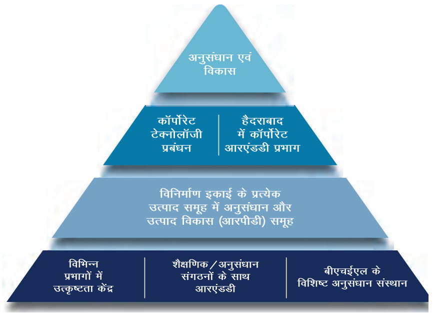

कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद के प्रयोगशाला परिसर का एरियल व्यू

- बीएचईएल के 14 उत्कृष्टता केंद्र हैं।

कॉर्पोरेट आरएंडडी हैदराबाद में

- इंटेलीजेंट मशीनें और रोबोटिक्स
- मशीन की गतिशीलता
- कंप्रेशर्स एंड पंप्स
- नैनो–प्रौद्योगिकी
- यूएचवी प्रयोगशाला
- सिम्युलेटर्स
- अभिकलनात्मक जटिलता द्रव गति की (कम्पयूटेशनल फ्लूड डायगनिक्स)
- धरातल अभियाँत्रिकी (सर्फेश इंजीनियरिंग)
- स्थायी चुंबक मशीनें
- उन्नत संचरण (एडवांस्ड ट्रांसमिशन)

बेंगलुरु में

- पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आईजीबीटी और नियंत्रक प्रौद्योगिकी
- नियंत्रण और यंत्रीकरण के लिए उत्कृष्टता केंद्र

भेल मेथनॉल रूपांतरण के लिए भारतीय कोयले जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों पर काम कर रहा है

तिरुचिरापल्ली में

- कोयला अनुसंधान केंद्र
- उन्नत फैब्रीकेशन प्रौद्योगिकी

इसके अतिरिक्त, बीएचईएल के 05 विशिष्ट अनुसंधान संस्थान हैं

बीएचईएल के विशिष्ट अनुसंधान संस्थान

- प्रदूषण नियंत्रण और अनुसंधान संस्थान (पीसीआरआई), हरिद्वार
- वेल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (डब्ल्यूआरआई), त्रिची
- सिरेमिक टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (सीटीआई), बेंगलुरु
- विद्युत परिवहन केंद्र (सीईटी), भोपाल
- एमारफस सिलिकान सोलर सेल प्लांट (एएसएससीपी) सिलिकॉन सौर सेल संयंत्र, गुरुग्राम

कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद स्थित एक्सियल फैन की गति और प्रवाह परीक्षण केंद्र

इंजीनियरिंग प्रक्रियाओं में नवाचार, डिजाइन अनुकूलन और सभी उत्पादों में समय – चक्र को कम करके लागत में कमी लाने के लक्ष्य पर आधारित होता है। ज्ञान पर आधारित इंजीनियरिंग में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए,बीएचईएल ने केबीई KBE / पीएलएम PLM गतिविधियों में विशेषज्ञता और सुविधा हेतु कई केबीई KBE परियोजनाओं की शुरुआत की है।

शिक्षा और आर एंड डी संस्थानों से उपलब्ध ज्ञान का लाभ उठाने के लिए, बीएचईएल के पास ज्ञापन समझौता (एमओयू) है जिसमें प्रमुख अकादमिक और आर एंड डी संस्थानों के साथ–साथ आधारभूत शोध भी शामिल हैं।

शैक्षणिक/ अनुसंधान संगठनों के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास

- भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बॉम्बे
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर), नई दिल्ली
- भारतीय संस्थान इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिबपुर
- पाउडर धातुकर्म के लिए अंतर्राष्ट्रीय उन्नत अनुसंधान केंद्र और नई सामग्री (एआरसीआई), हैदराबाद
- मिश्र धातु निगम लिमिटेड, हैदराबाद
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भुवनेश्वर
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तिरुचिरापल्ली
- राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई
- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), पुणे
- पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद स्थित पंप तथा कम्प्रेसर के लिए रेटिंग एवं परीक्षण केंद्र

6.4 वर्ष के दौरान उपलब्धियां

कंपनी के समर्पित अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में नए/ बेहतर उत्पादों, प्रक्रियाओं और प्रणालियों का विकास हुआ है। वर्ष के दौरान प्रमुख आर एंड डी घटनाक्रम निम्न हैं:

- 12 मीटर इलेक्ट्रिक बस का आद्यरूप जिसने सफलतापूर्वक सीएमवीआर अनुपालन स्वीकृतियों के परीक्षणों को पूरा किया और आईसीएटी – मानेसर से टीएसी–टाइप अनुमोदन प्रमाणन प्राप्त किया। सफल विकास के आधार पर, उत्तर प्रदेश राज्य के शहरी परिवहन निदेशालय से दो इलेक्ट्रिक बसों की आपूर्ति के लिए एक आदेश प्राप्त किया गया था।
- भारत में पहली बार अंतरिक्ष ग्रेड लिथियम–आयन सेल्स के निर्माण के लिए अत्याधुनिक सुविधा की स्थापना जहां अंतरिक्ष ग्रेड 5 एएच सेल्स का निर्माण पहले ही किया जा चुका है।
- स्वदेशीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, रणनीति अनुप्रयोग के लिए एसी और डीसी मशीन की 500 किलो वाट के मुख्य मोटर जनरेटर का डिजाइन और निर्माण करके असेम्बली किया गया।
- एनटीपीसी बाढ़ स्टेज– II में बड़े आकार के डिस–मांटलिंग टाइप बाइप्लेन डैम्पर के डिजाइन, असेंबलिंग और निर्माण तथा एफजीडी प्रणाली में एनटीपीसी तेलंगाना के लिए 13400 एमएम (एच) x 6500 एमएम (डब्ल्यू) आकार के डिस–मांटलिंग टाइपगिलोटिन गेट के ओपन/ क्लोज ट्रायल ऑपरेशन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया।
- नए डिजाइन के 490 किलोवाट अल्टरनेटर का विनिर्माण और परीक्षण किया गया। इसने नौसेना के कड़े निरीक्षण और गुणवत्ता मानदंडों को पूरा किया तदुपरांत नौसेना के उपयोग के लिए आपूर्ति की गई है।
- ऑन–लाइन शाफ्ट और बेयरिंग वाइब्रेशन मॉनिटरिंग तथा निदान प्रणाली को स्वयं से विकसित किया गया है जो कि 12,000 आरपीएम तक की उपयुक्त घूर्णन मशीनों के खराब होने के संभावित कारणों को लगातार ट्रैक और कैप्चर करता है। इस सिस्टम में टरबाइन, जनरेटर और मोटर्स के कंपन निदान को निर्मित किया गया है।
- केसिंग कंपन मापन प्रणाली (सीवीएमएस) की स्थापना, ब्लेड की स्थिति की जाँच के लिए एक सरल और किफायती तकनीक है जो टरबाइन ब्लेड के अच्छाई का आकलन करने के लिए एलपी टरबाइन केसिंग कंपन विश्लेषण का उपयोग करती है। इस प्रणाली का सिंगरेनी टीपीएस में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।
- अत्यधिक अपघर्षक ग्रैंस का उपयोग करते हुए सिरेमिक मिश्रित आधारित उच्च क्रोम बाल्स और बाउल मिल रोल्स का विकास। सिरेमिक नैनो–कम्पोजिट मेटल मैट्रिक्स आधारित ग्राइंडिंग रोल्स का निर्माण अनुमानित न्यूनतम 9000 घंटे परिचालन समय के साथ किया गया। विकसित ग्राइंडिंग रोल्स, टीएसजी इएनसीओ भूपालपल्ली साइट पर दीर्घकालिक क्षेत्र परीक्षण के लिए रखी गई हैं।
- 1000 एएच बैटरी बैंक द्वारा समर्थित 18केड्ब्ल्यूपी ग्रिड कनेक्टेड सोलर ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना। 230 वोल्ट और 15 एम्पियर रेटिंग के दो चार्जरों को, छह कारों की विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने हेतु डिज़ाइन करके, स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ में संस्थापित किया गया है।
- 5 किलोवाट कम तापमान प्रोटॉन इलेक्ट्रोलाइट एक्सचेंज (एलटीपीइएम) ईंधन सेल और सिस्टम के विभिन्न घटकों जैसे तरल ठंडा द्विध्रुवी प्लेटों, वायु और ईंधन की आपूर्ति, आर्द्रीकरण, पावर कंडीशनिंग और नियंत्रण प्रणाली का विकास। इसका उपयोग बैक अप विद्युत अनुप्रयोगों, सामग्री हैंडलिंग और स्थिर विद्युत उत्पादन में फोर्कलिफ्ट्स में किया जा सकता है।
- स्टील उद्योग के लिए उपयुक्त, सर्ज और चोक मार्जिन के साथ अत्याधुनिक दक्षता स्तर (88%) प्राप्त, मैसर्स आरआईएनएल, विजाग हेतु उच्च प्रवाह को पूरा करने के लिए आवश्यक बहु आयामी कंप्रेसर के एयरोमेकेनिकल डिज़ाइन को सफलता पूर्वक पूर्ण किया गया।

विकास और सफल गतिशील शॉर्ट सर्किट परीक्षण

- 2x800 मेगावाट एनटीपीसी तेलंगाना सुपर टीपीपी फेज– I के लिए उच्चतम रेटिंग 315 एमवीए, 24/420 केवी, 1–फेज जेनरेटर ट्रांसफार्मर, एनएचपीटीएल बीना में।
- 2 x 315 एमवीए पॉवर ग्रिड भीमल के लिए 315एमवीए, 400/220 / 33केवी, 3–फेजइंटरकनेक्टिंग ट्रांसफार्मर का एनएचपीटीएल बीना में।
- मैसर्स डीओओएसएएन के लिए 100 एमवीए, 400 केवी, 3–फेज स्टेशन ट्रांसफॉर्मर का सीपीआरआई बैंगलोर में।

विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कॉम्पैक्ट और कुशल मोटर्स का विकास

- टीएसजीइएनसीओ, यादाद्री परियोजना के लिए सीएसीड्ब्ल्यूनिर्माण में सबसे बड़ी रेटिंग 11.8एम ड्ब्ल्यू आईडी फैन मोटर।
- तेल–रिग (मड पंप) अनुप्रयोग के लिए कम कंपन वाले फ्रेम रहित संरचना के साथ 850 किलोवाट 3–फेज एसी मोटर।
- ज़ोन –1/ 2 गैस समूहः आईआईसी, टी खतरनाक वातावरण के लिए सीएसीड्ब्ल्यू निर्माण में सबसे बड़ी रेटिंग 10.58 एमडब्ल्यू
- 6.6 केवी, 4 पोल प्रेसराइज्ड केज मोटर।
- **एयूएससी परियोजना के अंतर्गत, निम्नलिखित विकास पूरे हो गए हैं**
- मंद आवर्तन क्लांति और धीमी चाल (लो साइकिल फेटिग और क्रीप) के स्थान पर उच्च स्पिन रोटर टेस्ट रिग (डीएसटी परियोजना) का संस्थापन।
- आईएन 617एम और इन्कोनेल 740 के पाइपिंग बेंड्स के लिए उच्च तापमान भट्ठी (12टन) का संस्थापन।

- उच्च तापमान अनुप्रयोगों के लिए बॉयलर ट्यूब (मिश्र धातु 617 और मिश्र धातु 740) सामग्री के विनिर्माण प्रौद्योगिकी (बेन्डिंग और वेल्डिंग) की स्थापना।
- मिश्र धातु 617 (यानी फेज्ड एरे अल्ट्रासोनिक परीक्षण (पीएयूटी) और मिश्र धातु 625 (रेडियोग्राफी परीक्षण) के लिए नई एनडीटी विधि की स्थापना।
- आईपी रोटर (10 सीआर– मिश्र धातु 617 एम) और आईपी टरबाइन केसिंग (12 सीआर– मिश्र धातु 617 एम) के लिए द्विधात्विक वेल्डिंग प्रौद्योगिकी की स्थापना।
- मिश्र धातु 617 ब्लेड के लिए विनिर्माण प्रौद्योगिकी की स्थापना और पांच अक्षीय टरबाइन ब्लेड मशीनिंग की संस्थापना।
- सीमेंस–डीसीएम श्रीराम, कोटा को आपूर्ति किए गए कॉम्पैक्ट ओवरहैंग ब्रशलेस एक्साईटर के साथ 82.5 एमवीए, 66एमड्ब्ल्यू, 11 केवी, 50 हर्ट्ज, 3000 आरपीएम एयर कूल्ड टर्बो जेनरेटर का सफल डिजाइन और इन–हाउस परीक्षण।
- एचपीसीएल विजाग परियोजना के लिए एक कॉम्पैक्ट बीसीएल 407/बी हाइड्रोजन रिसाइकिल गैस कंप्रेसर का डिजाइन और निर्माण।
- एनटीपीसी उत्तरी करनपुरा (3X660एम डब्ल्यू) एफजीडी बूस्टर फैन के लिए अक्षीय फैन, आकार एसएएफ 40/20–1 का स्वदेशी डिजाइन एवं निर्माण।

6.5 अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी विकास के लिए केंद्रीकृत क्षेत्र

बीएचईएल निम्नलिखित उभरते और मौजूदा क्षेत्रों में क्षमताओं को बनाने और समेकित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है:

- एनटीपीसी और आईजीसीएआर के साथ कंसोर्टियम में भविष्य के थर्मल पावर संयंत्रों के लिए उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल (एयूएससी) प्रौद्योगिकी का विकास।
- ई–मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए समाधानों का विकास जिसमें ई–बस, पावर ट्रेन, चार्जिंग स्टेशन, ऊर्जा भंडारण प्रणाली आदि शामिल हैं।
- फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन सिस्टम की प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण।
- विद्युत संयंत्र का सरलतम परिचालन और अवशिष्ट जीवन (रेसिड्युअल लाइफ) मूल्यांकन अध्ययन।
- इलेक्ट्रिक लोको, मेमू, कोच निर्माण मेट्रो और हाई–स्पीड ट्रेन सेटों के लिए तीन–चरण एसी ड्राइव सिस्टम के क्षेत्रों में रेल परिवहन के लिए सम्पूर्ण समाधान।
- हाइड्रोजन इकोनॉमी और फ्यूल सेल्स अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद और प्रणाली।
- उच्च क्षमता और लंबे समय तक चलने वाले वाले बड़े आकार के हाइड्रो पावर प्लांट
- लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए उत्पाद और प्रणाली।
- उच्च राख वाले भारतीय कोयले से हरित ईंधन (मेथनॉल, हाइड्रोजन आदि) उत्पन्न करने के लिए स्वदेशी तकनीक का विकास।
- डिजिटल सब स्टेशन और उन्नत पावर ट्रांसमिशन जैसे.. 800केवी एचवीडीसी, 765 केवी, 1200 केवी के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम हेतु उत्पाद एवं प्रणाली।
- उच्च दक्षता वाले सौर सेल्स, ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा सोलर पीवी अनुप्रयोगों का विकास ।
- रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए उत्पाद और प्रणाली।
- सिरेमिक और नैनो–प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों सहित सतह कोटिंग्स।
- इंटेलिजेंट मशीन और रोबोटिक्स तथा एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी सहित नई तकनीकों की तैनाती के साथ उद्योग 4.0 का अनुप्रयोग।
- ईपीसी सहित डिजाइन स्वचालन/ केबीई/ पीएलएम पर ध्यान देने के साथ ज्ञान प्रबंधन और सम्पूर्ण इंजीनियरिंग समाधान।

बीएचईएल के पास कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद स्थित नैनो टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र में नैनोकम्पोजिट्स के विकास और प्रोटाइपिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

कॉर्पोरेट अनुसंधान एवं विकास, हैदराबाद स्थित उन्नत ट्रांसमिशन प्रणाली उत्कृष्टता केंद्र में विश्लेषणात्मक और सिमुलेशन अध्ययन किया जा रहा

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII

7.1 ऊर्जा का संरक्षण

कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण पर प्रमुखता से बल देने और पिछले वर्षों के दौरान किए गए उपायों को जारी रखा है। विनिर्माण इकाइयों में ऊर्जा संरक्षण की पहल विद्युत की उच्च दक्षता प्राप्त करने और उपयोग किए जाने वाले ईंधन के लिए की जाती है। वर्ष के दौरान किए गए कुछ ऊर्जा संरक्षण उपायों में शामिल हैं:

क) पुरानी अप्रभावी प्रकाश व्यवस्था को विभिन्न प्रकार/क्षमताओं के एलईडी जैसे ऊर्जा कार्यक्षम प्रकाश व्यवस्था के साथ बदलना।

ख) सीएफएफपी–हरिद्वार में रि–हीटिंग फरनेस का संरचनात्मक पुनरुद्धार करना।

ग) एफएसआईपी–जगदीशपुर में ओवरहेड लाइट के स्विचिंग के लिए सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल सिस्टम की स्थापना करना।

घ) कर्मचारियों के बीच ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता का प्रसार करना।

वर्ष के दौरान, इंटर–यूनिट एनर्जी ऑडिट टीमों द्वारा एचपीईपी–हैदराबाद और एचईपी–भोपाल इकाइयों में एनर्जी ऑडिट किए गए।

इकाइयां चरणबद्ध तरीके से आईएसओ 50001 (ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणन प्राप्त कर रही है। सीएफएफपी–हरिद्वार, एचईईपी–हरिद्वार, एचईपी–भोपाल, एचपीईपी–हैदराबाद, ईपीडी–बैंगलोर, एचपीबीपी–त्रिची इकाई # 1, एचपीबीपी–त्रिची इकाई# 2, पीपीपीयू–तिरुमयम और बीएपी–रानीपेट इकाइयां आईएसओ 50001 प्रमाण पत्र पहले ही प्राप्त कर चुकी है। वर्ष 2019–20 के दौरान, एचईआरपी–वाराणसी इकाई भी आईएसओ 50001 प्रमाणित हो चुकी है।

वर्षों से बीएचईएल में 29 सौर स्थापनाओं के माध्यम से 28 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है।

7.2 प्रौद्योगिकी समावेशन और अनुसंधान एवं विकास:

अनुसंधान एवं विकास

1. विशिष्ट क्षेत्र जिनमे कंपनी द्वारा अनुसंधान एवं विकास कार्य किए गए।		निदेशक मंडल की रिपोर्ट में अनुलग्नक–VI के अंतर्गत 'अनुसंधान एवं विकास तथा प्रौद्योगिकीय उपलब्धियां' में
2. उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के फलस्वरूप प्राप्त लाभ।		
3. ध्यान दिए जाने वाले भावी क्षेत्र।		
4. अनुसंधान एवं विकास पर खर्च:		
कुल	..	766.52 करोड़ रुपए
क) आवर्ती	..	763.23 करोड़ रुपए
ख) पूंजी		3.29 करोड़ रुपए
सम्पूर्ण कारोबार में खर्च का प्रतिशत	..	3.74 प्रतिशत

7.3 प्रौद्योगिकी समावेशन:

पिछले 5 वर्षों के दौरान आयातित प्रौद्योगिकी का विवरण:

प्रौद्योगिकी	आयातित वर्ष	समावेशन स्थिति
स्टेनलेस स्टील मेट्रो कोच एवं बोगियां	2017	प्रौद्योगिकी समावेशन प्रगति पर है।
गेट एवं डेम्पर	2018	
सिलेक्टिव केटेलिटिक रिडक्शन (SCR) केटेलिस्ट	2018	
एस सी आर प्रणाली	2018	
न्यूक्लियर पीएचडबल्यूआर एप्लीकेशन के लिए स्टीम टरबाइन	2018	
स्पेस ग्रेड लिथियम आयन सेल्स	2018	

7.4 विदेशी मुद्रा आय और व्यय (रुपए करोड़ में):

विवरण	2019–20	2018–19
उपयोग मे लाई गई विदेशी मुद्रा	4031	2482
कमाई गई विदेशी मुद्रा	3880	3787

निदेशक मंडल के लिए की ओर से
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

डॉ. नलिन सिंघल
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.02.2020

निदेशक मंडल रिपोर्ट का अनुलग्नक–VII A

7.1क राजभाषा कार्यान्वयन

कंपनी की 03 इकाइयों को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 19 अप्रैल, 2019 को आयोजित प्रबंधन समिति की बैठक में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा शील्ड प्रदान की गई। कॉर्पोरेट कार्यालय सहित सभी इकाइयों/प्रभागों में हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा/माह का आयोजन किया गया, जिसके दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि–सम्मेलन आदि आयोजित किए गए। दिल्ली/एनसीआर स्थित कार्यालयों में राजभाषा उल्लास पर्व का आयोजन किया गया। हिंदी दिवस समारोह का आयोजन दिनांक 13 सितम्बर, 2019 को अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक महोदय की अध्यक्षता में किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उच्चतम न्यायालय की एडवोकेट श्रीमती मोनिका अरोड़ा को आमंत्रित किया गया था।

कंपनी विभिन्न नगरों में स्थित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। इन समितियों के तत्वावधान में अनेक रोचक प्रतियोगिताएं, सेमिनार, सम्मेलन और कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें हमारे कर्मचारी उत्साहपूर्वक भाग लेते है और विजेता बन पुरस्कार जीतते है। इसी के साथ हमारी हिंदी पत्रिकाओं को भी नराकास द्वारा पुरुस्कृत किया गया है। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के द्वारा कार्पोरेट कार्यालय को उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया और हमारी हिंदी पत्रिका अरुणिमा को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ।

कंपनी में कुल 17 हिंदी पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान, 30 कर्मचारियों को कॉर्पोरेट कार्यालय की हिंदी पत्रिका अरुणिमा में प्रकाशित उनके उत्कृष्ट लेखों के लिए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पर सभी इकाइयों/प्रभागों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया। संस्मरण लेख, हिंदी शब्दकोश ज्ञान, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

इस वर्ष विभिन्न इकाइयों/कार्यालयों के लगभग 1000 अधिकारियों/कर्मचरियों को राजभाषा प्रशिक्षण दिया गया।

बीएचईएल की अरुणिमा पत्रिका को टीओएलआईसी पुरस्कार प्रदान करते हुए

7.2क सतर्कता प्रणाली

सतर्कता औचक जाँच और निरीक्षणों ने ऐसे मामलों को सामने लाया है जहाँ बीएचईएल इकाई (यों) द्वारा आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को जारी किए गए अनुभव प्रमाण पत्र जाली हैं और उन्हें अन्य बीएचईएल इकाई (यों)/पीएसयू/सरकारी विभाग में उनकी निविदाओं में भाग लेने के लिए प्रस्तुत किए गया है। निवारक सतर्कता पहल के रूप में, और इस तरह के प्रकरणों को सामाप्त करने के लिए, सतर्कता विभाग के आग्रह पर बीएचईएल द्वारा घरेलू रूप से विकसित आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को जारी क्यूआर निगमित निष्पादन/अनुभव प्रमाण पत्र के एक ऑनलाइन संग्रह का उद्घाटन 18 फरवरी, 2020 को सचिव, सीवीसी द्वारा किया गया था। अखिल बीएचईएल केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली किसी भी इकाई को आपूर्तिकर्ताओं या ठेकेदारों को अनुभव और निष्पादन प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम बनाता है। इस प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए प्रमाणपत्र में एक क्यूआर कोड होता है जिसे मोबाइल कैमरा/क्यूआर कोड स्कैनर ऐप का उपयोग करके स्कैन किया जा सकता है और बीएचईएल की 24X7 केंद्रीय संग्रहण में उपलब्ध प्रमाण पत्र के साथ तुलना और प्रमाणित किया जा सकता है, जिससे सत्यापन का समय कम हो जाता है।

यह अवश्य अनुभव किया गया कि निर्णय लेने के स्तर पर पदस्थ अधिकारियों को एक विधिवत तैयार संदर्भिका प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें कंपनी की आत्मीय व लिखित नीतियों और दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित निर्णय लेने में सहायता मिल सके। तदनुसार, परिचालन के निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए संबंधित विभागों से चर्चा कर "क्या करें और क्या न करें" को अंतिम रूप दिया गया है और अधिसूचित किया गया है:

- क्रय (कॉर्पोरेट सोर्सिंग स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी विभाग के साथ)
- आपूर्तिकर्ता पंजीकरण (कॉर्पोरेट सोर्सिंग स्ट्रेटजी एंड पॉलिसी विभाग के साथ)
- वित्त व कार्य एवं क्रय का निष्पादन (कॉर्पोरेट वित्त विभाग)
- गुणता एवं तृतीय पक्ष निरीक्षण (कॉर्पोरेट गुणता विभाग)

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के दौरान बीएचईएल के सीवीओ सत्यनिष्ठा पर संवाद सत्र को संबोधित करते हुए।

निर्णय लेने से जुड़े विभिन्न सतर्कता मुद्दों के बारे में कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के लिए, इकाइयों/क्षेत्रों में निर्णय लेने की प्रक्रिया से जुड़े कर्मचारियों के लिए निवारक सतर्कता पर 93 प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, कॉर्पोरेट शिक्षण एवं विकास (सीएलडी) द्वारा आयोजित सभी सामान्य प्रबंधन प्रशिक्षणों/सामरिक प्रबंधन प्रशिक्षणों/युवा प्रबंधक प्रशिक्षण में निवारक सतर्कता पर एक सत्र जोड़ा गया है।

बीएचईएल की सभी इकाइयों के कार्यों में सीवीसी दिशानिर्देशों के साथ एकरूपता लाने एवं सार्वजनिक उपक्रमों की सर्वोत्तम प्रणालियों को सभी के साथ साझा करने के उद्देश्य से भोपाल इकाई में 10 से 11 फरवरी, 2020 तक सामग्री प्रबंधन (एमएम) और सतर्कता प्रमुखों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया था। उच्च मूल्य सार्वजनिक क्रय में व्यापक विशेषज्ञता रखने वाले बीएचईएल के वरिष्ठ व अनुभवी सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों जैसे सीवीसी, सतर्कता और एमएम विभागों के सीवीसी, मुख्य तकनीकी परीक्षक (सीटीई), आईईएम ने यह सत्र लिया।

वर्ष के दौरान, सतर्कता विभाग द्वारा 19 प्रकरणों की विस्तृत जांच की गई। जहां कहीं भी

चूक/अनियमितताएं सिद्ध हुईं, उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही और प्रणालीगत सुधारों की अनुशंसा की गई। वर्ष के दौरान, जिन सतर्कता प्रकरणों की जांच को अंतिम रूप दिया गया उनमें 57 दंड (23 साधारण और 34 कठोर) दिये गए। इसके अतिरिक्त, 19 चेतावनी/परामर्श पत्र भी जारी किए गए थे। 228 शिकायतों (वर्ष के दौरान प्राप्त 202) में से 213 शिकायतों का निपटारा किया गया और शेष निपटान के विभिन्न चरणों में हैं। विजिलेंस की सलाह पर विभिन्न एजेंसियों, कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं और ठेकेदारों से 5.78 करोड़ (लगभग) की वसूली की गई है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशानुसार, बीएचईएल की सभी विनिर्माण इकाइयों, कॉर्पोरेट कार्यालय, पावर सेक्टर क्षेत्रों और परियोजना स्थलों पर "ईमानदारी–एक जीवन शैली" विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 2 नवंबर, 2019 तक मनाया गया। सप्ताह के दौरान, सभी हितधारकों जैसे कर्मचारियों, आपूर्तिकर्ताओं, विद्यालयों व महाविद्यालयों के छात्रों तथा जनसामान्य के बीच जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सतर्कता जागरूकता सप्ताह की थीम पर एक अखिल बीएचईएल ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित किया गया था। प्रश्नोत्तरी 5 दिनों तक आयोजित की गई और प्रत्येक दिन तीन कर्मचारियों की एक शीर्ष टीम का चयन किया गया था। ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी में कुल 1320 कर्मचारियों ने भाग लिया।

संगठन के कर्मचारियों, विभिन्न विद्यालयों (16 राज्यों में 43 स्कूलों के 9804 छात्र), महाविद्यालयों (11 राज्यों में 25 कॉलेजों के 3910 छात्र) तथा जनसामान्य (6 ग्राम सभाओं से 480 नागरिक) के लिए कई विभिन्न कार्यक्रम जैसे प्रश्नोत्तरी, वाद–विवाद, निबंध लेखन प्रतियोगिता, वक्तव्य, पैनल चर्चा, व्याख्यान, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिता, नारा प्रतियोगिता, वॉकथॉन, मैराथन, साइकिल रैली, मानव श्रृंखला गठन आदि भी आयोजित किए गए। इकाइयों में विक्रेताओं/उप–ठेकेदारों के लिए 10 शिकायत निवारण शिविर आयोजित किए गए।

बीएचईएल के सतर्कता अधिकारियों को सक्षमता निर्माण के लिए सीबीआई, आईएसटीएम एवं एजेंसियों द्वारा आयोजित विशेष सतर्कता प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामित किया गया था। इसके अतिरिक्त, बीएचईएल की विभिन्न इकाइयों/क्षेत्रों के लगभग 40 सतर्कता अधिकारियों के लिए दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बीएचईएल, भोपाल में 21 जनवरी, 2020 से 22 जनवरी, 2020 तक और एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन बीएचईएल हैदराबाद में 30 अगस्त, 2019 को किया गया था जिसमें प्रभावी निरीक्षण, सत्यापन और जांच करने की विधि/ तकनीक से अवगत कराया गया।

सतर्कता विभाग क्रय नीति, नियमों और प्रक्रियाओं आदि के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने, समय–समय पर सीवीसी और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों/दिशानिर्देशों का प्रसार करने और सर्वोत्तम प्रणालियों, केस स्टडी व लेखों को साझा करने के उद्देश्य से त्रैमासिक ई–न्यूजलेटर 'दिशा' प्रकाशित करता है। इस ई–न्यूजलेटर के 2013 से अब तक सत्ताईस अंक प्रकाशित हो चुके हैं और इस साल भी चार अंक प्रकाशित हुए। ई–न्यूजलेटर को व्यापक प्रचार दिया जाता है और ई–मेल के माध्यम से सभी कर्मचारियों को भेजा जाता है और बीएचईएल की इकाइयों/क्षेत्रों इंट्रानेट वेबपेज पर भी होस्ट किया जाता है।

7.3क स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई)

कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सहभागिता बढ़ाने और एचएसई से संबंधित विषयों और स्वच्छता के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से, स्वच्छता पखवाड़ा, अग्नि सुरक्षा जागरूकता पखवाड़े, सुरक्षा दिवस/सप्ताह/पखवाड़े, पर्यावरण जागरूकता पखवाड़े और सड़क सुरक्षा जागरूकता सप्ताह सहित कई अभियान चलाए गए। सभी दिल्ली/एनसीआर स्थित कार्यालयों के लिए अग्नि सुरक्षा ऑडिट किए गए। बहुआयामी प्रयासों से, तृतीय पक्ष ऑडिट के बाद बीएचईएल की 14 टाउनशिप में से 12 को ''सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री'' घोषित किया गया।

बीएचईएल के सुरक्षा निष्पादन में सुधार एवं पर्यावरण संवर्धन के प्रति प्रयासों को काफी सराहा गया है और इन प्रयासों की मान्यता के रूप में कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। वर्ष के दौरान निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए:

- श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदर्शन वर्ष 2017 के लिए 9 राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (एनएसए) जो किसी भी संगठन द्वारा जीते गए पुरस्कारों में अधिकतम संख्या है।
- इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) से सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2019
- 360 डिग्री सोलराइजेशन एक्रॉस वैल्यू चेन' शीर्षक परियोजना के लिए एसकेओसीएच ऑर्डर–ऑफ–मेरिट अवार्ड 2019
- इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, नई दिल्ली से 'गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड' 2019
- अपेक्स इंडिया फाउंडेशन द्वारा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रबंधन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए रजत पुरस्कार
- सस्टेनेबल डेवलपमेंट फाउंडेशन, नई दिल्ली द्वारा "एचएसई में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए 6वां एक्सीड ओएचएस पुरस्कार"
- तमिलनाडु सरकार से 5 राज्य सुरक्षा पुरस्कार, बीएचईएल त्रिची को एनएससी तमिलनाडु चैप्टर से ''आवर्ड ऑफ ऑनर"
- भारत सरकार द्वारा एचपीबीपी त्रिची के कर्मचारियों में से एक को प्रतिष्ठित जीवन रक्षक पदक 2018 से सम्मानित किया गया।
- हीप हरिद्वार इकाई के सुरक्षा अधिकारियों में से एक को सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा अधिकारी (उत्तराखंड) का पुरस्कार मिला है।

निदेशक मंडल की ओर से और के लिए
भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2020

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुलग्नक–VIII

फार्म एओसी–1

(कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उपधारा (3) के पहले प्रावधानों के अनुसरण में)

सहायक कंपनियों/सहभागी कंपनियों/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताएं :

भाग "क" सहायक कंपनियां

(प्रत्येक सहायक कंपनी का विवरण करोड़ रूपए की राशि में)

1. क्रम संख्या	01
2. सहायक कंपनी का नाम	बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड
3. उस तारीख से जब सहायक कंपनी का अधिग्रहण किया गया था।	19 जनवरी, 2011
4. संबंधित सहायक कंपनी के लिए रिपोर्टिंग अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी के रिपोर्टिंग समय से भिन्न हो।	लागू नहीं
5. विदेशी सहायक कंपनियों के मामले में प्रासंगिक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि पर रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमय दर।	लागू नहीं
6. शेयर पूंजी	10.50
7. आरक्षित और अधिशेष	(29.01)
8. कुल संपति	21.31
9. कुल देनदारिया	39.82
10. निवेश	शून्य
11. कारोबार	3.95
12. कराधान से पूर्व लाभ	(6.37)
13. कराधान के लिए प्रावधान	(1.58)
14. कराधान के बाद लाभ	(4.79)
15. प्रस्तावित लाभांश	शून्य
16. शेयर धारिता का प्रतिशत	51 प्रतिशत

कोष्ठक में दिए गए अंक ऋणात्मक हैं ।

नोटः निम्न जानकारी विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगीः

1. सहायक कंपनियों के नाम जिन्होंने अब तक परिचालन शुरू नहीं किया है ।	शून्य
2. सहायक कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त किया गया या बेचा गया ।	शून्य

निदेशक मण्डल की दिनांक 29 मई, 2018 को आयोजित बैठक में केरल सरकार (GoK) को कंपनी की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के हस्तांतरण (भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अनुमोदन के अधीन) को मंजूरी दी गई। केरल सरकार द्वारा स्वीकृत अंतिम समझौते को बीएचईएल ने भारी उद्योग विभाग/भारत सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया है।

भाग ''ख'': सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम

सहयोगी कंपनियो एवं संयुक्त उद्यमों से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (3) के अनुसार विवरण

(रुपए करोड़ में)

संयुक्त उद्यम के नाम	बीएचईएल– जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	रायचूर पावर कारपोरेशन लिमिटेड
1. नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र की तारीख	31.03.20	31.03.19	31.03.19
2. वह तारीख जिसमे संबद्ध या संयुक्त उद्यम का संबंद्धीकरण या अधिग्रहण किया गया था	5 मई,1997	28 अप्रैल,2008	15 अप्रैल, 2009
3. वर्ष के अंत में बीएचईएल के द्वारा धारित संयुक्त उद्यमों के शेयर			
संख्या	2379999	50000000	664039700
निवेश की राशि	2.38	50.00	664.04
होल्डिंग प्रतिशत की सीमा	50 प्रतिशत में एक शेयर कम	50 प्रतिशत	27.97 प्रतिशत
4 महत्वपूर्ण प्रभाव का विवरण	संयुक्त नियंत्रित इकाइयां		
5. सहयोगी/संयुक्त उद्यम समेकित न होने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6. नवीनतम अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयर धारिता के लिए कारण नेटवर्थ	158.70	शून्य	शून्य
7. वर्ष के लिए लाभ/हानि	इक्विटी पद्धति के अनुसार		
i. समेकन में विचार किया गया	25.72	शून्य	शून्य
ii. समेकन में विचार नहीं किया गया	–	(13.08)	(616.94)

कोष्ठक मे दिए गए अंक ऋणात्मक हैं। आरपीसीएल में, बीएचईएल द्वारा अपने नॉमिनी के नाम पर 300 शेयर भी रखे गए हैं।

मेसर्स दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड एवं मैसर्स पावर प्लांट परफॉर्मेस इंप्रूवमेंट लिमिटेड परिसमापन के अधीन है। इसलिए इन दोनों संयुक्त उद्यमों के समेकन पर विचार नहीं किया गया है। इन संयुक्त उद्यमों में क्रमशः रु. 4.93 करोड़ और रु. 2.00 करोड़ की राशि निवेश हेतु प्रदान की गई है।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(राजीव कालड़ा)	**(सुबोध गुप्ता)**	**(डॉ. नलिन सिंघल)**
कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम. न. 14567	**डीआईए न 08113460**	**डीआईएनः 01176857**

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी	**तिवारी एंड एसोसिएट्स**	**महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन . 002074छ	**एफआरएन . 002870छ**	**एफआरएन 006228सी**
(सी. ए. गोपाल कृष्ण)	**(सी. ए. कृष्ण कुमार)**	**(सी. ए. दीपेश शाह)**
पार्टनर	**पार्टनर**	**पार्टनर**
एम. न. 081085	**एम. न. 085415**	**एम. न. 404990**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : जून 13, 2020

फार्म एओसी–2

(अधिनियम की धारा 134 की उपधारा (3) के खंड (ज) और कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8 (2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 188 के उपखंड (1) के संदर्भ मे तृतीय प्रावधान के अंतर्गत कुछ शर्तो के साथ हुए लेन–देन के साथ कंपनी के ठेकों/अनुलग्नकों (लेखों) के विवरणों के संबंध में प्रकटीकरण करने के प्रपत्र ।

1. ठेके/अनुलग्नकों/लेन–देन के विवरण, आर्म्स लेंथ आधार पर नहीं :

(क) संबंधित पक्ष का/के नाम एवं संबंध का स्वरूप	:	शून्य
(ख) ठेके/व्यवस्थाओं/लेन–देन का स्वरूप	:	शून्य
(ग) ठेकों या व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	:	शून्य
(घ) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की विशिष्ट शर्ते, मूल्य सहित अगर हो तो	:	शून्य
(ड) इन ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन का औचित्य	:	शून्य
(च) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि/तिथियां	:	शून्य
(छ) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, अगर हो तो	:	शून्य
(ज) वह तारीख जब आम सभा मे प्रस्ताव पारित हुआ, जैसा कि खंड 188 के अंतर्गत वांछित है	:	शून्य

2. सामग्री संबंधी ठेकों या अनुलग्नकों या लेन–देन के विवरण, आर्म्स लेंथ आधार पर

(क) संबंधित पार्टी के नाम एवं संबंध का स्वरूप	:	शून्य
(ख ठेकों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का प्रकृति	:	शून्य
(ग) ठेकों या व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	:	शून्य
(घ) ठेकों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की विशिष्ट शर्ते, मूल्य सहित अगर हो तो	:	शून्य
(च) निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन की तिथि/तिथियां	:	शून्य
(छ) अग्रिम के तौर पर भुगतान की गई राशि, अगर हो तो	:	शून्य

निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

डॉ.नलिन सिंघल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 28.09.2020

निदेशक मंडल की रिपोर्ट का अनुबंध– IX
स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

एकल वित्तीय विवरण पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद यहॉं इसे ''धारक कंपनी'' के रूप में लिखा जाएगा) के संलग्न एकल वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 को तुलन पत्र, इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण एवं वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल हैं, (इसके पश्चात इसे ''एकल वित्तीय विवरण'' कहा जाएगा)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और यथा संशोधित कंपनीज (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, (इंड एएस) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2019 को कंपनी की स्थिति तथा इसी तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए हानि और कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह को यथार्थ व उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (**SAs**) के अनुसार एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां खंड में वर्णित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टड अकाउंटेंट द्वारा जारी आचार संहिता के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इससे आधरित नियमों के प्रवधानों के अंतर्गत एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्कताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के एकल वित्तीय विवरण पर हमारी राय का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उचित हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा के विषय

मुख्य लेखा परीक्षा के विषय वे विषय हैं जो कि हमारे व्यावसायिक मतानुसार वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थे। इन विषयों पर राय बनाते हुए एकल वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के संबंध में पूर्णतः समाधान किया गया और हमें इन विषयों पर और कोई राय नहीं देनी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा विषयों के नीचे वर्णित मामलों का उल्लेख किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
इंड एएस 115 के अंतर्गत ''ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व'' के सम्बंध मे राजस्व एवं अन्य शेषों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति की सटीकता। **इन राजस्व लेखा मानकों के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों का चिह्नित करना, चिह्नित विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में मान्य राजस्व के मापन के आधार की उपयुक्तता, वित्तीय विवरणों में शेष के प्रस्तुतिकरण सहित प्रकटीकरण से संबंधित कतिपय मुख्य निर्णय शामिल हैं।** **आकलित प्रयास राजस्व निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण आकलन है क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है।** **एकल वित्तीय विवरण के नोट 49 को देखें।**	**लेखा परीक्षा की मूल प्रक्रियाएं** **आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैं:** • पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई जानकारी रचना प्रक्रिया पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा जारी अनुबंधों और नए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर विशिष्ट निष्पादन दायित्व और लेन–देन मूल्य का निर्धारण से संबधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • इंड एएस 115 के अनुरूप राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में अनुप्रयुक्त लेखांकन प्रणालियों और अनुबंधों एवं इससे संबद्ध सूचनाओं में परिवर्तन के संगत सूचनाओं का परीक्षण किया, जिनका नए राजस्व लेखा मानकों के अनुसार का खुलासा करने और अभिलेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया। • महत्वपूर्ण उपलब्धियां (Milestone) प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान के लिए अनुबंधों में से एक सेंपल चुन कर समीक्षा की गई, जिसमें कि शेष निष्पादन दायित्व को पूर्ण करने में आकलित प्रयासों को बदलने की आवश्यकता है। • तर्कसंगतता और अन्य संबंधित सामग्री मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।
इंड एएस 115 विनिर्मित और प्रेषण हेतु तैयार सामाग्री के लिए राजस्व की गणना में लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन **कंपनी ने विनिर्मित और प्रेषण हेतु तैयार सामग्री के संदर्भ में राजस्व की गणना के लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन के निम्नलखित दिशा निर्देशों को पूर्वप्रभाव से लागू किया है:** **समय के साथ राजस्व को मान्य करते समय परियोजनाओं के लिए विनिर्मित और प्रेषण हेतु तैयार सामग्री की लागत को इनपुट पद्धति के अंतर्गत प्रगति के मापन में भी लागत के रूप मे माना जाएगा।** **एकल वित्तीय विवरण के नोट 50 को देखें।**	**लेखा परीक्षा की मूल प्रक्रिया** **हमने नए राजस्व लेखांकन मानक को लागू करने के प्रभाव को चिहनित करने के लिए कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं का आकलन किया।आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है:** • बोर्ड स्तरीय ऑडिट कमेटी के दिनांक 11.02.220 के कार्यवृत में बोर्ड की ऑडिट कमेटी के अनुमोदन की जांच की। • कंपनी द्वारा आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय दिनांक 10.02.2020 की जांच की। • नए राजस्व लेखा प्रक्रियाओं को लागू करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन का मूल्यांकन किया । • इनपुट पद्धति में समाविष्ट किए जाने हेतु चिन्हित वस्तुओं का चयन किया, और वस्तुओं को चिह्नित करने और मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • तर्कसंगतता और अन्य संबंधित मूर्त मदों विवरणों के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और परीक्षण किए।

व्यापार प्राप्य एवं अनुबंध संपत्तियों का मूल्यांकन एवं वसूली की संभावना	लेखा परीक्षा की मूल प्रक्रिया
31 मार्च, 2020 के अंत में कंपनी के पास रु. 24093.05 करोड़ (निवल) की अनुबंध संपत्तियां तथा रु.12378.05 करोड़ के व्यापार प्राप्य बकाया हैं। यह शेष इंड एएस 115 ''ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व'' के अनुसार पूर्ण हुए अनुबंधों और चालू अनुबंधो के लिए मान्य राजस्व से संबंधित हैं। इसके आकार और प्रबंधकीय निर्णय के उच्च स्तरीय होने कारण इसकी वसूली की संभावना का आकलन एक मुख्य लेखा विषय है। एकल वित्तीय विवरणों के नोट 6,9,11,17,49 को देखें।	अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य के राजस्व मान्यता और समीक्षा तंत्र के लिए हमने कंपनी की आतंरिक प्रक्रिया का आकलन किया है। आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल है: • बीजक बनाने, सत्यापन करने तथा ग्राहकों के साथ पुनःमिलान की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। • परियोजनावार बकाया विवरण और प्रबंधन द्वारा इसके समीक्षा तंत्र की सूची को प्राप्त किया। • अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की क्षति पर कंपनी के दिशानिर्देशों और नीतियों की समीक्षा की। • सेंपल आधार पर वर्ष के अंत में अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की एजिंग की सटीकता की जांच की। • तर्कसंगतता, वसूली की संभावनाऔर अन्य संबंधित सामग्रीमदोंके विवरणों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया

मामले की महत्ता

हम एकल वित्तीय परिणामों के लिए नोट 51 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी ने कोविड–19 महामारी से उत्पन्न प्रभाव का वर्णन किया है।

इस मामले के संबंध में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

एकल वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधकीय परिचर्चा व विश्लेषण में सम्मिलित की गई जानकारी, बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट अभिशासन तथा शेयरधारकों की सूचना आती है परंतु एकल वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं होती है।वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

एकल वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यह अन्य सूचना सारतः अनुचित है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संदर्भ में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किए जाने हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और इंड एएस के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, कुल व्यापक आय, इक्विटी में परिवर्तनों तथा नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में ऐसे पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी सम्मिलित है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को पता लगाने और रोकने हेतु; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण आकलन और निर्णय लेने; एवं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के मूर्त अनुचित कथन से मुक्त तथा वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत कराने वाले वित्तीय विवरणों के निर्माण और प्रस्तुतीकरण हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव हेतु प्रासंगिक हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह को एक उन्नतिशील व्यावसायिक इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए समूह की योग्यता का आकलन करने, क्रियाशील इकाई से संबन्धित जांकारियाँ यथा आवश्यक प्रकटीकरण करने और जब तक प्रबंधन समूह के परिसमापन या परिचालन रोकने की मंशा न रखती हो अथवा इसके अतिरिक्त कोई यथार्थ कारण न हो, तब तक समूह को लेखांकन का आधार बनाने के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल उत्तरदायी है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले सारतःत्रुटिपूर्ण कथन से समग्र रूप में मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण सदैव किसी सारतः त्रुटिपूर्ण कथन का पता लगा ही लेगा, यदि कोई हो तो। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें संदेहास्पद माना जाता है, यदि, एकल रूप में या कुल मिलाकर, वे इन एकल वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप में प्रभावित करना प्रत्याशित है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार एक लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम पेशेवर तरीके से निर्णय लेते हैं और पेशेवर संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारतः गलत कथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं का पूरा करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जोकि हमारी राय के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप सारतः गलत कथन कोन खोज पाने का जोखिम, गलती के परिणामस्वरूप से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल–साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी (override) किया जाता है।

- परिस्थितियों के अनुसार लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के अनुसार, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन में प्रभावशीलता है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करें।

- लेखांकन की चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या कुछ ऐसी अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर गंभीर संदेह पैदा कर सकती है, जो एक चिंता का विषय है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई सामग्री अनिश्चितता (material uncertainty) मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर ध्यान आकर्षित करना होगा या हमारी राय को संशोधित करने के लिए इस तरह के प्रकटन अपर्याप्त हैं। हमारे निष्कर्ष,तारीख तक हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां कंपनी की चिंता का विषय बनी रह सकती है।

- प्रकटन सहित एकल वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और व्यवसाय को उचित रूप में दर्शाते हैं।

- भौतिकत्व (Materiality) एकल वित्तीय विवरणों में गलत बयानी का परिमाण है जो, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित कर सकता हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्य के दायरे (Scope) की योजना बनाने और परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई किसी गलत बयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए भौतिकत्व (Materiality) और गुणात्मक कारकों (qualitativefactors) पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों में, लेखा परीक्षण के प्लान किए स्कोप तथा समय और महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में पहचानी गई कमियों को शामिल करते हैं, जो लेखा परीक्षण के दौरान हमारी नज़र में आती हैं ।

हम उन आरोपों को भी इस उल्लेख के साथ गवर्नेंस प्रदान करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संबंधित संगत नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता जहां लागू हो, वहां सुरक्षा संबंधी उपायों पर निर्भर करते हैं, को संप्रेषित करते हैं।

बताए गए मामलों में से जिन मामलों में गवर्नेंस पर आरोप लगाए गए हैं, हम उन मामलों को मौजूदा अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामलों के रूप निर्धारित करते हैं। हम अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इन मामलों को तब तक रखते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में, जब हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणाम होंगें और इस तरह के जिक्र से लोकहित प्रभावित होगा ।

अन्य विषयः

हमने कंपनी के एकल वित्तीय विवरण में शामिल 10 (दस) वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा परीक्षण नहीं किया था जिनका वित्तीय विवरण/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 को रु. 36782 करोड़ की कुल संपत्ति और उस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए रु. 11651 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाते हैं, जैसा कि एकल वित्तीय विवरण में दर्शाया गया था। इन शाखाओं के वित्तीय विवरणों/जानकारियों की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई जिनकी रिपोर्ट हमें भेजी गई और ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटन पर हमारी राय प्रस्तुत की गई।

हमारी राय इस मामले के संबंध में संशोधित नहीं है।

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्टः

1) अधिनियम के खंड 143 के उपखंड (11) के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश") के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर "अनुबंध क" प्रस्तुत करते हैं।

2) **अधिनियम के खंड 143 (3) के संदर्भ में अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट देते हैं किः**

   क) जहां तक हमें जानकारी और विश्वास है, हमने लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं विवरण प्राप्त कर लिए हैं।

   ख) हमारे विचार से, कंपनी ने विधि के अनुसार लेखा बहियां रखी हैं, जैसा कि हमें इन बहियों की जांच में मिला है और हमारे द्वारा दौरा न की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक पर्याप्त जानकारी प्राप्त हो गई है।

   ग) शाखा लेखा परीक्षकों के द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखापरीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों के लेखा की रिपोर्ट हमें प्रेषित की गई है और रिपोर्ट करते समय हमारे साथ सही तरीके से विचार विमर्श किया गया है।

   घ) इस रिपोर्ट में हमारे द्वारा जांचे गए तुलन पत्र (अन्य व्यापक आय) सहित लाभ एवं हानि खाता विवरण तथा इक्विटी लेन–देन में परिवर्तन और हमारे द्वारा इस दौरान की

गई शाखाओं से प्राप्त जानकारियों के अनुसार है।

ड.) हमारी राय में, उक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं, जो कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम,2015 के साथ पढ़ा जाता हैं।

च) एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) जो इस बारे में है कि किसी निदेशक को निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, अधिसूचना जी.एस.आर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

छ) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की उचितता के संबंध में और इस तरह के प्रचालन प्रभाव के संबंध में नियंत्रण, ''अनुबंध ख'' में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

ज) अन्य विषयों के संबंध में हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं:

i. कंपनी ने अपने एकल वित्तीय विवरण में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटन किया है – वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 41 का संदर्भ लें।

ii. कंपनी ने व्युत्पन्न अनुबंध सहित लंबी अवधि के अनुबंध पर, सामग्री के संभावित नुकसान (यदि कोई हो) के लिए लागू कानून और लेखा मानकों के तहत आवश्यकता के अनुसार प्रावधान किया है। वित्तीय विवरणों पर नोट 48 का संदर्भ लें।

iii. कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके तहत नियमों के अनुसार निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा फंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई देरी नहीं हुई है।

3) इस अधिनियम की धारा 143 (5) में अपेक्षित, हमने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर विचार किया है, उसके बाद उसी के अनुसार कार्य किया है और उसका प्रभाव कंपनी के लेखा एवं वित्तीय विवरण ''अनुबंध ग'' पर आया है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स	कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट	चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 002074N	**FRN - 002870N**	**FRN - 006228C**
(सी गोपाल कृष्ण)	(कृष्ण कुमार)	(सीए दीपेश शाह)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्य सं. **081085**	सदस्य सं. **085415**	सदस्य सं. **404990**
UDIN:20081085AAAAFS7960	UDIN:20085415AAAAAI1679	UDIN:20404990AAAAAA7876

स्थानः नई दिल्ली / इंदौर
दिनांकः 13 जून 2020

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का ''अनुबंध – क''

(भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों की समसंख्यक दिनांक की हमारी जो 'अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के अंतर्गत दी गई है, के पैरा–1 में यथा उल्लिखित)

i) (क) कंपनी ने सामान्यतः मात्रात्मक विवरण और अपनी स्थायी परिसंपत्तियों की स्थिति सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकार्ड रखा है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा तीन वर्ष की अवधि में सभी अचल परिसंपत्तियों सहित सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को शामिल करते हुए निर्धारित कार्यक्रम के अधीन चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार स्थायी परिसंपत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन कराया जा रहा है, जो हमारी राय में कंपनी के आकार और व्यवसाय के स्वरूप की दृष्टि से समुचित समझा जाता है और वर्ष के दौरान कराए गए सत्यापन में कोई मूर्त विसंगति नहीं देखी गई।

(ग) कंपनी के नाम से धारित नहीं की गई अचल संपत्ति के विलेख के विवरण वित्तीय विवरण के नोट न. 3.1 (क से च) में दिए गए हैं।

ii) हमे जैसा स्पष्ट किया गया है, कुछ यूनिटों में चालू कार्य के भंडार और तैयार माल, जहां ऐसी यूनिटों के उत्पादन योजना विभाग का निरीक्षण तथा उत्पादन रिपोर्टों के संदर्भ में इनका वर्ष के अंत में सत्यापन किया जाता है, को छोड़कर वर्ष के दौरान नियमित अंतरालों पर स्थायी मालसूची कार्यक्रम के अधीन प्रबंधन द्वारा मालसूची का प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। संविदाकारों/फैब्रीकेटरों और अन्य पक्षों के पास पड़े हुए स्टॉक के संबंध में केवल कुछ मामलों में पुष्टियां प्राप्त हुई थीं। हमारी राय में सत्यापन की आवृत्ति उचित है। सामग्री के संबंध में कोई विसंगति प्राप्त नहीं हुई है।

iii) हमें दी गई सूचना के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 189 के अधीन रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों के सीमित दायित्व भागीदारों अथवा किसी अन्य पक्षों को प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत ऋण नहीं दिया है। अतः चालू वर्ष के लिए कंपनी (लेखा परीक्षक रिपोर्ट) आदेश पैरा 3 के खंड (iii) क,(iii) ख, एवं (iii) ग कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

iv) कंपनी ने ऋण निवेश, गारंटी और प्रतिभूति के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के उपबंधों का अनुपालन किया है।

v) कंपनी के रिकार्ड की जांच के आधार पर और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 से 76 अथवा अन्य संगत प्रावधानों और कंपनी (जमाराशि की स्वीकृति) नियम, 2014 के अनुसार वर्ष के दौरान आम जनता से कोई जमा राशि स्वीकार नहीं की है।

vi) हमने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा विहित कंपनी (लागत रिकाड्र्स एवं लेखा) नियम, 2014 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा रखी गई लेखा पुस्तिकाओं तथा कंपनी के रिकार्डों का व्यापक निरीक्षण किया और हमारी राय में कंपनी ने निर्धारित लेखा एवं रिकाड्र्स को संरक्षित रखा है। तथापि, इन लेखों और लागत रिकार्डों की विस्तृत जांच की न तो हमारी अपेक्षा है और न ही हमने की है।

vii) (क) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रस्तुत की गई तथा हमारे द्वारा जांची गई बहियों और रिकार्ड के अनुसार, हमारी राय में, कंपनी सामान्यतः नियमित रूप से भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और उपयुक्त प्राधिकारियों पर यथा लागू कोई अन्य वास्तविक सांविधिक देयताओं सहित अविवादित सांविधिक देय राशियों को जमा कर रही है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार भुगतान की तारीख से 6 महीने से अधिक माह की अवधि हेतु 31 मार्च, 2020 को भविष्य निधि, निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, धन कर, सेवा कर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य सांविधिक देयता बकाया राशि विवादित नहीं थीं।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार जिस बिक्री कर, आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क और उपकर को विवाद के कारण जमा नहीं किया है, वह निम्न प्रकार है:

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	सांविधिक प्रावधान का नाम	देयताओं की प्रकृति	लंबित राशि	विरोध के अधीन की गई राशि	विरोध के अधीन की गई राशि
1	केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, विभिन्न राज्यों के मूल्य वर्धित कर और बिक्री कर अधिनियम	बिक्री कर, वैट	11.39	5.70	आकलन अधिकरी
			497.09	60.39	उपायुक्त / संयुक्त आयुक्त/ आयुक्त (अपील)
			335.44	137.91	अपीलीय अधिकरण
			35.37	20.90	उच्च न्यायालय
			4.84	4.84	सर्वोच्च न्यायालय
			325.40	1.78	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
2	केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	उत्पाद शुल्क	43.79	-	आकलन अधिकरी
			32.53	0.02	आयुक्त (अपील)
			55.85	4.39	अपीलीय अधिकरण
			29.04	1.00	उच्च न्यायालय
			0.55	0.55	सर्वोच्च न्यायालय

(रुपए करोड़ में)

क्र. सं.	सांविधिक प्रावधान का नाम	देयताओं की प्रकृति	लंबित राशि	विरोध के अधीन की गई राशि	विरोध के अधीन की गई राशि
3	वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन	सेवा कर	1.18	-	आकलन अधिकरी
			18.51	0.57	आयुक्त (अपील)
			769.08	12.86	अपीलीय अधिकरण
			4.86	-	विभिन्न अपीलीय प्राधिकारी
4	सीमा शुल्क अधिनियम, 1962	सीमा शुल्क	5.80	5.80	उच्च न्यायालय

viii) हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्ड की जांच और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा वित्तीय संस्थानों, बैंकों से लिए गए ऋण या लोन की अदायगी में चूक नहीं हुई है। कंपनी ने कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।

ix) हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्ड की जांच और हमें दी गई वर्ष के दौरान कोई धनराशि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या भावी सार्वजनिक प्रस्ताव शामिल या सावधि ऋण के माध्यम से कोई धन प्राप्त नहीं किया है।

x) कंपनी केरिकार्ड और बहियों के बारे में हमारी जांच के दौरान, भारत मे आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा पद्धति के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई भी धोखाधड़ी या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी पर कोई भी धोखाधड़ी नहीं पाई या बताई गई है।

xi) एक सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 प्रबंधकीय पारिश्रमिक के संबंध में अधिसूचना सं जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के मद्देनजर कंपनी पर लागू नहीं है।

xii) निधि कंपनी नहीं होने के कारण, कंपनी पर निधि कंपनी से संबंधित खंड सं 3 (xii) के प्रावधान लागू नहीं हैं।

xiii) हमे दिए गए स्पष्टीकरण और जानकारी और हमारे द्वारा कंपनी के रिकार्ड की जांच के अनुसार, संबंधित पक्ष का लेन–देन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुसार है और इसका वित्तीय विवरण में उल्लेख किया गया है।

xiv) हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, वर्ष के दौरान आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर या पूरी तरह या शेयरों के प्राइवेट प्लेसमेंट या अधिमान्य आवंटन से संबंधित खंड सं (xiv) के प्रावधान वर्ष के दौरान प्राइवेट प्लेसमेंट ने जगह ली या अधिमान्य आवंटन किसी रूप में कंपनी पर लागू नहीं है।

xv) हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी के निदेशकों या उसके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर–नकदी लेन–देन नहीं किया है।

xvi) हमारी जांच और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, कंपनी का भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अनुभाग 45 – आई ए के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स	कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चाटर्ड अकाउंटेंट	चाटर्ड अकाउंटेंट	चाटर्ड अकाउंटेंट
FRN - 002074N	FRN - 002870N	FRN - 006228C
(सी गोपाल कृष्ण)	(कृष्ण कुमार)	(सीए दीपेश शाह)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्य सं. 081085	सदस्य सं. 085415	सदस्य सं. 404990
UDIN:20081085AAAAFS7960	UDIN:20085415AAAAAI1679	UDIN:20404990AAAAAA7876

स्थान: नई दिल्ली / इंदौर
दिनांक: 13 जून 2020

''अनुबंध–ख''

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक दिनांक को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (1) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट:

हमने समसंख्यक तिथि को समाप्त वर्ष के लिए एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के साथ भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (''कंपनी'') की 31 मार्च 2020 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा की है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण लेखापरीक्षा पर गाइडेंस नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्वों में शामिल हैं – पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का रखरखाव, जिसके तहत क्रमबद्धता सुनिश्चित करने के लिए जो कि अपने व्यापार का कुशल एवं प्रभावी ढंग से संचालन किया जा रहा था, जिसमे सम्मिलित हैं – कंपनी की नीतियों का पालन, अपनी संपत्ति की सुरक्षा, रोकथाम और धोखाधड़ी और त्रुटियां, सटीकता और लेखा अभिलेखों की पूर्णता का पता लगाना और कंपनी अधिनियम 2013, के तहत अपेक्षानुसार विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी करना।

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करने के लिए है। हम अपना लेखा परीक्षण लेखापरीक्षा मानकों और वित्तीय रिपोर्टिंग (गाइडेंस नोट) पर लेखा परीक्षण के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर गाइडेंस नोट के अनुसार संचालित करते हैं, जो इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया द्वारा जारी और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गई हों और आईसीएआई द्वारा जारी की गई हों। उन मानकों और गाइडेंस नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और लेखापरीक्षा की योजना इस बात को ध्यान में रखकर बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें, उचित आश्वासन प्राप्त करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और व्यवस्थित किया गया था और सभी भौतिक पहलुओं में इस तरह का प्रभावी ढंग से नियंत्रण संचालित है।

हमारी आंतरिक वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय रिपोर्टिंग को नियंत्रित करती है, जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना शामिल है, जिसमें सामग्री दोष के जोखिम का निर्धारण करना और निर्धारित जोखिम के आधार पर डिजाइन का परीक्षण और मूल्यांकन तथा आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी प्रचालन शामिल है। चुनी हुई प्रतिक्रियाएं लेखा परीक्षक के फैसले पर निर्भर करती हैं जिनमें वित्तीय विवरण को गलत दर्शाए जाने के जोखिम का निर्धारण भी शामिल है, चाहे कारण धोखाधड़ी या त्रुटि हो।

हम मानते हैं कि जो लेखा परीक्षण साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और अन्य मामले पैराग्राफ में नीचे दी गई अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संदर्भ में उनके द्वारा प्राप्त किया गया लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा परीक्षण राय के लिए एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर वित्तीय रिपोर्टिंग का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक डिजाइन की गई प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करती है और आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करती है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है, जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में पर्याप्त आश्वासन प्रदान करने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए डिजाइन की गई है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल है, जो (1) ऐसे रिकार्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कंपनी की सम्पत्तियों का विवरण पर्याप्त, सही और उचित रूप में दर्शाया गया है। (2) उचित आश्वासन देते हैं कि लेन–देन आम तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे हैं और प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान का समय पर पता लगाने या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

चूंकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं हैं, जिनमें मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन और नियंत्रण का ओवरराइड भी शामिल है। इसलिए त्रुटि या जालसाजी के कारण गलत विवरण होने तथा उनका पता न लग पाने की आशंका है। इसके अलावा, भविष्य के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान रहे। इस जोखिम के अधीन है कि स्थितियों में बदलाव के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रियाएं खराब हो सकती हैं

राय

हमारी राय में, कंपनी में सभी प्रत्यक्ष मामलों में 31 मार्च 2020 को वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी ढंग से काम कर रही है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकांउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मानदंड पर आधारित है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 002074N

(सी गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्य सं. **081085**
UDIN:20081085AAAAFS7960

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 002870N

(कृष्ण कुमार)
भागीदार
सदस्य सं. **085415**
UDIN:20085415AAAAAI1679

कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 006228C

(सीए दीपेश शाह)
भागीदार
सदस्य सं. **404990**
UDIN:20404990AAAAAA7876

स्थानः नई दिल्ली / इंदौर
दिनांकः 13 जून 2020

''अनुबंध–ग'' स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (एकल) के वर्ष 2019–20 के वार्षिक लेखों की लेखा परीक्षा (ऑडिट) के दौरान सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जांच किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देश।

क्र.सं.	जांच किए गए क्षेत्र	सुझाए गए उत्तर
1	क्या कंपनी में सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्र.ाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लि, सिस्टम है। यदि हाँ, तो आईटी प्र.ाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण का वित्तीय लेनदेन सहित खातों की यथार्थता पर प्रभाव, यदि कोई हो तो बताएं।	हां, कंपनी के पास सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिए सिस्टम है।
2	क्या कंपनी द्वारा कर्ज चुकाने में अक्षमता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा वर्तमान ऋण का कोई रि–स्ट्रक्चरिंग किया गया है या देनदारी, ऋण, ब्याज आदि को बट्टा खाते में लिखा है /छूट के प्रकरण हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभावों का उल्लेख करें।	हमें दी गई सूचनाओं और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा ऋण की कोई रि–स्ट्रक्चरिंग/वेवर/राइट ऑफ नहीं किया गया है / ब्याज नहीं लगाया गया है।
3	क्या किसी केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त निधि का नियम और शर्तों के अनुसार सही तरीके से उपयोग किया गया है? जिन मामलों में भिन्नता हो उनका उल्लेख करें।	केंद्रीय/राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लि, प्राप्त की गई निधि को उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से उपयोग किया गया है।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 002074N

(सी गोपाल कृष्ण)
भागीदार
सदस्य सं. **081085**
UDIN:20081085AAAAFS7960

कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 002870N

(कृष्ण कुमार)
भागीदार
सदस्य सं. **085415**
UDIN:20085415AAAAAI1679

कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN - 006228C

(सीए दीपेश शाह)
भागीदार
सदस्य सं. **404990**
UDIN:20404990AAAAAA7876

स्थानः नई दिल्ली / इंदौर
दिनांकः 13 जून 2020

गोपनीय

संख्या.:DGA (Energy)/Rep/Acs/BHEL/2020-21/ 92

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

दिंनाक/Dated: 11.08.2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
नई दिल्ली

महोदय,

विषय:-31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड , नई दिल्ली के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड , नई दिल्ली के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ।

कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

डी.के. शेखर

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनेक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: pdaenergydl@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 13 June 2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(D.K. Sekar)
Director General of Audit (Energy),
Delhi

Place: New Delhi
Dated: 11 August 2020

वित्तीय विवरण

एकल वित्तीय विवरण 164

तुलन पत्र, 31 मार्च, 2020 को

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
क. परिसंपत्तियाँ					
1. गैर चालू संपत्तियाँ					
(क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3क		2735.47		2883.92
(ख) पूंजीगत चालू कार्य	3ख		306.74		223.21
(ग) अमूर्त संपत्ति	4क		78.61		83.07
(घ) विकासशील अमूर्त संपत्ति	4ख		7.26		12.23
(ढ) वित्तीय सम्पत्तियां					
(i) निवेश	5	669.51		669.36	
(ii) व्यापार से प्राप्य	6	5270.43		3935.20	
(iii) ऋण	7	83.17	6023.11	82.82	4687.38
(च) आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध देनदारियां)	8		2756.21		3497.37
(छ) अन्य गैर चालू सम्पत्तियां	9		16660.49		14671.78
कुल गैर चालू संपत्तियां			28567.89		26058.96
2 चालू संपत्तियां					
(क) माल सूची	10		8905.46		7797.29
(ख) वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i) व्यापार प्राप्य	11	7107.62		11860.80	
(ii) नकदी व नकदी समतुल्य	12	1402.86		795.60	
(iii) नकदी व नकदी समतुल्य के अतिरिक्त बैंक बैंलस	13	5015.70		6707.74	
(iv) ऋण	14	134.99		157.45	
(v) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	15	123.85	13785.02	162.19	19683.78
(ग) चालू कर सम्पत्ति (शुद्ध)	16		229.02		-
(घ) अन्य चालू संपत्ति	17		9784.03		10891.02
कुल चालू संपत्ति			32703.53		38372.09
कुल संपत्ति			61271.42		64431.05
ख. इक्विटी और देयता रू					
3 इक्विटी					
(क) इक्विटी शेयर पूंजी	18		696.41		696.41
(ख) अन्य इक्विटी	18ए		28484.80		30735.39
कुल इक्विटी			29181.21		31431.80

तुलन पत्र, 31 मार्च, 2020 को

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
देनदारियां					
4 गैर चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) उधार	19	75.37		95.45	
(ii) व्यापार देय	20				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का कुल बकाया		8.25		-	
(ii) उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया		999.62		702.98	
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	21	159.02	1242.26	91.53	889.96
(ख) प्रावधान	22		5247.89		5463.14
(ग) गैर चालू अन्य देनदारियां	23		2952.65		3615.88
कुल गैर चालू देनदारियां			9442.80		9968.98
5 चालू देनदारियां					
(क) वित्तीय देनदारियां					
(i) उधार	24	4933.39		2431.74	
(ii) व्यापार देय	25				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल देनदारियां		492.12		764.91	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया		8399.86		10610.20	
(iii) अन्य वित्तीय देनदारियां	26	1482.72	15308.09	2068.14	15874.99
(ख) प्रावधान	27		3081.78		2485.51
(ग) वर्तमान कर देनदारियां (शुद्ध)	16		-		91.40
(घ) अन्य वर्तमान देनदारियां	28		4257.54		4578.37
कुल वर्तमान देनदारियां			22647.41		23030.27
कुल देनदारियां			32090.21		32999.25
कुल इक्विटी और देनदारियां			61271.42		64431.05
तैयारी का आधार ए मापन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2				

साथ में दिए गए नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
एम. न. 14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईए न 08113460

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01176857

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन . 002074छ

तिवारी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन . 002870छ

महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन 006228सी

(सी. ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम. न. 081085

(सी. ए. कृष्ण कुमार)
पार्टनर
एम. न. 085415

(सी. ए. दीपेश शाह)
पार्टनर
एम. न. 404990

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून 13, 2020

लाभ हानि विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्चए 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
परिचालन से राजस्व	29		**21486.06**		30422.68
अन्य आय	30		**580.58**		677.64
कुल आय			**22066.64**		31100.32
व्यय					
सामग्री खपत, निर्माण और इंजिनीयरिंग व्यय	31		**15079.94**		19248.97
तैयार माल की इनवेंट्री में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर	32		**(1015.53)**		(990.80)
कर्मचारी लाभों पर व्यय	33		**5403.47**		5501.60
निर्माणए प्रशासन, बिक्री और वितरण पर व्यय	34		**1995.60**		2693.57
प्रावधान	35		**255.46**		1837.38
वित्तीय व्यय	36		**506.95**		287.29
मूल्यह्रास और परिशोधन	3.1/4.1		**502.86**		474.81
कुल व्यय			**22728.75**		29052.82
कर पूर्व लाभ			**(662.11)**		2047.50
कर पर व्यय	37				
क) वर्तमान कर		**1.52**		735.07	
ख) आस्थगित कर		**809.34**	**810.86**	103.78	838.85
वर्ष का लाभ			**(1472.97)**		1208.65

लाभ हानि विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्चए 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
अन्य व्यापक आय	38		
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (शुद्ध कर)			
निर्धारित कर्मचारी हितों का पुनर्मापन		(273.88)	(119.18)
(ख) वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय		(273.88)	(119.18)
(क+ख) वर्षों के लिए कुल व्यापक आय		(1746.85)	1089.47
प्रति इक्विटी शेयर आय	39		
(1) मूल (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये)		(4.23)	3.33
(2) मिश्रित (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रुपये)		(4.23)	3.33
तैयारी का आधार ए मापन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	2		
साथ में दिए गए नोट इन वित्तीय विवरणों का एक अभिन्न भाग हैं			

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(राजीव कालड़ा)	(सुबोध गुप्ता)	(डॉ. नलिन सिंघल)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम. न. 14567	डीआईए न 08113460	डीआईएनः 01176857

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी	तिवारी एंड एसोसिएट्स	महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन . 002074छ	एफआरएन . 002870छ	एफआरएन 006228सी
(सी. ए. गोपाल कृष्ण)	(सी. ए. कृष्ण कुमार)	(सी. ए. दीपेश शाह)
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
एम. न. 081085	एम. न. 085415	एम. न. 404990

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून 13, 2020

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31, मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(रु. करोड़ में)

2 रु. प्रत्येक के जारी, क्रय एवं पूर्णतः भुगतान किए गए इक्विटी शेयर	शेयरों की संख्या		राशि	
	2019.20	2018.19	2019.20	2018.19
अवधि के आंरभ में शेष	3482063355	3671400000	696.41	734.28
घटाएं : वापस खरीदे गए शेयर		189336645		37.87
अवधि के अंत में शेष	3482063355	3482063355	696.41	696.41

ख. अन्य इक्विटी

31, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ में)

विवरण	आरक्षित निधि और अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	आरक्षित पूंजी	ऋणमुक्त पूंजी कोष	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय		
01ए अपैल 2019 तक शेष राशि	35.18	37.87	30,476.66	326.91	(141.23)	30,735.39
जोड़ें : वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	(1472.97)	(273.88)	(1746.85)
घटाएं : वित्तीय वर्ष 2018.19 के लिए अंतिम लाभांश (नोट 40)	-	-	-	417.85	-	417.85
घटाएं : लाभांश वितरण कर (नोट 40)	-	-	-	85.89	-	85.89
31ए मार्च 2020 को शेष	35.18	37.87	30,476.66	(1649.80)	(415.11)	28,484.80

इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

31, मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

31, मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए (रु. करोड़ में)

विवरण	कोष और अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी
	आरक्षित पूंजी	ऋणमुक्त पूंजी कोष	सामान्य आरक्षित निधि	प्रतिधारित आय		
01, अपैल 2018 की शेष राशि	**35.18**	**-**	**32,104.96**	**(212.61)**	**(22.05)**	**31,905.48**
जोड़ें इंड एएएस 115 पारगमन समायोजन	-	-	-	126.49	-	126.49
जोड़े: वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	1,208.65	(119.18)	1,089.47
घटाएं: पूंजी मोचन आरक्षित निधि	-	37.87	(37.87)	-	-	-
घटाएं : बायबैक से संबंधित लेन. देन व्यय (नोट 18)	-	-	-	8.32	-	8.32
घटाएं: बायबैक पर भुगतान की गई राशि (नोट18)	-	-	1590.43	-	-	1590.43
घटाए : वित्तीय वर्ष के लिए 2017 –18 के लिए अंतिम लाभांश (नोट 40)	-	-	-	374.49	-	374.49
घटाए : वित्तीय वर्ष के लिए 2018–19 के लिए अंतरिम लाभांश (नोट 40)	-	-	-	278.57	-	278.57
घटाएं: लाभांश वितरण कर (नोट 40)	-	-	-	134.24	-	134.24
31, मार्च 2019 की शेष	**35.18**	**37.87**	**30,476.66**	**326.91**	**(141.23)**	**30,735.39**

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
एम. न. 14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईए न 08113460

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 01176857

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन . 002074छ

तिवारी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन . 002870छ

महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन 006228सी

(सी. ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम. न. 081085

(सी. ए. कृष्ण कुमार)
पार्टनर
एम. न. 085415

(सी. ए. दीपेश शाह)
पार्टनर
एम. न. 404990

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून 13, 2020

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**(662.11)**	2047.50
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
प्रावधान और बट्टे खाते में डाले गए व्यय	**244.44**	1975.43
मूल्यह्रास और परिशोधन	**502.86**	474.81
वित्त लागत (ब्याज की छूट सहित)	**506.95**	287.29
ब्याज से आय	**(525.48)**	(615.56)
अन्य	**(16.15)**	(15.13)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन से प्राप्त नकदी	**50.51**	4154.34
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजनः		
व्यापारिक प्राप्तियाँ	**3370.09**	264.35
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	**(1618.53)**	(4966.07)
माल सूची	**(1095.10)**	(1861.45)
ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति	**391.79**	(76.11)
उप योग	**1048.25**	(6639.28)
व्यापारिक देयता	**(2178.24)**	980.97
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम जमा और अन्य	**(1842.82)**	(1114.36)
प्रावधान	**353.28**	(816.52)
उप योग	**(3667.78)**	(949.91)
शुद्ध नगदी (उपयोग की गई) / कार्यशील पूंजी से	**(2619.53)**	(7589.19)
परिचालन से प्राप्त नगद	**(2569.02)**	(3434.85)
आय कर से वापसी	**0.00**	408.68
आय कर का भुगतान	**(321.94)**	(829.41)
परिचालन गतिविधियों उत्पन्न कुल नगदी प्रवाह	**(2890.96)**	(3855.58)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
बैंक जमा का नगदीकरण (छूट) / परिपक्वता) जिसकी मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक है)	**1700.00**	1700.00
प्राप्त ब्याज	**538.74**	588.42
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त राशि	**0.27**	17.30
म्युचुअल फ़ंड से प्राप्त लाभ	**6.43**	17.00
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश	**16.30**	16.18
संपत्तिए संयंत्र और उपकरणों के विक्रय से आय	**9.30**	1.04
संपत्तिए संयंत्र और उपकरणों का क्रय	**(434.50)**	(425.04)
शुद्ध नगदी (उपयोग की गई) / निवेश गतिविधियों से	**1836.54**	1914.91

नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पकालिक ऋण से आय	**2501.65**	2,431.74
पट्टे की देयता से आय / चुकौती ;मूलधन)	**(7.66)**	68.20
पट्टे की देयता से आय / चुकौती (ब्याज)	**(17.32)**	(13.75)
इक्विटी शेयरों का पुनः क्रय (प्रीमियम और व्यय सहित)	**-**	(1636.62)
लाभांश भुगतान (लाभांश वितरण कर सहित)	**(504.56)**	(786.99)
ब्याज का भुगतान	**(310.43)**	(94.99)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नगदी (उपयोग की गई) / (बिंदु 3 देंखे)	**1661.68**	(32.41)
घ. नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (ह्रास)	**607.26**	(1973.08)
नगदी व नगदी समतुल्य का प्रारंभिक शेष	**795.60**	2768.68
नगदी व नगदी समतुल्य का अंतिम शेष (नोट 12 देखें)	**1402.86**	795.60

(1) भारतीय लेखा मानक. नगदी प्रवाह विवरण में यथाविनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर नगदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।

(2) जहाँ भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आँकड़े पुनः समूहबद्ध) / वर्गीकृत कर दिये गए हैं।

(3) वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह में वर्ष के दौरान कोई गैर नगदी मद नहीं है

(4) नगदी व एक्सचेंज वेरिएशन ट्रांसलेशन लाभ सहित नगदी समतुल्य का 31 मार्च 2020 को अंतिम शेष रू. 1.15 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 0.02 करोड़)

निदेशक मंडल की ओर से और उनके लिए

(राजीव कालड़ा)	(सुबोध गुप्ता)	(डॉ. नलिन सिंघल)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम. न. 14567	डीआईए न 08113460	डीआईएनः 01176857

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी	तिवारी एंड एसोसिएट्स	महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन . 002074छ	एफआरएन . 002870छ	एफआरएन 006228सी
(सी. ए. गोपाल कृष्ण)	(सी. ए. कृष्ण कुमार)	(सी. ए. दीपेश शाह)
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
एम. न. 081085	एम. न. 085415	एम. न. 404990

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून 13, 2020

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष हेतु वित्तीय विवरणों की टिप्पणियां

टिप्पणी (1) : कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल" या "कंपनी") भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049 में है।

यह एकीकृत विद्युत संयंत्र उपस्कर निर्माता कंपनी है जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, जल, तेल एवं गैस और रक्षा एवं अंतरिक्ष हेतु व्यापक श्रेणी के उत्पादों एवं सेवाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग एवं सर्विसिंग का कार्य कर रही है।

नोट (2) तैयारी, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का आधार

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

क) अनुपालन वक्तव्य

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में और अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अंतर्गत कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) माप का आधार

वित्तीय विवरण सुनाम– प्रतिष्ठान (going concern) आधार पर और संग्रहण (accrual) लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक नीति में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक (Functional) और प्रस्तुति (Presentation) मुद्रा

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

घ) लागत अनुमान और निर्धारण का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार, लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार हैं:

i.) राजस्व

कंपनी राजस्व लेखांकन निर्माण ठेकों/अनुबंधों हेतु लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाना आवश्यक होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

iii) कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

iv) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं के निर्धारण हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए हैं।

2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों (पीपीई) का अनुमान संचित मूल्यह्रास और संचित इम्पेयरमेंट हानि के नुकसान, यदि कोई हो तो, पर किया जाता है।

कंपनी, अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी लाभप्रदता काल–खंड के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अनुबंध के तहत विदेश में उपयोग किए गए अन्य के अलावा) पर मूल्यह्रास निम्नलिखित मदों में, जहां उपयोगी लाभप्रदता कालखंड आधारित है, को छोड़कर तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का आकलन करने पर:–

परिसंपत्ति श्रेणी	(वर्ष)
निर्माण उपस्कर, कैपिटल टूल्स एवं टैकल	5
जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	30
सर्वर और नेटवर्क	5
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है। जब तक कंपनी लीज अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियाँ लीज अवधि के छोटे और उनके उपयोगी लाभप्रदता वाले समयांतराल से अधिक हो जाती हैं।

प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण जिनकी लागत रु. 10,000 /– या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य 10,000 /– रुपए या उससे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

निर्माण/परियोजना स्थलों परः सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध के कार्यकाल पर पूरी तरह से परिशोधित होती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत प्रतिष्ठान और अन्य समान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) के कार्यकाल में मूल्यह्रास किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद अनुबंध, यदि कोई हो।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का

मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है।

निर्माण के वर्ष में अस्थायी संरचनाएं पूरी तरह से ह्रासमान हैं।

अलग–अलग उपयोगी जीवन के साथ महत्वपूर्ण घटकों को अलग से हिसाब में लेकर मूल्यह्रास किया जाता है।

3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह निर्धारित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा सम्मिलित है।

• प्रारंभिक मान्यता के बाद लीज़/पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर परिसंपत्ति के राइट–ऑफ़–यूज़ के तहत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर लीज़ देयता का प्रारंभिक निर्धारण, प्रोत्साहन के बिना प्रारंभिक पट्टा भुगतान, निहित परिसंपत्ति को नष्ट किए जाने और हटाने की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत सम्मिलित हैं।

• पट्टों के तहत किए गए पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया लीज देयता में की गई कमी के मध्य सेट/स्थिर किया जाता है। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि दायित्व/देयता के अधिशेष पर लगातार आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके।

वित्त पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वित्त पट्टा प्राप्य के प्रारंभिक निर्धारण में सम्मिलित हैं और पट्टे की अवधि में मान्य आय को कम करती हैं।

पट्टा परिचालन से होने वाली आय को स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि में आय के रूप में जाना जाता है, जहां पट्टे के किराये में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

रु. 10000 / – से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं का कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति को जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को लाभ–हानि विवरण में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

सॉफ्टवेयर	3 साल
अन्य	10 साल

वर्ष की शुरुआत में ₹ 10000/– या उससे कम लिखित मूल्य की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और परिशोधन के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, का लेखा–जोखा संभावित रूप से किया जाता है।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को मज़बूती से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन हैं। खर्च की गई पूंजी में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत सम्मिलित हैं जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

अनुसंधान और विकास हेतु अर्जित संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक संपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा गया है।

जिस परिपरिसंपत्ति में उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से अधिक समय लगता है, जैसे कि बारह महीने से ज्यादा, उसे इस प्रयोजन के लिए अर्हक परिसंपत्ति माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ – हानि के स्टेटमेंट में दर्शाया गया है, जिसमें वे खर्च हुए हैं।

6. सहायक एवं संयुक्त कंपनियों में निवेश

सहायक और संयुक्त उपक्रमों में निवेश लागत, क्षति से हुई हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मानी जाती है।

यदि प्रबंधन का इरादा निकट भविष्य में निवेश का निपटान करना है, तो इसे बिक्री के लिए वर्गीकृत किया जाता है और बेचने के लिए इसकी वहन राशि के निम्न और उचित मूल्य में से बेचने की लागत घटाकर मापा जाता है।

7. माल–सूची

मालसूची की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली जाती है। तैयार माल और कार्य–प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, ढीले उपकरणों, दुकानों और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

8. राजस्व मान्यता

जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहकों से प्रतिबद्धता है, उनके अंतरण को दर्शाने के लिए राजस्व को ऐसी राशि में दर्शाया गया है, जो उस प्रतिफल को दर्शाती है, जिसे वह संस्था उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्राप्त करने के लिए हकदार होने की अपेक्षा रखती है।

निर्माण और दीर्घकालिक सेवा अनुबंधों के संबंध में, कंपनी माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को स्थानांतरित करती है और कुछ समय के बाद राजस्व का निर्धारण करती है। राजस्व का निर्धारण लागत दृष्टिकोण पर आधारित इनपुट पद्धति से किया जाता है। समय के साथ संतुष्ट निष्पादन बाध्यता की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में फिर से मापा जाता है।

माल और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व का निर्धारण नियंत्रण को ग्राहक को हस्तांतरित करते समय और अनुबंध के तहत निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि के आधार पर किया गया है।

अन्य आय

- लाभांश से प्राप्त आय लाभ हानि विवरण में उस दिनांक को मान्य किया जाता है जब कंपनी को भुगतान प्राप्ति हेतु अधिकार प्राप्त हो जाए।
- ब्याज आय का प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग द्वारा मान्य है।
- निर्यात प्रोत्साहन/शुल्क कमियों, शुल्क वापसी और बीमा के लिए दावों की गणना बींमाकित की जाती है।

9. विदेशी मुद्रा अंतरण (विनिमय)/लेन–देन

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को लेन–देन की तिथि को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों और गैर–मौद्रिक देनदारियों को, लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित (अदल–बदल) किया जाता है।

10. कर्मचारी लाभ

निर्धारित योगदान योजना

कंपनी द्वारा कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा–काल हेतु लाभ हानि विवरणिका में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट (तुलनपत्र) में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपयुक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

एक्चुअरी लाभ और हानि के साथ–साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में सम्मिलित राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरूप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर–संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन एवं अन्य व्यय को लाभ–हानि विवरण में दर्शाया गया है।

11. प्रावधान

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हरजाने के दावों को, समान लेन–देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

(ii) निर्माण अनुबंधों के लिए, कंपनी राजस्व को मान्यता प्रदान करते ही इसके 2.5 प्रतिशत की दर से उत्तरोत्तर वारंटी लागत प्रदान करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है। अन्य अनुबंधों के लिए, वर्ष के अंत में वारंटी के तहत अनुबंधों के संबंध में संविदागत देयताओं के लिए संविदा मूल्य के 2.5 प्रतिशत का प्रावधान जारी रखा जाता है। एकल उत्पाद की आपूर्ति से संबंधित अनुबंधों के मामले में, प्रत्येक तैयार उत्पाद के मूल्य का 2.5 प्रतिशत प्रदान किया जाता है।

(iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

(iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को खर्च करने की जरूरत पड़े।

तथापि, जहां धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

12. शासकीय अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब आश्वासन मिलता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। गैर मौद्रिक अनुदानों को परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के रूप में देखा जाता है और इसे आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को संपत्ति के उपयोगी लाभप्रदता काल पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ – हानि विवरण में दर्शाया जाता है। राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित लागतों के साथ मिलान हेतु आवश्यक अवधियों पर लाभ–हानि विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी वे क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं।

13. आय–कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर सम्मिलित हैं। आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर।

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है, जो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शाई जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की दर्शाई गई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति हो पाएगी।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

14. परिसंपत्ति की ह्रास

वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास

व्यापार और पट्टे की प्राप्य राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन

अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है, यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर, वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की ह्रास

नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहां किसी भी तरह की हानि का संकेत होता है। लाभ और हानि का आकलन हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, जहां कैरींग राशि नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि संकेतों से पता चलता है कि हानि में कमी आई है अथवा अब हानि नहीं हो रही है, तो पूर्व कालावधि में नुकसान से हुई हानि का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है।

यदि वसूली राशि को इंगित करते हुए लागत में परिवर्तन हो तो, इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है। यदि कोई इम्पेयरमेंट लॉस होना नहीं पाया गया है तथा संपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का शुद्ध है तो इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

15. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारण खंड विशेष की परिचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार किया जाता है। जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें "अनावंटित राजस्व/व्यय/संपत्ति/ देनदारियों" के तहत सम्मिलित किया गया है।

16. वित्तीय लिखत

i) नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय विलेख

नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है: –

– (ए) परिशोधित लागत और (बी) लाभ एवं हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां।

– परिशोधित लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियां।

प्रारंभ में, सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो कैरींग राशि का निर्धारण करने में लेन–देन की लागत सम्मिलित होती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डि–रेकोग्नाइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति में वित्तीय देनदारियों को डि–रेकोग्नाइज किया जाता है।

बाद में नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है:

क. परिशोधित लागत

"परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत" का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से परिशोधित लागत पर किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त आय में सम्मिलित किया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ – हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख. एफ़वीटीपीएल श्रेणी

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय लिखत बाद में लाभ – हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर तैयार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लेनदेन लागत को लाभ – हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्न रूप में दर्शाया जाता है:

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है।

ii) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

यदि प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला कोई एंबेडेड डेरिवेटिव हो उसे हॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट से अलग रखा जाता है और अलग से हिसाब में लिया जाता है। यदि हॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट की आर्थिक विशेषताएं एवं जोखिम और एम्बेडेड डेरिवेटिव आपस में जुड़े ना हों तो उसी प्रकार का एक अलग लिखत एम्बेडेड डेरिवेटिव डेरिवेटिव को परिभाषित करेगा और संयुक्त लिखत को लाभ – हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं निर्धारित किया जाएगा।

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर निर्धारित और परिकलित किया जाता है। लेनदेन की अट्रीब्युटेबल लागत को लाभ और हानि में लागत के रूप में दर्शाया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, डेरिवेटिव को लाभ–हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

17. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में बैंक में शेष और अपने पास उपलब्ध नकदी सम्मिलित होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा सम्मिलित हैं जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रूप में परिवर्तनीय हैं और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

नोट (3) – गैर वर्तमान संपत्ति
संपत्ति, संयत्र और उपकरण

संपत्तिए संयत्र और उपकरण (पीपी) पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 2 को देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सकल खंड	**6050.80**	5746.15
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास	**3315.33**	2862.23
नेट ब्लॉक (नोट 3.1 का विवरण देखें)	**2735.47**	2883.92

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को इंड एएस ट्रांजिशन की तारीख को निर्णीत कीमत माना गया है

नोट (3) – गैर वर्तमान संपत्ति
कार्यशील पूंजी

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
संयत्र एवं मशीनरी और अन्य उपकरण:				
निर्माणाधीन / संरचना / निर्माण की प्रतीक्षा में	**166.34**		102.72	
मार्ग में	**0.54**	**166.88**	30.29	133.01
निर्माण कार्य में प्रगति–सिविल		**137.98**		88.63
निर्माण भंडार (पारगमन सहित)		**1.88**		1.57
		306.74		223.21

नोट (4) – गैर वर्तमान संपत्ति
अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्ति पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 का बिंदु 4 देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 का
सकल खंड	**280.48**	250.00
घटाएँ: संचित ऋणमुक्ति	**201.87**	166.93
नेट ब्लॉक (नोट 4.1 का विवरण देखें)	**78.61**	83.07

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना हैए और तदनुसार 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को इंड एएस ट्रांजिशन की तारीख को निर्णीत कीमत माना गया है

नोट (4ख) – गैर वर्तमान संपत्ति
विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 का
विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	**7.26**	12.23
	7.26	12.23

टिप्पणी (3.1) – परिसंपत्तियां, प्लांट व उपकरण का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/समायोजन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2020 को अंतिम शेष	01.04.2019 पर संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2020 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2020 की स्थिति पर निवल ब्लॉक	31ण03ण2019 की स्थिति पर निवल ब्लॉक
भूमि – फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	27.67	0.04	0.00	**27.71**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**27.71**	27.67
भवन –फ्रीहोल्ड भवन	1585.78	92.43	(7.03)	**1671.18**	421.66	99.54	(5.94)	**514.86**	**1155.87**	1164.12
सड़कें, पुल एवं पुलिया	15.14	0.10	0.00	**15.24**	12.00	0.88	(0.06)	**12.82**	**2.41**	3.14
जल व मल निकासी एवं जल–आपूर्ति	28.09	0.57	0.00	**28.66**	4.80	1.16	0.00	**5.96**	**22.70**	23.29
प्लांट व मशीनरी	3073.43	85.27	(1.22)	**3157.48**	1859.21	216.59	(0.83)	**2074.57**	**1082.51**	1214.22
रेल्वे साइडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	3.49	0.69	0.02	**4.20**	**4.65**	5.36
लोकोमोटिव व वेगन	28.34	(0.01)	0.03	**28.36**	11.57	2.16	0.00	**13.74**	**15.90**	16.77
फर्नीचर व फिक्चर्स	60.22	2.79	(1.83)	**61.18**	29.31	6.77	(1.44)	**34.64**	**26.54**	30.91
वाहन	11.40	2.57	(0.01)	**13.97**	5.79	1.43	(0.01)	**7.21**	**6.76**	5.61
कार्यालय व अन्य उपकरण	122.97	10.72	(1.43)	**132.26**	83.31	14.78	(0.72)	**97.17**	**34.89**	39.66
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	32.76	71.37	4.96	**109.10**	28.26	17.70	4.88	**50.84**	**58.26**	4.50
इलेक्ट्रिकल संस्थापनाएं	241.91	7.95	(0.93)	**248.93**	125.53	29.76	(0.31)	**154.71**	**93.96**	116.38
निर्माण उपकरण	71.90	0.52	(0.19)	**72.23**	61.86	4.91	(0.16)	**66.62**	**5.61**	10.04
10ए000/– तक की लागत वाली अचल संपत्तियां	14.35	4.86	(0.83)	**18.38**	14.35	4.90	(0.88)	**18.37**	**(0.00)**	(0.00)
बट्टा – प्रयोग की गई परिसम्पत्ति	443.44*	20.38	(6.54)	**457.27**	201.23*	66.63	(8.23)	**259.62**	**197.65**	242.21*
कुल	**5766.25**	**299.56**	**(15.02)**	**6050.80**	**2862.23**	**467.96**	**(13.69)**	**3315.33**	**2735.47**	**2904.02**
पिछला वर्ष	5404.27	349.59	(7.72)	**5746.15**	2426.74	437.53	(2.04)	**2862.23**	**2883.92**	2977.53

*भा. ले. मा. 116 के अनुपालन और वित्तीय पट्टे के रूप में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण के प्रभाव सहित ; नोट 45 का संदर्भ ग्रहण करें)

आरओयू परिसम्पत्तियों का मदवार विवरण आगे सारणी 3.1 (अ) में दिया गया है।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	निवल ब्लॉक	संचित ह्रास	शुद्ध ब्लाक
वित्तीय पट्टे के रूप में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियां जो भा. ले. मा. 17 के अनुपालन में पुनर्वर्गीकृत प्रयोग की गई बट्टाकृत परिसम्पत्ती	423ण34	201ण23	222ण11
भा. ले. मा. 116 के अनुपालन का प्रभाव	20ण10	0ण00	20ण10
कुल	**443ण44**	**201ण23**	**242ण21**

नोटः

सकल ब्लॉक ;पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसारः 31.03.2019 को रू 13033.88 एवं 31.03.2020 को रू 12763.61 करोड़ था।

31.03.2020 को सकल ब्लॉक में रू. 14.98 करोड मूल्य की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग से भिन्न संपत्तियों को समिमलित किया गया है ; (पिछले वर्ष का रू. 0.12 करोड) ।

31.03.2020 को निवल ब्लॉक में रू. 0.12 करोड मूल्य की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग से भिन्न संपत्तियों को समिमलित किया गया है ; (पिछले वर्ष का रू. 0.12 करोड)।

सकल ब्लॉक में निष्पादक एजेंसी के रुप में अनुसंधान के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों की लागत सम्मिलित नही है, चूंकि, यह संपत्तियां कंपनी से जुड़ी नहीं हैं ।

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपतियों में कोई हानि नहीं हुई ।

सारणी 3.1 (क) : मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति में सम्मिलित हैं:

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास / समायोजन				निवल ब्लॉक	
	01ण04ण2019 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन६ समायोजन	कटौती६ समायोजन	31ण03ण2020 को अंतिम शेष	01ण04ण2019 पर संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास ६ परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31ण03ण2020 को संचित मूल्यह्रास	31ण03ण2020 की स्थिति पर निवल ब्लॉक	31ण03ण2019 की स्थिति पर निवल ब्लॉक
भूमि – (विकास व्यय सहित)	110.85	0.00	0.00	**110.85**	5.02	1.40	(0.02)	**6.40**	**104.46**	105.83
भवन	1.63	0.00	0.00	**1.63**	0.21	0.05	(0.00)	**0.26**	**1.37**	1.42
प्लांट व मशीनरी	0.00	4.07	0.00	**4.07**	0.00	0.00	1.69	**1.83**	**2.24**	0.00
कार्यालय व अन्य उपकरण	16.19	0.09	0.00	**16.29**	10.43	2.84	0.00	**13.27**	**3.02**	5.77
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	294.56	13.62	(6.54)	**301.64**	185.33	50.28	(9.90)	**225.70**	**75.93**	109.23
वाहन	3.99	1.31	0.00	**5.30**	0.00	1.69	0.00	**1.69**	**3.61**	3.99
अन्य	16.21	1.29	0.00	**17.50**	0.10	10.38	0.00	**10.48**	**7.03**	16.11
कुल	**443.44**	**20.38**	**(6.54)**	**457.27**	**201.23**	**66.63**	**(8.23)**	**259.62**	**197.65**	**242.21**

टिप्पणी (3.1) – संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी के विवरण का अतिरिक्त प्रकटन

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
1. भूमि एवं भवन में शामिल हैं		
क. i) कई एकड़ भूमि जिसके लिए औपचारिक हस्तांतरण/लीज डीड का निष्पादन नहीं किया गया है, (एकड़ में)	**8196.93**	8196.93
नेट ब्लॉक	**71.49**	68.45
ii) उन फ्लैटों की संख्या जिनके लिए औपचारिक हस्तांतरण/पट्टे विलेख निष्पादित नहीं किए गए हैं (सं. में)	**12**	12
नेट ब्लॉक	**1.15**	1.19
iii) कई एकड़ भूमि जिसके लिए भुगतान की गई लागत अनंतिम है; (एकड़ में)	**506.46**	506.46
(पंजीकरण शुल्क और स्टांप ड्यूटी (प्रावधान का शुद्ध) भुगतान होने पर लेखाबद्ध किया गया)		
नेट ब्लॉक	**64.07**	64.79
ख. रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के विभागों और अन्यों को लीज पर दी गई कई एकड़ भूमि (एकड़ में)	**30.37**	30.37
ग. रक्षा मंत्रालय (बीईजी) द्वारा उपयोग की जा रही कई एकड़ भूमि जिसके लिए लाइसेंस समझौता 30.11.2018 तक वैध था (एकड़ में)।	-	180
घ. कई एकड़ भूमि पर प्रतिकूल कब्जा/अतिक्रमण है। (एकड़ में)	**757.47**	701.86

ड. हरिद्वार प्लांट में 1297.86 एकड़ (पिछले वर्ष 1242.71 एकड़) भूमि का म्यूटेशन लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाही जारी है। इसमें 934 एकड़ भूमि (पिछले वर्ष 878.85 एकड़) शामिल है, जो बीएचईएल के कब्जे में है, लेकिन वर्ष 2004 और 2007 में गलत तरीके से सिडकुल उत्तराखंड सरकार के नाम पर रूपांतरित हो गई है।

च. आगे, उत्तराखंड सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.12.2003 के अंतर्गत हरिद्वार संयंत्र में, 8 एकड़ भूमि का आईओसीएल/राज्य सरकार को हस्तांतरण लंबित है।

(ऊपर उल्लिखित (क से च) भूमि की लागत महत्वपूर्ण नहीं है)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
2. i) एकड़ों में भूमि का कुल क्षेत्रफल	**16409.03**	16409.03
ii) एकड़ में 2(प) में से फ्री होल्ड भूमि (बिक्री विलेख/संपत्ति के अधिकार/लाइसेंस	**15735.69**	15735.69
iii) एकड़ में 2 (प) में से लीज होल्ड भूमि	**673.34**	673.34

3. प्रत्येक रु. 10000/– तक लागत/प्रारंभिक नेट ब्लॉक वाली पीपीई के आइटम पर कंपनी 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास प्रदान करती है। पहले के वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की किसी वस्तु पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार है:

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
रु. 10,000/– पीपीई पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास रुपये तक लिया शुल्क	**6.14**	8.08
घटाएं: उपरोक्त पर सामान्य मूल्य ह्रास।	**1.11**	2.07
वर्ष के लिए मूल्य ह्रास हेतु ली गई अतिरिक्त राशि	**5.03**	6.01

टिप्पणी 4.1 – अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन / समायोजन	कटौती / समायोजन	31.03.2020 को अंतिम शेष	01.04.2019 पर संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2020 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2020 की स्थिति पर निवल ब्लॉक	31.03.2019 की स्थिति पर निवल ब्लॉक
आंतरित स्रोतों द्वारा विकसित										
– अन्य	61.69	4.86	0.00	**66.55**	45.26	8.60	0.00	**53.86**	**12.69**	16.43
अन्य										
– साफ्टवेयर	45.13	5.58	0.00	**50.71**	37.40	4.74	0.06	**42.21**	**8.50**	7.75
तकनीकी ज्ञान	143.17	20.06	0.00	**163.23**	84.28	21.56	(0.03)	**105.80**	**57.43**	58.88
अन्य	**250.00**	**30.50**	**0.00**	**280.48**	**166.93**	**34.90**	**0.03**	**201.87**	**78.61**	**83.07**
पिछला वर्ष	221.87	27.99	0.14	**250.00**	130.56	36.22	0.15	**166.93**	**83.07**	91.31

सकल ब्लॉक ;पिछले भारतीय जीएएपी के अनुसारः 31.03.2019 को रु. 534.48 एवं 31.03.2020 को रु. 521.48 करोड़ था।

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपतियों में कोई हानि नहीं हुई ।

नोट (5) – गैर वर्तमान संपत्ति
वित्तीय संपत्ति – निवेश

सहायक और संयुक्त उपक्रमों में निवेश पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 6 का संदर्भ लें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को			31 मार्च, 2019 को		
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य भारतीय रुपए में)	राशि		शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य भारतीय रुपए में)	राशि	
1 उद्धृत इक्विटी विलेख/लिखत	-		-	-		-
2. गैर–उद्धृत विलेख/लिखत (पूरी तरह भुगतान किए गए शेयर)						
(क) संयुक्त उद्यम में निवेश (लागत पर)						
(i) रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि.	**664040000 (10)**		**664.04**	664040000 (10)		664.04
(ii) बीएचईएल–जीई गैस टरबाईन सर्विसेस प्रा. लि.	**2379999 (10)**		**2.38**	2379999 (10)		2.38
(iii) एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा.लि.	**50000000 (10)**	**50.00**		50000000 (10)	50.00	
घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		**50.00**	-		50.00	
(iv) पावरप्लांट परफॉर्मेस इम्प्रोवेमेंट लि०	**1999999 (10)**	**2.00**		1999999 (10)	2.00	
घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		**2.00**	-		2.00	-
(v) दादा धुनिवाले खंडवा पावर लि०	**22500000 (10)**	**5.20**		22500000 (10)	22.50	
घटाएँ: प्राप्त राशि		**0.27**			17.30	
घटाएँ: मूल्यह्रास हेतु प्रावधान		**4.93**	-		5.20	-
			666.42			666.42
(ख) सहायक कंपनी में निवेश (लागत पर)						
बीएचईएल. इलैक्ट्रिकल मशीन लि.	**5355000 (10)**	**5.36**		5355000 (10)	5.36	
घटाएँ: मूल्यहह्रास हेतु प्रावधान		**5.36**	-		5.36	-
(ग) पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी लिखित में निवेश (एफ़वीटीपीएल पर)						
(i) नीलांचल इस्पात निगम लि.	**5000000 (10)**	**5.00**		5000000 (10)	5.00	
(ii) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लि.	**728960 (10)**	**0.91**		728960 (10)	0.91	
(iii) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लि	**1892 (10)**	*****		1892 (10)	*	
		5.91			5.91	
जोड़ें / (घटाएँ): उचित मूल्य समायोजन		**2.82**	**3.09**		2.97	2.94
सहकारी समितियों में हिस्सेदारी #			-			-
			669.51			669.36
*भा. रु 1 लाख से कम का मूल्य						
निर्विवाद निवेश की कुल राशि			**734.62**			734.89
निवेश के मूल्य में हानि की सकल राशि			**65.11**			65.53

विभिन्न कर्मचारी सहकारी समितियों में धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य 1 लाख से कम है

संयुक्त उद्यम और सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी

(रु. करोड़ों में)

विवरण		31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(क) संयुक्त उद्यम का नाम (जेवीसी)	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्रा. लि. (बीजीजीटीएस)	भारत	एक हिस्सा 50% से कम है	एक हिस्सा 50% से कम है
एनटीपीसी.बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. (एनबीपीपीएल)		50%	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लि० (आरपीसीएल)		27.97%	27.97%
दादा धुनिवाले खंडवा पावर लि. (डीडीकेपीएल)		50%	50%
पावर प्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. (पीपीआईएल)		एक हिस्सा 50% से कम है	एक हिस्सा 50% से कम है

(i) एनटीपीसी.बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट प्रा. लि. में निवेश के मूल्य मेँ कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष तक 50.00 करोड़ रुपए) तक किया गया है। 08 फरवरी, 2018 को हुई बैठक मेँ निदेशक मंडल ने एनबीपीपीएल के समापन के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने एनटीपीसी को सलाह दी है कि वह बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करे और या तो इसे एक इन–हाउस शाखा के रूप में जारी रखने या वर्तमान कार्य पूरा होने के बाद इसे बंद करने का निर्णय ले। यह सलाह एनबीबीपीएल बोर्ड द्वारा 29.08.2019 को हुई बैठक में दी गई थी।

(ii) दादा धुनिवाले खंडवा पावर लि० में निवेश के एवज में (वित्त वर्ष 2018–19 में 17.30 करोड़ रुपए और वित्त वर्ष 2019–20 में 0.27 करोड़ रुपए) 17.57 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश में मूल्य ह्रास का प्रावधान 4.93 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 5.20 करोड़ रुपए) की सीमा तक बनाए रखा गया है। जेवीसी परिसमापन के अधीन है।

(iii) पावरप्लांट परफॉर्मेंस इम्प्रोवेमेंट लि. में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान 2.00 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 2.00 करोड़ रुपए) किया गया है क्योंकि जेवीसी परिसामान के तहत है और इक्विटी के रूप में भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नही है।

विवरण		31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
(ख) सहायक कंपनी का नाम	निगमन का देश	स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल. इलैक्ट्रिकल मशीन लि. (बीएचईएल ईएमएल)	भारत	51%	51%

निदेशक मंडल ने 29 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक मेँ कंपनी की 51 प्रतिशत हिस्सेदारी केरल सरकार को हस्तांतरित करने ;भारत सरकार के भारी उद्योग विभाग के अनुमोदन की दशा में) की मंजूरी दे दी है। कर्नाटक सरकार द्वारा विधिवत अंतिम रूप से स्वीकृत अनुबंध को स्वीकृति के लिए बीएचईएल द्वारा डीएचआई / भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

नोट (6) – गैरचालू परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

वित्तीय आस्तियों मूल्यह्रास के संबंध में लेखांकन नीति के लिए नोट (2), का बिंदु 14 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
सुरक्षित, शोध्य		-		-
असुरक्षित, अशोध्य		5903.88		4529.16
साख का मूल्यह्रास		10833.90		10424.80
		16737.78		14953.96
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	10969.86		10445.38	
घटाएँ: स्वचालित मूल्य में कमी समायोजन	497.49	11467.35	573.38	11018.76
		5270.43		3935.20
सम्मिलित है				
(क) निदेशकों से प्राप्य		-		-
(ख) अधिकारियों से प्राप्य		-		-

व्यापार प्राप्तियों के मूल्यह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण इंड एएस 109 के अनुसार किया जाता है।

नोट (7) – गैरचालू परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

वित्तीय परिसम्पतियां के मूल्यह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 14 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्रतिभूति जमा		
सुरक्षित, शोध्य	-	-
असुरक्षित, अशोध्य		
एसईबीए पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के पास जमा	83.17	82.81
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
साख का मूल्यह्रास		
दूसरों की जमा	1.93	1.77
	85.10	84.58
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	1.93	1.77
	83.17	82.81
ऋण		
सुरक्षित, शोध्य	-	-
असुरक्षित, अशोध्य		
उपार्जित ब्याज और ऋणों पर देय	-	0.01
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
साख का मूल्यह्रास	-	-
	-	0.01
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	-	-
	-	0.01
	83.17	82.82
सम्मिलित है:		
निदेशकों से प्राप्य	-	-
अधिकारियों से प्राप्य	-	-

नोट (8) अप्रचलित परिसंपत्तियां
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल देयताएं)

आयकर पर लेखांकन नीति के नोट (2) के बिंदु 13 का संदर्भ लें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान	**1724.36**	2623.08
वैधानिक बकाया (भुगतान के आधार पर अनुमत)	**576.14**	744.01
मूल्यह्रास – संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त आस्तिया	**75.31**	118.20
कर योग्य हानि के कारण	**345.61**	-
अन्य	**34.79**	12.08
	2756.21	3497.37
आस्थगित कर देनदारियाँ	**-**	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल देनदारियाँ)	**2756.21**	**3497.37**

आस्थगित कर शेषों का संचलन

(रु. करोड़ों में)

विवरण	01 अप्रैल, 2019 को शेष राशि	प्रतिधारित कमाई में मान्य	लाभ और हानि खाते के विवरण में मान्य	ओसीआई में मान्य	31 मार्चए 2020 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रावधान	2623.08	-	(898.72)	-	**1724.36**
वैधानिक बकाया (भुगतान के आधार पर अनुमत)	744.01	-	(236.05)	68.18	**576.14**
मूल्यह्रास (पीपी और ई और अमूर्त संपत्ति)	118.20	-	(42.89)	-	**75.31**
कर योग्य हानि के कारण	-	-	345.61	-	**345.61**
अन्य	12.08	-	22.71	-	**34.79**
पूर्णयोग	**3497.37**	-	**(809.34)**	**68.18**	**2756.21**
घटाएँ: स्थगित कर देनदारियां	-	-	-	-	**-**
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल देनदारियाँ)	**3497.37**	-	**(809.34)**	**68.18**	**2756.21**

नोट (9) अप्रचलित परिसंपत्तियां
अन्य अप्रचलित परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 14 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 14 देखें।				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, अशोध्य	16422.59		14392.34	
साख का मूल्यह्रास	2272.04		1779.61	
	18694.63		16171.95	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के भत्ते	2272.04	16422.59	1,779.61	14392.34
प्रतिभूति जमा				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, अशोध्य				
कर प्राधिकारियों और अन्यों के पास जमा	105.97		135.08	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्यह्रास	29.17		25.09	
	135.14		160.17	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध जमा के भत्ते	29.17	105.97	25.09	135.08
ऋण और अग्रिम				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, अशोध्य				
खरीद के लिए अग्रिम	66.88		73.54	
वसूली योग्य दावा और अन्य	79.01		74.88	
पूंजीगत अग्रिम	23.81		22.17	
	169.70		170.59	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम	37.77	131.93	26.23	144.36
		16660.49		14671.78
(क) अनुबंध आस्तियों ;कुल प्रावधानों) में सम्मिलित हैं)				
आस्थगित ऋण		14748.13		13058.01
(ख) ऋण और अग्रिम में सम्मिलित हैं:				
अ. निदेशकों से प्राप्य		.		.
आ. अधिकारियों से प्राप्य		.		.

नोट (10) – वर्तमान परिसंपत्तियां
माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) के बिंदु 7 का संदर्भ लें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
कच्चा माल और घटक	**3319.22**		3479.58	
मार्गस्थ सामग्री	**647.83**	**3967.05**	451.01	3930.59
कार्य प्रगति पर		**4119.71**		3219.82
(उप.ठेकेदारों के पास मदों सहित)				
तैयार माल	**822.94**		661.01	
अंतर – इकाई मार्गस्थ स्थानांतरण	**68.59**	**891.53**	114.93	775.94
स्टोर और स्पेयर पाट्‌र्स				
उत्पादन	**197.59**		176.99	
ईंधन भंडार	**3.40**		6.97	
विविध	**53.38**	**254.37**	54.13	238.09
अन्य माल सूची				
फैब्रिकेटरों / ठेकेदारों के पास सामग्री	**59.55**		63.02	
(ब) उपकरण	**37.88**		34.40	
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	**117.76**	**215.19**	90.89	188.31
		9447.85		8352.75
घटाएँः रुकी हुई इन्वेंट्री के लिए प्रावधान		**542.39**		555.46
		8905.46		7797.29
नोट :				
माल सूची से लिखा गया		**100.80**		115.90
घटाएँः इसके उलट		**113.87**		26.83
शुद्ध		**(13.07)**		89.07

नोट (11) – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

वित्तीय के मूल्यह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 14 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
सुरक्षित, शोध्य		-		-
असुरक्षित, शोध्य		7972.67		13440.93
साख का मूल्यह्रास		572.94		481.39
		8545.61		13922.32
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के भत्ते	1266.17		2005.21	
घटाएँ: मूल्य में कमी का स्वचालित समायोजन	171.82	1437.99	56.31	2061.52
		7107.62		11860.80
सम्मिलित है:				
(क) निदेशको से प्राप्य		.		.
(ख) अधिकारियों से प्राप्य		.		.

नोट (12) – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष पर लेखांकन नीति के लिए नोट ख्2, के बिंदु 17 का संदर्भ लें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
बैंकों में बकाया राशि:				
ईईएफसी खाता	82.93		102.22	
करंट / कैश क्रेडिट खाता	1285.45	1368.38	623.01	725.23
अधिकार में चेक, डिमांड ड्राफ्ट		29.90		69.43
बैंकों में 3 महीने या उससे कम अवधि वाले जमा		0.29		-
अधिकार में नकदी और स्टेम्प		0.21		0.12
पारगमन में प्रेषण		4.08		0.82
		1402.86		795.60

नोट (13) – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – बैंक में जमा राशि

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
3 महीने से अधिक की लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली फिक्स्ड डिपॉजिट		5000.00		6700.00
जारी किए गए बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे फिक्स्ड डिपॉजिट		2.41		2.28
बैंकों में बकाया राशि (निर्धारित):				
चार्जिंग स्टेशन परियोजना	10.17		-	
लावारिस लाभांश खाता	2.79		3.61	
गैर.प्रत्यावर्तनीय खाता	0.30		1.82	
बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय	0.03	13.29	0.03	5.46
		5015.70		6707.74
कुल नकद एवं बैंक में जमा राशि (12, 13)		6418.56		7503.34

नोट (14) – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

वित्तीय आस्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 14 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
प्रतिभूति जमा				
सुरक्षित, शोध्य		-		-
असुरक्षित, शोध्य				
ईएमडी और अन्य जमा		134.99		157.45
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		-		-
साख का मूल्यह्रास		13.42		3.54
		148.41		160.99
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते		13.42		3.54
		134.99		157.45
ऋण				
सहायक कंपनी को ऋण $	3.00		3.00	
पीएसयू को ऋण ’	12.00		12.00	
ऋणों पर उपार्जित और देय ब्याज	2.03	17.03	2.03	17.03
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते		17.03		17.03
		-		-
उपरोक्त के अतिरिक्त:				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्यह्रास	17.03		17.03	
		134.99		157.45

$ सहायक को दिया गया ऋण (3 करोड़ रु.) और उस पर देय ब्याज (0.70 करोड़ रु.) के कारण भेल की हिस्सेदारी जीओके को हस्तांतरित करने पर छूट मिलती है।

* भारत पंप और कंप्रेशर्स लिमिटेड को दिया गया ऋण पूरी तरह से प्रदान किया गया है

सम्मिलित हैं :				
अ. निदेशकों से प्राप्य		.		.
आ. अधिकारियों से प्राप्य		.		0.01

नोट (15) – वर्तमान परिसंपत्तियां
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
बैंकों जमा और निवेश पर अर्जित ब्याज	99.39		128.94	
कर्मचारियों को अग्रिम	24.53		33.27	
वित्त पट्टे पर प्राप्य किराया	-		0.03	
	123.92		162.24	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	0.07	123.85	0.05	162.19
		123.85		162.19
सम्मिलित हैं:				
(अ) निदेशकों से प्राप्य		-		-
(आ) अधिकारियों से प्राप्य		0.05		0.01

नोट (16) वर्तमान परिसंपत्तियां
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / देयताएं (शुद्ध)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 13 का संदर्भ लें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 का
अग्रिम कर और टीडीएस	**2528ण11**	2888ण12
घटाएँ: कराधान के लिए प्रावधान	**2299ण09**	2979ण52
	229ण02	;91ण40द्ध

नोट (17) – वर्तमान परिसंपत्तियां
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

वित्तीय आस्तियों के मूल्यह्रास के लिए लेखांकन नीति के नोट ख्2, का बिंदु 14 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
संविदा परिसंपत्तियां (बिना बिल के राजस्व सहित)				
सुरक्षित, शोध्य	**-**		-	
असुरक्षित, शोध्य	**7670.46**		8426.90	
साख का मूल्यह्रास	**54.69**		202.40	
	7725.15		8629.30	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	**54.69**	**7670.46**	202.40	8426.90
वसूली योग्य दावे				
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	**927.07**		1187.73	
वसूली योग्य दावा और अन्य	**688.43**		710.00	
अग्रिम				
सहायक कंपनी	**0.24**		0.24	
वेंडर / उप ठेकेदार	**231.60**		257.72	
	1847.34		2155.69	
घटाएँ : दोषयुक्त और संदिग्ध अग्रिमों और दावों के लिए भत्ते	**135.03**	**1712.31**	126.45	2029.24
उपरोक्त के अतिरिक्तः				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य	1712.31		2029.24	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्यह्रास	135.03		126.45	
प्रतिभूति जमा				
कर प्राधिकारियों और अन्यों के पास जमा	**460.01**		495.75	
घटाएँ: दोषयुक्त और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	**58.75**	**401.26**	60.87	434.88
उपरोक्त के अतिरिक्तः				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य	401.26		434.88	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्यह्रास	58.75		60.87	
		9784.03		10891.02
अनुबंध संपत्ति (कुल प्रावधान) में सम्मिलित हैं:				
आस्थगित ऋण		**4366.26**		5625.80

नोट (18) – इक्विटी
इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	शेयरों की संख्या (रुपये में अंकित मूल्य)	राशि	शेयरों की संख्या (रुपये में अंकित मूल्य)	राशि
क इक्विटी शेयर कैपिटल				
अधिकृत	**10000000000 (2)**	**2000.00**	10000000000 (2)	2000.00
जारी क्रय किया, पूर्ण भुगतान किए गए	**3482063355 (2)**	**696.41**	3482063355 (2)	696.41
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का सामंजस्य				
वर्ष की आरंभ में शेष राशि	**3482063355**	**696.41**	3671400000	734.28
वर्ष के दौरान आवंटित बोनस शेयर	**-**	**-**	189336645	37.87
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3482063355**	**696.41**	3482063355	696.41
ख) शेयरधारकों द्वारा वर्ष के अंत में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति	**2199650402**	**63.17%**	2199650402	63.17%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**350647914**	**10.07%**	350647914	10.07%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		**2.00**		2.00

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम / अधिकारः

कंपनी के पास केवल 2 रुपये प्रति शेयर (पिछले वर्ष 2 रुपये प्रति शेयर) के बराबर मूल्य वाली श्रेणी के इक्विटी शेयरों हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का पात्र है।

घ) बोनस शेयर जारी करनाः

कंपनी ने 03 अक्टूबर, 2017 को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर आवंटित कियाए यानी दो मौजूदा पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई पूंजी वित्त वर्ष 2016–17 में 489.52 करोड़ रुपये से बढ़कर आरक्षित निधि के पूंजीकरण द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रुपये हो गई।

(ङ) शेयर बायबैक

कंपनी निदेशक मंडल के माध्यम से 25 अक्टूवर, 2018 के अनुमोदन के द्वारा अपने 18,93,36,645 रुपये के शेयर 2 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को वापस खरीद लियाए जिनमें से प्रत्येक कुल जारी किए गए 5.16% और पेड.अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्त वर्ष 2018.19 में 86 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 1628,29,51,470 की राशि के लिए कंपनी के पात्र इक्विटी शेयरधारक को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई शेयर पूंजी वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रुपए से कम होकर वित्त वर्ष 2018.19 में 696.41 करोड़ रुपये हो गई ।

नोट (18) (ए) – अन्य इक्विटी

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अन्य इक्विटी बैलेंस का सारांशः		
आरक्षित पूंजी	**35.18**	35.18
पूंजी मोचन आरक्षित	**37.87**	37.87
सामान्य आरक्षित निधि	**30476.66**	30476.66
प्रतिधारित आय'	**(1649.80)**	326.91
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनःपूर्ति	**(415.11)**	(141.23)
	28484.80	30735.39

'प्रारंभिक प्रतिधारित भाग में परिवर्तन के लिए कृपया नोट (50) देखें

आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्यः

(क). **आरक्षित पूंजीः** यह मुख्य रूप से भेल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की लागत से अधिक निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) **पूंजी मोचन आरक्षित निधिः** कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की खरीद पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि में वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर राशि है।

(ग) **सामान्य आरक्षित निधिः** यह भविष्य में (ज्ञात / अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लाभ के संचय का प्रतिनिधित्व करता है।

(घ) **प्रतिधारित आयः** सामान्य आरक्षित को हस्तांतरण, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) या शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य वितरण घटाकर रिटायर्ड कमाई वह लाभ है जो कंपनी ने अब तक अर्जित किया है।

(ङ) **शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः मापः** योजना परिसंपत्तियों और वास्तव में हासिल की गई रिटर्न पर ब्याज से आय के बीच अंतर, और योजनाओं के भीतर एक्चुरियल धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष में देनदारियों में कोई भी परिवर्तनए 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता प्राप्त हैं और इसके बाद लाभ और हानि के विवरण में पुनरूवर्गीकृत करने के लिए नहीं है।

नोट (19) – अप्रचलित देनदारियां
वित्तीय देनदारियां – ऋण राशि

पट्टे पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) का बिंदु 3 देखें।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आरक्षित		
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता (पट्टे पर नोट (45) के अनुसार प्रकटन)	**75.37**	95.45
	75.37	95.45

नोट (20) – अप्रचलित देनदारियां
वित्तीय देनदारियां, व्यापारिक देय राशि

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
व्यापारिक देय राशियाँ				
(i) (i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	8.25		-	
(ii) (ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया बकाया	999.62	1007.87	702.98	702.98
		1007.87		702.98

नोट (21) – अप्रचलित देनदारियां
अन्य वित्तीय देनदारियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
ठेकेदारों और दूसरों से जमा	150.99	85.17
पूंजीगत व्यय के लिए देयता	8.03	6.36
	159.02	91.53

नोट (22) – अप्रचलित देनदारियां
प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 10 और 11 को देखें।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
संविदागत देनादारियां	3791.01	3852.31
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	1170.42	1303.01
अन्य प्रावधान	277.53	305.42
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व *	8.93	2.40
	5247.89	5463.14

*(सीएसआर व्यय पर नोट (34) के बिंदु (vii) के अनुसार प्रकटीकरण)

नोट (23) – अप्रचलित देनदारियां
अन्य अप्रचलित देनदारियां

शासकीय अनुदान पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) का बिंदु 12 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुबंध देयता (ग्राहकों से राजस्व पर बिलिंग से अधिक सहित अग्रिम)	**2921.16**	3577.93
आस्थगित आय. सरकारी अनुदान #	**31.49**	37.95
	2952.65	3615.88

सोलर पीवी प्लांट और विनिर्माण लगाने के लिए शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ

नोट (24) – वर्तमान देनदारियाँ
वित्तीय देनदारियां – ऋण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
शोध्य		
बैंकों से ऋण	**600.00**	600.00
पूर्व शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट	**759.22**	357.27
क्रेता से जमा (कच्चे माल, घटकों, चालू काम, तैयार माल, स्टोर्स और मांग बिलों के हाइपोथिकेशन द्वारा सुरक्षित)	**141.58**	-
	1500.80	957.27
अशोध्य		
वाणिज्यिक पत्र	**3432.59**	1,474.47
	3432.59	1,474.47
कुल उधारी	**4933.39**	2,431.74

(i) कंपनी के पास बैंकों से कुल मिलाकर 6000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 6000 करोड़) की नकद क्रेडिट सीमा है और बैंक गारंटी / साख पत्रों के संबंध में कंसोर्टियम बैंकों द्वारा मंजूर 54000 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रुपये 54000 करोड़) की कंपनी की काउंटर गारंटी / प्रति.गारंटी है। कच्चे माल, पुरज़ों, चालू कार्य, तैयार माल, स्टोर, व्यापार प्राप्य और वर्तमान और भविष्य दोनों में अन्य मौजूदा परिसंपत्तियों की गिरवीं के माध्यम से इन्हें प्रथम ऋण भार द्वारा सुरक्षित किया जाता है। 31 मार्च, 2020 को बकाया बैंक गारंटी 40520 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 43136 करोड़ रुपये) है। इसमें प्रतिस्थापन के रूप में जारी एवं लंबित बैंक गारंटी 970.83 करोड़ रूपये सम्मिलित नहीं है।

(ii) बैंकों से ऋण डबल्यूसीडीएल (एफडी के खिलाफ पिछले वर्ष) का प्रतिनिधित्व करता है।

(iii) कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट (पीसीएफ़सी) का लाभ उठाया गया है। यूएस डॉलर 100.03 मिलियन की बकाया राशि जो आंशिक रूप से अगस्त से दिसंबर 20 तक चुकाने योग्य है।

(iv) 31 मार्च 2020 तक बकाया वाणिज्यिक पत्रों का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ों में)

जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	छूट की दर	अंकित मूल्य	अमूर्त लागत
05.11.2019	04.11.2020	5.88%	600.00	580.19
13.11.2019	30.10.2020	5.99%	400.00	386.84
29.11.2019	27.11.2020	5.90%	150.00	144.50
12.12.2019	11.12.2020	6.35%	500.00	479.22
10.01.2020	09.04.2020	5.55%	450.00	449.46
20.01.2020	20.04.2020	5.62%	250.00	249.28
29.01.2020	29.04.2020	5.67%	250.00	248.93
29.01.2020	29.04.2020	5.69%	400.00	398.28
09.03.2020	29.05.2020	5.24%	500.00	495.88
		Total	**3,500.00**	**3432.59**

(v) क्रेता से जमा प्राप्त किया गया है। यूएस डॉलर 18.65 मिलियन की बकाया राशि सितंबर 20 से और दिसंबर 20 को अंशों में चुकाने योग्य है।

(vi) 31 मार्च, 2020 तक बकाया दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी 1422 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के 1433 करोड़ रुपये) है।

नोट (25) – चालू देनदारियाँ
वित्तीय देनदारियां – व्यापारिक देनदारियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
व्यापारिक देनदारियाँ:				
(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		**492.12**		764.91
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	**8383.22**		10557.92	
(iii) स्वीकृतियां	**16.64**	**8399.86**	52.28	10610.20
		8891.98		11375.11
क. सूक्ष्म और लघु उद्यमों का प्रकटन				
(i) लेखांकन वर्ष के अंत में बकाया के रूप में आपूर्तिकर्ता का मूलधन '		**500.37**		764.91
(ii) लेखा वर्ष के अंत तक आपूर्तिकर्ता को बकाया, देय ब्याज		-		-
(iii) वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान के साथए धारा 16 के संदर्भ में दिए गए ब्याज की राशि		-		-
(iv) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देने योग्य ब्याज की राशि ;जो वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद भुगतान किया गया हैद्ध लेकिन इस अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।		-		-
(v) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज की राशि और वर्ष के अंत में अदत्त शेष		-		-
(vi) आगे के वर्षों में देय और अदत्त शेष ब्याज की राशिए उस तारीख तक जब उपरोक्त ब्याज की राशि कटौती योग्य व्यय के रूप में प्रतिबंध के प्रयोजन के लिए वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान की जाती है।		-		-

'सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बकाया के रूप में यहां दिखाई गई राशि 31 मार्च, 2020 तक अनुबंध के कारण भुगतान हेतु देय नहीं है।

नोट (26) – चालू देनदारियां
अन्य वित्तीय देनदारियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
देनदारियां				
कर्मचारी देय	285.65		510.32	
अन्य देय	559.23		879.74	
पूंजीगत व्यय	82.73	927.61	88.75	1478.81
ठेकेदारों और दूसरो से जमा		491.93		522.09
वित्त पट्टा दायित्व की वर्तमान परिपक्वताएं #		53.55		58.45
अदत्त लाभाशं *		2.79		3.61
उपार्जित ब्याज और ऋण पर देय				
बेंको से		1.96		-
विदेशी वित्तीय सस्थानों में		0.75		-
लीज दायित्व		3.12		4.41
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं		1.01		0.77
		1482.72		2068.14

(i) * वर्ष के अंत में निदेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानातंरित करने हेतु कोई राशि देय और शेष नहीं है ।
(ii) # पट्टे पर नोट (45) के अनुसार प्रकटीकरण
(iii) अन्य देय राशि में बोनस शेयर जारी करने से होने वाली आंशिक शेयरों की बिक्री लाभ के रु 0.03 करोड़ सम्मिलित है ।

नोट (27) – चालू देनदारियों
प्रावधान

वर्तमान लाभ और प्रावधानों पर लेखाकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 10 और 11 को देखें । (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुबंधात्मक दायित्व	1563.86	1443.13
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	1120.75	781.03
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ##	6.58	19.43
अन्य प्रावधान	390.59	241.92
	3081.78	2485.51

सीएसआर व्यय पर नोट (34) के बिंदु (vii) के अनुसार प्रकटीकरण

नोट (28) – चालू देनदारियां
अन्य वर्तमान देनदारियां

सरकारी अनुदान पर लेखांकन नीति के लिए नोट (34) के बिंदु 12 देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुबंध देयता (राजस्व से अधिक बिलिंग सहित ग्राहको से प्राप्त अग्रिम)	3797.27	3261.05
वैधानिक देयताओं के प्रति दायित्व	453.82	1310.87
आस्थगित आय . सरकारी अनुदान	6.45	6.45
	4257.54	4578.37

नोट (29)
परिचालनों से राजस्व

राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 8 को देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहको के साथ अनुबंध से राजस्व		
बिक्री	**15057.11**	22475.84
बाहरी निर्माण और अन्य सेवाओं से आय	**5433.53**	6947.10
कारोबार (क)	**20490.64**	29422.94
अन्य परिचालन आय		
भाड़ा और बीमा	**143.43**	263.62
स्क्रैप से आय	**168.99**	205.58
आपूर्तिकर्ताओं से वसूली	**219.79**	186.97
देनदारियों का प्रतिलेखन	**312.27**	181.05
बीमा दावे	**16.42**	41.08
निर्यात प्रोत्साहन	**14.99**	3.64
अन्य	**119.53**	117.80
अन्य परिचालन से आय (ख)	**995.42**	999.74
परिचालनो से आय (ग= क+ख)	**21486.06**	30422.68
परिचालनों से राजस्व मे निम्न सम्मिलित नहीं है :		
माल और सेवा कर	**2837.28**	4491.81

कोविड 19 के प्रसार ने 20 मार्च के मध्य कारोबार को प्रभावित किया, जिसकी परिणति से देश में लॉक डाउन के कारण परिचालन में कमी हुई (संदर्भ नोट 51)

नोट (30)
अन्य आय

राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीति के लिए नोट (ख), का बिंदु 8 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय *		
बैंको से	**502.21**	498.65
अन्य	**6.97**	100.73
	509.18	599.38
लाभांश आय		
संयुक्त उद्यमों में निवेश पर लाभांश (दीर्घकालिक व्यापार)	**16.30**	16.18
	16.30	16.18
अन्य आय		
म्यूचुअल फंड में निवेश पर लाभांश	**6.43**	17.00
सरकारी अनुदान	**6.45**	6.50
पीपीई और पूंजी भंडार (नेट) की बिक्री से लाभ	**9.30**	2.25
अन्य	**32.92**	36.33
	55.10	62.08
कुल अन्य आय	**580.58**	677.64
*टीडीएस सम्मिलित है।	**50.05**	49.95

नोट (31)
सामग्री की खपत, निर्माण और इंजीनियरिंग व्यय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कच्चे माल एवं पुर्जों की खपत	11780.11	14971.20
सिविल निर्माण एवं इंजीनियरिंग व्यय	2946.98	3866.10
स्टोर और पुर्जों की खपत	352.85	411.67
	15079.94	19248.97

नोट (32)
तैयार माल की सूची में परिवर्तन और चालू कार्य

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य				
अंतिम शेष	4119.71		3219.82	
प्रारंभिक शेष	3219.82	(899.89)	2283.83	(935.99)
अंतिम शेष				
तैयार माल	822.94		661.01	
प्रारंभिक शेष	661.01	(161.93)	629.95	(31.06)
अंतर विभागीय स्थानांतरण यात्रा में		46.29		(23.75)
		(1015.53)		(990.80)

नोट (33)
कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ का लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 10 का संदर्भ लें ।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते, अन्य लाभ	4625.09	4683.50
भविष्य निधि और अन्य निधियों मे योगदान	382.27	426.39
कर्मचारी कल्याण खर्च	279.49	275.47
ग्रेच्युटी फंड मे योग्दान	105.03	107.14
सामूहिक बीमा	11.59	9.10
	5403.47	5501.60

नोट (34)
विनिर्माण, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण व्यय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत और ईधन		**459.14**		496.63
अन्य उप अनुबंधो पर व्यय		**334.60**		351.04
बाहरी ढुलाई		**287.38**		377.52
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		**222.79**		225.32
मरम्मत और रख.रखाव				
भवन	**45.03**		60.45	
संयंत्र एवं मशीने	**32.28**		38.56	
अन्य	**88.12**	**165.43**	107.14	206.15
बीमा		**147.02**		124.18
यात्रा और वाहन		**124.48**		125.03
बैंक प्रभार		**104.22**		89.76
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		**74.97**		123.12
किराया व्यय		**62.34**		74.20
सहयोग (कॉलाबोरेशन) एवं रोयल्टी पर व्यय		**57.72**		138.31
दरें और कर		**43.65**		50.05
कार्यालय व्यय		**40.29**		45.06
कौशल विकास पर व्यय		**39.38**		51.84
कानूनी, लेखा परीक्षा और प्रमाणन व्यय		**35.04**		31.55
ईपीडी सॉफ्टवेयर और लीज लाइन व्यय		**29.73**		35.58
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		**28.80**		26.54
जल प्रभार		**26.94**		40.38
निर्यात संबंधी व्यय		**24.39**		10.06
गैर आवसीय किराया		**20.23**		22.05
मनोरंजन और शिष्टाचार पर व्यय		**9.89**		10.77
पर्यावरण संरक्षण		**7.17**		7.82
संगोष्ठी, विकास और प्रशिक्षण		**6.02**		7.27
प्रचार और जनसंपर्क व्यय		**5.43**		19.90
विविध व्यय		**73.28**		69.98
		2430.33		2760.11
शुद्ध विनिमय परिवर्तन लाभ (लाभ)/ (हानि)		**(434.73)**		(66.54)
		1995.60		2693.57

नोट (34)
विनिर्माण, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण व्यय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) विधि, लेखा परीक्षा एवं प्रमाण व्यय सम्मिलित है ।		
वैधानिक लेखा परीकक्षो को भुगतान		
लेखा.परीक्षण शुल्क	**0.86**	0.82
लेखा.परीक्षण कर	**0.18**	0.20
त्रैमासिक सीमित समीक्षा एवं अन्य	**0.55**	0.57
लेखा–परीक्षण व्यय	**0.11**	0.20
	1.70	1.79
लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा. परीक्षण शुल्क	**0.15**	0.15
(ii) निदेशक शुल्क	**0.23**	0.16
(iii) विभागीय मरम्मत और रख.रखाव पर खर्च		
संयंत्र एवं मशीनें	**205.73**	238.08
भवन	**42.38**	47.64
अन्य	**34.96**	40.47
(iv) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	**179.57**	267.59
(v) विदेश यात्रा पर खर्च		
दौरों की संख्या	**323**	332
व्यय	**6.52**	6.33

vi) बीएचईएल ने एयूएससी परियोजना पर अपने हिस्से के रूप में 170.31करोड़ (पिछले वर्ष 117.50 करोड़) रुपए खर्च किए और इस खर्च को अनुसंधान एवं विकास व्यय के रूप में हिसाब में लिया।

vii) **कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वः**

लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार, कंपनी को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपनी सीएसआर नीति के तहत, पिछले 3 वर्षों के दौरान हुए शुद्ध लाभ का कम से कम 2ः सीएसआर पर खर्च करना आवश्यक हैद्य वर्ष के दौरान सीएसआर पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. वर्ष के दौरान वहन के लिए आवश्यक राशि	**28.80**	6.70
ख. पिछले वर्ष से उपलब्ध राशि	**21.83**	31.14
ग. कुल (क+ख)	**50.63**	37.84
घ. वर्ष के दौरान निम्न पर खर्च की गई राशि		
(i) किसी संपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	**-**	-
(ii) ऊपर (i) के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों पर	**35.12**	16.01
कुल	**35.12**	16.01
अग्रेषित राशि	**15.51**	21.83
वर्तमान	**6.58**	19.43
गैर –वर्तमान	**8.93**	2.40

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है	नकद में	अभी तक नकद में भुगतान किया जाना है
(i) किसी की भी संपत्ति का निर्माण / अधिग्रहण	**-**	**-**	-	-
(ii) ऊपर (i) के अलावा अन्य उद्देश्यों पर	**23.42**	**5.38**	4.16	2.54
	23.42	**5.38**	4.16	2.54

नोट (35)
प्रावधान

कर्मचारी आय, संपत्ति के प्रावधान और मूल्यह्रास पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 10, 11, और 14 देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्घ ऋण, परिनिर्धारित हर्जाना एवं ऋण अग्रिम एवं जमा				
वर्ष के दौरान बनाया गया	**2335.46**		3024.98	
घटाएंः वर्ष के दौरान आहरित	**2300.75**	**34.71**	1231.80	1793.18
अनुबंधनीय दायित्व				
वर्ष के दौरान बनाया गया	**436.35**		746.42	
घटाएंः वर्ष के दौरान आहरित	**573.11**	**(136.76)**	795.92	(49.50)
अन्य				
वर्ष के दौरान बनाया गया	**315.42**		240.65	
घटाएंः वर्ष के दौरान आहरित	**180.44**	**134.98**	244.23	(3.58)
		32.93		1740.10
जेवी में निवेश का मूल्य हास		**(0.27)**		4.10
बट्टाकृत हानियां		**-**		2.12
बट्टाकृत अशोध्य ऋण		**57.60**		26.03
परिनिर्धारित हानि एवं संविदात्मक शुल्क प्रभारित		**165.20**		65.03
		255.46		1837.38

नोट (36)
वित्तीय लागत

उधार लेने की लागत और प्रावधानों पर लेखांकन नीति लिए नोट 5 (2) के बिंदु 10 और 11 देखें

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वाणिज्यिक पत्रों पर छूट		204.12		9.32
प्रावधान और आस्थगित देनदारियों का मोचन		195.61		190.93
ऋण लागत				
बैंक/वित्तीय संस्थान	45.27		59.56	
विदेशी वित्तीय संस्थान	26.32		9.89	
पट्टा दायित्व पर	16.03		14.73	
अन्य	17.24	104.86	2.50	86.68
वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर अन्य व्यय		2.36		0.36
		506.95		287.29
घटाएं : पूंजीगत उधार लागत		-		-
		506.95		287.29

नोट (37)
कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 13 को देखें

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
चालू वर्ष के लिए	63.44		719.06	
पहले के वर्षों के लिए	(61.92)	1.52	16.01	735.07
आस्थगित कर				
चालू वर्ष के लिए	(161.53)		3.14	
पहले के वर्षों के लिए *	970.87	809.34	100.64	103.78
		810.86		838.85

* इसमें चालू वर्ष में 34.944% से 25.168% तक (ईटीआर) के परिवर्तन के कारण 956.50 करोड़ के डीटीए का उत्क्रमण सम्मिलित है ।

आयकर दर से आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) को गुणा का पुनःमिलन

(रु. करोड़ों में)

विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व कुल व्यापक आय/हानि (टीसीआई)	क	**(1004.17)**	1864.30
संविधिक आय कर दर	ख	**25.168%**	34.944%
कर व्यय	ग = (क X ख)	**(252.73)**	651.46
भिन्नता के कारण हैं :			
कर उद्देश्यों के लिए कटौती योग्य व्यय नहीं ।		**72.65**	60.24
आय कर से मुक्त आय		**(4.10)**	(5.65)
आयकर प्रोत्साहन			(47.87)
क्र दर में परिवर्तन		**974.41**	-
कर व्यय में परिवर्तन – पहले के वर्ष		**(47.55)**	116.65
पूर्ण योग	घ	**995.41**	123.37
शुद्ध कर व्यय	ड. = (ग+घ)	**742.68**	774.83

नोट (38)

अन्य व्यापक आय /व्यय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आय / (व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभ की पुनः मापन	**(342.06)**	(183.20)
घटाए : उपरोक्त मदों से संबंधित आय कर '	**(68.18)**	(64.02)
	(273.88)	(119.18)
* इसमें सम्मिलित है		
वर्तमान कर	**-**	--
आस्थगित कर $	**(68.18)**	(64.02)

$ इसमें चालू वर्ष में 34.944% से 25.168% प्रभावी कर दर (इटीआर) में परिवर्तन के कारण 17.91 करोड़ का जीटीए का उत्क्रमण एवं तदानुसार सम्मिलित है ।

नोट : कंपनी ने वर्तमान वर्ष में आयकर अधिनियम 1961 के नए खंड 115 बीएए का विकल्प चुना है।

(क) वर्तमान और आस्थित कर का प्रावधान 25.168% की दर से निर्धारित किया गया है ।

(ख) 1 अप्रैल, 2019 को आस्थगित कर संपति 25.168% की दर से बहाल की गई, परिणामस्वरूप 974.41 करोड़ रूपए की आस्थगित कर परिसंपतियों को वापिस कर दिया गया । परिणामस्वरूप कर पश्चात लाभ मे 956.50 करोड़ रूपए और अन्य व्यापक आय में 17.91 करोड़ रूपए की कमी हुई ।

नोट (39)
प्रति शेयर आय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारको के लिए निश्चित लाभ/(हानि)	**(1472.97)**	1208.65
इक्विटी शेयरो की भारित औसत संख्या	**348.21**	362.94
भारतीय रूपये 2 की प्रति शेयर के अनुसार मूल और तनुकृत अर्जन	**(4.23)**	3.33

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की वेटेज औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय की गणना की जाती है । प्रति शेयर की गई आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ के हिसाब से की जाती है कि प्रतिशेयर पर बेसिक कमाई को प्राप्त करने के लिए मानी जानी वाली इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से होती है और उन सभी इक्विटी शेयरों की वैटेज औसत संख्या जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे । 2018–19 के लिए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या 10, जनवरी 2019 तक संपन्न हुए शेयरो के बायबैक पर विचार करते हुए निकाली गई है । मूल और तनुकृत प्रति शेयर आय एक समान है

नोट (40)
प्रति शेयर लाभांश

(रु. करोड़ों में)

विवरण	मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों पर लाभांश घोषित और प्रदत्त		
प्रति क्वालीफाइंग इक्विटी शेयर पर रूपए 1.02 रूपए (पिछले वर्ष रु. 1.02) का अंतिम लाभांश	417.85	374.49
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	85.89	76.97
प्रति क्वालीफाइंग इक्विटी शेयर पर (पिछले वर्ष रु. 0.80) का अंतरिम लाभांश	-	278.57
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	57.27
	503.74	787.30
ख. इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश को दात्यित्व नहीं माना गया है ।		
वित्त वर्ष 2019–20 के लिए रु. शून्य प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित (वित्त वर्ष 2018–19 के लिए रूपए 1.20 प्रति शेयर)	-	417.85
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	85.89
	-	503.74

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है और बैलेस शीट की दिनांक को देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है ।

नोट (41) – आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
क. आकस्मिक देनदारियां		
कंपनी के विरुद्ध दावे जो ऋण के रूप में नहीं माने गए :		
(अ) बिक्री कर मामलें	**1147.53**	1194.96
(आ) सेवा कर मामलें	**793.64**	960.78
(इ) कोर्ट और मध्यस्थता मामलें	**690.01**	583.81
(ई) एक्साइज ड्यूटी मामलें	**161.76**	229.82
(उ) सीमा शुल्क और अन्य	**5.80**	5.80
(ऋ) अन्य मामला (विवादित स्टाफ मामलों सहित)	**38.16**	48.79
(ए) परिनिर्धारित हर्जाना (एलडी) के अंतर्गत दावा	**5231.57**	4410.68
	8068.47	7434.64

(i) कंपनी द्वारा विभिन्न अदालतों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर संसाधनों के बर्हिवाह पता लगाना संभव नहीं है। आमतौर पर, अदालत और मध्यस्ता मामलों की आकस्मिक दायित्व अवार्ड/कोर्ट जजमेंट पर निर्भर होता हैं और आकस्मिक देयताओं के मामले में इसकी रिपोर्टिंग के लिए मामले दर मालमे के आधार पर समीक्षा भी की जाती है।

(ii) संबंधित कार्यवाही में संकल्प के लंबित होने के कारण (अ) से (ए) मदों के संदर्भ में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। तथापि, इसकी संभावना दूरस्थ और आकस्मिक है।

(iii) परिनिर्धारित (लिक्विडेटेड) क्षतियां परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोके गए संभावित दावों या राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विलंब विश्लेषण के आधार पर परियोजना के कमीशनिंग और ट्रायल ऑपरेशन के बाद सेटल किया जाएगा जिसका प्रकटीकरण इंड एएस.37 के अनुसार किया जा रहा है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(iv) आकस्मिक देनदारियों में संचलन		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	**7434.64**	8455.91
जोड़ेः प्रारंभिक शेष में कमी	**1443.71**	2720.04
घटायें: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	**2077.54**	1698.77
वर्ष के अंत में शेष	**8068.47**	7434.64

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
ख. प्रतिबद्धता		
(अ) अनुबंध की अनुमानित राशि, शुद्ध अग्रिम, बाकी शेष को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था।	**325.72**	274.79
.. (उपरोक्त में अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित सम्मिलित हैं)	**(12.30)**	(3.23)
(आ) संयुक्त उद्यम संस्थाओं में निवेश जिसके लिए कंपनी को परियोजना के निगमन / वाणिज्यिक संचालन / परियोजना की पहली इकाई / पहली ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तारीख से पांच वर्षों के लिए उनके निपटान के लिए प्रतिबंध है, जैसा भी मामला हो।	**50.00**	50.00
(इ) अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी लेने के लिए अन्य जेवी पार्टनर की अक्षमता के मामले में संयुक्त उद्यम में अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता।	**-**	-

(ई) व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुए दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध होने के नाते सामग्री की खरीद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं जिसे समान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है।

नोट (42)

वर्तमान वित्तीय देनदारियों में भारत सरकार के आग्रह पर कंपनी द्वारा 1990–91 तक के लिए विदेश मुद्रा ऋणों के सापेक्ष भारत सरकार की गारंटीशुल्क मांग के प्रति रुपये 100.51 करोड़ (पिछले वर्ष रु। 100.51 करोड़) की राशि सम्मिलित है। कंपनी द्वारा ऋण लेने (सरकार द्वारा गारंटीकृत) के समय इस तरह के गारंटी शुल्क के भुगतान के लिए कोई शर्त नहीं होने के कारण इसकी माफी का मामला सरकार के साथ उठाया गया है।

नोट (43)

कंपनी ने 1 अप्रैल, 1999 को न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) से 30 साल की अवधि के लिए एमॉर्फस सिलिकन सोलर सेल प्लांट (एसएससीपी), गुड़गांव को लिया था। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक करार समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

नोट (44)

उप–ठेकेदारों / फैब्रिकेटर्स के साथ दिखाए गए व्यापार प्राप्य, व्यापार देयक, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और स्टॉक/सामाग्री शेष की पुष्टि, पुनर्मिलान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं, यदि है, तो कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, अनुबंध के अनुपालन में ग्राहकों द्वारा अनुमोदित बिलिंग शेड्यूल के अनुसार ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं और आवश्यक समझे जाने पर किए गए प्रावधानों व प्रगतिशील कार्य आधार पर पुनर्मिलान की जाती है। ग्राहक के साथ अंतिम सामंजस्य परियोजना के पूरा (ट्रायल ऑपरेशन और पीजी टेस्ट पूरा) होने पर किया जाता है । पूर्ण परियोजनाओं में रु 25283 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 28876 करोड़) के व्यापार प्राप्य में से रु 8098 करोड़ (पिछले वर्ष रु 7388 करोड़) बकाया हैं। पूर्ण किए गए अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ सम्मिलित परियोजनाओं में रु. 6676 करोड़ (पिछले वर्ष रु 6622) की बकाया व्यापार प्राप्ति है।

नोट (45)
पट्टों पर प्रकटीकरण – इंड एएस 116

कंपनी ने 1 अप्रैल, 2019 से प्रभावी इंड एएस 116 'पट्टे' को अपनाया है। इस इंड एएस के अनुप्रयोग की आरंभिक दिनांक 1 अप्रैल, 2019 को संचयी प्रभाव के साथ परिवर्तन कालीन समायोजन को पूर्वव्यापी रूप से किया गया है, जैसा कि उपयोग की गई परिसंपत्तियों को बट्टाकृत करना पैरा सी 5 (बी) में और वैकल्पिक रूप में पैरा सी 8 (ii) निर्धारित किया गया है तथा इसका प्रारम्भिक प्रतिधारित आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इंड एएस 116 के अंगीकरण का प्रभाव 1 अप्रैल, 2019 (वृद्धि /(कमी) के रूप में इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

	राशि
संपत्ति	
बट्टा कृत की गई उपयोगित परिसंपत्ति	**443.44**
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	**(423.34)**
कुल संपत्ति	**20.10**
दायित्वएं	
पट्टा दायित्व	**20.10**
कुल दायित्व	**20.10**

i. पट्टा प्रतिबद्धता . पट्टा के रूप में कंपनी

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा अनुबंध भूमि, भवन और ईडीपी उपकरणों के सापेक्ष होते हैं। कंपनी ने कंप्यूटर आइटम, प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरणों और बाह्य उपकरणों के लिए पट्टा की व्यवस्था के लिए एक दर अनुबंध किया है। पट्टा एग्रीमेंट की अवधि आम तौर पर पांच साल के लिए होती है। पट्टा पर ली गई संपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों में राइट.ऑफ.यूज परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है। किराया पट्टा को ब्याज, रखरखाव और मूलधन के बीच आवंटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव शुल्क को लाभ हानि विवरण पर भारित किया जाता है और मूलधन पट्टा दायित्वों के लिए समायोजित की जाती है।

पट्टों को पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था

कंपनी ने पूर्व में वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के अनुप्रयोग की प्रारम्भिक तिथि को मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक मूल्य राशि में परिवर्तन नहीं किया था (अर्थात, उपयोग की गई बट्टा कृत परिसंपत्ति इंड एएस 17 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त पट्टा परिसंपत्तियों के बराबर हैं)।

पहले पट्टों की गणना परिचालन पट्टों के रूप में की जाती थी

कंपनी ने पूर्व में परिचालन पट्टों के रूप में मान्य पट्टों के लिए अल्पमूल्य के आधारभूत व अल्पावधि वाले पट्टों को छोड़कर पट्टा दायित्वों एवं बट्टाकृत परिसंपत्तियों को मान्यता दी है। कंपनी शेष पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर मापी गई पट्टा दायित्व के रूप में मान्य करती है जो कि अनुप्रयोग की प्रारंभिक दिनांक को कंपनी की इंक्रीमेंटल बोरोविंग रेट एवं पट्टा दायित्वों के बराबर बट्टा कृत उपयोग की गई परिसंपत्तियों के संगत मापन कर डिस्काउंट किया जाता है

कंपनी ने निम्न उपलब्ध व्यावहारिक उपायों को लागू किया:

(i) ऐसे पट्टे, जिनकी पट्टा अवधि अनुप्रयोग की प्रारम्भिक दिनांक से 12 माह तक है और कुल पट्टा अवधि 12 माह से कम है, के लिए अल्पकालिक छूट।

(ii) अल्पमूल्य (50000 रुपये से कम की संपत्ति) की आधारभूत परिसंपत्तियों के पत्तों के लिए अल्पमूल्य पट्टा छूट।

क. पट्टा दायित्वों का आयु.वार विश्लेषण निम्नानुसार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	भविष्य के न्यूनतम पट्टा का भुगतान		ब्याज		न्यूनतम पट्टा भुगतान का वर्तमान मूल्य (पीवी)	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक तक
एक वर्ष के भीतर #	**65.04**	72.42	**11.49**	13.97	**53.55**	58.45
एक वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर	**87.62**	112.07	**12.25**	16.62	**75.37**	95.45
पांच वर्ष के बाद	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00

पट्टा के संबंध में भविष्य के न्यूनतम पट्टा के भुगतान की राशि जिसमें पट्टा की शेष अवधि 31 मार्च, 2020 तक और 12 महीने से कम है, 5.97 करोड़ रुपये है।

ब. 1 अप्रैल, 2019 को तुलन पत्र में मान्य पट्टा दायित्वों के साथ 31 मार्च, 2019 को परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताओं का एवं 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान पट्टा दायित्वओं के संचलन का पुनर्मिलान

(₹ करोड़ में)

	राशि
31 मार्च, 2019 को पट्टा परिचालन प्रतिबद्धताएं (एमएलपी)	**40.49**
घटायें:	
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ	**4.01**
अल्पमूल्य परिसंपत्तियों से संबंधित प्रतिबद्धताएँ	**0.39**
1 अप्रैल, 2019 को परिचालन पट्टा प्रतिबद्धताएं	**36.09**
1 अप्रैल, 2019 तक रियायी परिचालन पट्टा की प्रतिबद्धता	**20.10**
जोड़ें: वित्त पट्टा दायित्वों को पट्टा पर देनदारियों के रूप में पुनर्वर्गीकृत *	**158.31**
1 अप्रैल, 2019 तक पट्टा की दायित्वएं	**178.41**
जोड़ें: परिवर्धन	**20.38**
जोड़ें: ब्याज की वृद्धि	**16.03**
घटायें: भुगतान	**82.78**
31 मार्च, 2020 को पट्टा की दायित्व*	**132.04**

* 31, मार्च 2020 और 31, मार्च 2019 में क्रमश: 3.12 करोड़ और 4.41 करोड़ रुपये का उपार्जित ब्याज सम्मिलित है'

ग. लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशिः

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष मार्च 31, 2020 के अंत तक के लिए
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (नोट संख्या 34 देखें)	5.95
कम मूल्य की संपत्ति पट्टों से संबंधित व्यय (नोट संख्या 34 देखें)	1.21
उपयोग की संपत्ति का मूल्यह्रास शुल्क	66.63
ब्याज व्यय (वित्त लागत में सम्मिलित)	16.03

घ. कंपनी के पास विभिन्न पट्टा अनुबंध हैं जो अभी अर्थात 31 मार्च, 2020 तक शुरू नहीं हुए हैं। रद्द नहीं किए जा सकने वाले पट्टा अनुबंध का भविष्य पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि
अधिकतम एक वर्ष तक	0.07
एक वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर	0.08
5 वर्ष के बाद	-

ii. वित्त पट्टा प्रतिबद्धताएँ – ऋणदाता के रूप में कंपनी

कंपनी ने वित्त पट्टा के रूप में लोकोमोटिव दिये हैं, वित्त पट्टा प्राप्तियां के विभिन्न घटक निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
पट्टा में सकल निवेशः		
अधिकतम एक वर्ष तक	.	0.03
एक वर्ष के बाद एवं 5 वर्ष के अंदर	.	.
5 वर्ष के बाद	.	.

वित्तीय प्राप्तियों में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
अनार्जित वित्त आय	.	.
वित्तीय प्राप्तियों में कुल निवेश	.	0.03
आकस्मिक किराए को मान्यता दी गई	.	.
अर्जित किया गया बिना गारंटी के अवशिष्ट मूल्य	.	.

पट्टा प्राप्तियों का वर्तमान न्यूनतम मूल्य निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
न्यूनतम पट्टा का प्रस्तुत मूल्यः		
एक वर्ष के अंदर	.	0.03
एक और पांच के बीच	.	.
पांच से अधिक	.	.

नोट (46) – 'कर्मचारी लाभ' पर प्रकटीकरण – इंड एएस एएस19

I कंपनी के पास पारिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्न योजनाएं है।

(i) ग्रेच्युटी योजना
(ii) सेवानिवृत्ति के उपरांत स्वास्थ्य योजना
(iii) भविष्य निधि योजना
(iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा दावा

A. ग्रेच्युटी (वित्त पोषित योजना)

कंपनी की एक परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच साल या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है वह सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन पर ग्रेच्युटी (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का पात्र है, अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये की है। ग्रेच्युटी दायित्व भविष्य के भुगतानों के कारण उत्पन्न होती हैए, जिसकी सेवानिवृत्ति, सेवा के दौरान मृत्यु या त्यागपत्र की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। अनुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकिक विधि का उपयोग से दायित्व का आकलन मूल्यांकन किया गया है।

I. ग्रेच्युटी योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/दायित्व में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		"शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31 2019 तक
प्रारंभिक शेष	**2034.82**	2052.77	**1862.77**	1814.02	**172.05**	238.75
वर्ष के लाभ में सम्मिलित						
वर्तमान सेवा लागत	**105.03**	107.14	**-**	-	**105.03**	107.14
पिछला सेवा लागत					**-**	-
ब्याज लागत /(आय)	**157.70**	162.17	**157.70**	162.17	**-**	-
वर्ष के लाभ हेतु मान्यता प्राप्त कुल राशि	**262.73**	269.31	**157.70**	162.17	**105.03**	107.14
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित						
पुनर्भुगतान हानि (लाभ)						
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्न						
जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन	**(0.62)**	-	**-**	-	**(0.62)**	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	**151.51**	(22.37)	**-**	-	**151.51**	(22.37)
अनुभव समायोजन	**(29.11)**	85.11	**(20.70)**	(2.17)	**(8.41)**	87.28
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**121.78**	62.74	**(20.70)**	(2.17)	**142.48**	64.91
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया योगदान	**-**	-	**172.06**	238.75	**(172.06)**	(238.75)
लाभ का भुगतान किया गया	**(351.00)**	(350.00)	**(351.00)**	(350.00)	**-**	-
लाभ जिसका भुगतान नहीं हुआ	**-**	-			**-**	-
समाप्ति के समय बकाया	**2068.33**	2034.82	**1820.83**	1862.77	**247.50**	172.05

II. नियोजित परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	मार्च 31,2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित फंड	**56.59%**	62.47%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (कोटिड)	**33.88%**	34.30%
राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ (कोटिड)	**2.74%**	2.32%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर (कोटिड)	**0.84%**	0.90%
बैंक शेष	**5.95%**	0.01%
कुल	**100.00%**	100.00%

III. बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग के दिनांक तक निम्न लिखित मुख्य अनुमान थे

विवरण	मार्च 31,2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आर्थिक अनुमान		
छूट की दर	**6.75%**	7.75%
वेतन वृद्धि दर	**प्रथम चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.50% तथा उसके पश्चात 6% प्रति वर्ष**	प्रथम चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.60% तथा उसके पश्चात 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकी अनुमान		
सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	**आईएएलएम का 100% (2012.14)**	आईएएलएम का 100% (2006–08)
निकासी दर% (सभी उम्र)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष के ऊपर	**1%**	1%

IV. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख अनुमान में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)			
	मार्च 31, 2020 तक		मार्च 31, 2019 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
डिस्काउंट रेट में बदलाव (0.50% संचलन)	**(85.66)**	**93.53**	(73.71)	79.98
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन) में परिवर्तन	**53.64**	**(54.04)**	80.86	(75.13)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए इन के कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

भुगतान में पेंशन की वृद्धि दर, सेवानिवृत्ति पूर्व पेंशन वृद्धि दर और जीवन प्रत्याशा के रूप में संवेदनशीलता नहीं लागू होती हैं।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित बदलाव के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव की गणना करता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

V. भविष्य के वर्षों में ग्रेच्युटी योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	ग्रेच्युटी (वित्त पोषित)	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
एक वर्ष के अंदर	**313.22**	318.18
1 से 2 वर्ष से	**206.70**	216.76
2 से 3 वर्ष से	**178.18**	176.35
3 से 4 वर्ष से	**129.93**	155.27
4 से 5 वर्ष से	**114.23**	112.98
5 से 6 वर्ष से	**93.70**	112.98
6 वर्ष के बाद	**1032.37**	942.30
कुल	**2068.33**	2034.82

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रेच्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान रु. 137.11 करोड़ रु होगा।

समीक्षाधीन अवधि के अंत में ग्रेच्युटी परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत 14.91 वर्ष (31 मार्च 2019: 14.89 वर्ष) है।

VI. जोखिम एक्सपोजर

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैंए जो गतिशील प्रकृति के हैं और समय के साथ परिवर्तनशील हैं। कंपनी के समक्ष विभिन्न जोखिम जैसे वेतन वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी प्रकट होती है।

B. सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ (वित्त पोषित योजना)

कंपनी में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (PRMB) है, जिसके अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति–पत्नी को कंपनी के अस्पतालों/इंपाइनेल्ड अस्पतालों में मेडिकल सुविधा प्रदान की जाती है, जो कंपनी के मेडिकल नियमों के अधीन हैं। वे कंपनी द्वारा तय की गई सीमा में बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए वार्षिक दायित्व वास्तविक मूल्यांकन आधार पर मान्य की जाती है।

I. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/दायित्व में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/दायित्व	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
प्रारंभिक शेष	**2080.78**	1925.72	**1935.72**	1881.03	**145.06**	44.69
वर्ष के लाभ में सम्मिलित						
वर्तमान सेवा लागत	**40.15**	39.48	**-**	-	**40.15**	39.48
ब्याज दर / (आय)	**161.26**	152.13	**161.26**	152.13	**-**	-
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**201.41**	191.61	**161.26**	152.13	**40.15**	39.48
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलितः						
पुनर्भुगतान हानि (लाभ):						
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्नः						
जनसांख्यिकीय धारणा	**(0.91)**	-	**-**	-	**(0.91)**	-
वित्तीय धारणा	**193.77**	31.71	**-**	-	**193.77**	31.71
अनुभव का समायोजन	**(31.85)**	76.74	**(5.26)**	2.87	**(26.59)**	73.87
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**161.01**	108.45	**(5.26)**	2.87	**166.27**	105.58
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किए गए योगदान	**-**	-	**145.06**	44.69	**(145.06)**	(44.69)
भुगतान किया गया लाभ	**(158.00)**	(145.00)	**(158.00)**	(145.00)	**-**	-
अंतिम शेष	**2285.20**	2080.78	**2078.78**	1935.72	**206.42**	145.06

कंपनी की योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। कंपनी के फंड दायित्वों के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में कंपनी द्वारा प्रबंधित एक ट्रस्ट के माध्यम से चलाया जा रहा है।

II. बीमांकिक मान्यताएँ

रिपोर्टिंग की तारीख में मुख्य एक्चुएरियल अनुमान निम्न अनुसार है।

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आर्थिक धारणाएँ:		
रियायती दरः	6.75%	7.75%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.50% तथा उसके पश्चात 6% प्रति वर्ष	प्रथम चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.60% तथा उसके पश्चात 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकीय धारणाः		
सेवा निवृत्ति आयु	60	60
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम का 100% (2012.14)	आईएएलएम का 100% (2006–08)
निकासी दर (सभी उम्र)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	2%	2%
44 वर्ष के ऊपर	1%	1%

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता हैः

(रु. करोड़ में)

विवरण	पोस्ट सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ			
	मार्चए 31, 2020 तक		मार्च, 31 2019 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
रियायत दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	**(101.67)**	**104.64**	(102.71)	104.19
परिवर्तन दर (0.50% संचलन)	**105.37**	**(102.38)**	105.27	(103.71)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए इन के कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

उपरोक्त संवेदनशीलता विश्लेषण एक विधि के आधार पर निर्धारित किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में होने वाली प्रमुख मान्यताओं में उचित बदलाव के परिणामस्वरूप परिभाषित लाभ दायित्व पर प्रभाव की गणना करता है। यह विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्वों में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता है क्योंकि यह संभावना नहीं है कि मान्यताओं में परिवर्तन एक दूसरे के अलगाव में घटित होगा क्योंकि कुछ धारणाएं सहसंबद्ध हो सकती हैं।

IV. भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ	
	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2020
एक वर्ष के अंदर	**155.27**	139.44
1 – 2 वर्ष के बीच	**172.35**	150.01
2 – 3 वर्ष के बीच	**189.58**	163.18
3 – 4 वर्ष के बीच	**209.49**	178.49
4 – 5 वर्ष के बीच	**232.53**	194.36
5 – 6 वर्ष के बीच	**259.27**	211.85
6 वर्ष के बाद	**1066.71**	1043.45
कुल	**2285.20**	2080.78

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित योगदान रुपए 53.10 करोड़ है।

समीक्षाधीन अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति के उपरांत चिकित्सा लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 11.44 वर्ष (31 मार्च 2019) 11.97 वर्ष) है।

V. जोखिम की संभावना

मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैंए जो प्रकृति में गतिशील हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। जैसे कि कंपनी विभिन्न जोखिमों जैसे कि चिकित्सा लागत में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट की दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी प्रकट होती है।

C. भविष्य निधि

कंपनी पृथक ट्रस्ट को पूर्वनिर्धारित दरों पर नियत भविष्य निधि योगदान का भुगतान करती है जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है। सदस्यों को भारत सरकार द्वारा निर्दिष्टित न्यूनतम दर में वापिसी सुनिश्चित करना कंपनी का दायित्व है। तदनुसार, कंपनी ने एक्चयूरी रिपोर्ट प्राप्त की है, एक्चुरियल वैल्यूएशन सर्टिफिकेट दायित्व के अनुसार जहां भी संभावित ब्याज की कमी उत्पन्न हो, के लिए, खातों में इसका प्रावधान किया गया है।

I. भविष्य निधि ट्रस्ट में ब्याज की कमी का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के लिए	
	2019.20	2018.19
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज दायित्व में अतिरिक्त/(कमी)	**(23.18)**	(5.15)
एक्चुरियल वैल्यूएशन के आधार पर पीएफ ब्याज दायित्व में कमी के लिए संचित प्रावधान	**30.14**	6.96
पुनर्भुगतान लाभ/(हानि)/अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से मान्यता प्राप्त है	**(31.46)**	(12.53)
ब्याज की कमी/(अधिशेष)लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से हिसाब	**(8.28)**	(7.38)

कंपनी में विभिन्न स्थानों पर स्थित पीएफ ट्रस्ट हैं जो संबन्धित कर्मचारियों को सेवा प्रदान करते हैं और इनका प्रबंधन पृथक.पृथक है। नियोजित संपत्ति और दायित्वों का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		अधिशेष / (कमी)	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
बीएचईएल ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार	**1470.95**	1379.70	**1472.38**	1,387.17	**1.43**	7.47
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, त्रिची	**1029.10**	1119.51	**1025.27**	1119.83	**(3.83)**	0.32
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, भोपाल	**1239.54**	1176.79	**1232.47**	1175.50	**(7.07)**	(1.29)
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट	**1169.96**	1008.05	**1176.53**	1018.78	**6.57**	10.73
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, हैदराबाद	**835.64**	811.28	**853.11**	835.87	**17.47**	24.59
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चेन्नई	**741.03**	656.18	**726.19**	651.53	**(14.84)**	(4.65)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि, बेंगलुरु	**723.36**	613.12	**721.87**	616.44	**(1.49)**	3.32
बीएचईएल (बीएपी यूनिट) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेट	**416.21**	392.94	**413.30**	391.92	**(2.91)**	(1.02)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट, झांसी	**407.02**	365.26	**414.19**	371.89	**7.17**	6.63
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसेल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि, वैजाग	**127.58**	118.79	**158.81**	165.08	**31.23**	46.29
कुल	**8160.39**	7641.62	**8194.12**	7734.01	**33.73**	92.39

II. भविष्य निधि पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति/दायित्व) में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	निर्धारित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आरंभ शेष	**7641.62**	7188.67	**7734.01**	7302.12
वर्ष के लिए लाभ में सम्मिलितः				
वर्तमान सेवा लागत	**327.33**	341.66	**-**	-
ब्याज लागत/(आय)	**636.48**	567.91	**656.50**	567.91
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि :	**963.81**	909.57	**656.50**	567.91
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलितः				
पुनर्भुगतान हानि (लाभ):				
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्न होने वाली:				
जनसांख्यि की धारणाएँ	**-**	-	**-**	-
वित्तीय धारणाएँ	**2.30**	0.36	**-**	-
अनुभव समायोजन	**30.75**	43.77	**(45.63)**	23.07
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि :	**33.05**	44.13	**(45.63)**	23.07
अन्य				
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	**722.01**	698.53	**327.33**	341.66
कर्मचारी अंशदान	**-**	-	**722.01**	698.53
लाभ का भुगतान किया	**(1497.98)**	(1363.08)	**(1497.98)**	(1363.08)
सेटलमेंटस / ट्रांसफर–इन	**297.88**	163.80	**297.88**	163.80
अंतिम शेष	**8160.39**	7641.62	**8194.12**	7734.01

नोटः घाटे वाले पीएफ ट्रस्ट के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ–हानि विवरण और अन्य व्यापक आय विवरण के माध्यम से लेखांकित की गई है जैसा कि ऊपर बिंदु (I) के अंतर्गत दिखाया गया है।

III. योजना परिसंपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियां (कोटिड)	**1252.00**	1499.90
राज्य सरकार प्रतिभूतियां (कोटिड)	**3305.75**	2698.48
कॉर्पोरेट बॉन्डस् (कोटिड)	**2920.68**	2840.74
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर (कोटिड)	**7.75**	18.40
विशेष जमा (गैर कोटिड)	**468.86**	495.33
लिक्विड फंड (कोटिड)	**18.69**	25.13
अल्पावधि जमा (गैर कोटिड)	**48.04**	1.82
म्यूचुअल फंड (कोटिड)	**172.36**	154.21
कुल	**8194.12**	7734.01

IV. बीमांकिक धारणाएँ

रिपोर्टिंग की तारीख में मुख्य एक्चुएरियल अनुमान निम्नलिखित थे:

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आर्थिक धारणाएँ		
छूट की दर	**6.75%**	7.75%
खाता बही पर वैधानिक ब्याज दर की उम्मीद	**8.50%**	8.65%
निधि पर ब्याज आय में अपेक्षित कमी	**0.05%**	0.05%
जनसांख्यिकी मान्यताएँ:		
सेवा निवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	**100% of आईएएलएम (2012-14)**	100% of आईएएलएम (2006-08)
निकासी दर: (सभी उम्र)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से ऊपर	**1%**	1%

V. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख धारणा में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्न प्रकार से है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	मार्च 31, 2020 तक		मार्च 31, 2019 तक	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
रियायत दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	**(1.35)**	**1.43**	(1.25)	1.29

VI. भविष्य के वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

विवरण	भविष्य निधि	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
अगले 12 महीनों के भीतर	**836.14**	798.36
2–5 के बीच वर्ष में	**1984.26**	1450.20
5–10 के बीच वर्ष में	**1502.75**	1095.62
10 वर्ष के बाद	**3837.24**	4297.44
कुल	**8160.39**	7641.62

D. सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा – (निपटान भत्ता – गैर वित्त पोषित योजना)

कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर स्वयं व परिजनों एवं सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिजनों की गृह नगर या इच्छानुसार भारत में किसी भी स्थान पर पुनर्वास करने हेतु यात्रा व सामान के परिवहन के व्यय की प्रतिपूर्ति पर होने वाला व्यय निपटान भत्ता ;सैटलमेंट अलाउंसद्ध है।

I. शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) में संचलन/दायित्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ दायित्व		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति) दायित्वयता	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आरंभ शेष	**8.53**	8.44	**-**	-	**8.53**	8.44
वर्ष के लाभ में सम्मिलित:						
वर्तमान सेवा लागत	**0.58**	0.49	**-**	-	**0.58**	0.49
ब्याज लागत/आय	**0.64**	0.67	**-**	-	**0.64**	0.67
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1.22**	1.16	**-**	-	**1.22**	1.16
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में सम्मिलित						
चुकौती से हानि (लाभ)						
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्न						
जनसांख्यिकी धारणाएँ	**-**	-	**-**	-	**-**	-
वित्तीय धारणाएँ	**1.21**	0.20	**-**	-	**1.21**	0.20
अनुभव से समायोजन	**0.65**	(0.03)	**-**	-	**0.65**	(0.03)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1.86**	0.17	**-**	-	**1.86**	0.17
अन्य						
नियोक्त द्वारा भुगतान किया गया अंशदान	**-**	-	**-**	-	**-**	-
लाभ का भुगतान किया	**(2.05)**	(1.24)	**-**	-	**(2.05)**	(1.24)
अंतिम शेष	**9.56**	8.53	**-**	-	**9.56**	8.53

II. बीमांकिक धारणाएँ

रिपोर्टिंग की तारीख में मुख्य एक्चुएरियल अनुमान निम्नलिखित थे:

विवरण	समायोजना भत्ता	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आर्थिक धारणाएँ		
रियायत दर	6.75%	7.75%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.50% तथा उसके पश्चात 6% प्रति वर्ष	प्रथम चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.60% तथा उसके पश्चात 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकी धारणाएँ		
सेवानिवृत्ति आयु	60	60
मृत्यु दर	100% of आईएएलएम (2012-14)	100% of आईएएलएम (2006-08)
निकासी दर (सभी उम्र)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31 से 44 वर्ष तक	2%	2%
44 वर्ष ऊपर	1%	1%

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण प्रमुख मान्यताओं में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ दायित्व की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	समायोजन भत्ता			
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
रियायत दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	(0.67)	0.69	(0.32)	0.32

IV. भविष्य के वर्षों में सेटलमेंट अलाउंस की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

विवरण	समायोजन भत्ता	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
एक वर्ष के अंदर	1.10	1.14
1 से 2 वर्ष से	0.77	0.89
2 से 3 वर्ष से	0.68	0.67
3 से 4 वर्ष से	0.51	0.59
4 से 5 वर्ष से	0.45	0.43
5 से 6 वर्ष से	0.37	0.39
6 के ऊपर	5.68	4.42
कुल	9.56	8.53

E. दीर्घकालीन छुट्टी दायित्व (अर्जित छुट्टी – ई एल अर्धवैतनिक अवकाश–एचपीएल) – (गैर वित्त पोषित योजना)

कंपनी अपने कर्मचारियों प्रति छमाही में 15 दिन (अधिकतम) अर्जित अवकाश और और 10 दिन का अर्ध वैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान करती है। अर्जित अवकाश का नकदीकरण सेवा के दौरान होता है। कंपनी नीतियों व नकदीकरण नियमों के आधार पर सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता आयु पर अर्जित अवकाश और अर्ध वैतनिक अवकाश एक साथ मिलाकर अधिकतम 300 दिनों तक

नकदीकरण किया जा सकता है। अवकाश दायित्व को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना जाता है और अनुमानित यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके मूल्यांकन किया गया है।

I. शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/दायित्व में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	दीर्घावधि छुट्टी दायित्व	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आरंभिक शेष	**1492.06**	1525.65
वर्ष के लिए लाभ सहित :		
वर्तमान सेवा लागत	**155.96**	174.81
ब्याज लागत (आय)	**115.63**	120.53
बीमांकिक हानि (लाभ)	**(138.64)**	(23.38)
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**132.95**	271.96
अन्य		
नियोक्ता द्वारा भुगतान कि गई राशि	**-**	-
भुगतान की गई लाभ	**232.64**	305.55
अंतिम शेष	**1392.37**	1492.06

II. बीमांकिक धारणाएं

रिपोर्टिंग की तारीख में निम्न मुख्य बीमांकिक धारणाएं थीं।

विवरण	दीर्घावधि छुट्टी दायित्व	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आर्थिक धारणाएँ:		
रियायत दर	**6.75%**	7.75%
वेतन में वृद्धि	**प्रथम चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.50% तथा उसके पश्चात 6% प्रति वर्ष**	प्रथम चार वर्षों के लिए प्रति वर्ष 6.60% तथा उसके पश्चात 6% प्रति वर्ष
जनसांख्यिकी धारणाएं:		
सेवा निवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	**100% of IALM (2012-14)**	100% of IALM (2006-08)
निकासी दर (सभी आयु)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से ऊपर	**1%**	1%

नोट (47) – संबंधित पक्ष का लेनदेन

i)

सहायक कंपनी:	संयुक्त उद्यम:	अन्य :
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल्स मशीन्स लिमिटेड	बीएचईएल.जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (BGGTS)	केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित संस्थाएं
	टीपीसी.बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (NBPPL)	भविष्य निधि ट्रस्ट
	रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RPCL)	ग्रेच्युटी ट्रस्टए पीआरएमबी ट्रस्टए पेंशन ट्रस्ट
	दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड	
	पावरप्लांट परफ़ोमन्स इमप्रूवमेंट लिमिटेड	

(ii) **अन्य संबंधित पक्ष ;मुख्य प्रबंधन कार्मिक. कार्यात्मक निदेशक, मौजूदा और सेवानिवृत्त और कंपनी सचिव) :**

संबंधित पक्षों का नाम	संबंध की प्रकृति
श्री (डॉ) नलिन सिंघल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (8 जुलाई, 2019 से)
	अतिरिक्त प्रभार निदेशक (मासं), (1 सितंबर, 2019 से 15 अक्टूबर, 2019 तक)
श्री अतुल सोबती	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (30 जून, 2019 तक)
श्री डी बंद्योपाध्याय	निदेशक (मानव संसाधन) (31 अगस्त, 2019 तक)
	अतिरिक्त प्रभार सीएमडी (2 जुलाई, 2019 से 7 जुलाई, 2019)
श्री सुबोध गुप्ता	निदेशक (वित्त)
श्री एस बालकृष्णन	निदेशक (आईएस व पी)
श्री मनोज कुमार वर्मा	निदेशक (पावर)
श्री कमलेश दास	निदेशक (अभियांत्रिकी) अनु एवं वि)
श्री अनिल कुमार	निदेशक (मानव संसाधन) (15 अक्टूबर, 2019 से)
श्री राजीव कालड़ा	कंपनी सचिव
श्री एस बसु	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक – बीएचईएल ईएमएल (14 सितंबर, 2019 तक), बाद में ओएसडी के रूप में 12 मार्च, 2020 तक
	श्री टी.एस. चक्रवर्ती की प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु संकल्प निदेशक मंडल की बैठक दिनांक 05.05. 2020 को पारित किय गया।

(रु. करोड़ में)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	वर्ष के अंत तक	
	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
वेतन का भुगतान	**4.06**	4.70
केएमपी के संबंध में		
वर्ष के अंत तक बीएचईएल को देय राशियाँ	**0.00**	0.01
लेन–देन का विवरण		
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	**3.48**	4.10
रोजगार के बाद के लाभ	**0.58**	0.60
कुल भुगतान किया गया पारिश्रमिकी	**4.06**	4.70

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और भारत सरकार के पास इसकी अधिकांश हिस्सेदारी है। महत्वपूर्ण लेनदेन अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, राज्य के स्वामित्व वाली उपयोगिताओंए रेलवे आदि के साथ हैं, भारत के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिन्हें सरकार द्वारा नियंत्रित भी किया जाता है। इस तरह की संस्थाओं के साथ लेन.देन सामान्य है, यह कीमत बाजार संचालित दरों के आधार पर दर्शाई गई हैं।

(iii) संयुक्त उपक्रमो के साथ लेनदेन का विवरण और शेष

(रु. करोड़ में)

विवरण	वर्ष के अंत तक							
	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
	बीजीजीटीएस		आरपीसीएल		एनबीपीएल		कुल	
उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री	**169.61**	278.33	**17.28**	34.94	**2.80**	6.08	**189.69**	319.35
लाभांश आय	**16.30**	16.18					**16.30**	16.18
रॉयल्टी आय	**1.10**	1.17					**1.10**	1.17
उत्पाद एवं सेवाओं की क्रय	**0.86**	0.98	**21.61**		**3.05**	4.83	**25.52**	5.81
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	**29.45**	76.98	**541.93**	510.71	**262.51**	280.93	**833.89**	868.62
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि	**0.24**	0.35	**9.30**	11.00	**79.16**	82.52	**88.70**	93.87
संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	0.70	**-**	-	**-**	1.64	**-**	2.34

iv) सहायक कंपनियों के साथ लेनदेन का विवरण और शेष

(रु. करोड़ में)

सहायक कंपनी	समाप्ति वर्ष हेतु	
	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
उत्पाद एवं सेवाओं की क्रय	**-**	-
ब्याज आय	**-**	-
वर्ष के अंत में बीएचईएल देय राशि	**3.94**	3.94
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम सहित) से देय राशि	**0.77**	1.07
संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	**3.70**	3.70

नोट (48) – प्रकटीकरण (प्रावधान में संचलन) – इंड एएस – 37

(a) परिनिर्धारित हर्जाना

(रु. करोड़ं में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आरंभिक शेष	**7549.65**	5846.50
जोड़ें: परिवर्धन	**1706.20**	1967.45
घटाएँ: उपयोग / राईट ऑफ / भुगतान	**3.88**	12.67
घटाएँ: निकासी / समायोजन	**784.30**	251.63
अंतिम शेष	**8467.67**	7549.65

कंपनी के लेखांकन नीति के अनुरूप परिनिर्धारित हर्जाना का प्रावधान किया गया है और इसे निपटान या अन्यथा खातों में उपयुक्त तरीके से लिखा जाता है। परिनिर्धारित हर्जाना से संबंधित आकस्मिक दायित्व को नोट 41 के पैरा ए (i) (9) में दिखाया गया है।

(b) अनुबंधात्मक दायित्व

(रु. करोड़ं में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
आरंभिक शेष	**5295.44**	5338.19
जोड़ें: लागत उधार लेना	**195.61**	190.93
जोड़ें: परिवर्धन	**567.75**	893.91
घटाएँ: पीवी समायोजन	**119.83**	156.71
घटाएँ:उपयोग / राईट ऑफ / भुगतान	**63.11**	128.65
घटाएँ: निकासी / समायोजन	**509.42**	851.48
जोड़ें / (कम) : अनुमान और दरों में परिवर्तन	**(11.57)**	9.25
अंतिम शेष	**5354.87**	5295.44

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए संविदात्मक दायित्व के लिए प्रावधान महत्वपूर्ण लेखांकन नीति नंबर 11 के अनुरूप समय के मूल्य के प्रभाव को देखते हुए किया जाता है। अनुबंध की वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा गया है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय नियमों और संबंधित अनुबंध की शर्तों पर निर्भर करता है साल के लिए अनुबंध से अनुबंध करने के लिए और वर्ष पर भिन्न हो सकते हैं।

नोट (49) – प्रकटीकरण – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व – इंड एएस – 115

a. ह्रास प्रावधानों में संचलन

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019.20		2018.19	
	व्यापार प्राप्य	अनुबंध की संपत्ति	व्यापार प्राप्य	अनुबंध की संपत्ति
आरंभिक शेष	**6398.57**	**654.73**	6104.51	719.38
जोड़ें: परिवर्धन	**463.41**	**192.17**	931.51	101.96
घटाएं: बट्टा	**57.60**	**-**	25.92	0.11
कमः उत्क्रमण	**1358.81**	**41.85**	611.53	166.50
अंतिम शेष	**5445.57**	**805.05**	6398.57	654.73

b. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का विभाजन

(रु. करोड़ में)

विवरण	ऊर्जा		औद्योगिक		कुल
	भारत के भीतर	भारत से बाहर	भारत के भीतर	भारत से बाहर	
2019.20					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व मान्यता का समय					
(क) समय के एक बिंदु पर (उत्पाद / सेवाएं)	**1946.05**	**34.48**	**3603.97**	**1.88**	**5586.38**
(ख) अधिक समय तक	**9197.31**	**3782.60**	**1922.28**	**2.07**	**14904.26**
2018–19					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व मान्यता का समय					
(क) समय के एक बिंदु पर (उत्पाद / सेवाएं)	2830.48	22.30	3740.30	28.41	6621.49
(ख) अधिक समय तक	17393.14	3227.98	2177.01	3.32	22801.45

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019.20		2018.19	
	ऊर्जा	औद्योगिक	ऊर्जा	औद्योगिक
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	**3007.04**	**2324.72**	5323.43	2320.06
रेलवे	**-**	**1434.87**	-	1595.98
टीएएनजीईडीसीओ	**2054.92**	**-**	5331.04	-
टीएसजेनको	**2178.63**	**-**	4544.66	-

c. अनुबंध शेष (प्रावधानों का सकल)

(रु. करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
व्यापार प्राप्य	**12378.05**	15796.00
अनुबंध परिसंपत्तियां (अनबिल्ड रेवेन्यू सहित)	**24093.05**	22819.24
अनुबंध दायित्व	**6718.43**	6838.98

d. मान्यता प्राप्त अनुबंध राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
मान्यता प्राप्त राजस्व पर अनुबंध देनदारियां (ग्राहक अग्रिमों का समायोजन और वर्ष के दौरान मूल्यांकन समायोजन)	**3140.51**	2573.84
पिछले वर्ष के निष्पादन दायित्व संतुष्टि पर मान्यता प्राप्त राजस्व (अनुबंध राजस्व में बदलाव के कारण प्रभाव)	**727.34**	210.44

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना एक दीर्घचक्रीय व्यवसाय है, जहां कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी (इंजीनियरिंग, प्रक्रयोरमेंट और कमीशनिंग) या बीटीजी पैकेज (यानी बॉयलर, टर्बाइन और जनरेटर पैकेज) हैं। 3 से 5 साल के बीच अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि के साथ विद्युत परियोजनाएं लंबी अवधि की परियोजनाएं हैं। बीएचईएल सेवाओं के दायरे में उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन को पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना सम्मिलित है।

यद्यपि समग्र दायरे में कई घटक हैं, ऐसी परियोजनाओं को आमतौर पर एक प्रदर्शन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि पर एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि इकाई समय में असतत बिंदुओं के बजाय समग्र रूप से निष्पादन कार्य करती है और इसलिए प्रगति की माप के आधार पर समय की अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है (इनपुट लागत विधि)

नोट (50) – प्रणाली में परिवर्तन –इंड एएस – 115

वर्ष 2019.20 के दौरान, कंपनी ने कुल अनुमानित लागत के संबंध में, प्रेषण के लिए तैयार. विनिर्मित सामाग्री की लागत को आई हुई लागत में सम्मिलित करने के द्वारा इनपुट पद्धति के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं के मान्य राजस्व की गणना करने के सापेक्ष अपनी लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन किया है। प्रणाली में यह परिवर्तन ग्राहकों के साथ अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत हुई प्रगति के मापन मे परिलक्षित होता है और जिससे वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्राप्त होती है।

लेखांकन प्रणाली में यह परिवर्तन पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है और इसने वित्तीय विवरणों को निम्नानुसार प्रभावित किया है:

(रु. करोड़ में)

तुलन पत्र	मार्च 31, 2020 तक			मार्च 31, 2019 तक			अप्रैल 1, 2018 तक		
	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ
इन्वेंटरी	**10004.34**	**(1098.88)**	**8905.46**	8113.49	(316.20)	7797.29	6258.76	(233.85)	6024.91
अनुबंध संपत्ति	**22855.48**	**1237.57**	**24093.05**	22445.31	373.93	22819.24	17992.17	300.20	18292.37
आस्थगित कर परिसंपत्ति ;स्प।ठ का शुद्धद्ध	**2788.45**	**(32.24)**	**2756.21**	3514.53	(17.16)	3497.37	3625.88	(20.78)	3605.10
कुल संपति	**61164.97**	**106.45**	**61271.42**	64390.48	40.57	64431.05	63718.08	45.57	63763.65
अन्य इक्विटी	**28408.02**	**76.78**	**28484.80**	30703.45	31.94	30735.39	31866.80	38.68	31905.48
कुल इक्विटी	**29104.43**	**76.78**	**29181.21**	31399.86	31.94	31431.80	32601.08	38.68	32639.76
प्रावधान	**8300.00**	**29.67**	**8329.67**	7940.02	8.63	7948.65	8705.88	6.89	8712.77
कुल देनदारियाँ	**32060.54**	**29.67**	**32090.21**	32990.62	8.63	32999.25	31117.00	6.89	31123.89
कुल इक्विटी एवं देनदारियां	**61164.97**	**106.45**	**61271.42**	64390.48	40.57	64431.05	63718.08	45.57	63763.65

पी एंड एल कथन	मार्च 31, 2020 अंत तक का वर्ष के लिए			मार्च 31, 2019 अंत तक का वर्ष के लिए		
	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ
संचालन से राजस्व	**20622.48**	**863.58**	**21486.06**	30348.95	73.73	30422.68
एफ जी इ एएफसी/(डीईसी)	**944.54**	**(782.61)**	**161.93**	113.42	(82.36)	31.06
प्रावधान	**234.41**	**21.05**	**255.46**	1835.65	1.73	1837.38
कर देने से पूर्व लाभ	**(722.03)**	**59.92**	**(662.11)**	2057.86	(10.36)	2047.50

प्रति शेयर आय में (मूल एवं कम की गई) चालू वर्ष के लिए प्रति शेयर रु. 0.13 वृद्धि हुई है एवं लेखांकन प्रणाली में परिवर्तन के परिणामस्वरूप पूर्ववर्ती वर्ष प्रति शेयर रुपये 0.02 में कमी आई है।

नोट (51)

कोविड –19 महामारी के संक्रामण प्रसार के परिणामस्वरूप हुये राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ने कंपनी के परिचालन को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया था। इस अवधि के दौरान विनिर्माण सुविधाएं और साइट परिचालन (23 मार्च से 31 मार्च, 2020, निष्क्रिय थे, जिसने वैश्विक रूप से कोविड प्रभाव (भारत में लॉकडाउन से पहले) के साथ इस वर्ष के राजस्व को प्रभावित किया। मोटे तौर पर, वर्ष के लिए राजस्व पर प्रभाव् रुपये 4000 करोड़ पर आंका गया है। इन वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक आंतरिक और बाहरी जानकारी के आधार पर, कंपनी को अपनी संपत्ति, निवेश, व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और इनवेंटरी की धारित राशि की वसूली की उम्मीद है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों की निगरानी करती रहेगी और अपने वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी।

नोट (52) – इंड – एएस 107 के अनुपालन में प्रकटीकरण (वित्तीय विलेख – लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य मापन)

a. नकद और नकद समकक्ष का उचित मूल्य, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अन्य अपने धारित मूल्य का युक्तिसंगत अनुमान लगाते हैं। व्यापार प्राप्य का मूल्यांकन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस को ध्यान में रखकर किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय विलेखों के उचित मूल्य का निर्धारण और प्रकटीकरण करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय विलेखों का उचित मूल्य निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)।

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर सम्मिलित किए गए उद्धृत मूल्य के अलावा अन्य इनपुट जो कि संपत्ति या दायित्व के लिए प्रत्यक्ष हैं (यानी, कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (यानी, कीमतों से प्राप्त)

स्तर 3: संपत्ति या दायित्व के लिए इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा (अप्रचलित इनपुट) पर आधारित नहीं हैं।

b. **वित्तीय परिसंपत्ति / दायित्व वर्गीकरण**

(रु. करोड़ में)

	आगे ले जाने वाली राशि	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां		
स्वीकार योग्य व्यापार	**12378.05**	15796.00
नकद और नकद समकक्ष	**1402.86**	795.60
अन्य बैंक शेष	**5015.70**	6707.74
ऋण	**218.16**	240.27
अन्य वित्तीय संपत्ति	**123.85**	162.19
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति		
निवेश (इक्विटी इंस्ट्रूमेंट)	**3.09**	2.94
परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां		
व्यापार देनदारियां	**9899.85**	12078.09
अन्य वित्तीय देनदारियां	**1585.07**	2096.81
वित्त पट्टा दायित्व	**132.04**	158.31
लघु अवधि की उधारियां	**4933.39**	2431.74

(रु. करोड़ में)

उचित मूल्य पर मापी गई 'वित्तीय मूल्य और देनदारियां' – आवर्ती उचित मूल्य माप	स्तर 3 पदानुक्रम	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
वित्तीय संपत्तिः		
निर्विवाद इक्विटी उपकरणों में निवेश	**3.09**	2.94

c. उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु अनुप्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

निर्विवाद इक्विटी विलेखों का उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशकर्ता कंपनी के वित्तीय विवरणों के इनपुट सम्मिलित होते हैं।

एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत निर्विवाद इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का सामंजस्य

(रु. करोड़ में)

मार्च 31, 2019 तक	2.94
उचित मूल्य में परिवर्तन	0.15
मार्च 31, 2020 तक	3.09

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

ज्कंपनी की गतिविधियों के समक्ष किसी भी कंपनी के स्वाभाविक व्यावसायिक प्रकटीकरण से उत्पन्न विभिन्न व्यवसायिक जोखिम होते हैं। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की जरूरतों और अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए समय–समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा करती है और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय विलेखों के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता हैः

- **क्रेडिट जोखिम**
- **लिक्विडिटी जोखिम**
- **बाजार जोखिम**

यह नोट उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है, जोखिम को मापने और प्रबंधित करने के लिए कंपनी के उद्देश्य, नीतियां और प्रक्रियाएं और कंपनी की पूंजी का प्रबंधन सम्मिलित है। इन वित्तीय विवरणों में आगे मात्रात्मक खुलासे सम्मिलित हैं।

जोखिम ढांचा प्रबंधन

बीएचईएल के पास एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर जोखिमों की सही पहचान, आकलन और प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया जाना है। कंपनी के पास त्रि–स्तरीय जोखिम प्रबंधन ढांचा है। पहले स्तर पर, कंपनी के बोर्ड स्तर के जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक होने के नाते बोर्ड/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। कंपनी के सामने आने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण यूनिट स्तर से उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए जोखिम शमन योजना तैयार करने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है।

a) क्रेडिट जोखिम का प्रबंधन

'क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के जोखिम संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेश में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताओं, सार्वजनिक उपक्रमों, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित विद्युत परियोजनाओं की स्थापना में सम्मिलित है। परियोजनाओं को आमतौर पर वित्तीय संस्थानों / बैंकों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है या भुगतान लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) द्वारा कवर किया जाता है। परियोजना की अवधि 3 से 5 वर्ष तक होती है और भुगतान को आमतौर पर अग्रिम, प्रगति भुगतान, मील के पत्थर के भुगतान और इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन सहित अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में महसूस किया जाता है। चूंकि अधिकांश ग्राहक सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए कुल प्राप्तियों का 81% इस तथ्य के साथ मिलकर बनता है कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध मे, भुगतान की शर्तें मुख्य रूप से एलसी के माध्यम से हैं। कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्तियों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया हैए ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों के अनुरूप उचित ध्यान और ध्यान केंद्रित किया जा सके। कंपनी क्रेडिट हानि या लाभ का आकलन करने के लिए अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अलावा, किसी भी घटना को संबोधित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए हुए हैं।'

i) क्रेडिट जोखिम का अनावरण

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम थाः

(रु. करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
वित्तीय परिसंपत्तियाँ जिनके लिए 12 महीने की अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है		
नकद और नकद समकक्ष	**1402.86**	795.60
अन्य बैंक शेष	**5015.70**	6707.74
ऋण	**218.16**	240.27
अन्य वित्तीय शेष	**123.85**	162.19
वित्तीय परिसंपत्तियाँ, जिनके लिए हानि भत्ता को लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) सहित हानि हानि सहित मापा जाता है।		
स्वीकार योग्य व्यापार	**12378.05**	15796.00

ऋण जोखिम पर एकाग्रता. भौगोलिक	कुल राजस्व का प्रतिशत	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
भारत के भीतर	**92.07%**	94.30%
भारत से बाहर	**7.93%**	5.70%

निम्न प्रकार के प्रतिपक्षों से व्यापार प्राप्यए अनुबंध संपत्ति एवं अन्य प्राप्य के प्रति कंपनी का क्रेडिट रिस्क एक्सपोजर इस प्रकार हैं –

विवरण	कुल व्यापार प्राप्तियों का प्रतिशत	
	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
रेलवे और सरकार विभाग सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	**33.54%**	32.85%
राज्य विद्युत बोर्ड	**47.29%**	49.65%
निजी ग्राहक और अन्य	**11.24%**	11.80%
निर्यात	**7.93%**	5.70%
	100.00%	100.00%

ii) क्षति नुकसान

(a) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके हानि भत्ता को मापा जाता है

कंपनी के पास संपत्ति है जहां प्रतिपक्ष के पास दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है और जहां धोखाघड़ी की संभावना बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋण के संबंध में ह्रास के भत्ते में संचलन इस प्रकार थाः

(रु. करोड़ में)

	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
1 अप्रैल को शेष राशि	**22.34**	22.29
मान्य क्षति ह्रास/आहरित/वापसी	**10.04**	0.05
मार्च 31 तक शेष	**32.38**	22.34

(b) क्षति हानि प्रावधानों का सामंजस्य

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्य और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि के भत्ता में संचलन इस प्रकार था:

(रु. करोड़ में)

	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
1 अप्रैल को शेष राशि	**7053.30**	6823.89
मान्य क्षति ह्रास	**655.58**	1033.47
बट्टाकृत/ आहरित राशि	**(1458.26)**	(804.06)
मार्च 31 तक शेष	**6250.62**	7053.30

कंपनी सरप्लस फंडों में निवेश करती है, जो डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित कंपनी की निवेश नीति के अनुसार है। नकदी और नकद समकक्षों और सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई उच्च क्रेडिट रेटिंग के साथ जमा में निवेश करती है।

b) लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखने और क्रेडिट सुविधाओं से पर्याप्त मात्रा में धन की उपलब्धता को बनाए रखते हुए और जब भी देय हो, लिक्विडिटी जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को वर्ष भर में अपनी निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक शेष के अलावा, कंपनी को ऋण की सुविधा प्राप्त है। कंपनी आंतरिक संविलेखों से अपने सभी फंड की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है, अर्थात् परिचालन से उत्पन्न धन और निवेश पर रिटर्न का अनुकूलन करने के लिए बेहतर ट्रेजरी प्रबंधन संचालन के लिए अल्पकालिक उधार के माध्यम का उपयोग किया जाता है

गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वता, संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर निम्न प्रकार हैं :

वित्तीय देनदारियां	मार्च 31, 2020 तक		मार्च 31, 2019 तक	
	1 वर्ष के भीतर	1 साल से अधिक	1 वर्ष के भीतर	1 साल से अधिक
व्यापार देनदारियां	**8891.98**	**1007.87**	11375.11	702.98
ठेकेदारों और अन्य लोगों से जमा	**491.93**	**150.99**	522.09	85.17
वित्त पट्टा दायित्व	**56.67**	**75.37**	62.86	95.45
अन्य देय / दायित्व				
कर्मचारी बकाया	**285.65**	**-**	510.32	-
अन्य बकाया राशि	**565.74**	**-**	884.12	-
कैपेक्स बकाया	**82.73**	**8.03**	88.75	6.36
लघु अवधि की उधारी	**4933.39**	**-**	2431.74	-
कुल	**15308.09**	**1242.26**	**15874.99**	**889.96**

c. बाजार जोखिम का प्रबंधन

कंपनी के समक्ष अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाले कुछ मुद्रा माल, ब्याज दर जोखिम होते है। विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। प्रमुख वस्तुओं के मूल्य में उतार.चढ़ाव से कंपनी को अप्रभावित रखने के लिएए आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ दावों के माध्यम से मूल्य समझौते सहित रूपरेखा समझौते नियमित रूप से किए जा रहे हैं। ऑपरेशन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े आकार के निजी बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में निवेश किया जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के म्युचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं मेंए जिससे जोखिम कम हो जाता है।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजरः रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी का विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर निम्नानुसार हैंः

(i) दिनांक 31.03.2019 को रुके हुये और शेष व्युत्पन्न विलेख शून्य (पिछला वर्ष का शून्य है) है

(ii) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र जो एक व्युत्पन्न उपकरण द्वारा या अन्यथा नहीं किया जाता है निम्नानुसार हैंः

विदेशी मुद्रा मिलियन में

(रु. करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक		मार्च 31, 2019 तक		मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
	यूरो	समतुल्य INR	यूरो	समतुल्य INR	अन्य INR	अन्य INR
संपत्तियां						
व्यापार प्राप्य	**148.34**	**1217.60**	187.45	1441.89	**6.34**	52.22
अनुबंध की संपत्ति	**252.85**	**2075.37**	270.26	2080.95	**70.83**	72.17
अन्य संपत्ति	**15.40**	**122.58**	14.74	114.21	**245.63**	195.45
उप कुल (A)	**416.59**	**3415.55**	472.45	3637.05	**322.80**	319.84
दायित्व						
ग्राहक से अग्रिम	**42.30**	**294.89**	45.96	316.67	**37.56**	38.69
व्यापार का भुगतान और अन्य	**60.20**	**507.94**	62.42	494.44	**209.13**	288.55
उप कुल (B)	**102.50**	**802.83**	108.38	811.11	**246.69**	327.24
संपत्ति (शुद्ध दायित्व)	**314.09**	**2,612.72**	364.07	2,825.94	**76.11**	(7.40)

	USD	Equivalent INR	USD	Equivalent INR
संपत्तियां				
प्राप्त व्यापार	**130.45**	**978.26**	226.08	1555.43
अनुबंध की संपत्ति	**335.04**	**2512.53**	282.37	1936.04
अन्य संपत्ति	**8.20**	**60.41**	2.87	18.82
उप कुल (A)	**473.69**	**3551.20**	511.32	3510.29
दायित्वएं				
ग्राहक से अग्रिम	**164.40**	**1037.62**	155.49	957.72
व्यापार का भुगतान और अन्य	**196.70**	**1496.11**	124.91	871.61
लघु अवधि की उधारी	**118.67**	**900.79**	51.31	357.27
उप कुल (B)	**479.77**	**3434.52**	331.71	2,186.60
संपत्ति (शुद्ध दायित्वयां)	**(6.08)**	**116.68**	179.61	1,323.69

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों के शुद्ध हैं (यदि कोई हो)

संवेदनशीलता विश्लेषण

भारतीय रुपये के अमरीकी डालरए यूरो और अन्य की तुलना में मजबूत/कमजोर होने के प्रभाव को वर्षांत लाभ या हानि के रूप में नीचे दिखाया गया है। यह विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर संस्करण पर आधारित है जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के लिए इसी आधार पर किया जाता हैए यद्यपि विदेशी मुद्रा विनिमय दर संस्करण भिन्न था, जैसा कि नीचे बताया गया है।

विवरण	मार्च 31, 2020 तक		मार्च 31, 2019 तक	
लाभ पर प्रभाव / (हानि)	मजबूत	कमजोर	मजबूत	कमजोर
1% संचलन				
यूरो	**26.13**	**(26.13)**	28.26	(28.26)
यूएसडी	**1.17**	**(1.17)**	13.24	(13.24)
अन्य	**0.76**	**(0.76)**	(0.07)	0.07

d. पूंजी प्रबंधन

क्रियाशील इकाई के रूप में पूंजी प्रबंधन करते हुए कंपनी का उद्देश्य अपनी पूंजी को सुरक्षितए संरक्षित रखना और इसमें वृद्धि करना है ताकि शेयरधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सकेए अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान किया जा सके और पूंजी लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखी जा सके। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश के स्तर की भी मॉनिटरिंग करते हैं। कंपनी समान्यतः उद्योग द्वारा और रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर मध्यम कालिक दृष्टिकोण व दीर्घकालिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए पूंजी को मॉनिटर करती है। कंपनी बाह्य पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के अनुसार प्रबंधित किया जाता है जैसा की उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

नोट (53) – ऑपरेटिंग सेगमेंट

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए आदेशों के आधार पर सेगमेंट की पहचान 'पावर' और 'इंडस्ट्री' के रूप में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय परिचालन समूह द्वारा बुक किए गए ऑर्डर को पावर या इंडस्ट्री में ले जाया जाता है जैसा मामला हो।

कंपनी की कार्यकारी निदेशकों की समिति को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता (सीओडीएम) के रूप में पहचाना गया है।

(रु. करोड़ में)

	विवरण	31.03.020 वर्ष समाप्त होने तक			31.03.2019 वर्ष समाप्त होने तक		
		पावर	उद्योग	कुल	पावर	उद्योग	कुल
I.	**खंड राजस्व**						
	ऑपरेटिंग राजस्व–बाहरी	**14960.44**	**5530.20**	**20490.64**	23473.90	5949.04	29422.94
II.	**खंड परिणाम**						
क.	खंड परिणाम	**804.30**	**(205.84)**	**598.46**	2802.29	436.86	3239.15
ख.	अन आबंटित व्यय (आय का नेट)			**753.62**			904.36
ग.	वित्त लागत और आयकर पूर्व (अ) – (ब)			**(155.16)**			2334.79
घ.	वित्त लागत (ब्याज सहित छूट)			**506.95**			287.29
ड.	आयकर से पहले शुद्ध लाभ (ग) – (डी)			**(662.11)**			2047.50
च.	आयकर			**810.86**			838.85
छ.	आयकर के बाद शुद्ध लाभ			**(1472.97)**			1208.65
III	**परिसंपत्तियां और दायित्वएं**						
क.	खंड संपत्ति	**42665.07**	**9441.21**	**52106.28**	45240.99	9373.96	54614.95
ख.	आम संपत्ति			**9165.14**			9816.10
ग.	कुल संपत्ति			**61271.42**			64431.05
घ.	खंड दायित्व	**22386.05**	**4759.98**	**27146.03**	24832.31	5251.81	30084.12
ड.	सामान्य दायित्व			**4944.18**			2915.13
च.	कुल दायित्व			**32090.21**			32999.25
IV	**अन्य सूचनायं**						
क.	पूंजीगत व्यय	**243.40**	**107.83**		255.08	81.88	
ख.	अवमूल्यन और परिशोधन	**320.44**	**135.73**		343.34	87.49	
ग.	गैर नकद व्यय (मूल्यह्रास और परिशोधन के अलावा)	**820.48**	**73.99**		1161.82	30.09	

	भूगर्भीय क्षेत्र	भारत के भीतर	भारत से बाहर	कुल	भारत के भीतर	भारत से बाहर	कुल
1	परिचालन से शुद्ध विक्रय/राजस्व	**16669.61**	**3821.03**	20490.64	26140.93	3282.01	29422.94
2.	गैर–वर्तमान परिसंपत्तियाँ (पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियाँ)	**3085.96**	**42.12**	3128.08	3188.48	13.95	3202.43
3.	पूंजीगत व्यय	**402.62**	**12.71**	415.33	378.65	24.23	402.88

प्रमुख ग्राहक – एकल ग्राहक से बीएचईएल के कुल राजस्व का 10% से अधिक राजस्व का विवरण

विवरण	ऊर्जा	उद्योग	कुल	ऊर्जा	उद्योग	कुल
सीपीएसयू	**3007.04**	**2324.72**	**5331.76**	5323.43	2320.06	7643.49
रेलवे	**-**	**1434.87**	**1434.87**	-	1595.98	1595.98
टैनजेडेको	**2054.92**	**-**	**2054.92**	5331.04	-	5331.04
टीएसजेनको	**2178.63**	**-**	**2178.63**	4544.66	-	4544.66

नोट (54) –नोट – अतिरिक्त प्रकटीकरण

(रु. करोड़ में)

A.

आयात का मूल्य	वर्ष के अंत तक	
	2019–20	2018–19
सीआईएफ आधार		
कच्चा माल	**2239.70**	2192.44
कम्पोनेंट और स्पेयर पार्ट्स	**1629.04**	2473.37
पूंजीगत सामग्री	**65.15**	52.73
कुल	**3,933.89**	4,718.54

(रु. करोड़ में)

B.

विदेशी मुद्रा में व्यय	वर्ष के अंत तक	
	2019–20	2018–19
i) रॉयल्टी	**53.11**	132.08
ii) तकनीकी जानकारी	**8.90**	11.57
iii) पेशेवर परामर्श शुल्क	**6.35**	2.79
iv) ब्याज और अन्य (विदेशी साइटों पर होने वाल सम्मिलित)	**29.23**	14.85

(रु. करोड़ में)

C.

कच्चे माल, घटकों, दुकानों और स्पेयर पार्ट्स की खपत का मूल्य।	वर्ष के अंत तक	
	2019–20	2018–19
i) आयात (कस्टम ड्यूटी सहित) #	**3617.70**	4603.07
ii) स्वदेशी	**8515.26**	10779.80
iii) कुल खपत का प्रतिशत		
आयात	**29.82**	29.92
स्वदेशी	**70.18**	70.08

जहां कहीं भी निधारित नहरित वस्तुएं सम्मिलित हैं

(रु. करोड़ में)

D.

विदेशी मुद्रा में आय	वर्ष के अंत तक	
	2019–20	2018–19
माल का निर्यात (एफओबी आधार)	**2717.61**	2231.92
इरेक्शन और अन्य सेवाएं	**688.67**	762.22
विदेशी निर्यात पर विदेशी मुद्रा (घरेलू अनुबंध और एसईजेड निर्यात सहित)	**473.45**	793.06
कुल	**3,879.73**	3,787.20

(रु. करोड़ में)

E. उपयोग किए गए कच्चे माल और अवयवों का विवरण	वर्ष के अंत तक	
	2019–20	2018–19
सामग्री समूह		
i) लौह सामग्री	**3054.31**	3461.21
ii) अलौह सामग्री	**217.01**	313.91
iii) इन्सुलेटड सामग्री	**177.14**	168.39
iv) इन्सुलेटड केबल और चुंबकीय तार	**29.67**	20.46
v) कंपोनेंटस (अवयव)	**6122.30**	6447.46
vi) अन्य	**2179.68**	4559.77
कुल	**11780.11**	14971.20

नोट (55)

सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं), विनियम, 2015 के अनुसार कंपनी द्वारा प्रदत्त ऋण की प्रकृति में अग्रिम और ऋणों का अपेक्षित विवरण नीचे दिए गया है:

i) सहायक कंपनी के संबंध में:

(रु. करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड:		
ऋण की प्रकृति में अग्रिम और ऋण बकाया	**3.00**	3.00
वर्ष के दौरान बकाया ऋण की प्रकृति में अग्रिम और ऋण की अधिकतम राशि	**3.00**	3.00

ii) ऐसा कोई ऋण नहीं दिया गया है (कर्मचारियों को ऋण के अलावा), जिसमें कोई पुनर्भुगतान अनुसूचित नहीं है या पुनर्भुगतान अवधि सात वर्षों से अधिक है।

iii) फर्मों/कंपनियों को ऋण की प्रकृति में कोई ऋण और अग्रिम नहीं हैं जिनमें निदेशक रुचि रखते हैं ।

नोट (56)

परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू और गैर.चालू के बीच वर्गीकृत किया गया है जो 12 महीने की अवधि को परिचालन चक्र के रूप में मानते हैं।

नोट (57)

वर्ष के अंत तक 7.07% (पिछले वर्ष 8.14%) पर उधार जकी भारित औसत लागत को दीर्घकालिक प्रावधानों के वर्तमान मूल्य और अपेक्षित ऋण हानि के लिए माना गया है।

नोट (58)

पूर्व की अवधि की त्रुटियां जो भौतिक हैं पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत की गई अवधि के लिए तुलनात्मक राशि को बहाल करके पूर्वव्यापी रूप से ठीक की जाती हैं जिसमें ऐसी त्रुटि हुई। प्रस्तुत अवधि से पहले हुई त्रुटि के लिएए प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियाँ, देनदारियां और इक्विटी की प्रारंभिक शेष राशि को बहाल किया जाता है।

नोट (59)

आंकड़े रूपए करोड़ में दो दशमलव के साथ निकटतम से शून्य ले कर गए हैं।

नोट (60)

जहां आवश्यक समझा गया वहाँ, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है

नोट (61)

निदेशक मंडल ने 13 जून, 2020 को आयोजित अपनी बैठक में वित्तीय विवरण 2019–20 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके के लिए

(राजीव कालड़ा) कंपनी सचिव **एम. न. 14567**	(सुबोध गुप्ता) **निदेशक (वित्त)** **डीआईए न 08113460**	(डॉ. नलिन सिंघल) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक **डीआईएनः 01176857**

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउटेंट **एफआरएन . 002074छ**	**तिवारी एंड एसोसिएट्स** चार्टर्ड अकाउटेंट **एफआरएन . 002870छ**	**महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी** चार्टर्ड अकाउटेंट **एफआरएन 006228सी**
(सी. ए. गोपाल कृष्ण) **पार्टनर** **एम. न. 081085**	(सी. ए. कृष्ण कुमार) **पार्टनर** **एम. न. 085415**	(सी. ए. दीपेश शाह) **पार्टनर** **एम. न. 404990**

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून 13, 2020

वित्तीय विवरण

समेकित वित्तीय विवरण 238

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में

सदस्यगण,

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

राय

हमने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद यहाँ इसे ''धारक कंपनी'' के रूप मे लिखा जाएगा) एवं इसकी सहायक कंपनियों (''धारक कंपनी'' और इसकी सहायक कंपनियों को संयुक्त रूप से "समूह" के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) और तीन संयुक्त नियंत्रित इकाईयों के संलग्न समेकित वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2020 को समेकित तुलन पत्र, इस तारीख को समाप्त हुए वर्ष के लिए समेकित लाभ–हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तनों का समेकित विवरण एवं वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का समेकित विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचनाएं शामिल है, (इसके पश्चात इसे "समेकित वित्तीय विवरण" कहा जाएगा)

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुरूप पूर्वोक्त वित्तीय विवरण, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") में अपेक्षित तरीके के अनुसार सूचना प्रदान करते हैं और यथा संशोधित कंपनीज (इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड) नियम 2015, के साथ पठित इस अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों, (भा.ले.मा.) एवं भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुपालन में 31 मार्च 2019 को कंपनी की स्थिति को यथार्थ व उचित रूप से प्रस्तुत करते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (SAs) के अनुसार समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है। इन मानकों के अन्तर्गत हमारी जिम्मेदारियों को आगे हमारी रिपोर्ट के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियां खंड में वर्णित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट द्वारा जारी आचार संहिता के साथ ही कंपनी अधिनियम, 2013 और इससे आधारित नियमों के प्रवधानों के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिये प्रासंगिक नैतिक आवश्कताओं के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्कताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों का पालन किया है। हमारा मानना है कि लेखा परीक्षा के जो साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं, वे कंपनी के समेकित वित्तीय विवरण पर हमारी राय का आधार बनने के लिये पर्याप्त और उचित हैं।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय

मुख्य लेखा परीक्षा के विषय वे हैं जो कि हमारे व्यावसायिक मतानुसार वर्तमान कालखंड के समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के दौरान सबसे महत्वपूर्ण थे। अपनी राय बनाते हुए और समेकित वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण के परिप्रेक्ष्य मे इन विषयों का समग्र रूप से समाधान किया गया और हमें इन विषयों पर और कोई राय नहीं देनी है। हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखा परीक्षा विषयों के नीचे वर्णित मामलों का उल्लेख किया है।

मुख्य लेखा परीक्षा विषय	लेखा परीक्षक की प्रतिक्रिया
भा.ले.मा. 115 के अंतर्गत "ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व" के सम्बंध मे राजस्व एवं अन्य शेषों की मान्यता, मापन, प्रस्तुति की सटीकता। **इन राजस्व लेखा मानकों के अनुप्रयोग में विशिष्ट निष्पादन दायित्वों का चिह्नित करना, चिह्नित विशिष्ट निष्पादन दायित्वों के लेन–देन मूल्य का निर्धारण, एक अवधि में मान्य राजस्व के मापन के आधार की उपयुक्तता, वित्तीय विवरणों में शेष के प्रस्तुतीकरण सहित प्रकटीकरण से संबंधित कतिपय मुख्य निर्णय शामिल हैं।** **आकलित प्रयास राजस्व निर्धारण करने का एक महत्वपूर्ण आकलन है क्योंकि इसके लिए अनुबंध की प्रगति, आज तक किए गए प्रयासों, शेष निष्पादन दायित्व को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रयासों पर विचार करना आवश्यक है।** **एकल वित्तीय विवरण के नोट 52 को देखें।**	**प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं** आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः • पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन की गई जानकारी रचना प्रक्रिया पर नियंत्रण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया। • मौजूदा जारी अनुबंधों और नए अनुबंधों में से एक सेंपल चुनकर विशिष्ट निष्पादन दायित्व और लेन–देन मूल्य का निर्धारण से संबधित आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • भा.ले.मा. 115 के अनुरूप राजस्व के अभिलेखन एवं प्रकटीकरण में अनुप्रयुक्त लेखांकन प्रणालियों और अनुबंधों एवं इससे संबद्ध सूचनाओं में परिवर्तन के संगत सूचनाओं का परीक्षण किया, जिनका नए राजस्व लेखा मानकों के अनुसार का खुलासा करने और अभिलेखबद्ध करने में प्रयोग किया गया। • महत्वपूर्ण उपलब्धियां (Milestone) प्राप्त करने में संभावित देरी की पहचान के लिए अनुबंधों में से एक सेंपल चुन कर समीक्षा की गई, जिसमें कि शेष निष्पादन दायित्व को पूर्ण करने में आकलित प्रयासों को बदलने की आवश्यकता है। तर्कसंगतता और अन्य संबंधित सामग्री मदों के ब्योरों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।
भा.ले.मा. 115 विनिर्मित और प्रेषण हेतु तैयार सामग्री के लिए राजस्व की गणना में लेखांकन प्रक्रिया मे परिवर्तन कंपनी ने विनिर्मित और प्रेषण हेतु तैयार सामग्री के संदर्भ में राजस्व की गणना के लेखांकन प्रक्रिया में परिवर्तन के निम्नलिखित दिशा निर्देशों को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया हैः समय के साथ राजस्व को मान्य करते समय परियोजनाओं के लिए विनिर्मित और प्रेषण हेतु तैयार सामाग्रीयों की लागत को इनपुट पद्धति के अंतर्गत प्रगति के मापन में भी लागत के रूप में माना जाएगा। समेकित वित्तीय विवरण के नोट 53 को देखें।	**प्रधान लेखा परीक्षा की प्रक्रिया** • हमने नए राजस्व लेखांकन मानक को लागू करने के प्रभाव को चिह्नित करने के लिए कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं का आकलन किया। आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे कंप्यूटर दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः • बोर्ड स्तरीय ऑडिट कमेटी के दिनांक 11.02.2020 के कार्यवृत में बोर्ड की ऑडिट कमेटी के अनुमोदन की जांच की। • कंपनी द्वारा आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति की राय दिनांक 10.02.2020 की जांच की। • नए राजस्व लेखा प्रक्रियाओं को लागू करने से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन का मूल्यांकन किया गया। • इनपुट पद्धति में समाविष्ट किए जाने हेतु चिह्नित वस्तुओं का चयन किया, और वस्तुओं को चिह्नित करने और मूल्य के निर्धारण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण के परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया। • तर्कसंगतता और अन्य संबंधित मूर्त मदों विवरणों के लिए विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं और परीक्षण किए।

व्यापार प्राप्य एवं अनुबंध संपत्तियों का मूल्यांकन एवं वसूली की संभावना	प्रधान लेखा परीक्षा प्रक्रिया
31 मार्च, 2020 के अंत में कंपनी के पास रु. 24093.05 करोड़ (निवल) की अनुबंध संपत्तियां तथा रु. 12379.03 करोड़ के व्यापार प्राप्य बकाया हैं। यह शेष भा.ले.मा. 115 "ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व" के अनुसार पूर्ण हुए अनुबंधों और चालू अनुबंधो के लिए मान्य राजस्व से संबंधित हैं। इसके आकार और प्रबंधकीय निर्णय के उच्च स्तरीय होने कारण इसकी वसूली की संभावना का आकलन एक मुख्य लेखा विषय है। **समेकित वित्तीय विवरणों के नोट 6, 9,11, 17, 51 को देखें।**	अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य के राजस्व मान्यता और समीक्षा तंत्र के लिए हमने कंपनी की आतंरिक प्रक्रिया का आकलन किया है। आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं के डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता के परीक्षण से निहित हमारे लेखापरीक्षा दृष्टिकोण में निम्नलिखित शामिल हैः • बीजक बनाने, सत्यापन करने तथा ग्राहकों के साथ पुनर्मिलान की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया। • परियोजनावार बकाया विवरण और प्रबंधन द्वारा इसके समीक्षा तंत्र की सूची को प्राप्त किया। • अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की क्षति पर कंपनी के दिशानिर्देशों और नीतियों की समीक्षा की। • सेंपल आधार पर वर्ष के अंत में अनुबंध संपत्तियों एवं व्यापार प्राप्य की एजिंग की सटीकता की जांच की। • तर्कसंगतता, वसूली की संभावना और अन्य संबंधित सामग्री मदों के विवरणों पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं और परीक्षणों को किया।

महत्त्व के विषयों पर कथन

हम समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी क्र. 54 पर ध्यान आकर्षित करना चाहेगे जिसमें कंपनी ने कोविड– 19 महामारी के कारण उत्पन्न प्रभाव का वर्णन किया है।

इस प्रकरण में हमारी रिपोर्ट को संशोधित नहीं किया गया है।

समेकित वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में प्रबंधकीय परिचर्चा व विश्लेषण में सम्मिलित की गई जानकारी, बोर्ड रिपोर्ट के अनुलग्नकों सहित बोर्ड रिपोर्ट, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तथा शेयरधारकों की सूचना आती है परंतु समेकित वित्तीय विवरण और इस पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट इसमें सम्मिलित नहीं होती है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम इस पर कोई आश्वासन या निष्कर्ष नहीं देते हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी अन्य सूचनाओं को पढ़ना और ऐसा करते हुए ध्यान रखना कि वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाएं कहीं सारतः असंगत तो नहीं हैं अथवा लेखापरीक्षा में प्राप्त जानकारी अन्यथा भौतिक रूप से अनुचित प्रतीत तो नहीं हो रही है।

यदि, हमारे किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि यह अन्य सूचना सारतः अनुचित कथित है, तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमें इस संदर्भ में कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

समेकित वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134(5) में वर्णित विषयों के संदर्भ में इन वित्तीय विवरणों को इस प्रकार तैयार किए जाने हेतु उत्तरदायी है, जो भारत में सामान्य रूप से स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों और भा.ले.मा. के अनुरूप कंपनी के समेकित वित्तीय स्थिति, समेकित वित्तीय प्रदर्शन, समेकित कुल व्यापक आय, समेकित इक्विटी में परिवर्तनों तथा समेकित नकदी प्रवाह का एक वास्तविक और सही विवरण प्रदान करते हों। इस उत्तरदायित्व में ऐसे पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का अनुरक्षण भी सम्मिलित है जो अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु और धोखाधड़ी व अन्य अनियमितताओं को पता लगाने और रोकने हेतु; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और अनुप्रयोग; उचित और विवेकपूर्ण आकलन और निर्णय लेने; एवं धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले किसी भी प्रकार के मूर्त अनुचित कथन से मुक्त तथा वास्तविक और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत कराने वाले वित्तीय विवरणों के निर्माण और प्रस्तुतीकरण हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों, जो कि लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव हेतु प्रासंगिक हों।

समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने में, समूह को एक क्रियाशील इकाई के रूप में बनाए रखने के लिए समूह की योग्यता का आकलन करने, क्रियाशील इकाई से संबन्धित जानकारियाँ यथा आवश्यक प्रकटीकरण करने और जब तक प्रबंधन समूह के परिसमापन या परिचालन रोकने की मंशा न रखती हो अथवा इसके अतिरिक्त कोई यथार्थ कारण न हो, तब तक समूह को लेखांकन का आधार बनाने के लिए कंपनियों के निदेशक मण्डल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है।

समूह में सम्मिलित कंपनी के संबंधित निदेशक मंडल समूह की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए उत्तरदायी हैं।

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण होने वाले सारतः त्रुटिपूर्ण कथन से समग्र रूप में मुक्त है और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना, जिसमें हमारी राय शामिल हो। तर्कसंगत आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार किया गया लेखा परीक्षण सदैव किसी सारतः त्रुटिपूर्ण कथन का पता लगा ही लेगा, यदि कोई हो तो। त्रुटिपूर्ण कथन धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकते हैं और इन्हें संदेहास्पद माना जाता है, यदि, एकल रूप में या कुल मिलाकर, वे इन समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को यथोचित रूप में प्रभावित करना प्रत्याशित है।

लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षण के भाग के रूप में, पूरे लेखा परीक्षण के दौरान हम व्यावसायिक रूप से निर्णय लेते हैं और व्यावसायिक संशयात्मकता को बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों के सारतः मिथ्या कथन, चाहे वे धोखाधड़ी के कारण हों या त्रुटि के कारण, की पहचान करना और इसके जोखिमों को आंकना और इन जोखिमों के अनुक्रियाशील लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिजाइन करना एवं निष्पादित करना, और लेखा परीक्षण साक्ष्यों को प्राप्त करना जो कि हमारी राय का आधार बनाने लिए पर्याप्त

और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप सारतः मिथ्या कथन को न पहचाने का जोखिम, गलती से किए गए के सारतः मिथ्या कथन से कहीं ज्यादा होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जाल–साजी, जानबूझकर की गई चूकें, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रणों को अधिभावी (override) किया जाता है।

- परिस्थितियों के अनुसार समुचित लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखा परीक्षण के संगत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि क्या कंपनी में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों के संचालन में प्रभावशीलता है।
- अनुप्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन आकलनों और संबंधित प्रकटन की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्रबंधन के क्रियाशील इकाई को लेखांकन का आधार की तरह उपयोग करने उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, एक क्रियाशील इकाई के रूप मे बने रहने की समूह की क्षमता पर सार्थक संदेह उत्पन्न करने हेतु साक्ष्य या स्थितियों से संबन्धित कोई वास्तविक अनिश्चितता पर निष्कर्ष प्राप्त करना
- यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई वास्तविक अनिश्चितता व्याप्त है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटन पर इस संबंध में उल्लेख करना होगा, यदि यह प्रकटीकरण अपर्याप्त लगे तो हमें अपनी राय को संशोधित करना होता है। हमारे निष्कर्ष, इस दिनांक तक हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट से प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियां समूह को क्रियाशील इकाई के रूप में न बने रहने का कारण बन सकती हैं। प्रकटन सहित समेकित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करना, और क्या समेकित वित्तीय विवरण वास्तविक लेनदेनों और घटनाओं का इस प्रकार वर्णन करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण के उद्देश्य को प्राप्त करता हो।
- समेकित वित्तीय विवरणों पर एक राय व्यक्त करने के लिए समूह के अंदर व्यावसायिक गतिविधियों की इकाइयों की वित्तीय जानकारी के बारे में पर्याप्त उपयुक्त लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना। हम समेकित वित्तीय में सम्मिलित ऐसी इकाइयों के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की दिशा, पर्यवेक्षण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं।

भौतिकता (Materiality) समेकित वित्तीय विवरणों में मिथ्या कथनी की मात्रा है जो, व्यक्तिगत या समग्र रूप से,वित्तीय विवरणों के एक उचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित कर सकता हैं। हम (i) अपने लेखा परीक्षा कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और परिणामों का मूल्यांकन करने में; और (ii) वित्तीय विवरणों में पाई गई किसी मिथ्या कथनी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता (Materiality) और गुणात्मक कारकों (qualitative factors) पर विचार करते हैं।

हम अन्य मामलों के साथ ही लेखा परीक्षा के योजनाबद्ध कार्य क्षेत्र एवं समय सीमा के निर्धारण और हमारी लेखा परीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के बारे में अभिशासन प्रभारियों से संवाद करते हैं।

हमने अभिशासन के प्रभारियों को स्वतंत्रता की प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुपालन संबंधी एक विवरण प्रदान किया है और हमारी स्वतंत्रता के साथ, और जहां लागू हो संगत सुरक्षा से तर्कसंगत रूप से जुड़े लगाने वाले उन सभी रिश्तों एवं अन्य विषयों के बारे में उन्हें बता दिया है।

अभिशासन के प्रभारियों को वर्णित विषयों में से, हमने उन विषयों का निर्धारण किया है जो समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के सबसे महत्तवपूर्ण/ उल्लेखनीय हैं और इसलिए वे प्रधान लेखा परीक्षा विषय हैं। हम अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में इन विषयों का वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन इन विषयों के प्रकटीकरण को निषेध ना करता हो, और अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में जब, हमें यह प्रतीत हो की इस विषय के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए है, क्योंकि ऐसा करने के दुष्परिणाम इस सूचना के जनहित लाभों पर हावी होने की यथोचित संभावना है।

अन्य विषयः

1. साथ में दिए गए विवरणों में एक सहयोगी कंपनी के लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम/विवरण सम्मिलित हैं, जिनके वित्तीय विवरण/परिणाम 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष की समूह के शुद्ध लाभ का अंश 25.72 करोड़ रुपये और अन्य व्यापक आय 0.13 करोड़ रुपये को दर्शाते है, इन्हें संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का समेकित वित्तीय विवरण माना जाता है। इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें दी है और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध राशि और प्रकटीकरण से है और अधिनियम की धारा 143 की उप–धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक उक्त कथित संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संदर्भ में है, पूरी तरह से अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।
2. हमने संयुक्त रूप से नियंत्रित दो इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया था। समेकित वित्तीय विवरणों में उस संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों में से समूह की शुद्ध हानि और अन्य व्यापक हानियों का अंश सम्मिलित नहीं हैं क्योंकि समूह ने पहले से ही इन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के संबंध में अपने वित्तीय विवरणों में निवेश की लागत के बराबर संचित घाटे को मान्यता दी है। इन वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण नहीं किया गया है, जिसकी रिपोर्ट प्रबंधन ने हमें दी है और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध राशि और प्रकटीकरण से है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक उक्त कथित संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संदर्भ में है, पूरी तरह से बिना लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों पर आधारित है। ये वित्तीय विवरण समूह के लिए मूर्त नहीं हैं।
3. हमने एक सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया था। समेकित वित्तीय वक्तव्यों में एक सहायक कंपनी के लेखा परीक्षण पूर्व वित्तीय परिणाम/विवरण सम्मिलित हैं जिनके वित्तीय विवरण/परिणाम में 31 मार्च, 2020 तक निवल परिसंपत्तियां 21.31 करोड़ रूपय और शुद्ध परिसंपत्तियां ऋणात्मक 18.51 करोड़ रुपये, इसी दिनांक की समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व 3.97 करोड़ रूपये और शुद्ध नकदी प्रवाह 0.11 करोड़ रूपय था जैसा की समेकित वित्तीय विवरणों में दिखाया गया है। इन वित्तीय जानकारियों का लेखा अपरीक्षण नहीं किया गया हैं और प्रबंधन द्वारा हमें यह प्रस्तुत की गई है संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी रिपोर्ट, जहां तक इसका संबंध राशि और प्रकटीकरण से है, और अधिनियम की धारा 143 की उप–धाराओं (3) और (11) के संदर्भ में हमारी रिपोर्ट, जहां तक उक्त कथित सहयोगी कंपनी के संदर्भ में है, पूरी तरह से लेखा परीक्षण पूर्व के वित्तीय विवरणों पर आधारित है। ये वित्तीय विवरण समूह के लिए मूर्त नहीं हैं।
4. बीएचईएल के एक संयुक्त उद्यम–पावरप्लांट परफॉरमेंस इम्प्रूवमेंट्स लिमिटेड के खातों को समेकित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त कंपनी परिसमापन के अधीन है और इक्विटी निवेश की पूरी राशि प्रदान कर दी गई है। दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड के खातों को भी समेकित नहीं किया गया है क्योंकि उक्त कंपनी परिसमापन के अधीन है और निवेश प्रदान कर दिया गया है।

हमारे द्वारा किए गए कार्य और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षा पूर्व वित्तीय विवरणों और अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर निर्भरता के संबंध में समेकित वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय, और नीचे दी गई अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर हमारी रिपोर्ट, उपरोक्त विषयों के सापेक्ष संशोधित नहीं की गई है ।

अन्य विधि एवं विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्टः

1) अधिनियम के खंड 143 के अनुसार आवश्यक हमारी लेखा परीक्षा के आधार पर और

"अन्य विषय" पैराग्राफ में विनिर्दिष्ट सहायक कंपनी, संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करने पर, लागू सीमा तक, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के आधार पर हमने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरणों कि लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारियां एवं स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त कर लिए हैं;

ख) हमारे विचार से, कंपनी ने उक्त कथित समेकित वित्तीय विवरण बनाने के संबंध में विधि के अनुसार लेखा बहियां बनाई हैं,जहां तक हमारे द्वारा इन बहियों की जांच से और अन्य लेखा परीक्षकों कि रिपोटों से प्रतीत होता है;

ग) इस रिपोर्ट के साथ व्यावह्रत समेकित बैलेंस शीट, लाभ और हानि का समेकित विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण और समेकित नकदी प्रवाह विवरण; समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के उद्देश्य से बनाई गई संगत लेखा पुस्तिकाओं के अनुबंध में है;

घ) हमारी राय में, पूर्वोक्त समेकित वित्तीय विवरण, अधिनियम की धारा 133 सहपाठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 यथासंशोधित, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों और भारत में सामान्यत; स्वीकार्य अन्य लेखांकन सिद्धांतों का अनुपालन करते हैं;

ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं.: जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05–06–2015 कंपनी पर लागू नहीं है;

च) भारत में निगमित धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की संचालन प्रभावशीलता के संबंध में "अनुलग्नक ।" में हमारी पृथक रिपोर्ट का अवलोकन करें;

छ) कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसरण में, लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित किए जाने वाले अन्य विषयों को, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरण के अनुरूप और सहायक कंपनी एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों की अन्य वित्तीय जानकारी के रूप में पृथक वित्तीय विवरणों पर अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर विचार के आधार पर, "अन्य विषयों" पैराग्राफ में उल्लेखित किया गया है;

i. समेकित वित्तीय विवरण समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईओं की समेकित वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का प्रकटीकरण करते हैं – समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 42 देखें;

ii. दीर्घकालिक अनुबंधों में मूर्त निकटवर्ती हानि, यदि हो तो, के लिए समेकित वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया गया है जैसा कि लागू कानून या भारतीय लेखांकन मानकों के अंतर्गत आवश्यक है– ऐसे मदों के संदर्भ में समेकित वित्तीय विवरणों की टिप्पणी 51 देखें क्योंकि इनका संबंध समूह और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों से है और;

iii. भारत में निगमित धारक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों हो और उसकी सहायक कंपनियों के द्वारा इंवेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड में स्थानांतरित की जाने वाली राशि को स्थानांतरित करने में कोई विलंब नहीं किया गया है

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	**कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स**	**कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट	**चार्टर्ड अकाउंटेंट**	**चार्टर्ड अकाउंटेंट**
एफआरएन - 002074N	**एफआरएन - 002870N**	**एफआरएन - 006228C**
(सी गोपाल कृष्ण)	**(कृष्ण कुमार)**	**(सीए दीपेश शाह)**
भागीदार	**भागीदार**	**भागीदार**
सदस्य सं. 081085	**सदस्य सं. 085415**	**सदस्य सं. 404990**
यूडीआईएन : 20081085AAAAFS7960	यूडीआईएन: 20085415AAAAAI1679	यूडीआईएन : 0404990AAAAAA7876

स्थानः नई दिल्ली / इंदौर
दिनांकः 13 जून 2020

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड की भा.ले.मा. के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की संसंख्यक रिपोर्ट का अनुलग्नक "ए"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी के भा.ले.मा. के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखा परीक्षा के संजोजन के रूप में, हमने इसी दिनांक पर भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (इसके बाद में इसे "होल्डिंग कंपनी" के रूप में संदर्भित किया गया है।") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया है। हमने एक सहायक कंपनी और तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण नहीं किया, जिसमें से एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई का अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षण किया गया है और दो संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयां और एक सहायक कंपनी का लेखा परीक्षण नहीं किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां, जो भारत में निगमित की गई कंपनियां हैं, के संगत निदेशक मण्डल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशा निर्देश नोट मेंकथित आंतरिक नियंत्रण के वांछित घटकों पर विचार करते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंड पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और इसे बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है।

कंपनी अधिनियम, 2013 केअंतर्गत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी का समयबद्ध बनाया जाना, लेखांकन अभिलेखों की शुद्धता और संपूर्णता, त्रुटियों व धोखाधड़ी का पता लगाना और रोकथाम, कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा, संबंधित कंपनी की नीतियों का दृढ़ता से पालन सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से क्रियाशील पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव इन जिम्मेदारियों में सम्मिलित है।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") एवं आईसीएआई द्वारा जारी लेखा परीक्षा मानकों और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण के लिए लागू, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण की सीमा लागू करने के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझी गईं हों, के अनुरूप हम अपना लेखा परीक्षण करते हैं। उन मानकों और गाइडेंस नोट की अपेक्षा है कि हम नैतिक अपेक्षाओं की पूर्ति करें और इस तथ्य पर यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित था और यह नियंत्रण सभी मूर्त पहलुओं पर प्रभावी रूप से संचालित था, लेखा परीक्षा योजना बनाएं तथा लेखापरीक्षा करें।

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसकी संचालन प्रभावशीलता के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं को निष्पादित करना सम्मिलित है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, किसी मूर्तनिर्बलता के होने के संकट का आकलन और आकलित संकट के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की संचालन प्रभावशीलता एवं डिजाइन का मूल्यांकन व परीक्षण करना सम्मिलित है। वित्तीय विवरणों की मूर्त मिथ्या कथन, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, का संकट के आकलन सहित लेखा परीक्षकों के निर्णय पर प्रक्रियाएं चयनित की जाती हैं।

हमें विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किए हैं और अन्य लेखा परीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट के संदर्भ में जो लेखा परीक्षा साक्ष्य अन्य विषय पैराग्राफ में नीचे दिए हैं, वह कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली हेतु लेखा परीक्षा राय का आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

किसी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए और सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी करने हेतु डिजाइन की जाती है।

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं, जो (1) ऐसे अभिलेखों के रखरखाव से संबंधित हैं, जिसमें कंपनी की सम्पत्तियों के लेनदेनों और निपटान का यथार्थ और उचित रूप में युक्तियुक्त विवरण दर्शाया गया है।

(2) उचित आश्वासन देते है कि लेनदेन सामान्यतः स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति के लिए दर्ज हो रहे है और कंपनी की प्राप्ति यां और व्यय केवल कंपनी प्रबंधन और कंपनी के निदेशक प्राधिकरण के अनुसरण में हो रही है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान; जो वित्तीय विवरणों पर मूर्त प्रभाव डाल सकते हैं, का समय पर पता लगाने या रोकथाम के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करें।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं जिनमें मिली भगत की संभावना, नियंत्रण अधिभाव का अनुचित प्रबंधन सम्मिलित है, कारण त्रुटियां धोखाधड़ी से मूर्त मिथ्या कथनी हो सकती है जिसका पता नहीं लगता है। इसके अतिरिक्त, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैकि स्थितियों में परिवर्तन के कारण अथवा नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन के स्तर में कमी के कारण वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त होसकता है।

अन्य विषय

अधिनियम की धारा 143 (3) (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और संचालन प्रभावशीलता पर हमारी उपरोक्त रिपोर्ट, जहां तक एक सहायक कंपनी और तीन संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाइयों, जो कि भारत में निगमित कंपनियाँ है, से संबंधित है, भारत में निगमित एक संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई की संगत लेखा परीक्षक रिपोर्ट पर और दो संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाईयों एवं एक सहायक कंपनी के प्रबंधन प्रमाण पत्र पर आधारित है।

राय

हमारी राय में, धारक कंपनी, इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनियां में, जो भारत में निगमित गई कंपनियां हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण दिशा निर्देश नोट में कथित आंतरिक नियंत्रण के वांछित घटकों पर विचार करते हुये कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मानदंड के आधार पर, सभी मूर्त पहलुओं के सापेक्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली स्थापित थी और 31 मार्च, 2020 को प्रभावशाली रूप से संचालित थी ।

कृते राज हर गोपाल एंड कंपनी	कृते तिवारी एंड एसोसिएट्स	कृते महेश सी सोलंकी एंड कंपनी
चाटर्ड अकाउंटेंट	चाटर्ड अकाउंटेंट	चाटर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन - **002074N**	एफआरएन - **002870N**	एफआरएन - **006228C**
	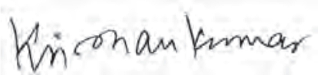	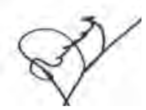
(सी गोपाल कृष्ण)	(कृष्ण कुमार)	(सीए देवेश शाह)
भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्य सं. **081085**	सदस्य सं. **085415**	सदस्य सं. **404990**
यूडीआईएन : 20081085AAAAFS7960	यूडीआईएन: 20085415AAAAAI1679	यूडीआईएन : 0404990AAAAAA7876

स्थानः नई दिल्ली / इंदौर
दिनांकः 13 जून 2020

गोपनीय

संख्या.:DGA (Energy)/Rep/Acs/CFS-BHEL/2020-21/06

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE
DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (ENERGY)
DELHI

दिंनाक/Dated: 11.08.2020

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध-निदेशक,
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
नई दिल्ली

महोदय,

विषय: 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

मैं, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के समेकित वित्तीय विवरण (Consolidated Financial Statements) पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(b) एवं धारा 129(4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ अग्रेषित कर रहा हूँ। कृपया इस पत्र की संलग्नकों सहित प्राप्ति की पावती भेजी जाए।

भवदीय,

संलग्नक:- यथोपरि।

डी.के. शेखर

(डी. के. शेखर)
महानिदेशक

छठा एवं सातवाँ तल, ऐनैक्सी बिल्डिंग, 10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली - 110002
6th & 7th floor, Annexe Building, 10 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi -110002
Tel: 011-23239227, Fax: 011-23239211, E-mail: mabnewdelhi3@cag.gov.in

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) READ WITH SECTION 129 (4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2020

The preparation of consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2020 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139 (5) read with section 129 (4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129 (4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 13.06.2020.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the consolidated financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited for the year ended 31 March 2020 under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act. We conducted a supplementary audit of the financial statements of Bharat Heavy Electricals Limited, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of companies mentioned in Annexure-I for the year ended on that date. Further, Section 139(5) and 143(6)(a) of the Act are not applicable to the BHEL-GE Gas Turbine Services Limited being private entity, for appointment of their Statutory Auditor and for conduct of supplementary audit. Accordingly, Comptroller & Auditor General of India has neither appointed the Statutory Auditor nor conducted the supplementary audit of this company. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143(6)(b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

(D. K. Sekar)
Director General of Audit (Energy),
Delhi

Place: New Delhi
Dated: 11 August 2020

ANNEXURE I

List of subsidiaries, associate companies and jointly controlled entities whose financial statements were not audited by the Comptroller and Auditor General of India

Subsidiaries Companies

1. BHEL Electrical Machines Limited

Joint Venture Companies

1. NTPC-BHEL Power Projects Private Limited
2. Raichur Power Corporation Limited

समेकित बैलेंस शीट. 31 मार्च, 2020 को

(रु. करोड़ में)

विवरण		नोट	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
क.	परिसंपत्तियाँ					
1.	गैर चालू संपत्तियाँ	3क		2738.51		2887.39
(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	3ख		306.74		223.21
(ख)	पूंजीगत चालू कार्य	4क		78.61		83.07
(ग)	अमूर्त संपत्ति	4ख		7.26		12.23
(घ)	विकासशील अमूर्त संपत्ति	5		158.97		149.42
(ढ)	वित्तीय सम्पत्तियां					
(i)	निवेश	5ख	3.09		2.94	
(ii)	व्यापार से प्राप्य	6	5270.43		3935.09	
(iii)	ऋण	7	83.17	5356.69	82.82	4020.85
(च)	आस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध देनदारियां)	8		2765.87		3505.45
(छ)	अन्य गैर चालू सम्पत्तियां	9		16660.49		14671.78
कुल गैर चालू संपत्तियां				28073.14		25553.40
(2)	वर्तमान परिसंपत्तियाँ					
(क)	मॉल सूची	10		8908.23		7800.04
(ख)	वित्तीय परिसंपत्तियां					
(i)	कारोबार प्राप्त राशि	11	7108.60		11863.14	
(ii)	नगद एवं नगद समकक्ष	12	1402.86		795.74	
(iii)	नगद एवं नगद समकक्ष के अतिरिक्त बैंक में जमा	13	5015.73		6707.80	
(iv)	ऋण	14	135.24		157.71	
(v)	वित्तीय परिसंपत्तियां	15	127.50	13789.93	165.40	19689.79
(ग)	वर्तमान कर परिसंपत्तियां (शुद्ध) वर्तमान कर	16		229.07		
(घ)	अन्य चालू परिसंपत्तियां	17		9783.95		10891.08
कुल वर्तमान परिसंपत्तियां				32711.18		38380.91
कुल परिसंपत्तियां				60784.32		63934.31
ख.	इक्विटी और दायित्वः					
3	इक्विटी					
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	18		696.41		696.41
(ख)	अन्य इक्विटी	18ए		27964.31		30207.93
				28660.72		30904.34
	गैर नियंत्रित ब्याज			(9.07)		(6.73)
	कुल इक्विटी			28651.65		30897.60

समेकित बैलेंस शीट. 31 मार्च, 2020 को

(रु. करोड़ में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
दायित्व					
4 गैर – चालू देयताएं					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधार	19	**75.37**		95.45	
(ii) कारोबार देयताएँ	20				
(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		**8.25**		-	
(ii) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया		**999.62**		702.87	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	21	**159.02**	**1242.26**	91.29	889.61
(ख) प्रावधान	22		**5260.92**		5476.03
(ग) अन्य गैर – मौजूद देयताएं	23		**2952.65**		3615.88
कुल गैर – चालू दायित्व			**9455.83**		9981.52
5 चालू दायित्व					
(क) वित्तीय देयताएँ					
(i) उधारी	24	**4947.92**		2444.57	
(ii) कारोबार देयताएँ	25				
(i) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों का कुल बकाया		**492.12**		764.91	
(ii) वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)		**8405.40**		10616.07	
(iii) अन्य वित्तीय देयताएँ	26	**1487.29**	**15332.73**	2070.24	15895.79
(ख) प्रावधान	27		**3085.76**		2488.97
(ग) वर्तमान कर दायित्व (शुद्ध)	16		**-**		91.34
(घ) अन्य वर्तमान देनदारियां	28		**4258.35**		4579.08
कुल वर्तमान दायित्व			**22676.84**		23055.19
कुल देनदारियां			**32132.67**		33036.71
कुल इक्विटी एवं देयताएं			**60784.32**		63934.31
तैयारी, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का आधार	2				

साथ में दी गई टिप्पणियाँ इन वित्तीय वक्तव्यों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

निदेशक मंडल की ओर से और उनके के लिए

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
एम. न. 14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईए न 08113460

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन: 01176857

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 002074एन

तिवारी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 002870एन

महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 006228सी

(सी. ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम. न. 081085

(सी. ए. कृष्ण कुमार)
पार्टनर
एम. न. 085415

(सी. ए. दीपेश शाह)
पार्टनर
एम. न. 404990

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून 13, 2020

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
आय					
प्रचालन से राजस्व	29		21490.01		30441.38
अन्य आय	30		564.30		661.52
कुल आय			22054.31		31102.90
व्यय					
सामग्री खपत, निर्माण और इंजिनीयरिंग खर्च	31		15081.72		19261.32
तैयार माल की इनवेंट्री में परिवर्तन और कार्य प्रगति पर	32		(1015.56)		(989.31)
कर्मचारी लाभों पर व्यय	33		5408.71		5509.25
निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण पर व्यय	34		1996.53		2698.13
प्रावधान	35		255.98		1834.06
वित्तीय खर्च	36		508.45		288.37
मूल्यह्रास और परिशोधन खर्च	3.1/4.1		503.27		475.74
कुल व्यय			22739.10		29077.56
इक्विटी विधि व कर द्वारा निवेश के शुद्ध लाभ / हानि के नुकसान के अंशदान का लाभ/ हानि			(684.79)		2025.34
इक्विटी विधि द्वारा संयुक्त उद्यमों के लिए शुद्ध लाभ/ हानि का अंशदान			25.72		(185.60)
कर . पूर्व लाभ			(659.07)		1839.74
कर व्यय	37				
क) वर्तमान कर		1.52		735.07	
ख) आस्थगित कर		807.76	809.28	102.25	837.32
वर्ष (क) का लाभ			(1468.35)		1002.42
अन्य व्यापक आय	38				
वे मदें जिनको लाभ अथवा हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नही किया जाएगा (कर का शुद्ध)					
निर्धारित कर्मचारी लाभों का पुनर्मापन			(273.87)		(119.17)
इक्विटी पद्धति द्वारा जेवी के ओसीआई का का अंशदान			0.13		0.02
(ख) वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय			(273.74)		(119.15)
(क+ख) वर्षों के लिए कुल व्यापक आय			(1742.09)		883.27
अन्य कारकः					
मूल के इक्विटी धारक			(1739.75)		885.95
गैर नियंत्रित ब्याज			(2.34)		(2.68)

लाभ और हानि का समेकित विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ों में)

विवरण	नोट	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
		(1742.09)	883.27
वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय			
अन्य कारक			
मूल के इक्विटी धारक		**(273.74)**	(119.15)
गैर – नियंत्रित ब्याज		**-**	-
		(273.74)	(119.15)
वर्ष के लिए कुल आय			
मूल के इक्विटी धारक		**(1466.01)**	1005.10
गैर . नियंत्रित ब्याज		**(2.34)**	(2.68)
		(1468.35)	1002.42
प्रति इक्विटी शेयर आय	**39**		
(1) मूल (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रूपये)		**(4.22)**	2.76
(2) मिश्रित (प्रत्येक का अंकित मूल्य 2 रूपये)		**(4.22)**	2.76
तैयारी, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का आधार	**2**		

साथ में दी गई टिप्पणियाँ इन वित्तीय वक्तव्यों का एक अभिन्न हिस्सा हैं

निदेशक मंडल की ओर से और उनके के लिए

(राजीव कालड़ा)	**(सुबोध गुप्ता)**	**(डॉ. नलिन सिंघल)**
कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम. न. 14567	**डीआईए न 08113460**	**डीआईएनः 01176857**

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी	**तिवारी एंड एसोसिएट्स**	**महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 002074एन	**एफआरएन – 002870एन**	**एफआरएन – 006228सी**
(सी. ए. गोपाल कृष्ण)	**(सी. ए. कृष्ण कुमार)**	**(सी. ए. दीपेश शाह)**
पार्टनर	**पार्टनर**	**पार्टनर**
एम. न. 081085	**एम. न. 085415**	**एम. न. 404990**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : जून 13, 2020

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31, मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

क. इक्विटी शेयर कैपिटल

(रु. करोड़ में)

2 रु. प्रत्येक के जारी किए गए पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयर	शेयरों की संख्या		राशि	
	2019-20	2018-19	2019-20	2018-19
अवधि की शुरूआत में शेष	**3482063355**	3671400000	**696.41**	734.28
घटाएं : वापस खरीदे गए शेयर	**-**	189336645	**-**	37.87
अवधि के अंत में शेष	**3482063355**	3482063355	**696.41**	696.41

ख. अन्य इक्विटी

31, मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

(रु. करोड़ में)

विवरण	कोष और अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी	अनियंत्रित ब्याज
	रिजर्व पूंजी	ऋणमुक्त पूंजी कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय			
01, अपैल 2019 तक शेष राशि	35.18	37.87	30476.66	(200.62)	(141.16)	30207.93	(6.73)
जोड़ें : वर्ष की कुल व्यापक आय	-	-	-	(1466.01)	(273.87)	(1739.88)	(2.34)
घटाएं : वित्तीय वर्ष 2018.19 के लिए (नोट 40) अंतिम लाभांश	-	-	-	417.85	-	417.85	-
घटाएं : लाभांश वितरण कर (नोट 40)	-	-	-	85.89	-	85.89	-
31, मार्च 2020 को शेष	35.18	37.87	30476.66	(2170.37)	(415.03)	27964.31	(9.07)

इक्विटी में परिवर्तन का समेकित विवरण

31, मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

31, मार्च 2019 को समाप्त वर्ष में शेष राशि (रु. करोड़ में)

विवरण	कोष और अधिशेष				अन्य व्यापक आय की अन्य मदें	कुल अन्य इक्विटी	अनियंत्रित ब्याज
	रिजर्व पूंजी	ऋणमुक्त पूंजी कोष	सामान्य कोष	प्रतिधारित आय			
01, अपैल 2018 तक शेष राशि	**35.18**	**-**	**32104.96**	**(478.72)**	**(21.98)**	**31639.44**	**(4.05)**
जोड़ें इंड एएएस .115 पारगमन समायोजन	-	-	-	126.49	-	126.49	-
घटाएँः समायो. ;वित्त वर्ष 2017.18 के लिए ऑडिटेड बनाम अनऑडिटेड घाटा)	-	-	-	57.87	-	57.87	-
जोड़ेंः वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	-	-	-	1005.10	(119.18)	885.92	(2.68)
घटाएँः पूंजी ऋणमुक्ति कोष मे स्थानांतरण	-	37.87	(37.87)	-	-	-	-
घटाएँः बायबैक से संबंधित लेनदेन लागत (नोट 18)	-	-	-	8.32	-	8.32	-
घटाएँः बायबैक पर भुगतान की गई राशि (नोट 18)	-	-	1590.43	-	-	1590.43	-
घटाएँः वित्त वर्ष 2017.18 के लिए अंतिम लाभांश (नोट 40)	-	-	-	374.49	-	374.49	-
घटाएँः वित्त वर्ष 2017.18 के लिए अंतरिम लाभांश (नोट 40)	-	-	-	278.57	-	278.57	-
घटाएँः लाभांश वितरण कर (नोट 40)	-	-	-	134.24	-	134.24	-
31 मार्च, 2019 को शेष राशि	**35.18**	**37.87**	**30476.66**	**(200.62)**	**(141.16)**	**30207.93**	**(6.73)**

निदेशक मंडल की ओर से और उनके के लिए

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव
एम. न. 14567

(सुबोध गुप्ता)
निदेशक (वित्त)
डीआईएन 08113460

(डॉ. नलिन सिंघल)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएनः 01176857

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 002074एन

तिवारी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 002870एन

महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 006228सी

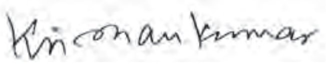

(सी. ए. गोपाल कृष्ण)
पार्टनर
एम. न. 081085

(सी. ए. कृष्ण कुमार)
पार्टनर
एम. न. 085415

(सी. ए. दीपेश शाह)
पार्टनर
एम. न. 404990

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : जून 13, 2020

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क. परिचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**(659.07)**	1839.74
निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
प्रावधान और बट्टे खाते में डाले गए व्यय	**244.44**	1978.98
मूल्यह्रास और परिशोधन	**503.27**	475.74
वित्त लागत (ब्याज की छूट सहित)	**508.45**	288.37
ब्याज से आय	**(509.19)**	(599.44)
संयुक्त उद्यमों और निवेशों में (लाभ) / हानि का हिस्सा	**(25.72)**	185.60
अन्य	**(15.73)**	(19.25)
कार्यशील पूंजी परिवर्तन से पूर्व परिचालन से प्राप्त नकदी	**46.45**	4149.74
कार्यशील पूंजी में परिवर्तन के लिए समायोजनः		
व्यापारिक प्राप्तियाँ	**3371.34**	264.78
अनुबंध परिसंपत्तियाँ	**(1618.29)**	(4966.31)
माल सूची	**(1095.12)**	(1868.65)
ऋण, अग्रिम और अन्य संपत्ति	**391.93**	(79.41)
उप योग	**1049.86**	(6649.59)
व्यापारिक देयता	**(2178.46)**	981.65
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम जमा और अन्य	**(1841.48)**	(1112.41)
प्रावधान	**354.04**	(808.74)
उप योग	**(3665.91)**	(939.50)
शुद्ध नगदी (उपयोग की गई) / कार्यशील पूंजी से	**(2616.04)**	(7589.09)
परिचालन से प्राप्त नगद	**(2569.59)**	(3439.36)
आय कर से वापसी	**-**	408.68
आय कर का भुगतान	**(321.93)**	(829.47)
परिचालन गतिविधियों उत्पन्न कुल नगदी प्रवाह	**(2891.52)**	(3860.15)
ख. निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
बैंक जमा का नगदीकरण (छूट) / परिपक्वता) जिसकी मूल परिपक्वता 3 माह से अधिक है)	**1700.03**	1700.22
प्राप्त ब्याज	**538.77**	592.00
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त राशि	**0.27**	17.30
म्युचुअल फ़ंड से प्राप्त लाभ	**6.43**	17.00
संयुक्त उद्यमों से प्राप्त लाभांश	**16.30**	16.18
संपत्तिए संयंत्र और उपकरणों के विक्रय से आय	**9.30**	2.25
संपत्तिए संयंत्र और उपकरणों का क्रय	**(434.50)**	(426.11)
शुद्ध नगदी (उपयोग की गई) / निवेश गतिविधियों से	**1836.60**	1918.85

समेकित नकदी प्रवाह विवरण

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ग. वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पकालिक ऋण से आय	**2503.35**	2,434.29
पट्टे की देयता से आय / चुकौती ;मूलधन)	**(8.95)**	68.20
पट्टे की देयता से आय / चुकौती (ब्याज)	**(17.32)**	(13.75)
इक्विटी शेयरों का पुनः क्रय (प्रीमियम और व्यय सहित)	**-**	(1636.62)
लाभांश भुगतान (लाभांश वितरण कर सहित)	**(504.56)**	(786.99)
ब्याज का भुगतान	**(310.48)**	(96.77)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नगदी (उपयोग की गई) / (बिंदु 3 देंखे)	**1662.04**	(31.63)
घ. नगदी व नगदी समतुल्य में शुद्ध वृद्धि / (ह्रास)	**607.12**	(1972.94)
नगदी व नगदी समतुल्य का प्रारंभिक शेष	**795.74**	2768.68
नगदी व नगदी समतुल्य का अंतिम शेष (नोट 12 देखें)	**1402.86**	795.74

(1) भारतीय लेखा मानक. नगदी प्रवाह विवरण में यथाविनिर्दिष्ट अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर नगदी प्रवाह विवरण तैयार किया गया है।

(2) जहाँ भी आवश्यक है, पिछले वर्ष के आँकड़े पुनः समूहबद्ध) / वर्गीकृत कर दिये गए हैं।

(3) वित्तीय गतिविधियों से नगदी प्रवाह में वर्ष के दौरान कोई गैर नगदी मद नहीं है

(4) नगदी व एक्सचेंज वेरिएशन ट्रांसलेशन लाभ सहित नगदी समतुल्य का 31 मार्च 2020 को अंतिम शेष रू. 1.15 करोड़ है (पिछले वर्ष रु. 0.02 करोड़)

निदेशक मंडल की ओर से और उनके के लिए

(राजीव कालड़ा)	(सुबोध गुप्ता)	(डॉ. नलिन सिंघल)
कंपनी सचिव	**निदेशक (वित्त)**	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम. न. 14567	**डीआईए न 08113460**	**डीआईएनः 01176857**

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी	**तिवारी एंड एसोसिएट्स**	**महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 002074एन	**एफआरएन – 002870एन**	**एफआरएन – 006228सी**
(सी. ए. गोपाल कृष्ण)	**(सी. ए. कृष्ण कुमार)**	**(सी. ए. दीपेश शाह)**
पार्टनर	**पार्टनर**	**पार्टनर**
एम. न. 081085	**एम. न. 085415**	**एम. न. 404990**

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : जून 13, 2020

टिप्पणी (1) : कंपनी के बारे में सूचना

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ("बीएचईएल" या "कंपनी") भारत में स्थित एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली –110049 में है।

यह निगमित विद्युत संयंत्र उपस्कर निर्माता कंपनी है जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों जैसे विद्युत, पारेषण, उद्योग, परिवहन, नवीकरणीय ऊर्जा, तेल एवं गैस और रक्षा हेतु व्यापक श्रेणी के उत्पादों एवं सेवाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, परीक्षण, कमीशनिंग एवं सर्विसिंग का कार्य कर रही है।

इस कंपनी की बीएचईएल–इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड के नाम से एक सहायक कंपनी है और बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड, एनटीपीसी– बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर प्लांट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट लिमिटेड और दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड इसकी संयुक्त उद्यम कंपनियां हैं।

नोट (2) तैयारी, माप और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का आधार

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधारः

क) अनुपालन का विवरण

वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 और उसके बाद के संशोधनों तथा कंपनी अधिनियम, 2013 में और उसके संशोधनों के अनुसार वित्तीय विवरण के लिए लागू अतिरिक्त अपेक्षाओं के अधीन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (इंड–एएस) के अनुसार तैयार किए गए हैं।

ख) माप का आधार

वित्तीय विवरण एक क्रियाशील इकाई और अक्रूअल लेखांकन प्रणाली के आधार पर तैयार किया गया है। जब तक पॉलिसी में अन्यथा उल्लेखित न हो वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए ऐतिहासिक लागत का उपयोग किया जाता है।

ग) कार्यात्मक (Functional) और प्रस्तुति (Presentation) मुद्राः

वित्तीय विवरण भारतीय रुपयों में तैयार किए जाते हैं, जो कंपनी की फंक्शनल करेंसी (कार्यकारी मुद्रा) है।

घ) लागत अनुमान और निर्धारण का उपयोग

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को मूल्यांकन करने और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों और परिसंपत्तियों, देनदारियों, आय और व्यय की रिपोर्ट की गई राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से अलग हो सकते हैं। अनुमानों की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। तदनुसार, लेखांकन अनुमानों में पूर्व प्रभाव से पुनरीक्षण किया जाता है।

लेखांकन नीतियों को लागू करने में महत्वपूर्ण अनुमान और मूल्यांकन

वित्तीय विवरणों में उल्लिखित राशियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली लेखांकन नीतियों को लागू करने में किए गए अनुमान और मूल्यांकन इस प्रकार हैंः

i.) राजस्व

कंपनी निर्माण ठेकों/अनुबंधों के लिए राजस्व लेखांकन में अपनाए गए लागत दृष्टिकोण के आधार पर इनपुट पद्धति का उपयोग करती है। इनपुट पद्धति के उपयोग के लिए कंपनी को अपने निष्पादन दायित्व की संतुष्टि के लिए कुल अपेक्षित लागत के सापेक्ष लागत का अनुमान लगाना अपेक्षित होता है। अनुबंध की अवधि के दौरान अनुमानों का लगातार मूल्यांकन किया जाता है और कंपनी निर्धारित समयांतराल में प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अपने प्रदर्शन दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति का पुनः आकलन करती है।

कंपनी रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मौजूद परिस्थितियों और रिपोर्टिंग अवधि के दौरान परिस्थितियों में बदलाव का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में अपने अनुमानित लेनदेन मूल्य को अपडेट करती है।

ii) संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर

आवधिक मूल्यह्रास के संबंध में प्रभार का आकलन संपत्ति की अपेक्षित उपयोगी अवधि एवं इसकी समाप्ति के बाद अपेक्षित अवशिष्ट मूल्य का अनुमान करने के बाद किया जाता है। कंपनी की परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों का अनुमान प्रबंधन द्वारा परिसंपत्ति के अधिग्रहण के समय लगाया जाता है एवं इसकी समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान की जाती है।

iii) कर्मचारी लाभ योजनाएं

कर्मचारी परिभाषित लाभ योजनाएं और दीर्घकालिक लाभ योजनाएं बीमांकिक मान्यताओं के आधार पर मापी जाती हैं। हालाँकि, इन मान्यताओं में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का प्रभाव बताए गए दायित्वों और व्यय पर पड़ सकता है।

iv) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

प्रावधानों और आकस्मिकताओं की पहचान हेतु सम्पन्न आकलन वर्तमान उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रबंधन के सर्वोत्तम निर्धारण के अनुसार किए गए हैं।

2. संपत्ति संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का अनुमान संचित मूल्यह्रास और संचित इम्पेयरमेंट हानि के नुकसान, यदि कोई हो तो, पर किया जाता है। कंपनी, अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी लाभप्रदता काल–खंड के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (अनुबंध के तहत विदेश में उपयोग किए गए अन्य के अलावा) पर मूल्यह्रास निम्नलिखित मदों में, जहां उपयोगी लाभप्रदता कालखंड आधारित है, को छोड़कर तकनीकी रूप से अनुमानित उपयोगी जीवन का आकलन करने परः–

संपत्ति श्रेणी	(वर्ष)
निर्माण उपस्कर, कैपिटल टूल्स एवं टैकल	5
जल निकासी, सीवरेज और जल आपूर्ति	30
सर्वर और नेटवर्क	5
सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र	25

मूल्यह्रास विधियां, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, को संभावित रूप से हिसाब में लिया जाता है। जब तक कंपनी लीज अवधि के अंत तक स्वामित्व प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियाँ लीज अवधि के छोटे और उनके उपयोगी लाभप्रदता वाले समयांतराल से अधिक हो जाती हैं। फ्री होल्ड जमीन का मूल्यह्रास नहीं होता है।

प्रॉपर्टी प्लांट और उपकरण जिनकी लागत रु. 10,000 /– या उससे कम है और जिनका वर्ष की शुरुआत में लिखित मूल्य 10,000 /– रुपए या उससे कम है, का पूरी तरह से मूल्यह्रास होता है।

निर्माण / परियोजना स्थलों परः सड़कों, पुलों और पुलियों की लागत अनुबंध के कार्यकाल पर पूरी तरह से परिशोधित होती है, जबकि शेड, रेलवे साइडिंग, विद्युत प्रतिष्ठान और अन्य समान सक्षम कार्यों (अस्थायी संरचनाओं के अलावा) के कार्यकाल में मूल्यह्रास किया जाता है। अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद अनुबंध, यदि कोई हो।

भारत के बाहर लंबी अवधि के अनुबंधों के लिए उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास अनुबंध की प्रारंभिक अवधि में होता है।

निर्माण के वर्ष में अस्थायी संरचनाएं पूरी तरह से ह्रासमान हैं।

अलग–अलग उपयोगी जीवन के साथ महत्वपूर्ण घटकों को अलग से हिसाब में लेकर मूल्यह्रास किया जाता है।

बीएचईएल –जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में

सीमित परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी काल खंड पर सीधी रेखा पद्धति पर मूल्यह्रास प्रदान किया जाता है, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्धारित दरों से बराबर / कम है। परिसंपत्तियों के वास्तविक उपयोग को दर्शाने के लिए, अनुमानित उपयोगी जीवन संपत्ति का मूल्यांकन तकनीकी मूल्यांकन पर आधारित है।

संपत्ति श्रेणी	अनुमानित उपयोगी अवधि (वर्षों में)
प्लांट – मशीनरी	2-15
इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन	3-10
फर्नीचर – फिक्सचर्स	1-8
कम्प्यूटर्स	3
कार्यालयीन उपकरण	3-5

वित्तीय पट्टे के तहत परिसंपत्तियां पट्टे की अवधि अथवा उसके उपयोगी बने रहने तक जो भी पहले हो परिशोधित की जाती हैं।

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में

मूल्यह्रास सीईआरसी विनियमन 2009 में निर्दिष्ट दरों पर स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर प्रदान किया जाता है। जिन परिसंपत्तियों के संबंध में सीईआरसी विनियमों में दरें निर्दिष्ट नहीं की गई हैं, उनका मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत निर्दिष्ट दरों पर होगा।

परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास लागत की 90% सीमा तक किया जाता है और 10% को अवशेष मूल्य के रूप में रखा जाता है। परिसंपत्तियों में हुई वृद्धि पर पूरे वर्ष के लिए मूल्यह्रास का प्रावधान है, भले ही वृद्धि किसी भी तारीख को हुई हो। बेची गई/ रद्दी में डाली गई/ नष्ट की गई परिसंपत्ति का बेचे जाने/ रद्द किए जाने/ नष्ट किए जाने के वर्ष में मूल्यह्रास नहीं किया जाएगा। 5000 रु. तक की निजी परिसंपत्ति पर उपयोग में न लाए जाने के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास लगाया जाता है।

एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–II में निर्धारित उपयोगी कार्य अवधि के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति पर किया जाता है।

3. पट्टे

व्यवस्था के आरंभ में ही कंपनी यह सुनिश्चित करती है कि उक्त व्यवस्था पट्टा है अथवा इसमें पट्टा शामिल है।

प्रारंभिक मान्यता के बाद लीज़/पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को लागत पर परिसंपत्ति के राइट–ऑफ़–यूज़ के तहत पूंजीकृत किया जाता है, जिसमें वर्तमान मूल्य पर लीज़ देयता का प्रारंभिक निर्धारण, प्रोत्साहन के बिना प्रारंभिक पट्टा भुगतान, निहित परिसंपत्ति को नष्ट किए जाने और हटाने की प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागत शामिल हैं।

पट्टों के तहत किए गए पट्टा भुगतान वित्त व्यय और बकाया लीज देयता में की गई कमी के मध्य सेट/स्थिर किया जाता है। लीज अवधि के दौरान प्रत्येक अवधि के लिए वित्त व्यय आवंटित किया जाता है ताकि दायित्व/देयता के अधिशेष पर लगातार आवधिक दर का उत्पादन किया जा सके। वित्त पट्टे पर दी गई संपत्ति के लिए, कंपनी प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके पट्टा अवधि में वित्तीय आय को मान्यता देती है। आरंभिक प्रत्यक्ष लागतें वित्त पट्टा प्राप्य के प्रारंभिक निर्धारण में शामिल हैं और पट्टे की अवधि में मान्य आय को कम करती हैं। पट्टा परिचालन से होने वाली आय को स्ट्रेट लाइन पद्धति के आधार पर पट्टे की अवधि में आय के रूप में जाना जाता है, जहां पट्टे के किराये में आवधिक वृद्धि अपेक्षित सामान्य मुद्रास्फीति के अनुरूप है।

4. अमूर्त परिसंपत्ति

रु. 10000 / – से अधिक की कीमत वाली अमूर्त वस्तुओं को कम संचित परिशोधन और संचित हानि, यदि कोई हो, पर पूँजीकरण के लिए मूल्यांकन किया जाता है।

अमूर्त संपत्ति को जो उपयोग के लिए उपलब्ध हैं, को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में स्ट्रेट लाइन पद्धति में अनुमानित तारीख से उपयोगी लाभप्रदता काल हेतु संशोधित किया जाता है अमूर्त संपत्ति के लिए अनुमानित उपयोगी जीवन निम्नानुसार हैं:

सॉफ्टवेयर	3 साल
अन्य	10 साल

वर्ष की शुरुआत में 10000/– या उससे कम डब्ल्यूडीवी की अमूर्त संपत्ति का पूरी तरह से परिशोधन किया जाता है।

परिशोधन अवधि और परिशोधन के तरीकों की प्रत्येक वित्तीय वर्ष में समीक्षा की जाती है और परिवर्तन, यदि कोई हो, का लेखा–जोखा संभावित रूप से किया जाता है।

अनुसंधान गतिविधियों पर व्यय, लाभ और हानि के रूप में मान्यता प्राप्त है। विकास गतिविधियों पर व्यय तभी पूंजीकृत होता है जब व्यय को मज़बूती से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से संभव है, भविष्य के आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी के पास विकास कार्य कराने एवं संपत्ति के उपयोग अथवा विक्रय के पर्याप्त संसाधन हैं। खर्च की गई पूंजी में सामग्री की लागत, प्रत्यक्ष श्रम, ओवरहेड लागत शामिल हैं जो कि स्थिति के अनुसार इसके इच्छित उपयोग एवं उधार लेने की लागत के लिए संपत्ति तैयार करने के लिए सीधे जिम्मेदार हैं।

अनुसंधान और विकास हेतु अधिग्रहीत संपत्ति को पूंजीकृत किया जाता है।

5. उधार लागत

अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन से संबंधित प्रत्यक्ष उधार लागत को ऐसी परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा गया है।

जिस परिपरिसंपत्ति में उपयोग या बिक्री हेतु तैयार होने में आवश्यक रूप से अधिक समय लगता है, जैसे कि बारह महीने से ज्यादा, उसे इस प्रयोजन के लिए अर्हक परिसंपत्ति माना जाता है।

अन्य सभी उधार लागतों को उस अवधि के लाभ – हानि के स्टेटमेंट में दर्शाया गया है, जिसमें वे खर्च हुए हैं।

6. सूची

इन्वेंटरी की कीमत लागत अथवा शुद्ध वसूली योग्य मूल्य, जो भी कम हो, पर निकाली

जाती है। तैयार माल और कार्य–प्रगति के मूल्यांकन के संदर्भ में, लागत का मतलब कारखाना लागत है। कच्चे माल, घटकों, फुटकर उपकरणों, दुकानों और पुर्जों की लागत के संदर्भ में लागत का अर्थ भारित औसत लागत है।

7. राजस्व मान्यता

जिन वस्तुओं या सेवाओं के लिए ग्राहकों से वादा किया गया है, उनके अंतरण को दर्शाने के लिए राजस्व को ऐसी राशि में दर्शाया गया है, जो उस प्रतिफल को दर्शाती है, जिसे वह संस्था उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्राप्त करने के लिए हकदार होने की उम्मीद रखती है।

निर्माण और दीर्घकालिक सेवा अनुबंधों के संबंध में, कंपनी माल या सेवाओं का नियंत्रण ग्राहक को स्थानांतरित करती है और कुछ समय के बाद राजस्व का निर्धारण करती है। राजस्व का निर्धारण लागत दृष्टिकोण पर आधारित इनपुट पद्धति से किया जाता है। समय के साथ संतुष्ट निष्पादन बाध्यता की पूर्ण संतुष्टि की प्रगति को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में फिर से मापा जाता है।

माल और सेवाओं की बिक्री से प्राप्त राजस्व के निर्धारण नियंत्रण को ग्राहक को हस्तांतरित करते समय और अनुबंध के तहत निष्पादन दायित्वों की संतुष्टि के आधार पर किया गया है।

अन्य आय

- लाभ और हानि विवरण /स्टेटमेंट में कंपनी को भुगतान प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि को लाभांश से प्राप्त आय मान्य है।
- ब्याज आय, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के उपयोग द्वारा मान्य है।
- निर्यात प्रोत्साहन / शुल्क कमियों, शुल्क वापसी और बीमा के लिए दावों का हिसाब अकूअल आधार पर किया जाता है।
- बीएचईएल –जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में

भागों (पाट्‌र्स) की बिक्री

सामान्य गतिविधियों के दौरान, गैस टरबाइन की बिक्री से प्राप्त राजस्व को प्राप्त या प्राप्य के प्रतिफल के उचित मूल्य पर तथा बिक्री पर मापा जाता है। ग्राहकों को उन उत्पादों या सेवाओं के बदले में प्राप्त होने वाले विचार को प्रतिबिंबित करने वाली राशि में ग्राहकों को वादा किए गए उत्पादों या सेवाओं के नियंत्रण के हस्तांतरण पर मान्यता प्राप्त है।

अभियान्त्रिकी सेवाएं

नियत–मूल्य, निश्चित–समय–सीमा अभियान्त्रिकी और आपूर्ति अनुबंधों से प्राप्त राजस्व, जहां प्रदर्शन दायित्वों को समय के साथ संतुष्ट किया जाता है और जहां माप या विचार की सामूहिकता के रूप में कोई अनिश्चितता नहीं है, प्रतिशत–पूरा होने की विधि के अनुसार मान्यता प्राप्त है।

अनुरक्षण सेवाएं

मरम्मत सेवाओं के मामले में, राजस्व को ग्राहक के साथ किए गए अनुबंध की शर्तों के अनुसार दर्शाया गया है। मरम्मत सेवा अनुबंध के तहत आपूर्ति किए गए पुर्जों की बिक्री को बड़ा जोखिम और स्वामित्व ग्राहक को हस्तांतरित होने के बाद दर्शाया गया है तथा इसमें शुद्ध बिक्री कर एवं बिक्री प्रतिफल शामिल नहीं हैं।

रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (RPCL) के संबंध में

- ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम कार्यों पर ब्याज से उत्पन्न होने वाली आय को प्राप्ति/ स्वीकृति के आधार पर दर्शाया गया है।
- इनफर्म एनर्जी की बिक्री से हुई आय और अन्य विविध प्राप्तियों को सीईआरसी/ केईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार, पूंजीगत लागत के रूप में कम करके हिसाब में लिया गया है।
- केईआरसी के दिशानिर्देशों के अनुसार ऊर्जा की बिक्री से प्राप्त राजस्व को केईआरसी (जनरेशन टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें) विनियम 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार दर्शाया गया है।

8. विदेशी मुद्रा अंतरण (विनिमय)/ लेन–देन

विदेशी मुद्राओं में लेन–देन को लेन–देन की तिथि को लागू विनिमय दर पर दर्ज किया गया है।

विदेशी मुद्रा वाली वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू विनिमय दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। निपटान और अंतरण से होने वाले विदेशी मुद्रा लाभ अथवा हानि को लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ऐतिहासिक लागत पर मापी गई एवं विदेशी मुद्रा में दर्शायी गई गैर–मौद्रिक परिसंपत्तियों और गैर–मौद्रिक देनदारियों को, लेनदेन की तारीख को लागू विनिमय दर पर परिवर्तित (अदल–बदल) किया जाता है।

9. कर्मचारी लाभ

निर्धारित योगदान योजना

कंपनी द्वारा कर्मचारियों हेतु पेंशन एवं फेमिली पेंशन फंड में किया गया योगदान अंशदायी योजना के अंतर्गत आता है तथा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवा–काल हेतु लाभ एवं हानि विवरणिका में इसे कर्मचारी लाभ व्यय के नाम से जाना जाता है।

निर्धारित लाभ योजनाएं

कंपनी की ग्रेच्युटी योजना, भविष्य निधि योजना, सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा और सेवानिवृत्ति के बाद की चिकित्सा सुविधा योजना परिभाषित लाभ योजनाओं के अंतर्गत आती हैं।

इस परिभाषित लाभ योजना के संबंध में बैलेंस शीट में दर्शाई गई देयता रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजित संपत्तियों के उचित मूल्य के साथ वर्तमान लाभ देयता है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रतिवर्ष अनुमानित क्रेडिट यूनिट का उपयोग करके स्वतंत्र एक्ट्यूरीज द्वारा गणना की जाती है। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य एक उपयुक्त सरकारी बॉन्ड दर का उपयोग करके अनुमानित भविष्य के नकदी बहिर्वाह को छूट देकर निर्धारित किया जाता है, जिसमें संबंधित दायित्व की शर्तों के लिए परिपक्वता की शर्तें होती हैं।

बिमांकिक लाभ और हानि के साथ–साथ योजना परिसंपत्तियों पर वापसी और शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशियों के बीच अंतर को अन्य व्यापक आय (आयकर के शुद्ध) के रूप में दर्शाया गया है।

परिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित अन्य खर्चों को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है।

दीर्घकालिक अवकाश देयता

कंपनी संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति की अनुमानित लागत का परिकलन रिपोर्टिंग अवधि के अंत में संचित अप्रयुक्त हकदारी के परिणामस्वरूप प्रदान की जाने के लिए अपेक्षित अतिरिक्त राशि के रूप में करती है। गैर–संचित क्षतिपूरित अनुपस्थिति पर व्यय को उस अवधि में दर्शाया गया है जिसमें अनुपस्थिति होती है। कंपनी अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर संचित शेष राशि के लिए एक देयता दर्ज करती है। दीर्घकालिक लाभ योजनाओं से संबंधित पुनर्मापन

एवं अन्य व्यय को लाभ एवं हानि सबंधी विवरणिका में दर्शाया गया है।

10. प्रावधान

(i) कंपनी के विरुद्ध निर्णीत हरजाने के दावों को, समान लेन–देन के अनुभव से उपलब्ध जानकारी के संदर्भ में प्रबंधन द्वारा संभावित परिणाम के आकलन के आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शाया जाता है।

(ii) निर्माण अनुबंधों के लिए, कंपनी राजस्व को मान्यता प्रदान करते ही इसके 2.5% की दर से उत्तरोत्तर वारंटी लागत प्रदान करती है और वारंटी अवधि के दौरान इसे बनाए रखती है। अन्य अनुबंधों के लिए, वर्ष के अंत में वारंटी के तहत अनुबंधों के संबंध में संविदागत देयताओं के लिए संविदा मूल्य के 2.5% का प्रावधान जारी रखा जाता है। एकल उत्पाद की आपूर्ति से संबंधित अनुबंधों के मामले में, प्रत्येक तैयार उत्पाद के मूल्य का 2.5% प्रदान किया जाता है।

(iii) जब यह संभावित हो कि कुल अनुबंध लागत कुल अनुबंध राजस्व से अधिक हो जाएगी, तो अनुमानित नुकसान का तुरंत पता लगाया जाता है।

(iv) यदि किसी पिछली घटना के परिणामस्वरूप अन्य प्रावधानों को मान्यता दी जाती है, तो कंपनी पर वर्तमान कानूनी या निर्माण संबंधी देयता होती है जिसका अनुमान विश्वसनीय रूप से लगाया जा सकता है, और यह संभव है कि देयता के निपटान के लिए आर्थिक लाभ को खर्च करने की जरूरत पड़े।

तथापि, जहां धन के कालिक मूल्य का प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हो, वहां जहां भी लागू हो, प्रावधानों को भविष्य के अनुमानित नकदी प्रवाह को छोड़कर निर्धारित किया जाता है।

11. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदानों को तभी मान्यता दी जाती है जब आश्वासन मिलता है कि उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन किया जाएगा, और अनुदान प्राप्त किया जाएगा। गैर मौद्रिक अनुदानों को परिसंपत्तियों के उचित मूल्य के रूप में देखा जाता है और इसे आस्थगित आय के रूप में माना जाता है। आस्थगित आय को संपत्ति के उपयोगी लाभप्रदता काल पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ – हानि विवरण में दर्शाया जाता है। राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान को संबंधित लागतों के साथ मिलान हेतु आवश्यक अवधियों पर लाभ और हानि के विवरण में एक व्यवस्थित आधार पर मान्यता दी जाती है, जिसकी वे क्षतिपूर्ति करना चाहते हैं।

12. आय–कर

आयकर व्यय में वर्तमान कर और आस्थगित कर शामिल हैं। आयकर व्यय को लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया जाता है, किंतु अन्य व्यापक आय या प्रत्यक्ष इक्विटी मदों से संबंधित आयकर को छोड़कर। वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर है, जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में लागू कर दरों (कर कानूनों) का उपयोग करते हुए निर्धारित किया गया है और इसमें पिछले वर्षों के कर को भी समायोजित किया गया है।

आस्थगित कर बैलेंस शीट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया गया है, जो बैलेंस शीट में परिसंपत्ति या देयता की राशि और उसके कर आधार के बीच के अस्थायी अंतर के लिए प्रावधान किया गया है।

आस्थगित कर का परिकलन उन कर दरों पर किया जाता है, जिनका अस्थायी अंतर को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक लागू विधियों के आधार पर प्राप्त किए जाने अथवा निपटाए जाने पर लागू होना अपेक्षित है।

आस्थगित कर परिसंपत्ति उतनी दर्शायी जाती है, जिससे कि भविष्य में इतना कर योग्य लाभ उपलब्ध हो कि उसके साथ अस्थायी अंतर को समायोजित किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों की दर्शायी गई राशि की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि में की जाती है और इस सीमा तक कम कर दी जाती है कि अब यह सम्भावना नहीं रह जाती है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति हो पाएगी।

लाभांश के वितरण से उत्पन्न होने वाले अतिरिक्त आयकर को उसी समय मान्यता दी जाती है जब संबंधित लाभांश का भुगतान करने की देयता को मान्यता दी जाती है।

13. परिसंपत्ति की हानि

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

व्यापार और पट्टे की प्राप्य राशियों के संबंध में हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है।

अन्य उन सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, जिन्हें इम्पेयर किया जाना आवश्यक है, यदि उस वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से काफी बढ़ गया है, तो हानि भत्ते का परिकलन आजीवन अपेक्षित क्रेडिट लॉस के बराबर राशि के रूप में किया जाता है। तथापि, यदि रिपोर्टिंग तिथि पर, वित्तीय उपकरण पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है, तो हानि भत्ते को 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर मापा जाता है।

गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि

नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की मात्रा की समीक्षा प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर की जाती है, जहां किसी भी तरह की हानि का संकेत होता है। लाभ और हानि का आकलन हुए नुकसान के आधार पर किया जाता है, जहां कैरिंग राशि नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वसूली योग्य राशि से अधिक होती है। यदि संकेतों से पता चलता है कि हानि में कमी आई है अथवा अब हानि नहीं हो रही है, तो पूर्व कालावधि में नुकसान से हुई हानि का आकलन प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को किया जाता है। यदि वसूली राशि को इंगित करते हुए लागत में परिवर्तन हो तो, इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

यदि कोई इम्पेयरमेंट लॉस होना नहीं पाया गया है तथा संपत्ति की वहन राशि निर्धारित राशि से अधिक नहीं है, जो मूल्यह्रास या परिशोधन का शुद्ध है तो इम्पेयरमेंट लॉस को बदला जा सकता है।

14. सेगमेंट रिपोर्टिंग

खंडों के राजस्व और व्यय का निर्धारण खंड विशेष की परिचालन गतिविधियों के साथ उनके संबंध के आधार पर किया जाता है। जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियां और देयताएं उचित आधार पर खंडों के लिए आवंटित नहीं की जा सकती हैं, उन्हें "अनावंटित राजस्व/व्यय/संपत्ति/ देनदारियों" के तहत शामिल किया गया है।

15. वित्तीय प्रपत्र

i) नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय विलेख

नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय लिखतों को निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत किया गया है: –

(ए) परिशोधित लागत और (बी) लाभ एवं हानि (FVTPL) के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित वित्तीय परिसंपत्तियां।

परिशोधित लागत पर निर्धारित वित्तीय देनदारियां

प्रारंभ में, सभी वित्तीय लिखतों को उनके उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है। यदि वित्तीय लिखतों को एफवीटीपीएल के माध्यम से निर्धारित नहीं किया जाता है, तो कैरिंग राशि का निर्धारण करने में लेन–देन की लागत शामिल होती है। जब वित्तीय परिसंपत्तियों के स्वामित्व के पर्याप्त जोखिम और प्रतिफल न तो हस्तांतरित किए जाते हैं और न ही रोककर रखे जाते हैं तब वित्तीय परिसंपत्तियों को उसी स्थिति में डिरिकोग्नाइज किया जाता है, जब कंपनी ने वित्तीय परिसंपत्तियों पर नियंत्रण नहीं रखा हो। जब संविदात्मक दायित्वों के निर्वहन या रद्द होने या समाप्त होने की स्थिति

में वित्तीय देनदारियों को डिरिकोग्नाइज किया जाता है।

बाद में नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय संपत्तियों का निर्धारण निम्न रूप में किया जाता है:

1. परिशोधित लागत

"परिशोधित लागत पर वित्तीय लिखत" का निर्धारण बाद में प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति से परिशोधित लागत पर किया जाता है। परिशोधित लागत का परिकलन उस छूट या अधिग्रहण पर प्रीमियम और शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर किया जाता है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग हैं। ईआईआर परिशोधन को लाभ और हानि में दर्शाया जाता है। इम्पेयरमेन्ट से होने वाले नुकसान को लाभ – हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

ख. एफ़वीटीपीएल श्रेणी –

इस श्रेणी में वर्गीकृत वित्तीय लिखत बाद में लाभ – हानि विवरण में दर्ज परिवर्तनों सहित उचित मूल्य पर तैयार किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लेनदेन लागत को लाभ – हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को बाद में निम्न रूप में दर्शाया जाता है:

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, नॉन–डेरिवेटिव वित्तीय देनदारियों को प्रभावी ब्याज पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर निर्धारित किया जाता है।

ii) डेरिवेटिव वित्तीय लिखत

यदि प्रत्यक्ष प्रभाव डालने वाला कोई एंबेडेड डेरिवेटिव हो उसे हॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट से अलग रखा जाता है और अलग से हिसाब में लिया जाता है। यदि हॉस्ट कॉन्ट्रेक्ट की आर्थिक विशेषताएं एवं जोखिम और एम्बेडेड डेरिवेटिव आपस में जुड़े ना हों तो उसी प्रकार का एक अलग लिखत एम्बेडेड डेरिवेटिव को परिभाषित करेगा और संयुक्त लिखत को लाभ – हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं निर्धारित किया जाएगा।

प्रारंभिक निर्धारण के बाद, डेरिवेटिव को उचित मूल्य पर निर्धारित और परिकलित किया जाता है। लेनदेन की अट्रीब्युटेबल लागत को लाभ और हानि में लागत के रूप में दर्शाया जाता है। प्रारंभिक निर्धारण के बाद, डेरिवेटिव को लाभ–हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

16. नकद एवं नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में बैंक में शेष और अपने पास उपलब्ध नकदी शामिल होती है। इसमें तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ सावधि जमा और अन्य अल्पकालिक मुद्रा बाजार जमा शामिल हैं जो आसानी से ज्ञात राशि में नकदी रूप में परिवर्तनीय हैं और मूल्य परिवर्तन के कम जोखिम के अधीन हैं।

नोट (3) – गैर वर्तमान संपत्ति
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

संपत्ति, संयत्र और उपकरण (पीपी) पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 के बिंदु 2 को देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सकल खंड	**6057.86**	5753.22
घटाएँ: संचित मूल्यह्रास	**3319.35**	2865.83
नेट ब्लॉक (नोट 3.1 का विवरण देखें)	**2738.51**	2887.39

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना हैए और तदनुसार 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को इंड एएस ट्रांजिशन की तारीख को निर्णीत कीमत माना गया है

नोट (3ब) – गैर वर्तमान संपत्ति
पूंजीकृत कार्य प्रगति पर है

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
संयत्र और मशीनरी और अन्य उपकरण:				
निर्माणाधीन/संरचना/निर्माण की प्रतीक्षा में	**166.34**		102.72	
मार्ग में	**0.54**	**166.88**	30.29	133.01
निर्माण कार्य में प्रगति–सिविल		**137.98**		88.63
निर्माण भंडार (पारगमन सहित)		**1.88**		1.57
		306.74		223.21

नोट (4) – गैर वर्तमान संपत्ति
अमूर्त संपत्तियां

अमूर्त संपत्ति पर लेखांकन नीति के लिए नोट 2 का बिंदु 4 देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सकल खंड	**280.48**	250.00
घटाएँ: संचित ऋणमुक्ति	**201.87**	166.93
नेट ब्लॉक (नोट 4.1 का विवरण देखें)	**78.61**	83.07

कंपनी ने इंड एएस 101 के तहत छूट का विकल्प चुना है, और तदनुसार 31.03.2015 को प्राप्त मूल्य को इंड एएस ट्रांजिशन की तारीख को निर्णीत कीमत माना गया है

नोट (4ख) – गैर वर्तमान संपत्ति
विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां	**7.26**	12.23
	7.26	12.23

टिप्पणी (3.1) – परिसंपत्तियां, प्लांट व उपकरण का विवरण

(रु. करोड़ों में

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/समायोजन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2020 को अंतिम शेष	01.04.2019 पर संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2020 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2020 की स्थिति पर निवल ब्लॉक	31ण03ण2019 की स्थिति पर निवल ब्लॉक
भूमि – फ्रीहोल्ड भूमि (विकास व्यय सहित)	27.98	0.04	0.00	**28.02**	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**28.02**	27.98
भवन – फ्रीहोल्ड भवन	1588.71	92.43	(7.03)	**1674.11**	422.06	99.64	(5.94)	**515.36**	**1158.30**	1166.65
सड़कें, पुल एवं पुलिया	15.14	0.10	0.00	**15.24**	12.00	0.88	(0.06)	**12.82**	**2.41**	3.14
जल व मल निकासी एवं जल–आपूर्ति	28.09	0.57	0.00	**28.66**	4.80	1.16	0.00	**5.96**	**22.70**	23.29
प्लांट व मशीनरी	3076.99	85.27	(1.22)	**3161.04**	1862.21	216.87	(0.83)	**2077.85**	**1082.79**	1214.78
रेल्वे साइडिंग	8.85	0.00	0.00	**8.85**	3.49	0.69	0.02	**4.20**	**4.65**	5.36
लोकोमोटिव व वेगन	28.34	(0.01)	0.03	**28.36**	11.57	2.16	0.00	**13.74**	**15.90**	16.77
फर्नीचर व फिक्चर्स	60.22	2.79	(1.83)	**61.18**	29.31	6.77	(1.44)	**34.64**	**26.54**	30.91
वाहन	11.40	2.57	(0.01)	**13.97**	5.79	1.43	(0.01)	**7.21**	**6.76**	5.61
कार्यालय व अन्य उपकरण	123.02	10.72	(1.43)	**132.31**	83.36	14.78	(0.72)	**97.22**	**34.89**	39.66
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	32.77	71.37	4.96	**109.11**	28.27	17.70	4.88	**50.85**	**58.26**	4.50
इलेक्ट्रिकल संस्थापनाएं	242.13	7.95	(0.93)	**249.15**	125.67	29.78	(0.31)	**154.87**	**94.02**	116.46
निर्माण उपकरण	71.90	0.52	(0.19)	**72.23**	61.86	4.91	(0.16)	**66.62**	**5.61**	10.02
रु.10,000/– तक की लागत वाली अचल संपत्तियां	14.36	4.86	(0.83)	**18.39**	14.35	4.90	(0.88)	**18.37**	**0.01**	0.01
बट्टा – प्रयोग की गई परिसम्पत्तियां	443.44*	20.38	(6.54)	**457.27**	201.23*	66.63	(8.23)	**259.62**	**197.65**	242.11*
कुल	**5773.34**	**299.56**	**(15.02)**	**6057.86**	**2865.83**	**468.36**	**(13.69)**	**3319.35**	**2738.51**	**2907.51**
पिछला वर्ष	5411.36	349.59	(7.74)	**5753.22**	2429.46	438.46	(2.09)	**2865.83**	**2887.39**	2981.90

*भा. ले. मा. 116 के अनुपालन और वित्तिय पट्टे के रूप में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों के पुनर्वर्गीकरण के प्रभाव सहित (नोट 48) का संदर्भ ग्रहण करें)।

आरओयू परिसम्पत्तियों का मदवार विवरण आगे सारणी 3.1–(अ) में दिया गया है।

(रु. करोड़ों में

विवरण	निवल ब्लॉक	संचित ह्रास	शुद्ध ब्लाक
वित्तीय पट्टे के रूप में मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियां जो भा. ले. मा. 17 के अनुपालन में पुनर्वर्गीकृत प्रयोग की गई बट्टाकृत परिसम्पत्तियां	423.34	201.23	222.11
भा. ले. मा. 116 के अनुपालन का प्रभाव	20.10	0.00	20.10
कुल	443.44	201.23	242.21

नोट:

सकल ब्लॉक (पिछले भारतीय आई जीएएपी के अनुसारः 31.03.2019 को रू 13033.88 करोड़ एवं 31.03.2020 को रू 12763.61 करोड़ था।

31.03.2020 को सकल ब्लॉक में रू. 14.98 करोड मूल्य की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग से विरत संपत्तियों को समिमलित किया गया है ; (पिछले वर्ष का रू. 0.12 करोड ।

31.03.2020 को निवल ब्लॉक में रू. 0.12 करोड मूल्य की अनुपयोगी व सक्रिय उपयोग से विरत संपत्तियों को समिमलित किया गया है ; (पिछले वर्ष का रू. 0.12 करोड)।

निष्पादन एजेंसी के रूप में अनुसंधान कार्य के लिए भारत सरकार से प्राप्त अनुदान में से क्रय की गई सम्पत्ति की लागत सकल ब्लॉक रु. 242.10 करोड़ (पिछला वर्ष का रु. 180.32 करोड़) में सम्मिलित नहीं है क्योंकि यह सम्पत्ति कम्पनी के नाम नहीं की गई है

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपतियों में कोई हानि नहीं हुई ।

सारणी 3.1 (क) : मान्यता प्राप्त परिसंपत्ति में शामिल हैं:

(रु. करोड़ों में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास/समायोजन				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2020 को अंतिम शेष	01.04.2019 पर संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2020 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2020 की स्थिति पर निवल ब्लॉक	31.03.2019 की स्थिति पर निवल ब्लॉक
भूमि – (विकास व्यय सहित)	110.85	0.00	0.00	110.85	5.02	1.40	(0.02)	**6.40**	**104.46**	105.83
भवन	1.63	0.00	0.00	1.63	0.21	0.05	(0.00)	**0.26**	**1.37**	1.42
प्लांट व मशीनरी	0.00	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	1.69	**1.83**	**2.24**	0.00
कार्यालय व अन्य उपकरण	16.19	0.09	0.00	16.29	10.43	2.84	0.00	**13.27**	**3.02**	5.77
इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	294.56	13.62	(6.54)	301.64	185.33	50.28	(9.90)	**225.70**	**75.93**	109.23
वाहन	3.99	1.31	0.00	5.30	0.00	1.69	0.00	**1.69**	**3.61**	3.99
अन्य	16.21	1.29	0.00	17.50	0.10	10.38	0.00	**10.48**	**7.03**	16.11
कुल	**443.44**	**20.38**	**(6.54)**	**457.27**	**201.23**	**66.63**	**(8.23)**	**259.62**	**197.65**	**242.11**

टिप्पणी (3.1) – संपत्ति, संयंत्र एवं मशीनरी का विवरण का अतिरिक्त प्रकटन

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
1. भूमि एवं भवन में शामिल हैं		
क. i) कई एकड़ भूमि जिसके लिए औपचारिक हस्तांतरण/लीज डीड का निष्पादन नहीं किया गया है, (एकड़ में)	**8196.93**	8196.93
नेट ब्लॉक	**71.49**	68.45
ii) उन फ्लैटों की संख्या जिनके लिए औपचारिक हस्तांतरण/पट्टे विलेख निष्पादित नहीं किए गए हैं (सं. में)	**12**	12
नेट ब्लॉक	**1.15**	1.19
iii) कई एकड़ भूमि जिसके लिए भुगतान की गई लागत अनंतिम है; (एकड़ में)	**506.46**	506.46
(पंजीकरण शुल्क और स्टांप ड्यूटी (प्रावधान का शुद्ध) भुगतान होने पर लेखाबद्ध किया गया)		
नेट ब्लॉक	**64.07**	64.79
घ. कई एकड़ भूमि पर प्रतिकूल कब्जा/अतिक्रमण है। (एकड़ में)	**30.37**	30.37
ग. रक्षा मंत्रालय (बीईजी) द्वारा उपयोग की जा रही कई एकड़ भूमि जिसके लिए लाइसेंस समझौता 30.11.2018 तक वैध था (एकड़ में)।	**-**	180
घ. कई एकड़ भूमि पर प्रतिकूल कब्जा/अतिक्रमण है। (एकड़ में)	**757.47**	701.86

ड. हरिद्वार प्लांट में 1297.86 एकड़ (पिछले वर्ष 1242.71 एकड़) भूमि का म्यूटेशन लंबित है, जिसके लिए कानूनी कार्रवाही जारी है। इसमें 934 एकड़ भूमि (पिछले वर्ष 878.85 एकड़) शामिल है, जो बीएचईएल के कब्जे में है, लेकिन वर्ष 2004 और 2007 में गलत तरीके से सिडकुल उत्तराखंड सरकार के नाम पर रूपांतरित हो गई है।

च. आगे, उत्तराखंड सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 01.12.2003 के अंतर्गत हरिद्वार संयंत्र में, 8 एकड़ भूमि का आईओसीएल/राज्य सरकार को हस्तांतरण लंबित है।

(ऊपर उल्लिखित (क से च) भूमि की लागत महत्वपूर्ण नहीं है)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
2. i) एकड़ों में भूमि का कुल क्षेत्रफल	**16409.03**	16409.03
ii) एकड़ में 2(प) में से फ्री होल्ड भूमि (बिक्री विलेख/संपत्ति के अधिकार/लाइसेंस	**15735.69**	15735.69
iii) एकड़ में 2 (प) में से लीज होल्ड भूमि	**673.34**	673.34

3. प्रत्येक रु. 10000/– तक लागत/प्रारंभिक नेट ब्लॉक वाली पीपीई के आइटम पर कंपनी 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास प्रदान करती है। पहले के वर्षों के प्रभाव पर विचार किए बिना, लाभ पर पीपीई की किसी वस्तु पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास प्रदान करने का प्रभाव निम्नानुसार हैः:

(रु. करोड़ों में)

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
रु. 10,000/– पीपीई पर 100 प्रतिशत मूल्य ह्रास रुपये तक लिया शुल्क	**6.14**	8.08
घटाएंः उपरोक्त पर सामान्य मूल्य ह्रास।	**1.11**	2.07
वर्ष के लिए मूल्य ह्रास हेतु ली गई अतिरिक्त राशि	**5.03**	6.01

टिप्पणी 4.1 – अमूर्त परिसंपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास				निवल ब्लॉक	
	01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	परिवर्धन/ समायोजन	कटौती/ समायोजन	31.03.2020 को अंतिम शेष	01.04.2019 पर संचित मूल्यह्रास	वर्ष के लिए मूल्यह्रास / परिशोधन	मूल्यह्रास समायोजन	31.03.2020 को संचित मूल्यह्रास	31.03.2020 की स्थिति पर निवल ब्लॉक	31.03.2019 की स्थिति पर निवल ब्लॉक
आंतरित स्रोतों द्वारा विकसित										
– अन्य	61.69	4.86	0.00	**66.55**	45.26	8.60	-	**53.86**	**12.69**	16.43
अन्य										
– साफ्टवेयर	45.13	5.58	0.00	**50.71**	37.40	4.74	0.06	**42.21**	**8.50**	7.75
तकनीकी ज्ञान	143.17	20.06	0.00	**163.23**	84.28	21.56	(0.03)	**105.80**	**57.43**	58.88
अन्य	**250.00**	**30.50**	**0.00**	**280.48**	**166.93**	**34.90**	**0.03**	**201.87**	**78.61**	**83.07**
पिछला वर्ष	221.87	27.99	0.14	**250.00**	130.56	36.22	0.15	**166.93**	**83.07**	91.31

सकल ब्लॉक ;पिछले भारतीय आईजीएएपी के अनुसारः 31.03.2019 को रु. 534.48 करोड़ एवं 31.03.2020 को रु. 521.48 करोड़ था।

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपतियों में कोई हानि नहीं हुई ।

नोट (5) – गैर वर्तमान संपत्ति
वित्तीय संपत्ति – निवेश

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
बीएचईएल – जीई गैस टर्बाइन सेर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड		
प्रारंभिक निवल संपत्ति	**149.42**	138.55
वर्ष का लाभ / (हानि)	**25.72**	27.03
अन्य व्यापक आय	**0.13**	0.02
घटाएँ : वितरित लाभांश	**16.30**	16.18
अंतिम निबल परिसंपत्तियाँ	**158.97**	149.42
रायचूर पावर कार्पोरेशन		
प्रारंभिक निवल संपत्ति	**-**	266.10
पूर्व वर्ष के (ऑडिटेड बनाम अनऑडिटेड लाभ / (हानि) का समायोजन	**-**	(60.85)
वर्ष का लाभ / (हानि)	**-**	(205.25)
	-	-
अन्य व्यापक आय	**-**	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**-**	-
एनटीपीसी – बीएचईएल पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड		
प्रारंभिक निबल संपत्ति	**-**	4.40
पूर्व वर्ष के (ऑडिटेड बनाम अनऑडिटेड लाभ/(हानि) का समायोजन	**-**	2.98
वर्ष का लाभ/(हानि)	**-**	(7.38)
अन्य व्यापक आय	**-**	-
लाभांश भुगतान	**-**	-
अंतिम निवल परिसंपत्तियाँ		-
कुल निवेश (इक्विटी पद्धति द्वारा गणना)		
प्रारंभिक निबल संपत्ति	**149.42**	409.05
पूर्व वर्ष के (ऑडिटेड बनाम अनऑडिटेड लाभ / (हानि)) का समायोजन	**-**	(57.87)
वर्ष का लाभ / (हानि)	**25.72**	(185.60)
अन्य व्यापक आय	**0.13**	0.02
घटाएँ : वितरित लाभांश	**16.30**	16.18
अंतिम निवल परिसंपत्तियाँ	**158.97**	149.42

(1) आरपीसीएल (संयुक्त उपक्रम कंपनी) ने हानियाँ दर्ज की जिसके कारण समूह ने दिनांक 31 मार्च, 2019 को निवेश की लागत के समतुल्य संचित हानि दर्शायी। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनऑडिटेड वित्तीय विवरण के अनुसार समूह के पास रुपए 762 करोड़ की राशि के अमान्य शेयर हैं ।

(2) एनबीपीपीएल (संयुक्त उपक्रम कंपनी) ने हानि दर्ज की जिसके कारण समूह ने दिनांक 31 मार्चए 2019 को निवेश की लागत के समतुल्य संचित हानि दर्शाई। 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए अनऑडिटेड वित्तीय विवरण के अनुसार समूह के पास रुपए 63 करोड़ की राशि के अमान्य शेयर हैं ।

टिप्पणी (5क) – गैर – चालू परिसंपत्तियाँ
वित्तीय संपत्तियां – निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक			31 मार्च, 2019 तक		
	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. में)	राशि		शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य रु. में)	राशि	
1 इक्विटी उपकरणों का उद्धरण			-			-
2 गैर.उद्धरण इक्विटी उपकरण (पूर्ण प्रदत्त शेयर)						
(क) पूर्ण प्रदत्त इक्विटी उपकरणों में निवेश (एफ़वीटीपीएल में)						
(1) नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	5000000 (10)	5.00		5000000 (10)	5.00	
(2) एपी गैस पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	728960 (10)	0.91		728960 (10)	0.91	
(3) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	1892 (10)	*		1892 (10)	*	
		5.91			5.91	
जोड़ें: (घटाएँ) / उचित मूल्य समायोजन		2.82	3.09		2.97	2.94
दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड	22500000 (10)	5.20		22500000 (10)	22.50	
घटाएँ: प्राप्त राशि		0.27			17.30	
घटाएँ: ह्रास के प्रावधान		4.93	-		5.50	--
(4) पॉवरप्लांट परफॉर्मेंस इमप्रूवमेंट लिमिटेड	1999999 (10)	2.00		1999999 (10)	2.00	
घटाएँ: ह्रास के प्रावधान		2.00	-		2.00	-
कॉ–ऑपरेटिव्ज सोसायटियों में शेयर						
			3.09			2.94
'रूपये 1 लाख से कम मूल्य के						
गैर उद्धत निवेश की कुल राशि			12.84			13.11
निवेश के मूल्य के ह्रास की सकल राशि			(9.75)			(10.17)

विभिन्न सहकारी समितियों के कर्मचारियों द्वारा धारित इक्विटी शेयर, जिनका मूल्य रूपये 1 लाख से कम है।

संयुक्त उद्यमों और सहायक कंपनियों के बारे में जानकारी

(रु. करोड़ में)

विवरण	निगमन देश	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
(अ) संयुक्त उपक्रम का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल – जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	भारत	एक हिस्सा 50% से कम	एक हिस्सा 50% से कम
एनटीपीसी . बीएचईएल पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड (एनबीपीपीएल)		50%	50%
रायचूर पावर कार्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)		27.97%	27.97%
दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड (डीडीकेपीएल)		50%	50%
पॉवरप्लांट परफॉर्मेंस इमप्रूवमेंट लिमिटेड (पीपीआईएल)		एक हिस्सा 50% से कम	एक हिस्सा 50% से कम

(1) एनटीपीसी . बीएचईएल पावर प्रोजेक्टस लिमिटेड में सकल वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश के मूल्य में रूपये 50 करोड़ की सीमा तक ह्रास का प्रावधान किया गया है (पिछले वर्ष का रूपये 50.00 करोड़ तक)। निदेशक मंडल ने 8 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में एनबीपीपीएल के समापन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। ऊर्जा मंत्रालय (एमओपी) ने एनटीपीसी को सलाह दी है कि वह बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करे और या तो उसे एक आंतरिक ईपीसी शाखा के रूप में जारी रखने या वर्तमान काम पूरा होने के बाद इसे बंद करने का फैसला करे। यह सलाह एनबीबीपीएल बोर्ड द्वारा 29.08.2019 को हुई बैठक में दी गई थी।

(2) दादा धुनीवाले खंडवा पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड से वित्तीय वर्ष 2018–2019 के दौरान निवेश के बदले 17.57 करोड़ रूपये प्राप्त हुए हैं (वित्त वर्ष 2018–19 में 17.30 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019.20 में 0.27 करोड़ रुपये)। सकल वित्तीय स्थिति के आधार पर निवेश के मूल्य में रूपये 4ण्93 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 5.20 करोड़) की सीमा तक ह्रास का प्रावधान किया गया है संयुक्त उपक्रम परिसमापन के अधीन है।

(3) पॉवर प्लांट परफॉर्मेंस इमप्रूवमेंट लिमिटेड में रूपये 2.00 करोड़ की सीमा तक ह्रास का प्रावधान (पिछले वर्ष का 2.00 करोड़ रूपये तक) किया गया है चूँकि संयुक्त उपक्रम परिसमापन के अधीन है और इक्विटी के रूप में प्रदत्त राशि वसूली योग्य नहीं है।

विवरण	निगमन देश	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
(अ) सहायक कंपनी का नाम (जेवीसी)		स्वामित्व का अनुपात (%)	
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीनस लिमिटेड (बीएचईएल ईएमएल)	भारत	51%	51%

निदेशक मंडल ने 29 मई, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में कंपनी की 51% हिस्सेदारी को केरल सरकार को अंतरित करना अनुमोदित किया है ;भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन पर आधारित)। केरल सरकार द्वारा विधिवत अंतिम रूप से स्वीकृत अनुबंध को स्वीकृति के लिए बीएचईएल द्वारा डीएचआई (DHI) / भारत सरकार को प्रस्तुत किया गया है।

नोट (6) – गैर–वर्तमान संपत्ति
वित्तीय संपत्ति – व्यापार प्राप्य

वित्तीय परिसंपत्तियों मूल्यह्रास के संबंध में लेखांकन नीति के लिए नोट (2), का बिंदु 13 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-		-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		5903.88		4529.05
साख का मूल्यह्रास		10833.90		10424.80
		16737.78		14953.85
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	10969.86		10445.38	
घटाएँ: स्वचालित मूल्य में कमी समायोजन	497.49	11467.35	573.38	11018.76
		5270.43		3935.09
व्यापार प्राप्तियों के मूल्यह्रास हेतु सरलीकृत दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, वर्गीकरण इंड एएस 109 के अनुसार किया जाता है।				
(क) निदेशकों से देय		-		-
(ख) अधिकारियों से देय		-		-

नोट (7) – गैर–वर्तमान संपत्ति
वित्तीय संपत्तियां – ऋण

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 13 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्रतिभूति जमा		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
एसईबी, पोर्ट ट्रस्ट और अन्य के पास जमा	**83.17**	82.81
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
साख का मूल्यह्रास		
दूसरों की जमा	**1.93**	1.77
	85.10	84.58
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	**1.93**	1.77
	83.17	82.81
ऋण		
सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	-	-
असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		
उपार्जित ब्याज और ऋणों पर देय	-	0.01
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-	-
साख का मूल्यह्रास	-	-
		0.01
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	-	-
	-	0.01
	83.17	82.82
शामिल हैं:		
निदेशकों से देय	-	-
अधिकारियों से देय	-	-

नोट (8) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल देयताएं)

आयकर पर लेखांकन नीति के नोट (2) के बिंदु 13 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आस्थगित कर परिसंपत्तियां		
प्रावधान	1734.02	2631.16
वैधानिक बकाया (भुगतान के आधार पर अनुमत)	576.14	744.01
मूल्यह्रास (संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियां)	75.31	118.20
कर योग्य हानि के कारण	345.61	-
अन्य	34.79	12.08
	2765.87	3505.45
आस्थगित कर देनदारियाँ	-	-
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (कुल देनदारियाँ)	2765.87	3505.45

नोट (9) गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां
अन्य गैर–वर्तमान परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 13 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुबंध परिसम्पत्तियाँ (अघोषित राजस्व सहित)				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य	16422.59		14392.34	
साख का मूल्यह्रास	2272.04		1779.61	
	18694.63		16171.95	
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के भत्ते	2272.04	16422.59	1,779.61	14392.34
प्रतिभूति जमा				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य				
कर प्राधिकारियों और अन्यों के पास जमा	105.97		135.08	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्यह्रास	29.17		25.09	
	135.14		160.17	
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध जमा के भत्ते	29.17	105.97	25.09	135.08
ऋण और अग्रिम				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य				
खरीद के लिए अग्रिम	66.88		73.54	
वसूली योग्य दावा और अन्य	79.01		74.88	
पूंजीगत अग्रिम	23.81		22.17	
	169.70		170.59	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम	37.77	131.93	26.23	144.36
		16660.49		14671.78
(क) अनुबंध परिसंपत्तियां (कुल प्रावधानों) में शामिल हैं)				
आस्थगित ऋण		14748.13		13058.01
(ख) ऋण और अग्रिम में शामिल हैं:				
अ. निदेशकों से देय		-		-
आ. अधिकारियों से देय		-		-

नोट (10) – वर्तमान परिसंपत्तियाँ
माल सूची

माल सूची के मूल्यांकन हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) के बिंदु 6 का संदर्भ लें।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
कच्चा माल और घटक	**3320.56**		3480.94	
मार्गस्थ सामग्री	**647.83**	**3968.39**	451.01	3931.95
कार्य प्रगति पर		**4120.78**		3220.71
(उप.ठेकेदारों के पास मदों सहित)				
तैयार माल	**823.32**		661.54	
अंतर – इकाई मार्गस्थ स्थानांतरण	**68.59**	**891.91**	114.93	776.47
स्टोर और स्पेयर पार्ट्स				
उत्पादन	**197.63**		177.02	
ईंधन भंडार	**3.40**		6.97	
विविध	**53.38**	**254.41**	54.13	238.12
अन्य माल सूची				
फैब्रिकेटरों / ठेकेदारों के पास सामग्री	**59.55**		63.02	
(ब) उपकरण	**37.88**		34.40	
स्क्रैप (अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर)	**117.76**	**215.19**	90.89	188.31
		9450.68		8355.56
घटाएँ: रुकी हुई इन्वेंट्री के लिए प्रावधान		**542.45**		555.52
		8908.23		7800.04
नोट :				
माल सूची में गिरी हुई दरें		**100.80**		115.90
घटाएँ: इसके उलट		**113.87**		26.83
शुद्ध		**(13.07)**		89.07

नोट (11) – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – व्यापार प्राप्य

वित्तीय के मूल्यह्रास हेतु लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 13 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
सुरक्षित, शोध्य		-		-
असुरक्षित, शोध्य		7973.65		13443.27
साख का मूल्यह्रास		576.29		484.74
		8549.94		13928.01
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के भत्ते	1269.52		2008.56	
घटाएँ: मूल्य में कमी का स्वचालित समायोजन	171.82	1441.34	56.31	2064.87
		7108.60		11863.14
शामिल है:				
(क) निदेशको से देय		-		-
(ख) अधिकारियों से देय		-		-

नोट (12) – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – नकद और नकद समकक्ष

नकद और नकद समकक्ष पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 16 का संदर्भ लें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
बैंकों में बकाया राशि:				
ईईएफसी खाता	82.93		102.22	
करंट / कैश क्रेडिट खाता	1285.45	1368.38	623.14	725.36
अधिकार में चेक, डिमांड ड्राफ्ट		29.90		69.43
बैंकों में 3 महीने या उससे कम अवधि वाले जमा		0.29		-
अधिकार में नकदी और स्टेम्प		0.21		0.13
पारगमन में प्रेषण		4.08		0.82
		1402.86		795.74

नोट (13) – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – बैंक में जमा राशि

(रु. करोड़ों में)

विवरण		31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को
3 महीने से अधिक की लेकिन 12 महीने से कम की परिपक्वता वाली फिक्स्ड डिपॉजिट		**5000.03**		6700.06
जारी किए गए बीजी के लिए मार्जिन मनी के नामे फिक्स्ड डिपॉजिट		**2.41**		2.28
बैंकों में बकाया राशि (निर्धारित):				
चार्जिंग स्टेशन परियोजना	**10.17**		-	
लावारिस लाभांश खाता	**2.79**		3.61	
गैर.प्रत्यावर्तनीय खाता	**0.30**		1.82	
बोनस अंक पर आंशिक शेयरों की बिक्री से आय	**0.03**	**13.29**	0.03	5.46
		5015.73		6707.80
कुल नकद एवं बैंक में जमा राशि (12 + 13)		**6418.59**		7503.54

नोट (14) – वर्तमान परिसंपत्तियां
वित्तीय परिसंपत्तियां – ऋण

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के संबंध में लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 13 देखें।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
प्रतिभूति जमा				
सुरक्षित, शोध्य		-		-
असुरक्षित, शोध्य				
ईएमडी और अन्य जमा		**135.24**		157.71
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि		-		-
साख का मूल्यह्रास		**13.42**		3.54
		148.66		161.25
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते		**13.42**		3.54
		135.24		157.71
ऋण				
पीएसयू को ऋण '	**12.00**		12.00	
ऋणों पर उपार्जित और देय ब्याज	**1.33**	**13.33**	1.33	13.33
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते		**13.33**		13.33
		-		-
उपरोक्त के अतिरिक्त:				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य	-		-	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्यह्रास	***13.33***		*13.33*	
		135.24		157.71

* भारत पंप और कंप्रेशर्स लिमिटेड को दिया गया ऋण सफलता पूर्वक प्राप्त हो गया है

शामिल हैं :		
अ. निदेशकों से देय	-	-
आ. अधिकारियों से देय	-	0.01

नोट (15) – वर्तमान परिसंपत्तियां
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
बैंकों जमा पर अर्जित ब्याज	**99.39**		128.96	
कर्मचारियों को अग्रिम	**28.18**		36.46	
वित्त पट्टे पर प्राप्य किराया	**-**		0.03	
	127.57		165.45	
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ते	**0.07**	**127.50**	0.05	165.40
		127.50		165.40
शामिल हैं:				
(अ) निदेशकों से देय		**-**		-
(आ) अधिकारियों से देय		**0.05**		0.01

नोट (16) वर्तमान परिसंपत्तियां
वर्तमान कर परिसंपत्तियां / देयताएं (शुद्ध)

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 12 का संदर्भ लें।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 का
अग्रिम कर और टीडीएस	**2528.16**	2888.18
घटाएँ: कराधान के लिए प्रावधान	**2299.09**	2979.52
	229.07	(91.34)

नोट (17) – वर्तमान परिसंपत्तियां
अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल्यह्रास के लिए लेखांकन नीति के नोट (2) का बिंदु 13 देखें। (रु. करोड़ों में

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
संविदा परिसंपत्तियां (बिना बिल वाले राजस्व सहित)				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य	7670.46		8427.14	
साख का मूल्यह्रास	54.69		202.40	
	7725.15		8629.54	
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते	54.69	7670.46	202.40	8427.14
वसूली योग्य दावे				
इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	927.07		1187.74	
वसूली योग्य दावा और अन्य	688.43		710.04	
अग्रिम				
वेंडर / उप ठेकेदार	231.76		257.73	
	1847.26		2155.51	
घटाएँ : अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और दावों के लिए भत्ते	135.03	1712.23	126.45	2029.06
उपरोक्त के अतिरिक्तः				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य	*1712.23*		*2029.06*	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्यह्रास	*135.03*		*126.45*	
प्रतिभूति जमा				
कर प्राधिकारियों और अन्यों के पास जमा	460.01		495.75	
घटाएँ: अशोध्य और संदिग्ध जमा के लिए भत्ते	58.75	401.26	60.87	434.88
उपरोक्त के अतिरिक्तः				
सुरक्षित, शोध्य	-		-	
असुरक्षित, शोध्य	*401.26*		*434.88*	
साख जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि	-		-	
साख का मूल्यह्रास	*58.75*		*60.87*	
		9783.95		10891.08
अनुबंध संपत्ति (कुल प्रावधान) में शामिल हैं:				
आस्थगित ऋण		4366.26		5625.80

नोट (18) – इक्विटी
इक्विटी शेयर पूंजी

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	शेयरों की संख्या (रुपये में अंकित मूल्य)	राशि	शेयरों की संख्या (रुपये में अंकित मूल्य)	राशि
क इक्विटी शेयर पूंजी				
अधिकृत	**10000000000 (2)**	**2000.00**	10000000000 (2)	2000.00
जारी किया गया, सब्सक्राइब किया गया और पूरी तरह से भुगतान किया गया	**3482063355 (2)**	**696.41**	3482063355 (2)	696.41
क) बकाया इक्विटी शेयरों की संख्या का समायोजन				
वर्ष के आंरभ में शेष राशि	**3482063355**	**696.41**	3671400000	734.28
वर्ष के दौरान आवंटित बोनस शेयर	-	-	189336645	37.87
वर्ष के अंत में शेष राशि	**3482063355**	**696.41**	3482063355	696.41
ख) शेयरधारकों द्वारा वर्ष के अंत में 5 प्रतिशत से अधिक शेयर रखने वाले शेयरों का विवरण				
भारत के राष्ट्रपति	**2199650402**	**63.17%**	2199650402	63.17%
भारतीय जीवन बीमा निगम	**350647914**	**10.07%**	350647914	10.07%
प्रति शेयर अंकित मूल्य (₹)		**2.00**		2.00

ग) इक्विटी शेयरों से जुड़े नियम / अधिकार:

कंपनी के पास केवल 2 रुपये प्रति शेयर (पिछले वर्ष 2 रुपये प्रति शेयर) के बराबर मूल्य वाली श्रेणी के इक्विटी शेयरों हैं। प्रत्येक इक्विटी शेयर धारक प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।

घ) बोनस शेयर जारी करना:

कंपनी ने 03 अक्टूबर, 2017 को 1:2 के अनुपात में बोनस शेयर आवंटित कियाए यानी दो मौजूदा पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों के लिए एक इक्विटी शेयर। परिणामस्वरूपए भुगतान की गई पूंजी वित्त वर्ष 2016–17 में 489.52 करोड़ रुपये से बढ़कर आरक्षित निधि के पूंजीकरण द्वारा वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रुपये हो गई।

(ङ) शेयर बायबैक

कंपनी ने 25 अक्टूवर, 2018 के अपने बोर्ड के अनुमोदन को रद्द कर दिया, अपने 18,93,36,645 रुपये के शेयर 2 रुपये प्रत्येक के अंकित मूल्य के पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों को वापस खरीद लिया, जिनमें से प्रत्येक कुल जारी किए गए 5.16% और पेड.अप इक्विटी शेयर पूंजी का प्रतिनिधित्व करते हैं। वित्त वर्ष 2018–19 में 86 प्रति इक्विटी शेयर की कीमत पर 1628,29,51,470 की राशि के लिए कंपनी के पात्र इक्विटी शेयरधारक को दर्शाता है। परिणामस्वरूप, भुगतान की गई शेयर पूंजी वित्त वर्ष 2017–18 में 734.28 करोड़ रुपए से कम होकर वित्त वर्ष 2018–19 में 696.41 करोड़ रुपये हो गई .

नोट (18) (ए) – अन्य इक्विटी

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अन्य इक्विटी बैलेंस का सारांशः		
आरक्षित निधि	**35.18**	35.18
पूंजी मोचन आरक्षित	**37.87**	37.87
सामान्य आरक्षित निधि	**30476.66**	30476.66
प्रतिधारित आय'	**(2170.37)**	(200.62)
परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनःपूर्ति	**(415.03)**	(141.16)
	27964.31	30207.93

प्रारंभिक प्रतिधारित आय में परिवर्तन के लिए कृपया नोट (53) का संदर्भ ग्रहण करें

आरक्षित निधि की प्रकृति और उद्देश्यः

(क). **आरक्षित निधिः** यह मुख्य रूप से बीएचईएल के साथ तत्कालीन सहायक कंपनी (एचपीवीपी) के समामेलन के दौरान भुगतान की गई मुआवजे की लागत से अधिक निवल संपत्ति का प्रतिनिधित्व करता है।

(ख) **पूंजी मोचन आरक्षित निधिः** कंपनी ने अपने सामान्य रिजर्व से इक्विटी शेयरों की खरीद पर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि में वापस खरीदे गए इक्विटी शेयरों की नाममात्र राशि के बराबर राशि है।

(ग) **सामान्य आरक्षित निधिः** यह भविष्य में (ज्ञात / अज्ञात) दायित्वों को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा रखे गए लाभ के संचय का प्रतिनिधित्व करता है।

(घ) **प्रतिधारित आयः** सामान्य आरक्षित को हस्तांतरण, लाभांश (लाभांश वितरण कर सहित) या शेयरधारकों को भुगतान किए गए अन्य वितरण घटाकर रिटायर्ड कमाई वह लाभ है जो कंपनी ने अब तक अर्जित किया है।

(ङ) **शुद्ध परिभाषित लाभ योजनाओं की पुनः मापः** योजना परिसंपत्तियों और वास्तव में हासिल की गई रिटर्न पर ब्याज से आय के बीच अंतर, और योजनाओं के भीतर एक्चुरियल धारणा या अनुभव समायोजन में परिवर्तन के कारण वर्ष में देनदारियों में कोई भी परिवर्तनए 'अन्य व्यापक आय' में मान्यता प्राप्त हैं और इसके बाद लाभ और हानि के विवरण में पुनःवर्गीकृत करने के लिए नहीं है।

नोट (19) – गैर–वर्तमान देनदारियां
वित्तीय देनदारियां – ऋण राशि

पट्टे पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) का बिंदु 3 देखें।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
असुरक्षित		
वित्त पट्टा दायित्वों की दीर्घकालिक परिपक्वता	**75.37**	95.45
	75.37	95.45
(पट्टे पर नोट (48) के अनुसार प्रकटन)		

नोट (20) – गैर–वर्तमान देनदारियां
वित्तीय देनदारियां.व्यापारिक देय राशि

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
व्यापारिक देय राशियाँ				
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	**8.25**		-	
(ii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के अतिरिक्त लेनदारों का कुल बकाया बकाया	**999.62**	**1007.87**	702.87	702.87
		1007.87		702.87

नोट (21) – गैर–वर्तमान देनदारियां
अन्य वित्तीय देनदारियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
ठेकेदारों और दूसरों से जमा	**150.99**	84.93
पूंजीगत व्यय के लिए देयता	**8.03**	6.36
	159.02	91.29

नोट (22) – गैर–वर्तमान देनदारियां
प्रावधान

कर्मचारी लाभ और प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 9 और 10 को देखें।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुबंधात्मक दायित्व	**3791.01**	3852.31
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	**1176.11**	1308.70
दूसरे प्रावधान	**284.87**	312.62
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व *	**8.93**	2.40
	5260.92	5476.03

नोट (23) – गैर–वर्तमान देनदारियां
अन्य गैर–वर्तमान देनदारियां

सरकारी अनुदान पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) का बिंदु 11 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुबंध देयता (बिलिंग में ग्राहकों से राजस्व से अधिक प्राप्त अग्रिम)	**2921.16**	3577.93
आस्थगित आय. सरकारी अनुदान #	**31.49**	37.95
	2952.65	3615.88

सोलर पीवी प्लांट और विनिर्माण लगाने के लिए सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ

नोट (24) – वर्तमान देनदारियाँ
वित्तीय देनदारियां – ऋण

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
सुरक्षित		
बैंकों से ऋण	**600.00**	600.00
पूर्व शिपमेंट पैकिंग क्रेडिट	**759.22**	357.27
क्रेता का श्रेय (कच्चे माल, घटकों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल, दुकानों और मांग बिलों के हाइपोथिकेशन द्वारा सुरक्षित)	**141.58**	-
नगद जमा (बीएचईएल ईएमएल द्वारा)	**6.26**	6.69
	1507.06	963.96
असुरक्षित		
वाणिज्यिक पत्र	**3432.59**	1,474.47
कंपनियों से ऋण (बीएचईएल ईएमएल द्वारा)	**8.27**	6.15
	3440.86	1,480.62
कुल ऋण	**4947.92**	2,444.57

(i) कंपनी के पास संघीय बैंकों द्वारा स्वीकृत बैंकों से नकद ऋण सीमा कुल मिलकर रु 6000 करोड़ ;पिछले वर्ष 6000 करोड़ रुपये) और बैंक गारंटी बैंक साख पत्र के संबंध में और कंपनी के प्रति गारंटी / क्षतिपूर्ति दायित्व की सीमा कुल मिलाकर रु 54000 करोड़ (पिछले वर्ष का 54000 करोड़) है। कच्चे माल, पुर्जों, प्रगतिशील कार्य, तैयार माल, भंडार, व्यापार प्राप्तियाँ, और वर्तमान व भविष्य दोनों में अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों के हाइपोथिकेशन के माध्यम से इन्हें प्रथम प्रभाव द्वारा सुरक्षित किया जाता है। 31 मार्च 2020 तक बकाया बैंक गारंटी रु 40520 करोड़ ;पिछले वर्ष का रु 43136 करोड़) है। इसमें 31 मार्च 2020 तक प्रतिस्थापित के रूप में जारी 970.87 करोड़ रुपये के बी.जी. शामिल नहीं हैं।

(ii) (पिछले वर्ष की सावधि जमानत पर) डबल्यूसीडीएल के रूप में बैंकों से ऋण लिया गया।

(iii) कंपनी द्वारा विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट (पीसीएफसी) का लाभ लिया गया है। बकाया राशि यूएसडी 100.03 मिलियन है जो आंशिक रूप से अगस्त से दिसंबर 2020 तक चुकाया जाना है।

(iv) 31 मार्च 2020 तक बकाया वाणिज्यिक पत्रों का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ों में)

जारी करने की तिथि	परिपक्वता तिथि	छूट की दर	अंकित मूल्य	अमूर्त लागत
05-11-2019	04-11-2020	5.88%	600.00	580.19
13-11-2019	30-10-2020	5.99%	400.00	386.84
29-11-2019	27-11-2020	5.90%	150.00	144.50
12-12-2019	11-12-2020	6.35%	500.00	479.22
10-01-2020	09-04-2020	5.55%	450.00	449.46
20-01-2020	20-04-2020	5.62%	250.00	249.28
29-01-2020	29-04-2020	5.67%	250.00	248.93
29-01-2020	29-04-2020	5.69%	400.00	398.28
09-03-2020	29-05-2020	5.24%	500.00	495.88
		कुल	**3,500.00**	**3432.59**

(v) कंपनी द्वारा क्रेता साख सुविधा का उपयोग किया गया है। यूएस डॉलर 18.65 मिलियन की बकाया राशि सितंबर 20 से और दिसंबर 20 को आंशिक रूप से चुकाने योग्य है।

(vi) 31 मार्च, 2020 तक बकाया दायित्वों के लिए दी गई कॉर्पोरेट गारंटी 1422 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष के 1433 करोड़ रुपये) है।

नोट (25) – वर्तमान देनदारियाँ
वित्तीय देनदारियां – व्यापारिक देनदारियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
व्यापारिक देनदारियाँ:				
(i) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया		**492.12**		764.91
(ii) सूक्ष्म उद्यमों एवं लघु उद्यमों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	**8388.76**		10563.79	
(iii) स्वीकृतियां	**16.64**	**8405.40**	52.28	10616.07
		8897.52		11380.98

नोट (26) – वर्तमान देनदारियों
अन्य वित्तीय देनदारियां

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
देनदारियां				
कर्मचारी देय	**289.10**		512.14	
अन्य देय	**560.18**		880.55	
पूंजीगत व्यय	**82.73**	**932.01**	88.75	1481.44
ठेकेदारों और दूसरो से जमा		**492.10**		522.27
वित्त पट्टा दायित्व की वर्तमान परिपक्वताएं #		**53.55**		58.45
अदत्त लाभाशं *		**2.79**		3.61
उपार्जित ब्याज और ऋण पर देय				
बेंको से		**1.96**		-
विदेशी वित्तीय सस्थानों में		**3.12**		4.41
लीज दायित्व		**0.75**		-
ब्याज अर्जित हुआ लेकिन देय नहीं		**1.01**		0.07
		1487.29		2070.24

(i) * वर्ष के अंत में निवेशक प्रशिक्षण और संरक्षण कोष में स्थानातंरित करने हेतु कोई राशि देय और शेष नहीं है ।
(ii) # पट्टे पर नोट (45) के अनुसार प्रकटीकरण
(iii) अन्य देय राशि में बोनस शेयर जारी करने से होने वाली आंशिक शेयरों की बिक्री लाभ के रू 0.03 करोड़ शामिल है ।

नोट (27) – वर्तमान देनदारियों
प्रावधान

वर्तमान लाभ और प्रावधानों पर लेखाकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 9 और 10 को देखें । (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुबंधात्मक दायित्व	**1563.86**	1443.13
कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान	**1124.73**	784.49
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व ##	**6.58**	19.43
अन्य प्रावधान	**390.59**	241.92
	3085.76	2488.97

नोट (28) – वर्तमान देनदारियों
अन्य वर्तमान देनदारियां

सरकारी अनुदान पर लेखांकन नीति के लिए नोट (34) के बिंदु 12 देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अनुबंध देयता (राजस्व से अधिक बिलिंग सहित ग्राहको से प्राप्त अग्रिम)	**3798.08**	3261.68
वैधानिक देयताओं के प्रति दायित्व	**453.82**	1310.95
आस्थगित आय –सरकारी अनुदान	**6.45**	6.45
	4258.35	4579.08

नोट (29)
प्रचालनों से राजस्व

राजस्व मान्यता पर लेखाकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 7 को देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ग्राहको के साथ अनुबंध से राजस्व		
विक्रय	**15060.87**	22493.28
बाहरी इरेक्शन और अन्य सेवाओं से आय	**5433.72**	6948.31
कारोबार (क)	**20494.59**	29441.58
अन्य परिचालन आय		
भाड़ा और बीमा	**143.43**	263.62
स्क्रैप आय	**168.99**	205.64
आपूर्तिकर्ताओं से बरामदगी	**219.79**	186.97
देनदारियों का प्रतिलेखन	**312.27**	181.05
बीमा दावे	**16.42**	41.08
निर्यात प्रोत्साहन	**14.99**	3.64
अन्य	**119.53**	117.80
अन्य परिचालन से आय (ख)	**995.42**	999.80
परिचालनो से आय (ग= क+ख)	**21490.01**	30441.38
प्रचालनों से राजस्व मे निम्न शामिल नहीं है :		
माल और सेवा कर	**2837.28**	4491.81

कोविड 19 के प्रसार ने मार्च 20 के मध्य कारोबार प्रभावित किया, जिसकी परिणिति देश में लॉक डाउन के कारण परिचालन में कमी के रूप में हुई (संदर्भ नोट 54)

नोट (30)
अन्य आय

राजस्व मान्यता पर लेखांकन नीति के लिए नोट (ख), का बिंदु 7 देखें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज आय *		
बैंको से	**502.22**	498.71
अन्य	**6.97**	100.73
	509.19	599.44
अन्य आय		
म्यूचुअल फंड में निवेश पर लाभांश	**6.43**	17.00
सरकारी अनुदान	**6.45**	6.50
पीपीई और पूंजी भंडार (नेट) की बिक्री से लाभ	**9.30**	2.25
अन्य	**32.93**	36.33
	55.11	62.08
कुल अन्य आय	**564.30**	661.52
*टीडीएस शामिल है।	**50.05**	49.95

नोट (31)
सामग्री की खपत, इरेक्शन और इंजीनियरिंग व्यय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कच्चे माल एवं पुरजों की खपत	**11781.64**	14982.73
सिविल निर्माण एवं इंजीनियरिंग व्यय	**2947.17**	3866.88
स्टोर और पुर्जों की खपत	**352.91**	411.71
	15081.72	19261.32

नोट (32)
तैयार माल एवं प्रगतिशील कार्य की सूची में परिवर्तन

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
चालू कार्य				
अंतिम शेष	**4120.77**		3220.71	
प्रारंभिक शेष	**3220.71**	**(900.06)**	2285.51	(935.20)
अंतिम शेष				
तैयार माल	**823.32**		661.53	
प्रारंभिक शेष	**661.53**	**(161.79)**	631.16	(30.37)
अंतर इकाई स्थानांतरण यात्रा में		**46.29**		(23.74)
		(1015.56)		(989.31)

नोट (33)
कर्मचारी लाभ व्यय

कर्मचारी लाभ का लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 9 का संदर्भ लें ।

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन, मजदूरी, बोनस, भत्ते, अन्य लाभ	**4628.86**	4688.81
भविष्य निधि और अन्य निधियों मे योगदान	**382.74**	427.04
कर्मचारी कल्याण खर्च	**280.07**	276.55
ग्रेच्युटी फंड मे योग्दान	**105.45**	107.75
सामूहिक बीमा	**11.59**	9.10
	5408.71	5509.25

नोट (34)
विनिर्माण, प्रशासन, विक्रय और वितरण व्यय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
विद्युत और ईंधन		**459.41**		496.94
बाहरी ढुलाई		**334.60**		351.34
अन्य उप अनुबंधो पर व्यय		**287.38**		377.52
सुरक्षा एजेंसियों को भुगतान		**222.79**		225.32
मरम्मत और रख.रखाव				
भवन	**45.03**		60.45	
संयंत्र एवं मशीने	**32.32**		38.60	
अन्य	**88.12**	**165.47**	107.14	206.19
बीमा		**147.02**		124.20
यात्रा और वाहन		**124.51**		125.11
बैंक प्रभार		**104.22**		89.92
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय		**74.97**		123.12
किराया व्यय		**62.34**		74.20
सहयोग एवं रॉयल्टी पर व्यय		**57.72**		138.31
दरें और कर		**43.70**		50.06
कार्यालय व्यय		**40.29**		45.10
कौशल विकास पर व्यय		**39.38**		51.86
कानूनी, लेखा परीक्षा और प्रमाणन व्यय		**35.04**		31.57
ईपीडी सॉफ्टवेयर और लीज लाइन व्यय		**29.73**		35.58
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व		**28.80**		26.54
जल प्रभार		**26.94**		40.38
निर्यात संबंधी व्यय		**24.39**		10.06
गैर आवसीय किराया		**20.23**		22.05
मनोरंजन और शिष्टाचार पर व्यय		**9.89**		10.78
पर्यावरण संरक्षण		**7.17**		7.82
संगोष्ठी, विकास और प्रशिक्षण पर व्यय		**6.02**		7.27
प्रचार और जनसंपर्क व्यय		**5.43**		19.90
विविध व्यय		**73.82**		73.53
		2431.26		2764.67
शुद्ध विनिमय परिवर्तन लाभ (लाभ)/ (हानि)		**(434.73)**		(66.54)
		1996.53		2698.13

नोट (34)
निर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण व्यय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
(i) निदेशक शुल्क	**0.23**	0.16
(ii) विभागीय मरम्मत और रख–रखाव पर व्यय		
संयंत्र एवं मशीनें	**205.73**	238.08
भवन	**42.38**	47.64
अन्य	**34.96**	40.47
(iii) अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	**179.57**	267.59
(iv) विदेश यात्रा पर खर्च		
दौरों की संख्या	**323**	332
व्यय	**6.52**	6.33

(v) बीएचईएल ने स्वयं के योगदान से एयूएससी (AUSC) परियोजना और उसके अनुसंधान और विकास पर संचयी व्यय रू 170.31 करोड़ (पिछले वर्ष का रू 117.50 करोड़ तकद्ध)व्यय किया है।

नोट (35)
प्रावधान

कर्मचारी आय, संपत्ति के प्रावधान और मूल्यह्रास पर लेखांकन नीति के लिए नोट (2) के बिंदु 9 10, और 13 देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
संदिग्घ ऋण, परिनिर्धारित हर्जाना एवं ऋण, अग्रिम व जमा				
वर्ष के दौरान निर्मित	**2335.46**		3025.49	
घटाएं: वर्ष के दौरान वापसी	**2300.75**	**34.71**	1231.80	1793.69
अनुबंधनीय दायित्व				
वर्ष के दौरान निर्मित	**436.35**		746.42	
घटाएं: वर्ष के दौरान वापसी	**573.11**	**(136.76)**	795.92	(49.50)
अन्य				
वर्ष के दौरान निर्मित	**315.94**		240.92	
घटाएं: वर्ष के दौरान वापसी	**180.71**	**135.23**	244.23	(3.31)
		33.18		1740.88
बट्टा कृत		**-**		2.12
अशोध्य बट्टा कृत		**57.60**		26.03
निर्णीत क्षति और संविदात्मक शुल्क प्रभारित		**165.20**		65.03
		255.98		1834.06

नोट (36)
वित्तीय लागत

ऋण लागतों, प्रावधानों पर लेखांकन नीति के लिए टिप्पणी (2) के बिन्दु 5 व 10 का संदर्भ ग्रहण करें। (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वाणिज्यिक पत्रों पर छूट		204.12		9.92
प्रावधान और आस्थगित देनदारियों की अनदेखी		195.61		190.93
ऋण लागत				
बैंक/वित्तीय संस्थान	46.30		59.56	
विदेश वित्तीय संस्थान	26.32		9.89	
लीज की बाध्यता पर	16.03		14.73	
अन्य	17.71	106.36	2.97	87.15
वाणिज्यिक पत्र जारी करने पर अन्य व्यय		2.36		0.36
		508.45		288.37
घटाएं : पूंजीगत उधार लागत		-		-
		508.45		288.37

नोट (37)
कर व्यय

आयकर पर लेखांकन नीति के लिए नोट (ख) के बिंदु 12 का संदर्भ देखें (रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	
वर्तमान कर				
चालू वर्ष के लिए	63.44		719.06	
पहले के वर्षों के लिए	(61.92)	1.52	16.01	735.07
आस्थगित कर				
चालू वर्ष के लिए	(163.11)		1.61	
पहले के वर्षों के लिए *	970.87	807.76	100.64	102.25
		809.28		837.32

* इसमें चालू वर्ष में 34.944% से 25.168% तक (ईटीआर) के परिवर्तन के कारण 956.50 करोड़ के डीटीए का उत्क्रमण शामिल है ।

आयकर दर से आयकर व्यय और लेखा लाभ (टीसीआई) के गुणा का पुनर्मिलान

(रु. करोड़ों में)

विवरण		31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
कर पूर्व कुल व्यापक आय/हानि (टीसीआई)	क	**(1,000.99)**	1656.57
संविधिक आय कर दर	ख	**25.168%**	34.944%
कर व्यय	ग = (क X ख)	**(251.93)**	578.87
भिन्नता के कारण :			
कर उद्देश्यों के लिए व्यय कटौती योग्य नहीं ।		**72.73**	60.18
आय कर से मुक्त आय			
आयकर प्रोत्साहन			(47.87)
कर दर में परिवर्तन		**974.36**	0.62
कर व्यय में परिवर्तन – पहले के वर्ष		**(47.55)**	116.65
संयुक्त उपक्रमों (जेवीएस) के शेयर पर कर प्रभाव लाभ / (हानि)		**(6.51)**	64.85
पूर्ण योग	घ	**993.03**	194.43
शुद्ध कर व्यय	ड. = (ग+घ)	**741.10**	773.30

नोट (38)
अन्य व्यापक आय /व्यय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
आय / (व्यय)		
परिभाषित कर्मचारी लाभ की पुनः मापन	**(342.05)**	(183.19)
घटाए : उपरोक्त मदों से संबंधित कर *	**(68.18)**	(64.02)
	(273.87)	(119.17)
* इसमें सम्मिलित है		
वर्तमान कर	-	
आस्थगित कर $	**(68.18)**	(64.02)

$ इसमें चालू वर्ष में 34.944% से 25.168% प्रभावी कर दर (इटीआर) में परिवर्तन के कारण 17.91 करोड़ का डीटीए का उत्क्रमण शामिल है ।

नोट : कंपनी ने वर्तमान वर्ष के अनुसार आयकर अधिनियम 1961 के नए खंड 115 बीएए का विकल्प चुना है ।

(क) वर्तमान और आस्थित कर का प्रावधान 25.168% की दर से निर्धारित किया गया है ।

(ख) 1 अप्रैल, 2019 को अस्थगित कर संपति 25.168% की दर से बहाल की गई, परिणामस्वरूप 974.41 करोड़ रूपए की आस्थगित कर परिसंपतियों को उलट दिया गया । परिणामस्वरूप कर पश्चात लाभ मे 956.50 करोड़ रूपए और अन्य व्यापक आय में 17.91 करोड़ रूपए की कमी हुई ।

नोट (39)
प्रति शेयर आय

(रु. करोड़ों में)

विवरण	मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
इक्विटी शेयरधारकों के लिए निश्चित लाभ/(हानि)	(1,468.35)	1002.42
इक्विटी शेयरो की भारित औसत संख्या	348.21	362.94
भारतीय रुपये 2 की प्रति शेयर के अनुसार मूल और तनुकृत अर्जन	**(4.22)**	**2.76**

अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की वेटेज औसत संख्या द्वारा कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के कारण शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति इक्विटी शेयर की मूल आय की गणना की जाती है । प्रति शेयर की गई आय की गणना कंपनी के इक्विटी शेयरधारकों के लिए शुद्ध लाभ के हिसाब से की जाती है हो कि प्रतिशेयरपर बेसिक कमाई को प्राप्त करने के लिए मानी जानी वाली इक्विटी शेयरों की औसत संख्या से होती है और उन सभी इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो सभी कमजोर संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी किए जा सकते थे । 2018–19 के लिए इक्विटी शेयर की भारित औसत संख्या 10, जनवरी 2019 को संपन्न हुए शेयरो के बायबैक करते हुए निकाली गई है । मूल और तनुकृत प्रति शेयर आय एक समान है।

नोट (40)
प्रति शेयर लाभांश

(रु. करोड़ों में)

विवरण	मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए
क वर्ष के दौरान इक्विटी शेयरों पर घोषित लाभांश और प्रदत		
प्रति क्वालीफाइंग इक्विटी शेयर पर रूपए 1.02 रूपए (पिछले वर्ष रु. 1.02) का अंतिम लाभांश	**417.85**	374.49
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	**85.89**	76.97
प्रति क्वालीफाइंग इक्विटी शेयर पर (पिछले वर्ष रु. 0.80) का अंतरिम लाभांश	-	278.57
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	57.27
	503.74	787.30
ख. इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश को दायित्व नहीं माना गया है ।		
वित्त वर्ष 2019.20 के लिए रु. शून्य प्रति शेयर का अंतिम लाभांश प्रस्तावित (वित्त वर्ष 2018–19 के लिए रूपए 1.20 प्रति शेयर)	-	417.85
अंतिम लाभांश पर लाभांश वितरण कर	-	85.89
	-	503.74

इक्विटी शेयरों पर प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में कंपनी के शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन है और बैलेंस शीट की दिनांक को देयता के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है ।

नोट (41)
खातों के लिए नोट

समेकित वित्तीय विवरण भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (कंपनी), इसकी सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम संस्थाओं में इसके सरोकार से संबंधित हैं। समेकित वित्तीय विवरण निम्नलिखित आधार पर तैयार किए गए हैं–

लेखांकन का आधार

i) सहायक कंपनी के वित्तीय विवरण और समेकन में संयुक्त उद्यम के हित मूल कंपनी के समान रिपोर्टिंग तिथि तक रेखांकित किया जाता है ।

ii) समेकित वित्तीय विवरणों को "समेकित वित्तीय विवरणों" पर भा. ले. मा. 110 और "सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में निवेश" पर भा.ले.मा. 28 के अनुसरण में तैयार किया गया है।

समेकन का आधार

1. सहायिका मूल कंपनी द्वारा नियंत्रित इकाई है। सहायिका के वित्तीय विवरण "समेकित वित्तीय विवरणों" पर भा. ले. मा. 110 के अनुसार लाइन बाई लाइन आधार पर अंतर सामूहिक शेषों व अंतर सामूहिक लेनदेनों के विलोपन के पश्चात परिसम्पत्तियों, दायित्वों, आय और व्यय जैसे एक समान मदों के बही मूल्य को आपस में जोड़कर और अवास्तविक लाभ या हानि का मिश्रण है ।

2. इक्विटी–एकाउंटेड निवेशकों में कंपनी की रूचि संयुक्त उपक्रम में रुचि से मिलकर बनती है। संयुक्त उपक्रम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कम्पनी के पास संयुक्त नियंत्रण होता है, जिसके द्वारा कम्पनी के पास उसकी परिसम्पत्तियों पर अधिकार एवं उसकी देयताओं का दायित्व के बजाय व्यवस्था की शुद्ध परिसम्पत्तियों पर अधिकार होता है। संयुक्त उपक्रमों में प्रतिफलों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हें प्रारम्भिक लागतों पर मान्य किया जाता है जिसमें लेनदेन की लागत सम्मिलित है। प्रारंभिक मान्यताओं के तदुपरांत, उस तारीख को जिस पर उल्लेखनीय हिस्सेदारी या संयुक्त नियंत्रण समाप्त नहीं हो जाता, समेकित वित्तीय में कंपनी के लाभ या हानि का भाग और इक्विटी–अकाउंटेड निवेशों की अन्य व्यापक आय सम्मिलित हैं।

जब किसी संयुक्त उद्यम के नुकसान का हिस्सा उस संयुक्त उद्यम में समूह के ब्याज से अधिक हो जाता है, तो समूह अपने आगे के हिस्से के नुकसान को पहचानना बंद कर देता है। अतिरिक्त नुकसान को केवल उस सीमा तक पहचाना जाता है जब तक समूह ने कानूनी या रचनात्मक दायित्वों को पूरा किया हो या संयुक्त उद्यम की ओर से भुगतान किया हो।

3. समेकित वित्तीय विवरण लेखांकन नीतियों का उपयोग करके समान परिस्थितियों में लेनदेन और अन्य घटनाओं के लिए एक समान तैयार किए गए हैं और संभव सीमा तक प्रस्तुत किए गए हैं।

4. कंपनी के शेयरधारक के लिए शुद्ध आय के कारण आने वाले वर्ष के लिए की शुद्ध हानि का अल्पसंख्यक हित समेकित सहायक समूह की आय के खिलाफ समायोजन किया जाता है।

5. समेकित सहायिका की शुद्ध देनदारियों के अल्पांश ब्याज को समेकित वित्तीय विवरण में कंपनी शेयरधारक की संपत्ति/देनदारियों और इक्विटी से अलग चिह्नित और प्रस्तुत किया जाता है।

समेकित वित्तीय विवरणों में निम्नलिखित संस्थाओं के परिणाम शामिल हैं–

विवरण	मुख्य व्यापार केंद्र	स्वामित्व का अनुपात	
		2019–20	2018–19
सहायक कम्पनी			
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड (बीएचईएल ईएमएल)	भारत	**51%**	51%
संयुक्त उद्यम कंपनियां (लेखांकन में इक्विटी विधि का प्रयोग किया गया)			
बीएचईएल–जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**50% से कम का एक शेयर**	**50% से कम का एक शेयर**
एनटीपीसी– बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	भारत	**50%**	50%
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	भारत	**27.97%**	27.97%

अ. बीएचईएल ईएमएल के वित्तीय विवरणों को 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के आधार पर समेकित किया गया है।

आ. बीएचईएल –जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज लिमिटेड के संबंध में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उपक्रम में प्रतिफल लेखांकित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना गया है।

इ. एनटीपीसी– बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त उपक्रम में प्रतिफल गैर लेखांकित वित्तीय विवरणों के आधार पर माना गया है।

ई. पावर प्लांट परफोरमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड के संबंध में सम्बंध में वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रतिफल मान्य नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनी परिसमापन के अधीन है। इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि रुपये 2 करोड़ ह्रास के रूप में उपलब्ध करायी गई है।

उ. दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लिमिटेड के सम्बंध में वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रतिफल मान्य नहीं किया गया है क्योंकि कम्पनी परिसमापन के अधीन है। इक्विटी निवेश की पूर्ण राशि रुपये 4.93 करोड़ ह्रास के रूप में उपलब्ध करायी गई है।

नोट (42) – आकस्मिक देनदारियां एवं प्रतिबद्धताएँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
क. आकस्मिक देनदारियां		
(i) कंपनी के विरूद्ध दावे जो ऋण के रूप में नहीं माने गए :		
(अ) विक्रय कर मामले	**1147.53**	1194.96
(आ) सेवा कर मामले	**690.01**	583.81
(इ) कोर्ट और मध्यस्थता मामले	**793.64**	960.78
(ई) एक्साइज ड्यूटी मामले	**161.76**	229.82
(उ) सीमा शुल्क और अन्य	**5.80**	5.80
(ऋ) अन्य मामला (विवादित स्टाफ मामलों सहित)	**38.16**	48.79
(ए) परिनिर्धारित हर्जाना (एलडी) के अंतर्गत दावा	**5231.57**	4410.68
	8068.47	7434.64

i) कंपनी द्वारा विभिन्न अदालतों में विवादित मामलों, मुकदमों और दावों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर संसाधनों के बहिर्वाह पता लगाना संभव नहीं है। आमतौर पर, अदालत और मध्यस्ता मामलों की आकस्मिक दायित्व अवार्ड/कोर्ट जजमेंट पर निर्भर होता हैं और आकस्मिक मामले में इसकी रिपोर्टिंग के लिए मामले दर मामले के आधार पर समीक्षा भी की जाती है

(ii) संबंधित कार्यवाही में संकल्प के लंबित होने के कारण (ए) से (एफ) मदों के संदर्भ में वास्तविक नकदी बहिर्वाह के समय का अनुमान लगाना कंपनी के लिए व्यावहारिक नहीं है। तथापि, इसकी संभावना दूरस्थ और आकस्मिक हैं।

(iii) परिनिर्धारित (लिक्विडेटेड) क्षतियां परियोजनाओं के निष्पादन में देरी के कारण ग्राहक द्वारा रोके गए संभावित दावों या राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो विलंब विश्लेषण के आधार पर परियोजना के कमीशनिंग और ट्रायल ऑपरेशन के बाद सेटल किया जाएगा जिसका प्रकटीकरण इंड एएस–37 के अनुसार किया जा रहा है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
(iv) आकस्मिक देनदारियाँ में संचलन		
वर्ष के प्रारम्भ में शेष	**7434.64**	8455.91
घटाएं: प्रारंभिक शेष में कमी	**1443.71**	2720.04
जोड़े: वर्ष के दौरान परिवर्धन (शुद्ध)	**2077.54**	1698.77
वर्ष के अंत में शेष	**8068.47**	7434.64

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 31, 2020 तक	मार्च 31, 2019 तक
ख. प्रतिबद्धता		
(अ) अनुबंध की अनुमानित राशिए शुद्ध अग्रिम, शेष को पूंजी खाते पर निष्पादित किया जाएगा जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया था।	**325.72**	274.79
.. (उपरोक्त में अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित सम्मिलित हैं)	**(12.30)**	(3.23)
(आ) संयुक्त उद्यम संस्थाओं में निवेश जिसके लिए कंपनी को परियोजना के निगमन / वाणिज्यिक संचालन / परियोजना की पहली इकाई / पहली ईपीसी अनुबंध के पूरा होने की तारीख से पांच वर्षों के लिए उनके निपटान के लिए प्रतिबंध है, जैसा भी मामला हो।	**50.00**	50.00
(इ) अतिरिक्त इक्विटी हिस्सेदारी लेने के लिए अन्य जेवी पार्टनर की अक्षमता के मामले में संयुक्त उद्यम में अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता।	**-**	-

(ई) व्यवसाय की प्रकृति को देखते हुएए दीर्घकालिक निर्माण अनुबंध होने के नाते सामग्री की खरीद के लिए अन्य प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं जिसे समान्य व्यवसाय प्रक्रिया माना गया है।

नोट (43)

वर्तमान वित्तीय देनदारियों में कंपनी द्वारा भारत सरकार के आग्रह पर 1990–91 तक लिए गए विदेशी मुद्रा ऋणों के सापेक्ष भारत सरकार की गारंटी शुल्क मांग के प्रति रुपये 100.51 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 100.51 करोड़) की राशि सम्मिलित है। कंपनी द्वारा ऋण लेने, (सरकार द्वारा गारंटीकृत) के समय इस तरह के गारंटी शुल्क के भुगतान के लिए कोई शर्त नहीं होने के कारण इसकी माफी का मामला सरकार के साथ उठाया गया है।

नोट (44)

कंपनी ने 1 अप्रैल, 1999 को न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (एमएनआरई) से 30 साल की अवधि के लिए एमॉर्फस सिलिकन सोलर सेल प्लांट (एसएससीपी), गुड़गांव का अधिग्रहण किया गया था। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय (एमएनआरई) के साथ औपचारिक करार समझौते को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है।

नोट (45)

उप.ठेकेदारों / फैब्रिकेटर्स के साथ दिखाए गए व्यापार प्राप्य, व्यापार देयक, ठेकेदारों के अग्रिम, जमा और स्टॉक/सामग्री शेष की पुष्टि, पुनर्मिलान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं। कंपनी दीर्घकालिक निर्माण अनुबंधों के व्यवसाय में है, अनुबंध के अनुपालन में ग्राहकों द्वारा अनुमोदित बिलिंग शेड्यूल के अनुसार ग्राहकों को बिल जारी किए जाते हैं और आवश्यक समझे जाने पर किए गए प्रावधानों व प्रगतिशील कार्य आधार पर पुनर्मिलान की जाती है। ग्राहक के साथ अंतिम सामंजस्य परियोजना के पूरा (ट्रायल ऑपरेशन और पीजी टेस्ट पूरा) होने पर किया जाता है । पूर्ण परियोजनाओं में रु 25283 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 28876 करोड़) के व्यापार प्राप्य में से रु 8098 करोड़ (पिछले वर्ष रु 7388 करोड़) बकाया हैं। पूर्ण किए गए अनुबंधों में से, ग्राहकों के साथ सम्मिलित परियोजनाओं में रु. 6676 करोड़ (पिछले वर्ष रु 6622) की बकाया व्यापार प्राप्ति है।)

टिप्पणी (46) – सहायक कम्पनी

(ए) सहायक कम्पनी का नाम	व्यवसाय का मुख्य स्थान	कंपनी द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात		गैर नियंत्रण हित द्वारा धारित स्वामित्व हित का अनुपात	
		के अनुसार		के अनुसार	
		31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	भारत	51%	51%	49%	49%

बीएचईएल ईएमएल (सहायक कंपनी) विद्युत मशीनों की रोटेटिंग का कार्य कर रहा है और केरल के कासरगोड में स्थित है ।

(ख) सहायक कंपनी की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है। सहायक कंपनी के लिए दर्शायी गई राशियां अंतर कंपनी उन्मूलन से पहले की हैं ।

(रु. करोड़ में)

संक्षिप्त बैलेंस शीट	के अनुसार	
	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक
गैर चालू परिसंपित्तियॉं	**12.76**	11.60
चालू परिसंपित्तियॉं	**8.55**	9.44
कुल परिसंपत्तियां	**21.31**	21.04
गैर चालू देयताएं	**5.69**	5.69
चालू देयताएं	**34.13**	29.08
कुल देयताएं	**39.82**	34.77
शुद्ध परिसंपत्तियॉं	**(18.51)**	(13.73)
संचित गैर नियंत्रित ब्याज (एनसीआई)	**(9.07)**	(6.73)

(रु. करोड़ में)

लाभ एवं हानि का संक्षिप्त विवरण	वर्ष के लिए	
	2019–20	2018.19
राजस्व	**3.97**	18.76
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(4.79)**	(5.46)
अन्य व्यापक आय	**0.01**	0.01
कुल व्यापक आय	**(4.78)**	(5.45)
एनसीआई के कारण लाभ/(हानि)	**(2.34)**	(2.68)

नकदी प्रवाह का संक्षिप्त विवरण	वर्ष के लिए	
	2019–20	2018.19
परिचालन गतिविधियों से प्राप्त रोकड़	**(1.12)**	(2.78)
निवेश गतिविधियों से प्राप्त रोकड़	**-**	-
वित्तपोषण गतिविधियों से प्राप्त रोकड़	**1.23**	2.55
नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**0.11**	**(0.23)**

सहायक कंपनी की कार्यशील पूंजी की स्थिति कमजोर है। इसलिए, कंपनी की गोइंग कंसर्न स्थिति के बारे में अनिश्चितता है।

टिप्पणी (47) – संयुक्त रूप से नियंत्रित कम्पनियां

क. इंड–एएस वित्तीय विवरण और वित्तीय विवरण में निवेश की कैरिंग राशि के साथ समाधान के आधार पर संयुक्त उद्यम की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी निम्नानुसार निर्धारित की गई है :रु

संयुक्त उद्यमों का नाम (इक्विटी प्रणाली के लिए लेखांकित)	व्यवसाय का मुख्य स्थान	स्वामित्व का अनुपात		कैरिंग राशि	
		31 मार्च के अनुसार		31 मार्च के अनुसार	
		2020	2019	2020	2019
बीएचईएल जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	भारत	50% माइनस 1 शेयर	50% माइनस 1 शेयर	**2.38**	2.38
एनटीपीसी – बीएचईएल पॉवर परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)	भारत	**50.00%**	50.00%	**-**	
रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)	भारत	**27.97%**	27.97%	**664.04**	664.04
दादा धुनीवाले खंडवा पॉवर लिमिटेड	भारत	**50.00%**	50.00%	**-**	-

बीजीजीटीएस बीएचईएल और जीई, यूएसए का संयुक्त उद्यम है, जो जीई द्वारा डिजाइन किए गए गैस टरबाइनों की मरम्मत और सर्विसिंग का कार्य कर रहा है ।

बीएचईएल ने एनटीपीसी लिमिटेड के साथ भारत और विदेशों में पॉवर प्लांट और अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं हेतु ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक संयुक्त उद्यम कंपनी "एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड" को बढ़ावा दिया है ।

रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने येरमारुस, रायचूर, कर्नाटक में 2X800 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना को स्वयं निर्माण एवं संचालन के आधार पर एदलापुर, रायचूर, कर्नाटक में 1X800 मेगावाट के सुपरक्रिटिकल थर्मल पॉवर प्लांट की स्थापना की। यरमारूस टीपीपी की यूनिट I एवं यूनिट II की सीओडी ने क्रमशः मार्च, 2017 एवं अप्रैल, 2017 में हासिल की।

(क) एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर परियोजना प्राइवेट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर 50 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 50.00 करोड़ रुपए) तक किया गया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 8 फरवरी 2018 को आयोजित अपनी बैठक में एनबीपीपीएल की वाइंडिंग को आगे बढ़ाने के लिए सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है । विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने एनटीपीसी को बीएचईएल की हिस्सेदारी खरीदने पर विचार करने और इसे जारी रखने का निर्णय लेने की सलाह दी है। आंतरिक रूप से ईपीसी शाखा या वर्तमान काम पूरा होने के बाद इसे बंद कर दें। यह सलाह एनबीपीपीएल बोर्ड द्वारा 29.08.2019 को हुई बैठक में दी गई थी।

(ख) पॉवर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी के लिए 2 करोड़ रूपए (पिछले वर्ष 2 करोड़ रूपए) का प्रावधान किया गया है क्योंकि कंपनी परिसमापन के अधीन है और इक्विटी के रूप में भुगतान की गई राशि वसूली योग्य नहीं है।

(ग) दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड में निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान शुद्ध वित्तीय स्थिति के आधार पर रु. 4.93 करोड़ (पिछले वर्ष 5.20 करोड़ रुपये) तक बरकरार रखा गया है। कंपनी की वाइंडिंग प्रक्रिया के अधीन है । दादा धुनीवाले खंडवा पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड में निवेश के लिए 17.57 करोड़ रु. की राशि प्राप्त हुई है (वित्त वर्ष 2018–19 में 17.30 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2019–20 में 0.27 करोड़ रुपये)।

ख) संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की संक्षिप्त वित्तीय जानकारी इस प्रकार है:

नीचे दी गई तालिका में संयुक्त उद्यम कंपनियों के समूह की वित्तीय जानकारी को संक्षेप में दर्शाया गया है। यह जानकारी संयुक्त उद्यम कंपनियों के वित्तीय विवरणों के अनुसार है ना कि इन राशियों के समूह की हिस्सेदारी से संबंधित हैं ।

बीएचईएल – जीई गैस टरबाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

बैलेंस शीट	के अनुसार	
	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
बीएचईएल के शेयर	**50%**	50%
गैर चालू परिसंपत्तियां	**62.36**	43.94
चालू परिसंपत्तियां	**462.88**	460.03
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) चालू परिसंपत्ति में शामिल हैं	**187.58**	112.69
गैर चालू देयताएं	**18.70**	9.27
गैर चालू वित्तीय देनदारियों (व्यावसायिक देयताओं को छोड़कर)	**13.53**	0.24
चालू देयताएं	**189.13**	195.87
चालू वित्तीय देनदारियां (व्यावसायिक देनदारियों को छोड़कर)	**12.53**	7.28

लाभ एवं हानि का विवरण	वर्ष के अंत में	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
राजस्व	**702.09**	688.80
ब्याज पर आय	**10.56**	13.46
मूल्यह्रास और परिशोधन	**9.59**	5.21
ब्याज व्यय	**1.46**	0.16
आयकर व्यय	**23.22**	31.56
वर्ष की लाभ/हानि	**58.14**	60.73
अन्य व्यापक आय	**0.26**	0.04
कुल व्यापक आय	**57.88**	**60.77**

रायचूर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

बैलेंस शीट	के अनुसार	
	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
बीएचईएल के शेयर	**27.97%**	27.97%
गैर चालू परिसंपत्तियां	**11040.94**	11678.96
चालू परिसंपत्तियां	**1262.92**	1425.09
नकद और नकद समतुल्य (बैंक शेष सहित) चालू परिसंपत्ति में शामिल हैं	**(85.80)**	(98.73)
गैर चालू देयताएं	**8302.34**	9070.34
गैर चालू वित्तीय देनदारियों (व्यावसायिक देयताओं को छोड़कर)	**8302.34**	9070.34
चालू देयताएं	**6726.96**	4553.42
चालू वित्तीय देनदारियां (व्यावसायिक देनदारियों को छोड़कर)	**6335.77**	4353.05

लाभ एवं हानि का विवरण	वर्ष के अंत में	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
राजस्व	**254.67**	1146.76
मूल्यह्रास और परिशोधन	**668.00**	648.22
ब्याज पर व्यय	**1437.14**	1317.68
आयकर व्यय	**-**	-
वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	**(2205.73)**	(1251.30)
कुल व्यापक आय	**(2205.73)**	(1251.30)

एनटीपीसी–बीएचईएल पॉवर प्रोजेक्ट्स प्रा. लिमिटेड

(रु. करोड़ में)

बैलेंस शीट	के अनुसार	
	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
बीएचईएल के शेयर	**50%**	50%
गैर चालू परिसंपत्ति	**387.26**	382.65
चालू परिसंपत्ति	**218.04**	239.98
नकद और नकद समतुल्य वर्तमान संपत्ति में शामिल हैं	**5.09**	5.76
गैर चालू देयताएं	**258.71**	257.64
चालू देयताएं	**466.73**	458.99
वर्तमान वित्तीय देयताएं (व्यावसायिक लेनदेन को छोड़कर)	**79.25**	82.91

लाभ एवं हानि का विवरण	वर्ष के अंत में	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
राजस्व	**61.06**	75.93
मूल्यह्रास और परिशोधन	**6.73**	7.27
ब्याज व्यय	**1.66**	2.14
आयकर व्यय	**(9.19)**	(27.38)
वर्ष की लाभ/(हानि)	**(26.15)**	(114.33)
कुल व्यापक आय	**(26.15)**	(114.33)

टिप्पणी (48) – पट्टे के संबंध में प्रकटीकरण – इंड एएस 116

कंपनी ने इण्ड एएस 116 "'पट्टे' को 1 अप्रैल 2019 से अपनाया है । ट्रांजिशनल समायोजन राइट ऑफ यूज परिसंपत्ति के लिए पैरा सी 8(ii) में दिए गए विकल्प के साथ पैरा सी 5(iii) में किए गए उल्लेख के अनुसार, इस इंड एएस के प्रारंभिक अनुप्रयोग की दिनांक 1 अप्रैल 2019 को संचयी प्रभाव के साथ पूर्वव्यापी प्रभाव से किया गया है और इससे शुरूआती अर्जन पर कोई असर नहीं है ।

1 अप्रैल 2019 को, इंड एएस 116 को अपनाए जाने का प्रभाव (वृद्धि/कमी) इस प्रकार है:–

(रु. करोड़ में)

विवरण	राशि
परिसंपत्ति	
परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार	**443.44**
संपत्ति, संयत्र एवं उपस्कर	**(423.34)**
कुल परिसंपत्तियां	**20.10**
देयताएं	
पट्टा देयताएं	**20.10**
कुल देयताएं	**20.10**

i) पट्टा प्रतिबद्धता – पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी के महत्वपूर्ण पट्टा करार भूमि, भवन और ईडीपी उपस्करों के संबंध में हैं । कंपनी ने कम्प्यूटर आइटम प्रिंटर, वीडियो कॉन्फ्रेसिंग उपकरणों और बाह्य उपकरणों के पट्टे की व्यवस्था के लिए एक दर अनुबंध किया है। लीज एग्रीमेंट की अवधि आम तौर पर पाँच साल के लिए होती है । पट्टे पर ली गई परिसंपत्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों में राइट ऑफ यूज असेट्स के रूप में अलग से दर्शाया जाता है। पट्टा किराया ब्याज, रखरखाव और मूल कीमत के बीच आंवटित किया जाता है। ब्याज और रखरखाव का शुल्क लाभ–हानि विवरण के लिए लगाया जाता है और मूल राशि को लीज देयता के लिए समायोजित किया जाता है।

पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए गए पट्टे

कंपनी ने पहले से प्रारंभिक वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों की ले जाने की मात्रा में परिवर्तन नहीं किया था (यानि राइट टू यूज परिसंपत्तियां, इंड एएस– 17 के तहत मान्यता प्राप्त पट्टे की संपत्ति के बराबर)।

पहले परिचालन पट्टों के रूप में हिसाब में लिए गए पट्टे

कंपनी उन पट्टों के लिए परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार और पट्टा देयता की मान्यता दी, जो पहले से परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत हैं, किंतु इनमें अल्पकालिक पट्टों और पट्टा परिसंपत्ति के अंतर्गत कम मूल्य वाले पट्टे शामिल नहीं हैं। कंपनी शेष लीज भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर निर्धारित की गई लीज देयता को दर्शाती है, जो कि प्रारंभिक आवेदन की तारीख को कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके रियायती है और लीज देयता के बराबर राशि पर राइट टू यूज असेट का निर्धारण किया जाता है।

कंपनी ने निम्न उपलब्ध व्यावहारिक समीक्षकों को लागू किया:

(i) लीज अवधि वाले पट्टों के लिए अल्पकालिक पट्टे पर छूट मिलती है जो प्रारंभिक आवेदन की तारीख के 12 महीने के भीतर समाप्त हो जाती है और कुल पट्टे की अवधि 12 महीने से कम होती है.

(ii) परिसंपत्ति के कम मूल्य का होने पर पट्टों को कम मूल्य पट्टा से छूट। (50,000 रु. से कम मूल्य की परिसंपत्तियां)

क. पट्टा देयताओं का पट्टा अवधि के आधार पर विश्लेषण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	लीज का न्यूनतम भावी भुगतान		ब्याज		न्यूनतम लीज भुगतान का वर्तमान मूल्य (पीवी)	
	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2019 तक
एक वर्ष तक	**65.04**	72.42	**11.49**	13.97	**53.55**	58.45
एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	**87.62**	112.07	**12.25**	16.62	**75.37**	95.45
5 वर्ष से अधिक	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00	**0.00**	0.00

लीज के संबंध में भविष्य के न्यूनतम लीज भुगतान की राशि जहाँ शेष लीज अवधि 31 मार्च, 2020 को 12 महीने से कम है, 5.97 करोड़ रुपए है।

ख. 31 मार्च, 2019 तक ऑपरेटिंग लीज प्रतिबद्धता पर पुनर्विचार, 1 अप्रैल, 2019 तक बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त लीज देयताओं के साथ और 31, मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान लीज देनदारियों का समाधान।

(रु. करोड़ में)

31 मार्च, 2019 तक परिचालन लीज की प्रतिबद्धता (एमएलपी)	**40.49**
घटाएं :	
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित प्रतिबद्धताएं	**4.01**
कम मूल्य की परिसंपत्तियों से संबंधित प्रतिबद्धताएं	**0.39**
1 अप्रैल, 2019 को परिचालन पट्टा प्रतिबद्धता (एमएलपी)	**36.09**
1 अप्रैल 2019 को छूट प्राप्त परिचालन पट्टे की प्रतिबद्धता	**20.10**
जोड़ें : पट्टा देयताओं की पुनः वर्गीकृत वित्त पट्टा देयताएं '	**158.31**
1 अप्रैल 2019 तक पट्टा देयताएँ	**178.41**
जोड़ें : अतिरिक्त	**20.38**
जोड़ें : ब्याज में वृद्धि	**16.03**
घटाएं : भुगतान	**82.78**
31 मार्च 2020 को पट्टा देयताएं'	**132.04**

* 31, मार्च 2020 और 31, मार्च 2019 में क्रमशः 3.12 करोड़ एवं 4.41 करोड़ रूपए का ब्याज शामिल है।

ग लाभ या हानि में दर्शाई गई राशि (रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय (टिप्पणी संख्या 34 देखें)	**5.95**
कम मूल्य की परिसंपत्ति पट्टों से संबंधित व्यय (टिप्पणी संख्या 34 देखें)	**1.21**
राइट ऑफ यूज असेट्स का मूल्यह्रास प्रभार	**66.63**
ब्याज व्यय (वित्त लागत में शामिल)	**16.03**

घ. कंपनी के पास विभिन्न ऐसे पट्टा अनुबंध हैं जो 31 मार्च 2020 तक शुरू नहीं हुए हैं। इन रद्द न किए जा सकने वाले इन पट्टा अनुबंधों के लिए भविष्य में किए जाने वाले पट्टा भुगतान निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ में)

विवरण	राशि
एक वर्ष से अधिक नहीं	**0.07**
एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	**0.08**
5 वर्ष से अधिक	**-**

ii) वित्तीय पट्टा प्रतिबद्धताएँ – पट्टादाता के रूप में कंपनी

कपंनी ने लोकोमोटिव को वित्तीय पट्टे के तहत दिया है। वित्तीय पट्टे की प्राप्य राशियों के घटक निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
पट्टे में सकल निवेश :		
एक वर्ष से कम	**-**	0.03
एक वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से कम	**-**	-
5 वर्ष से अधिक	**-**	-

वित्तीय प्राप्तियों में शुद्ध निवेश

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
अर्जित न की गई वित्तीय आय		
वित्तीय प्राप्तियों में शुद्ध निवेश	-	0.03
आय के रूप में मान्यता प्राप्त आकस्मिक किराया	-	-
गैर प्रत्याभूत अवशिष्ट मूल्य	-	-

पट्टे की न्यूनतम प्राप्य राशियों का वर्तमान मूल्य निम्नानुसार है:

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
न्यूनतम पट्टा भुगतान प्राप्तियों की वर्तमान मूल्य		
1 वर्ष से कम	-	0.03
1 और 5 वर्ष के मध्य	-	-
5 वर्ष से अधिक	-	-

टिप्पणी (49) – 'कर्मचारी लाभ' का विवरण – इण्ड एएस 19 के अंतर्गत

कम्पनी में परिभाषित लाभ योजनाओं के रूप में निम्नलिखित योजनाएं हैं:

i) उपदान योजना

ii) सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा संबंधी योजना

iii) भविष्य निधि योजना

iv) सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा

क. उपदान (वित्तपोषित योजना)

कंपनी में परिभाषित लाभ उपदान योजना है। प्रत्येक कर्मचारी जिसने पाँच वर्ष या उससे अधिक की निरंतर सेवा प्रदान की है वह प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन की दर से उपदान (15/26 X अंतिम आहरित मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का पात्र है, किंतु इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रूपए है। उपदान देयता भविष्य के भुगतान के कारण उत्पन्न होती है, जो सेवानिवृत्ति, सेवा में मृत्यु या निकासी की स्थिति में किए जाने की आवश्यकता होती है। देयता का आकलन अनुमानित इकाई क्रेडिट बीमांकिक विधि का उपयोग करके किया गया है।

I. उपदान योजना पर शुद्ध निर्धारित लाभ (संपत्ति/देयता) में संचलन (रु. करोड़ में)

विवरण	निर्धारित लाभ देयता		योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध निर्धारित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी	
	तक					
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रारंभिक शेष	**2040.40**	2058.05	**1862.76**	1814.01	**177.64**	244.04
वर्ष के लिए लाभ में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	**105.45**	107.36	**-**	-	**105.45**	107.36
विगत सेवा लागत	**-**	-	**-**	-	**-**	-
ब्याज लागत/(आय)	**157.70**	162.56	**157.70**	162.17	**-**	0.39
वर्ष के लाभ में स्वीकृत कुल राशि	**263.15**	269.92	**157.70**	162.17	**105.45**	107.75
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल:						
प्रतिपूर्ति हानि/(लाभ):						
बीमांकिक हानि/(लाभ) से उत्पन्न:						
जनसांख्यिकी अनुमान में परिवर्तन	**(0.62)**	-	**-**	-	**(0.62)**	-
वित्तीय अनुमान में परिवर्तन	**151.51**	(22.37)	**-**	-	**151.51**	(22.37)
अनुभव समायोजन	**(29.11)**	85.10	**(20.70)**	(2.17)	**(8.41)**	87.27
अन्य व्यापक आय में स्वीकृत कुल राशि	**121.78**	62.73	**(20.70)**	(2.17)	**142.48**	64.90
अन्य						
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान	**-**	-	**172.06**	238.75	**(172.06)**	(238.75)
भुगतान किया गया लाभ	**(351.00)**	(350.30)	**(351.00)**	(350.00)	**-**	(0.30)
अवैतनिक लाभ का भुगतान	**-**	-	**-**	-	**-**	-
अंतिम शेष	**2074.33**	2040.40	**1820.82**	1862.76	**253.51**	177.64

II. योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का विवरण

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
बीमाकर्ता द्वारा मैनेज की जा रही निधियां	**56.59%**	62.47%
उच्च गुणवत्ता वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड (उद्धृत)	**33.88%**	34.30%
राज्य सरकार की प्रतिभूति (उद्धृत)	**2.74%**	2.32%
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर (उद्धृत)	**0.84%**	0.90%
बैंक शेष	**5.95%**	0.01%
कुल	**100.00%**	100.00%

III. बीमांकिक अवधारणाएं

रिपोर्टिंग की तारीख में निम्नलिखित प्रमुख बीमांकिक अवधारणाएं थीं।

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
आर्थिक अवधारणाएं		
छूट दर	**6.75%**	7.75%
वेतन वृद्धि दर	**प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अवधारणाएं		
सेवानिवृति आयु	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	**100% of IALM (2012-14)**	100% of IALM (2006-08)
निकासी दर % (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 वर्ष से लेकर 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से अधिक	**1%**	1%

IV. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अवधारणाओं में परिवर्तनों के लिए परिभाषित लाभ देयता की संवेदनशीलता इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

विवरण	उपदान (वित्तपोषित)			
	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में परिवर्तन (0.50% मूवमेंट)	**(85.87)**	**93.75**	75.88	80.16
वेतन वृद्धि दर में परिवर्तन (0.50% मूवमेंट)	**53.77**	**(54.17)**	(81.03)	75.30

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

पेंशन के भुगतान में वृद्धि की दर और सेवानिवृत्ति से पहले एवं अनुमानित जीवन में पेंशन की वृद्धि दर के रूप में संवेदनशीलता लागू नहीं होती है।

उपर्युक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग–अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से संबद्ध हो सकते हैं ।

V. भविष्य के वर्षों में उपदान योजना की अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

	उपदान (वित्तपोषित)	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2020 को
एक वर्ष से कम	**313.31**	318.43
एक से दो वर्ष के मध्य	**207.02**	216.85
दो से तीन वर्ष के मध्य	**178.64**	176.67
तीन से चार वर्ष के मध्य	**130.38**	155.73
चार से पॉंच वर्ष के मध्य	**114.73**	113.43
पॉंच से छः वर्ष के मध्य	**93.70**	113.48
छः वर्ष के बाद	**1036.55**	945.81
कुल	**2074.33**	2040.40

31, मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए ग्रेज्युटी योजनाओं में अपेक्षित योगदान रु. 137.11 करोड़ है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपदान निर्धारित लाभ योजना देयता की भारित औसत अवधि 14.91 वर्ष (31 मार्च 2019: 14.89 वर्ष) है

VI. जोखिम प्रदर्शन

ये मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैं जो परिवर्तनशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी विभिन्न जोखिमों जैसे कि वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी का सामना करती है।

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (वित्तपोषित योजना)

कंपनी के पास पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट (PRMB) है जिसके तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके पति/पत्नी को कंपनी अस्पतालों/चिकित्सा अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है, जो कंपनी चिकित्सा नियमों के अधीन है। वे कंपनी द्वारा तय की गई सीमा तक बाह्य रोगी के रूप में भी उपचार का लाभ उठा सकते हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक देयता को मान्यता दी जाती है।

I. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना पर शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति/देयता में संचलन)

(रु. करोड़ में)

	निर्धारित लाभ देयता		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध निर्धारित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्रारंभिक शेष	**2080.78**	1925.72	**1935.72**	1881.03	**145.06**	44.69
वर्ष के लाभ में सम्मिलित						
वर्तमान सेवा लागत	**40.15**	39.48	**-**	-	**40.15**	39.48
ब्याज लागत /(आय)	**161.26**	152.13	**161.26**	152.13	**-**	-
वर्ष के लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**201.41**	191.61	**161.26**	152.13	**40.15**	39.48
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल						
पुनर्गणना हानि (लाभ)						
से उत्पन्न बीमांकिक हानि (लाभ)						
जनसांख्यिकी अनुमान	**(0.91)**	-	**-**	-	**(0.91)**	-
वित्तीय अनुमान	**193.77**	31.71	**-**	-	**193.77**	31.71
अनुभव समायोजन	**(31.85)**	76.74	**(5.26)**	2.87	**(26.59)**	73.87
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**161.01**	108.45	**(5.26)**	2.87	**166.27**	105.58
अन्य						

(रु. करोड़ में)

	निर्धारित लाभ देयता		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध निर्धारित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान		-	**145.06**	44.69	**(145.06)**	(44.69)
दिए गए लाभ	**(158.00)**	(145.00)	**(158.00)**	(145.00)	**-**	-
अंतिम शेष	**2285.20**	2080.78	**2078.78**	1935.72	**206.42**	145.06

कंपनी की फंड देयताओं के लिए ली गई बीमा पॉलिसी के संदर्भ में योजना परिसंपत्तियों का प्रबंधन कंपनी द्वारा मैनेज किए जा रहे ट्रस्ट के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है ।

II. बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग की तारीख को प्रमुख बीमांकिक अनुमान निम्नानुसार थेः

	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आर्थिक अनुमान		
रियायत दर	**6.75%**	7.75%
वेतन वृद्धि दर	**प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	प्रथम 4 वर्षों के लिए 6.50% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष
जनसांख्यिकी अनुमान		
सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्युदर तालिका	**100% of IALM (2012-14)**	100% of IALM (2006-08)
निकासी दर (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 वर्ष से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से ऊपर	**1%**	1%

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ देयता की संवेदनशीलता निम्नानुसार हैः

(रु. करोड़ में)

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ			
	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
रियायत दर में परिवर्तन (0.50% संचलन)	**(101.67)**	**104.64**	(102.71)	104.19
कीमत में परिवर्तन (0.50% संचलन)	**105.37**	**(102.38)**	105.27	(103.71)

मृत्यु दर और निकासी के कारण संवेदनशीलता भौतिक नहीं है और इसलिए इनके कारण परिवर्तन के प्रभाव की गणना नहीं की जाती है।

उपर्युक्त संवेदनशीलता का विश्लेषण एक ऐसी प्रणाली के आधार पर किया गया है जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत में मूल अनुमानों में होने वाले पर्याप्त परिवर्तन के परिणामस्वरूप निर्धारित लाभ देयता पर प्रभाव को बढ़ाती है। यह विश्लेषण निर्धारित लाभ देयताओं में वास्तविक परिवर्तन का उदाहरण नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ अनुमानों में अलग–अलग परिवर्तन हो सकता है और कुछ अनुमान एक दूसरे से संबद्ध हो सकते हैं।

IV. भविष्य के वर्षों में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

	सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
एक वर्ष से कम	**155.27**	139.44
एक से दो वर्ष के मध्य	**172.35**	150.01
दो से तीन वर्ष के मध्य	**189.58**	163.18
तीन से चार वर्ष के मध्य	**209.49**	178.49
चार से पॉंच वर्ष के मध्य	**232.53**	194.36
पॉंच से छः वर्ष के मध्य	**259.27**	211.85
छः वर्ष के बाद	**1066.71**	1043.45
कुल	**2285.20**	2080.78

31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना में अपेक्षित अंशदान 53.10 करोड़ रू. है।

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ योजना देयता की भारित औसत अवधि 11.44 वर्ष (31 मार्च 2019 : 11.97 वर्ष) है।

V. जोखिम प्रदर्शन

ये मूल्यांकन कुछ अनुमानों पर आधारित हैं जो परिवर्तनशील हैं और समय के साथ बदलते रहते हैं। इस प्रकार, कंपनी विभिन्न जोखिमों जैसे कि वेतन में वृद्धि, निवेश जोखिम, छूट दर, मृत्यु दर, विकलांगता और निकासी का सामना करती है।

ग.भविष्य निधि

कंपनी एक अलग ट्रस्ट को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि में निश्चित योगदान का भुगतान करती है जो अनुमत प्रतिभूतियों में धन का निवेश करती है कंपनी का दायित्व है कि वह भारत सरकार द्वारा निर्दिष्ट सदस्यों की नयूनतम दर सुनिश्चित करे । तदनुसार, कपंनी ने बीमांकिक (एक्ट्यूटरी) की रिपोर्ट प्राप्त कर ली है जहां भी संभावित ब्याज की कमी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाणपत्र देयता के अनुसार उत्पन्न होता है वही खातों में प्रदान किया गया है।

1. भविष्य निधि न्यास में ब्याज की कमी का विवरण (रु. करोड़ में)

	वर्ष के अंत में	
	2019-20	2018-19
वर्ष के लिए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में बढ़ोतरी/(कमी)	**(23.18)**	(5.15)
बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पीएफ ब्याज देयता में कमी के लिए संचित प्रावधान	**30.14**	6.96
अन्य व्यापक आय विवरण से ज्ञात पुनः मापन लाभ/(हानि)	**(31.46)**	(12.53)
लाभ और हानि के विवरण के माध्यम से ज्ञात ब्याज की कमी/(अधिशेष)	**(8.28)**	(7.38)

कंपनी के कर्मचारियों को कवर करने के लिए कंपनी के विभिन्न स्थानों पर अलग से प्रबंधित पीएफ ट्रस्ट हैं, संपत्ति योजना और दायित्वों का विवरण इस प्रकार है

(रु. करोड़ में)

स्थान	निर्धारित लाभ देयता के अनुसार		योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य के अनुसार		अधिशेष/(कमी) के अनुसार	
	31, मार्च 2020	31, मार्च 2019	31, मार्च 2020	31, मार्च 2019	31, मार्च 2020	31, मार्च 2019
बीएचईएल, ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपुर, हरिद्वार	**1470.95**	1379.70	**1472.38**	1,387.17	**1.43**	7.47
बीएचईएल कर्मचारी भविष्यनिधि योजना–तिरुचि	**1029.10**	1119.51	**1025.27**	1,119.83	**(3.83)**	0.32
बीएचईएल कर्मचारी भविष्यनिधि योजना–भोपाल	**1239.54**	1176.79	**1232.47**	1,175.50	**(7.07)**	(1.29)
बीएचईएल नई दिल्ली कर्मचारी भविष्यनिधि	**1169.96**	1,008.05	**1176.53**	1,018.78	**6.57**	10.73
बीएचईएल कर्मचारी भविष्यनिधि योजना –हैदराबाद	**835.64**	811.28	**853.11**	835.87	**17.47**	24.59
बीएचईएल पीपीडी ईपीएफ ट्रस्ट, चैन्नई	**741.03**	656.18	**726.19**	651.53	**(14.84)**	(4.65)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्यनिधि योजना, बैंगलूरू	**723.36**	613.12	**721.87**	616.44	**(1.49)**	3.32
बीएचईएल (बीएपी) ईपीएफ ट्रस्ट, रानीपेठ	**416.21**	392.94	**413.30**	391.92	**(2.91)**	(1.02)
बीएचईएल कर्मचारी भविष्यनिधि येाजना –झांसी	**407.02**	365.26	**414.19**	371.89	**7.17**	6.63
भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड कर्मचारी अंशदायी भविष्यनिधि योजना – विजाग	**127.58**	118.79	**158.81**	165.08	**31.23**	46.29
कुल	**8160.39**	7641.62	**8194.12**	7734.01	**33.73**	92.39

2. **प्रोविडेंट फंड पर शुद्ध परिभाषित लाभ (संपत्ति)/देयता में संचलन**

(रु. करोड़ में)

	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	निर्धारित लाभ देयता		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक
प्रारंभिक शेष	**7641.62**	7188.67	**7734.01**	7302.12
वर्ष के लिए लाभ में शामिल :				
वर्तमान सेवा लागत	**327.33**	341.66	**-**	-
ब्याज लागत /(आय)	**636.48**	567.91	**656.50**	567.91
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि :	**963.81**	909.57	**656.50**	567.91
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल:				
पुनर्भुगतान हानि (लाभ)				
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्नः				
जनसांख्यिकी अनुमानः			**-**	-
वित्तीय अनुमान	**2.30**	0.36	**-**	-
अनुभव समायोजन	**30.75**	43.77	**(45.63)**	23.07
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि #	**33.05**	44.13	**(45.63)**	23.07
अन्य				

(रु. करोड़ में)

	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (समेकित)			
	निर्धारित लाभ देयता		योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	
	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान	**722.01**	698.53	**327.33**	341.66
कर्मचारी का अंशदान	**-**	-	**722.01**	698.53
भुगतान किए गए लाभ	**(1497.98)**	**(1363.08)**	**(1497.98)**	(1363.08)
समायोजन/ट्रांसफर–इन	**297.88**	**163.80**	**297.88**	163.80
अंतिम शेष	**8160.39**	**7641.62**	**8194.12**	7734.01

टिप्पणी: पीएफ ट्रस्ट के संबंध में ब्याज की कमी केवल लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय विवरण माध्यम के हिसाब से की गई है जैसा कि ऊपर बिंदु (I) के तहत दिखाया गया है।

III. योजना परिसंपत्तियों का विवरण

(रु. करोड़ में)

	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक
भारत सरकार की प्रतिभूतियों में (उद्धृत)	**1252.00**	1499.90
राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में (उद्धृत)	**3305.75**	2698.48
व्यापारिक बाध्यता (उद्धृत)	**2920.68**	2840.74
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर (उद्धृत)	**7.75**	18.40
विशेष जमा (गैर–उद्धृत)	**468.86**	495.33
लिक्विड फंड (उद्धृत)	**18.69**	25.13
अल्पावधि जमा (गैर–उद्धृत)	**48.04**	1.82
म्युचुअल फंड (उद्धृत)	**172.36**	154.21
कुल	**8194.12**	7734.01

IV. बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग की तारीख तक मुख्य बीमांकिक मान्यताएं थीं. (रु. करोड़ में)

	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक
आर्थिक अनुमान:		
रियायती दर	**6.75%**	7.75%
बही शेष पर प्रत्याशित वैधानिक ब्याज दर	**8.50%**	8.65%
फंड पर ब्याज आय में प्रत्याशित कमी	**0.05%**	0.05%
जनसांख्यिकी अनुमान:		
सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	**100% of IALM (2012-14)**	100% of IALM (2006-08)
निकासी दर: (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से अधिक	**1%**	1%

V. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए निर्धारित लाभ देयता की संवेदनशीलता निम्नानुसार है:

	बीएचईएल कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट			
	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	वृद्धि	**कमी**	वृद्धि	कमी
डिस्काउंट रेट में परिवर्तन (0.50% संचलन)	**(1.35)**	**1.43**	(1.25)	1.29

VI. भविष्य के वर्षों में अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

	भविष्य निधि	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
अगले 12 महीनों के भीतर	**836.14**	798.36
2 से 5 वर्ष के बीच	**1,984.26**	1,450.20
5 से 10 वर्ष के बीच	**1,502.75**	1,095.62
10 वर्ष के बाद	**3,837.24**	4,297.44
कुल	**8,160.39**	**7,641.62**

घ. सेवानिवृत्ति पर यात्रा का दावा– (आवास भत्ता – अनफंडेड प्लान)

आवास भत्ता किसी कर्मचारी द्वारा किए गए उस व्यय की प्रतिपूर्ति है, जो वह भारत के उस शहर या स्थान की यात्रा करने और वहाँ अपने सामान को ले जाने के लिए करता है, जहाँ वह और उसके परिवार के सदस्य उसकी सेवानिवृत्ति या मृत्यु के बाद रहना चाहता/चाहते हैं।

I. शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

(रु. करोड़ में)

	निर्धारित लाभ देयता		योजनाबद्ध परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		शुद्ध निर्धारित लाभ (परिसंपत्ति) देनदारी	
	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक
प्रारंभिक शेष	**8.53**	8.44	-		**8.53**	8.44
वर्ष के लाभ में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	**0.58**	0.49			**0.58**	0.49
ब्याज लागत /आय	**0.64**	0.67			**0.64**	0.67
वर्ष के लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1.22**	**1.16**	-	-	**1.22**	**1.16**
अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में शामिल						
प्रतिपूर्ति हानि (लाभ)						
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्न						
जनसांख्यिकी अनुमान			-	-	**-**	-
वित्तीय अनुमान	**1.21**	0.20			**1.21**	0.20
अनुभव समायोजन	**0.65**	(0.03)		-	**0.65**	(0.03)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**1.86**	**0.17**	-	-	**1.86**	**0.17**
अन्य						
नियोक्ता द्वारा भुगतान किया गया अंशदान		-			**-**	-
भुगतान किए गए लाभ	**(2.05)**	(1.24)			**(2.05)**	(1.24)
अंतिम शेष	**9.56**	**8.53**	-	-	**9.56**	**8.53**

II. बीमांकिक मान्यताएं

रिपोर्टिंग की तारीख तक मुख्य बीमांकिक मान्यताएं निम्न थीं।

	समायोजन भत्ते	
	31, मार्च 2020 तक	31, मार्च 2019 तक
आर्थिक अनुमान		
रियायती दर	**6.75%**	7.75%
वेतन वृद्धि दर	**प्रथम 4 वर्षों में 6.50% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष**	प्रथम 4 वर्षों में 6.50% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवष
जनसांख्यिकी अनुमान		
सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	**100% of IALM (2012-14)**	100% of IALM (2006-08)
निकासी दर (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 वर्ष से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से ऊपर	**1%**	1%

III. संवेदनशीलता विश्लेषण

महत्वपूर्ण मूल अनुमानों में परिवर्तन के लिए परिभाषित लाभ देयता की संवेदनशीलता इस प्रकार है:

(रु. करोड़ में)

	समायोजन भत्ते			
	31 मार्च, 2020 को		31 मार्च, 2019 को	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर में बदलाव (0.50% मूवमेंट)	**(0.67)**	**0.69**	(0.32)	0.32

IV. भविष्य के वर्षों में समायोजित भत्तों का अपेक्षित परिपक्वता विश्लेषण

(रु. करोड़ में)

	समायोजन भत्ते	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
एक वर्ष से कम	**1.10**	1.14
एक से दो वर्ष के मध्य	**0.77**	0.89
दो से तीन वर्ष के मध्य	**0.68**	0.67
तीन से चार वर्ष के मध्य	**0.51**	0.59
चार से पॉच वर्ष के मध्य	**0.45**	0.43
पॉच से छः वर्ष के मध्य	**0.37**	0.39
छः वर्ष के बाद	**5.68**	4.42
कुल	**9.56**	**8.53**

च. दीर्घकालिक छुट्टी देयता (नकदी योग्य छुट्टी –ईएल/अर्ध वेतन अवकाश–एचपीएल) – (गैर–वित्तपोषित योजना)

कंपनी, अपने कर्मचारियों को अर्जित छुट्टी और अर्ध वेतन छुट्टी लाभ प्रदान करती है, जो हर छः माह में क्रमशः 15 दिन (अधिकतम) और 10 दिन होती है। अर्जित छुट्टी सेवा में रहते हुए अर्जनशोध्य है। सेवानिवृत्ति/अधिवास पर, अर्जित और अर्ध वेतन दोनों प्रकार की छुट्टियों को मिलाकर कंपनी की नीतियों और नकदीकरण नियमों के अनुसार 300 दिनों तक की छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है। अवकाश देयता को अन्य दीर्घकालिक लाभों के रूप में माना गया है और मूल्यांकन अनुमानित यूनिट क्रेडिट एक्चुरियल विधि का उपयोग करके किया गया है।

I. शुद्ध परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता में संचलन

(रु. करोड़ में)

	दीर्घ अवधि अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
प्रारंभिक शेष	**1492.06**	1525.65
वर्ष के लाभ में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	**155.96**	174.81
ब्याज लागत (आय)	**115.63**	120.53
बीमांकिक हानि (लाभ) से उत्पन्न	**(138.64)**	(23.38)
वर्ष के लिए लाभ में मान्यता प्राप्त कुल राशि	**132.95**	271.96
अन्य		
नियोक्ता द्वारा किया गया अंशदान		
भुगतान किए गए लाभ	**232.64**	305.55
अंतिम शेष	**1392.37**	1492.06

II. बीमांकिक अनुमान

रिपोर्टिंग की तारीख तक मुख्य बीमांकिक अनुमान निम्न प्रकार थे:

	दीर्घ अवधि अवकाश देयता	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
आर्थिक अनुमान		
रियायती दर	**6.75%**	7.75%
वेतन वृद्धि दर	प्रथम 4 वर्षों में 6.50% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6% प्रतिवर्ष	प्रथम 4 वर्षों में 6.50% प्रतिवर्ष और उसके बाद 6%
जनसांख्यिकी मान्यताएं		
सेवानिवृत्ति आयु	**60**	60
मृत्यु दर तालिका	**100% of IALM (2012-14)**	100% of IALM (2006-08)
निकासी दर (सभी आयु वर्ग)		
30 वर्ष तक	**3%**	3%
31 वर्ष से 44 वर्ष तक	**2%**	2%
44 वर्ष से अधिक	**1%**	1%

नोट (50) – संबंधित पक्षों से लेनदेन

संयुक्त उपक्रमः	अन्य :
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (बीजीजीटीएस)	सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड संस्थाएं
एनटीपीसी–बीएचईल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (एनबीपीपीएल)	प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट्स
रायचूर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरपीसीएल)	ग्रेच्युटी ट्रस्ट, पीआरएमबी ट्रस्ट, पेंशन ट्रस्ट
दादा धुनीवाले खंडवा पावर लिमिटेड	
पावर प्लांट परफारमेंस इम्प्रूवमेंट लिमिटेड	

ii) अन्य संबंधित पक्षों (मुख्य प्रबंधन कार्मिक– कार्यात्मक निदेशकः मौजूदा एवं सेवानिवृत्त कंपनी सचिव):

संबंधित पक्षों का नाम	संबंध की प्रकृति
श्री (डॉ.) नलिन सिंघल	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (08 जुलाई, 2019 से प्रभावी) अतिरिक्त प्रभार निदेशक (एचआर) (1 सितंबर, 2019 से 15 अक्टूबर, 2019)
श्री अतुल सोबती	अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (30 जून, 2019 तक)
श्री डी. बंदोपाध्याय	निदेशक (मानव संसाधन) (31 अगस्त, 2019 तक) अतिरिक्त प्रभार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (2 जुलाई, 2019 से 7 जुलाई, 2019)
श्री सुबोध गुप्ता	निदेशक (वित्त)
श्री एस. बालाकृष्णन	निदेशक (आईएस एवं पी)
श्री मनोज कुमार वर्मा	निदेशक (पॉवर)
श्री कमलेश दास	निदेशक (इंजीनियरिंग, आर एण्ड डी)
श्री अनिल कपूर	निदेशक (मानव संसाधन) (15 अक्टूबर, 2019 से प्रभावी)
श्री राजीव कालड़ा	कंपनी सचिव
श्री एस. बसु	प्रबंध निदेशक – बीएचईएल ईएमएल (14 सितम्बर, 2019 तक). 12 मार्च, 2020 तक ओएसडी के रूप में समाप्ति के बाद भी जारी रहा। प्रबंध निदेशक के रूप में श्री टी.एस. चक्रवर्ती की नियुक्ति के लिए बोर्ड रिजोल्यूशन 05 मई, 2020 को इसकी बैठक में पारित किया गया है।

(रु. करोड़ में)

मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी)	समाप्त वर्ष के लिए	
	31 मार्च, 2020 को	31 मार्च, 2019 को
वेतन का भुगतान	**4.06**	4.70
केएमपी का संबंध		
वर्ष के अंत में बीएचईएल की बकाया राशि	**-**	0.01
लेनदेन का विवरण		
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ	**3.48**	4.10
रोजगार के बाद के लाभ	**0.58**	0.60
कुल पारिश्रमिक का भुगतान किया गया	**4.06**	4.70

कंपनी भारी उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है तथा इसके स्टेक का बहुमत भारत सरकार के पास है। महत्वपूर्ण लेनदेन अन्य पीएसयू, राज्य के स्वामित्व वाली यूटीलिटिज़, रेलवे आदि के साथ है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के शासन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस तरह की संस्थाओं के साथ लेन–देन सामान्य है, जो मिलती जुलती कीमत पर बाजार संचालित दरों पर आधारित है।

iii) संयुक्त उद्यम और शेष राशि के साथ लेनदेन का विवरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष के लिए							
	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019	मार्च 31, 2020	मार्च 31, 2019
	बीजीजीटीएस		आरपीसीएल		एनबीपीपीएल		कुल	
माल और सेवाओं की बिक्री	**169.61**	278.33	**17.28**	34.94	**2.80**	6.08	**189.69**	319.35
लाभांश आय	**16.30**	16.18					**16.30**	16.18
रॉयल्टी आय	**1.10**	1.17					**1.10**	1.17
माल और सेवाओं की खरीद	**0.86**	0.98	**21.61**		**3.05**	4.83	**25.52**	5.81
वर्ष के अंत में बीएचईएल को देय राशि	**29.45**	76.98	**541.93**	510.71	**262.51**	280.93	**833.89**	868.62
वर्ष के अंत में बीएचईएल (अग्रिम के साथ) से देय राशि	**0.24**	0.35	**9.30**	11.00	**79.16**	82.52	**88.70**	93.87
संदिग्ध ऋण और अग्रिम के लिए प्रावधान	**-**	0.70	**-**	-	**-**	1.64	**0.00**	2.34

नोट (51) – प्रकटीकरण (प्रावधानों में संचलन) – इंड एएस–37

क तरल क्षतिपूर्ति

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रारंभिक शेष	**7549.65**	5848.50
जोड़ें: परिवर्धन	**1706.20**	1967.45
कम: उपयोग/बट्टे खाते में डालना/भुगतान	**3.88**	12.67
कम: आहरण/समायोजन	**784.30**	253.63
अंतिम शेष	**8467.67**	7549.65

कंपनी की लेखा नीति के अनुरूप तरल क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है और निपटान या अन्य खातों में समान रूप से निपटाया जाता है। तरल क्षतिपूर्ति से संबंधित आकस्मिक देयता को नोट 42 के पैरा ए (आई) (जी) में दिखाया गया है।

ख अनुबंधात्मक दायित्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
प्रारंभिक शेष	**5295.44**	5338.19
जोड़े: लागत उधार	**195.61**	190.93
जोड़े: परिवर्धन	**567.75**	893.91
कम: पीवी समायोजन	**119.83**	156.71
कम: उपयोग/बट्टे खाते में डालना/भुगतान	**63.11**	128.65
कम: आहरण/समायोजन	**509.42**	851.48
जोड़ें/(कम): अनुमान और दरों में परिवर्तन	**(11.57)**	9.25
अंतिम शेष	**5354.87**	5295.44

अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार वारंटी दायित्वों को पूरा करने के लिए संविदात्मक दायित्व का प्रावधान महत्वपूर्ण लेखांकन नीति संख्या 10 के अनुरूप समय के मूल्य के प्रभाव को देखते हुए बनाया गया है।अनुबंध की वारंटी दायित्वों के पूरा होने तक इसे बरकरार रखा गया है। वारंटी दायित्व पर वास्तविक व्यय अनुबंध से अनुबंध तक और संबंधित अनुबंध के नियमों और शर्तों के आधार पर वर्ष–दर–वर्ष भिन्न हो सकते हैं।

नोट (52) – प्रकटीकरण – ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व – इंड एएस–115

अ. क्षति प्रावधानों में संचलन

(रु. करोड़ में)

	2019.20		2018.19	
	व्यापारिक प्राप्तियाँ	अनुबंध संपत्ति	व्यापारिक प्राप्तियाँ	अनुबंध संपत्ति
प्रारंभिक शेष	**6401.93**	**654.73**	6105.35	719.38
जोड़े : परिवर्धन	**463.41**	**192.17**	934.03	101.96
कम : बट्टे खाते डालना	**57.60**		25.92	0.11
कम : रिवर्सल	**1358.81**	**41.85**	611.53	166.50
अंतिम शेष	**5448.93**	**805.05**	6401.93	654.73

ब. ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व का विभाजन

(रु. करोड़ में)

विवरण	ऊर्जा		उद्योग		कुल
	भारत में	भारत से बाहर	भारत में	भारत से बाहर	
2019-20					
ग्राहकों से राजस्व					
राजस्व पहचान का समय					
(अ) समय में एक बिंदु पर (उत्पाद/सेवाएं)	**1946.05**	**34.48**	**3607.92**	**1.88**	**5590.33**
(ब) अधिसमय	**9197.31**	**3782.60**	**1922.28**	**2.07**	**14904.26**
2018-19					
ग्राहकों से राजस्व					
मान्य राजस्व समय					
(अ) समय में एक बिंदु पर (उत्पाद/सेवाएं)	2830.48	22.3	3758.94	28.41	6640.13
(ब) अधिसमय	17393.14	3227.98	2177.01	3.32	22801.45

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019.20		2018.19	
	ऊर्जा	उद्योग	ऊर्जा	उद्योग
ग्राहकों से राजस्व				
सीपीएसयू	**3007.04**	**2324.72**	5323.43	2320.06
रेलवे	**-**	**1434.87**	-	1595.98
टीएएनजीईडीसीओ	**2054.92**	**-**	5331.04	-
टीएसजीईएनसीओ	**2178.63**	**-**	4544.66	-

ग अनुबंध शेष (शुद्ध प्रावधान)

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
व्यापारिक प्राप्तियॉं	**12379.03**	15798.23
अनुबंध संपत्ति (अनबिल्ड राजस्व शामिल)	**24093.05**	22819.48
अनुबंध दायित्वों	**6719.24**	6839.61

ङ मान्य अनुबंध राजस्व

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
अनुबंध देनदारियों के प्रतिकूल मान्य प्राप्त राजस्व (ग्राहक अग्रिमों का समायोजन और वर्ष के दौरान मूल्यांकन समायोजन)	**3140.51**	2573.84
पिछले वर्ष में संतुष्ट निष्पादन दायित्व के प्रतिकूल मान्य प्राप्त राजस्व (अनुबंध राजस्व में परिवर्तन के कारण प्रभाव)	**727.34**	210.44

बिजली परियोजनाओं का निर्माण एक लंबा समयचक्र व्यवसाय है, जहां कंपनी द्वारा प्राप्त अनुबंध या तो ईपीसी अनुबंधों (इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण) या बीटीजी पैकेजों (अर्थात् बॉयलर, टर्बाइन और जनरेटर पैकेजों) हैं। 3 से 5 साल के बीच अनुबंध की सामान्य निष्पादन अवधि के साथ बिजली परियोजनाएं लंबी अवधि की परियोजनाएं हैं। बीएचईएल सेवाओं के दायरे में उपकरण की आपूर्ति, निर्माण, कमीशनिंग, प्लांट को ग्रिड से सिंक्रोनाइज़ करना, ट्रायल ऑपरेशन को पूरा करना और गारंटीकृत पैरामीटर प्रदान करना शामिल है।

यद्यपि समग्र दायरे में कई घटक हैं, ऐसी परियोजनाओं को आमतौर पर एक निष्पादन दायित्व माना जाता है। नियंत्रण निष्पादन अवधि में एक साथ स्थानांतरित होता है क्योंकि इकाई समय में असतत बिंदुओं के बजाय वास्तविक निष्पादन करती है एवं इसलिए प्रगति की माप के आधार पर समय की अवधि में राजस्व को मान्यता दी जाती है (इनपुट लागत विधि)

नोट (53) – प्रणाली में बदलाव – इंड एस–115

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने लेखांकन प्रणाली में बदलाव किया है, इनपुट पद्धति के तहत अंतर्निहित परियोजनाओं हेतु राजस्व को पहचानने के लिए लागत की माप के संबंध में, कुल अनुमानित लागत के संबंध में 'निर्मित वस्तुओं की लागत– प्रेषण के लिए तैयार' लागत में शामिल है। प्रणाली में यह बदलाव ग्राहकों के साथ संपर्क की शर्तों के तहत की गई प्रगति के माप को बेहतर ढंग से दर्शाता है, और इसलिए वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करता है।

लेखांकन प्रणाली में यह बदलाव पूर्वव्यापी रूप से लागू किया गया है और इसने वित्तीय विवरणों को प्रभावित किया है :

(रु. करोड़ में)

वित्तीय स्थिति का विवरण	31 मार्च, 2020 तक			31 मार्च, 2019 तक			31 मार्च, 2018 तक		
	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ
इंवेंट्री	**10007.11**	**(1098.88)**	**8908.23**	8116.24	(316.20)	7800.04	6263.15	(233.85)	6029.30
अनुबंध संपत्ति	**22855.48**	**1237.57**	**24093.05**	22445.55	373.93	22819.48	17992.17	300.20	18292.37
अस्थगित कर परिसंपत्ति (शुद्ध देयताएं)	**2798.11**	**(32.24)**	**2765.87**	3522.61	(17.16)	3505.45	3632.43	(20.78)	3611.65
कुल संपत्ति	**60677.81**	**106.45**	**60784.26**	63893.74	40.57	63934.31	63473.61	45.57	63519.18
अन्य इक्विटी	**27887.53**	**76.78**	**27964.31**	30175.99	31.94	30207.93	31600.71	38.68	31639.39
कुल इक्विटी	**28574.87**	**76.78**	**28651.65**	30865.66	31.94	30897.60	32330.94	38.68	32369.62
प्रावधानों	**8317.01**	**29.67**	**8346.68**	7956.37	8.63	7965.00	8714.19	6.89	8721.08
कुल देयताएं	**32103.00**	**29.67**	**32132.67**	33028.08	8.63	33036.71	31142.67	6.89	31149.56
कुल इक्विटी और देयताएं	**60677.87**	**106.45**	**60784.32**	63893.75	40.57	63934.32	63473.61	45.57	63519.18

लाभ और हानि विवरण	31 मार्च, 2020 तक			31 मार्च, 2019 तक		
	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ	बिना प्रभाव के	प्रभाव	प्रभाव के साथ
संचालन से राजस्व	**20626.43**	**863.58**	**21490.01**	30367.65	73.73	30441.38
एफजी हेतु एसीसी/(डीईसी)	**944.40**	**(782.61)**	**161.79**	112.73	(82.36)	30.37
प्रावधान	**234.93**	**21.05**	**255.98**	1832.33	1.73	1834.06
कर पूर्व लाभ	**(718.99)**	**59.92**	**(659.07)**	1850.10	(10.36)	1839.74

चालू वर्ष के लिए प्रति शेयर आय (मूल के साथ–साथ मिश्रित) में रु. 0.13 की वृद्धि हुई और पूर्ववर्ती वर्ष में लेखांकन प्रणाली में बदलाव के फलस्वरूप प्रति शेयर में रु. 0.02 की कमी आई।

नेट (54) – कोविड–19 का प्रभाव

राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन, कोविड–19 महामारी के प्रसार के परिणामस्वरूप कंपनी के संचालन को अस्थायी रूप से बाधित कर दिया था। इस अवधि 23 मार्च से 31 मार्च, 2020, के दौरान विनिर्माण सुविधाएं और साइट निष्पादन निष्क्रिय थे, कोविड के प्रभाव ने वैश्विक रूप से (भारत में लॉकडाउन से पूर्व) वर्ष के लिए राजस्व को प्रभावित किया। मोटे तौर पर, वर्ष हेतु राजस्व पर असर रुपये 4000 करोड़ पर आंका गया है, इस वित्तीय विवरण के अनुमोदन की तारीख तक आंतरिक और बाहरी जानकारी के आधार पर, कंपनी को अपनी संपत्ति, निवेश, व्यापार प्राप्तियों, अनुबंध संपत्ति और इनवेंट्रीज की वहन राशि की वसूली की उम्मीद है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों की निगरानी करती रहेगी और अपने वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन करेगी।

नोट (55) – इंड एस–107 के अनुसार प्रकटीकरण

(वित्तीय साधन – लेखा वर्गीकरण और उचित मूल्य माप)

अ नकद और नकद तुल्य, बैंक शेष, ऋण, व्यापार प्राप्य, व्यापार देयताएं और अन्य का उचित मूल्य उनकी वहन राशि का अनुमान लगाता है। व्यापारिक प्राप्तियों का मूल्यांकन अपेक्षित क्रेडिट हानि पर विचार करने के बाद किया जाता है। कंपनी मूल्यांकन तकनीक द्वारा वित्तीय साधनों के उचित मूल्य का निर्धारण और खुलासा करने के लिए निम्नलिखित पदानुक्रम का उपयोग करती है।

उचित मूल्य पदानुक्रम

मूल्यांकन तकनीक में उपयोग किए गए इनपुट के आधार पर वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

स्तर 1: समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 के भीतर शामिल उद्धृत कीमतों के अलावा अन्य इनपुट जो कि परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष (अर्थात् कीमतों के रूप में) या अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात्, कीमतों से प्राप्त)।

स्तर 3: संपत्ति या देयता हेतु इनपुट जो अवलोकन योग्य बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (गैर–वर्तमान इनपुट)

ख वित्तीय संपत्ति/दायित्वों वर्गीकरण

(रु. करोड़ में)

विवरण	आगे ले जाने वाली राशि	
	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
परिशोधन लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां		
व्यापारिक प्राप्तियॉं	**12379.03**	15798.23
नकद और नकद तुल्य	**1402.86**	795.74
अन्य बैंक शेष राशि	**5015.73**	6707.80
ऋण	**218.41**	240.53
अन्य वित्तीय संपत्ति	**127.50**	165.40
लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय संपत्ति		
निवेश (इक्विटी इंस्ट्रूमेंट)	**3.09**	2.94
परिशोधन लागत पर वित्तीय देनदारियां		
व्यापारिक देनदारियां	**9905.39**	12083.85
अन्य वित्तीय देनदारियां	**1589.64**	2098.67
वित्त लीज दायित्व	**132.04**	158.31
अल्पावधि उधार	**4947.92**	2444.57

(रु. करोड़ में)

वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का मूल्याकंन उचित मूल्य – आवर्ती उचित मूल्य पर किया गया ।	स्तर 3 पदानुक्रम	
	31 मार्च, 2020	31 मार्च, 2019
वित्तीय संपत्तियॉं:		
निर्विवाद इक्विटी उपकरणों में निवेश	**3.09**	2.94

ग. मूल्यांकन तकनीक उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता हैं।

निर्विवाद इक्विटी साधनों का उचित मूल्य स्तर 3 इनपुट का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रति शेयर शुद्ध संपत्ति मूल्य के आधार पर निवेशकर्ता कंपनी के वित्तीय विवरणों के इनपुट शामिल होते हैं ।

एफवीटीपीएल परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत निर्विवाद इक्विटी शेयरों के उचित मूल्य माप का पुनर्विचार

(रु. करोड़ में)

31 मार्च, 2019 तक	2.94
उचित मूल्य में परिवर्तन	0.15
31 मार्च, 2020 तक	**3.09**

वित्तीय जोखिम प्रबंधन

उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की गतिविधियाँ जो सामान्य व्यापार के क्षेत्र में काम करने वाली किसी भी कंपनी के उत्पन्न विभिन्न वित्तीय जोखिमों को उजागर करने के लिए होती हैं। वित्तीय जोखिम का प्रबंधन हमेशा कंपनी की व्यावसायिक रणनीतियों और नीतियों का एक अभिन्न अंग रहा है। कंपनी अपने विभिन्न हितधारकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप वित्तीय जोखिमों को दूर करने के लिए समय–समय पर अपनी नीतियों और दिशानिर्देशों की समीक्षा और उन्हें संरेखित करती है। वित्तीय साधनों के उपयोग से जोखिम को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है:

- **ऋण जोखिम**
- **लिक्विडिटी जोखिम**
- **बाजार ज़ोखिम**

यह नोट उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक के लिए कंपनी के जोखिम, कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और प्रक्रियाओं को मापने और प्रबंधन करने और कंपनी की पूंजी के प्रबंधन के बारे में जानकारी प्रस्तुत करता है। इन वित्तीय विवरणों में आगे मात्रात्मक खुलासे शामिल हैं।

जोखिम प्रबंधन ढांचा

बीएचईएल के पास एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन चार्टर और नीति है जो कंपनी में जोखिम प्रबंधन के लिए समग्र रूपरेखा प्रदान करता है। चार्टर का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपयुक्त जोखिम शमन उपायों को अपनाकर जोखिमों की सही पहचान, आकलन और प्रभावी तरीके से प्रबंधन किया जा रहा है। कंपनी के पास 3–परत जोखिम प्रबंधन ढांचा है। पहले स्तर पर, कंपनी के बोर्ड स्तर जोखिम प्रबंधन समिति (बीएलआरएमसी) को कंपनी के जोखिम शासन संरचना, जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन ढांचे, दिशानिर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। दूसरे स्तर पर जोखिम प्रबंधन संचालन समिति (आरएमएससी) जोखिम प्रबंधन ढांचे को अपनाने और लागू करने और कंपनी भर में जोखिम प्रबंधन पहल का नेतृत्व करने के लिए जिम्मेदार है। मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) बीएलआरएमसी और आरएमएससी के संयोजक होने के नाते बोर्ड/बीएलआरएमसी को जोखिम प्रबंधन पर आवधिक रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। कंपनी द्वारा होने वाले प्रमुख जोखिमों का विश्लेषण यूनिट स्तर से उनके संबंधित क्षेत्रों के लिए जोखिम शमन योजना तैयार करने और कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया जाता है।

(अ) ऋण जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम को व्यापार करने के रिस्क रिवार्ड संतुलन का एक अभिन्न अंग माना जाता है। बीएचईएल भारत और विदेशों में सरकारी क्षेत्रों (राज्य उपयोगिताओं, पीएसयू, रेलवे और अन्य सरकारी विभागों आदि) और निजी क्षेत्रों से संबंधित बिजली परियोजनाओं की स्थापना में शामिल है। परियोजनाएं आमतौर पर वित्तीय संस्थानों/बैंकों द्वारा वित्त पोषित होती हैं या भुगतान साख पत्र (एलसी) के माध्यम से कवर किए जाते हैं। परियोजना की अवधि 3 से 5 वर्ष तक होती है और भुगतान आमतौर पर अनुबंध की शर्तों के अनुसार चरणों में किया जाता है, जिसमें अग्रिम, प्रगति भुगतान, मील के पत्थर के भुगतान और इस तरह की परियोजनाओं के पूरा होने पर जारी किए जाने वाले रिटेंशन भी शामिल हैं। चूंकि अधिकांश ग्राहक सरकारी क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए कुल प्राप्तियों का 81% इस तथ्य के साथ मिलकर बनता है कि कंपनी स्वयं एक सीपीएसई है, क्रेडिट जोखिम अपेक्षाकृत कम है। निजी क्षेत्रों के ग्राहकों के संबंध में, भुगतान की शर्तें मुख्य रूप से एलसी के माध्यम से हैं। कंपनी ने संगठन के भीतर विभिन्न स्तरों पर प्राप्तियों के लिए अच्छी तरह से समीक्षा तंत्र स्थापित किया है, ताकि कंपनी की नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्राप्ति पर ध्यान दिया जा सके। कंपनी क्षति हानि या लाभ का आकलन करने हेतु अपेक्षित क्रेडिट लॉस मॉडल का उपयोग करती है और उसी का खुलासा अन्यत्र किया जाता है। इसके अलावा, किसी भी घटना को संबोधित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाए हुए हैं।

(i) ऋण जोखिम हेतु प्रदर्शन

वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि अधिकतम ऋण जोखिम का प्रतिनिधित्व करती है। रिपोर्टिंग तिथि पर क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम जोखिम था:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
वित्तीय परिसंपतियाँ जिनके लिए 12 महीने की अनुमानित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का उपयोग करके हानि भत्ता को मापा जाता है		
नकद और नकद तुल्य	**1402.86**	795.74
अन्य बैंक शेष राशि	**5015.73**	6707.80
ऋण	**218.41**	240.53
अन्य वित्तीय संपत्ति	**127.50**	165.40
वित्तीय परिसंपतियाँ जिनके लिए हानि भत्ता को लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस (ईसीएल) सहित क्षति हानि सहित मूल्यांकन किया जाता है।		
व्यापारिक प्राप्तियॉं	**12379.03**	15798.23

ऋण जोखिम का एकाग्रता– भौगोलिक	कुल राजस्व का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
भारत में	**92.07%**	94.30%
भारत के बाहर	**7.93%**	5.70%

प्रतिपक्ष के प्रकार से व्यापार प्राप्य, अनुबंध परिसंपत्तियों और अन्य प्राप्य के लिए ऋण जोखिम हेतु कंपनी का जोखिम इस प्रकार है –

विवरण	कुल व्यापार प्राप्तियों का प्रतिशत	
	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में रेलवे और सरकारी विभाग शामिल हैं ।	**33.54%**	32.85%
राज्य बिजली बोर्डों	**47.29%**	49.65%
निजी ग्राहक और अन्य	**11.24%**	11.80%
निर्यात	**7.93%**	**5.70%**
	100.00%	100.00%

(ii) क्षति हानि

(क) वित्तीय परिसंपत्तियां जिनके लिए 12 महीने की अपेक्षित क्रेडिट हानि का उपयोग करके हानि भत्ता मापा जाता है ।

कंपनी के पास ऐसी संपत्तियां हैं जहां प्रतिपक्षों के पास दायित्वों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और जहां डिफ़ॉल्ट का जोखिम बहुत कम है।

वर्ष के दौरान ऋण के संबंध में हानि के लिए भत्ता में संचलन इस प्रकार था:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
1 अप्रैल को शेष राशि	**22.34**	22.29
क्षति हानि स्वीकृत/बट्टे खाते में/ आहरण	**10.04**	0.05
31 मार्च को शेष राशि	**32.38**	22.34

(ख) क्षति हानि प्रावधानों का समाधान

वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियॉ और अनुबंध परिसंपत्तियों के संबंध में हानि हेतु भत्ता में इस प्रकार था:

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
1 अप्रैल को शेष राशि	**7056.66**	6824.73
क्षति हानि स्वीकृत	**655.58**	1035.99
बट्टे खाते में डाली राशि	**(1458.26)**	(804.06)
31 मार्च को शेष राशि	**6253.98**	7056.66

कंपनी निवेश नीति के अनुसार डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के आधार पर अधिशेष कोष में से निवेश करती है।नकद और नकद समकक्षों और सावधि जमाओं पर क्रेडिट जोखिम बहुत सीमित है क्योंकि कंपनी आमतौर पर 'क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा सौंपी गई उच्च क्रेडिट रेटिंग वाले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ जमा में निवेश करती है।

(ब) तरलता जोखिम का प्रबंधन

कंपनी सावधि जमा सहित पर्याप्त नकदी और नकदी समतुल्य बनाए रखने और क्रेडिट सुविधाओं की पर्याप्त मात्रा के माध्यम से और जब और जिस तरह से देय हो, को पूरा करने के लिए धन की उपलब्धता को बनाए रखकर तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है। मजबूत नकदी प्रबंधन प्रणाली और नकदी प्रवाह की नियमित निगरानी प्रबंधन को वर्ष भर में अपनी निधि की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्रोतों की योजना बनाने और बनाए रखने में सक्षम बनाती है। पर्याप्त नकदी और बैंक बैलेंस के अलावा, कंपनी क्रेडिट सुविधाओं का लाभ लेती है। कंपनी आंतरिक संसाधनों से अपने सभी फंड की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है यानी निवेश से मिलने वाले रिटर्न को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए बेहतर ट्रेजरी मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाले शॉर्ट टर्म उधार के जरिए।

संविदात्मक नकदी प्रवाह के आधार पर, गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों की संविदात्मक परिपक्वताएं निम्नलिखित हैं: (रु. करोड़ में)

वित्तीय देनदारियों गैर–व्युत्पन्न वित्तीय दायित्व	31 मार्च, 2020 तक		31 मार्च, 2019 तक	
	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक	1 वर्ष के भीतर	1 वर्ष से अधिक
व्यापारिक देय	**8897.52**	**1007.87**	11380.98	702.87
ठेकेदारों और अन्य लोगों से जमा	**492.10**	**150.99**	522.27	84.93
वित्तीय लीज दायित्वों	**56.67**	**75.37**	62.86	95.45
अन्य देय/देयताएँ				
कर्मचारी बकाया	**289.10**	**-**	512.14	-
अन्य बकाया	**566.69**	**-**	884.22	-
कैपेक्स देय राशि	**82.73**	**8.03**	88.75	6.36
अल्पावधि उधार	**4947.92**	**-**	2444.57	-
कुल	**15332.73**	**1242.26**	15895.79	889.61

(ग) बाजार जोखिम प्रबंधन

कंपनी अपने परिचालन से उत्पन्न होने वाली कुछ मुद्रा, व्यापारिक वस्तुएं, ब्याज दर जोखिमों के संपर्क में रहती है। विदेशी मुद्रा जोखिमों को कवर करने के लिए कंपनी के पास विदेशी मुद्रा जोखिम प्रबंधन नीति है। कंपनी प्रमुख व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य में अस्थिरता के प्रतिकूल को पृथक करने हेतु, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों सहित आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों के साथ दावों के माध्यम से मूल्य पास सहित रूपरेखा समझौते नियमित रूप से दर्ज किए जा रहे हैं। ऑपरेशन से उत्पन्न अधिशेष निधियों को केवल पीएसयू बैंकों या बड़े आकार के निजी बैंकों के साथ अल्पावधि जमा में निवेशित रखा जाता है और सार्वजनिक क्षेत्र के म्यूचुअल फंडों की ऋण आधारित योजनाओं में, जिससे जोखिम के किसी भी अवसर को कम किया जा सके।

विदेशी मुद्रा जोखिम एक्सपोजर –: कंपनी का एक्सपोजर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विदेशी मुद्रा जोखिम निम्नानुसार हैं:

(i) 31.03.2019 को प्राप्त किए गए व्युत्पन्न उपकरण कुछ नही (पिछले वर्ष के कुछ नहीं) हैं ।

(ii) विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र जो एक व्युत्पन्न साधन द्वारा रोका नहीं जाता है या भिन्न प्रकार से निम्नानुसार हैं:

वि.मु. ' लाख में

(रु. करोड़ में)

	31 मार्च, 2020 तक		31 मार्च, 2019 तक		31 मार्च, 2020 तक	31 मार्च, 2019 तक
	यूरो	समकक्ष भारतीय रुपये	यूरो	समकक्ष भारतीय रुपये	अन्य भारतीय रुपये	अन्य भारतीय रुपये
संपत्ति						
व्यापारिक प्राप्तियॉं	**148.34**	**1217.60**	187.45	1441.89	**6.34**	52.22
अनुबंध संपत्ति	**252.85**	**2075.37**	270.26	2080.95	**70.83**	72.17
अन्य संपत्ति	**15.40**	**122.58**	14.74	114.21	**245.63**	195.45
उप योग (अ)	**416.59**	**3415.55**	472.45	3637.05	**322.80**	319.84
उत्तरदायित्व						
ग्राहक से अग्रिम	**42.30**	**294.89**	45.96	316.67	**37.56**	38.69
व्यापारिक भुगतान एवं अन्य	**60.20**	**507.94**	62.42	494.44	**209.13**	288.55
उप योग (ब)	**102.50**	**802.83**	108.38	811.11	**246.69**	327.24
संपत्ति (कुल उत्तरदायित्व)	**314.09**	**2612.72**	364.07	2825.94	**76.11**	(7.40)

वि.मु. ' लाख में

(रु. करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2020 तक		31 मार्च, 2019 तक	
	यूरो	समकक्ष भारतीय रुपये	यूरो	समकक्ष भारतीय रुपये
संपत्ति				
व्यापारिक प्राप्तियॉं	**130.45**	**978.26**	226.08	1555.43
अनुबंध संपत्ति	**335.04**	**2512.53**	282.37	1936.04
अन्य संपत्ति	**8.20**	**60.41**	2.87	18.82
उप योग (अ)	**473.69**	**3551.20**	511.32	3510.29
उत्तरदायित्व				
ग्राहक से अग्रिम	**164.40**	**1037.62**	155.49	957.72
व्यापारिक प्राप्तियॉं एवं अन्य	**196.70**	**1496.11**	124.91	871.61
अल्पावधि उधार	**118.67**	**900.79**	51.31	357.27
उप योग (ब)	**479.77**	**3434.52**	331.71	2186.60
संपत्ति (कुल उत्तरदायित्व)	**(6.08)**	**116.68**	179.61	1323.69

उपरोक्त आंकड़े प्रावधानों के शुद्ध हैं, यदि कोई हो

संवेदनशीलता विश्लेषण

लाभ या हानि पर वर्ष के अंत में भारतीय रुपया को मजबूत बनाने/कमजोर करने का प्रभाव एक अमरीकी डालर, यूरो और अन्य के रूप में नीचे दिखाया गया है। उनका विश्लेषण विदेशी मुद्रा विनिमय दर संस्करण पर आधारित है जिसे कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के अंत में यथोचित रूप से संभव माना है। विश्लेषण पिछले वर्ष के आधार पर किया जाता है, यद्यपि यह संभव है कि विदेशी मुद्रा विनिमय दर भिन्न हो, जैसा कि नीचे दिया गया है।

विवरण	तक			
	31 मार्च, 2020		31 मार्च, 2020	
लाभ/हानि पर प्रभाव	सुदृढ़	अदृढ़	सुदृढ़	अदृढ़
1% संचलन				
यूरो	**26.13**	**(26.13)**	28.26	(28.26)
यूएसडी	**1.17**	**(1.17)**	13.24	(13.24)
अन्य	**0.76**	**(0.76)**	(0.07)	0.07

(द) पूंजी प्रबंधन

कंपनी का उद्देश्य, पूंजी का प्रबंधन करना है, जो कि शेयरधारकों के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करने, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करने और पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखने के लिए अपनी चिंता को सुरक्षित रखने, संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए व्यापार को जारी रखने के लिए है। कंपनी का उद्देश्य, पूंजी का प्रबंधन करते समय शेयरधारकों के लिए अधिकतम लाभ प्रदान करने, अन्य हितधारकों को लाभ प्रदान करने और पूंजी की लागत को कम करने के लिए एक इष्टतम पूंजी संरचना बनाए रखने के हेतु अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने, संरक्षित करने और बढ़ाने के लिए व्यापार को जारी रखना है। निदेशक मंडल इक्विटी शेयरधारकों के लाभांश के स्तर को भी नियंत्रित करता है। कंपनी आमतौर पर मध्यम एवं दीर्घकालिक अवधि के दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए उद्योग और साथ ही रेटिंग एजेंसियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई वित्तीय अनुपातों के आधार पर पूंजी की निगरानी करती है। कंपनी बाहरी रूप से लगाए गए पूंजी आवश्यकताओं के अधीन नहीं है। कंपनी की पूंजी संरचना को विभिन्न वित्तीय अनुपातों के विरूद्ध प्रबंधित किया जाना उच्चतम क्रेडिट रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

नोट (56) समेकित संचालन सेगमेंट

संबंधित व्यावसायिक क्षेत्रों द्वारा बुक किए गए आदेशों के आधार पर सेगमेंट की पहचान 'पावर' और 'इंडस्ट्री' के रूप में की गई है। इंटरनेशनल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा बुक किए गए ऑर्डर को यथास्थिति पावर या इंडस्ट्री में ले जाया जाता है।

कार्यात्मक निदेशकों की कंपनी की समिति को मुख्य परिचालन निर्णय निर्माता के रूप में पहचाना गया है (सीओडीएम)। (रु. करोड़ में)

		31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए			31.3.2019 को समाप्त वर्ष के लिए		
		पावर	इंडस्ट्री	कुल	पावर	इंडस्ट्री	कुल
I.	**सेगमेंट राजस्व**						
क.	सेगमेंट राजस्व	**14960.44**	**5534.15**	**20494.59**	23473.90	5967.68	29441.58
II.	**सेगमेंट परिणाम**						
क.	सेगमेंट परिणाम	**804.30**	**(210.71)**	**593.59**	2802.29	430.94	3233.23
ख	आंवटित नहीं किए गए खर्चे (संयुक्त उद्यमों का हिस्सा और आय का कुल)			**744.21**			1105.12
ग	वित्तीय लागत और आयकर से पूर्व का शुद्ध लाभ (क)–(ख)			**(150.62)**			2128.11
घ	वित्तीय लागत(इसमें ब्याज की छूट शामिल)			**508.45**			288.37
ड	आयकर से पूर्व का शुद्ध लाभ (ग) – (घ)			**(659.07)**			1839.74
ज	आयकर			**809.28**			837.32
न	आयकर के बाद शुद्ध लाभ			**(1468.35)**			1002.42
III	**संपत्ति और दायित्व**						
क.	सेगमेंट संपत्ति	**42665.07**	**9462.52**	**52127.59**	45240.99	9395.00	54635.99
ख.	सामान्य संपत्ति			**8656.73**			9298.32
ग.	कुल संपत्ति			**60784.32**			63934.31
घ.	सेगमेंट दायित्व	**22386.05**	**4799.80**	**27185.85**	24832.31	5286.58	30118.89
ड़.	सामान्य दायित्व			**4946.82**			2917.82
च.	कुल दायित्व			**32132.67**			33036.71
IV	**अन्य जानकारियॉं**						
अ.	पूंजीगत व्यय	**243.40**	**107.83**		255.08	81.88	
ब.	अवमूल्यन और परिशोधन	**320.44**	**136.14**		343.34	88.41	
स.	गैर नगद व्यय (अवमूल्यन और परिशोधन के अलावा अन्य)	**820.48**	**74.51**		1161.82	31.17	

भौगोलिक सेगमेंट

		भारत में	भारत से बाहर	कुल	भारत में	भारत से बाहर	कुल
1	परिचालन से शुद्ध बिक्री/राजस्व	16673.56	3821.03	20494.59	26159.57	3282.01	29441.58
2	गैर– चालू संपत्ति (पीपीई और अमूर्त संपत्ति)	3089.00	42.12	3131.12	3191.95	13.95	3205.90
3	पूंजीगत व्यय	402.62	12.71	415.33	378.65	24.23	402.88

प्रमुख ग्राहक– बीएचईएल के कुल राजस्व का 10 प्रतिशत से अधिक एकल ग्राहक से राजस्व का विवरण

	पावर	इंडस्ट्री	कुल	पावर	इंडस्ट्री	कुल
सीपीएसयू	**3007.04**	**2324.72**	**5331.76**	5323.43	2320.06	7643.49
रेलवे	**-**	**1434.87**	**1434.87**	-	1595.98	1595.98
टीएएनजीईडीसीओ	**2054.92**	**-**	**2054.92**	5331.04	-	5331.04
टीएसजीईएनसीओ	**2178.63**	**-**	**2178.63**	4544.66	-	4544.66

नोट (57) – अतिरिक्त जानकारी

(रु. करोड़ में)

समूह में इकाई का नाम	वित्तीय वर्ष	कुल संपत्ति, अर्थात, कुल संपत्ति (–) कुल देयताएं		लाभ या हानि में हिस्सेदारी		अन्य व्यापक आय में हिस्सा		कुल व्यापक आय में हिस्सा	
		समेकित नेट परिणामों का %	राशि	समेकित लाभ या हानि का % में	राशि	कुल व्यापक आय % में	राशि	कुल व्यापक आय % में	राशि
बीएचईएल	**2019-20**	**99.51**	**28511.19**	**101.43**	**(1489.28)**	**100.05**	**(273.88)**		
	2018-19	99.56	30761.92	119.06	1193.47	100.03	(119.18)		
सहायक कंपनी–									
बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड (बीएचईएल ईईएमएल)	**2019-20**	**(0.03)**	**(9.44)**	**0.17**	**(2.44)**	**(0.00)**	**0.01**	**0.14**	**(2.43)**
	2018-19	(0.02)	(7.00)	(0.28)	(2.78)	(0.01)	0.01	(0.31)	**(2.77)**
बीएचईएल ईएमएल में गैर–नियंत्रण में ब्याज	**2019-20**	**(0.03)**	**(9.07)**	**0.16**	**(2.35)**	**-**	**-**	**0.13**	**(2.35)**
	2018-19	(0.02)	(6.73)	(0.27)	(2.67)	-	-	(0.30)	**(2.67)**
संयुक्त उद्यम (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) –									
बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	**2019-20**	**0.55**	**158.97**	**(1.75)**	**25.72**	**(0.05)**	**0.13**	**(1.48)**	**25.85**
	2018-19	0.48	149.42	2.70	27.03	(0.02)	0.02	3.06	**27.05**
एनटीपीसी–बीएचईएल पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	**2019-20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.00**
	2018-19	-	-	(0.74)	(7.38)	-	-	(0.84)	**(7.38)**
रायचुर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	**2019-20**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	2018-19	-	-	(20.48)	(205.25)	-	-	(23.24)	**(205.25)**
कुल	**2019-20**	**100.00**	**28,651.65**	**100.00**	**(1,468.35)**	**100.00**	**(273.74)**	**100.00**	**(1742.09)**
	2018-19	100.00	30897.60	100.00	1002.42	100.00	(119.15)	100.00	**883.27**

नोट (58)

परिसंपत्तियों और देयताओं को चालू और गैर–चालू के बीच वर्गीकृत 12 महीने की अवधि को परिचालन चक्र के रूप में किया गया है।

नोट (59)

वर्ष के अंत में 7.07% (पिछले वर्ष / 8.14%) पर उधार की भारित औसत लागत को दीर्घकालिक प्रावधानों के वर्तमान मूल्य और अपेक्षित ऋण हानि के लिए माना गया है।

नोट (60)

पूर्व की अवधि की त्रुटियां जो भौतिक हैं पूर्वव्यापी रूप से प्रस्तुत किए गए पूर्व अवधियों के लिए तुलनात्मक राशि को बहाल करके पूर्वव्यापी तरीके से ठीक की जाती हैं। प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि से पहले हुई त्रुटि के लिए, प्रस्तुत की गई प्रारंभिक अवधि के लिए परिसंपत्तियों, देनदारियों और इक्विटी के शुरुआती संतुलन को बहाल किया जाता है।

नोट (61)

दो दशमलव के साथ आंकड़े करोड़ रुपये के करीब पहुंच गए हैं।

नोट (62)

जहां आवश्यक समझा गया, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से पुनर्वर्गीकृत/पुनर्व्यवस्थित किया गया।

नोट (63)

निदेशक मंडल ने 13 जून, 2020 को आयोजित बैठक में वित्तीय विवरण 2019–20 जारी करने के लिए अधिकृत किया है।

निदेशक मंडल की ओर से और उनके के लिए

(राजीव कालड़ा)	(सुबोध गुप्ता)	(डॉ. नलिन सिंघल)
कंपनी सचिव	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
एम. न. 14567	डीआईए न 08113460	डीआईएनः 01176857

समान तिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

राज हर गोपाल एंड कंपनी	तिवारी एंड एसोसिएट्स	महेश सी. सोलंकी एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट	चार्टर्ड अकाउटेंट
एफआरएन – 002074एन	एफआरएन – 002870एन	एफआरएन – 006228सी
(सी. ए. गोपाल कृष्ण)	(सी. ए. कृष्ण कुमार)	(सी. ए. दीपेश शाह)
पार्टनर	पार्टनर	पार्टनर
एम. न. 081085	एम. न. 085415	एम. न. 404990

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : जून 13, 2020

स्टेकहोल्डरों के लिए अतिरिक्त जानकारी

वित्तीय निष्पादन प्रवृति	323
वर्षवार पूंजी व्यय	324
लाभांश वितरण नीति	325
बीएचईएल के उत्पादों की सूची	327
शब्दावली एवं संक्षेपाक्षर	334
शब्दावली (वित्तीय परिभाषिक पद)	335

वित्तीय निष्पादन प्रवृत्ति

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
क. वित्तीय परिणाम					
1. आय					
टर्नओवर	**20491**	29423	27850	27740	25091
अन्य परिचालन आय	**995**	1000	963	859	711
परिचालनों से राजस्व	**21486**	30423	28813	28599	25803
2. व्यय					
सामग्री उपभोग, इरेक्शन व इंजीनियरिंग व्यय	**15080**	19249	15793	16542	16330
एफजी एवं डब्ल्यूआईपी की मालसूची में परिवर्तन	**(1016)**	(991)	736	994	210
कर्मचारी लाभ व्यय	**5403**	5502	5911	6360	5435
विनिर्माण, प्रशासनिक, विक्रय एवं वितरण व्यय	**2430**	2760	2635	2692	2800
उत्पाद शुल्क (शुद्ध)	**-**	-	(113)	152	197
विनिमय परिवर्तन (लाभ)/हानि (शुद्ध)	**(435)**	(67)	(520)	270	(403)
प्रावधान	**255**	1837	2438	528	2075
ह्रास व परिशोधन व्यय	**503**	475	786	849	936
वित्तीय लागतें	**507**	287	255	351	359
कुल परिचालन व्यय	**22729**	29053	27922	28737	27939
परिचालन लाभ/(हानि) (एमओयू के अनुसार)	**(1243)**	1370	891	(138)	(2136)
जोड़ेः अन्य आय	**581**	678	694	766	972
कर पूर्व लाभ/(हानि)	**(662)**	2048	1585	628	(1164)
कर व्यय (शुद्ध)	**(146)**	839	778	132	(454)
कर पश्चात् लाभ/(हानि)	**(516)**	1209	807	496	(710)
डीटीए पर एक बार पड़ने वाला प्रभाव (आय कर अधि., 1961 की धारा 115बीएए के अंतर्गत प्राप्त दर में परिवर्तन के कारण)	**(957)**	-	-	-	-
कर पश्चात् लाभ/(हानि) (उपरोक्त प्रभाव को शामिल कर)	**(1473)**	1209	807	496	(710)
कुल व्यापक आय	**(1747)**	1089	890	467	(786)
लाभांश भुगतान	**-**	696	668	387	98
लाभांश वितरण कर	**-**	143	136	79	20
ईबीआईडीटीए	**348**	2810	2626	1827	131
ख. वित्तीय स्थिति					
3. कम्पनी क्या स्वामित्व रखती है (परिसंपत्तियां)					
संपत्ति, प्लांट व उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	**2814**	2967	3069	3596	3962
विकासशील पूंजी डब्ल्यूआईपी एवं अमूर्त परिसंपत्तियां	**314**	235	203	169	318
गैर चालू निवेश	**670**	669	691	661	664
अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	**22014**	18690	13991	10069	11435
आस्थगित कर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	**2756**	3497	3606	3841	3659
चालू परिसंपत्तियां	**32704**	38372	42204	42894	45125
कुल परिसंपत्तियां	**61271**	64431	63763	61230	65163

वित्तीय निष्पादन प्रवृत्ति

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
4. कंपनी क्या स्वामित्व रखती है (देयताएं)					
गैर चालू देयताएं	**4195**	4506	4287	3809	4634
गैर चालू प्रावधान	**5248**	5463	4923	5001	7625
चालू देयताएं	**19566**	20545	18124	15934	17388
चालू प्रावधान	**3082**	2486	3790	4192	3336
कुल देयताएं	**32090**	32999	31124	28936	32982
इक्विटी अशं पूंजी	**696**	696	734	490	490
अन्य इक्विटी	**28485**	30735	31905	31804	31691
5. कुल कीमत	**29181**	31432	32639	32294	32181
कुल कीमत (ओसीआई के अलावा)	**28766**	31573	32662	32399	32257
6. प्रयुक्त पूंजी	**26111**	27699	28831	28284	28204
7. वित्तीय निष्पादन अनुपात					
परिचालन लाभ मार्जिन (प्रतिशत)	**(5.78)**	4.50	3.09	(0.48)	(8.28)
ईबीआईडीटीए मार्जिन (प्रतिशत)	**1.70**	9.55	9.43	6.59	0.52
लाभ मार्जिन (प्रतिशत)	**(3.23)**	6.96	5.69	2.26	(4.64)
कुल कीमत पर प्रतिफल (प्रतिशत)	**(4.82)**	3.76	2.48	1.53	(2.14)
प्रति कर्मचारी टर्नओवर (रु. लाख में)	**61**	83	74	70	59
8. नकदी अनुपात					
वर्तमान अनुपात	**1.44**	1.67	1.93	2.13	2.18
व्यापारिक प्राप्य– (दिनों की संख्या)	**186**	165	194	156	183
मालसूची (दिनों की संख्या)	**159**	97	79	97	140
9. प्रति अंश डाटा					
प्रति अंश अर्जन (रु.)	**(4.23)**	3.33	2.20	1.35	(1.93)
प्रति अंश लाभांश (रु.)	**0.00**	2.00	1.82	1.05	0.27
प्रति अंश कुल कीमत (रु.)	**83.80**	90.27	88.90	87.96	87.65

टिप्पणी:

1. परिचालनों से टर्नओवर व राजस्व में उत्पाद शुल्क व कर सम्मिलित नहीं है।
2. लाभांश भुगतान अंतरिम लाभांश एवं वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश है।
3. 2017–18 में 1:2 बोनस जारी होने पर प्रति अंश डाटा की पुनर्घोषणा की गई।
4. वित्तीय वर्ष 2018–19 के वर्षान्त इक्विटी अंश पूंजी जनवरी, 2019 में बायबैक के पश्चात् है।
5. पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहाँ आवश्यक समझा गया, पुनर्समूहित/पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

वर्षवार पूंजी व्यय

(रु. करोड़ में)

निवेश की श्रेणी	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
योजनाएं	**137**	112	19	210	80
आधुनिकीकरण, युक्तिकरण व अन्य	**136**	61	164	51	141
ग्राहक परियोजनाओं से संबंधित पूंजी निवेश	**63**	99	66	33	90
कुल	**336**	272	249	294	311

लाभांश वितरण नीति

1. कार्य क्षेत्र एवं उद्देश्य

1.1 यह पॉलिसी 8 जुलाई, 2016 को सेबी (अधिसूचित दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016 द्वारा अधिसूचित विनियमन 43ए के अनुसरण में प्रतिपादित की गई है। उक्त अधिसूचना में लाभांश वितरण नीति तैयार करने के लिए शीर्ष पाँच सौ सूचीबद्ध कंपनियों (प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाज़ार पूंजीकरण के आधार पर) की आवश्यकता होती है, जिसका खुलासा इसकी वार्षिक रिपोर्ट और इसकी वेबसाइट पर किया जाएगा।

1.2 तदनुसार, कंपनी ने 6 अप्रैल, 2017 को अपनी बैठक में इस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी (''पॉलिसी'') को मंजूरी दे दी है और जो पॉलिसी की प्रभावी तारीख से स्वीकार कर लिया है।

1.3 पॉलिसी का इरादा मौटे तौर पर उन मापदंडों (बाहरी और आंतरिक कारकों) को निर्दिष्ट करना है जो लाभांश की घोषणा करते समय विचार किए जाएंगे और जिन परिस्थितियों में कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश की उम्मीद नहीं है/हो सकता है और कैसे बरकरार रखी गई आय का उपयोग किया जा सकता है, आदि।

कंपनी शेयरधारकों के मूल्य को अधिकतम करने का प्रयास करती है और उनका मानना है कि यह ड्राइविंग ग्रोथ के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पॉलिसी शेयरधारकों को लाभांश के माध्यम से पुरस्कृत शेयरधारकों के बीच एक इष्टतम संतुलन बनाने का प्रयास करती है और यह सुनिश्चित करती है कि कंपनी और अन्य आवश्यकताओं की वृद्धि के लिए पर्याप्त लाभ बरकरार रहे।

पॉलिसी लाभांश की सिफारिश करने हेतु नीति बोर्ड के निर्णय का विकल्प नहीं है, जो प्रत्येक वर्ष कंपनी के हित को ध्यान में रखकर बनाया जाता है और नीति या अन्य कारकों में संलग्न सभी प्रासंगिक परिस्थितियों को बोर्ड द्वारा प्रासंगिक के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

2. परिभाषाएं

22.1 ''बोर्ड'' का तात्पर्य कंपनी के निदेशक मंडल से होगा।

2..2 कंपनी अधिनियम का तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 2013 और अधीन बनाए गए नियम, जो समय–समय पर संशोधित किए गए, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा अधिसूचित हैं।

2.3 लाभांश में अंतरिम लाभांश शामिल है।

2.4 ''कंपनी'' अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड

2.5 ''पॉलिसी'' का अर्थ है लाभांश वितरण नीति।

2.6 ''विनियम'' का तात्पर्य भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित, समय–समय पर संशोधित किया जाएगा।

2.7 स्टॉक एक्सचेंज का अर्थ एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज होगा, जिसे सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (एफ) के तहत परिभाषित किया गया है, जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध है।

3. कंपनी के लाभांश पर निर्णय लेने और भुगतान करने के दौरान वित्तीय मानकों सहित कारकों पर विचार किया जाएगाः

3.1 बाह्य कारकः

3.1.1 आर्थिक और व्यावसायिक वातावरणः किसी भी वर्ष में लाभांश की घोषणा करते समय वर्तमान और संभावित व्यावसायिक परिदृश्य सहित मैक्रो आर्थिक परिस्थितियों पर विचार किया जाएगा।

3.1.2 उद्योग की स्थितिः जिस उद्योग में कंपनी संचालित होती है, उसमें पूर्ववर्ती स्थितियों को लाभांश की घोषणा के संबंध में निर्णय लेते समय विचार किया जाएगा।

3.1.3 वैधानिक प्रावधान और दिशानिर्देशः कंपनी लाभांश की घोषणा के संबंध में सेबी और अन्य वैधानिक प्राधिकरणों के कंपनी अधिनियम और विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। इसके अलावा, एक सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी लाभांश घोषणा के संबंध में लागू दिशानिर्देशों पर भी विचार करेगी, जैसा कि भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किया जाता है।

3.1.4 लाभांश पर कर सहित लागू करः कंपनी पर लागू होने वाले कर सहित लाभांश पर कर, जो कुल नकदी बहिर्वाह को प्रभावित करते हैं।

3.2 आंतरिक कारक

बोर्ड एक वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश की घोषणा पर विचार करते हुए, अन्य बातों के साथ, कंपनी के संचालन की प्रकृति और पैमाने को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित कारकों पर विचार कर सकता हैः– .

3.2.1 तिमाही/वित्तीय वर्ष तक के लिए लाभ

3.2.2 कंपनी के फ्री रिज़र्व में उपलब्ध शेष राशि

3.2.3 कंपनी और उद्योग के लाभांश भुगतान की प्रवृत्ति

3.2.4 आगामी व्यवसायिक अनुमान और परिचालन आवश्यकताएं

3.2.5 आय और भावी लाभ के अनुमानों की स्थिरता

3.2.6 निकट भविष्य हेतु नकदी प्रवाह, कोषागार स्थिति और नकदी प्रवाह अनुमानों का संचालन करना

3.2.7 ऋण लेने के स्तर और ऋण लेने की क्षमता

3.2.8 कंपनी के वर्तमान और भविष्य के पूंजीगत व्यय की योजनाएं जिसमें जैविक/अकार्बनिक विकास मार्ग शामिल हैं।

3.2.9 कंपनी के सहयोगी और संयुक्त उपक्रम/सहायक कंपनियों में अतिरिक्त निवेश की आवश्यकताएं।

3.2.10 अप्रत्याशित घटनाओं और आकस्मिकताओं के लिए प्रदान करना जिसमें वित्तीय निहितार्थ हैं।

3.2.11 किसी अन्य कारक को बोर्ड द्वारा उपयुक्त माना जा सकता है।

3.3 विनियमों, लेखांकन नीतियों, लेखांकन मानकों अथवा अन्यथा में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप किसी मध्य के गैर नगदी मद में बदलने पर हटाने के उद्देश्य से निदेशक मंडल स्व विवेक से किसी वर्ष के लाभ को समायोजित कर सकता है।

3.4 बोर्ड को उचित लगने पर अंतरिम लाभांश के भुगतान पर विचार कर सकता है। पूर्व

लागू नियमों और विनियमों के तहत कंपनी के शेयर धारकों के लिए अंतिम लाभांश बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

4. ऐसी परिस्थितियों जिनके तहत शेयरधारक लाभांश की उम्मीद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं

लाभांश के रूप में मुनाफे का वितरण अन्य उद्देश्यों और व्यवसाय में उपयोग हेतु इसका कुछ अनुपात बनाए रखना हर कंपनी के लिए एक मौलिक निर्णय है। इस निर्णय के लिए लाभांश के माध्यम से उचित रूप से पुरस्कृत शेयरधारकों के बीच पर्याप्त संतुलन की आवश्यकता होती है और व्यवसाय की परिचालन आवश्यकताओं और विकास योजनाओं को निधि देने के लिए मुनाफे को बनाए रखना होता है। हालांकि कंपनी लगातार अपने शेयरधारकों को लाभांश दे रही है और वे भविष्य में भी इसकी अपेक्षा कर सकते हैं, जब तक कि कंपनी निम्नलिखित परिस्थितियों में लाभांश घोषित नहीं करने के लिए विवश है।

(अ) लाभ अभाव या अपर्याप्तता – यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान, कोई लाभ नहीं है या यह निर्धारित किया जाता है कि कंपनी का लाभ पर्याप्त नहीं है, तो बोर्ड उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित नहीं करने का निर्णय ले सकता है।

(ब) अन्य बाधाएं– नकदी संसाधनों की सीमितता/गैर उपलब्धता, भविष्य के नकदी प्रवाह अनुमानों के कारण सीमाएं, महत्वपूर्ण संसाधनों की जरूरतों की आकस्मिक आवश्यकताएं, अस्थिर व्यापार और लाभ के अनुमान आदि जैसे महत्वपूर्ण कारक और उस वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश घोषित नहीं करने के निर्णय पर पहुँचने के दौरान बोर्ड द्वारा विचार किए गए किसी भी अन्य वैधानिक कारक।

5. रोककर रखी गई आय का उपयोग

लाभांश के वितरण के बाद कंपनी की बरकरार रखी गई आय, मुख्य रूप से विकास योजनाओं की आवश्यकताओं के लिए और कंपनी की परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपयोग की जाएगी क्योंकि कंपनी निरंतर विकास और हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।

6. विभिन्न वर्गों के शेयरों के संबंध में अपनाए जाने वाले पैरामीटर कंपनी

कंपनी के पास वर्तमान में शेयरों का केवल एक वर्ग है यानी इक्विटी शेयर। और जब किसी अन्य वर्ग के शेयरों को जारी करने का प्रस्ताव होगा, तो नीति को तदनुसार संशोधित किया जाएगा।

7. पॉलिसी में संशोधन

कंपनी नीति के किसी भी या सभी प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है क्योंकि यह सेबी या भारत सरकार या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार फिट हो सकता है। क्योंकि नीति में बदलाव का खुलासा कंपनी की वेबसाइट पर औचित्य के साथ–साथ मौजूदा नियामक प्रावधानों के अनुसार वार्षिक रिपोर्ट में किया जाएगा।

8. सामान्य

8.1 इस नीति के तत्वों के अतिरिक्त मापदंडों के आधार पर लाभांश की घोषणा या नीति के किसी भी तत्व के संसोधन के परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट के साथ–साथ कंपनी की वेबसाइट पर भी खुलासा किया जाएगा।

8.2. किसी विनियामक प्रावधान के साथ नीति असंगत होने की स्थिति में, इस तरह के नियामक प्रावधान इस नीति के संगत प्रावधान पर लागू होंगे और नीति को ऐसे प्रावधान की प्रभावी तिथि से संशोधित किया जाएगा।

बीएचईएल के उत्पादों की सूची

ताप विद्युत संयंत्र

- जीवाश्म ईंधन के लिए 1000 मेगावाट क्षमता तक के एवं कंबाईंड साईकल एपलीकेशन 350 मेगावाट क्षमता तक वाले पुनर्योजी फ़ीड चक्र के साथ सहायक प्रणालियों सहित स्टीम जनरेटर, स्टीम टरबाईन, टर्बो जनरेटर के विनिर्माण व आपूर्ति की क्षमता।
- 1000 मेगावाट तक की क्षमता या इससे अधिक क्षमता के टरबाइन और जनरेटर सेट और स्टीम जनरेटर के साथ फिट होने के लिए हवा और पानी से ठंडा होने वाले कंडेनसर, कंडेनसेट एक्सट्रैक्शन पंप, बॉयलर फीड पंप, डुप्लेक्स हीटर, वाल्व और हीट एक्सचेंजर्स ।
- ऊर्जादक्ष नवीकरण और आधुनिकीकरण (ईई आर एंड एम), पुराने थर्मल पावर प्लांटों (संयंत्रों) के जीवन विस्तार (एलई) का अध्ययन और उनके अवशिष्ट जीवन का मूल्यांकन (आरएलए) ।

परमाणु (न्यूक्लियर) ऊर्जा संयंत्र

- न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए रिएक्टर साइड घटक (कंपोनेंट्स) जैसे– स्टीम जेनरेटर, रिएक्टर हेडर्स, एंड शील्ड्स, स्पेशल पर्पज (विशेष उद्देश्य) हीट एक्सचेंजर्स, प्रेशर वेसल्स, मोटर्स आदि।
- उच्च दबाव वालेवाटर रिएक्टरों के द्वीपीय टीजी (टर्बाइन और जनरेटर) उपकरण, एफबीआरएस (फास्ट ब्रीडर रिएक्टर) और स्टीम टरबाइन तथा टर्बो जनरेटर्स को कवर करने वाले एचडब्ल्यू आरएस (एडवांस्ड हैवी वाटर रिएक्टर), एमएसआरएस (मॉइस्चर सेपरेटर रिहीटर्स), अन्य हीट एक्सचेंजर्स और पंपों सहित ईपीसी समाधान।

गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र

- निम्नलिखित विशेषताओं के साथ 25 मेगावाट से 299 मेगावाट (आईएसओ) रेटिंग तक के गैस टर्बाइन और उनके जनरेटरः
  - उद्योग और उपयोगिता अनुप्रयोगों के लिए गैस टरबाइन आधारित सह–उत्पादन और संयुक्त–चक्र प्रणाली
  - विभिन्न मिश्रित संयोजनों के ईंधन को जलाने की क्षमता के साथ विभिन्न प्रकार के ईंधनों (गैसीय और तरल दोनों) को जलाने की क्षमता।
  - NOx के साथ ड्राई NOx (डीएलएन) के दहन और शोर के निकास उत्सर्जन स्तर की आवश्यकता को 15 पीपीएम तक कम करना ।

हाइड्रो ऊर्जा संयंत्र

- काप्लान, फ्रांसिस और पेल्टन टाइप के कस्टम बिल्ट पारंपरिक 300 मेगावॉट तक के हाइड्रोटरबाइनों के मैचिंग जनरेटरों सहित ईपीसी और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट (सिविल कार्यो सहित)।
- 250 मेगावाट तक के मोटर–जनरेटर के साथ मैचिंग वाले पंप टर्बाइन।
- 10 मेगावॉट तक के जेनरेटरों के साथ मैचिंग वाले बल्ब टर्बाइन।
- लिफ्ट सिंचाई योजनाओं (150 मेगावाट तक) की मोटरों के साथ मैचिंग वाले उच्च क्षमता वाले पंप।
- 25 मेगावाट तक की रेटिंग वाले मिनी/माइक्रो और छोटे हाइड्रो पावर प्लांट ।
- सभी प्रकार के हाइड्रो पावर प्लांट के लिए माइक्रोप्रोसेसर आधारित डिजिटल गवर्निंग सिस्टम।
- हाइड्रो पावर संयंत्रों का नवीनीकरण, आधुनिकीकरण और उन्नयन।
- हाइड्रो स्टेशनों के लिए स्फेरिकल (रोटरी) वाल्व, बटर फ्लाई वाल्व और सहायक उपकरण ।
- प्लांट और सिस्टम इंटीग्रेशन (संयंत्र और प्रणाली एकीकरण) का संतुलन।

सौर ऊर्जा प्रणाली

- सौर पीवी ऊर्जा संयंत्रों के ईपीसी समाधानः
  - (ग्रिड इंटरएक्टिव सिस्टम बीईएसएस सहित और रहित बीईएसएस (बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली)
  - स्टैंडअलोन सिस्टम
  - रूफ टॉप सिस्टम
  - हाइब्रिड सिस्टम
  - कैनाल टॉप सिस्टम
  - फ्लोटिंग सौर ऊर्जासंयंत्र
  - रेलवे ट्रैक्शन पावर नेटवर्क को आपूर्ति करनेवाला सोलर पीवी सिस्टम
  - सौर आधारित वाटर पम्पिंग सिस्टम

डीजल विद्युत संयंत्र

- इमरजेंसी के लिए 20 मेगावॉट तक की यूनिट रेटिंग और 11 केवी वोल्टेज तक के, एचएसडी, एलडीओ, एफओ, एलएसएचएस, नेचुरल गैस आधारित डीजल जनरेटर पावर प्लांट साथ ही टर्नकी आधार पर बेस लोड संचालन (ऑपरेशंस) के लिए।

अलवणीकरण और जल उपचार संयंत्र

- पावर प्लांट, औद्योगिक अनुप्रयोगों और नगर–निगम अनुप्रयोगों के लिए विभिन्न उपचार तकनीकों सहित पूर्ण जल प्रबंधन समाधानः
  - प्री–ट्रीटमेंट प्लांट
  - अलवणीकरण प्लांट
  - विखनिजीकरण (डिमिनेरीलाइजेशन) प्लांट
  - मेम्ब्रेन (झिल्ली) आधारित उपचार प्रणाली
  - इलेक्ट्रो डियोनाइजेशन प्लांट
  - प्रवाह (धारा प्रवाह) उपचार संयंत्र (ईटीपी)
  - सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी)
  - जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी) प्रणाली
  - कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट
  - टरशियरी ट्रीटमेंट प्लांट
  - मेम्ब्रेन आधारित उपचार प्रणालियाँ जैसे– प्री–ट्रीटमेंट के लिए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन (यूएफ), रिवर्स ऑस्मोसिस (आरओ) और इलेक्ट्रो डियोयनाइजेशन (ईडीआई) ।
  - पेय जल हेतु इलेक्ट्रो–डायलिसिस प्लांट।

प्रणालियाँ और सेवाएं

- विद्युत उत्पादन प्रणालियां
  - टर्नकी पावर स्टेशन/ईपीसी अनुबंध
  - संयुक्त–चक्र विद्युत संयंत्र
  - को–जनरेशन सिस्टम
  - कैप्टिव पावर प्लांट
  - पावर स्टेशनों का आधुनिकीकरण, नवीनीकरण और उनके अवशेष जीवन–चक्र का अध्ययन।

- विभिन्न प्रयोगों के लिए सिमुलेटर सहित सॉफ्टवेयर पैकेज
- उपरोक्त सभी प्रणालियों के लिए निर्माण, कमीशनिंग, सहायक सेवाएं, स्पेयर (पुर्जों का) प्रबंधन और परामर्शसेवाएं

- रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण

औद्योगिक प्रणालियाँ

- कोयला हैंडलिंग और ऐश हैंडलिंग प्लांट सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क्स और ऑटोमेशन सिस्टम सहित ।
- माइन (खदान) विंडर सिस्टम
- इलेक्ट्रिक्स ड्राइव कंट्रोल्स और कच्चेमाल के प्रसंस्करण और कॉम्पैक्टिंग केलिए स्वचालन प्रणाली (ऑटोमेशन सिस्टम), आयरन निर्माण, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टील निर्माण, ढलाई और स्टील फिनिशिंग जैसे मिल्स और लंबे तथा फ्लैट उत्पादों के लिए प्रोसेस लाइन्स।
- स्टील और अन्य उद्योगों के लिए सिविल, स्ट्रक्चरल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन सिस्टम सहित रॉ मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम।
- ऐल्युमिनियम प्लांट के लिए प्रोसेसिंग मिल्स और स्मेल्टर्स के हाई करंट रेक्टिफायर केलिए इलेक्ट्रिक्स और ऑटोमेशन सिस्टम।
- स्वचालित भंडारण और पुनर्प्राप्ति प्रणाली (एएसआरएस)।

बॉयलर

- कोयला, लिग्नाइट, तेल, प्राकृतिक गैस या इन ईंधनों के संयोजन से चलने वाली उपयोगिताओं के लिए 30 से 800 मेगावाट क्षमता के स्टीम जनरेटर; 1000 मेगावाट प्लांटों तक के बॉयलरों की सुपरक्रिटिकल मापदंडों के साथ निर्माण की क्षमता।
- विविध गुणों के स्वदेशी/विदेशी (आयातित) कोयले/लिग्नाइट, पेट कोक, आदि के विभिन्न सम मिश्रणों को जलाने में सक्षम फ्यूल फ्लेक्सिबल बॉयलर।
- न्यूक्लियर पावर प्लांट केलिए स्टीम जनरेटर।
- 40 से 450 टन प्रति घंटा क्षमता वाले फायरिंग कोल, प्राकृतिक गैस, औद्योगिक गैसों, बायोमास, लिग्नाइट, तेल व गैस या इनके मिश्रणों हेतु निम्नलिखित प्रकार के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए स्टीम जनरेटर
  - पल्वेराइज्ड कोल / लिग्नाइट फायर्ड बॉयलर
  - स्टॉकर फायर्ड बॉयलर
  - बबलिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बस्चन (बीएफबीसी) बॉयलर
  - सर्कुलेटिंग फ्लूडाइज्ड बेड कम्बस्चन (बीएफबीसी) बॉयलर
  - हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर (एचआरएसजी)
  - कागज उद्योग के लिए 100 से1000 टन प्रति दिन ड्राई सॉलिड दहन की क्षमता वाले केमिकल रिकवरी बॉयलर
- ग्रेविमिट्रिक फीडर/वॉल्यूमेट्रिक फीडर
- अकौस्टिक स्टीम लीकेज डिटेक्शन सिस्टम

बॉयलर के सहायक उपकरण

- फैन (पंखे)
  - स्वच्छ वायु अनुप्रयोगों और 200 डिग्री सै. तक की धूल भरी गर्म गैसों के लिए, 40 से 1300 घन मीटर प्रति सेकंड तक की क्षमता और 225 से1,500 एमएमडबल्यूसी तक के प्रेशर के लिए सिंगल स्टेज और डबल स्टेज के एक्सियल रिएक्शन फैन्स।
  - स्वच्छ वायु और 200 डिग्री सै. तक की फ्लूगैस अनुप्रयोगों के लिए 25 से 300 घन मीटर प्रति सेकंड तक की क्षमता और 300 से 700 एमएमडबल्यूसी तक के दबाव के लिए, एक्सियल इंपल्स फैन।
  - स्वच्छ वायु और 400 डिग्री सै. तक की धूल भरी गर्म गैसों के अनुप्रयोगों के लिए, 4 से 660 घन मीटर प्रति सेकंड तक की क्षमता और 200 से 3000 एमएमडबल्यूसी तक के दबाव केलिए सिंगल और डबल–सक्शन रेडियल फैन (प्लेट एयरोफिल ब्लेड)।
- एयर प्रिहीटर्स
  - उद्योगों, बॉयलर उपयोगों और सीएफबीसी बॉयलरों के लिए ट्यूबलर एयर प्रिहीटर्स।
  - 1000 मेगावाट तक की यूटिलिटीज क्षमताओं के लिए (विभिन्न प्रकारों के बाइ सेक्टर, ट्राइ सेक्टर और क्वाड सेक्टर) रोटरी रिजनरेटिव (पुनर्योजी) एयर–प्रीहीटर्स
  - डी–एनओएक्स अनुप्रयोगों के लिए सिलेक्टिव कैटेलिक रिडक्शन (चयनात्मक उत्प्रेरक कमी) (एससीआर) वाले बॉयलरों क`लिए एयर प्रीहीटर
- पल्वेराइजर्स
  - कोयले से चलित 10 टन प्रति घंटा से 120 टन प्रति घंटा क्षमता वाले, 1000 मेगावाट तक के थर्मल स्टेशनों के लिए उपयुक्त कम और मध्यम गति (दोनों दबाव (प्रेशर) और चूषण (सक्सन) प्रकार) के बाउल मिल्स।
  - 110 मेगावाट से 500 मेगावाट तक के थर्मल पावर स्टेशनों के उपयोग हेतु अधिक ऐश (राख) की मात्रा वाले लो–ग्रेड कोयले की पल्वेराइजिंग करने वाले के बॉल ट्यूब मिल्स।
  - ब्लास्ट फर्नेस अनुप्रयोगों के लिए 15 टन प्रति घंटा से 120 टन प्रति घंटा क्षमता वाले बाउल मिल्स।
  - पोंड ऐश, स्टील प्लांट ब्लास्ट फर्नेस स्लैग और क्लिंकर को पीसने क`लिए बाउल मिल्स।
- डेसिलो और इसकी संरचना वाले एफजीडी अनुप्रयोगों के लिए चूना पत्थर पीसने के लिए वेट बॉल मिल्स।
- इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स (ईएसपी)
  - कोयला फायर्ड यूटिलिटी, कैप्टिव और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए जिनमें बायोमास फायर्ड बॉयलर, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, सोडा रिकवरी बॉयलर आदि शामिल हैं, के लिए 17 मिलिग्राम प्रति क्यूबिक मीटर (क्षमता 99.97 प्रतिशत तक) के न्यूनतम उत्सर्जन आउटलेट वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रीसिपिटेटर्स।
  - औद्योगिक अनुप्रयोगों और यूटिलिटीज के लिए बैग फिल्टर।
  - एससीआर अनुप्रयोगों के लिए मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर।
  - अमोनिया फ्ल्यू गैस कंडीशनिंग सिस्टम।
- गिलोटिन गेट्स और डैम्पर्स
  - इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्च्युवेटर वाला गिलोटिन गेट्स। 7 मीटर तक चौड़ाई और 14.5 मीटर तक ऊंचाई के आकार वाला 100 प्रतिशत लीक प्रूफ।
  - इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्च्युवेटर वाला बाई–प्लेन डैंपर्स। सील एयर के साथ 100 प्रतिशत लीक प्रूफ, टाइप–1 चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 14.5 मीटर; टाइप–2 चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 10.5 मीटर।
  - इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्च्युवेटर वाले ल्यूवर डैंपर्स (ओपन क्लोज / रेगुलेटिंग)। टाइप–1 चौड़ाई 7 मीटर और ऊंचाई 14.5 मीटर; टाइप–2 चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 10.5 मीटर।
  - इलेक्ट्रिक/न्यूमैटिक एक्च्युवेटर वाले कंट्रोल डैंपर्स (रेगुलेटिंग)। टाइप–1 चौड़ाई

7 मीटर और ऊंचाई 14.5 मीटर; टाइप–2 चौड़ाई 12 मीटर और ऊंचाई 10.5 मीटर।

- फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम
  - विद्युत संयंत्रों और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए गीले चूना पत्थर और समुद्री जल आधारित एफजीडी प्रणाली (सिस्टम)
- स्टील की चिमनियाँ
  - हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर (एचआरएसजी), औद्योगिक बॉयलरों, सहायक बॉयलरों और अन्य फ्यूल गैस निकास अनुप्रयोगों के लिए स्टील चिमनी।
- सिलेक्टिव कैटेलिटिक रिडक्शन (एससीआर) सिस्टम
  - एनओएक्स (NOx) उत्सर्जन नियंत्रण केलिए निर्जल अमोनिया/जलीय अमोनिया/यूरिया अभिकर्मक (रीएजेंट) वाले एससीआर सिस्टम (हनीकॉम्ब और प्लेट टाइप)।
- सिलेक्टिव नॉन–कैटेलिटिक रिडक्शन (एसएनसीआर) सिस्टम
  - यूरिया और अमोनिया हैंडलिंग सिस्टम वालेसिलेक्टिव नॉन–कैटेलिटिक रिडक्शन (एसएनसीआर) सिस्टम।

सूट ब्लोवर्स

- 12.2 मीटर तक की दूरी के लिए लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोवर्स (एलआरएसबी)।
- 10 मीटर की दूरी के लिए फर्नेस टेम्प्रेचर प्रोब (एफ़टीपी)।
- एयर हीटर के लिए फारवर्ड लोविंग वाले लॉन्ग रिट्रैक्टेबल नॉन रोटेटिंग (एलआरएनआर) सूट ब्लोवर्स ।
- सीएफबीसी बॉयलर अनुप्रयोगों क लिए ऐश डिस्चार्जवाल्व।
- क्रमबद्ध पीएलसी, नियंत्रण कक्ष और इंटिग्रल स्टार्टर सहित सूट ब्लोवर्स
  - रैक टाइप लॉन्ग रिट्रैक्टेबल सूट ब्लोवर्स (एलआरएसबी)
  - रोटरी सूट ब्लोवर्स
  - वाल ब्लोवर्स

वाल्वस

- यूटिलिटी और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च और निम्न–दबाव टर्बाइन बायपास वाल्व और हाइड्रोलिक प्रणालियाँ।
- उच्च और मध्यम दबाव वाल्व, गेट्स केकास्ट और फोर्ज्ड स्टील वाल्व, ग्लोब, नॉन–रिटर्न (स्विंग–चेक और पिस्टन लिफ्ट–चेक) टाइप स्टीम वाल्व, 950 मिमी व्यास तक के तेल और गैस ड्यूटीज, अधिकतम दबाव श्रेणी 4500 (791 किलोग्राम/ वर्ग सेंटीमीटर) और 650 डिग्री सेल्सियस तापमान।
- 900 मिमी तक के पाइप साइज़ के लिए हॉट रिहीट और कोल्ड रिहीट आइसोलेटिंग डिवाइसें, क्लास 1500 और स्टीम तापमान 650 डिग्री सै. तक।
- 372 किग्रा/वर्ग सेमी तक के दबाव और 630 डिग्री सै. तक के तापमान के लिए उच्च क्षमता स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व।
- 210 किग्रा/वर्ग सेमी तक के दबाव और 593 डिग्री सै. तक के तापमान के लिए स्वचालित विद्युत चलित रिलीफ वाल्व।
- 421 किग्रा/वर्गसेमी तक के दबाव और 537 डिग्री सै. तक के तापमान के लिए विद्युत अनुप्रयोगों, प्रक्रियाओं और अन्य उद्योगों के लिए सेफ्टी रिलीफ वाल्व।
- 2700 मिमी अधिकतम व्यास के रिएक्टिव–कम अब्सोर्प्टिव टाइप वेंट साइलेंसर।
- डायरेक्ट वाटर लेवल गेजिज (प्रत्यक्ष जल स्तर गेज)।
- टर्बाइन ड्रेन अनुप्रयोगों के लिए एंगल ड्रेन वाल्व – सिंगल और मल्टी स्टेज।
- आरएच और एसएच स्प्रे लाइनों के लिए सीवियर (गंभीर) सर्विस कंट्रोल वाल्व।
- 800 मिमी तक के व्यास, 158 किग्रा/वर्गसेमी के दबाव और 540 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले कोल्ड रिहीट नॉन रिटर्नवाल्व और एक्सट्रैक्शन लाइनों के लिए क्विक क्लोज़िंग नॉन रिटर्न वाल्व्स।
- 2800 एनबी तक के जल अनुप्रयोगों के लिए बटरफ्लाई वाल्व।

पाइपिंग सिस्टम (प्रणालियाँ)

- सुपर क्रिटिकल सैटों सहित 1000 मेगावाट क्षमता तक के पावर स्टेशनों के लिए कूलिंग वॉटर पाइपिंग के साथ–साथ पावर साइकिल पाइपिंग, कंसटैंट (स्थिर) लोड हैंगर, वैरिएबल (परिवर्तनीय) लोड हैंगर, कम दबाव (लो प्रेशर) पाइपिंग।
- परमाणु ऊर्जा स्टेशनों, संयुक्त चक्र (कम्बाइन्ड साइकिल) विद्युत संयंत्रों, औद्योगिक बॉयलरों और प्रक्रिया (प्रोसेस) उद्योगों के लिए पाइपिंग सिस्टम।
- रिफाइनरी क्षेत्र के लिए प्री–फैब्रिकेटिड पाइपिंग/डक स्पूल, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ कॉरोजन इंजीनियर्स (एनएसीई) की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हैं।

सीमलैस स्टील ट्यूब्स

- एएसटीएम/एएसएमई और अन्य अंतर्राष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप कार्बन स्टील और लो–अलोय स्टील की 21 से 133 मिमी के बाहरी व्यास और 2 से 12.5 मिमी की वाल थिकनेस (दीवार की मोटाई) में विभिन्न रेंज वाली हॉट फिनिश्ड (गर्म–तैयार) और कोल्ड–ड्रावन सीमलैस स्टील ट्यूब।
- कार्बन स्टील और लो कार्बन स्टील्स में एएसएमई और अन्य अंतरराष्ट्रीय विशिष्टताओं के अनुरूप 38.1 से 63.5 मिमी के बाहरी व्यास और 5.6 मिमी से 7.1 मिमी की वाल थिकनेस (दीवार की मोटाई) में विभिन्न रेंज वाली राइफल ट्यूब (रिब्ड)।
- स्पाइरल फिंड ट्यूब, 31.8 से 114.3 मिमी के बाहरी व्यास, 2.4 मिमी से 9.5 मिमी की वाल थिकनेस (दीवार की मोटाई) में और 12.5 मिमी से 21 मिमी तक की फिन ऊंचाई जिसका घनत्व रेंज 40 से 240 पंखों तक प्रति मीटर हो, एएसएमई मानकों के अनुरूप कार्बन स्टील और एलोय स्टील से बनाई जाती हैं।

स्टीम टर्बाइन

- थर्मल सैटों के लिए 1000 मेगावाट रेटिंग और परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए 700MW रेटिंग तक केस्टीम टर्बाइन।
- मरीन प्रोपल्सन (समुद्री प्रणोदन) के लिए 15000 एचपी मरीन टर्बाइन।

टर्बो जनरेटर

- थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट केलिए 1000 मेगावाट तक और कंबाइंड साइकल प्लांट के लिए 195 मेगावाट तक की उच्च रेटिंग के टर्बोजेनर।

औद्योगिक सेट

- स्टीम टर्बाइन आधारित कैप्टिव पावर प्लांट
  - एसटीजी/बॉयलर/बीटीजी/ईपीसी: यूनिट रेटिंग 200 मेगावाट तक
  - नॉन रिहीट टाइप स्टीम जनरेटर 120 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक।
  - रिहीट टाइप स्टीम जनरेटर 200 मेगावाट यूनिट रेटिंग तक।
  - कैप्टिव पावर प्लांट आधारित गैस टर्बाइन जीटीजी/एचआरएसजी/ईपीसी: एफआर–5ई (26 मेगावाट) सेएफआर–9ई (126 मेगावाट)

कास्टिंग और फोर्जिंग

- क्रीप रेजिस्टेंट एलोय स्टील्स, स्टेनलेस स्टील और मिश्र धातु के अन्य ग्रेड्स के भारी कास्टिंग और फोर्जिंग जो सब क्रिटिकल, सुपरक्रिटिकल और अल्ट्रा–सुपर क्रिटिकल

प्रौद्योगिकी के लिए आवश्यक घटकों के कड़े अंतरराष्ट्रीय विनिर्देशों को पूरा करते हैं।

कंडेन्सर और हीट एक्सचेंजर्स

- सर्फेस कंडेन्सर:
  - 800 मेगावाट तक के थर्मल पावर प्लांटों के लिए
  - 700 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांटों (परमाणु ऊर्जा संयंत्रों) के लिए
  - 12.5 मेगावाट के समुद्री अनुप्रयोग
  - औद्योगिक कंडेंसर्स
  - रक्षा अनुप्रयोगों के लिए कंडेनसर
  - फ़ीड वॉटर हीटर (एचपी हीटर, एलपी हीटर, ड्रेन कूलर, डुप्लेक्स हीटर, डी–सुपर हीटर, आदि)
  - थर्मलः 7 से 500 मेगावाट (सब क्रिटिकल) और 300–800 मेगावाट (सिंगल स्ट्रीम के सुपर क्रिटिकल)
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों (236 मेगावाट, 500 मेगावाट और 700 मेगावाट परमाणु सेट) के लिए मोइश्चर सेप्रेटर और रीहीटर (एमएसआर) और अन्य फीड वॉटर हीटर।
  - नॉन–बीएचईएल सैटों के लिए रिपलेसमेंट फीड वाटर हिटर्स
- लाइव स्टीम रिहीटर (एलएसआर):
  - 500 मेगावाट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (एफबीआर) परमाणु सेट
- टर्बो और हाइड्रो जेनरेटर केलिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स:
- एयर कूलर (फ्रेम और ट्यूब प्रकार के)
- ऑयल कूलर (शेल और ट्यूब प्रकार और प्लग–इन प्रकार के)
- हाइड्रोजन कूलर (फ्रेम और ट्यूब प्रकार के)
- ट्रांसफॉर्मर के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स:
  - ऑयल कूलर (शेल और ट्यूब टाइप सिंगल ट्यूब या कंसेंट्रिक डबल ट्यूब टाइप) (फ्रेम और ट्यूब टाइप)
  - सामान्य अनुप्रयोगों के लिए सहायक हीट एक्सचेंजर्स
  - पानी – वाटर कूलर (शेल और ट्यूब प्रकार)
- गलैंड स्टीम कंडेन्सर्स
  - औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए 7 मेगावाट से 150 मेगावाट तक के
  - 500 मेगावाट तक के थर्मल प्लांट
  - 700 मेगावाट तक के परमाणु संयंत्र
- एफ़आर–9 ई तक के गैस टर्बाइन केलिए एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स और सभी रेटिंग्स के कंप्रेसर एप्लिकेशन/अनुप्रयोग
- 150 मेगावाट तक के कंडेनसर के लिए स्टीम जेट एयर इजेक्टर
- 7 मेगावाट से 800 मेगावॉट तक केडीए रेटर
- कंप्रेसर अनुप्रयोगों के लिए गैस कूलर
- ऑयल कूलर– 150 मेगावाट तक एसटीजी के लिए, एफआर 9ई तक के जीटीजी के लिए जनरेटर एयर कूलर 150 मेगावाट एसटीजी और जीटीजी 9 एफए तक के
- परमाणु प्राइमरी साइकिल (प्राथमिक चक्र) केलिए $डी_2$ओ और मॉडरेटर हीट एक्सचेंजर्स
- रिफाइनरी अनुप्रयोगों के लिए एयर कूल्ड हीट एक्सचेंजर्स
- रिफाइनरी अनुप्रयोगों के लिए हीट एक्सचेंजर्स

पम्पस

- 1000 मेगावाट क्षमता तक के विभिन्न यूटिलिटी बिजली संयंत्र अनुप्रयोगों के लिए पंप:
  - बॉयलर फीड पंप (मोटर या स्टीम टरबाइन चालित) और बॉयलर फीड बूस्टर पंप।
  - कंडनसैट एक्सट्रैक्सन पम्प ड्रिप पंपों सहित
  - सर्कुलेटिंग वॉटर पंप (जिन्हें कूलिंग वाटर पंप के नाम से भी जाना जाता है)
  - कंक्रीट वोल्यूट कूलिंग वाटर पंप
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के सेकंडरी साइड (माध्यमिक पक्ष) केलिए पम्पस

कंप्रेसर्स

- विभिन्न गैसों (वायु, CO_2, N_2, H_2, NH_3, प्राकृतिक गैस, वेट गैस, प्रोपलीन आदि) के लिए और रिफाइनरियों, उर्वरक, पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस, इस्पात, विद्युत और प्राकृतिक गैस परिवहन क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के लिए मल्टी स्टेज सैंटरीफ्यूगल कंप्रेसर्स, ड्राइवस सहित (स्टीम टर्बाइन, इलेक्ट्रिक मोटर और गैस टर्बाइन) और सहायक प्रणालियाँ 300000 घन मीटर प्रति घंटा की क्षमता वाली।
  - 40 बार तक के प्रेशर के लिए डिजाइन होरिजेंटली स्प्लिट टाइप
  - 350 बार तक के प्रेशर के लिए डिजाइन वर्टिकली स्प्लिट टाइप

सोलर फोटोवोल्टिक्स

- मोनो/मल्टी क्रिस्टालाइन सोलर सेल्स
- मोनो/मल्टी क्रिस्टालाइन पीवी मॉड्यूल (330 डबल्यूपी तक के)
- पावर कंडीशनिंग यूनिट (1.25 मेगावाट तक)
- ट्रैक्शन ग्रिड (0.85 मेगावाट) अनुप्रयोगों के लिए सिंगल फेज पावर कंडीशनिंग यूनिट
- आऊटडोर, ड्राई टाइप 1 एमवीए/25 केवी सिंगल फेज इनवर्टर ट्रांसफार्मर
- पावर ट्रांसफार्मर (15 एमवीए और इससेअधिक)
- पैसिव सोलर ट्रेकिंग सिस्टम
- स्पेस ग्रेड सोलर ट्रेकिंग पैनल्स

स्वचालन और नियंत्रण प्रणाली

- स्वचालन और नियंत्रण प्रणालियों के लिए
  - बॉयलर सुरक्षा सहित स्टीम जनरेटर/बॉयलर कंट्रोल्स
  - स्टीम टर्बाइन कंट्रोल्स
  - बॉयलर फीड पंप (बीएफ़पी) ड्राइव टर्बाइन कंट्रोल
  - स्टेशन कंट्रोल एवं इंस्ट्रूमेंटेशन/डीसीएस
  - ऑफसाइट/ऑफ बेस कंट्रोल्स/बैलेंस ऑफ प्लांट कंट्रोल्स
    - ऐश हैंडिलिंग प्लांट (एएचपी)
    - कोल हैंडिलिंग प्लांट (सीएचपी)
    - विद्युत संयंत्रों के जल प्रणालियाँ
    - मिल रिजेक्ट सिस्टम (एमआरएस)
    - कंडनसेट ऑन–लोड ट्यूब क्लिनिंग सिस्टम (सीओएलटीसीएस)
    - गैस बूस्टर कम्प्रेसर (जीबीसी)
    - कंडनसेट पोलिशिंग यूनिट (सीपीयू)
    - हीटिंग, वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी)
    - फ्यूल ऑयल अनलोडिंग सिस्टम (एफ़ओयूएस)
  - हाइड्रो पावर प्लांट कंट्रोल सिस्टम
  - गैस टर्बाइन कंट्रोल सिस्टम
  - परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्राइमरी साइकिल कंट्रोल सेंटर इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज (सीसीआईपी)
  - न्यूक्लियर पावर प्लांट टर्बाइन और सेकेंडरी साइकिल कंट्रोल सिस्टम
  - सोलर थर्मल पावर प्लांट के पावर ब्लॉक
  - इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन

- नॉन–स्टेशन ऑटोमेशन (एसएएस)
- नॉन–एफएसटी एचवीडीसी नियंत्रण पैनल
- रिफाइनरियों के लिए इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम (ईसीएस)
- पावर प्लांटों के लिए एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएस)
- एमवी/एलवी स्विच गियरों के लिए इलेक्ट्रिकल इंटरफेस सिस्टम

ट्रांसमिशन सिस्टम कंट्रोल

- ईएचवी और यूएचवी सब–स्टेशन/स्विचयार्ड एआईएस और जीआईएस दोनों प्रकार के जिनकी, रेंज 33kV से 765kV तक हैं।
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन सिस्टम
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम (एफएसीटीएस) सोल्यूशन
  - फ़िक्स्ड सिरीज़ कॉमपनसेशन (एफएससी)
  - स्टेटिक वीएआर कॉमपनसेशन (एसवीसी)
  - एसटीएटीसीओएम
  - कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर (सीएसआर)
  - फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉरमर (पीएसटी)
- एचवीडीसी और एफएसीटीएस केलिए कन्वर्टर वाल्व और कंट्रोल्स

सॉफ़्टवेयर सिस्टम समाधान

- मेरिट ऑर्डर रेटिंग
- थर्मल यूटिलिटीज के लिए निष्पादन विश्लेषण, निदान और अनुकूलन (पीएडीओ)
- निष्पादन गणना, अनुकूलन प्रणाली और रियल टाइम प्रफ़ोर्मेंस डाटा मॉनिटरिंग सिस्टम
- रिमोट मॉनिटरिंग एवं डायग्नोस्टिक सर्विसिस (आरएमडीएस)
- डीसीएस से थर्ड पार्टी सिस्टम में ओपीसी कनेक्टिविटी
- एंटरप्राइज एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (ईएएमएस)
- ऑपरेटर ट्रेनिंग सिमुलेटर

स्विचगीयर

- मध्यम वोल्टेज वैक्यूम स्विचगियर, इनडोर और आउटडोर अनुप्रयोगों के लिए, वोल्टेज रेटिंग 36 केवी के लिए और गैस इंसुलेटिड स्विचगीयर्स 420 केवी तक के।
- इनडोर स्विचगीयर
  - थर्मल, परमाणु, पनबिजली और कम्बाईंड साइकिल (संयुक्त चक्र) पावर प्लांट परियोजनाओं के लिए 12 केवी, 50 केए और 4000 एएमपी तक के
  - उद्योगों, सौर ऊर्जा संयंत्र और रिफाइनरियों के लिए 36 केवी, 31.5 केए, 2500 एएमपी तक के
- वितरण प्रणाली के लिए कॉम्पैक्ट स्विचगियर 12 केवी, 25 केए, 1250 एएमपी के
- आउटडोर वैक्यूम सर्किट ब्रेकर
  - डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 12केवी, 25केए, 125 एएमपी.
  - ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट के लिए 36केवी, 25केए, 2000 एएमपी.
  - ट्रैक साइड रेलवे अनुप्रयोगों के लिए 25केवी, 25केए, 1600 एएमपी.
- 12 केवी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आउटडोर पोल माउंटेड कैपेसिटर स्विच (ऑटोरिक्लोजर/सेक्शेनेलाइजर)
- गैस इंसुलेटिड स्विचगियर्स
- रिफाइनरी, शहरी क्षेत्र के लिए 36 केवी, 40केए, 1600 एएमपी.
- ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए 145केवी, 31.5केए, 2500 एएमपी.
- ट्रांसमिशन सेक्टर (हाइड्रो स्टेशन/मैट्रो) के लिए 420केवी, 40केए, 3150 एएमपी.
- एसएफ़6 सर्किट ब्रेकर्स (145केवी, 40केए, 3150 ए), (420केवी, 50केए, 4000 ए)

ऑन लोड टैप चेंजर्स (ओएलटीसी)

- पावर ट्रांसफार्मर, फर्नेस ट्रांसफार्मर, स्टेशन ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर आदि जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए ऑन लोड टैप चेंजर 765 केवी क्लास ट्रांसफार्मर और ऑफ सर्किट टैप स्विच 765 केवी क्लास ट्रांसफार्मर ।

एलटी स्विचगियर और बस डक्ट्स

- ऐसे यूटिलिटीज़ जिनके जनरेटर की पावर आउटपुट क्षमता 800 मेगावाट तक है उनके लिए अनुरूप उपकरणों सहित बस डक्ट्स।
- थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो, न्यूक्लियर, सीपीपी और स्टील उद्योग के लिए 415 वोल्ट एलटी स्विचगियर।

ट्रांसफार्मर्स और रिएक्टर्स

- 1200 केवी, वोल्टेज तक के लिए पावर ट्रांसफार्मर
- जनरेटर ट्रांसफार्मर (600 एमवीए, 420 केवी, 3 पीएच/400 एमवीए, 765 केवी, 1 पीएच/500 एमवीए, 420 केवी, 1 पीएच तक के)
- ऑटो ट्रांसफार्मर (1000 एमवीए, 400 केवी, 3 पीएच/600 एमवीए, 400 केवी, 1 पीएच/500 एमवीए, 765 केवी, 1 पीएच/1000 एमवीए, 1200 केवी, 1 पीएच तक के)
- एचवीडीसी ट्रांसमिशन केलिए कनवर्टर ट्रांसफॉर्मर/स्मूथिंग रिएक्टर (600 एमवीए, . 800 केवी तक के)/ (254 एमवीएआर, .500 केवी तक के)।
- शंट रिएक्टर (150 एमवीएआर, 420 केवी, 3 पीएच/110 एमवीएआर, 765 केवी, 1 पीएच) तक के।
- फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम अनुप्रयोगों के लिए कंट्रोल्ड शंट रिएक्टर्स (200 एमवीएआर, 420 केवी, 3 पीएच/200 एमवीएआर, 420 केवी, 1 पीएच/200 एमवीएआर, 765 केवी, 1 पीएच) तक के।
- ट्रांसमिशन लाइनों के लिए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफॉर्मर (500 एमवीए, 400 केवी, 3 पीएच तक के/ 500 एमवीए 400 केवी 1 पीएच तक के)
- इन्स्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स
- करंट ट्रांसफॉर्मर्स 400 केवी तक के
- इलेक्ट्रो–मैग्नेटिक वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स 220 केवी तक के
- कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर्स (33 केवी से1200 केवी)
- एचवीडीसी परियोजनाओं के लिए 24 केवी पीआर क्लास करंट ट्रांसफॉर्मर्स
- स्पेशल ट्रांसफॉर्मर्स
- रेक्टिफायर ट्रांसफॉर्मर (120 केए, 132 केवी तक के)
- फर्नेस ट्रांसफॉर्मर (33 केवी, 60 एमवीए तक के)
- ईएसपी ट्रांसफॉर्मर 95 केवीपी, 1600 एमए तक के
- स्मूथिंग रिएक्टर्स 3.3 एमएच, 2700 एएमपी. तक के
- ड्राई टाइप रिएक्टर्स 300 एमएच, 120 एएमपी. तक के
- डीसी चोक 0.5 एमएच, 4600 एएमपी. तक के
- ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर 15 एमवीए, 33केवी तक के
- पावर ट्रांसफॉर्मर्स के लिए कम्पोजिट मॉनिटरिंग सिस्टम

कैपेसिटर्स

- एच.टी. कैपेसिटर्स
  - पावर फैक्टर करेक्शन के लिए मोटर्स कैपेसिटर्स (3.3 से 11 केवी डेल्टा कनेक्टेड

कैपेसिटर्स बैंक)
- शंट, सीरीज और एसवीसी (स्टेटिक वीएआर कंपनसेशन), हार्मोनिक फिल्टर और एचवीडीसी अनुप्रयोग (3.3केवी से500 केवी, 1 पीएच/3 पीएच कैपेसिटर बैंक)

- सीवीटी के लिए कैपेसिटर डिवाइडर
- ट्रांसमिशन लाइन के लिए कपलिंग कैपेसिटर (33केवी से 800 केवी, 4400 पीएफ़ से 13200 पीएफ)
- जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षा के लिए सर्ज कैपेसिटर (11 केवी से 40 केवी)
- ट्रेक्शन लोकोमोटिव के लिए रूफ कैपेसिटर
  - 1200 केवी तक केसीवीटी केलिए कैपेसिटर डिवाइडर
  - 400 केवी तक केपीएलसीसी केलिए कपलिंग कैपेसिटर
  - फ्यूज–लेस कैपेसिटर

बुशिंग्स

- ट्रांसफॉर्मर अनुप्रयोगों के लिए ऑयल इम्परग्नेटेड पेपर (ओआईपी) कंडेनसर बुशिंग्स 52 से 525 केवी
- 25 केवी लोकोमोटिव बुशिंग्स

कंट्रोल गीयर

- उद्योगों/बिजली संयंत्रों में ईएसपी के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर
- डिजिटल स्टेटिक एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम (2000 ए, 400 वी डीसी के साथ रिडंडंट थाइरिस्टर स्टैक्स और डीसी फील्ड ब्रेकर)
- पीएलसी आधारित डिजिटल कंट्रोल्स सहित लार्ज करंट रेक्टिफायर्स
- ईएचवी ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए कंट्रोल और प्रोटेक्शन पैनल्स (400 केवी तक के)
- एससीएपी, थाइरिस्टर, आरएपीसीओएन और एसटीएटीसीओएन पैनल्स

इंसुलेटर्स

- पोर्सलेन इंसुलेटर्स
- स्वच्छ और प्रदूषित वायुमंडल के लिए एसी/डीसी अनुप्रयोगों हाई टेंशन पोर्सलेन डिस्क इंसुलेटर, इलेक्ट्रो–मैकेनिकल स्ट्रेंथ तक की रेंज 70 केएन से 420 केएन तक, 1200केवी एसी और 800केवी एचवीडीसी ट्रांसमिशन लाइन और सब–स्टेशनों तक के अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त।
- •ट्रांसफॉर्मर और एसएफ–6 सर्किट ब्रेकर्स के लिए 765 kV तक के होलो इंसुलेटर्स।
- •सबस्टेशन अनुप्रयोगों के लिए, बस पोस्ट और आईसोलेटर्स के लिए 400 केवी तक के सॉलिड कोर इंसुलेटर्स
- कम्पोजिट लॉन्ग रॉड इंसुलेटर्स
  - एचवीडीसी अनुप्रयोगों के लिए +/- 800 केवी, 420केएन तक के
  - एचवीएसी अनुप्रयोगों के लिए 765केवी, 210केएन तक के
  - भारतीय रेलवे के लिए ट्रैक्शन इंसुलेटर्स स्टे आर्म, ब्रैकेट और 9 टन इंसुलेटर्स।
- थर्मल पावर प्लांट और ऐश स्लरी अनुप्रयोगों के लिए सेरामिक लाइनिंग (सेरालीन) वीयर रेजिस्टेंट मैटेरियल।
- औद्योगिक और स्पेशल सेरामिक्स
  - बॉयलर ड्रम में वाटर लेवल मॉनिटरिंग के लिए प्रयोग होने वाले ईडबल्यूएलआई–इलेक्ट्रोनिक वाटर लेवल इंडिकेटर (बीएचईएल–विजन सिस्टम)
  - क्रिसमस ट्री वाल्व के लिए सिरेमिक और टंगस्टन कार्बाइड फ्लोबीन्स।
  - थर्मल पावर प्लांट में पल्वराइजिंग के लिए ग्राइंडिंग मीडिया

इलेक्ट्रिकल मशीन्स

- सुरक्षित क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मशीनें
  - स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – 150 किलोवाट से 22000 किलोवाट
  - स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर – 150 किलोवाट से 10000 किलोवाट
  - सिंक्रोनस मोटर – 1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट
  - वेरिएबल स्पीड मोटर – 150 किलोवाट से 22000 किलोवाट (स्क्वेरल केज मोटर)
  - वेरिएबल स्पीड मोटर – 1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट (सिंक्रोनस मोटर)
- हजार्डस (खतरनाक) क्षेत्र अनुप्रयोगों के लिए एसी मोटर (फ़िक्स्ड स्पीड या वीएफडी के साथ)
  - फ्लेम–प्रूफ स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर (150 किलोवाट से 1500 किलोवाट)
  - नॉन–स्पार्किंग स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर (150 किलोवाट स 4000 किलोवाट (मांग होने पर इससे भी उच्च क्षमता)
  - इंक्रीज्ड सेफ्टी स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – (150 किलोवाट से 4000 किलोवाट (मांग होने पर इससे भी उच्च क्षमता)
  - प्रेशराइज्ड स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर – (150 किलोवाट से 22000 किलोवाट)
  - प्रेशराइज्ड सिंक्रोनस मोटर – (1000 किलोवाट से 25000 किलोवाट)
- औद्योगिक अल्टरनेटर (स्टीम टरबाइन, गैस टरबाइन और डीजल इंजन चालित) (3000 केवीए से 25000 केवीए)
- परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के, प्राइमरी कूलेंट पंपों के लिए वर्टिकल मोटर
- मिनी/माइक्रो हाइड्रो प्लांट के लिए इंडक्शन जनरेटर (300 केवीए से 6000 केवीए)
- 2 पोल एयर कूल्ड स्टीम/गैस टर्बाइन चालित जनरेटर (3 मेगावाट से 160 मेगावाट)
- 4 पोल एयर कूल्ड स्टीम/गैस टर्बाइन चालित जनरेटर (3 मेगावाट से 0 मेगावाट)
- 2 पोल हाइड्रोजन कूल्ड स्टीम/गैस टर्बाइन चालित जनरेटर 36 मेगावाट से 70 मेगावाट तक के
- 5 मेगावॉट तक के स्थायी चुंबक आधारित जनरेटर।
- 270 मेगावाट तक के गैस टरबाइन जनरेटर
- 2 मेगावाट तक के सिंगल बीयरिंग वाले औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए अल्टरनेटर।

रेल परिवहन/ट्रांसपोर्टेशन

- परिवहन प्रणाली
- एसी इलेक्ट्रिक इंजन (6000 एचपी, 25 केवी एसी तक के)
- एसी–डीसी ड्यूल वोल्टेज इलेक्ट्रिक इंजन
- एसीईएमयू कोच
- मेट्रो कोच
- ट्रैक्शन प्रोपल्शन सिस्टमः
  - 9000 एचपी आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव
  - 6000 एचपी आईजीबीटी आधारित एसी लोकोमोटिव
  - 6000–एचपी लोकोमोटिव केलिए आईजीबीटी आधारित कम्पोजिट प्रोपल्शन सिस्टम
  - 3–फेज आईजीबीटी आधारित एसी इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट्स (ईएमयूएस)
  - वातानुकूलित एसीईएमयू
  - डीसी ड्राइव केलिए इलेक्ट्रिक एसीईएमयू
  - 16000 एचपी आईजीबीटी आधारित डीईएमयू

  - 3 फेज आईजीबीटी आधारित एमईएमयू
  - 16000 एचपी मल्टी–जनसेट लोकोमोटिव
- डबल्यूएजी–7 लोकोमोटिव के डीसी प्रोपल्सन सिस्टम (प्रणोदन प्रणाली) के लिए रीजनरेशन सिस्टम
- डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार
- डीजल–इलेक्ट्रिक शंटिंग लोकोमोटिव (1400 एचपी तक)
- बैटरी पावर्ड लोकोमोटिव
- ओएचई रिकॉर्डिंग–कम–टेस्ट कार
- बैटरी पावर्ड रोड व्हिकल्स
- डायनामिक ट्रैक स्टेबलाइजर्स
- रेल–कम–रोड व्हिकल

परिवहन उपकरण

- ट्रैक्शन कन्वर्टर और सहायक कनवर्टर
- वाहन नियंत्रण इलेक्ट्रॉनिक्स
- होटल लोड कनवर्टर
- ट्रैक्शन कन्वर्टर और होटल लोड कनवर्टर सहित कम्पोजिट कनवर्टर
- ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर
  - पारंपरिक इंजनोंकेलिए 5400 केवीए तक के
  - 3 फेज ड्राइव लोकोमोटिव के लिए 7775 केवीए तक के
  - परंपरागत एसी ईएमयू/एमईएमयूएस 1050 केवीए तक के
  - 3 फेज ईएमयू के लिए 1578 केवीए तक के
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए 3 फेज एसी ट्रैक्शन मोटर्स (1200 किलोवाट तक)
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए डीसी ट्रैक्शन मोटर्स (630 किलोवाट तक)
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए एसी ट्रैक्शन अल्टर्नेटर (3860 किलोवाट तक)
- डीसी ट्रैक्शन जेनरेटर 2000 किलोवाट तक
- डायनेमिक (गतिशील) ब्रेकिंग सिस्टम के लिए डीसी ब्लोअर मोटर्स (50 किलोवाट तक)
- सहायक आवश्यकताओं के लिए मोटर जनरेटर सैट (25 किलोवाट तक)
- लोकोमोटिव और ईएमयू के लिए ट्रैक्शन गियर्स और पीनियन
- वैगन (28 एक्शल (धुरी), 296 टन तक के)

डिफेंस और एयरोस्पेस

- नौसेना के जहाजों के लिए सुपर रैपिड गन माउंट (एसआरजीएम) 76/62 गन (बंदूक)
- नौसेना के जहाजों के लिए एकीकृत प्लेटफार्म प्रबंधन प्रणाली (आईपीएमएस)
- इंटीग्रेटेड ब्रिज सिस्टम (आईबीएस)
- स्टेटिक मैन मोटर जनरेटर (एसएमएमजी)
- कंट्रोल्स के साथ रोटरी मैन मोटर जनरेटर (आरएमएमजी)
- वाहनों, प्लेटफॉर्म, रडार, हथियारों, मिसाइलों के लिए ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) सिम्युलेटर और सभी **रक्षा और अर्ध–सैन्य बलों के लिए कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी)**
- टी –72 टैंक केलिए टरेट (बुर्ज) कास्टिंग
- जहाजों के लिए कास्टिंग और फोर्जिंग
- विभिन्न विमान प्लेटफार्मों के लिए कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर्स
- स्थायी चुंबक आवृत्ति (परमानेंट मैगनेट फ्रिक्वेंसी) कन्वर्टर्सड्राइव यूनिट केसाथ
- रिजर्व प्रोपल्शन मोटर ड्राइव यूनिट के साथ
- कॉम्पैक्ट ब्रशलेस अल्टरनेटर
- लॉन्च (प्रक्षेपण) वाहनों और उपग्रहों के लिए ईंधन टैंक और अन्य घटक
- प्रक्षेपण (लॉन्च) वाहनों और उपग्रहों के लिए स्पेस (अंतरिक्ष) ग्रेड बैटरी

एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और ई–मोबिलिटी

- इलेक्ट्रिक बस
- मोटर वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पावर ट्रेन
- इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर
- पॉवर कंडीशनिंग यूनिट (पीसीयू) और एससीएडीए (स्काडा) सहित बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम

ऑयल फील्ड उपकरण

- ऑयल रिग्स – 9,000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए ऑन–शॉर ड्रिलिंग रिग एसी–वीएफडी और एसी–एससीआर तकनीक के साथ, 6,100 मीटर की गहराई तक कार्य करने के लिए वर्क–ओवर रिग, 3,000 मीटर की गहराई तक ड्रिलिंग के लिए मोबाइल रिग्स। मैचिंग वाले ड्रॉ–वर्क्स और होस्टिंग उपकरणों सहित:
  - मास्ट और सब–स्ट्रक्चर
  - रोटेटिंग उपकरणः ड्रा वर्क्स, रोटरी, स्विवेल्स, ट्रेवलिंग ब्लॉक
  - इंडेपेंडेंट रोटरी ड्राइव यूनिट
  - पंपों सहित मड सिस्टम
  - बीएचईएल और गैर–बीएचईएल द्वारा निर्मित ऑयल रिग्स का नवीनीकरण और उन्नयन
  - 3–फेज ऑयल रिग मोटर 1150 एचपी तक के
  - डीसी ऑयल रिग मोटर 1000 एचपी तक (ड्रा वर्क्स, मड पंप, ड्रिलिंग)
  - ऑयल रिग अल्टर्नेटर्स 1750 केवीए तक के
  - ई 760, ई 1400, ई 2000 और ई 3000 रिग के लिए एसी/डीसी पावर कंट्रोल रूम
  - डीजी सेट्स के लिए 1430 केवीए तक का एसी पावर पैक
    - एसी कंट्रोल मॉड्यूल
    - डीसी कंट्रोल मॉड्यूल
  - ड्रिलर कंसोल 3 मड पंपों तक, आईआरडी और ड्रा–वर्क कंट्रोल और मॉनिटरिंग, लोड रेटिंग (0–1800 ए, 0–1000 वी)
  - मोबाइल लाइटनिंग टावर, रिग लाइटनिंग टावर
  - एसी रिग्स के लिए एसी–वीएफ़डी कंट्रोल्स
  - एसी एससीआर रिग्स में पावर फैक्टर सुधार के लिए स्टेटकॉम (एसटीएटीसीओएम)
- वैल हैड्स और क्रिसमस ट्री 10,000 पीएसआई तक के, मड लाइन सस्पेंशन, चोक और किल मैनिफोल्ड, सीबीएम वैल हैड्स, डीपीएसएम एच–मैनीफोल्ड असेंबली, मड वाल्व

फैब्रिकेटिड उपकरण और मैकेनिकल पैकेज

- क्रायोजेनिक एयर सेप्रेशन यूनिट (वायु पृथक्करण इकाइयाँ)
- क्रायोजेनिक स्टोरेज टैंक, माउंडेड स्टोरेज सिस्टम और स्टोरेज स्फेयर्स
- प्रेशर वेसल, कॉलम, रिएक्टर/सेपरेटर, हीट एक्सचेंजर्स
- फायर्ड हीटर
- पर्ज गैस रिकवरी यूनिट

शब्दावली और संक्षिप्तीकरण

एसीएस	ऑक्जेलरी कंट्रोल सिस्टम
एपीजीईएनको	आंध्र प्रदेश पावर जनरेशन कार्पोरेशन
एपीपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश पावर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
एएसएमई	अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स
एएसटीएम	अमेरिकन सोसायटी फॉर टेस्टिंग एंड मैटेरियल
बीपीसीएल	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
बीएसई	मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज
सी एंड आई	कंट्रोल एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन
सीईए	केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
सीएफबीसी	सर्कुलेटिंग फल्युडाइज्ड बैड कम्बस्टन
सीएलडब्ल्यू	चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स
सीपीएसई	केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम
सीएसआर	कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीबीसी	केंद्रीय सर्तकता आयुक्त
सीवीटी	कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर
डीडीयूजीजेवाई	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीईटीसी	डीजल इलेक्ट्रिकल टावर कार
डीईएमयू	डीजल इलेक्ट्रिकल मल्टीपल यूनिट
डीएचडीटी	डीजल हाईड्रोट्रीटिंग
डीएलडब्ल्यू	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
डीएमडब्ल्यू	डीजल लोको आधुनिकीकरण कार्यशाला
डीपीई	लोक उद्यम विभाग
डीएसआईआर	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
ईडी	कार्यपालक निदेशक
ईईपीसी	इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल
ईई आर एंड एम	ऊर्जा दक्ष नवीनीकरण और आधुनिकीकरण
ईएचवी	एक्ट्रा हाई वोल्टेज
ईएमयू	इलेक्ट्रिकल मल्टिपल यूनिट
ईपीसी	इंजीनियरिंग, विक्रय तथा निर्माण
ईएसपी	इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर
एफएसीटीएस	फलेक्सिसबल अल्टरनेटिगं करन्ट ट्रांसमिशन सिस्टम
एफ़एएमई	फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ;हाइब्रिडद्ध और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स
एफजीडी	फ्लू गैस डिसल्फुराइजेशन
जीआईएस	गैस इंसुलेटिड सबस्टेशन
जीटीजी	गैस टरबाईन जनरेटर
जीटीओ	गेट टर्म ऑफ थायरिस्टर
जीव्हीए	ग्रास वैल्यू एडिड
एचईपी	हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट
एचएफसीएल	हिंदुस्तान फर्टीलाईजर कार्पोरेशन लिमिटेड
एचपीटी	हाई प्रेशर टरबाईन
एचआरएसजी	हीट रिकवरी स्टीम जनरेटर
एचवीडीसी	हाई वोलटेज डायरेक्ट करेंट
एचवीओएफ	हाई विलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल
आईसीएफ	इंटेग्रल कोच फैक्ट्री
आईडी फेन	इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फेन
आईजीबीटी	इंसुलेटेड.गेट बाइपोलर ट्रांसिस्टर
आईजीसीएआर	इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र
आईओसीएल	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड
आईपीडीएस	इंटिग्रटिड पावर डेवलपमेंट स्कीम
आईपीएमएस	इंटिग्रेटिड प्लेटफार्म मेनेजमेंट सिस्टम
आईपीआर	बौद्धिक सम्पदा अधिकार
आईआर	इंडियन रेलवे
आईआरईपीएस	इंडियन रेलवे ई.प्रोक्योरमेंट सिस्टम
आईएसओ	अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन
इसरो	भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
केपीसीएल	कर्नाटक पावर कॉर्परेशन लिमिटेड
एलसीए	लाईट कॉम्बेट एयरक्राफ्ट
एलआईएस	लिफ्ट इरिगेशन स्कीम
एलपी टरबाईन	लो प्रेशर टरबाईन
एम एवं ए	मर्जर एवं अधिग्रहण
एमईआईएल	मेघा इंजीनियरिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड
एमईएमयू	मेनलाइन इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट
एमएचआई व पीई	भारी उद्योग व सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम मंत्रालय
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमआरओ	रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल
एमयू	मिलियन यूनिट्स
एनडीटी	नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग
एनईएमएमपी	राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन योजना
एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एनएसई	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज
एनएसपीसीएल	एनटपीसी.सेल पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
ओईएम	मूल उपकरण विनिर्माता
ओएचपीसी	ओडिशा हाईड्रो पावर कॉर्पोरेशन
ओएनजीसी	ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
ओटीसी	ओवर एण्ड काउंटर
पीसीएफसी	विदेशी मुद्रा में पैकिंग क्रेडिट ऋण
पीसीयू	पावर कंडीशनिंग यूनिट
पीजीसीआईएल	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड
पीएलएफ	प्लांट लोड फैक्टर
पीएलएम	उत्पाद जीवन चक्र प्रबंधन
पीपीए	पावर परचेज एग्रीमेंट
पीपीजीसीएल	प्रयागराज विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड
पीएसई	सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम
आर एंड डी	अनुसंधान एवं विकास
आर एंड एम	नवीकरण एवं आधुनिकीकरण
आरडीएसओ	अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन
आरएफ़क्यू	कोटेशन के लिए अनुरोध
आरएफ़पी	प्रस्ताव के लिए अनुरोध
आरएच	री.हीटर
आरपीसीएल	रायचूर पावर कंपनी लिमिटेड
आरयूपीपीएल	रिलायंस यूटिलिटी एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
एससीओपीई	स्टेंडिंग कॉफ्रेंस आफ पब्लिक एंटरप्राईजेज
एसआरआर	सेलेक्टिव केटालिस्टिक रिडक्शन
एसडी	सस्टनेबल डेवलपमेंट
सेबी	भारतीय प्रतिभूती एवं विनिमय बोर्ड
एसजी	स्टीम जनरेटर
एसएच	सुपर हीटर
एसएनसीआर	सिलेक्टिव नॉन कैटालिटक रिडक्शन
एसपीडीपी	स्क्रीन प्रोटेक्टेड ड्रिप प्रुफ
एसपीवी	सोलर फोटो वोल्टिक
एसआरजीएम	सुपर रैपिड गन माउंट
एसटीएटीसीओएम	स्टेटिक सिंक्रोनस कंपेनसेटर
एसटीपीपी	सुपर थर्मल पावर प्लांट
टीएएनजीईडीसीओ	तमिल नाडु जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन
टीबीसीबी	टैरिफ आधारित कॉम्पेटिटिव बिडिंग
टीसीएमएस	ट्रेन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट सिस्टम
टीईटीवी	टोटली एनक्लोज्ड ट्यब वेंटिलेटिड
टीईएफसी	टोटली एनक्लोज्ड फेन कूल्ड
टीजी	टरबाइन व जनरेटर
टीएचडीसीआईएल	टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड
टीपीएस	ताप विद्युत संयंत्र
टीएसजीएनको	तेलंगाना राज्य पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
यूएचवी	अल्ट्रा हाई वोल्टेज
यूएचवीएसी	अल्ट्रा हाई वोल्टेज एसी
यूपीआरवीयूएनएल	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम
वीसीयू	व्हीकल कंट्रोल यूनिट
वीएफडी	वैरियबल फ्रीक्वंसी ड्राईव
वीजीओ	वेक्यूम गैस ऑयल
डब्ल्यूजी	ब्राड गेज, एसी ट्रेक्शन, गुड्स ड्यूटी

शब्दावली (वित्तीय पारिभाषिक पद)

लेखांकन नीतियां: लेखांकन नीतियां विशिष्ट लेखांकन सिद्धांत एवं इनके अनुप्रयोग की विधियां है जिन्हें कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण तैयार करने व प्रस्तुत करने हेतु अपनाया गया है।

उपचय: वित्तीय विवरण व्यापारिक प्रणाली पर तैयारी किया गया है। संव्यवहार व अन्य घटनाओ के प्रभावों को उनके होने पर मान्यता दी जाती है व लेखांकन अभिलेखों में इनकी गणना की जाती है एवं संबंधित समयावधि के वित्तीय विवरण में इनका उल्लेख किया जाता है।

परिशोधन: एक अमूर्त परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि सुव्यवस्थित रूप से आबंटित करना परिशोधन है ।

तुलन पत्र: एक तुलन पत्र एक इकाई की वित्तीय स्थिति का विवरण है जो किसी समय विशेष पर परिसंपत्तियों, दायित्वों एवं स्वामी की ईक्विटी को दर्शाता है।

बोनस अंश: बोनस अंश एक शेयरधारक के स्वामित्व वाले अंशों के आधार पर, निर्बंध आरक्षित अंशों में वर्तमान शेयरधारक को बिना किसी अतिरिक्त लागत के प्रदत्त अतिरिक्त अंश है।

बही मूल्य: वह राशि जो लेखा बही अथवा वित्तीय विवरण में किसी मद के लिए दर्शाई गई है।

अंशों की पुनः खरीद: पुनः खरीद अंशों की पुनर्क्रय के रूप मे. भी जाना जाता है जब एक कंपनी खुले बाजार मे अपने अंशों की उपलब्धता कम करने हेतु उसके स्वयं के बकाया अंश क्रय करती है।

प्रयुक्त पूंजी की गणना इकाई की निवल संपत्ति से CWIP और आस्थगित कर परिसंपत्तियों को घटाकर की जाती है।

आरक्षित पूंजी: किसी इकाई की आरक्षित पूंजी वह है जो लाभांश के रूप मे वितरित की जाने हेतु उपलब्ध हो।

पूंजी मोचन आरक्षित निधि: कंपनी ने अपनी सामान्य आरक्षित निधि से इक्विटी अंशों के क्रय पर पूंजी मोचन आरक्षित निधि को मान्यता दी है। पूंजी मोचन आरक्षित निधि की राशि पुनः क्रय किए गए इक्विटी अंशों की राशि के तुल्य है।

नकदी व नकदी समतुल्य: नकद में नकद एवं मांग जमा राशियां सम्मिलित है। नकद समकक्ष अल्पकालिक, अत्यधिक तरल निवेश हैं जो सरलता से ज्ञात नकद राशि में परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के एक तुच्छ जोखिम के अधीन हैं।

अनुबंधित परिसंपत्तियां: अनुबंधित परिसंपत्तियां (आस्थिगित देनदार व अगण्य राजस्व) उन राशियों का प्रतिनिधित्व करता है जो ग्राहक के साथ अनुबंध शर्तों/तय कार्यक्रम पर सहमति के अनुसार अभी भुगतान हेतु देय नहीं है। यह अनुबंधतः संबंधित गतिविधियों/तय शुदा चरणों के पूरा होने पर देय होगा।

अनुबंध देयता: एक इकाई का दायित्व एक ग्राहक के लिए वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करना है जिसके लिए ग्राहक से इकाई को प्रतिफल (या राशि बकाया है) प्राप्त हो चुका है।

आकस्मिक देयताएं है:

(क) भूतपूर्व घटनाओं से उत्पन्न होने वाले संभावित दायित्व और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के होने या न होने से होगी, जो इकाई के पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं। अथवा

(ख) पूर्व घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान देयता जिसे मान्यता नहीं दी गई क्योंकि:

(1) यह संभाव्य नहीं है कि दायित्वों के निपटान हेतु आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले स्त्रोतों का बहिर्वाह आवश्यक होगा। अथवा

(2) देयताओं की राशि पर्याप्त विश्वसनीयता के साथ आंकलित कर पाना संभव नहीं है।

समेकित वित्तीय विवरण (सीएफएस): समेकित वित्तीय विवरण किसी समूह के वित्तीय विवरण होते हैं जिनमें किसी मूल कंपनी व उसकी सहायिकाओं के लिए परिसंपत्तियां, देयताएं, ईक्विटी, तरलता, आय, व्यय एवं नकद प्रवाह को एक आर्थिक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

ऋण जोखिम: जोखिम एक पार्टी का वित्तीय लिखित में अन्य पार्टी को देयताएं का निर्वहन में विफल होने के कारण होने वाली वित्तीय हानि है

चालू अनुपात: चालू अनुपात एक तरलता अनुपात है जो एक वर्ष के भीतर की देयताएं एवं अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान की योग्यता का आंकलन करता है। इसकी गणना वर्तमान परिसंपत्तियों को वर्तमान दायित्वों से विभाजित करके की जाती है।

वर्तमान परिसंपत्तियां: एक संपत्ति को वर्तमान परिसंपत्ति में वर्गीकृत किया जाता है जब:

1) संपत्ति को उसके सामान्य परिचालन चक्र में वास्विक माना जा सके, या विक्रय या उपभोग का प्रयोजन हो सके।

2) प्राथमिक तौर पर इसे व्यापारिक उपयोग हेतुरखा हो

3) सूचित समयकाल से 12 माह के भीतर इसे वास्तविक माने जाने की अपेक्षा की जाती है, अथवा

4) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जब तक कि परिसंपत्ति को परिर्तित किए जाने से प्रतिबंधित नहीं किया जाता है या रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए देयता का निपटान करने के लिए उपयोग किया जाता है।

वर्तमान देयताएं: एक दायित्व को वर्तमान दायित्वों में वर्गीकृत किया जाता है जब:

1) यह आपेक्षित हो कि दायित्व को उसके सामान्य परिचालन चक्र में ही निपटाया जाए।

2) प्राथमिक तौर पर इसे व्यापारिक उपयोग हेतु रखा हो

3) सूचित समयकाल से 12 माह के भीतर इसे वास्तविक माने जाने की अपेक्षा की जाती है, अथवा

4) इसे सूचित समयकाल से कम से कम 12 माह तक देयताओं के भुगतान को टालने का बिना शर्त अधिकार नहीं होगा।

वर्तमान कर व्ययः वर्तमान कर किसी अवधि के लिए कर योग्य लाभ (हानि) के संदर्भ में देय (वसूली योग्य) आयकर की राशि है

अस्थगित कर्जः अस्थिगित कर्ज वे कर्ज हैं जो अनुबंध शर्तों के अनुसार चिन्हित उपलब्धियों जैसे ट्रायल ऑपरेशन,पीजी टेस्ट इत्यादि पर देय बन जाऐंगे।

अस्थगित करः आस्थगित कर की गणना तुलन पत्र की तारीख को अधिनियमित या पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर कानूनों व दरों का उपयोग कर की जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तिः आस्थगित कर परिसंपत्ति कटौती योग्य अस्थाई अंतर, आगे अग्रेषित अप्रयुक्त कर हानि एवं आगे अग्रेषित अप्रयुक्त कर जमाओं के संदर्भ में भविष्य की अवधि में वसूली योग्य आयकर की राशियां हैं।

आस्थगित कर दायित्वः आस्थगित कर दायित्व कर योग्य अस्थाई अंतर के संदर्भ में देय आयकर की राशियाँ है।

पारिभाषित लाभ योजनाएं:

परिभाषित लाभ योजनाएँ परिभाषित अंशदान योजनाओं के अतिरिक्त रोजगारोपरांत लाभ योजनाएं है। परिभाषित अंशदान योजनाएँ ऐसी रोजगारोपरांत लाभ योजनाएं हैं। परिभाषित योगदान योजनाएं रोजगार के बाद की लाभ योजनाएं हैं, जिसके तहत एक इकाई एक अलग इकाई (एक फंड) में निश्चित योगदान का भुगतान करती है और इस पर आगे कोई योगदान देने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं, होगा यदि फंड वर्तमान और पूर्व की अवधि की कर्मचारी सेवा के लिए सभी कर्मचारी लाभों से संबंधित भुगतान करने के लिए पर्याप्त संपत्ति नहीं रखता है ।

प्रति अंश लाभांशः इसकी गणना वर्ष के लिए कुल लाभांश (लाभांश वितरण कर को हटा कर) को कुल बकाया ईक्विटी अंशों की संख्या से विभाजित कर जाती है।

मूल्यह्रासः मूल्यह्रास एक परिसंपत्ति के उपयोगी जीवनकाल पर मूल्यह्रास योग्य राशि के व्यवस्थित आबंटन है ।

लाभांश वितरण करः यह कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में किसी भी राशि के घोषित, वितरित अथवा भुगतान किए जाने पर कपनी द्वारा भुगतान किया गया अतिरिक्त आयकर है।

ईबीआईडीटीए से अर्थ है ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन के पूर्व अर्जित आय। परिचालन ईबीआईडीटीए का निर्धारण अन्य आय कोई बीआईडी टीए से घटा कर किया जाता है।

ईबीआईडीटीए सीमा (%) : लाभप्रदता निष्पादन अनुपात की गणना कर पूर्व आय, मूल्यह्रास एवं कर को टर्नओवर से विभाजित कर की जाती है।

प्रति अंश आय (EPS): यह वर्ष के दौरान प्रति अंश आय को दर्शाता है, जिसकी गणना कर अदायगी बाद लाभ को कुल बकाया ईक्विटी अंशों की संख्या से विभाजित कर की जाती है।

ईक्विटी पद्धतिः लेखांकन की ईक्विटी पद्धति का उपयोग किसी कंपनी के संयुक्त उद्यम में विनिवेश आकार के अनुपात में संयुक्त उद्यम से अर्जित कुल आय के निर्धारण हेतु किया जाता है। इक्विटी पद्धति लेखांकन की एक पद्धति जिसमें निवेश को पहले लागत पर मान्यता दी जाती है और उसके बाद निवेशक की कुल परिसंपत्तियों के अंश में अधिग्रहण के बाद परिवर्तन हेतु समायोजित किया जाता है।

अपेक्षित ऋण हानिः अनुबंध के अनुसार किसी इकाई को देय सभी अनुबंधित नकद प्रवाह और एक इकाई द्वारा प्रभावी मूल ब्याज दर पर प्राप्त, छूट लेने पर अपेक्षित नकदी प्रवाह का अंतर है।

उचित मूल्यः उचित मूल्य वह मूल्य है जो किसी परिसंपत्ति को बेचने पर प्राप्त किया जाएगा या माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक क्रमबद्ध लेन देन में देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

वित्तीय पट्टाः वित्तीय पट्टा एक प्रकार का पट्टा है जो सभी जोखिमों एवं आकस्मिक प्रतिफलों को वस्तुतः किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व में परिवर्तित करता है। स्वामित्वधिकार अंततः परिवर्तित हो सकता है और नहीं भी।

वित्तीय परिसंपत्तिः एक संपत्ति जो, अ) नकद हो, ब) इक्विटी उपस्कर या अन्य इकाई, स) किसी अन्य इकाई से नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्राप्त करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान करने का सं. विदात्मक अधिकार, द) एक अनुबंध जो किसी इकाई के स्वयं के ईक्विटी उपस्करों में तय होगा या हो सके।

वित्तीय दायित्वः कोई भी दायित्व जो, अ) किसी अन्य इकाई से नकद या अन्य वित्तीय संपत्ति प्रदान करने या किसी अन्य इकाई के साथ वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय देयता का आदान–प्रदान करने का संविदात्मक दायित्व, ब) एक अनुबंध जो किसी इकाई के स्वयं के ईक्विटी उपस्करों में तय होगा या हो सके।

वित्तीय लिखतः कोई भी अनुबंध जो किसी इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति एवं अन्य इकाई की वित्तीय दायित्व अथवा ईक्विटी उपस्कर को बढाएं।

वित्तीय गतिविधियांः ऐसी गतिविधियां जिनके कारण किसी इकाई के अंशदत्त इक्विटी और ऋणों के आकार व संयोजन में परिवर्तन

होते हैं।

सामान्य आरक्षित निधिः सामान्य आरक्षित निधि किसी कंपनी की संचित आय हैं जो भविष्य की आवश्यकताओं (ज्ञात या अज्ञात) की पूर्ति हेतु अलग से रख दी जाती है।

कार्यशील संस्थाः इसका अर्थ उस इकाई से है जिसका निकट भविष्य मे परिचालन बंद करने का कोई प्रयोजन न हो।

धारक/नियंत्रक कंपनीः ''धारक/ नियंत्रक कंपनी'', एक या अन्य अधिक कंपनियों के संबंध में''धारक/ नियंत्रक कंपनी''का अर्थ ऐसी कंपनी से है जिसकी ये कंपनियां सहायिका हैं।

इंपेरमेंट लॉसः इंपेरमेंट लॉस वह राशि है जो किसी संपत्ति अथवा नकदी निर्माता इकाई से उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है। किसी संपत्ति अथवा नकदी निर्माता इकाई की वसूली योग्य राशि निपटान की लागत कम करके उचित मूल्य और इसकी उपयोगी मूल्य में से जो अधिक हो वह राशि है।

भारतीय लेखांकन मानक (संक्षेप में भा एएस): भाएएस कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित विततीय विवरण तैयार करने के लिए प्रयुक्त लेखांकन मानक हैं ।

अमूर्त संपत्तिः अमूर्त संपत्ति अभिज्ञेय गैर–मौद्रिक अभौतिक वस्तु है।

दिनों की संख्या में इंवेंट्री : यह इंवेन्ट्री को टर्नओवर से विभाजित कर इसका गुणा वर्ष में दिनों की संख्या से कर ज्ञात किया जाता है।

संयुक्त उद्यमः एक संयुक्त उद्यम एक संयुक्त व्यवस्था है जिसके तहत व्यवस्था के संयुक्त नियंत्रण वाले संगठकों के पास व्यवस्था की निवल संपत्ति के अधिकार हैं।

तरलता जोखिमः वह जोखिम जो एक इकाई जब और जैसे अपेक्षित वित्तीय देयताओं से जुड़े दायित्वों के निवर्हन में अनुभव कर सकती है।

बाजार जोखिमः बाजार मूल्य में परिवर्तन के कारण किसी वित्तीय विलेख के उचित दाम और भावी नकद प्रवाह में होने वाले उतार–चढाव का जोखिम। बाजार जोखिम तीन प्रकार के होते हैः मुद्रा जोखिम, ब्याज दर जोखिम,और अन्य कीमत जोखिम

शुद्ध वसूली योग्य मूल्यः शुद्ध वसूली योग्य मूल्य व्यापार के सामान्य दौर में अनुमानित विक्रय मूल्य को अनुमानित पूर्णता की लागत व विक्रय के लिए आवश्यक अनुमानित लागत से घटा कर ज्ञात किया जाता है।

कुल मूल्यः किसी इकाई की निवल परिसंपत्तियो के बही मूल्य का इसकी देयताओं से अधिकता कुल मूल्य है। यह अंश धारकों की निधि के रूप में भी जाना जाता है।

प्रति अंश कुल कीमतः प्रति अंश कुल कीमत की गणना कुल मूल्य को बकाया ईक्विटी अंशों की संख्या से विभाजित कर किया जाता है।

अनियंत्रित ब्याज (एनसीआई): यह मूल कंपनी को सहायक होने वाली एक सहायिका के ईक्विटी स्वाममित्व का भाग है, जो

नियंत्रण ब्याज (50 प्रतिशत से अधिक परंतु 100 प्रतिशत से कम) वाली मूल कंपनी की सहायिका न होने योग्य एक सहायक कंपनी में इक्विटी स्वामित्व का भाग है, जो सहायिका के वित्तीय परिणामों को स्वयं के वित्तीय परिणामों के साथ समेकित करती है।

गैर चालू संपत्तियांः गैर चालू संपत्ति एक ऐसी संपत्ति है जो तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के भीतर अप्रतिबंधित नकदी में परिवर्तित नहीं होने वाली है।

गैर चालू देयताएंः गैर चालू देयताएं वे दायित्व है जो एक वर्ष के भीतर निपटान हेतु देय नहीं है।

परिचालन पट्टाः परिचालन पट्टा एक प्रकार का अनुंबंध है जो किसी संपत्ति के उपयोग को अनुमत करता है परन्तु उसके स्वामित्व का अधिकार नहीं प्रदान करता है। परिचालन पट्टा तुलन पत्र से बाहर किसी संपत्ति के वित्तपोषण का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें पट्टे की संपत्तियां और उससे जुड़ी भावी किराया भुगतान देयताओं को कंपनी के तुलन पत्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है।

अन्य व्यापक आयः (ओसीआई): अन्य व्यापक आय में वे आय और व्यय (पुर्नवर्गीकृत समायोजन को मिलाकर) सम्मिलित हैं जो अन्य भारतीय लेखा मानक के द्वारा लाभ या हानि के रूप में मान्य न करने हेतु आवश्यक हैं अथवा अनुमत की गई हैं।

परिचालन गतिविधियांः परिचालन गतिविधियां किसी इकाई की प्रमुख राजस्व उत्पादक गतिधियां है एवं अन्य गतिविधियां जो निवेश अथवा वित्त पोषण गतिविधियां नहीं है।

परिचालन लाभ सीमा (प्रतिशत): लाभप्रदता निष्पादन अनुपात का उपयोग कंपनी के द्वारा उसके परिचालनों से उत्पन्न लाभ का प्रतिशत की गणना हेतु किया जाता है। इसे करपूर्व लाभ, कर व अन्य आय (एमओयू के अनुसार) को परिचालनों से प्राप्त राजस्व को विभाजित कर परिकलित किया जाता है।

परिसंपत्ति, प्लांट व उपकरण (पीपीई): परिसंपत्ति, प्लांट व उपकरण (पीपीई) वे मूर्त मदें जोः

क) उत्पादन, माल अथवा सेवा की आपूर्ति, अन्य को किराए पर देने, अथवा प्रशासनिक उद्देश्यों के उपयोग हेतु रखी हो, और

ख) जिसे एक से अधिक अवधि के दौरान उपयोग किए जाने की अपेक्षा हो

लाभ सीमा (प्रतिशत): यह टर्नओवर से उत्पन्न प्रतिशत के रूप में लाभ के द्वारा दर्शाया जाता है, इसे कर पूर्व लाभ (पीबीटी) को टर्न ओवर से विभाजित कर परिकलित किया जाता है।

परिचालनों से राजस्वः एक इकाई की सामान्य गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होने वाली अवधि में आर्थिक लाभ का सकल प्रवाह इक्विटी में जो वृद्धि करते है, इक्विटी प्रतिभागियों से अंशदान से

संबंधित वृद्धि के अलावा।

शुद्ध मूल्य पर प्रतिफल (प्रतिशत): शुद्ध मूल्य पर वापसी किसी कंपनी की लाभप्रदता आंकलन का एक मापक है, जिसकी गणना शुद्ध लाभ को औसत शुद्ध मूल्य (ओसीआई को हटाकर) से विभाजित करके की जाती है।

सहायिका कंपनी: सहायिका कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसका स्वामित्व व नियंत्रण किसी अन्य कंपनी के द्वारा किया जाता है, जो कि मूल कंपनी या धारक कंपनी कहलाती है।

कुल व्यापार प्राप्य: प्राप्य राशियां एक इकाई के लिए विचाणीय है जो कि बिना शर्त है। विचार किए जाने का अधिकार बिना शर्त के है यदि केवल उस विचार के देय भुगतान के पूर्व समय का व्यतीत होना आवश्यक है।

दिनों के आधार पर व्यापार प्राप्तः इसे व्यापारिक प्राप्तियों को परिचालन राजस्व (जीएसटी सहित) से विभाजित कर वर्ष में दिनों की संख्या से गुणा करके परिकलित किया जाता है।

प्रति कर्मचारी टर्नओवर: यह वर्ष के दौरान प्रति कर्मचारी अर्जित किया गया टर्नओवर है, इसे टर्नओवर को कुल कर्मचारियों की संख्या से विभाजित कर परिकलित किया जाता है।

मूल्यांकन समायोजन: लंबी अवधि के निर्माण अनुबंधों में, राजस्व को पूर्णता पद्धति के प्रतिशत पर मान्यता प्राप्त है, हालांकि बिलिंग ग्राहक के साथ सहमत बीबीयू (बिलिंग ब्रेकअप) के अनुसार की जाती है। टर्नओवर और बिलिंग के बीच अंतर को मूल्यांकन समायोजन के रूप में मान्यता दी जाती है।

कार्यशील पूंजी: किसी संस्था के दिन–प्रतिदिन के संचालन के लिए उपलब्ध धन। इसके अलावा यह वर्तमान देनदारियों से अधिक वर्तमान परिसंपत्तियों की अधिकता का प्रतिनिधित्व करता है।

सजगतापूर्ण विवरण

वार्षिक रिपोर्ट में विवरण, कंपनी के उद्देश्य, अपेक्षा या अनुमानों का वर्णन करते हुए लागू कानूनों और विनियमों के अर्थ में देखते हैं। वास्तविक परिणाम आर्थिक विकास, सरकार की नीतियों और अन्य आकस्मिक कारकों के आधार पर व्यक्त या निहित से भिन्न हो सकते हैं।

भारत हेवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड

(सीआईएनः L74899DL1964GOI004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल, हाउस, सीरी फार्ट, नई दिल्ली –110049
फोन– 011–66337000, फैक्सः 011–66337428
बेवसाईटः www.bhel.com, ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारत हेवी इलेट्रिकल्स लिमिटेड के सदस्यों की 56वीं वार्षिक आम सभा 28 सितम्बर, 2020 प्रातः 10 बजे वीडियो/अन्य ऑडियो विजुअल (वीसी) माध्यमों से निम्नालिखित कार्य निष्पादन हेतु आयोजित की जाएगी।

सामान्य कार्य

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षा किए हुये एकल एवं समेकित विवरणों के साथ निदेशक रिपोर्ट व उस पर लेखापरीक्षा की रिपोर्ट को प्राप्त, विचार एवं स्वीकृत करना।

2. श्री मनोज वर्मा (डीआईएनः 08308714) के स्थापन पर एक निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्ति हो रहें है और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दे रहें है।

3. श्री कमलेश दास (डीआईएनः 08376769) के स्थापन पर एक निदेशक नियुक्त करना जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहें है और पात्र होने पर स्वयं की पुनः नियुक्ति हेतु प्रस्ताव दे रहें है।

4. वर्ष 2020–21 के लिए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक तय करने हेतु निदेशक मण्डल को प्राधिकृत करना।

विशेष कार्य

5. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के प्रावधानों तथा अन्य लागू प्रावधानों एवं कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) अधिनियम 2014 (किसी भी संवैधानिक सुधारों तथा इसके पुनः प्रवर्तन सहित वर्तमान में लागू) के अनुपालन में निदेशक मण्डल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों को 31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष में कंपनी के व्ययों का लेखापरीक्षा करने हेतु पारिश्रमिक दिया जाएगा, जैसा कि इस बैठक की सूचना के साथ विवरण संलग्न किया गया है और कंपनी के शेयर होल्डर द्वारा इसकी पुष्टि की गई है।"

   "यह भी संकल्प किया जाता है कि कंपनी के निदेशक मंडल को एतद द्वारा इस तरह के सभी कार्यों को करने एवं ऐसे सभी उपाय अपनाने हेतु प्राधिकृत किया जाता है, जो इस संकल्प को प्रभाव में लाने हेतु आवश्यक, उचित या प्रभावी हो सकते हैं।"

6. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   यह संकल्प किया जाता है कि श्री शशांक प्रिय (डीआईएनः 08538400) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 व 161 (1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार दिनांक 04.10.2019 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखित सूचना प्राप्त हुई है, को एतद्द्वारा द्वितीय कार्यकाल हेतु कंपनी का स्वतंत्र निदेशक पुनः नियुक्त किया जाता है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।

7. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "यह संकल्प किया जाता है कि श्री अनिल कपूर (डीआईएनः 08587329) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161(1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार दिनांक 15.10.2019 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखित सूचना प्राप्त हुई है, को एतद् द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।"

8. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करनाः

   "यह संकल्प किया जाता है कि श्री राज कमल बिंदल (डीआईएनः 07423392) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 149 व 161 (1) के साथ पाठित अनुच्छेद 67(iv) के अनुसार दिनांक 31.01.2020 से इस वर्ष की आम सभा होने

तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखित सूचना प्राप्त हुई है, को एतद् द्वारा कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है।"

9. सामान्य संकल्प के रूप में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना एवं उचित समझे जाने पर संशोधन सहित अथवा रहित उसे पारित करना:

"यह संकल्प किया जाता है कि श्री मनीष कपूर (डीआईएन: 02405818) जिन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 161(1) के साथ पठित अनुच्छेद 67 (iv) के अनुसार दिनांक 31.01.2020 से इस वर्ष की आम सभा होने तक अपर निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और जिनके संबंध में कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 (1) के अनुसरण में स्वयं निदेशक की लिखित सूचना प्राप्त हुई है, को एतद् द्वारा कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जो चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होंगे।"

निदेशक मण्डल के आदेश से

(राजीव कालड़ा)

कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक: 28.08.2020

टिप्पणियाँ:–

1. वर्तमान कोविड–19 महामारी को देखते हुए, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने दिनांक 08.05.2020 और 13.04.2020 के साथ पठित परिपत्र दिनांक 05.05.2020 (समग्र रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/अन्य ऑडियो विजुअल (वीसी) माध्यमों से वार्षिक आम सभा का आयोजन करने की अनुमति दी है। एमसीए परिपत्रों के, कंपनी अधिनियम, 2013 और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (सेबी लिस्टिंग विनियम), के प्रावधानों के अनुरूप कंपनी की वार्षिक आम सभा वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है। वार्षिक आम सभा का आयोजन स्थल कंपनी का पंजीकृत कार्यालय माना जाएगा।

2. एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्र दिनांक 12.05.2020 के अनुपालन में, वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 सहित वार्षिक आम सभा की सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन्हीं सदस्यों को भेजी जा रही है, जिनके ईमेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं। सदस्य ध्यान दें कि सूचना और वार्षिक रिपोर्ट 2019–20 कंपनी (www.bhel.com), बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com), नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) की वेबसाइटों और कंपनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट, के. फिन टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड की वेबसाईट https://evoting.karvy.com पर भी उपलब्ध होगी।

3. कंपनी से सभी सूचनाएँ (सूचना, वार्षिक रिपोर्ट तथा यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के साथ ई–वोटिंग निर्देश) इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्राप्त करने के लिए:

i) सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग निर्देशों की प्राप्ति हेतु ई–मेल पते के अस्थायी पंजीकरण हेतु:

अ) लिंक https://ris@kfintech.com/email_registration/ पर जाएं।

आ) कंपनी का नाम अर्थात भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को सिलेक्ट करें।

इ) डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी (यदि शेयर को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाता है)/भौतिक फोलियो नं. (यदि शेयरों को भौतिक रूप में रखा जाता है) एंटर करें।

ई) यदि पैन का विवरण सिस्टम में उपलब्ध नहीं है, तो सिस्टम रिकॉर्डों को अद्यतन करने के लिए पैन कार्ड की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि अपलोड करने के लिए प्रेरित करेगा।

ए) यदि शेयर भौतिक रूप में रखे जाते हैं और पैन रिकॉर्डों में उपलब्ध नहीं है, तो कृपया धारित शेयरों के संदर्भ में किसी एक शेयर प्रमाणपत्र सं. को एंटर करें।

ऐ) ई–मेल पता एवं मोबाइल नंबर एंटर करें। सिस्टम डीपीआईडी–क्लाइंट आईडी/भौतिक फॉलियो नंबर तथा पैन/प्रमाण पत्र सं., जैसी भी स्थिति हो, की प्रामाणिकता की जांच करेगा और वैधता के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर के साथ–साथ ई–मेल पते पर भी ओटीपी भेजेगा।

ओ) वैधता प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एसएमएस एवं ई–मेल द्वारा प्राप्त किए गए ओटीपी को एंटर करें। कृपया ध्यान दें कि ओटीपी सिर्फ 5 मिनट के लिए वैध रहेगा।

औ) कंपनी अपने रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट, केफिनटेक के माध्यम से दिए गए ई–मेल पते पर यूज़र आईडी एवं पासवर्ड के साथ सूचना, वार्षिक रिपोर्ट एवं ई–वोटिंग निर्देशों को प्रेषित करेगी।

ii) अपने ई–मेल पते को कंपनी में स्थायी रूप से दर्ज/अपडेट कराने तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप से सभी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए:

क. भौतिक मोड के शेयर धारक सदस्य अपने ई–मेल पते को पंजीकृत कराने हेतु केफिनटेक को सक्षम बनाने के लिए प्रथम शेयरधारक (ई–मेल पता एवं मोबाइल नंबर दर्शाते हुए) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र की स्कैन की हुई प्रतिलिपि, पैन की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि एवं शेयर प्रमाणपत्र की प्रतिलिपि के साथ shareholderquery@bhel.in या madhusudhan.ms@kfintech.com/einward.ris@kfintech.com को ई–मेल अनुरोध प्रेषित करें।

ख. अभौतिक मोड के शेयर धारक सदस्यों से अनुरोध हैं कि अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपने ई–मेल पते को पंजीकृत/अद्यतन कर लें।

अ) भौतिक मोड के शेयर धारक सदस्य जिन्होंने कंपनी में अपना ईमेल पता पंजीकृत/अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है इसके पंजीकृत/अद्यतन के लिए shareholderquery@bhel.in या कंपनी के रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स के.फिन टेक्नालॉजी प्राईवेट लिमिटेड के madhusudhan.ms@kfintech.com/einward.ris@kfintech.com को अपने फोलियो नंबर विवरण के साथ पैन कार्ड की एक स्व–सत्यापित प्रति संलग्न करके ईमेल लिखें।

आ) अभौतिक मोड के शेयर धारक सदस्यों से अनुरोध है की संगत डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ अपना ईमेल पंजीकृत/अद्यतन कर लें।

4. कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने, सदस्य अपनी ओर से उपस्थित होने और उसके स्थान पर मतदान करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का पात्र होता है और प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि यह वार्षिक आम सभा एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में वीसी के माध्यम से आयोजित की जा रही है, सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, वार्षिक आम सभा के लिए सदस्यों को प्रतिनिधि की नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए प्रतिनिधि फॉर्म और उपस्थिति सूची इस सूचना के साथ अनुलग्नित नहीं हैं।

5. चूंकि यह वार्षिक आम सभा वीसी के माध्यम से आयोजित की जाएगी, बैठक स्थल का मानचित्र भी इसके साथ अनुलग्नित नहीं हैं।

6. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अनुसार वीसी के माध्यम से सदस्यों की उपस्थिति वार्षिक आम सभा की गणपूर्ति (कोरम) के प्रयोजन हेतु मान्य की जाएगी।

7. कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्यों (अर्थात व्यक्तियों, अविभाजित हिन्दू परिवार, एनआरआई, आदि के अतिरिक्त) को अधिकृत प्रतिनिधि (ओं) के विधिवत सत्यापित नमूना हस्ताक्षर (ओं) सहित बोर्ड के रिज़ॉल्यूशन/अथॉरिटी लेटर आदि की स्कैन की हुई प्रमाणित सत्य प्रति (पीडीएफ फाइल) स्क्रूटिनीज़र का ssachin@companylawworld.com पर भेजना और evoting@karvy.com को कॉपी करना आवश्यक है।

8. संस्थागत निवेशकों की श्रेणी के कंपनी के सदस्यों को वार्षिक आम सभा में उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

9. उपरोक्त वर्णित विशेष कार्यों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुपालन में प्रासंगिक व्याख्यात्मक विवरण भी इसके साथ अनुलग्नित है।

10. श्री मनोज कुमार वर्मा और श्री कमलेश दास, निदेशक, चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त होते हैं और पात्र होने पर स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। हालांकि, उनकी नियुक्ति शर्तों के अनुसार, कंपनी के निदेशक के रूप में श्री मनोज कुमार वर्मा और कमलेश दास का कार्यकाल उनकी सेवानिवृत्ति पर क्रमशः 31.01.2021 और 31.07.2021 को समाप्त होगा। पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तावित प्रत्येक निदेशक का संक्षिप्त जीवन वृत सूचना के अनुलग्नक में दिया गया है।

11. कोविड–19 और असाधारण परिस्थितियों के कारण, निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए अंतिम लाभांश की अनुशंसा नहीं की है।

12. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 124 के अनुपालन में 7 वर्षों की अवधि तक अदत्त/अदावाकृत लाभांश राशि को केन्द्र सरकार द्वारा गठित "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" में अंतरित

करना अपेक्षित है। तदनुसार, वित्ती य वर्ष 2012–13 के लिए अंतिम लाभांश एवं वित्तीतय वर्ष 2013–14 के अंतरिम लाभांश, जो अदावाकृत रहता है, को उक्त खाते में क्रमशः दिनांक 21.10.2020 तथा 11.03.2021 को अंतरित किया जाना प्रस्ता वित है।

सदस्य, जिन्होंने दिनांक 31.03.2013 को समाप्त अथवा उसके बाद किसी वित्तीय वर्ष (वर्षों) के लिए अभी तक अपने अंतिम लाभांश का दावा/ नकदीकरण नहीं किया है, निर्दिष्ट 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व उसके भुगतान प्राप्त करने हेतु कंपनी से संपर्क कर सकते हैं।

13. सेबी लिस्टिंग विनियमों के अनुपालन में, सभी सूचीबद्ध कंपनियां लाभांश भुगतान के लिए आरबीआई द्वारा अनुमोदित भुगतान सुविधा जैसे कि ईसीएस / एनईसीएस / डायरेक्ट क्रेडिट आदि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग करेंगी। सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे अपना नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस/इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विस (एनईसीएस) अधिकार पत्र हेतु विधिवत भरा हुआ व हस्तांक्षरित फार्म (वार्षिक रिपोर्ट में अन्यत्र दिया गया) जमा करें ताकि कंपनी द्वारा ईसीएस के माध्यम से धनराशि खातों में जमा की जा सके।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि वे पता और एनईसीएस/ईसीएस विवरण सहित अन्य संबंधित पत्राचार में किसी भी परिवर्तन को तत्काल सूचित करें और स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करें: –

i. अपने इलेक्ट्रोनिक शेयर खातों के संबंध में अपने डिपोसिट्री भागीदार (डीपी) को, और (ii) अपने वास्त्विक शेयर के संदर्भ, यदि कोई हो तो, के लाभांश वारंट की त्वरित और सुरक्षित प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए अपनी फोलियो संख्या, बैंक का नाम और खाता संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट मैसर्स कार्वी फिनटेक प्राइवेट लि. (कार्वी सिलेनियम टॉवर, बी. प्लाट 31–32, गांचीबाउली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500032) को भेजें।

15. सदस्य कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 72 के अनुरूप ऐसे किसी व्यक्ति को मनोनीत करते हुए नामांकन की सुविधा का लाभ लेसकते हैं जिन्हें, उनकी मृत्यु की दशा में, कंपनी में उनके शेयर विहित होंगे।

16. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 (1) के साथ पठित धारा 139 (5) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किसी सरकारी कंपनी के लेखा परीक्षक नियुक्त किए जाते है और उनका पारिश्रमिक वार्षिक आम बैठक में कंपनी द्वारा नियत किया जाता है। शेयर धारक मण्डल को 2020–21 के लेखापरीक्षकों का उपयुक्त पारिश्रमिक जो मण्डल द्वारा उचित समझा जाए, नियत करने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत कर सकते है।

17. वार्षिक आम सभा के दौरान सदस्यों द्वारा निरीक्षण के लिए निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों एवं इनकी शेयर धारिता का रजिस्टर अधिनियम की धारा 170 के अंतर्गत, अनुबंधों या व्यवस्थाओं, जिसमें निदेशक रुचि रखते हैं का रजिस्टर अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत बनाया गया है, और सूचना में संदर्भित प्रासंगिक दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध होंगे। नोटिस में उल्लिखित सभी दस्तावेज इस नोटिस के जारी होने की दिनांक से वार्षिक आम सभा की दिनांक तक सदस्यों द्वारा निःशुल्क निरीक्षण हेतु इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध होंगे। इन दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य shareholderquery@bhel.in पर ईमेल भेज सकते हैं।

18. वार्षिक आम सभा में रखे जाने किसी विषय या खातों के संबंध में कोई भी जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे कंपनी को शुक्रवार, 18 सितंबर, 2020 तक या इससे पूर्व ईमेल shareholderquery@bhel.in के माध्यम से लिखें। इसका उत्तर कंपनी द्वारा उपयुक्त रूप से दिया जाएगा।

19. कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 की धारा 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा सूचीयन विनियम के उपबंध 44 के अनुसरण में कंपनी को अपने सदस्यों को वार्षिक आम सभा में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित संकल्पों के लिए अपने मताधिकर का प्रयोग इलक्ट्रोनिक विधि से करने की सुविधा मैसेर्स के.फिन टेक्नोलोजीस प्राईवेट लिमिटेड के माध्यम से उपलब्ध करवा रही है। जिन सदस्यों के नाम सोमवार, 21 सितंबर, 2020 (अंतिम तिथि) को सदस्यों के रजिस्टर/लाभार्थी स्वामियों की सूची में है, वे ई–वोटिंग/एजीएम में मतदान करने हेतु पात्र होंगे और ऐसे व्यक्ति जो अंतिम तिथि को सदस्यं नहीं है वे इस सूचना को केवल जानकारी के उद्देश्यु से लें। ई–वोटिंग का समयावधि बृहस्पतिवार, 24 सितम्बर, 2020, प्रातः 09.00 से आरंभ होगी और रविवार, 27 सितम्बर, 2020 सायं 05.00 बजे समाप्त होगी। ई–वोटिंग मॉड्यूल 27 सितंबर, 2020 को सायं 05.00 बजे बंद हो जाएगा। शेयरधारक द्वारा किसी संकल्प पर एक बार मतदान किए जाने के उपरांत, बाद में शेयरधारक को इसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी। शेयरधारकों को मतदान का अधिकार अंतिम तिथि 12 सितंबर, 2019 की स्थिति के अनुरूप कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी में उनके अंश के समानुपात में होगा।

20. जिन सदस्यों ने वार्षिक आम सभा से पहले दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी वीडियो–कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन पुनः अपना वोट डालने के पात्र नहीं होंगे।

21. इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली के माध्यम से मतदान (तात्क्षणिक मतदान) करने की सुविधा वार्षिक आम सभा में उपलब्ध कराई जाएगी और सुविधा वार्षिक आम सभा में भाग लेने वाले सदस्य जिन्होंने ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है, वे तात्क्षणिक मतदान के माध्यम से बैठक में मतदान कर सकेंगे।

22. कंपनी ने मेसर्स अग्रवाल एस एंड एसोसिएट कंपनी के सचिव श्री सचिन अग्रवाल जोकि एक पेशेवर कंपनी सचिव हैं, को दूरस्थ ई–वोटिंग और तात्क्षणिक मतदान में निष्पक्ष तथा पारदर्शिता मतदान प्रक्रिया की जांच करने हेतु संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है। संवीक्षक वार्षिक आम सभा में मतदान के समापन के तुरंत बाद, बैठक (तात्क्षणिक मतदान) में डाले गए मत और दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से डाले गए मत को समेकित करके पक्ष या विपक्ष, यदि कोई हो तो, में डाले गए कुल मतों पर संवीक्षक रिपोर्ट बनाएगा और अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। बैठक के समापन के 48 घंटों के भीतर अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित किसी व्यक्ति द्वारा संवीक्षक रिपोर्ट सहित परिणाम घोषित किया जाएगा और यह परिणाम कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और ई–वोटिंग एजेंसी की वेबसाइट (https://evoting.karvy.com) पर उपलब्ध होगा। परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद परिणाम स्टॉक एक्सचेंजों को भी तत्काल अग्रेषित कर दिए जाएंगे।

23. वीसी के माध्यम से वार्षिक आम सभा में शामिल होने, दूरस्थ ई–वोटिंग एवं बैठक में (तात्क्षणिक मतदान) की प्रक्रिया के साथ इससे संबन्धित शिकायतों की सुनवाई के लिए संपर्क विवरण सूचना के साथ अनुलग्नित निर्देशों में उपलब्ध कराये गए हैं।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 28.08.2020

सूचना का अनुलग्नक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुपालन में व्याख्यात्मक विवरण

मद क्रमांक 5 से 9 में उल्लिखित निम्नलिखित व्याख्यात्मक विवरणों को संलग्न सूचना दिनांक 28.08.2020 के मुख्य कार्यों से संबन्धित मूर्त तथ्य के रूप में निर्धारित किया गया है:

मद क्रमांक 5

कंपनी (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 के अनुसार निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित एवं उसके बाद सदस्यों द्वारा पुष्टि किया जानेवाला पारिश्रमिक दिया जाना आवश्यक है।

लेखा परीक्षा समिति की अनुशंसा के आधार पर निदेशक मंडल की 28.08.2020 को आयोजित बैठक में 7 कम लागत लेखापालों/फर्मोकेनामोंकी नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई है जिनका कुल पारिश्रमिक 15.01 लाख रुपये इस प्रकार से है:–

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	लागत लेखा परीक्षक का नाम	इकाई	वित्त वर्ष 2020–21 के लिए पारिश्रमिक
1	मैसर्स सोमी एंड बनर्जी, दिल्ली (मुख्य लागत परीक्षक)	अंकेक्षण रिपोर्ट का समेकन	0.96
		झांसी	0.77
		एचईआरपी वाराणसी	0.38
		भोपाल	1.91
2	मैसर्स आर. जे. गोयल एंड कंपनी, दिल्ली	एचईईपी हरिद्वार	1.91
		सीएफएफपी हरिद्वार	0.38
3	मैसर्स केआरजे एंड एसोशिएट्स, हैदराबाद	हैदराबाद	1.91
4	मैसर्स एम. कृष्णा स्वामी एंड एसोशिएट्स, चेन्नई	त्रिची	2.54
		बीएपी रानीपेट	1.27
5	मैसर्स जे.एच. एंड एसोशिएट्स, बैंगलुरु	ईपीडी बैंगलुरु	0.5
		ईडीएन बैंगलुरु	0.64
6	मैसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोशिएट्स, लखनऊ	आईवीपी गोंइदवाल	0.38
		एफएसआईपी जगदीशपुर	0.58
		सीएफपी रुद्रपुर	0.38
7	मैसर्स उपालापति एंड एसोशिएट्स, विशाखापट्टनम	एचपीवीपी विशाखापट्टनम	0.5
		Total	15.01

तदनुसार सदस्यों से अनुरोध है कि 31 मार्च, 2020 की वर्षांत वित्त वर्ष के लिए लागत लेखा परीक्षकों को भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी या उनक रिश्तेदार किसी प्रकार से मद क्रमांक 6 में पारित संकल्प से वित्तीय या अन्यथा प्रकार से संबंधित नहीं हैं और न इसमें उनकी कोई रूचि है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के द्वारा अनुमोदित करने हेतु संकल्प की अनुशंसा की है।

नोट: लागत लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक के संबंध में आवश्यक विवरण वित्त वर्ष 2020–21 के लिए लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के प्रस्ताव के अनुमोदन में सम्मिलित किया जाएगा, निदेशक मण्डल के अनुमोदन हेतु पृथक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है।

मद संख्या 6

श्री शशांक प्रिय (डीआईएन 08538400), आयु 54 वर्ष को बीएचईएल के निदेशक मण्डल में 4 अक्टूबर, 2019 को अंशकालिक आधिकारिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री शशांक प्रिय भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और जीएसटी) 1988 बैच के सिविल सेवक हैं। वे वर्तमान में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव व वित्त सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं।

इनके पास अप्रत्यक्ष कर और विश्व व्यापार संगठन से संबंधित विषयों में कार्य करने का 30 से अधिक वर्षों का अनुभव है। इन्होंने जीएसटी से संबंधित विषयों पर विभिन्न पदों जैसे संयुक्त सचिव, जीएसटी परिषद; अतिरिक्त महानिदेशक (जीएसटी) और आयुक्त, जीएसटी में काम किया है।

इनके पास विश्व व्यापार संगठन के विषयों पर काम करने का एक दशक का अनुभव है। इन्होंने विश्व व्यापार संगठन के अध्ययन केंद्र भारतीय विदेश व्यापार संस्थान में प्रोफेसर के रूप में पांच वर्ष तक काम किया और विश्व व्यापार संगठन और व्यापार सरलीकरण से संबंधित विषयों में व्यापक स्तर पर कार्य किया है। उन्होंने वाणिज्य विभाग के व्यापार नीति प्रभाग में उप सचिव/निदेशक के रूप में 5 वर्षों तक काम किया। उन्होंने कैनकुन, जिनेवा और हांगकांग के साथ–साथ कई डब्ल्यूटीओ समिति की बैठकों में विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन वार्ताओं में भारत का प्रतिनिधित्व किया है।

उन्होंने सीमा व केंद्रीय उत्पाद शुल्क के विभिन्न अंगो जैसे केंद्रीय उत्पाद प्रभाग, एंटी–स्मगलिंग, अपीयरिंग, सतर्कता और निर्यात संवर्धन में भी काम किया है।

उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों के लिए एक बाह्य संकाय व्यक्ति के रूप में भूमिका निभाई है और भारत और विदेशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के समक्ष जीएसटी और विश्व व्यापार संगठन के विषयों पर कई प्रस्तुतियां दी हैं। वह 2011 और 2012 में विश्व व्यापार संगठन, जिनेवा के सहयोग से विश्व व्यापार संगठन अध्ययन केंद्र द्वारा एशिया प्रशांत देशो के लिए आयोजित दीर्घकालिक विश्व व्यापार संगठन क्षेत्रीय व्यापार नीति पाठ्यक्रम के अकादमिक समन्वयक थे।

उन्होंने समाचार पत्रों/पत्रिकाओं में विश्व व्यापार संगठन के मुद्दों पर लेख लिखे हैं और रिव्यू ऑफ ट्रेड पॉलिसी ऑफ इंडियास मेजर ट्रेडिंग पैटर्नस" एवं ट्रेड फेसिलिटेशन गैप एनालिसिस फॉर बॉर्डर क्लियरेंस प्रोसीजर इन इंडिया" नामक दो पुस्तकें लिखी हैं, उन्होंने यूएन ईएससीएपी, बैंकॉक के लिए 'क्रॉस–बॉर्डर पेपरलेस ट्रेड' पर एक पेपर भी लिखा।

वे द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एमएमटीसी लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, एचएमटी लिमिटेड और इन्वेस्ट इंडिया के निदेशक मण्डल में अंशकालिक आधिकारिक निदेशक का पद भी धारण करते हैं। वे द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और एमएमटीसी लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति के भी सदस्य हैं।

बीएचईएल के निदेशक मण्डल में भारत सरकार के नामित होने के नाते, श्री शशांक

प्रिय बीएचईएल से कोई पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करते हैं।

श्री शशांक प्रिय का बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक /प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ कोई संबंध नहीं है।

श्री शशांक प्रिय ने वित्त वर्ष 2019–20 में उनके कार्यकाल के दौरान आयोजित दो (तीन मेंसे) बोर्ड मीटिंग में भाग लिया है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 67 (iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर, श्री शशांक प्रिय आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक पद हेतु श्री शशांक प्रिय की अभ्यर्थता का प्रस्ताव करते हुए, कंपनी को लिखित रूप से सूचना मिली है।

श्री शशांक प्रिय को छोड़ कर, नियुक्त होने के नाते, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा किसी भी प्रकार से, मद क्रमांक 6 में पारित संकल्प से संबन्धित या इच्छुक नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों की पुष्टि हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद संख्या 7

श्री अनिल कपूर को निदेशक (मानव संसाधन) के रूप में बीएचईएल के संचालक मण्डल में दिनांक 15.10.2019 से नियुक्त किया गया है।

वे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं। उन्होंने भारतीय सांख्यकीय संस्थान, मद्रास से स्टेटिकल क्वालिटी कंट्रोल व ऑपरेशन्स रिसर्च में सर्टिफिकेट कोर्स भी किया है।

श्री कपूर को एचईईपी, हरिद्वार एवं कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली इकाईयों के मानव संसाधन प्रबंधन के साथ गुणता, प्रोद्योगिकी एवं उत्पादन गतिविधियों का 37 वर्षों का सैद्धांतिक कार्यात्मक कार्यानुभव प्राप्त है।

श्री कपूर ने कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में अभियंता प्रशिक्षु के रूप में अपने कैरियर का आरंभ किया और उसके बाद हेवी इलेक्ट्रिकल ईक्विपमेट प्लांाट, हरिद्वार में पदस्थ हुए जहॉं उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग क्षमताओं पर अपना योगदान दिया। हीप, हरिद्वार में एक समृद्ध कालखण्ड बिताने के बाद, 2015 में इनका कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली में महाप्रबंधक (मानव संसाधन व कॉर्पोरेट संचार) के रूप में स्थानांतरण किया गया।

निदेशक (मानव संसाधन) के पदभार को ग्रहण करने से पूर्व, वे कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन व कॉर्पोरेट संचार), कॉर्पोरेट कार्यालय, नई दिल्ली के रूप में मानव संसाधन समूह का नेतृत्व कर रहे थे और मानव संसाधन प्रक्रियाओं के सभी पहलूओं जिनमें मा.सं में प्रतिभा का अर्जन व प्रबंधन, कर्मचारी भर्ती, औद्योगिक संबंध, मा.सं. नीति, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व, चिकित्सा, राजभाषा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण, ज्ञानार्जन व विकास एवं कॉर्पोरेट संचार जैसे परिवर्तनशील एवं मुख्य क्षेत्र सम्मिलित हैं, का कार्यभार संभाले हुए थे।

श्री कपूर लोकान्मुख प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं और भारत सरकार द्वारा कल्पित विभिन्न अभिनव और प्रमुख परियोजनाओं जैसे कौशल विकास, उदयन शालिनी, स्वच्छ भारत, और कैशलेस अभियान के कार्यान्वयन में सहायक रहे हैं। इनके नेतृत्व में बीएचईएल को सुरक्षा, कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (स्कोच,बीटी, टाईम्स) एवं मा.सं. उत्कृष्टता (गोल्डन पिकॉक, ग्रीन टेक्नालॉजी, आईसीसी–पीएसई, आईपीई, एफआईसीसीआई) जैसे विभिन्न पुरस्कार व प्रसंशाओं से सम्मानित किया गया है। इन्हें अभिनव प्रौद्योगिकी विकास हेतु दो बार बीएचईएल एक्सेल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है।

श्री अनिल कपूर की वेतनमान रु. 1,80,000 – 3,40,000 प्रति माह पर नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 31.01.2022 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पर की गई है।

श्री अनिल कपूर का बीएचईएल में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक /प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं है।

श्री अनिल कपूर ने वित्त वर्ष 2019–20 में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित दो बोर्ड बैठकों में भाग लिया है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 67 (iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर, श्री अनिल कपूर आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर रहेंगे और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक पद हेतु श्री अनिल कपूर की अभ्यर्थता का प्रस्ताव करते हुए, कंपनी को लिखित रूप से सूचना मिली है।

श्री अनिल कपूर को छोड़कर, नियुक्त होने के नाते, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा किसी भी प्रकार से, मद क्रमांक 6 में पारित संकल्प से संबन्धित या इच्छुक नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों की पुष्टि हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद क्रमांक 8

श्री राज कमल बिंदल (डीआईएनः 07423392), आयु 44 वर्ष, को दिनांक 31 जनवरी, 2020 से बीएचईएल के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री राज कमल बिंदल दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स स्नातक हैं और भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान के फैलो सदस्य हैं। उन्होंने श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय से एम. कॉम और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से एमबीए भी किया है।

श्री बिंदल को सार्वजनिक नीति, वित्त, रिस्क मैनेजमेंट, इनवेस्टमेंट, प्राईवेटी इक्विटी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ट्रान्स्फोर्मिंग बिजनेस, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पावर सेक्टर और रेलवे के क्षेत्रों में विविध और व्यापक अनुभव हैं।

श्री बिंदल ने अपने अर्न्स्ट एंड यंग इंडिया, डेलॉइट टूशे टोहमात्सू इंडिया, आईसीआरए मैनेजमेंट कंसल्टिंग और आईसीएआई अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन के सेवाकाल के दौरान, सलाहकार के रूप में, भारत सरकार के अंतर्गत रेल मंत्रालय तथा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों की सरकारों, बांग्लादेश सरकार, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, डीएफ़आईडी यूके और एशियाई विकास बैंक में सेवाएं प्रदान की है।

श्री बिंदल को भारत, दक्षिण एशिया और दक्षिण–पूर्व एशिया में सरकारों, बहुपक्षीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ व्यापार विकास का व्यापक अनुभव है।

श्री बिंदल अविका कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, नमः शिवाय वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड और राज कमल बिंदल फाउंडेशन में निदेशक हैं।

श्री राज कमल बिंदल की नियुक्ति दिनांक 27.01.2023 या अगला आदेश जारी होने, जो भी पहले हो, तक के लिए की गई है और वे स्वतंत्र निदेशक होने के नाते निदेशक मण्डल एवं बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क के पात्र है।

श्री राज कमल बिंदल का कंपनी मेंकोई शेयर नहीं हैऔर उनका कंपनी केअन्य निदेशकों/प्रबंधक/प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं है।

श्री राज कमल बिंदल ने वित्त वर्ष 2019–20 में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित एक बोर्ड मीटिंग में भाग लिया है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 67 (iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर, श्री राज कमल बिंदल आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर रहेंगे हैं और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक पद हेतु श्री राज कमल बिंदल की अभ्यर्थता का प्रस्ताव करते हुए, कंपनी को लिखित रूप से सूचना मिली है।

कंपनी को श्री राज कमल बिंदल से एक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सेबी लिस्टिंग नियमों के विनियमन 16 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करती है। उनके विस्तृत ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि श्री राज कमल बिंदल को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। बोर्ड की राय में, श्री राज कमल बिंदल कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं एवं कंपनी प्रबंधन से स्वतंत्र है।

श्री राज कमल बिंदल को छोड़कर, नियुक्त होने के नाते, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा किसी भी प्रकार से, मद क्रमांक 8 में पारित संकल्प से संबन्धित या इच्छुक नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों की पुष्टि हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

मद क्रमांक. 9

श्री मनीष कपूर (डीआईएनः 02405818), आयु 53 वर्ष, को दिनांक 31 जनवरी, 2020 से बीएचईएल के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री मनीष कपूर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से वाणिज्य स्नातक एवं इंस्टिट्यूट ऑफ़चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ़ इंडिया के सदस्य हैं। उन्होंने एसवीपी नेशनल पुलिस अकादमी, हैदराबाद में 4जी फाउंडेशन कोर्स भी पूरा किया है।

श्री कपूर के विशेषज्ञता के क्षेत्र वित्त, विपणन व विक्रय और प्रशासन हैं। उनका 24 से अधिक वर्षों का लंबा अनुभव है और विभिन्न संगठनों में विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। वे मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के गवर्नर्स बोर्ड के सदस्य हैं।

श्री मनीष कपूर जिनेक्स लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं।

श्री मनीष कपूर की नियुक्ति दिनांक 27.01.2023 या अगला आदेश जारी होने, जो भी पहले हो, तक के लिए की गई है और वे स्वतंत्र निदेशक होने के नाते निदेशक मण्डल एवं बोर्ड स्तरीय समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए शुल्क के पात्र है।

श्री मनीष कपूर का कंपनी में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/ प्रबंधक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं है।

श्री मनीष कपूर ने वित्त वर्ष 2019–20 में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित एक बोर्ड मीटिंग में भाग लिया है।

आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल 67 (iv) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 161 के आधार पर, श्री मनीष कपूर आगामी वार्षिक आम बैठक तक पद पर रहेंगे हैं और नियुक्ति के लिए पात्र हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160 की आवश्यकता के अनुसार, कंपनी के निदेशक पद हेतु श्री मनीष कपूर की अभ्यर्थता का प्रस्ताव करते हुए, कंपनी को लिखित रूप से सूचना मिली है।

कंपनी को श्री मनीष कपूर से एक घोषणा प्राप्त हुई है कि वह कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) और सेबी लिस्टिंग नियमों के विनियमन 16 के अंतर्गत निर्धारित स्वतंत्रता के मानदंडों को पूरा करते है। उनके विस्तृत ज्ञान और विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए, यह कंपनी के हित में होगा कि श्री मनीष कपूर को एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए। बोर्ड की राय में, श्री मनीष कपूर कंपनी के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं एवं कंपनी प्रबंधन से स्वतंत्र है।

श्री मनीष कपूर को छोड़ कर, नियुक्त होने के नाते, कंपनी का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार वित्तीय या अन्यथा किसी भी प्रकार से, मद क्रमांक 6 में पारित संकल्प से संबन्धित या इच्छुक नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों की पुष्टि हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2020

पुनः नियुक्ति हेतु निदेशकों का विवरण

श्री मनोज कुमार वर्मा

श्री मनोज कुमार वर्मा (डीआईएनः 08308714), आयु 59 वर्ष, को दिनांक 19 दिसंबर, 2018 को बीएचईएल के निदेशक मण्डल में निदेशक नियुक्त किया गया था।

वह एसजीएसआईटीएस, इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक हैं तथा उन्होंने भोपाल विश्वविद्यालय से एमबीए विपणन विषय में किया है। निदेशक (पावर) बनने के पूर्व, वे कार्यपालक निदेशक के रूप में पावर सेक्टर–दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के प्रमुख रहे। पावर सेक्टर–दक्षिणी क्षेत्र प्रमुख विद्युत परियोजनाओं का निष्पादन कर रहा है और बीएचईएल के पावर सेक्टर में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान कर रहा हैं ।

श्री मनोज कुमार वर्मा को ऊर्जा, औद्योगिक प्रणालियां और अधोसंरचना उद्योग के क्षेत्रों का 36 वर्ष का सैद्वांतिक व कार्यात्मक कार्यानुभव प्राप्त है जिसमें प्रमुख कार्य क्षेत्र जैसे उत्पादन, वाणिज्य प्रबंधन, विपणन व व्यवसाय विकास, अनुबंध प्रबंधन, नियोजन व विकास, सूचना प्रौद्योगिकी तथा रणनीतिक प्रबंधन सम्मिलित हैं।

श्री मनोज कुमार वर्मा ने बीएचईएल के ट्रांसफार्मर प्लांट झांसी में अभियंता प्रशिक्षु के रूप में कार्यग्रहण किया था और तदुपरांत वे एचईपी भोपाल स्थानांतरित हुए जहां उन्होंने विभिन्न पदों पर सेवाएं दी और उसके बाद उनका स्थानांतरण उद्योग क्षेत्र नई दिल्ली में महाप्रबंधक के रूप में हुआ।

बीएचईएल में अपने कार्यकाल के दौरान वे तत्कालीन सेरामिक बिजनिस यूनिट, बैंगलुरू के अंतर्गत आने वाले तत्कालीन इलेक्ट्रोपोर्सलीन प्रभाग (ईपीडी) बैंगलुरू एवं तत्कालीन इंसुलेटर प्लांट (आईपी) जगदीशपुर के प्रमुख भी रहे हैं।

श्री मनोज कुमार वर्मा रायचूर कार्पोरेशन लिमिटेड में अंशकालिक नामांकित अध्यक्ष के पद पर हैं।

श्री मनोज कुमार वर्मा की वेतनमान रु 1,80,000 – 3,40,000 प्रति माह पर नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 31.01.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो पर की गई है।

श्री मनोज कुमार वर्मा का कंपनी में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं है।

श्री मनोज कुमार वर्मा ने वित्त वर्ष 2019–20 में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित नौ बोर्ड मीटिंग में से आठ में भाग लिया है।

श्री कमलेश दास

श्री कमलेश दास (डीआईएनः 08376769), आयु 59 वर्ष, को दिनांक 01 मार्च, 2019 को बीएचईएल के निदेशक मण्डल में निदेशक (इजीनियरिंग, रिसर्च एंड डेवेलपमेंट) के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री कमलेश दास ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में स्नातक और प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया है।

निदेशक (ई,आर एंड डी) बनाने से पूर्व श्री कमलेश दास कार्यपालक निदेशक थे और उन्होंने कंपनी के विविधिकरण व संवृद्धि पहलों के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी बीएचईएल के उद्योग क्षेत्र में विभिन्न व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों का नेतृत्त्व किया है। उनके प्रमुख व्यावसायिक कार्य क्षेत्रों में नवीनीकरण ऊर्जा, औद्योगिक प्रणालियां, इलेक्ट्रिकल तथा ट्रांसमिशन उत्पाद हैं।

उन्होंने 1982 में बीएचईएल की इंसुलेटर प्लांट इकाई में अभियंता प्रशिक्षु के रूप में कार्य ग्रहण किया था। श्री दास को ऊर्जा, ट्रांसमिशन तथा औद्योगिक प्रणालियों का 36 वर्षो से भी अधिक का सैद्धान्तिक व कार्यात्मक अनुभव प्राप्त है। बीएचईएल में कार्यकाल के दौरान उन्होंने विपणन, अभियांत्रिकी, उत्पा दन, वाणिज्य, परियोजना प्रबंधन, मानव संसाधन व औद्योगिक संबंध, वैधानिक प्रबंधन, परियोजना वित्त स्ट्रेटेजिक प्रबंधन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य क्षेत्रों में व्यापक दक्षताओं को विकसित व प्रदर्शित किया है। पूर्व में, वे बीएचईएल की विभिन्न निर्माण इकाइयों जैसे कि कंपोनेंट फेब्रीकेशन प्लांट रूद्रपुर, सेरामिक बिजनिस यूनिट, बैंगलुरू के अंतर्गत आने वाले इलेक्ट्रो पोर्सलीन प्रभाग (ईपीडी) बैंगलुरू एवं इंसुलेटर प्लांट (आईपी) जगदीशपुर के प्रमुख भी रहे हैं।

श्री कमलेश दास बीएचईएल–जीई गैस टर्बाइन लिमिटेड एवं बीएचईएल इलेक्ट्रिकल मशीन लिमिटेड में अंशकालिक नामांकित अध्यक्ष के पद पर हैं।

श्री कमलेश दास की वेतनमान रु. 1,80,000 – 3,40,000 प्रति माह पर नियुक्ति भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों और शर्तों पर 31.01.2021 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, पर की गई है।

श्री कमलेश दास का कंपनी में कोई शेयर नहीं है और उनका कंपनी के अन्य निदेशकों/प्रबंधक /प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों से कोई संबंध नहीं है।

श्री कमलेश दास ने वित्त वर्ष 2019–20 में अपने कार्यकाल के दौरान आयोजित सभी नौ बोर्ड मीटिंग में भाग लिया है।

निदेशक मण्डल के आदेश से

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

स्थानीयः नई दिल्ली
दिनांकः 28.08.2020

वार्षिक आम सभा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिमोट ई–वोटिंग से जुड़ने और वोटिंग करने की प्रक्रिया (इंस्टा पोल)

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा वार्षिक आम सभा से जुड़ने की प्रक्रिया :

कंपनी वार्षिक आम सभा में भाग लेने के लिए अपने सदस्यों को वीसी की सुविधा उपलब्ध करवाएगी।

1) सभी सदस्य अपने ई–वोटिंग लॉगिन द्वारा इस लिंक https://emeetings.kfintech.com से जुड़कर वीसी के माध्यम से वार्षिक आम सभा में भाग ले सकेंगे। सदस्यों से अनुरोध है कि वे नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन करें:

i. दिए गए यूआरएल https://emeetings.kfintech.com को टाइप करके इन्टरनेट ब्राउज़र (क्रोम/फायरफॉक्स/सफारी) को लांच करें।

ii. अपना लॉग–इन परिचय डालें (जो कि ई–वोटिंग केलिए यूजर (उपयोगकर्ता) आईडी और पासवर्ड है)

iii. लॉग–इन करने के बाद,"विडियो कॉन्फ्रेंस" के विकल्प को क्लिक करें।

iv. फिर, बैठक में भाग लेने के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एजीएम ईवेंट के सामने दिखने वाले कैमरा आइकन पर क्लिक करें।

2) जिन सदस्यों के पास ई–वोटिंग के लिए यूजर (उपयोगकर्ता) आईडी और पासवर्ड नहीं है या यूजर (उपयोगकर्ता) आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, वे इसे रिमोट ई–वोटिंग के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करके पुनः प्राप्त कर सकते हैं।

3) वे सदस्य जो एजीएम के दौरान अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं या प्रश्न पूछना चाहते हैं,वे स्वयं को https://emeetings.kfintech.com पर लॉग ऑन करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं और लॉग इन करने के बाद स्क्रीन पर उपलब्ध विकल्प "स्पीकर पंजीकरण" पर क्लिक करें। स्पीकर पंजीकरण बुधवार, 23 सितंबर, 2020 (9.00 पूर्वाह्न) से गुरुवार, 24 सितंबर, 2020 तक (5.00 अपराह्न) तक खुला होगा। एजीएम के सुचारू संचालन और समय की उपलब्धता के आधार प्रश्न पूछने और बोलने वालों की संख्या को सीमित/प्रतिबंधित करने का अधिकार बीएचईएल के पास सुरक्षित रहेगा।

4) सदस्यों को वीसी के माध्यम से एजीएम में भाग लेने की अनुमति पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर होगी।

5) बैठक में शामिल होने की सुविधा एजीएम के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले खोली जाएगी और पूरी एजीएम कार्यवाही के दौरान बैठक से जुड़ा जा सकता है।

6) जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या एजीएम के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो, वे KFinTech से emeetings@kfintech.com पर संपर्क करें या टोल फ्री नंबर 1800–345–4001 पर कॉल करें। कृपया संपर्क के समय अपना नाम, डीपी आईडी–क्लाइंट आईडी/फोलियो नंबर और अपना ई–वोटिंग इवेंट नंबर बताएं।

- **रिमोट ई–वोटिंग और एजीएम में वोटिंग के लिए प्रक्रिया (इंस्टा पोल):**

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 यथा संशोधित, सपठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108 एवं सेबी लिस्टिंग विनियमों के नियम 44 के प्रावधानों, तथा अन्य किसी लागू प्रावधान, के अनुपालन में, कंपनी अपने सदस्यों को एजीएम में पारित किए जाने वाले संकल्पों पर उनके मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों (ई–वोटिंग) द्वारा प्रदान कर रही है। सदस्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके निम्नलिखित तारीखों पर (दूरस्थ ई–मतदान) से अपने वोट को डाल सकते हैं:–

दूरस्थ ई–वोटिंग का प्रारम्भ	गुरुवार, 24 सितंबर 2020, प्रातः 9 बजे से
ई–वोटिंग का समापन	रविवार, 27 सितंबर 2020 को शाम 5 बजे तक

दूरस्थ ई–वोटिंग पूर्वोक्त तय तिथि के अंदर ही की जाएगी और तय समय के बाद दूरस्थ ई–वोटिंग मॉड्यूल को KFinTech द्वारा आगे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (इंस्टा पोल) के माध्यम से मतदान की सुविधा होगी। जिन सदस्यों ने रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है और वे बैठक में उपस्थित हैं तो ई–वोटिंग इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान कर सकते हैं। कंपनी ने ई–वोटिंग की सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी के रूप में केएफ़आईएन टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटड (KFin Technologies Private Limited) की सेवाएं ली हैं। डिमटेरियलाइज्ड मोड, फिजिकल मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन्होंने अपना ईमेल पता पंजीकृत नहीं किया है उनके लिए दूरस्थ ई–वोटिंग का तरीका नीचे दिए गए निर्देशों में है।

किसी सदस्य/लाभार्थी को वोटिंग अधिकार (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग केमामले में) कट–ऑफ डेट यानी दिनांक 21 सितंबर, 2020, सोमवार को कंपनी की पेड–अप इक्विटी शेयर पूंजी में उसके शेयर के अनुपात के अनुसार होगा। कंपनी के निदेशक मंडल ने मेसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स के पेशेवर कंपनी सचिव श्री सचिन अग्रवाल को रिमोट ई–वोटिंग और इंस्टा पोल प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए संवीक्षक का काम सौंपा है। इस नियुक्ति को स्वेच्छा से स्वीकार करते हुए उन्होंने आवश्यकतानुसार उपलब्ध होने की हामी भरी है।

ई–वोटिंग से संबंधित जानकारी और निर्देश निम्नानुसार हैं:

1. जिन सदस्यों ने दूरस्थ ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है वे भी बैठक में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें फिर से वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। किसी प्रस्ताव पर एक सदस्य द्वारा एक बार वोट डाला जाता है, चाहे आंशिक रूप से या अन्यथा, उसके बाद सदस्य को इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

2. कोई सदस्य प्रति ई–वोटिंग के लिए केवल एक ही मोड चुन सकता है ईवेंट नंबर (ईवीएन), यानी दूरस्थ ई–वोटिंग या बैठक में (इंस्टा पोल) मतदान के माध्यम से। यदि कोई सदस्य दोनों मोड द्वारा वोट डालता है तो दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से किए गए मतदान को सही माना जाएगा और बैठक में डाले गए वोट को अमान्य/निरस्त माना जाएगा।

3. जिन सदस्यों का नाम डिपॉजिटरी द्वारा कट–ऑफ डेट पर, यानी सोमवार, 21 सितंबर 2020 को सदस्यों के रजिस्टर या रखे गए लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है

केवल वे ही दूरस्थ ई–वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने या एजीएम में भागीदारी करनेऔर इंस्टा पोल के माध्यम से मतदान करने के पात्र होंगे। जो व्यक्ति कट–ऑफ दिनांक को सदस्य नहीं है, वे इस जानकारी को केवल सूचना मानें।

4) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कटऑफ दिनांक यानि 21 सितंबर, 2020 को शेयर होल्डर हैं वे यूजर आईडी और पासवर्ड KFinTech से नीचे दिए गए तरीके से प्राप्त कर सकते हैं।

i) यदि सदस्य का मोबाइल नंबर, फोलियो नंबर/डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी के साथ पंजीकृत है, तो सदस्य 9212993399 पर एसएमएस भेज सकता है: MYEPWD ई–वोटिंग इवेंट नंबर + फोलियो नंबर या डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, NSDL के लिए उदाहरण: MYEPWD IN12345612345678, CDSL के लिए उदाहरण: MYEPWD 1402345612345678, मूर्त के लिए उदाहरण: MYEPWDXXXX1234567890.

ii) यदि सदस्य का ई–मेल पता या मोबाइल नंबर, फोलियो नंबर/डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी के साथ पंजीकृत है तो होम पेज https://evoting.karvy.com पर सदस्य, "फोर्गोट पासवर्ड" पर क्लिक करें। और फ़ोलियो नंबर या डीपी आईडी, क्लाइंट आई डी और पैन कार्ड संख्या दर्ज कर पासवर्ड जनरेट करें।

iii सदस्य KFinTech के टोल–फ्री नंबर 1800–345–4001 पर (प्रातः 9:00 बजे से शाम 6:00 बजेतक) कॉल कर सकते हैं।

iv सदस्य किसी अनुरोध के लिए madhusudhan.ms@kfintech.com पर ई–मेल भेज सकते हैं।

v यदि सदस्य KFinTech के ई–वोटिंग प्लेटफॉर्म के साथ पहले से पंजीकृत है, तो वह अपने वर्तमान लॉगिन परिचय का उपयोग करके लॉग–इन कर सकते हैं।

5 कंपनी ने बैठक के दौरान नोटिस में प्रस्तावित संकल्पों पर विचार एवं मतदान हेतु केवल ऐसे उपस्थित सदस्यों को जिन्होनें दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से अपना वोट नहीं डाला है तथा कट–ऑफ दिनांक को शेयरहोल्डर हैं और के लिए वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली प्रदान करने का विकल्प चुना है, जो कि दूरस्थ ई–वोटिंग केदौरान उपयोग किया था।

6. दूरस्थ ई–मतदान के लिए निर्देश:

(A) एक ऐसे मामले में जिसमें सदस्य को कंपनी से एक ई–मेल प्राप्त होता है/KFinTech उन सदस्यों के लिए जिनके ई–मेल पते पंजीकृत हैं कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (ओं) के साथ,:

(a) यूआरएल https://evoting.karvy.com टाइप करके इंटरनेट ब्राउजर को लॉन्च करें।

(b) लॉगिन परिचय दर्ज करें(ईमेल आईडी में दिए गए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड)। ई–वोटिंग इवेंट नंबर + फोलियो नंबर या डीपी आईडी क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। हालांकि, अगर आप पहले से ही हैंई–वोटिंग के लिए KFinTech के साथ पंजीकृत, तोआप लॉग इन करने केलिए वर्तमान पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। यदि आवश्यक हो, तो कृपया देखें: https://evoting.karvy.com या टोल–फ्री नंबर 1800–345–4001 पर (सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक) आपके वर्तमान पासवर्ड के लिए संपर्क करें।

(c) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "लॉगिन" पर क्लिक करें।

(d) अब आप पासवर्ड चेंज मेनू पर पहुंचेंगे, जिसमें आपको पहली बार लॉग इन करने पर अनिवार्य रूप से अपना पासवर्ड बदलना होगा। नए पासवर्ड में कम से कम एक कैपिटल लैटर (A-Z), एक स्माल लैटर (A-Z), एक संख्या (0–9) और एक विशेष लैटर (@, #), +, आदि) के साथ न्यूनतम 8 वर्ण शामिल होंगे। सिस्टम आपको पहले लॉगिन पर अपना पासवर्ड बदलने और अपने संपर्क विवरण जैसे मोबाइल नंबर, ई–मेल पता आदि को अपडेट करने के लिए प्रेरित करेगा। यदि आप इसे भूल जाते हैं तो आप अपना पासवर्ड प्राप्त करने के लिए अपनी पसंद का कूट प्रश्न और उत्तर भी दर्ज कर सकते हैं। यह दृढ़ता से अनुशंसा की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें और पासवर्ड गोपनीय रखने के लिए अत्यंत सावधानी बरतें।

(e) आपको नए परिचय के साथ फिर से लॉगिन करने की आवश्यकता है।

(f) सफल लॉगिन पर, सिस्टम आपको भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के लिए ई–वोटिंग इवेंट नंबर (ईवीएन) चयन करने के लिए कहेगा।

(g) मतदान पृष्ठ पर, कटऑफ दिनांक के अनुसार शेयरों की संख्या दर्ज करें। या तो "फॉर" या "अगेंस्ट" या वैकल्पिक रूप से, आप आंशिक रूप से "फॉर" /"अगेंस्ट", के अंतर्गत किसी भी नंबर को दर्ज कर सकते हैं लेकिन "फॉर" /"अगेंस्ट", केअंतर्गत कुल संख्या कट–ऑफ डेट को आपके द्वारा ली गई आपकी कुल हिस्सेदारी से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप (ABSTAIN) को भी चुन सकते हैं जिससे आपके वोट की गिनती कहीं भी नहीं होगी।

(h) कई फोलियो/डीमैट खातों के अंतर्गत शेयर रखने वाले सदस्य प्रत्येक फोलियो/डीमैट खातों के लिए अलग से मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे।

(i) नोटिस के प्रत्येक प्रस्ताव के लिए अलग से मतदान किया जाना है। यदि आप किसी विशिष्ट प्रस्ताव पर अपना वोट डालने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो इसे (ABSTAINED) माना जाएगा।

(j) अब आप एक उपयुक्त विकल्प का चयन करके और "SUBMIT" पर क्लिक कर अपना वोट डाल सकते हैं।

(k) एक पुष्टिकरण बॉक्स दिखाया जाएगा। पुष्टि करने के लिए "ओके" पर क्लिक करें, और संशोधित करने के लिए (CANCEL) पर । एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(l) कॉर्पोरेट/संस्थागत सदस्य (व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य एचयूएफ, एनआरआई आदि) को प्राधिकृत प्रतिनिधि के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर की स्कैन की गई प्रति के साथ बोर्ड संकल्प/अधिकार पत्र की सत्यापित प्रति (पीडीएफ प्रारूप में) को स्क्रूटिनाइज़र की ई–मेल sachin@companylawworld.com एवं इसकी प्रतिलिपि evoting@karvy.com को भेजना आवश्यक है। अनुरोध है कि पूर्वोक्त स्कैन किए गए दस्तावेज़ को ई–वोटिंग मॉड्यूल में अपने लॉग–इन में अपलोड करें । पूर्वोक्त स्कैन किए गए

दस्तावेज़ का नामकरण प्रारूप (BHEL EVENT NO.) करना आवश्यक है।

(B) ऐसे सदस्य जिसका ई–मेल कंपनी/KFinTech/डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं है, कृपया अपनी लॉगिन विवरण बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें:

(a) कृपया लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए एजीएम नोटिस के पैरा 3 को देखें।

(b) कृपया अपना वोट डालने के लिए क्रमांक A के बिंदु (a) से (k) के सभी चरणों का पालन करें।

7) आप फ़ोलियो उपयोगकर्ता प्रोफ़ाइल विवरण में अपना मोबाइल नंबर और ई–मेल आईडी भी अपडेट कर सकते हैं जिसका उपयोग आगे सभी प्रकार के संचार केलिए किया जा सकता है।

8) किसी प्रस्ताव पर सदस्य द्वारा आंशिक रूप से या अन्यथा एक बार वोट डाले जाने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने या फिर से वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9) ई–वोटिंग से संबंधित किसी भी प्रश्न/शिकायत के होने पर, सदस्य ई–वोटिंग के लिए KFINTech की वेबसाइट https://evoting.karvycom के "डाउनलोड" भाग में एक ड्रॉपडाउन मेनू के माध्यम से "सहायता" और "FAQs" अनुभाग/ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका का उपयोग कर सकते हैं, या नीचे बिंदु दिए गए क्रमांक (ग) के अंतर्गत विवरण के अनुसार KFinTech से संपर्क करें।

10) सदस्यों से अनुरोध है कि वे ई–वोटिंग शिकायतों के समाधान के लिए निम्नलिखित संपर्क विवरणों को नोट कर लें:

सुश्री लक्ष्मी राज्यम, उप प्रबंधक,
केफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबोवली, वित्तीय जिला, नानकग्रामगुडा, हैदराबाद 500032
फोन नं.: +91 40 67161564 टोल–फ्री नं.: 1800–345–4001
ई–मेलः संगउपण्तंरलंउ/ापिदजमबीण्बवउ

11) **इंस्टा पोल के लिए निर्देशः** बैठक में इंस्टा पोल की घोषणा होते ही इंस्टा पोल के माध्यम से वोट डालने की सुविधा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्क्रीन पर उपलब्ध होगी।

12) स्क्रूटिनीज़र, बैठक में ई–वोटिंग के समापन के बाद, बैठक में डाले गए वोटों (इंस्टा पोल) एवं दूरस्थ ई–वोटिंग के माध्यम से डाले गए वोटों की जांच करेगा और इन्हें समेकित कर एक स्क्रूटिनीज़र रिपोर्ट बनाकर अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत करेगा। ई–वोटिंग का परिणाम बैठक के समापन के अड़तालीस घंटों के भीतर घोषित किया जाएगा और इसी के साथ, समेकित स्क्रूटिनीज़र की रिपोर्ट, कंपनी की वेबसाइट (www.bhel.com) और KFinTech वेबसाइट https://Foting.karvy.com पर डाल दी जाएगी। परिणाम उसी समय स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा।

13) अपेक्षित संख्या में वोटों की प्राप्ति के अधीन, नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावों को बैठक की तिथि पर, अर्थात् 28 सितंबर, 2020 को पारित माना जाएगा।

भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
(सीआईएन : एल74899डीएल1964जीओआई004281)
पंजीकृत कार्यालयः बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली : 110049
फोनः 011–66337000, फ़ैक्सः 011–66337428
वेबसाइटः www.bhel.com ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

प्रिय शेयरधारक (को)

संदर्भ : राष्ट्रीय इलेक्ट्रोनिक समाशोधन सेवाओं (एनईसीएस)/इलेक्ट्रोनिक समाशोधन सेवाओं (ईसीएस) के माध्यम से लाभांश का भुगतान

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसरण में सभी सूचीबद्ध कंपनियाँ लाभांश के भुगतान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत किसी भी इलेक्ट्रोनिक मोड जैसे ईसीएस/एनईसीएस/डाएरेक्ट क्रेडिट आदि के भुगतान की पद्धति को अपनाएंगे।

यदि आपने पहले से हमारे रजिस्ट्रार यानि मैसर्स केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड या डिपोजिटरी प्रतिभागी (डीमैट होल्डिंग के मामले में), एनईसीएस/ईसीएस/बैंक खाता विवरण प्रेषित नहीं किए हैं, तो आपसे हमारा अनुरोध है कि नीचे दिए गए फॉर्मेट में उक्त विवरण उपलब्ध कराएं, ताकि कंपनी द्वारा घोषित होने वाले लाभांश का त्वरित, सुरक्षित एवं सही भुगतान किया जा सके।

कृपया सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रारों/ डिपोजिटरी प्रतिभागी को आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण सही हों, क्योंकि उनमें कोई त्रुटि होने पर लाभांश की राशि गलत खाते में जमा हो जाएगी।

कृपया आपकी बेहतर सेवा करने में हमें सहयोग करें।

भवदीय

(राजीव कालड़ा)
कंपनी सचिव

विशेष टिप्पणीः यदि आपके पास डीमैट रूप में शेयर हैं तो अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी को आपके बैंक खाता विवरणों/एनईसीएस/ईसीएस/सीधे क्रेडिट अधिदेश पर ध्यान देने का परामर्श दें।

....

एनईसीएस/ईसीएस अधिदेश/बैंक खाता विवरणों के लिए फॉर्म

मैं/हम..एतदद्वारा बीएचईएल/अपने डिपोजिटरी प्रतिभागी कोः

– मेरे/हमारे लाभांश वारंट पर निम्न विवरण छापने

– एनईसीएस/ईसीएस द्वारा बैंक खाते में मेरे लाभांश राशि जमा करने हेतु प्राधिकृत करता हूं/करने हैं

(जो लागू न हो कृपया उसे काट दें)

मेरा/हमारा फोलियो सं............................ अथवा डीपी आईडी सं. ....ग्राहक सं.................................

बैंक खाते का विवरणः

- क. बैंक का नाम ....
- ख. शाखा का नाम ....
  (केवल अधिदेश के लिए पता)
- ग. एमआईसीआर चैक में दिए गए बैंक और शाखा के 9 अंको की कोड संख्या ....
- घ. आईएफ़एससी कोड ....
- ङ. खाते का प्रकार (बचत/चालू) ....
- च. बैक बुक मेंदिए गए अनुसार खाता सं. ....
- छ. शेयरधारक का एसटीडी कोड एवं फोन न. ....

यदि एनईसीएस/ईसीएस कार्यान्वित न हो सकी अथवा बैंक एनईसीएस/ईसीएस को किसी कारण से समाप्त कर देता है, तो मैं/हम कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगा/ठहराएंगे ।

Mail to

मैसर्स केफिन टेक्नोलोजी प्राइवेट लिमिटेड
इकाईः बीएचईएल
सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट न. 31–32
गाछीवावली फ़िनान्शियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा
हैदराबाद–500008

____
शेयरधारक के हस्ताक्षर

कृपया (1) 9 अंको की कोड सं. की यथार्थता के सत्यापन हेतु आपके उक्त खाते से संबन्धित आपके बैंक द्वारा जारी चैक या खाली रद्द किए गए चैक की प्रति और (2) अपने पैन कार्ड की एक प्रति इस फॉर्म के साथ संलग्न करें।

बैंकर, लेखा परीक्षक और शेयर अंतरण एजेंट

बैंकर

इलाहाबाद बैंक
आंध्रा बैंक
बैंक ऑफ बड़ौदा
केनरा बैंक
सेंट्रल बैंक
कॉर्पोरेशन बैंक
एग्ज़िम बैंक
आईडीबीआई बैंक
इंडियन बैंक
इंडियन ओवरसीज़ बैंक
पंजाब नेशनल बैंक
भारतीय स्टेट बैंक
सिंडिकेट बैंक
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
ऐक्सिस बैंक
एचडीएफसी बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
इंडसइंड बैंक
कोटक महिंद्रा बैंक
आरबीएल बैंक
दि फेडरेशन बैंक लिमिटेड
यस बैंक
सीआईटीआई बैंक एन.ए.
ड्यूश बैंक एजी
स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक
दि हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड

लेखापरीक्षक

राज हर गोपाल एंड कं., नई दिल्ली
तिवारी एंड एसोशिएट्स, नई दिल्ली
महेश सी. सोलंकी एंड कं., भोपाल
पोनराज एंड कं., त्रिची
राव एंड कुमार, हैदराबाद
एस.आर.आर.के. शर्मा एसोशिएट्स, बैंगलुरु
एम. श्रीनिवासन एंड एसोशिएट्स, चेन्नई

लागत लेखापरीक्षक

सोमी एंड बनर्जी, दिल्ली
आर. जे. गोयल एंड कं., दिल्ली
केआरजे एंड एसोशिएट्स, हैदराबाद
एम. कृष्णास्वामी एंड एसोशिएट्स, चेन्नई
जे. एच. एंड एसोशिएट्स, बैंगलुरु
के.बी. सक्सेना एंड एसोशिएट्स, लखनऊ
उप्पालापति एंड एसोशिट्स, विशाखापट्टनम

शेयर अंतरण एजेंट

केफिन टेक्नोलॉजिज् प्रा. लि.
यूनिटः बीएचईएल
दिल्लीः 305, नई दिल्ली हाउस, 27, बाराखंबा रोड,, नई दिल्ली–110 001, फोनः 011–43681700, फैक्सः 011–43681710

हैदराबादः सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31–32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद–500 032
फोनः 040–67162222, फैक्सः 040–23001153
ई–मेलः madhusudhan.ms@kfintech.com; einward.ris@kfintech.com
वेबसाइटः www.kfintech.com

पंजीकृत कार्यालय
बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049 (भारत)
सीआईएनः L74899DL1964GOI004281
फोनः 011–66337000, फैक्सः 011–66337428
वेबसाइटः www.bhel.com ई–मेलः shareholderquery@bhel.in

टिप्पणी

रक्षा और एयरोस्पेस में आत्मनिर्भर!

में आत्मनिर्भर!

बीएचईएल तीन दशकों से रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्र केलिए रणनीतिक उपकरणों और सेवाओं का एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

बीएचईएल 1992 से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के पुराने साझेदारों में से एक है। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अधिकांश उपग्रह जीसैट 30, जिसमें एक 500 वर्गमीटर स्पेस ग्रेड सौर पैनल की आपूर्ति बीएचईएल ने की गई थी, और अन्य उपग्रहों के साथ ही, भारत के सब से भारी संचार उपग्रह जीसैट –11, बीएचईएल निर्मित सौर पैनलों और लिथियम आयन बैटरी द्वारा संचालित है। बीएचईएल नेचंद्रयान –2 के लिए स्पेस ग्रेड सोलर पैनल और बैटरी की भी आपूर्ति की है।

बीएचईएल देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम में और योगदान करते हुए, इसरो को टाइटेनियम मिश्र धातु आधारित अंतरिक्ष यान प्रोपलेंट टैंक उपकरणों की आपूर्ति कर रहा है।

ऐसे 100 से अधिक प्रोपलेंट टैंक उपकरण हैं, जो चंद्रयान –1 व 2, एवं मंगलयान सहित भारतीय उपग्रहों के साथ लगे स्वदेशी प्रोपलेंट टैंक का 90 प्रतिशत से अधिक है, की आपूर्ति अब तक की जा चुकी है। बीएचईएल दुनिया की उन कुछ चुनिंदा फर्मों में से एक है, जिनके पास सैन्य विमानों के लिए हीट एक्सचेंजर्स को डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता है।

भारत हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: बीएचईएल हाउस, सीरी फोर्ट, नई दिल्ली–110049 भारत

सी आई एन : L74899DL1964GOI004281

www.bhel.com

हमें इन पर फॉलो करें

BHELOfficial | BHEL_India | BHEL_India | bhel.india | company/bhel